सप्तम माला खंड 1 अंक 1

मंगलवार 22 दिसंबर 1981

1 पौष 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 22, मंगलवार, 22 दिसम्बर, 1981/1 पौष, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या 438 से 442 और 446	1—30
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	26—221
*तारांकित प्रश्न संख्या 436, 437, 443, से 445 और 447 से 455	26—35
अतारांकित प्रश्न संख्या 4899 से 4913, 4915 से 5134, और 5134 क	36—220
विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में	221—227
सभा पटल पर रखे गये पत्र	228—235
प्राक्कलन समिति	235
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)—सीमा शुल्क तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय—ग्रामीण नियोजन के सम्बन्ध में सरकार के उत्तर दर्शाने वाले विवरण	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति	235
चौतीसवां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	235—237
साठवां प्रतिवेदन	
जत्थेदार संतोखसिंह की मृत्यु के बारे में वक्तव्य	237 - 238
श्री जैलसिंह	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	238—255
यूनाइटेड किंगडम और आस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा भारतीय	

* किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
प्रथमोपचार मरहमपट्टी सामग्री पर प्रतिबन्ध लगाये जाने और उसे जलाये जाने के समाचार के बारे में	
श्री हरिनाथ मिश्र	238
श्री खुर्शीद आलम खान	238
श्री मनोरंजन भक्त	249
श्री बी वी देसाई	251
श्री गदाधर साहा	253
श्री एच० एन० नन्जे गौडा	254
"अंकटाड" में वस्तुओं के लिए संयुक्त निधि स्थापित करने हेतु किये गये करार पर भारत की सहमति के बारे में वक्तव्य	255
श्री प्रणव मुखर्जी	
पुरः स्थापित किये गये विधेयक	
(एक) भूमिगत रेल (संकर्म-सनिर्माण) संशोधन विधेयक	257
(दो) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक	257
नियम 377 के अधीन मामले	258—261
(एक) 15 दिसम्बर, 1981 को उज्जैन में पुलिस द्वारा श्री सत्यनारायण जटिया पर कथित हमला	
श्री सत्यनारायण जटिया	259
विशेषाधिकार का प्रश्न	261
उज्जैन में पुलिस द्वारा श्री सत्यनारायण जटिया, ससद सदस्य पर कथित हमला	
नियम 377 के अधीन मामले-जारी	262—268
(दो) दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों में कन्नड़ गीतों को शामिल करना	
श्री ओस्कर फर्नान्डीस	262
(तीन) विदेशों से स्टेनलेस स्टील के आयात में कथित कदाचार	
श्री मनीराम बागड़ी	262
(चार) तमिलनाडु के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों के छात्रों की समस्यायें	
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन	263

विषय	पृष्ठ
(पांच) नेवेली लिगनाइट निगम के लिए भूमि कर अधिग्रहण किए जाने के परिणाम-स्वरूप विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास	
श्री ईरा अनबारासु	264
(छः) पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी जंक्शन पर डीजल पी०ओ०एच० वर्कशाप का बन्द होना	
श्री आनन्द पाठक	265
(सात) दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में शान्ति स्थापित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्रीमती गीता मुखर्जी	266
(आठ) जनगणना विभाग के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी के बाद उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जगपाल सिंह	267
(नौ) देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता	
श्री राजेश पाइलट	265
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (तीसरा संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	268—314
श्रीमती शीला कौल	269
श्री सोमनाथ चटर्जी	271
श्री एच० के० एल० भगत	278
श्री गुलशेर अहमद	284
श्री इन्द्रजीत गुप्त	288
श्री राम जेठमलानी	294
श्री आरिफ मोहम्मद खां	298
श्री रशीद मसूद	302
श्री बी० एन० गाडगिल	306
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	309
श्री जैनल बशर	313,323

विषय	पृष्ठ
श्री चित्त बसु	325
श्री जमीलुर्रहमान	327
श्री अशफाक हुसैन	333
श्रीमती मोहसिना किदवई	336
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट	338
श्री चन्द्रजीत यादव	343
श्री काजी जलील अब्बासी	347
श्री काजी सलीम	351
श्री नारायण चन्द पराशर	354
श्रीमती शीला कौल	356
खण्ड 2 से 22 और 1 संशोधित रूप में, पास करने का प्रस्ताव — श्रीमती शीला कौल	360—381
दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य — श्री योगेन्द्र मकवाना	314
मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) नियम सम्बन्धी प्रस्ताव—अस्वीकृत	315
श्री एन० के० शेजवलकर	315
श्री चरणजीत चानना	320
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (तीसरा संशोधन) विधेयक—जारी	323—381
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई — श्री टी० एस० नेगी	381

लोक सभा

मंगलवार, 22 दिसम्बर, 1981/1 पौष, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा यहां नहीं हैं। श्रीमती जयन्ती प नहीं हैं।

(व्यवधान)**

श्री मोहन लाल पटेल। (व्यवधान)**

कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। यह सब रिकार्ड से बाहर है। मैंने 438 के लिए कहा है। प्रश्न संख्या 437 के सम्बन्ध में श्री बाग ने मुझे लिखा है नहीं होंगे। इसलिए मैंने प्रश्न संख्या 438 के लिए कहा है।

सीरा और अल्कोहल का वितरण

*438. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीरा और अल्कोहल उद्योगों की वर्तमान वितर संतोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो वितरण प्रणाली के मुख्य दोष क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार जिससे वितरण अधिक प्रभावकारी हो सकें ; और

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) . (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

किसी राज्य में उपलब्ध शीरे और अल्कोहल को उसी राज्य के विभिन्न औद्योगिक यूनिटों मे सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है । अधिशेष वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को शीरा/अल्कोहल का अन्तरराज्य आवंटन अकानूनी आधार पर भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है । अब सरकार एक अकानूनी आधार पर समन्वयकारी प्राधिकरण की भूमिका अदा कर रही रही है ताकि उपलब्ध शीरे और अल्कोहल का सभी प्रयोगों के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित संघों के बीच समान वितरण हो सके । इस भूमिका को निभान में सरकार को एक परामर्शदात्री निकाय, केन्द्रीय शीरा बोर्ड का सहयोग प्राप्त है जिसमा सभी राज्यों और केन्द्र शासित संघों के प्रतिनिधि होते हैं । इस भूमिका को प्रभावी रूप से निभाने के लिए सरकार को फालतू शीरा और अल्कोहल वाले सभी राज्यो के सम्पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होगी । दिनांक 28 नवम्बर, 1981 को हुई केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक में अधिशेष वाले सभी राज्यों न आमतौर पर भारत सरकार द्वारा किये गये अन्तर्राज्कीय आवंटनों के अनुसार फालतू शीरा और अल्कोहल की सप्लाई करने की सहमति व्यक्त की थी । सरकार यह देखने का प्रयत्न करती रही है और करती रहेगी कि अधिशेष वाले राज्य शीरा/अल्कोहल की अधिकतम मात्रा कमी वाले राज्यों को उपलब्ध करें । इस पद्धति में कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है ।

श्री मोहन लाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि नान-स्टैट्यूटरी बेसिस पर वितरण व्यवस्था का कार्य केन्द्रीय मन्त्रालय कर रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि यह नान-स्टैट्यूटरी बेसिस पर वितरण व्यवस्था कब से शुरू हुई और क्या उसके मुताबिक काम चल रहा है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं क्या स्टैट्यूटरी बेसिस पर वितरण व्यवस्था का कार्य सम्भालने की बात केन्द्रीय सरकार सोच रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : इसके लिए एक मोलैसिस कन्ट्रोल बोर्ड है जिसकी प्रति वर्ष मीटिंग होती है । उस मीटिंग में सभी स्टेट्स के प्रतिनिधि बुलाए जाते हैं, कन्सर्न्ड मिनिस्टर्स वहां आते हैं और उसमें तय किया जाता है कि टोटल एवेलेबिलिटी कितनी है, कितनी उसमें सरप्लस स्टेट्स हैं और कितनी डेफिसिट स्टेट्स हैं, और उसके बाद उसकी वितरण व्यवस्था की जाती है । यह जो अभी वितरण व्यवस्था है इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट एक कोआर्डिनेटिंग एथारिटी के रूप में काम करती है, कोई स्टैट्यूटरी कन्ट्रोल नहीं है । लास्ट ईयर, जोकि शार्टेज का साल था, उसमें जरूर कठिनाई हुई थी, इसको पूरी तरह से पालन करवाने में, लेकिन इस वर्ष मौजूदा स्थिति जो मोलैसिस और अल्कोहल की है उसमें हमें उम्मीद है कि डेफिसिट स्टेट्स की रिक्वायमेंट्स सरप्लस स्टेट्स के द्वारा पूरी कर ली जायेगी । 1964 से यह मोलैसिस कन्ट्रोल बोर्ड काम कर रहा है ।

श्री मोहन लाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में डिनेचर्ड स्प्रीट और अल्कोहल की

कमी है और हम बाहर से इसको मंगवाते हैं। वाणिज्य मन्त्रालय ने अपने उत्तर में 8.5.1981 को बताया था कि 1979 80 में 4 लाख टन मोलैसिस एक्सपोर्ट किया। जब हम मोलैसिस एक्सपोर्ट करते हैं तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगले तीन सालों में हमें अपने देश में अल्कोहल और 'डाचर्ड स्प्रीट की कितनी जरूरत होगी और क्या माननीय मन्त्री महोदय ने अपने यहां इसके उत्पादन के बारे में सोचा है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष महोदय, मोलैसिस और अल्कोहल का उत्पादन शुगर के उत्पादन पर निर्भर करता है। शुगर का उत्पादन वैरी करता रहता है। उदाहरण के तौर पर गत वर्ष 51.5 लाख टन शुगर का उत्पादन था और 4,309 लाख लीटर अल्कोहल का उत्पादन था। 1981-82 में शुगर का उत्पादन 67 से लेकर 70 लाख टन होने की आशा है और इसलिए अल्कोहल का उत्पादन 5,762 लाख लीटर होगा। ऐसी सूरत में इस वर्ष कोई कमी मालूम नहीं होती है। हर साल के लिए कोई आंकड़ा निश्चित करना मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा इनका उत्पादन शुगर के उत्पादन पर निर्भर करता है।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध आंकड़ों से हमें पता चलता है कि देश में महाराष्ट्र और गुजरात अधिकता वाले राज्य हैं। गुजरात देश के सूखे राज्यों में से एक है। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि गुजरात को, जिसके यहां अतिरिक्त शीरा है, अल्कोहल और शीरे पर आधारित अपने उद्योग को बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी ? क्या उन्हें कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है या केन्द्रीय सरकार गुजरात राज्य के ऐसे उद्योग को प्रोत्साहन जैसे के लिए विचार कर रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह किसी विशेष राज्य का अधिकता वाला राज्य होने या अधिकता वाला राज्य न होने का प्रश्न नहीं है। जहां तक अल्कोहल के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस का सम्बन्ध है, उन्हें शीरे और अल्कोहल की समस्त उपलब्धता की स्थिति में इसकी पुनरीक्षा करनी है ; और कुछ अधिकता वाले राज्य हैं और कुछ अन्य राज्यों में बहुत कमी है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल और केरल में पिछले वर्ष कमी थी। महाराष्ट्र में अधिकता थी। गुजरात में थोड़ी सी अधिकता थी। इसलिए, यदि उत्पादित सारे अल्कोहल का राज्य में उपभोग कर लिया जाता है, तब कमी वाले राज्यों को निश्चय ही ज्यादा कठिनाई होगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मन्त्री महोदय ने बताया कि पश्चिम बंगाल जैसे कमी वाले राज्यों को पिछले वर्ष काफी कठिनाई हुई थी। जहां तक मुझे जानकारी है, पश्चिम बंगाल में कठिनाई अभी भी चल रही है। क्या मंत्री महोदय कृपा करके हमें यह बताएंगे कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल को औद्योगिक अल्कोहल की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक पश्चिम बंगाल को इस वर्ष अल्कोहल की आपूर्ति का सम्बन्ध है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा था यह किसी और चीज के लिए भी है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पिछले वर्ष भी, पश्चिम बंगाल में अल्कोहल की उपलब्धता सुधारने के लिए 100 लाख लीटर अल्कोहल के आयात की अनुमति दी गई थी जिसमें से पिछले अल्कोहल वर्ष में 42 लाख लीटर आया और 58 लाख लीटर अब आया है। इसके अतिरिक्त, जहां तक 1981-82 के लिए वर्तमान आवंटन का सम्बन्ध है, हमने पश्चिम बंगाल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : माननीय मन्त्री को अच्छी तरह पता है कि शीरे और अल्कोहल के विवरण से कई वर्षों से कमी वाले राज्यों में काफी कठिनाई हो रही है। केन्द्रीय शीरा बोर्ड का कार्य संचालन भी सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि यह निश्चित करने के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि अन्य राज्यों में कितनी अधिकता है और उनकी वास्तविक आवश्यकता क्या है। और इसलिए मध्य प्रदेश और अन्य कमी वाले राज्यों में अल्कोहल और शीरे पर आधारित उद्योगों के बीच भेदभाव किया जाता है और इस आधारभूत कच्चे माल का वितरण न्याय संगत नहीं है। इसलिए क्या मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध कर सकता हूं कि वह एक योजना पर विचार करें जिसके द्वारा शीरे और अल्कोहल के पूरे उत्पादन का अधिग्रहण किया जाए और एक केन्द्रीय निकाय द्वारा सरणीबद्ध किया जाए और सभी राज्यों को उचित मात्रा में वितरण किया जाए ? मध्य प्रदेश राज्य अल्कोहल और शीरे के लिए लगातार मांग करता रहा है और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश में कुछ उद्योगों को आधे समय या एक शिफ्ट काम करना पड़ रहा है और वे बुरी तरह से कठिनाई में हैं। इसलिए क्या यह मंत्रालय उद्योग मंत्रालय के साथ सहयोग से काम करेगा ताकि उन उद्योगों को, जिनका आधार शीरा और अल्कोहल है, लाइसेंस देते समय अपेक्षित कच्चे माल का भी आश्वासन दिया जा सके ? जिसके बिना लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिए। क्या मंत्री महोदय इन सभी बातों को स्पष्ट करेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश जारी करने का संबंध है, वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत हम केवल समन्वयकारी एजेंसी हैं और जब तक इस संबंध में कानून पास नहीं किया जाता है तब तक हम कार्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। जहां तक कानून का सम्बन्ध है, हालांकि इस पर ध्यान दिया जा रहा है, यह केन्द्र और राज्य के बीच का एक नाजुक मामला है और इसलिए, इस विषय में कानून बनाने से पहले अधिकांश राज्य सरकारों को विश्वास में लेना होगा। जहां तक मध्य प्रदेश को कम आपूर्ति का संबंध है, पिछले वर्ष हमने अधिकता वाले राज्यों से मध्य प्रदेश को आपूर्ति देने का प्रयास किया था, परन्तु यह कमी की स्थिति में नहीं पहुंचा था। तथापि, इस वर्ष हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी कमी वाले राज्यों को अधिकता वाले राज्यों से आपूर्ति की जाए। जहां तक उद्योग मंत्रालय के साथ सम्पर्क बनाने के प्रश्न का संबंध है, उद्योगों को स्थापित करने के संबंध में हम सम्पर्क बनाए हुए हैं और मैंने माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया है।

श्री मनीराम बागड़ी : इसके लिए गैस की सख्त जरूरत है, इसलिए मथुरा रिफाइनरी को कब शुरू करोगे ?

भारतीय फिल्मों का निर्यात

* 439 श्री निहाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने भारतीय फीचर फिल्में खरीदने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितने मूल्य की फीचर फिल्में निर्यात की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उन देशों जिन्होंने भारतीय फीचर फिल्मों का आयात करने की इच्छा व्यक्त की है और जिनके साथ 1979-80 और 1980-81 के दौरान संविदाएं की गई हैं, के नाम तथा निर्यात की गई फिल्मों का मूल्य सदन की मेज पर रखे गए वितरण में दिया गया है ।

विवरण

क्र० सं०	देश	1979-80 का ब्यौरा		1980-81 का ब्यौरा	
		फिल्मों की संख्या	मूल्य रुपयों में	फिल्मों की संख्या	मूल्य रुपए
1	2	3	4	5	9
1.	अफगानिस्तान	28	12.03.573.00	2	1.45,299.00
	अरब की खाड़ी (2 से 6)				
2.	बहरीन	16	20.41.950.00	17	1.92.220.00
3.	दुबई	183	3.0 .22.448.00	265	5,03,96 432.65
4.	कुवैत	20	1,39,000.00	14	5,52,820.00
5.	अबुधाबी	7	5,92,540.00	2	51,000.00
6.	सरझा	3	53,551.00	1	7,85,000.00
7.	बर्मा	4	2,15,855.00	9	5,95,444.50
	पूर्वी अफ्रीका (8 से 16)				
8.	कन्या	35	8,88,027.00	35	10,64,846.60

1 2	3	4	5	6
9. यूगांडा	1	16,000.00	—	—
10. तंजानिया	58	22,18,508.00	52	17,88,679.05
11. मालावी	41	14,30,706.00	29	8,71,943.30
12. ईथोपिया	8	1,75,313.00	—	—
13. मोजाम्बिक	5	1,72,340.00	—	—
14. स्वाजीलैंड	1	45.575.00	1	44,825.00
15. बोत्सवाना	3	1,43,140.00	6	2,27,587.00
16. लेसाथो	1	54,990.00	3	1,29,79.760.00
17. फिजी	84	50,75,803.00	82	60,58,961,30
मध्य-पूर्व (18 से 27)				
18. ग्रीस	—	—	1	13,260.00
19. साइप्रस	—	—	1	24,500.00
20. ईरान	11	4,00,081.00	1	26,655.00
21. इंराक	27	18,63,006.00	35	25,59,909.00
22. इजराईल	68	16,94,020.00	52	14,70,616.30
23. जार्डन	83	22,64,671.00	53	18,06,686.40
24. लेबनान	51	29,54,009.00	22	7,04,869.70
25. सीरिया	—	—	5	1,33,690.00
26. टर्की	1	40,000.00	—	—
27. मिश्र	12	17,72,890.00	20	11,89,843.00
28. मारिशस और मेडागास्कर	36	21,43,433.00	61	19,64,128.50
उत्तरी अफ्रीका (29 से 33)				
29. मोरक्को	93	44,14,331.00	96	49,63,132.97

1	2	3	4	5	6
30.	लीबिया	—	—	4	99,480.00
31.	आवेरी कोस्ट	2	56,000.00	1	35,505.00
32.	सेनेगल	8	1,77,989.00	4	1,34,373.00
33.	जिजब्राल्टर	17	8,06,424.00	25	8,87,403.20
	सुदूर पूर्व (34 से 38)				
34.	सिंगापुर	70	50,63,018.00	93	63,65,998.58
35.	मलेशिया	65	27,87,100.00	102	40,53,637.48
36.	हांगकांग	7	2,56,348.00	5	1,40,000.00
37.	थाईलैंड	13	4,46,982.00	10	2,75,601.00
38.	इंडोनेशिया	35	26,88,859,00	38	38,55,613.04
39.	सूडान	19	4,74,253 00	27	5,33,290.46
40.	वरतानिया और आयर लैंड	199	2,32,34,309.00	111	2,57,07,351.06
41.	अमरीका कनाडा	109	68,24,511.00	96	85,79,230.12
	वेस्ट इण्डीज (42 से 45)				
42.	त्रिनिडाड	31	26,19,927.00	28	19,38,706.00
43.	बारबाडोस	8	4,39,389.00	11	4,89,733.00
44.	सूरीनाम	39	11,90,874.00	42	14,58,122.50
45.	गुयाना	13	5,50,191.00	11	5,95,834.00
	पश्चिमी अफ्रीका (46 से 50)				
46.	नाइजीरिया	11	7,02.650.00	29	13,55,311.00
47.	जाम्बिया	17	9.18.023.00	28	12,12,051.30
48.	सीरा लियोना	—	—	7	1,53.645.00
49.	लाइबेरिया	13	3,63,878.00	21	5,87,178.00
50.	लागोस	—	—	11	5,62,039.00

1 2	3	4	5	6
पश्चिमी यूरोप (51 से 62)				
51. पुर्तगाल	22	10,33,444.00	9	3,02,284 21
52. स्विट्जर लैंड	1	49,900.00	—	—
53. फ्रांस	16	5,18,607.00	8	2,36,460.00
54. स्पेन	—	—	1	1,15,500.00
55. पश्चिमी जर्मनी	10	5,23,100.00	5	1,63,650.00
56. हालैंड	6	1,56,248.00	6	2,26,325.00
57. बैल्जियम	1	17,334.00	2	74,260.00
58. फिनलैंड	1	10,400.00	1	34,725.00
59. यूगोस्लाविया	5	4,64,156.00	2	1,21,086.00
60. बुल्गारिया	2	97,514.00	1	60 840.00
61. चैकोस्लोवाकिया	11	2,16,665.00	2	74,188.00
62. रोमानिया	—	—	4	1,28,084.00
लैटिन अमरीका (63 और 64)				
63. लीमा/पेरू	9	3,00,801.00	1	43,034.00
64. मैक्सिको	1	67,500·00	1	16,000.00
संयुक्त अरब गणराज्य (65 से 68)				
65. अदन	2	60,000.00	3	70,000.00
66. यमन	26	8,99,319.00	10	4,30,748.56
67. डिजीबोटी	30	10,81,276.00	24	7,85,530.00
68. सान्ना	—	—	22	9,22,434.30
69. सोवित संघ	3	15,80,000.00	8	38,25,000.00
70. श्रीलंका	20	16.63,097.00	38	43,89,815.25
71. आस्ट्रेलिया	1	4,250.00	1	39,450.00

1	2	3	4	5	6
7 .	चीन	1	38,000.00	—	—
73.	बंगला देश (ढाका)	—	—	1	3,500.00
74.	जापान/मनोला	2	69,174.00	1	55,000.00
75.	मालदीव्स	5	2,76,641.00	7	96,719.50
76.	फिलीपीन्स	—	—	2	46,000.00
	कुल योग :	1740	12,14,64,016.00	1729	15,07,42,847.2

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, 76 देशों को फिल्में निर्यात की गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने यहां की जो भाषा राष्ट्र-भाषा हिन्दी में बनी हुई फिल्मों को ज्यादा पसन्द किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : जिन देशों में हमारे देशवासी जाकर बसे हैं, जैसे फिजी, त्रिनिदाद, मारिशस, श्रीलंका—ऐसी जगहों पर हमारी हिन्दी फिल्में चलती हैं। वहां उनकी काफी मांग है और वहां भेजी जा रही हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : अमरीका के लोग भी ज्यादा पसन्द करते हैं—हिन्दी फिल्मों को, ऐसा मुझे लोगों ने कहा था।

श्री निहाल सिंह : यह कहावत है—निदन्क नियरे राखिए, आंगन कुटि छवाय। कोई ऐसी फिल्म जिसमें ऐसा मालूम होता है कि सरकार के खिलाफ कोई बात है या आलोचना है या नेताओं के खिलाफ है तो सरकार उस पर पाबन्दी लगा देती है। अभी दो-तीन दिन पहले मेरी आवाज सुनो पर सरकार ने पाबन्दी लगा दी है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई देश यदि इन फिल्मों को मंगाना चाहेगा तो क्या आप निर्यात करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : जो फिल्में बैन हो जाती हैं वे न तो हिन्दुस्तान में बतलाई जा सकती हैं और न बाहर बतलाई जा सकती हैं। जहां तक मेरी आवाज सुनो का सवाल है—क्या आपने फिल्म देखी है ?

व्यवधान

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने उस फिल्म को बैन किया है, क्या आपने उसे देखी है ?

श्री वसंत साठे : यह फिल्म हमने देखी है। ऐसी फिल्मों के बारे में, इस सदन में,

प्राय: प्रत्येक सदस्य ने, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं था, पिछले वर्ष जब यहां चर्चा हुई थी तो बोलते हुए कहा था कि वायलेंस और बीभत्सता दिखाने वाली फिल्मों को नहीं चलने देना चाहिए। यह इस सदन की एकमत से राय थी। हमने यह फिल्म देखी है और उस फिल्म में यह पाया है कि यह बीभत्सता की, वायलेंस की दृष्टि से खराब फिल्म है, इसलिए हमने उस पर बेन लगाया।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : यह मामला बम्बई में न्यायालयों में विचाराधीन है। उन्हें ऐसी फिल्म के बारे में कुछ क्यों कहना चाहिए जो निर्णयाधीन है ? चूंकि आपने अनुमति दी है, मुझे विश्वास है कि आप अन्य मामलों की भी अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने इनकी अनुमति दी है? क्या आप उसमें वकील है?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपको मामले की पैरवी क्यों करनी चाहिए ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मन्त्री महोदय ने यह उत्तर देकर मुझे निराश किया है कि हिन्दी फिल्मों की मांग उन देशों में है जहां पर भारतीय रहते हैं। क्या उनको पता है कि उन देशो में भी, तो भारत के परम्परागत विरोधी समझे जाते हैं, जैसे पाकिस्तान और चीन, हिन्दी फिल्में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब मैं मानसरोवर गया था, चीनीयों ने मुझे हिन्दी फिल्म दिखाने पर बल दिया। मैं उस हिन्दी फिल्म को देखना नहीं चाहता था, परन्तु वे उसे देखना चाहते थे। वहां पर इतनी लोकप्रियता है। आज भी वहां के लोग 'मैं आवारा हूं' गाना गाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह समझना मेरा काम है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : अन्यथा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव आ जाएगा।

क्या उन्हें पता है कि चीन जैसे देशों में हिन्दी फिल्मों की जबरदस्त मांग है ? यह मित्रता के हमारे नए प्रयास का एक अंग हो सकता है। क्या वह यह सुनिश्चत करने के लिए विशेष कदम उठाएंगे कि अच्छी और ऊंचे दर्जे की हिन्दी फिल्में ऐसे देशों को निर्यात की जाएं ?

श्री वसन्त साठे : हम ऐसा करके बहुत प्रसन्न होंगे। मुझे पता है कि चीन में हमारी फिल्में बहुत लोकप्रिय हैं। मुझे अधिक खुशी होगी यदि चीन के साथ फिल्मों का अधिक आदान-प्रदान हो सके और हमारी ज्यादा फिल्में उस देश को बेची जाएं। हम इस सुझाव का निश्चय ही स्वागत करते हैं और हम इस पर विचार करेंगे।

श्रीमत कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मै मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने काउन्टरपार्ट से जानना चाहती हैं या इनसे ?

श्रीमति कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री महोदय से कहा है जो कि दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। मैं जानना चाहती हूं कि भारतीय फीचर फिल्मों के अन्तर्गत प्रादेशिक

भाषाओं की फिल्में भी आती हैं या नहीं ? क्या यह सत्य नहीं है कि मारिशस जैसे देश में भोजपुरी भाषा के बोलने वाले लोग अधिक संख्या में हैं और वे यह चाहते हैं कि इस देश से वहां भोजपुरी भाषा की फिल्म भी जाए ? क्या मन्त्री महोदय वहां भोजपुरी भाषा में भी फिल्में भेजना चाहेंगे ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, भारतीय भाषाओं की फिल्में भी दूसरे देशों में जाती है। दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं, उनका एक फेस्टीवल हुआ था और काफी लोकप्रियता उन फिल्मों की वहां है। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में जो फिल्में भिन्न-भिन्न भाषाओं में हैं उन्हें डबिंग किया जाए, सब टाइटलिंग किया जाए, जिससे अपने ही देश में नहीं, बल्कि दूसरे देशों में, जैसे लेटिन अमेरिका और अन्य देशों में वे फिल्में दिखाई जाएं।

जहां तक भोजपुरी भाषा का सवाल है, मारीशस या अन्य जगहों पर, जहां भोजपुरी फिल्मों की मांग होगी और हुई है, वहां भोजपुरी फिल्में भेजी जाएंगी।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मन्त्री जी ने स्टेटमेंट में बताया है कि 76-देशों में 1740 फिल्मों का निर्यात किया गया, जिससे 12 करोड़, 14 लाख 64 हजार 16 रुपये की आय हुई।

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो फलें निर्यात की गई थीं, इन फिल्मों में राष्ट्रीय नेताओं पर आधारित कितनी फिल्में थीं और क्या डा० भीमराव अम्बेडकर पर भी कोई फीचर फिल्म बनी थी, जिसको निर्यात किया गया ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि इन फिल्मों में सरकार की ओर से कितनी फिल्में बनाई गई थीं और प्राइवेट इन्डस्ट्रीज की ओर से कितनी फिल्में बनाई गई थीं ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, ये तमाम फिल्में निजी उद्योग में बनी हुई हैं और जहां तक बाबा अम्बेडकर जी का सवाल है, मेरे खयाल से कोई फीचर फिल्म उनके जीवन पर आधारित नहीं बनी है। किसी निर्माता ने नहीं बनाई और यदि ऐसी कोई फिल्म बनाई जाए तो उसको बाहर भेजने के लिए हम बड़ी खुशी से तैयार रहेंगे।

तेल निर्यातक देशों के संगठन द्वारा नया मूल्य सूत्र अपनाया जाना

*440. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने हाल ही में बाजार की शक्तियां तथा अन्य बातों के साथ तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए एक नए मूल्य सूत्र को अपनाने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सूत्र की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) भारत के आयात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे भारत को तेल आयातों पर अपने विदेशी मुद्रा व्यय को घटाने में किस हद तक सहायता मिलेगी।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों के संगठन (ओ० पी० ई० सी०) ने अक्तूबर, 198 में जनेवा में हुई अपनी बैठक में अरेबियन लाइट क्रूड आयल के अधिकृत मूल्य को मार्कर क्रूड के मूल्य के रूप में 34 डालर प्रति बैरल की एक समान मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाने के लिए निर्णय लिया है। दिसम्बर, 1981 के दूसरे सप्ताह में आबू धाबी में हुई अनुवर्ती बैठक में जबकि ओ० पी० ई० सी० ने अरेबियन लाइट क्रूड के 34 डालर प्रति बैरल मार्कर मूल्य को बनाये रखने के लिए निर्णय हुए अन्य किस्मों के अन्तरों में परिवर्तन के लिए सहमति व्यक्त की। बाजार बाध्यताओं तथा अन्य तथ्यों के साथ उतार-चढ़ाव के लिए तेल के मूल्यों के लिये किसी नये मूल्य सूत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में "ओपेक" देशों की अक्तूबर में हुई एक बैठक का उल्लेख किया है। मैं 26 नवम्बर को वियना में हुई एक बैठक का उल्लेख कर कर रहा हूं जहां पर सऊदी अरब के तेल मन्त्री श्री अहमद जाकीयमानी ने तेल मूल्यों के प्रश्न पर एक सेमीवार में घोषणा की थी कि भविष्य में तेल के मूल्य को बाजार घटकों तथा अन्य घटकों के साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा। क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि आपके पास अद्यतन सूचना के अनुसार ओ० पी० ई० सी० 'ओपेक' देशों का यही विचार है ? क्या मूल्य को बाजार घटक के साथ सम्बद्ध करने की प्रणाली चलती रहेगी या कोई नया सूत्र अपनाया जाएगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और तेल मूल्यों पर सामान्यतया क्या प्रभाव पड़ेगा।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : माननीय सदस्य जिस का हवाला दे रहे हैं वह "ओपेक" की विशेषज्ञ समिति है जिसमें सऊदी अरब के माननीय मन्त्री ने दीर्घकालीन आधार पर मूल्य नीति के विषय में एक व्यक्तव्य दिया है। बनाई गई समिति को दीर्घकालीन नीति समिति के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस समिति के प्रतिवेदन के अनुसार निम्न-लिखित तीन बातों पर विचार किया जाना है : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर स्फीति के प्रभाव को परिलक्षित करने वाला सूचकांक, डालर के साथ 11 प्रमुख मुद्राओं के समायोजन की मुद्रा विनिमय दर और ओ० ई० सी० डी० देशों में जी० एन० पी० पर आधारित मूल्य वृद्धि समायोजन। जहां तक इस दीर्घकालीन नीति का सम्बन्ध है, इसे अमल में नहीं लाया जा रहा है। फिलहाल हमें इन दो बैठकों की रिपोर्ट मिली है जिनका मैंने प्रश्न के मूल उत्तर में उल्लेख किया है। एक जेनेवा में हुई थी और दूसरा आबू धावी में जहां पर उन्होंने कहा था कि वे मूल्य को 4 डालर के अन्तर के साथ 34 डालर पर सीमित कर देंगे, परन्तु बाद में उन्होंने 1982 के अन्त तक अरेबियन क्रूड आयल के लिए 160 से 3 डालर तक के अन्तर की सिफारिश की और इस लिए, जब तक मूल्य में अन्तर का पता नहीं चलता तब तक यह कहना कठिन है कि इन मूल्यों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, श्री यमानी ने भी कहा था कि उत्तर और दक्षिण

के बीच गम्भीरता पूर्वक बातचीत की जानी चाहिए और उन्होंने भी प्रस्ताव किया था और इच्छा व्यक्त की थी कि 'ओपेक' देश भी ऐसी बातचीत में भाग लेंगे और तीसरे विश्व के देशों में स्थायी आर्थिक व्यवस्था की स्थिति पैदा करना चाहेंगे। इस सम्बन्ध में, इस स्पष्ट वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा उन्होंने तीसरे विश्व देशों को प्रस्ताव करने का प्रयास किया है, क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि क्या भारत ने अपने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रस्तावित सहायता प्राप्त करने का कोई प्रयास किया है जो 'ओपेक' देशो से तीसरे विश्व के देशों को देने का प्रस्ताव किया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक इस स्थिति का सम्बन्ध है भारत कई देशों से बात कर रहा है। पिछले वर्ष हमारे वित्त मन्त्री ने ईरान का दौरा किया था, फिर मैंने इस सम्बन्ध में ईराक और लीबिया का दौरा किया और हमारे अनेक लोगों ने अन्य देशों का दौरा किया तथा हमने उनसे अनुरोध किया कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है, मूल्य प्रतिमान और ऋण प्रतिमान का अवलोकन इस तथ्य को दृष्टि में रख कर किया जाना चाहिए कि हम कच्चे तेल के प्रति व्यक्ति उपभोक्ता हैं जो श्री लंका और अन्य देशों की तुलना में भी तृतीय विश्व में सबसे कम प्रति व्यक्ति खपत वाले देशों में से एक है। इसलिए, हमने उनसे अनुरोध किया है कि हमारे साथ भिन्न प्रकार का बर्ताव किया जाये और हमे कुछ समय के लिए ऋण सहायता दी जाये।

श्री भेरावदन के० गदावी : महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और हमारे देश में भी तेल के मूल्य में वृद्धि के साथ हमने भी तेल के मूल्य बढ़ा दिये हैं और आयातित कच्चे तेल के साथ स्वदेशी तेल की कीमत बराबर हो गई है। इसलिए, सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने की स्थिति में क्या सरकार किसानों को सस्ते मूल्य पर तेल उपलब्ध कराएगी और दूसरे, चूंकि हमने आयातित और स्वदेशी कच्चे तेल के मूल्य बराबर कर दिए हैं और चूंकि उन राज्यों के संबंध में जो अवशिष्ट फरनेस तेल का अधिक उपभोग कर रहे हैं, रायल्टी नहीं बढ़ाई है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारत के तेल उत्पादक राज्यों की रायल्टी बढ़ाएगी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, यह स्वदेशी उत्पादन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य, जो अब 1182/-रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, और आयातित कच्चे तेल के मूल्यके बीच का पूल मूल्य है। यह पत्तन मूल्य लगभग 2000/-रुपये प्रति टन है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह कच्चे तेल का उत्पादन मूल्य है और यदि भारत में कच्चा तेल बढ़ता है तो उस सीमा तक 2000/-रुपये का मूल्य घट सकता है, परन्तु मूल्य कम होंगे या नहीं यह कहना मेरे लिए कठिन है। यह वित्त मन्त्री बताएंगे।

श्री भेरावदन के० गदावी : रायल्टी के विषय में क्या कहना है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक रायल्टी का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहूंगा कि यह विषय अभी विचाराधीन है।

उत्तर बंगाल के लिए टेलीविजन प्रसारण

*441. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बगाल अर्थात दार्जिलिंग, जलपैगुड़ी, कूए बिहार तथा पश्चिमी दिनाजपुर के लोगों के पास भारत तथा बगला देश के टेलीविजन प्रसारणो को देखने के लिए टेलिविजन सैट हैं ;

(ख) क्या उन क्षेत्रों के लोग भारत से प्रसारणों को नहीं देख पाते जबकि वे बंगला देश तथा निकटवर्ती क्षेत्रो से प्रसारण ठीक प्रकार से देख पाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं कि वे भारत से टलीविजन प्रसारण नहीं देख पाते ; और

(घ) सरकार द्वारा इसके लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं कि उत्तरी बंगाल के लोग भारत से प्रसारणों को देख सकें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री कुमुदबेन एम० जोसी) : (क) ऐसी सूचना है कि उत्तरी बगाल सहित सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ भागों में बगलादेश की टेलीविजन सेवा प्राप्त हो रही है ।

(ख) से (घ) उत्तरी बंगाल के जिलों को इस समय दुरदर्शन सेवा प्राप्त नहीं हो रही है । छठी योजना के अन्तर्गत उत्तरी बंगाल में मुर्शिदाबाद में दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

श्री अमर राय प्रधान : मैं कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, परन्तु मन्त्री महोदय सभा को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं । यदि आप उत्तर को पढ़ें तो पायेंगे कि इसमें कहा गया है :

> "उत्तरी बंगाल के जिलों को इस समय दूरदर्शन सेवा प्राप्त नहीं हो रही है । छठी योजना के अन्तर्गत उत्तरी बंगाल में मुर्शिदाबाद में दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।"

मुझे मन्त्री महोदय के भौगोलिक ज्ञान पर दया आती है । उनको यह पता नहीं कि मुर्शिदाबाद कहां है और उत्तरी बंगाल कहां है । मुर्शिदाबाद उत्तरी बंगाल में नहीं है । उत्तरी बंगाल अलग क्षेत्र है । मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय छठी योजना में टेलीविजन रिले केन्द्र के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण कराएं । उत्तरी बंगाल दरांती की तरह है । यह कलकत्ता के उत्तर में 700 किलोमीटर की दूरी पर है और मुर्शिदाबाद से 400 से 750 किलोमीटर दूर है । एक ओर यह बंगला देश की सीमा पर है और दूसरी ओर यह नेपाल, चीन और भूटान की सीमाओं पर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न कीजिए। प्रश्न क्या है ?

श्री अमर राय प्रधान : मैं प्रश्न करने जा रहा हूं। छठी योजना के दौरान उत्तरी बंगाल के किसी भी स्थान पर टेलीविजन रिले केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय सभा को गुमराह कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री अमर राय प्रधान : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सिली गुड़ी में आयात स्थिति के आधार पर एक टेलीविजन रिले केन्द्र खोलेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : महोदय, हमने बताया कि उत्तरी बंगाल क्षेत्र में रिले केन्द्र स्थापित करने की कोई व्यवस्था नहीं हैं। हमने यह भी बताया है कि मुर्शिदाबाद में एक रिले ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है जिससे उत्तरी बंगाल के कुछ भागों को लाभ पहुंचेगा। तथापि, मुर्शिदाबाद उत्तरी बंगाल में नहीं है, यह उत्तरी बंगाल के बिलकुल नीचे है। अपने मित्रों के लाभ के लिए मैं उन्हें बता दूं कि हम माल्दा में एक रिले केन्द्र बनाने के लिए गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। जो मेरे विचार से उत्तरी बंगाल में है। **(व्यवधान)** 'इनसेट' के माध्यम से इससे सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग या अन्य कुछ भागों को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा। उत्तरी बंगाल को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध कराने के लिए हम वहीं पर कहीं रिले केन्द्र बनाएंगे।

श्री अमर राय प्रधान : माल्दा उत्तरी बंगाल के सुदूर दक्षिण में है।

श्री वसन्त साठे : यह उत्तरी बंगाल में है या नहीं ?

श्री अमर राय प्रधान : जी हां, यह उत्तरी बंगाल में है। यह आसाम की सीमा से 750 किलोमीटर दूर है। आप माल्दा से कूच बिहार, दार्जिलिंग और सिक्किम राज्य को दूरदर्शन सेवा कैसे उपलब्ध करा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी कारणवश माल्दा के नाम से एलर्जिक हैं ?

श्री अमर राय प्रधान : जी, नहीं। माल्दा से एक कोने से दूसरे कोने तक यह 750 किलोमीटर है। यह कैसे काम कर सकता है ? अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री माइक्रो-वेव प्रणाली के प्रसार पर पुनः विचार करेंगे और विशेषकर सिलिगुड़ी में प्राथमिकता के आधार पर एक रिले केन्द्र बनाने को तैयार होंगे ?

श्री वसन्त साठे : मेरे विचार से माल्दा से सिलिगुड़ी तक दूरदर्शन सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी, यदि वे सिलिगुड़ी में रुचि रखते हैं···**(व्यवधान)**

श्री अमर राय प्रधान : कूच बिहार, दार्जिलिंग और सिक्किम जैसे भागों को दूरदर्शन सेवा कैसे उपलब्ध कराई जाएगी ?

एक माननीय सदस्य : जलपाईगुड़ी का क्या होगा ?

श्री वसन्त साठे : वे बढ़ाते जा रहे हैं ; सिलिगुड़ी से वे जलपाईदुड़ी पर झलांग लगा गए। मुझे माल्दा के प्रति उनकी एलर्जी वास्तव में समझ नहीं आई।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक भूगोल की क्लास लेनी होगी।

श्री वसन्त साठे : माल्दा केवल आमों के लिए ही नहीं बल्कि अच्छे लोगों के लिए भी प्रसिद्ध है।

श्री अमर राय प्रधान : माल्दा कोयला घोटाले के लिए भी प्रसिद्ध है।

श्री वसन्त साठे : मेरे माननीय मित्रों को अत्यधिक चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। हम इनसेट उपग्रह से उत्तरी बंगाल के एक भाग को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करा सकेंगे। इस समय हम यही समझते हैं। माइरो-वेव सम्पर्क मुर्शिदाबाद तक भी नहीं है, माल्दा और उसके आगे की बात छोड़ दीजिए। इसमें कुछ वर्ष लगेंगे। डाक और तार विभाग को एक माइको-वेव स्थापित करनी पड़ेगी जो टेलीविजन संकेतों की वाहिका होगी। इसके लिए प्रतीक्षा करने की बजाय हम इनसेट का उपयोग करने की बात सोच रहे हैं, जो अगले वर्ष इस क्षेत्र को कवर करने के उद्देश्य से ऊपर आ जाएगा।

श्री जमीलुर्रहमान: मोहतरिम स्पीकर साहब, आपने ठीक ही फर्माया कि जियोग्रैफी की क्लास भी लेनी होगी। मैं माननीय मन्त्री जी की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं। कि नार्थ बंगाल का जो एरिया है, वहां एक जिले का कुछ हिस्सा काट कर, एस० आर० सी० कमीशन की रेकमेंडेशन पर, बतौर कोरीडोर दिया गया है, वहां से बंगलादेश की दूरी किसी प्वाइन्ट पर 8 किलोमीटर है, किसी प्वाइन्ट पर 12 किलोमीटर है, किसी प्वाइन्ट पर 14 किलोमीटर है तो किसी प्वाइन्ट पर 11 किलोमीटर है। उसके उत्तर में नैपाल है, फिर भूटान है। और उसके बाद चाइना है। इसका क्यूम्युलेटिव इफेक्ट, चाहे मेरी कांस्टीटुएन्सी हो या नार्थ बंगाल हो, उस पर पड़ता है और उसी आधार पर क्वेश्चन भी है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कर लीजिए।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं सवाल पूछ रहा हूं। बंगला देश के टी० वी० प्रोग्राम को हिन्दुस्तान के लोग, वे चाहे सिलीगुड़ी में हों या दीगर हिस्सों में हों, देखते हैं। इस स्ट्रेटेजिक प्वाइन्ट की इम्पार्टेन्स को देखते हुए सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में आपने कोई प्रपोजल नहीं रखा है इस स्ट्रेटेजिक प्वाइन्ट की इम्पार्टेन्स को देखते हुए आप वहां पर एक स्टेशन क्यों नहीं बनाते हैं ताकि दूसरे मुल्क के खयालात जो हमारे मुल्क में आते हैं वह न आ पायें ?

अध्यक्ष महोदय : यह उन्होंने बता दिया है इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने पहले ही दे दिया है।

*442 **श्री राम विलास पासवान :** क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 को अप्रैल से नवम्बर की अवधि के दौरान हुए बिजली के वास्तविक उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुआ उत्पादन देश में उनकी अधिष्ठापित क्षमता का कितने प्रतिशत था ;

(ख) क्या वह सच है कि बिजली संयंत्रों की क्षमता का उपयोग उनकी अधिकतम क्षमता से बहुत कम होता है ; और

(ग) अधिष्ठापित क्षमता के अधिकतम उपयोग के रास्ते में क्या रुकावटें हैं और इसका अधिकमत उपयोग कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(क) और (ग) देश में अप्रैल से नवम्बर, 1981 की अवधि के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन 80993 मिलियन यूनिट था । इसकी तुलना में गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन 72427 मिलियन यूनिट था । उत्पादन में हुई यह वृद्धि 11.8 प्रतिशत है । जल विद्युत केन्द्रों का क्षमता समुप्रयोजन मुख्य रूप से अभिकल्प की शक्यता तथा जलाशयों में जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है । चूंकि इस वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत अच्छी वर्षा हुई है, अत: पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए जल विद्युत उप्पादन की तुलना में इस वर्ष 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अप्रैल से नवम्बर, 1981 की अवधि के दौरान ताप विद्युत उत्पादन में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 18.1 प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई है । अप्रैल से नवम्बर, 1981 की अवधि के दौरान देश के ताप विद्युत संयंत्रों का क्षमता समुपयोजन बढ़कर 44.8 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह क्षमता समुपयोजन 41.9 प्रतिशत था । आशा की जाती है कि वर्ष 1981-82 के दौरान विद्युत संयंत्रों के क्षमता समपयोजन में और सुधार होगा और 48 प्रतिशत के औसत संयंत्र भार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के घटिया कार्य निष्पादन के कुछेक कारण ये हैं :-

(1) ले-आउट, संयंत्र और उपस्कर, प्रणाली इंजीनियरिंग, आदि में कमियां ;

(2) संयंत्र के अनुरक्षण में तथा उपस्कर की जनरल बंदी में अनावश्यक रूप से अधिक समय लगना ;

(3) अतिरिक्त पुर्जे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना ;

(4) नये चालू किये गये यूनिटों को सुस्थिर होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगना ;

(5) प्रचालन और मानीटरिंग के लिए प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होना ;

(6) घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई, आदि ।

बाधाओं पर काबू पाने के लिए ऊर्जा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इस मामले को, राज्य बिजली बोर्डों, कोयला कम्पनियों तथा उपस्कर के सप्लाई कर्त्ताओं के साथ उटाते रहे हैं ताकि ताप विद्युत केन्द्रों से बेहतर क्षमता समुपयोजन प्राप्त हो सके। ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कई कदम उठाये गए हैं और उठाये जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं।

(1) संयंत्र तथा उपस्कर आदि में कमियों का पता लगाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों विद्युत केन्द्रों के प्राधिकारियों की सहायता करना तथा समयबद्ध अवधि में संयंत्र सुधार कार्यक्रम बनाना और हाथों में लेना ;

(2) बंदी की अवधियों को कम करने के लिए सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकी को अपनाना ।

(3) सप्लाई कर्त्ताओं से फूटकर पुर्जों की सप्लाई समय पर किये जाने की व्यवस्था करना तथा विद्युत केन्द्रों को सलाह देना कि फुटकर पुर्जों के लिए आर्डर पर्याप्त समय रहते हुए दें।

(4) कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करना ;

(5) विशेषकर 200 मेगावाट के यूनिटों में कमियों का पता लगा कर इन यूनिटों के शीघ्र स्थिरीकरण के लिए और उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतिक बल का गठन करना जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इन्स्ट्रू० लि० कोटा तथा राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधि हों ?

(6) प्रचालन पद्धतियों को मानीटर करने और सलाह देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरे ;

(7) विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने अपने जवाव में कहा है कि थर्मल पावर हाउस प्लान्ट्स का यूटिलाइजेशन टोटल कैपेसिटी का 44 परसेन्ट से कुछ अधिक हो रहा है। असल में दिक्कत यह है कि जब हम सवाल पूंछते है कि कितनी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है और उसका कितना परसेन्ट उत्पादन हो रहा है तो वह मेगावाट में बताया जाता है और जो जेनरेशन होता है वह मेगा यूनिट में बताया जाता है इसलिए यह ठीक से पता नहीं चल पाता है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आज की जो स्थिति है उसमें आप कहीं देहात में चले जाइये वहां बिजली नहीं मिलती है। हमारे यहां बिहार में महीने के 30 दिनों में अगर 30 घंटे भी बिजली मिल जाए तो उसका बड़ा उपकार माना जाता है। इसके अलावा

हरिजन गांवों में जो बिजली लगाने की योजना थी वह खटाई में पड़ी हुई है। आजादी के 35 साल बाद भी आज आप यहां पर कह रहे हैं कि टोटल कैपेसिटी का केवल 44 परसेन्ट बिजली उत्पादन आप कर रहे हैं।

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) यह बिहार पर लागू नहीं होता है। बिहार में उपभोग क्षमता बहुत ही कम है।

श्री राम विलास पासवान : बिहार का तो और भी कम है। मैं तो और प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं। हरिजन बस्तियों में और किसानों को आप बिजली नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऊर्जा का मामला तीन मिनिस्ट्रीज से सम्बन्ध रखता है। कोल मिनिस्ट्री, इन्डस्ट्रीज मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री। पावर कहती है कि कोल खराब है, कोल कहता है कि मशीन खराब है और बहेल कहता है कि चलाने की अकल नहीं है। इस प्रकार ये तीनों एक दूसरे पर बलेम करते आ रहे हैं। बिहार में 1979 में चन्द्रपुरा में एक कमेटी बैठी थी, शायद उसकी रिपोर्ट आपके पास होगी। यदि वह रिपोर्ट आपके पास है, तो क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या है और क्या आप तीनों मिनिस्ट्रीस एक्सपोर्ट को लेकर कोई टासक-फोर्स बगाने जा रहे हैं, जिससे कि जो यह कमी है, उसकी भी पूर्ति हो ?

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं सवाल ही बना रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : सवाल बना रहे हो, तो क्या नींव रख दी ?

श्री राम विलास पासवान : तो क्या आप टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं, तीनों मिनिस्ट्रीज का आपस में एक दूसरे पर जो टकराव हो रहा है इसके निराकरण के लिए क्या आप कुछ करेंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह ठीक नहीं है क्योंकि हमने एक कार्यदल गठित किया है जिसमें भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड तथा ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधियों से शामिल हैं। यदि किसी राज्य बिजली बोर्ड को हमारी सहायता की आवश्यकता होती है तो हम अपना कार्यदल उनके पास भेजते हैं। कार्यदल वहां जाकर कमियों का पता लगाता है और उन्हें बताता है कि क्या उपाय किए जाने हैं।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड के सम्बन्ध में मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि बिहार में स्थापित क्षमता से बहुत कम उपयोग होता है। 1978-79 में क्षसता का 35.3 प्रतिशत 1979-80 में 37.8 प्रतिशत और 1980-81 में 31.1 प्रतिशत उपयोगिता वहां हमने अनेक उपाय किए हैं। हमने पतराशू स्थित सोवियत रूस द्वारा निर्मित संयन्त्र की त्रुटियों का पता लगाने के लिए सोवियत रूस से एक विशेषज्ञ दल बुलाने की व्यवस्था की है। हमने फालतू पुर्जों की व्यवस्था की है तथा सयन्त्र के रख रखाव के लिए कदम उठाए हैं। सोवियत रूस का एक दल पहले कार्य कर रहा है तथा शीघ्र ही एक दूसरा दल आने वाला है। सोवियत रूस के फालतू

पुर्जों के आयात के लिए एक करोड़ से अधिक की विशेष मुद्रा की स्वीकृति प्रदान की है। सोवियत रूस के साथ हाल ही में किए गए एक राजनयिक करार में फालतू पुर्जों की शीघ्र सप्लाइ करने के बारे में समझौता हुआ है। यह तो हुई बिहारी की क्षमता उपयोग की बात।

माननीय सदस्य ने उत्तरदायित्व को किसी पर डालने की जो बात कही है वह ठीक नहीं हैं। एक समय था जब वहां कोयले का अभाव था परन्तु अब नहीं है। हां दो या तीन विद्युत बोर्ड ऐसे हो सकते हैं जहाँ कोयले का अभाव हो। अन्यथा कोयले की कोई कमी नहीं है।

जहां तक कोयले की गुणवता का सम्बन्ध है, हमें जब कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम संयुक्त नमूने की व्यवस्था के अनुसार कोयला कम्पनी ऊर्जा, राज्य बोर्ड तथा रेलवे के प्राधिकारीगण एक साथ मौके पर जाते हैं और कठिनाईयों का पता लगाते हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बिहार के सम्बन्ध में बताया कि वहां यूटिलाइजेशन सबसे कम है। यह बिहार के लिए सोचनीय स्थिति है। कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन और कांटी थर्मल पावर स्टेशन, जिनका कि उत्पादन 1982 तक शुरू हो जाना चाहिए था, जिसके लिए हम लोगों ने आन्दोलन भी किया और जेल भी गए—मन्त्री महोदय इन दोनों कार्यों को कब से शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कितना बिजली का उत्पादन होगा, जिससे कि आवश्यकता की पूर्ति हो सके ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक कहलगाँव का सम्बन्ध है हमने परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है और यहां हम सुपर ताप बिजली घर लगाने की सोच रहे हैं। हमें इसके लिए विश्व बैंक से बात करनी होगी और हमें कहल गांव में सुपर ताप बिजली घर लगाने की स्वीकृति प्राप्त होते ही हम वहां काम आरम्भ कर देंगे। मैं ठीक समय नहीं बता सकता कि हम कब प्रारम्भ करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, कांटी थर्मल पावर स्टेशन के बारे में नहीं बताया है। इनको मालूम ही नहीं है कि कांटी कहां पर है। मन्त्री महोदय को मालूम ही नहीं है कि कांटी थर्मल पावर स्टेशन कहां बनाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कीकर के पेड़ में कांटा होता है।

श्री विक्रम महाजन : उन्हें पूथक प्रश्न के लिए सूचना देने दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : कांटी थर्मल पावर स्टेशन बहुत ही इम्पार्टेंट है उत्तरी बिहार के लिए। उत्तरी बिहार में सब से कम बिजली मिलती है और यह कहा गया था कि 82 तक यह शुरू हो जाएगा। मन्त्री महोदय को मालूम ही नहीं है कि कांटी कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल से इसका ताल्लुक नहीं है, इसलिए अलाहिदा सवाल पर बतलायेंगे।

श्री राम विलास पासवान : यह सवाल थर्मल पावर का, बिजली का और ऊर्जा का है ···(व्यवधान)···

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय जब ज्याग्राफी की क्लास लेंगे तो बता देंगे कि कांटी कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : बबूल के पेड़ में होता है कांटा ।

श्री चन्द्रजीत यादव : हमारे देश में बिजली सयन्त्रों की क्षमता के उपयोग सम्बन्धी स्थिति बहुत ही शर्मनाक है । मैं तो यह कहूंगा यह राष्ट्रीय बरबादी और राष्ट्रीय अपराध है । यदि आप मन्त्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों को देखें तो आप पायेंगे कि अप्रैल और नवम्बर के बीच ताप बिजली सयन्त्रों की क्षमता का 4409% उपभोग किया गया । पिछले वर्षों में यह 4109% था आज भी कुल क्षमता उपयोग 50% से कम है जो कि एक राष्ट्रीय अपराध है । विश्व में सभी जगह यह न्यूनतम 80 से 85 प्रतिशत होना है । तभी यह उचित ढंग से कार्य कर सकता है ।

इसके क्या कारण है ? मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि वे सोवियत रूस से मशीनें मंगवाने जा रहे हैं । ये मशीनें क्या करेंगी ? उन्होंने इसके ये कारण बताये हैं : विन्यास, सयन्त्र और उपकरणों, सिस्टम इंजीनियरिंग इत्य दि में त्रुटियां, सयन्त्रों के रख रखाव में अधिक समय लगना तथा उपकरणों का पुराना होना, फालतु पुर्जों की अपर्याप्त उपलब्धता, नए प्रारम्भ किए गए एककों की अपेक्षाकृत अधिक स्लिरीकरण अवधि तक घटिया कोयले की सप्लाई इत्यादि । क्षमता का पूरा उपयोग न होने के ये कारण हैं और जब तक ये कारण रहेंगे अर्थात यदि आप उचित ढंग से रख रखाव नहीं कर सकते, आप अच्छी किस्म का कोयला सप्लाई नहीं कर सकते, आप सयन्त्र का उचित विन्यास नहीं रख सकते तब आप क्षमता उपयोग में वृद्धि कैसे करेंगे ?

आज प्रत्येक क्षेत्र में चाहे यह औद्योगिक क्षेत्र हो या कृषि क्षेत्र अथवा व्यक्तिगत उपयोग की बात हो विद्युत की अत्यधिक कमी है । सरकार देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में कितना समय लेगी ? और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार कौन से ठोस उपाय करने जा रही है ? क्या वे इस सम्बन्ध में सभा को आश्वासन देंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इस समय सम्पूर्ण भारत में 10 प्रतिशत की कमी है । मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं··· ।

श्री सतीश अग्रवाल : राजस्थान में यह 50% है ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यदि 1976-77 में क्षमता का उपयोग 55% के आस-पास किया जाता तो आज भारत में विद्युत का अभाव न होता और न ही कोई बिजली संकट होता । परन्तु कठिनाइयां मैं आपको बता चुका हूं । फालतू पुर्जों की अनुपलब्धता जैसी कई कठिनाइयों को हल करने में हम सफल हुए हैं । पहले फालतु पुर्जे नहीं मिलते थे । अब ये उप-

लब्ध है। परन्तु दुर्भाग्य वश सभी राज्य बिजली बोर्ड उस ढंग से नहीं चल रहे हैं जिससे चलना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि वे नहीं चल रहे हैं तो उन्हें बन्द कर दो।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : वह मैं नहीं जानता। परन्तु हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वे हमारी भांति सोचें। यदि उन्होंने राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया होता तो आज राज्य बिजली बोर्डों का गठन तथा कार्यचालन बहुत ही प्रभावकारी होता। परन्तु एक राज्य ने भी राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। हम उन पर इन चीजों को नहीं थोप सकते हम उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं···

श्री चन्द्र जीत यादव : कुछ अवश्य किया जाना चाहिए। राष्ट्र को नुकसान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि बिजली का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में राज्य बिजली बोर्डों में सुधार आने से एक बड़ी हद तक देश की आर्थिक बुराइयां दूर हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि केन्द्र और राज्यों के बीच इस विषय में बार्ता होनी चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : वे 10 % कटौती की बात कर रहे हैं। परन्तु राजस्थान में 50 प्रतिशत कटौती है। उद्योग अपंग हो गए है और उपभोक्ताओं को हानि हो रही है।

अयध्क्ष महोदय : मैं जानता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : राजस्थान में भयंकर बाढों और सूखे के बावजूद 50% की कटौती बहुत ही आश्चर्य जनक है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे सहने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री संजीवी राव।

श्री एम० एस० संजीवी राव : कुछ देशों में कोयले की धुवाई की प्रक्रिया अपनाई है। सयन्त्रों के लिए आधुनिक कोयला धोवनशालाओं का प्रयोग नहीं किया जाता अपितु प्राथमिक धोवनशालाओं का प्रयोग किया जाता है। क्या सरकार ताप सयन्त्रों हेतु कोयले की किस्म में सुधार लाने के लिए इस प्रकार की धोवन शालाओं का प्रयोग करने पर बिचार कर रही है?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक माप सयन्त्रों का सम्बन्ध है, यदि स्थिति उत्पन्न हुई तो हम अवश्य ही इस पद्धति को अपनाएंगे। परन्तु आप जानते हैं यह पद्धति बहुत ही मंहगी है। हम नहीं जानते कि क्या राज्य बिजली बोर्ड इसे सहने के लिए तैयार होंगे?

श्री राम नगीना मिश्र : मैं आपके माध्यक्ष से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं—इस समय रबी की सिचाई का मौसम है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां गांव वालों ने जो ट्यूब वेल्ज लगा रखे हैं, उनको बिजली नहीं मिलती है···

अध्यक्ष महोदय यह तो हो गया है।

श्री रामनगीना मिश्र : यदि मिलती भी है तो रात को दो बजे या तीन बजे मिलती है। उस वक्त ठण्डक में कोई सिंचाई नहीं कर सकता है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या वे प्रदेश सरकार को इस आशय का परिपत्र भेजने की कृपा करेंगे कि जो ट्यूब-वेल्ज गांवों में लगे हुए हैं, उनको दिन में बिजली दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : दिन में दे देंगे तो वे खर्च कर लेंगे। इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : महोदय, मेरे विचार में राज्य बिजली बोर्डों को क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए। कृषकों को कम से कम छः घण्टे बिली दी जानी चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : इसकी प्रत्येक की चिन्ता है, यहां तक कि मुझे भी चिन्ता है। कृपया बैठ जाइये। श्री ए० के० राय।

श्री ए० के० राय ; मन्त्री महोदय, के इस वक्तव्य को नजर में रखते हुए कि बिजली उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दर प्रत्येक वर्ष 50 प्रतिशत पिछड़ जाती है क्योंकि ठीक प्रकार की उत्पादन मशीनें सप्लाई नहीं की जाती है, मैं एक बात जानना चाहता हूं। मैंने मन्त्री महोदय के उस वक्तव्य को पढ़ा है जिसमें उन उत्पादन मशीनों को विदेशों से मंगाने के बारे में विचार करने की बात कही गयी है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स भी मशीनों का निर्यात कर रहा है। परन्तु मन्त्री महोदय के वक्तव्य को देखने हुए ऐसा प्रतीत होता है कि विद्युत मन्त्रालय और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में समन्वय स्थापित किया गया हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रश्न को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के साथ उठाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठीक प्रकार की उत्पादन मशीनों की सप्लाई हो और ठीक समय पर हो।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : परन्तु महोदय, यह प्रश्न नहीं उठता। मैंने पहले ही कहा है कि यदि कोई त्रुटि है तो कार्यदल भी मौजूद है। वे वहां जाकर उन त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे।

अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 443। यहां नहीं हैं। प्रश्न संख्या 444, श्री राम अवध। यहां नहीं हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या मैं पूछ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप तिकड़ी बनाने जा रहे हैं। हम संसद में प्रतिदिन तिकड़ी बनाते हैं—अनुपस्थिति तिकड़ी। अगला प्रश्न—प्रश्न संख्या 446। श्री होरो।

धन्यवाद, श्री होरो।

बिजली उद्योग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियुक्त समिति

* 446. श्री एन० ई० होरो : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने बिजली उद्योग के पुनर्गठन के लिए विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र को बिजली की सप्लाई करने के सदर्भ में किसी समिति का गठन किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा इससे पहले बनाई गई बहुत ही अन्य समितियों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इससे पहले नियुक्त की गई समितियों का ब्यौरा क्या है : और

(घ) सरकार द्वारा गठित गई समिति का ब्यौरा क्या है और यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग कितना समय लगाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (घ) विद्युत उद्योग के पुनर्गठन के लिए ऊर्जा मन्त्रालय ने हाल ही में किसी समिति का गठन नहीं किया है। विद्युत उद्योग का अध्ययन इसके सभी पहलुओं की दृष्टि से करने के लिए तथा इसके कार्यकरण में सुधार किए जाने हेतु जिसमें इस उद्योग का पुनर्गठन किए जाने के उपाय भी शामिल है, सिफारिशें करने के लिए भारत सरकार ने केवल एक ही प्रमुख समिति का गठन किया था जो श्री राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में 1978 में बनाई गई विद्युत समिति थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी।

श्री एन० ई० होरो : इस प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ? अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ? भविष्य में क्या कदम उठाने का इरादा है ? मेरे प्रश्न ये हैं।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में राज्याध्यक्ष समिति के अनेक सिफारिशें दी हैं इसकी कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं।

(एक) उच्च प्रबन्धकों के चयन तथा बोर्ड के गठन प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करके राज्य बिजली बोर्डों के प्रबन्ध के सुदृढ़ करने की आवश्यकता।

यह पहली सिफारिश है।

(दो) नवीनतम रखरखाव तथा संचालन विधियों को अपनाना तथा न्यूनतम फालतू पुर्जों का भण्डारण।

(तीन) क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों के समेकित संचालन की सुविधा हेतु क्षेत्रीय स्तर पर एक विधि निकालने की आवश्यकता। एक क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव दिया है।

(चार) कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर बल।

(पांच) उपयुक्त औद्योगिक सम्बन्ध।

(छः) बिजली घरों पर निगरानी रखने के लिए प्रभावकारी प्रबन्धक सूचना प्रणाली।

मैंने व्यक्तिगत तौर पर क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों की बैठक बुलाई थी और वहां हमने इस मामले पर चर्चा की थी हमने विद्युत मन्त्रियों की बैठक बुलाई थी। हमने उसमें भी इस पर चर्चा की थी। हम राज्य विद्युत बोर्डों तथा मुख्य मन्त्रियों को इन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री एन० ई० होरो : मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि राज्य बिजली बोर्ड इन सिफारिशों को लागू नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्वीकार नहीं है।

श्री एन० ई० होरो : वे उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने विद्युत मन्त्रियों की बैठक बुलाई थी आदि-आदि। उन्होंने कहा है कि वे इन लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। वे मूल कारण क्या हैं जिनकी वजह से राज्य विद्युत बोर्ड इन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह बताना मेरे लिए कठिन है। एक क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रस्ताव रखा गया है। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है केन्द्रीय क्षेत्र का विस्तार अब राज्य बिजली बोर्डों को कहीं से यह आशंका हो गई है, कि केन्द्रीय क्षेत्र का विस्तार राज्य बिजली बोर्डों की कीमत पर होगा। मुझे मुख्य कारण यही प्रतीत होते हैं।

श्री एन० ई० होरो : जी हां, क्या यह सच है कि राज्य बिजली बोर्डों में अकुशल प्रबन्धक और अकुशल अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं राज्य बिजली बोर्डों का ठीक प्रकार से काम न करने का क्या यह कारण नहीं है ? क्या वे राज्य बिजली बोर्डों के क्रियाकलापों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से कराएंगे ताकि भ्रष्ट तरीके अपनाने वाले इन अधिकारियों तथा व्यक्तियों को हटाया जा सके ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : राज्य बिजली बोर्ड राज्य सरकारों के अधीन हैं। वस्तुतः मैं असहाय हूं। मैं राज्य सरकार को केवल सलाह दे सकता हूं। मैं यही कर सकता हूं।

श्री के० ए० राजन : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें अखिल भारतीय विद्युत कर्मकारी संघ की ओर से राज्याध्यक्ष समिति की सिफारिशों के प्रकाश में इस उद्योग के पुनर्गठन के बारे में एक विस्तृत ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं आपको नहीं सुन सका। कृपया प्रश्न दोहराइये।

श्री के० ए० राजन : मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या देश में बिजली की पूर्ण स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों के एक संगठन, अखिल भारतीय विद्युत कर्मचारी संघ ने कुछ परिवर्तन करने के लिए जिनमें विद्युत उद्योग को पुनर्गठित करने के बारे में कुछ प्रस्ताव किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को यह ज्ञापन प्राप्त हुआ है या नहीं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इन्होंने यह प्रश्न कई बार उठाया है। हमने राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन के बारे में कई मुद्दों पर चर्चा की है। परन्तु मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कोई ज्ञापन दिया था या नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : ऐसी बहुत सी राज्य सरकारें हैं जो विद्युत स्थिति का सामना ठीक ढंग से नहीं कर रही हैं। वे समस्या को हल नहीं कर रही हैं। उन्होंने कह दिया है कि यह विषय राज्य सरकार के अधीन है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को ही लीजिए। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या वे राज्य सरकार को सलाह देंगे···

एक माननीय सदस्य : राज्य सरकार को बर्खास्त करो।

श्री हरिकेश बहादुर : क्या वे राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की सलाह देंगे ताकि कृषि क्षेत्र को उचित समय पर बिजली मिल सके ताकि कृषकों को उचित समय पर बिजली मिल सके ? जो सरकारें स्थिति का सामना ठीक से नहीं कर रहीं हैं, उनके बारे में मन्त्री जी ने एक बार कहा था कि वे ऐसी सरकारों को बंगाल की खाड़ी में फैंसला देंगे। इस सम्बन्ध में वे क्या करना चाहते हैं ;

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पेट्रोलियम डीयरों का अखिल भारतीय सम्मेलन

*436. **श्री मूलचन्द डागा :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में 28 नवम्बर, 1981 को पेट्रोलियम डीलरों के सातवें अखिल भारतीय सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय लिए गए और किन-किन समस्याओं तथा नये प्रश्नों के बारे में हल निकालने के लिए सरकार से अपील की गई तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) उनकी विभिन्न मांगें क्या हैं और सरकार ने अब तक कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की हैं तथा कौन-कौन सी मांगें अभी तक विचाराधीन हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सरकार के पेट्रोलियम लीडरों के फेडरेशन से 27-28 नवम्बर, 1981 को चंडीगढ़ में हुए सातवें अखिल भारतीय पेट्रोलियम डीलर्स सम्मेलन में किये गये विचार-विमर्श के सम्बन्ध में कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न पर औपचारिक निर्णय/सरकारी प्रतिक्रिया का इस समय कोई प्रश्न नहीं उठता है।

दन्कुनी कार्बोनाइजेशन संयंत्र

*437. श्री अजीत बाग : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दन्कुनी स्थित कम ताप के कार्बोनाइजेशन संयंत्र के लिए वस्तुतः कितने भूमि का अधिग्रहण किया गया है और भूमि के उक्त अधिग्रहण के कारण कितने भू-स्वामियों तथा कृषि श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को इस परियोजना में नौकरी देकर उनकी क्षतिपूर्ति करने का है ;

(ग) उक्त परियोजना में उत्पादन के प्रारम्भिक लक्ष्य क्या हैं, उत्पादन कब आरम्भ होगा और उप-उत्पादन क्या होंगे ;

(घ) इस परियोजना की अनुमानित रोजगार क्षमता क्या है और इसमें रोजगार देने के बारे में सरकार की नीति क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने बस्ती के किसानों के उपयोग के लिए परियोजना क्षेत्र के दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम तथा पश्चिम तथा पश्चिम में सम्पर्क सड़कें बनाने की कोई योजना बनाई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र के लिए 156 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का काम पूरा किया जा चुका है। जिन परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उनकी संख्या लगभग 620 है।

(ख) और (घ) अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार दिया जाता है। मुआवजा अदायगी के अलावा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देना हो सकता है कि सम्भव नहीं हो। भू-वंचितों को रोजगार, परियोजना से लिए कर्मचारियों की कुल आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। संयंत्र के लिए आवश्यक जन-शक्ति 900 आंकी गई है।

(ग) आशा है कि संयंत्र से सितम्बर, 1984 में उत्पादन होने लगेगा। पूरा होने पर संयंत्र से अन्य उत्पाद जैसे—अमोनियम सल्फेट और कैल्सियम कार्बोनेट आदि के अलावा, यह उत्पादन भी प्रतिदिन होंगे —18 20 मिलियन फीट गैस, 1000 टन धुंआ—रहित ठोस ईंधन और 80 टन टार रसायन।

(ङ) कम ताप कार्बनीकरण परियोजना दिल्ली रोड, जी० टी० रोड के "बाई-पास"

और दुर्गापुर ऐक्सप्रेस-वे के बगल में है। वहां अनेक सम्पर्क मार्ग हैं जो विभिन्न दिशों में जाते हैं और परियोजना स्थल को जिले के सभी शहरी क्षेत्रों और महत्वपूर्ण गांवों से जोड़ते हैं। कोल इन्डिया लि० की ऐसी कोई योजना नहीं है कि इलाके के किसानों के प्रयोग के लिए, परियोजना क्षेत्र के दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में संपर्क-सड़कें बनाई जाएं। किसानों के लाभ के लिए ऐसी सड़कों के निर्माण का मामला राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

मैसर्स मेकिनन मेकीनोजी

*443. **श्री के० लक्प्पा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिवालिया होती जा रही 'मैसर्स मेकिनन मेकीनोजी' नामक प्रमुख नौवहन कम्पनी के मामलों की जाँच करने हेतु आदेश देने का है :

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कम्पनी को भारी घाटा निदेशक मण्डल द्वारा पैदा की गई प्रतिकूल कार्य स्थितियों के कारण हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से निदेशक मण्डल के विरुद्ध क्या कार्यवाही करते का सरकार का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) अभी हाल में मैसर्स मेकिनन मेकीनोजी एण्ड कम्पनी को लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों का कम्पनी अधिनियम की 209क के अन्तर्गत निरीक्षण सम्पन्न किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट की परीक्षा की जा रही है। इसको दृष्टिगत करते हुए, इस विभाग में अभी कोई प्रस्तात नहीं है कि कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई अन्य जाँच का आदेश दिया जाए।

(ख) 31 दिसम्बर, 1980 तक के नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार, उस तारीख को अपरी प्रदत्त पूंजी 248.61 लाख रु० की तुलना में, 31 दिसम्बर, 1980 तक कम्पनी की पूर्ण संकलित हानि 502.74 लाख रु० हैं। यथा उपलब्ध सूचना के अनुसार, कम्पनी द्वारा उठाये गये भारी नुकसान के कारण मुख्यतः निम्न प्रकार हैं :—

(1) कम किराया भाड़ा और उधार प्रभारों का अर्जन।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय किराया भाड़ों की दरों में गिरावट।

(3) वर्ष 1978 में, 491 लाख रु० की लागत के जलयान का अधिग्रहण करना जबकि उस समय जलयान उद्योग भारी कठिनाई में था।

(4) किरायाभाड़ा बाजार में कमी होना।

(5) कम्पनी द्वारा उधार लिये गए धन पर भारी ब्याज का बोझ।

(6) बगैर समय सारणी के शुष्क गोदी कार्य तथा पुनः ठीक करने के कारण लागत में बढोत्तरी और राजस्व में हानि ।

(7) व्यापार में नव आगन्तुकों से समुद्री यात्रा में काफी कमी और तीव्र प्रतियोगिता ।

(8) ईंधन की लागत और अन्य तरह की संचालन लागतों में बढ़ोत्तरी ।

(ग) इस स्तर पर ऐसा करना समय से पूर्व होगा ।

मनीआर्डर न मिलने की शिकायतें

*444. **श्री राम अवध :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले दो सालों के दौरान देश के विभिन्न भागों में मनीआर्डर न मिलने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) सरकार मनीआर्डरों के भुगतान में अनियमितता रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

संचार मत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन॰ पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) 1979-80 एवं 1980-81 वर्षों के दौरान विभाग को मनीआर्डरों के सम्बन्ध में क्रमशः 3 08 एवं 3.28 लाख पूछताछ एवं शिकायतें प्राप्त हुई । इनकी जांच की गई थी । लगभग 84 प्रतिशत मामलों में मनीआर्डरों का भुगतान किया गया है । 10 प्रतिशत मामलों में मनीआर्डर फार्म भुगतान करने वाले डाकघर में नहीं पहुंचे थे अतः उनके लिए दूसरे मनीआर्डर जारी किये गए तथा उनका भुगतान किया गया । डाक तार विभाग प्रतिवर्ष लगभग 11 करोड़ मनीआर्डरों का निपटान करता है और गैर भुगतान के मामले प्रति 10,000 मामलों में तीन हैं ।

(ग) विभाग के पास ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जांच एव पुनः जांच करने तथा कुछ मनीआर्डरों के भुगतान का सत्यापन करने हेतु सुव्यवस्थित प्रणाली । प्रत्येक मामले की जांच की जाती है तथा जहाँ मूल मनीआर्डर का भुगतान नहीं किया जाता है वहां दूसरा मनीआर्डर जारी करने हेतु तुरन्त कार्रवाई की जाती है । जब किसी कर्मचारी की ओर से कोई अनियमितता पकड़ी जाती है तो उस पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाती है ।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय को नई दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित करना

*445. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के कार्यालय को दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करने

के बारे में बहुत समय पूर्व लिव गए निर्णय को सरकार द्वारा कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) यह कार्यालय कब तक कलकत्ता स्थानान्तरित किया जाएगा ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) तक मार्च, 1979 में अस्थायी तौर पर यह निर्णय लिया गया था कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार-पोरेशन के मुख्यालय को कलकत्ता स्थानान्तरित किया जाना चाहिए । तथापि मुख्यालय को कलकत्ता स्थानान्तरित करने के विरुद्ध सरकार को प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद सरकार ने अन्तिम निर्णय लेना ।

किसानों से विद्युत प्रभार

*447. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें कृषि कार्यों के लिए बिजली का उपयोग करने वाले किसानों से निर्धारित न्यूनतम विद्युत प्रभार लिया जाता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्यों को अनुदेश जारी किए हैं कि न्यूनतम विद्युत प्रभार समाप्त किया जाए और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में किसानों की मांग क्या है और उनकी मांग स्वीकार व करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) कृषि कार्यों के लिए बिजली का उपयोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं से निम्नलिखित राज्यों में न्यूनतम विद्युत प्रभार लिए जा रहे हैं :

असम
गुजरात
जम्मू और कश्मीर
कर्नाटक
केरल
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
मेघालय
उड़ीसा
पंजाब
राजस्थान

तमिलनाडु और

उत्तर प्रदेश

कृषि कार्य के लिए विद्युत का उपयोग करने के लिए न्यूनतम प्रभारों को समाप्त करने के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रों के कृषि उपभोक्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, इन मामलों में उचित कार्यवाही करने के लिए राज्य सक्षम हैं।

छटी योजना के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता

*998. **श्री वी. वी. देसाई।** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पक्का विश्वास है कि छटी पंचवर्षीय योजना अवधि के दोरान उर्वरक उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर दिए जायेंगे,

(ख) यदि, तो छटी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक चरणों में उर्द उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, और

(ग) क्या सरकार को यह भी पक्का विश्वास है कि छटी पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद देश में उर्वरकों की मांग को शत-प्रतिशत पूरा किया जा सकेगा।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी, हां।

(ख) उर्वरकों का उत्पादन जो छटी पंच वर्षीय योजना अवधि के प्रथम वर्ष 1980-81 नाइट्रोजन और पी2 ओ5 के मामले में क्रमशः 21.64 लाख टन और 8.41 लाख टन था वर्ष 1981-82 में क्रमशः लगभग 32 लाख टन और 9..5 लाख टन तक बढ़ने की आशा है।

(ग) जी, नहीं। उर्वरकों का उत्पानन छटी पंचवर्षीय योजना के अन्त से प्रत्याशित मांग की तुलना में कम पड़ने की आशा है। यह स्थिति योजना में भी स्वीकार की गई है।

कर्नाटन में ग्रामीण विद्युतीयकरण निगम लक्ष्य प्राप्त करने में असफल

*449. **श्री के० बी० चौधरी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कर्नाटक में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) शेष गांवों में बिजली कब तक लगा दी जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) (क) और (ख) 1980-81 के

लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में केवल सीमान्त कमी ही थी । 650 गांवों तथा 20,000 पम्पसेटों के लक्ष्य की तुलना में 527 गांव तथा 18, 411 पम्पसेट ऊर्जित किए गये ।

(ग) 31.8.1981 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक के कुल 26, 826 गांवों में से 16, 940 गांव विद्युतीकृत कर दिए गए थे । राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए भावी अनुमान के अनुसार शेष गांवों का विद्युतीकरण सातवीं और आठवीं योजनाविधि में पूरा कर दिया जायेगा ।

*450 **श्री उत्तर भाई एच० पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी समाचार पत्रों के लिए ऐसे नियम, विनियम और नीति बनाने का है जिनके अन्तर्गत उन्हें मुख्य पृष्ट पर समाचार-पत्र के नाम के नीचे उसकी प्रतियों की संख्या अनिवार्य रूप से प्रकाशित करनी पड़ें ;

(ख) क्या उन्होंने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया था ;

(ग) यदि हां, तो उनके वक्तव्य के संदर्भ में उपरोक्त योजना और नीति का ब्यौरा क्या है ;

(घ) ऐसी नीति और नियम बनाने के क्या कारण हैं ; और

(ड़) इन्हें कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ड़) अखबारी कागज सलाहकार समिति तथा पत्रकारों के कुछ संगठनों के सुझाव पर, समाचारपत्रों के लिए प्रकाशन के पूर्ववर्ती दिन उनके द्वारा वास्तव से मुद्रित प्रतियों की संख्या को छापना अनिवार्य करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इस प्रकार के उपाय को कार्यान्वित करने से अखबारी कागज, जो विदेशी मुद्रा की पर्याप्त लागत पर आयात किया जाता है, की खपत को मानीटर करने में सहायता मिलेगी । इसके पाठकों और विज्ञापनदाताओं को उन समाचारपत्रों, जिनको वे पढ़ते हैं और इस्तेमाल करते हैं, की प्रसार संख्या तत्काल जानने में भी सहायता मिलेगी ।

नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की योजना

*451. **श्री चतुर्भुज** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये उर्वरक कारखानों की स्थापना की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये कारखाने किन-किन राज्यों मे स्थापित किये जायेंगे तथा उनकी स्थापना में क्या मानदन्ड अपनाये जायेंगे ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) (क) और (ख) : एक विवरण सभा पर प्रस्तुत है ।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में 3 नये नाइट्रोजन युक्त और 11 फास्फोरिक उर्वरक संयंत्रों पर कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था है । नाइट्रोजन युक्त उर्वरक संयंत्रों में 6 गैस पर आधारित संयंत्र होंगे जिसमें से एक की स्थापना मध्य प्रदेश में एक की राजस्थान में और चार संयंत्रों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाएगी । गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के सही स्थान का निर्णय अभीनहीं किया गया है ।

नाइट्रोजन युक्त शेष दो उर्वरक संयंत्रों में से एक एक संयंत्र क्रमशः कोयले और नैप्था पर आधारित करने का प्रस्ताव है । तथापि, कोयले पर आधारित संयंत्रों को केवल कभी प्रारम्भ किया जा सकता है जब रामागुण्डल और तालचर में कोयले पर आधारित संयंत्रों के अनुभव से कोयले पर आधारित संयंत्र की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाये । नैप्था पर आधारित प्लांट की स्थापना तभी की जा सकती है जब उर्वरक उत्पादन के लिए अतिरिक्त नैप्था उपलब्धता हो ।

फास्फेरिक उर्वरकों 11 संयंत्रों में 5 के संयंत्रों स्थानों का पता लगा लिया है । ये हैं— पारादीप कोचीन, (विस्तार), गोवा (विस्तार), मंगलोर और तुतिकोरिन (विस्तार) इस के अतिरिक्त राजस्थान में अमरकोआ रांक फास्फेट पर आधारित एक भास्कोरिक उर्वरक संयंत्र और सलादीपुरा पाइराइट्स पर आधारित सिंगल सुपर फास्फेट संयंत्रों के लिए भी प्रस्ताव है ।

उर्वरक संयंत्र के स्थान का निर्णय फीड स्टाक की उपलब्धता बाजार की निकटता, मांग कच्चे मालों और तैयार उर्वरकों के परिवहन की लागत और सम्भार तन्त्र तथा अन्य तकनीकी आर्थिक विचारों जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुये किया जाता है ।

उपकरणों के आयात के लिए गुजरात सरकार का अनुरोध

*452. श्री छोटूभाई गामित :

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उसे बिजली के जनरेटिंग सेटों के आयात करने की अनुमति दी जाए क्योंकि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड उन्हें सप्लाई नहीं कर सका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) और (ख) वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत उपस्करों के लिए विश्वव्यापी टेन्डर आमत्रित करने की अनुभूति है। इसके बाद इन पर भारी उद्योग विभाग की शक्ति प्रदत्त समिति द्वारा विचार किया जाता है और सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करने के पश्चात गुण दोषों के आधार पर निर्णय लिया जाता हैं। इस नीति के अन्तर्गत, वानकबरी ताप विद्युत केन्द्र (चरण-दो) के लिए उपस्करों का आयात करने हेतु गुजरात राज्य बिजली बोर्ड ने विश्वव्यापी टेन्डर आमत्रित किए थे तथा यह प्रस्ताव किया था कि परियोजना के लिए उपस्करों का आयात किया जाय। शक्ति प्रदत्त समिति ने सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया था तथा यह निर्णय लिया था कि स्वदेशी निर्माताओं की क्षमता की उपलब्धता को देखते आयात करना संभव नहीं होगा तथा उपस्कर की सप्लाई के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज को आर्डर दे दिए जाने चाहिए।

गांधी सागर ताप विद्युत केन्द्र की विस्तार स्कीम के लिए उत्पादन उपस्कर का आयात करने हेतु गुजरात सरकार का अनुरोध भी इन्हीं कारणों से माना नहीं गया।

भारत और नेपाल दोनों के लिए लाभकारी पुनबिजली परियोजनाएं

*453. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री के० पी० सिंह देव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल एक ऐसे पैकेज कार्यक्रम पर सहमत हो गये हैं जिसके अन्तर्गत नदी परियोजनाओं सहित पनबिजली परियोजनाओं की जिनसे दोनों देशों को लाभ पहुंचेगा, पुनरीक्षा की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो कौन-सी परियोजनाओं की पुनरीक्षा की जाएगी ;

(ग) क्या इस योजना में पारस्परिक सहायता से नई पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण भी सम्मिलित हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन दो देशों के बीच ऐसी कोई परियोजना पहले से ही विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) से (घ) परस्पर लाभ के लिए, जल साधनों के उपयोग में सहयोग के लिए भारत-नेपाल सहमत हो गए हैं। इस दृष्टि कोण का अनुसरण परियोजना आधार पर किया जा रहा है।

इन्दौर और भोपाल में दूरदर्शन रिले केन्द्र

*454. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बतनेा की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में इन्दौर में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस परियोजना पर कितना अनुमानित व्यय होगा ;

(घ) क्या सरकार का विचार इसी प्रणाली पर भोपाल में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र चालू करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या एक ही योजना के अन्तर्गत दोनों रिले केन्द्र स्थापित किए जा सकते है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) अगले 20 वर्षों में चार चरणों में देश में दूरदर्शन के विस्तार की भावी योजना के अन्तर्गत डाक-तार माइक्रोवेव लिंक की सहायता से दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिऐ 49 स्थानों में से एन स्थान इन्दौर चुना गया है। इन्दौर पहले चरण (1980-85) में है। ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गांधी फिल्म

* 455 **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी पर फिल्म के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया है ; और

(ख) किस एजेंसी के माध्यम से इस फिल्म का वितरण किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि० फिल्म इण्डिया इटरनेशनल लिमिटेड, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, ने महात्मा गांधी पर फिल्म के निर्माण की बाबत अब तक 5.83 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(ख) फिल्म का वितरण सह निर्माण करार की शर्तों के अनुसार होगा। इस करार के अनुसार, फिल्म के वितरण का काम आई० एफ० आई०/जी० एफ० आई० या उनके द्वारा अमरीका और कनाडा में स्थापित कम्पनी द्वारा हाथ में लिया जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, मलयेशिया, इन्डोनेशिया, सिंगापुर अफगानिस्तान, सोवियत संघ, पोलैंड, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, बलगारिया, जर्मन जनवादी गणराज्य और अल्बानिया में फिल्म के वितरण का काम करेगा। शेष क्षेत्रों में फिल्म के वितरण का कार्य मैसर्स फिल्मक्रेस्ट, जो आई० एफ० आई० जी० एफ० आई० इन्डोन

ब्रिटिश फिल्म की एक सहायक कम्पनी है, को सौंपा जाएगा। सह निर्माण करार के पक्षकार फिल्म के निर्माण में अपने अपने निवेश के अनुपात में लाभ के हिस्से के हकदार होंगे।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा कम लागत के थियेटरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

4899. **आचार्य भगवान देव :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा ग्रामीण अर्ध-ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कम कीमत वाले थियेटरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने इस सहायता का उपयोग किया है और इस सहायता के साथ ग्रामीण अर्ध-ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितने थियेटर खोले गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने तमिलनाडु (8) महाराष्ट्र (5) आन्ध्र प्रदेश (4) केरल (1), कर्नाटक (2), उड़ीसा (8), मध्य प्रदेश (1) उत्तर प्रदेश (4) तथा पश्चिम बंगाल (5) के राज्यों के 38 आवेदकों को ऋण मजूर किए हैं। एक थियेटर ने कर्नाटक राज्य में हिरियुर, जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं में व्यवसायिक प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

कोटा के लिए पम्प स्टोरेज परियोजना

4900. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा के लिए एक पम्प स्टोरेज परियोजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां तो उसकी बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) इस बारे में अन्य ब्यौरे क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (ग) जनवरी, 1979 के दौरान राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने कोटा में पम्प स्टोरेज स्कीम की एक परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में, चम्बल कांम्पलेक्स के जवाहर सागर जलाशय के अग्र तट पर स्थापित किए जाने वाले एक विद्युत केन्द्र में 189 मीटर औसत शीर्ष पर प्रचलित होने वाले 100-100 मेगावाट के दो यूनिट प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

इस रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी तथा टिप्पणियां राज्य प्राधिकारियों को भेज दी गई थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को दृष्टि में रखते हुए इस परियोजना को नए सिरे से तैयार किया जाना है। परियोजना प्रस्तावों को नए सिरे से तैयार करने के लिए राज्य प्राधि-

कारियों ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग की सहायता मांगी है। तथा यह सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

सम्पर्क अधिकारियों द्वारा मंत्रालयों में आना

4901. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री सेवा निवृत अधिकारियों द्वारा मन्त्रालयों में आने के बारे में 15 सितम्बर 1981 के अतारांकित प्रश्न 4208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि ये सम्पर्क अधिकारी सिन्थैटिक यार्न उद्योग जैसे अपने विषयों से सम्बद्ध अनुभागों में अभी भी आ रहे हैं और अपने मुख्य कार्यालयों के अलावा भी पत्र "डेस्क अधिकारियों" को सीधे व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं तथा उनके उत्तर भी इसी प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं तथा उसका आना जाना बेरोकटोक जारी है ;

(ख) क्या उच्च सार्वजनिक स्टैंडर्ड सुनिश्चित करने और व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इन सम्पर्क अधिकारियों के माध्यम से औद्योगिक गृहों द्वारा विभिन्न प्रकार के दिये जाने वाले प्रलोभनों को देखते हुए उन्होंने इन संवेदनशील अनुभागों में काम करने वाले डैस्क अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्तः स्थानान्तरण की वांछनीयता के बारे में विचार किया है ; और।

(ग) उपरोक्त निर्देशित प्रश्न के भाग (घ) के संदर्भ में ऐसी कुप्रथाओं के जारी रहने को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) मन्त्रालय में आने वाले आगन्तुकों को अवर सचिव स्तर से कम अधिकारियों को मिलने अथवा उन कमरों में आने से जहां डैस्क/अनुभाग अधिकारी बैठते हैं, रोका गया है।

(ख) जहां तक सम्भव है उपयुक्त अन्तरालों में कर्मचारियों का क्रमिक रूप से स्थानान्तरण किया जाता है।

(ग) कोई ऐसा भ्रष्टाचार ध्यान में नहीं आया है।

मध्य प्रदेश में मिट्टी के तेल के डीलरों की नियुक्ति

4902. **श्री केयूर भूषण** : क्या पेट्रोलिय, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने खण्ड स्तर पर मिट्टी के तेल के डीलर नियुक्त करने के प्रस्ताव भेजे हैं :

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) इस समय ऐसे कितने खण्ड है जिनमें मिट्टी के तेल के डीलर नियुक्त किये जा चुके हैं ;

(घ) क्या मिट्टी के तेल के डीलरों की नियुक्ति में शिक्षित बेरोजगारों, हरिजनों तथा आदिवासियों को प्राथमिकता दिये जाने का विचार है ; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरे क्या है ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव यह है कि प्रत्येक दो खण्डों (ब्लाकों) में मिट्टी के तेल के एक डीलर की नियुक्ति की जाए ।

(ख) प्रस्ताव पर उद्योग तथा राज्य सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार कुल 458 खण्डों में से 97 खण्डों में पहले ही से मिट्टी के तेल के डीलर हैं ।

(घ) और (ङ.) वर्तमान लागू नीति के अनुसार, सभी डीलरशिपों/डिस्ट्री ब्यूटरशिपों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के समुदायों के लोगों के लिए आरक्षित हैं । इन समुदायों के बेरोजगार स्नातक तथा बेरोजगार इन्जीनियरी स्नातक ऐसे स्नातकों के लिये आरक्षित कोटे में से भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं ।

तालचेर में पोलिटेक्नीक

4903. श्री अनादिचरण दास : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का विचार उड़ीसा की तालचेर कोयला खानों में एक पोलिटेक्नीक स्कूल की स्थापना करने का है ;

(ख) क्या ऐसे प्रस्ताव के छठी योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(घ) उड़ीसा के तालचेर कोयला खान क्षेत्रों में उक्त संस्थान की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) वित्तीय आवंटन और अन्य ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

टिस्को द्वारा कोकिंग कोयले तथा मिडलिंग्स की काला बाजारी में बिक्री

4904. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिस्को ने 1980-81 के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड से कोकिंग कोयले तथा कोयला धोने के कारखानों के मिडलिंग्स की कितनी मात्रा खरीदी और किस मूल्य पर ;

(ख) टिस्को ने उपरोक्त अवधि में अपनी रक्षित कोयला खाजों से कितना कोकिंग कोयला और कोयला धोने के कारखानों से कितने मिडलिंग्स बेचे और किस कीमत पर ;

(ग) क्या उनके ध्यान मे कोई ऐसी शिकायतें आई हैं कि टिस्को द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड से कोयला खरीदा जाता है और वही कोयला काला बाजार में बेचकर भारी लाभ कमाया ; यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार का बिचार इस मामले में जांच करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) वर्ष 1980–81 में कोल इण्डिया लि० ने टाटा आइरन और स्टील क० को 5.05 लाख टन धुला कोककर कोयला रु० 255/- प्रति टन के औसत मूल्य पर सप्लाई किया। को० इं० लि० ये 2.40 लाख टन मिडलिंग्स भी स्वांभ और कठारा वाशंरियों को सप्लाई किया जिसका मूल्य, सिडलिंग्स की किस्म पर निर्भर करते हुए, लगभग 80 रु० प्रति टन था।

(ख) टाटा आइरन और स्टील कं० अपनी अधीनस्थ कोलियरियों से किसी भी प्रकार का धुला कोकर कोयला नहीं बेचता है। परन्तु लगभग 35.000 टन मिडलिंग्स बाहरी उपभोक्ताओं को लगभग रु० 220/- प्रति टन के हिसाब से बेचा गया है और यह मूल्य भी मिडलिंग्स की किस्म पर निर्भर था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गन्धक की मांग

4905. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना की सम्पूर्ण अवधि के दौरान गन्धक कों मांगे क्या हैं ;

(ख) 1975-80 वर्षों के दौरान भारत में सल्फ्यूरिक एसिड की वार्षिक खपत क्या थी ; और

(ग) इसकी राज्यवार मांग क्या है ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) छठी पंचवर्षीय योजना की समस्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 1 से 1.2 मिलियन टन की दर से सल्फर की मांग 5.5 से 6 मिलियन टन तक होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 1975 से 1980 तक के वर्षों के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन निम्न प्रकार था।

वर्ष	उत्पाद (लाख टन में)
1975	13.7
1976	16.6
1977	20.2
1978	21.1
1979	22.6
1980	21.5

एक वर्ष का उत्पादन न्यूनाधिक रूप से उस वर्ष देश में उसकी खपत दर्शाता है।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान राज्यवार मांग का अनुमान निम्न प्रकार हैं :-

राज्य का नाम	सल्फ्यूरिक एसिड की राज्यवार मांग (000 टन में)
1. आन्ध्र प्रदेश	300
2. असम	60
3. बिहार	120
4. दिल्ली	00
5. गुजरात	250
6. हरियाणा	30
7. कर्नाटक	20
8. केरल	470
9. महाराष्ट्र	450
10. मध्य प्रदेश	100
11. उड़ीसा	20
12. पंजाब	25
13. राजस्थान	80
14. तमिलनाडु	250
14. उ० प्रदेश	150
16. वैस्ट बंगाल	145
योग :-	2500

झरिया कोयला युक्त क्षेत्र के लिए विस्तृत योजना

4906 श्रीमती माधुरी सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा झरिया कोयला युक्त क्षेत्र के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वित किये जाने पर कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जायेगी ; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कोल इन्डिया लि० के के० खा० आ० एव डि० सं० लि० ने झरिया कोयला क्षेत्र के कोयला धारी क्षेत्रों के लिए पोलेण्ड की सहायता से एक मास्टर प्लान बनाया था ।

योजना में यह व्यवस्थाएं हैं—नौ बड़े ओपेन कास्ट और इक्कीस बड़े भूमिगत खनन ब्लाकों का निर्माण और साथ ही धरातल की समस्त आधारभूत सुविधाओं का पुनर्निर्माण ।

योजना का कार्यान्वियन पहले ही चरणों में शुरू किया जा चुका है । अनेक परियोजनाओं को, जो इस योजना की अभिन्न अंग हैं, कार्यान्वियन के लिए अनुमोदित किया जा चुका है और उन पर काम शुरू हो चुका है । आशा है कि इस योजना 2000 इस्वी तक सफलता पूर्वक पूरा हो जाने पर इससे लगभग 56 मिलियन टन कोकिंकर के और अकोककर कोयले का उत्पादन होने लगेगा ।

जापानी कम्पनी के साथ खनन परियोजनाओं के लिए बातचीत

4907. श्री अर्जुन सेठी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोयला खनन के लिए निर्यात प्रधान परियोजना की स्थापना करने के लिए जापानी कम्पनी समूह के साथ कुछ बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच यदि कोई समझौता हुआ तो उसके ब्यौरे क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स सिपला को लाइसेंस दिया जाना

4908. श्री ईरा अन्नारासु : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सिपला को बल्क औषधियों एवं फोर्मूलेशनों के लिए कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए किस तारीख को दिए गए तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से बहुत से कार्यान्वित नहीं किए गए हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन लाइसेंसों को रद्द कर दिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) से (ग) केवल बल्क औषधों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों के कार्यान्वियन की देख रेख की जाती है। बल्क औषधों का निर्माण करने के लिए मैं० सिपला को 25 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं। इन लाइसेंसों के ब्यौरे और उनकी वर्तमान स्थिति विवरण में दी गई है। जारी किये गये 25 औद्योगिक लाइसेंसों में से 17 कार्यान्वित हो गये हैं। 3 रद्द कर दिए गये हैं और कपनी द्वारा वापिस किये गये एक और लाइसेंस को रद्द करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। शेष 4 लाइसेंसों को कार्यान्वित न करने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तदनुसार उपयुक्त कार्यवाई की जाएगी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3262/81]

दिल्ली में वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा

4909. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में वक्फ संपत्ति पर लोगों द्वारा 15 अगस्त, 1947 के बाद भारी पैमाने पर अनधिकृत कब्जा किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वक्फ संपत्ति से अनधिकृत कब्जे को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए है और इस बारे में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ;

(ग) ऐसी संपत्ति से अनधिकृत कब्जे को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा भविष्य में क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी कुछ वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण को किस अधिनियम के अधीन इस सपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति दी गई ; और

(च) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ कब्रगाहों पर भी कब्जा किया गया है ;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) दिल्ली वक्फ बोर्ड के अनुसार, 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् दिल्ली में वक्फ संपत्तियों पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। किंतु ठीक-ठीक रूप से उन वक्फ सपत्तियों का ब्यौरा देना कठिन है जो अप्राधिकृत कब्जे में हैं क्योंकि दिल्ली में अभी वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। तारीख 30-11-1981 तक 69 मामलों में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कब्जा लेने के बारे में न्याया-

लयों से डिक्रियां प्राप्त कर ली हैं। वक्फ अधिनियम, 1954 में यह उपबंध है कि दिल्ली में सभी वक्फों का साधारण अधीक्षण दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थापित दिल्ली वक्फ बोर्ड में निहित है। यह कार्य दिल्ली प्रशासन का है कि वह ऐसे मामलों में कार्रवाई करे। दिल्ली वक्फ बोर्ड का यह भी कर्तव्य है कि वह वक्फ अधिनियम, 1954 के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करे कि उसके अधीक्षण के अधीन वक्फों का समुचित रूप से अनुरक्षण, नियंत्रण और प्रशासन किया जाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड को अप्राधिकृत कब्जों के मामलों में वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 55 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए न्यायालयों में वाद फाइल करने हैं।

(घ) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कब्जे में कुछ ऐसी संपत्तियां हैं (जिनके अंतर्गत कब्रिस्तान की भूमि भी है) जिनके बारे में वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया है कि वे संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं और उन संपत्तियों के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण यह दावा करता है कि वे 1937 के नजूल करार के आधार पर उसके नियंत्रण में हैं।

वाहनों के लिए वैकल्पिक ईंधन

4910. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाहनों के लिए वैकल्पिक ईंधनों की खोज में संलग्न हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कोई परीक्षण किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुझाव दिये गये हैं'।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री : (**श्री प्रकाश चन्द**) (क) और (ख) मोटर गाड़ियों के लिए वैकल्पिक ईंधन पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और इन्डियन आयल कारपोरेशन के अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों द्वारा किये गये परीक्षणों से यह पता चला है कि भारतीय गाड़ियों में अल्कोहल का पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत मिश्रण ईंधन के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा सकता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा पता लगाये गये नए कोयला निक्षेप

4911. **श्री सुभाष चन्द्र बोस एल्लरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1 जून 1980 से 30 नवम्बर 1981 की अवधि के भीतर पता लगाये गये नए निक्षेपों के ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) इन खानों से कितनी कोयला मिलने की संभावना है ; और

(ग) इन खानों द्वारा उत्पादन कब तक आरम्भ किया जाना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री : (**श्री विक्रम महाजन**) (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था 22 कोयला क्षेत्रों में कोयले के लिए मानचित्रण और ड्रिलिंग करके क्षेत्रीय समन्वेषण करने में लगा हुआ है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश, आसाम' बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं और यहां समन्वेषण कार्य जून, 1980 से नवम्बर 1981 की अवधि में 51 ड्रिलों की सहायता से किया गया। समन्वेषण के परिणाम स्वरूप, निम्न-लिखित कोयला क्षेत्रों के अब तक अछूते अन्चलों में कोयले के नए भन्डार प्रमाणित किये गये हैं :—

बिहार में सहरजुरी और राजमहल ; मध्य प्रदेश में कोरबा, हास्डो-आरंड और सोहागपुर ; तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में रानीगन्ज ।

(ख) उपर्युक्त कोयला क्षेत्रों में कुल 147 मिलियन टन कोयले के भन्डार का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) कोयला समन्वेषण की योजना विस्तृत भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और कोयला भन्डार के दोहन की तकनीकी आर्थिक साध्यता के आधार पर ही बनाई जा सकती है।

छोटे एक्सचेंजों का विस्तार

4012. **श्री जी० डी० वाई० कृष्णन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 600 लाइनों वाले छोटे एक्सचेंजों का विस्तार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार के लिए सामान की सप्लाई की स्थिति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या गैर सरकारी उद्यमियों को इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन देने का कोई विचार है ?

सन्चार मत्रालय में उप-मंत्री श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां, ।

(ख) हस्तचल एक्सचेंजों का विस्तार विभागीय फैक्ट्रियों द्वारा विनिर्मित बोर्डों के प्रयोग द्वारा तथा स्वचल एक्सचेंजों का विस्तार भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा विनिर्मित बोर्डों द्वारा किया जाता है। स्वचल रूपस्कर का उत्पादन अपर्याप्त है। देश में लम्बी अवधि व्यवस्था के रूप में अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता स्थापित करने हेतु उपाय किये जा रहे हैं। तुरन्त राहत देने के लिए कुछ छोटे कन्टेनराइज्ड-इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज आयात करने का प्रस्ताव है ।

(ग) जी, नहीं ।

कर्नाटक में ड्रिलिंग

4913. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक के किसी भाग में अप-तटनीय ड्रिलिंग करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, यो क्या स्थान का चुनाव कर लिया गया हैं ;

(ग) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री : (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ?

(ग) और (घ) कर्नाटक के उत्तरी भाग में कालदली थाने में एक ग्रेविटी प्रोफाइल और कुछ भू-आकृनि विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षग के आधार पर, यह देखा गया है कि कर्नाटक राज्य में भूतल से अच्छा दित बहुत पुरानी चट्टाने हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के लिए अनुकूल नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान से प्रकाशित होने वाले समाचर पत्र

4915. **श्री जय नारायण रोट :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और राजस्थान से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रचार के लिए मंजूरी दी है ;

(घ) जिन समाचार पत्रों को दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय ने अब तक विज्ञापन नहीं दिए हैं या जिनके बारे में दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय ने कोई निर्णय नहीं लिया है उन्हें दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय से विज्ञापन दिलाने के बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) (क) दैनिक समाचारपत्रों के नाम तथा उनकी प्रसार संख्या विवरण-1 में दी गई है।

[मन्त्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी— 3263/81]

(ख) और (ग) जिन दैनिक समाचारपत्रों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा सरकारी विज्ञापनों को रिलीज करने के लिए स्वीकृत किया गया है, उनके नाम विवरण-2 में दिये गये हैं।

[ग्रंथालयों में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—3263/81]

(घ) सूची में शामिल करने के लिए सभी आवेदन पत्रों पर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा सरकार की विज्ञापन नीति के अनुसार विधिवत विचार किया जाता है। निर्धा-

रित मानदन्डों को पूरा करने वाले समाचारपत्रों और नियतकालिकपत्रों को विज्ञापनों के लिए स्वीकृत किया जाता है। इस समय केवल 8 मामले ही विचाराधीन हैं।

उत्तर प्रदेश सर्किल में सब पोस्ट मास्टरों और पोस्ट मास्टरों की नियुक्ति में अनियमितायें

4916. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सर्किल में जब भी नये पोस्ट आफिस खुलते हैं सब-पोस्टमास्टरों और पोस्टमास्टरों की नियुक्ति के बारे में पक्षपात और भ्रष्टाचार की अनेक शिकायत मिली है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक मामलों में शिक्षित लोगों को चुना गया है जबकि उन पदों के लिए अधिक शिक्षित लोगों को आवेदन किया था। और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

डेसू द्वारा उपभोक्ताओं को पिछले दस महीनों से बिजली के बिलों का न भेजा जाना

4917. **श्री आर० आर० भोले** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में डेसू ने उपभोक्ताओं को पिछले दस महीनों के बिल नहीं भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) डेसू को इस लेखे से कितनी धनराशी मिलती है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया जाता है कि कम्प्यूटर द्वारा बिजली के बिल बनाने का कार्य जिस एजेन्सी को पहले सौंपा गया था, उस एजेन्सी द्वारा यह कार्य अप्रेल, 1981 में छोड़ देने के कारण तथा अन्य कम्प्यूटर एजेन्सी के साथ व्यवस्था किए जाने के कार्य को अन्तिम रूप देने में समय लगने के कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के शक्तिनगर और सिविल लाइन जिलों के जरिये सेवा पाने वाले उपभोक्ताओं को उनकी बिजली की खपत के बिल भेजने में लगभग 11 महनों का विलम्ब हुआ है।

(ग) इससे सम्बन्धित राशि 3 करोड़ रुपये के लगभग है।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों और भूतपूर्व सैनिकों को एल० पी० जी० लाइसेंसों का जारी किया जाना

4918. **श्री के मालन्ना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो सालों में अनुसूचित जातियों/जन जातियों और भूतपूर्व सैनिकों और विकलांगों को जारी किए गए एल० पी० जी० लाइसेंसों का राज्यवार ब्योरा क्या है :

(क) क्या सरकार अल्प विकलांग बच्चों के माता पिता को लाइसेंस जारी करने पर विचार करेगी ताकि ऐसे बच्चे अपने माता पिताओं की ओर से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें ; और

(ग) यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) दिनांक 1.1 1978 से 31.8. 1981 तक तेल कम्पनियों द्वारा प्रदान की गयी एल० पी० जी० डिस्ट्री ब्यूटरशिपों की कुल राज्यवार संख्या तथा इनमें से अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रदाय की गई डिस्ट्री ब्यूटरशिपों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है। अन्य ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अवयस्क अपंग बच्चों के माता-पिता अपनी पात्रता के अनुसार उपयुक्त वर्ष में अवसर प्राप्त कर सकते हैं ।

विवरण

दिनांक 1.1 1979 31.8. 1979 तक प्रदान की गयी एस० पी० जी० डिस्ट्री ब्यूटरशिपें

राज्य	कुल	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति
आन्ध्र प्रदेश	12	1
बिहार	2	2
गुजरात	16	4
हरियाणा	3	—
हिमाचल प्रदेश	2	2
कर्नाटक	12	3
केरल	2	—
मध्य प्रदेश	6	1
महाराष्ट्र	34	9
उड़ीसा	2	1

1	2	3
पंजाब	3	—
राजस्थान	8	1
तमिलनाडु	4	1
उत्तर प्रदेश	30	4
पश्चिम बंगाल	7	—
चंडीगढ़	2	2
दिल्ली	11	1
गोआ, दमन और दीयू	1	—
योग	157	32

रानीगंज आसानसोल कोयला पट्टी लिए कुकिंग गैस की सप्लाई

4919. **श्री रेणु पद दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रानी-गंज आसानसोल कोयला पट्टी के लोगों को कुकिंग गैस सप्लाई न होने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि उनके आश्वासन के बावजूद इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है ; और

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र में इण्डियन आयल लिमिटेड के अधिकृत विक्रेता की नियुक्ति करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच० पी० सी० एल०) द्वारा यह सूचित किया गया है कि रानी-गंज आसानसोल कोयला पट्टी में उनकी खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) की सप्लाई सिलेण्डर स्वामित्व-डीलर की अपर्याप्त संख्या तथा उनके वितरकों द्वारा स्वीकृत दरों पर परिवहन करने से इन्कार करने के कारण संतोषजनक नहीं रही है। एच० पी० सी० एल० द्वारा वितरकों के साथ बातें-चीत की जा रही है। ऐसी आशा है कि एच० पी० सी० एल० द्वारा समस्याओं का हल करने तथा इन्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1982-83 के लिए क्षेत्र में दो नए वितरकों की नियुक्ति के साथ सप्लाई में सुधार होगा।

निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता

4920. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करने वाले अभिकरणों ने राज्यवार कितने मामले हाल में लिए हैं ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में निशुल्क विधिक सहायता के लिए समितियों का गठन किया गया है ;

(ग) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कितने नि.शुल्क विधिक सहायता अभिकरणों का प्रबन्ध किया जा रहा है ; और

(घ) क्या निःशुल्क विधिक सहायता समितियों में सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी लिए जाने का कोई सुझाव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : अनेक राज्यों में राज्य बोर्ड और स्वयंसेवी संगठन हैं जो निर्धन व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के पास इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि उन्होंने कुल कितने मामले हाथ में लिए हैं ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में विधिक सहायता स्कीम के अधीन समितियों का गठन कर दिया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में भी उच्चतम न्यायालय के मामलों के लिए समिति का गठन कर दिया गया है।

(ग) विधिक सहायता करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को अपने कार्यों के बारे में कोई सूचना सरकार को नहीं देनी होती है । अतः ऐसे संगठनों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(घ) कृष्णा अय्यर समिति ने जता और न्याय (प्रक्रियागत सुधार की भूमिका) के बारे में अपनी मई, 1973 की रिपोर्ट में और भगवती समिति ने राष्ट्रीय विधिक सहायता के बारे में अपनी 31 अगस्त, 1977 की रिपोर्ट में सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों की, जिनके अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सेवाएं लेने का सुझाव दिया था ।

कोयला खानों के बन्द कर दिये जाने के कारण बेरोजगारी में वृद्धि

4921. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) जोनवार अछूती जमीनों का कोयला खदान के लिए वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक वर्ष-वार, हेक्टर-वार विकास योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ईस्टर्न कोल इण्डिया लिमिटेड ने कितनी कोयला खानें बन्द कर दी हैं ;

(ग) कोयला खानों के इस प्रकार बन्द हो जाने से कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ;

(घ) कोयला खानों के बन्द हो जाने के कारण वर्ष 1984-85 तक कितने कर्मचारी हो जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान विरास के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित खानों की संख्या निम्नलिखित है :—

	1980-81	1881-82 (18दिसम्बर, 1981 तक)
ईस्टर्न कोलफील्डस लि०	1	—
भारत कोकिंग कोल लि०	5	—
सेन्ट्रल कोलफील्डस लि०	3	5
वेस्टर्न कोलफील्डस लि०	6	3
	15	9

बर्ष 1981-82 के आगे आनों की खुदाई का काम अब इसके ब द दी जाने वाली स्वीकृति के आधार पर होगा ।

(ख) से (घ) छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान, कोयला भन्डारों के समाप्त हो जाने के कारण; ई० को० लि० के केवल 10 एककों के बन्द किए जाने की संभावना है । ऐसी प्रत्याशित वन्दी के कारण कुल लगभग 1883 व्यक्ति ग्रेशी हो जाएंगे । परन्तु इन व्यक्तियों को अन्य विभिन्न विकासशील परियोजनाओं में खफा दिया जाएगा ।

अध्यक्ष कोल्हापुर सर्राफा व्यापारी संघ कोम्हापुर (महाराष्ट्र) का अभ्यावेदन

4922. **सत्य नारायण जटिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपाध्यक्ष, कोल्हापुर सर्राफा व्यापारी संघ, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) का दिनांक 18 अप्रैल 1981 के अभ्यावेदन की जांच की गई थी परन्तु उसे विभाग ने नामन्जूर कर दिया ;

(ख) उपर्युक्त अभ्यावेदन में क्या सुझाव/अनुरोध किए गये थे ;

(ग) उपर्युक्त सुझावों/ अनुरोध को न मानने के कारणों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या अभ्यावेदनकर्ता को उसके अनुरोध को न मानने के उपर्युक्त कारणों के बारे में सूचित किया गया था और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) . (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन खराबिया

4923. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री आनन्द पाठक :

श्री मीतलालहसदा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर, 1981 के बीच पश्चिम बंगाल में जिलावार कितने टेलीफोनों में खराबियां पाई गई ;

(ख) इनमें से कितनी खराबियां एक दिन, एक सप्ताह, एक माह में और इसी तरह दूर की गई ; और

(ग) खराबियों से बचाव और सूचना मिलने पर तुरन्त दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) पश्चिम बंगाल में जनवरी 81 से अक्तूबर81 नऐ जिलावार दर्ज कराए गए टेलीफोन दोषों की संख्या निम्नानुसार है :

जिले का नाम	दर्ज कराए गए दोषों की संख्या
बांकुरा	5209
वर्दवान	53020
बीरभूम	5804
कूचबिहार	3603
दार्जिलिंग	3035
हावड़ा	759
हुगली	3802
जलपाइगुड़ी	10620
मिदनापुर	13405
माल्दा	5530
मुर्शिदाबाद	8428

1	2
नाडिया	8808
पूर्लिया	5512
24 परगना	4529
पश्चिम दीनाजपुर	4425
कलकत्ता	663327

(ख) कलकत्ता के अतिरिक्त एक दिन के भीतर 85 प्रतिशत दोष दूर दिए जाते तथा शेष दोष एक सप्ताह के भीतर कर दिए जाते हैं।

कलकत्ता में दोष निवारण की स्थिति निम्न प्रकार से है :

एक दिन के भीतर	38.73 प्रतिशत
एक सप्ताह के भीतर	80.64 प्रतिशत
एक मास के भीतर	90.03 प्रतिशत
दो माह के भीतर	98.19 प्रतिशत

शेष तीन माह के भीतर निपटाए गए।

(ग) कलकत्ता में दोष मुख्यत: विभिन्न जनोपयोगी एजेन्सियों द्वारा खुदाई किए जाने से भूमिगत केबुलों से क्षति के कारण आते हैं।

केवलों एवं सहायक सामग्री की चोरी के कारण भी कलकत्ता टेलीफोन सेवा में बांधा पहुंचती है।

बाह्य्य जालकार्य की सुरक्षा एवं उसे वेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

(1) (I) भूमिगत केबलों का दाबीकरण

(2) केविनेट एवं खम्भों की स्थापना

(3) क्षतिग्रस्त केबलों को हटाना

(4) भूमिगत केबल डक्ट का निर्माण

(5) बितरण जालकार्य में जेली भरे केवलों का प्रयोग

(6) सूक्ष्म तरंग एवं पी० सी० एम० जंक्शनों की व्यवस्था

(7) उपभोक्ता के उपकरण एवं फिटिंग की जांच तथा तदनुसार उपचारी कदम उठाना

(8) विभिन्न जनोपयोगी एजेन्सियों से जो खुदाई करती हैं समन्वय स्थापित करना

(2) उपरोक्त कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए कलकत्ता में एक टास्क फोर्स संगठन स्थापित किया गया है।

(3) पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) दोष निपटान पर प्रतिदिन निगरानी रखी जाएगी।

(2) उपभोक्ता के आहातों की जांच की जाती है।

(3) घरों की वायरिंग में एलुमिनियम तारों के स्थान पर उत्तरोत्तर तांबे के तार स्थापित किए जा रहे हैं।

(4) चार स्पैन के बराबर अथवा उससे कम ऊपरी तारउ क्तरोत्तर ड्राप वायर से प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं।

(5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि रुटिन जांच निर्धारित अनुसूचितायों के अनुसार की जा रही है, कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

"शिव शक्ति" मराठी दैनिक पत्र का प्रकाशन

4924. **श्री वापू साहिब परुलेकर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकोला, महाराष्ट्र से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "शिव शक्ति" (मराठी) दिनांक 22 नवम्बर, 1981 का अंक (अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित प्रकाशन सूचना) (सम्पादक, प्रकाशक और इत्यादि) के बिना निकाला गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन जोशो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको लोक सभा की मेज पर शीघ्र ही रख दिया जाएगा।

इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को रज्जू मार्ग प्रणाली से कोयला भेजने में निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम होना

4925. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रज्जू मार्ग प्रणाली से इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य से कोयला भेजने में कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सम्पत्ति के दावों का निपटान

श्री आर० के० महालगी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री सम्पत्ति के दावों की वसूली "सेड्डयूल" जारी करने के मामलों का निपटान किया जाना, के बारे में 18 अगस्त, 1981 के आतारांकित प्रश्न संख्या 224 के उत्तर के सम्बद्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उल्हास नगर (जिला थांके) महाराष्ट्र के सम्पत्ति दावों के रिक्वरी शैड्यूल जारी करने हेतु लोगों के सम्पत्ति के दावों के बकाया 195, मामलों के निपटाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार के एक दल ने सैल्लमेंट का दौरा किया है ; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या उपयुक्त दल ने अब तक भ्रमण नहीं किया है तो महाराष्ट्र सरकार ने यदि इसके कोई कारण दिये हों तो वे क्या हैं ; और

(घ) उपर्युक्त दावों को शीघ्र निपटाने के बारे में क्या विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार के दल और बन्दोबस्त विंग ने अब शेष 195 मामलों की छान-बीन पूर्ण कर ली है और उसके निम्न परिणाम हैं :—

(1) उन मामलों की संख्या जिनके सम्बन्ध में दल द्वारा तत्स्थान वसूली अनुसूचियां प्राप्त कर ली हैं ।	
(2) उन मामलों की संख्या जिनमें मुआवजे का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा आगे कोई सभंजन करना संभव नहीं है और इसके परिणामस्वरूप वसूली अनुसूची जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।	31
(3) मुआवजे के उन मामलों की संख्या जिनमें प्रस्तुत किए गए ब्यौरे सही नहीं हैं ।	41
	195

सामाजिक कार्यकर्ताओं को एल० पी० जी० की एजेन्सियां देया जाना

4927. **श्री० के० प्रधाली** : क्या पेट्रोलियम, औ उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सामाजिक कार्यकर्ताओं को एल० पी० जी० की एजेंसियां दे रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो सामाजिक कार्यकर्ता को परिभाषित करने के लिए क्या मानक निर्धारित किए हैं और इसका निर्णय करने के लिए कौन अधिकृत हैं ;

(ग) इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं ; और

(घ) क्या उड़ीसा राज्य में ऐसी कोई ऐजेंसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी गई है और यदि नहीं, तो तत्संबधी कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं । तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की एजेंसियां सम्बन्धित तेल कम्पनियों द्वारा प्रदान की जाती है ।

(ख) और (ग) केवल वर्ष 1981 से, सभी डीलर शिपों/डिस्ट्री ब्यूटर शिपों का 10 प्रतिशत उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वतंत्रता सेनानियों (एस० डब्ल्यू/एफ० एफ०) के लिए आरक्षित किया गया है । इस वर्ग के अन्तर्गत डिस्ट्री ब्यूटर शिपों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय अपन सामाजिक कार्य का ब्यौरा व प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते हैं । स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में वर्गीकृत किये जाने के लिए से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है । उम्मीदवारों के इस वर्ग के लिए किसी प्रकार की निर्धारित शैक्षाणिक योग्यता तथा उच्चतम आयु सीमा की आवश्यकता नहीं होती है । आवेदकों द्वारा उनके सामाजिक कार्यकर्ता होने के लिए प्रस्तुत किये गये प्रलेखी प्रमाण/शपथ पत्र इत्यादि को स्वीकार करना सम्बन्धित तेल के सक्षम प्राधिकारी की जिम्मेदारी है ।

(घ) जी, नहीं । एस० डब्ल्यू/एफ० एफ० वर्ग के अन्तर्गत डीलरों के चयन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

उच्च न्यायालय और निचले न्यायालयों में लंबित मामले

4928. **श्री गिरिधन गोमांगो** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न न्यायालयों में होने वाले विलंब बकाया के बारे में विधि आयोग की 77वीं और 79वीं रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उन पर उचित कार्यवाही करने के लिए वे रिपोर्टें राज्यों को भेज दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों से आयोग की रिपोर्ट में उनसे संबंधित बातों पर राज्यवार अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) देश में विभिन्न न्यायालयों में निपटान हेतु लंबित पड़े मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए राज्यों द्वारा तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामलों में विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या मार्गदर्शी-निर्देश जारी किए गए हैं ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री [श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) विधि आयोग की सिफारिशें सुस्पष्ट हैं और केन्द्रीय सरकार ने उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्यों को कोई मार्गदर्शी—निर्देश जारी नहीं किए है। राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी नहीं की है कि उन्होंने रिपोर्टों पर क्या कार्यवाई की है।

दूरदर्शन के कैमरा-मैनों फिल्म सम्पादकों इत्यादि के पदों पर नियुक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताएं

4929. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के कैमरामैनों, फिल्म सम्पादकों ध्वनि आलेखकों और ग्रेफिक आर्टिस्टों के पदों पर नियुक्तियों के लिए अर्हताओं में परिवर्तन किया जा रहा है ; यदि हाँ, तो तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या ये अर्हताएं फिल्मस डिवीजन के (उसी मन्त्रालय का एक सहयोगी संगठन) समान स्तर पर लागू की जायेगी ; और

(ग) दूरदर्शन में परिवर्तित अर्हताएं कब से लागू की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

नांडिया पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सर्वेक्षण

4930. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में तेल की खोज के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने नांडिया, 24 परगना, जिला वर्दवान और अन्य स्थानों में कितने क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यह सर्वेक्षण कब किया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित क्षेत्रों में तेल अन्वेषण के लिए सर्वेक्षण करने की योजना है :—

(1) भूकम्पीय सर्वेक्षण

1. वर्दवान-मेमरी	नादिया और मुर्शीदाबाद जिले ।
2. प्लासी-वहरामपुर-जंलागी	
3. कृष्णा नगर-छपरा	
4. डायमन्ड हार्बर-बोदरा-केनिग	24 पैरागान्स जिला
5. कलकत्ता	

(2) सूक्ष्म गुरुत्व सर्वेक्षण

1. सररामपुर-हावड़ा	हावड़ा जिला
2. बरसात-दम-दम	24 पैरागान्स जिला

वर्तमान क्षेत्रीय ऋतु 1981-82 से उपर्युक्त काम आरम्भ हो गया है ।

उड़ीसा में पोस्ट आफिस भवनों का निर्माण

4931. श्री हरिहर सोरन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कुल कितने पोस्ट आफिस भवनों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा में क्योंझर जिले के स्वमपत्ना सब पोस्ट आफिस के लिए एक भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के उपर्युक्त जिले के स्वमपत्ना के उपर्युक्त सब पोस्ट के भवन का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष के अन्त से पहले शुरू हो जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को कब से कार्यान्वित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) उड़ीसा सर्किल में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 43 डाकघर भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिनमें हाल ही में निर्मित 7 भवन भी शामिल हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस समय स्वयं पटना में उप डाकघर भवन के निर्माण हेतु कोई भी विभागीय भूमि उपलब्ध नहीं है । अतः इस समय इस उप डाकघर हेतु विभागीय भवन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विलासपुर और ज्वालामुखी में पेट्रोल पम्पों का आवंटन

4932. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में विलासपुर और ज्वालामुखी में पेट्रोल पम्प के लिए दिए गए कुछ आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत करने पर आपत्ति उठाई गई है और इसे इन्डियन आयल कारपोरेशन की मनमानी तथा भेदभावपूर्ण कार्यवाही बताया गया है क्योंकि आवेदन-पत्र बिना किसी उचित कारणों के अस्वीकृत किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किया गया अन्तिम निर्णय क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी, हां ।

(ख) ऐसा सूचित किया गया है कि ज्यालामुखी स्थित डीलरशिप निर्धारित नीति/कार्य पद्धति के अनुसार स्थापित की जा रही है । विलासपुर स्थित डीलरशिप को पुनः विज्ञापित किया जा रहा है ।

टेलीफोन एक्सचेंज वेस्ट जोन दिल्ली के कर्मचारियों का दूसरे जोनो को स्थानान्तरण और पुनः वापसी

4933. **श्री शीतलाल वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन एक्सचेन्ज वेस्ट जोन, दिल्ली के काफी कर्मचारियों का जनता की शिकायत पर दूसरे जोनों को स्थानान्तरण किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हीं कर्मचारियों का पुनः टेलीफोन एक्सचेंज वेस्ट जोन को स्थानान्तरण कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

संचार मंत्रालयों में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल की पन बिजली परियोजनाओं की स्वीकृति

4934. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की कितनी पन बिजली परियोजनायें केन्द्र के पास स्वीकृति के लिए पड़ी हुई हैं और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारियों द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) इस समय केरल की सात बहुद्देश्यीय/जल विद्युत स्कीमें, जिनकी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं, केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं । इन स्कीमों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	परियोजना रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1- लोअर पेरियार	3 × 60	59.76	1976	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह स्कीम नवम्बर, 1981 में स्वीकृत कर दी है। पर्यावरण विभाग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है, जिसके प्राप्त हो जाने पर योजना में शामिल करने के लिए इस स्कीम की सिफारिश योजना आयोग को की जाएगी।
2- करापारा कुरियारकुट्टी बहुद्देश्यीय परियोजना	95	48.55	1979	परियोजना रिपोर्ट की के० वि० प्रा०/के० ज० आ० में जांच की गई थी और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई थी। यद्यपि कुछ टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त हो गए हैं तथा अन्य टिप्पणियों के उत्तरों की अभी भी प्रतीक्षा है। चूंकि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है इस परियोजना का अनुमोदन पहले योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति को करना होगा। उसके बाद, विद्युत सम्बन्धी भाग पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
3- मनन्थवाड़ी बहुद्देश्यीय परियोजना	4 × 60	73.68	1981	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग और विद्युत विभाग में इस परियोजना की जांच की

1	2	3	4	5
				गई है और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। यद्यपि कुछ टिप्पणियों के उत्तर मार्च, 1981 में प्राप्त हो गए हैं किन्तु अन्य टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है। चूंकि परियोजना में काबिनी (कावेरी बेसिन) की एक सहायक नदी मनन्थवाड़ी के जल की सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए पश्चिम दिशा की ओर व्यपवर्तित किया जाना है, इस परियोजना के अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल करना होगा। चूंकि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है इसलिए इस परियोजना का अनुमोदन पहले योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति को करना होगा। उसके बाद विद्युत सम्बन्धी भाग पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
4- कुट्टीवाडी विस्तार स्कीम	—	13.05	1976	के० वि० प्रा०/के० ज० आ० में परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई है और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। जल-विज्ञान, सिविल डिजाइन और दरों और लागत के पहलुओं पर कुछ टिप्पणियों के उत्तरों की अभी प्रतीक्षा है। इस परियोजना में कावेरी बेसिन में काबिनी की एक सहायक नदी करमन्थोडी नदी के जल को वर्तमान कुट्टीयाडी बिजली घर में विद्युत उत्पादन में

1	2	3	4	5
				अभिवृद्धि करने के लिए, कुट्टीयाडी बेसिन में पश्चिम दिशा की ओर व्यपवर्तित किया जाना है। अन्तर्राज्यीय मामले हल हो जाने और परियोजना की विशिष्टियों को अन्तिक रूप दे दिए जाने के बाद स्कीम पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जाएगा।
5- पण्डियार पुन्नापुझा टेलरेस	2×35	21.95	1972	परियोजना रिपोर्ट की जाँच की गई हैं। तथापि, यह स्कीम तमिलनाडु प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई पण्डियार पुन्नापुझा परियोजना के टेलरेस विकास के रूप में लेने को प्रस्तावित की गई है। इस बारे में तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग की उपस्थिति में तमिलनाडु और केरल के बीच 1965 में एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत तमिलनाडु को यह अनुमति दी गई थी कि पश्चिम की ओर बहने वाली चिल्यार नदी की सहायक नदियों-पण्डियार और पुन्नापुझा नदियों के जल को वह विद्युत उत्पादन के लिए रोक ले और टेलरेस जल को उसी बेसिन में अनुप्रवाह में केरल द्वारा विद्युत उत्पादन और सिंचाई हेतु इस्तेमाल किए जाने के लिए छोड़ दे। बाद में इस बेसिन के कुछ पानी को पूर्व दिशा की ओर व्यपवर्तित करने के बारे में तमिलनाडु सरकार ने पुनर्विचार किया गया है।

1	2	3	4	5
				केरल सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले पर इस समय दोनों राज्य सरकारों द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है। तमिलनाडु स्कीम के कार्यान्वयन हेतु निर्णय ले लिए जाने के बाद ही केरल की पण्डियार पुन्नापुझा टेलरेस स्कीम पर स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकता है।
6. साइलैंट घाटी जल-विद्युत परियोजना	2×60	58.00	1977	परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा फरवरी, 1979 में स्वीकृति प्रदान की गई है। तथापि, समस्त विश्व के पर्यावरण विशेषज्ञों तथा परिस्थिति वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई गंभीर आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पुन: जांच की जा रही है।
7. पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना	750	565.15	अप्रैल, 1981	परियोजना रिपोर्ट की इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग तथा विद्युत विभाग में जांच की जा रही है। इस स्कीम की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद ही इसे तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने पर विचार किया जाएगा।

उर्दू प्रकाशन 'आजकल' की छपाई

4935. श्री जो० एम० बनातवाला : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उर्दू प्रकाशन "आजकल" की कितनी प्रतियां छापी जाती हैं ;

(ख) क्या इसकी अधिक मांग तथा इसके उपलब्ध होने को ध्यान में रखकर इसकी प्रतियों में वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री कुमुद बेन० एम० जोशी) (क) दिसम्बर, 1981 के लिए 7,500

(ख) और (ग) सरकार प्रकाशन का प्रिंट आर्डर बढ़ाकर बढ़ी हुई मांग को पहले ही पूरा कर रही है।

बिहार में बिजली घरों का उपयोग

4936. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के संकरी बिजली घर, दरभंगा राज बिजली घर, दरभंगा विद्युत कम्पनी के पिछले बिजली घर और अन्य निष्क्रिय तापीय तथा डीजल बिजली घरों विशेषकर उत्तरी बिहार के बिजली घरों की उपयोगिता के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; क्या वे पुन: पूरी तरह चालू किये जायेंगे और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तंजौर तमिलनाडु में तेल के लिए सर्वेक्षण

4937. **श्री थाझाई एम० करुणानिधि** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या भारत सरकार ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में भूमिगत तेल के संसाधनों की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) जी, हां। तंजौर जिला तटीय कावेरी बेसिन का मुख्य भाग है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने सन् 1958 से कावेरी बेसिन भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किये हैं, जिसमें 11,160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में टोह सर्वेक्षण, 5140 वर्ग किलोमीटर में अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण तथा 2860 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सर्वेक्षण किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, सतह आंकड़ों को संपूरण करने के लिए कुल 11,073 मीटर मीटरेज के 48 शेलो बोर छिद्रों का व्यधन भी किया गया है।

कछारी क्षेत्रों में, भू-भौतकीय सर्वेक्षण 1659 में प्रारम्भ किये गये थे। अभी तक गुरुत्व चुम्बकीय सर्वेक्षणों के 19035 स्टेशन, विद्युत सर्वेक्षणों के 1432 लाइन किलो मीटर, तथा भू- कम्पीय सर्वेक्षणों के 10,870 लाइन किलो मीटर पूरे किये गये हैं। इन सर्वेक्षणों का मुख्य भाग तंजौर जिले में आता है।

जली/नष्ट हुई पेट्रोलियम गैस

4938. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न तेल शोधक कारखानों, पुराने तेल क्षेत्रों और तट दूर ड्रिलिंग के स्थानों पर पेट्रोलियम गैस बहुत अधिक मात्रा में जल जाती है या बेकार हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न तेल शोधक कारखानों आदि में पृथक पृथक इस प्रकार प्रतिवर्ष कितनी तथा कितने मूल्य की पेट्रोलियम गैस जल जाती है या नष्ट हो जाती है ; और

(ग) गैस के इस नष्ट होने को रोकने तथा इस ऊर्जा के उपयोग के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इस दिशा में आने के लिए क्या कदम सोचे गये हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. वर्ष 1980-81 के दौरान तटवर्ती तथा अपतटीय तेल क्षेत्रों में गैस का उत्पादन, उपयोग और जलाया जाना निम्नलिखित रूप में हुआ था :-

	उत्पादन	उपयोग	जलायाजाना
असम	842	585	257
गुजरात	843	677	166
अपतटीय	673	293	380
योग	2358	1555	803

2. सर्व प्रथम एक शोधनशाला में उत्पादित गैस को खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के उत्पादन को अधिकतम करने के प्रयोग में लाया जाता है इसके उपरांत इसके एक भाग को शोधनशाला की भट्टियों में ईंधन के रूप में जलाया जाता है। बकाया मात्रा जो न्यूनतम होती है उसको सुरक्षा एवं संचालान्तमक कारणों के लिए जला दिया जाता है। क्योंकि बकाया गैस की मात्रा को तकनीकी रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है इसका मूल्य पूर्णतया सही नहीं आंका गया है।

3. असम में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की गैस की उपयोग योजना नीचे दर्शाया गयी है :-

(1) चाय बागानों को सप्लाई की जा रही गैस	22,000 घन मीटर प्रतिदिन
(2) लकवा के निकट 3×15 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए ए० एस० ई० बी० के साथ ठेका	
(दिनांक 2.4.81 से सप्लाई आरम्भ हुई थी)	2,30,000घन मीटर प्रतिदिन
(3) गलेकी स्थित ए० एस० ई० बी० के 3×3 मेगावाट मोबाइल जेनरेटिंग सेटों को दिया गया आश्वासन (दिनांक 17.3.81 से सप्लाई आरम्भ हुई)	90,000 घन मीटर प्रतिदिन
(4) नामरूप उर्वरक संयंत्र के विस्तार यूनिट के तीसरे चरण के लिए निर्धारित गैस (वर्ष) 983-84 के दौरान गैस प्राप्त करने की संभावना है।	4,50,000 घन मीटर प्रतिदिन
(5) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रों में उत्पादन प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा रही गैस।	35,000 घन मीटर प्रतिदिन

आयल इण्डिया लि० की उपयोग योजना निम्नलिखित रूप में है।

(1) मार्किट सप्लाई	सप्लाई की दर (घन मीटर प्रतिदिन
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० (एच० एफ० सी० एल०) चरण और	9,70,000
असम राज्य विद्युत बोर्ड	8,87,000
इण्डियन आयल कारपोरेशन (असम आयल प्रभाग)	2,22,000
असम गैस कम्पनी (ए० सी० सी०)	55,000
असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ए० पी० एल०)	1,34,000
डिगरी गैस ग्रिड (एम० जी० जी०)	55,000
मोरान गैस ग्रिड (एम० जी० जी०)	55,000
डम डम गैस ग्रिड (डी० डी० जी० जी०)	1,38,000
अन्य लघु उपभोक्ता	19,000
	25,35,000
(2) ओ० आई० एल० के अन्तर्गत औद्योगिक उपयोग	7,00,000

(3) अतिरिक्त योजनाएं जिनके लिए गैस का आश्वासन दिया गया है।	घन मीटरों में प्रतिदिन वचन बद्ध की गई गैस की मात्रा
(1) नामरूप फर्टिलाइजर विस्तार प्रयोजना, चरण (1)	7,00,000
(2) वर्ष 1982 के आरम्भ में चालू किये जाने वाले एल० पी० जी० संयंत्र	1,10,000
3. ए० एस० ई० बी० का मोबाइल गैस टर्बाइन	2,00,000
	10,00,000

पश्चिमी क्षेत्र : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का दोनों अर्थात सम्बद्ध तथा उन्मुक्त गैस का वर्तमान उत्पादन लगभग 22.5 लाख सी० एम० डी० का है जिसमें से 21.84 लाख सी० एम० डी० मात्रा निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार अनुबंधित हैं :—

	लाखों में (घन मीटर/प्रति दिन
(1) फीड स्टाक के प्रयोग हेतु	13.25
(2) विद्युत सृजन हेतु	4.90
(3) औद्योगिक ईन्धन के रूप में प्रयोग हेतु	3.19
(4) घरेलू खपत हेतु	0.50
योग :	21.84

4. बम्बई हाई से प्राप्त सम्बद्ध गैस का उपयोग :

बम्बई हाई से तेल के साथ उत्पादित की गई सम्बद्ध गैस की वर्तमान उत्पादन दर लगभग 4 मिलियन घन मीटर प्रति दिन का है। एल० पी० जी० उत्पादन सहित आन्तरिक खपत 0.6 मिलियन घन मीटर की है। राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजरस को प्रति दिन एक 1.46 मिलियन घन मीटर सप्लाई की जा रही है जिसको प्रतिदिन 1.8 मिलियन घन मीटर तक बढ़ाया जाना है। आर० सी० एफ० द्वारा प्रयोग नहीं लायी गई गैस की मात्रा को विद्युत सृजन हेतु टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी (टी० ई० सी०) को दिया गया है। टी० ई० सी० को इस समय 0.6 से 0.8 मिलियन घन मीटर गैस की सप्लाई की गई है। प्रयोग में न लायी गई गैस को जलाया जाता है।

5. तटवर्ती एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों में लायी गई गैस के मूल्य के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

जोरबाग टेलीफोन एक्सचेंज में प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन

4939. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तार विभाग ने दिवाली उत्सव के अवसर पर घोषणा की थी कि नवम्बर, 1981 में नेहरू पैलेस टेलीफोन एक्सचेंज शुरू होने पर जोरबाग टेलीफोन एक्सचेंज में जिन व्यक्तियों का नाम 20 जनवरी, 1979 तक प्रतीक्षा सूची में था उन्हें टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायेंगे ;

(ख) यदि हां, टेलीफोन कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं ;

(ग) घोषणा को कार्यरूप देने की अस्थायी तिथि क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। नेहरू प्लेस में नए टेलीफोन एक्सचेंज की संस्थापना के परिणाम स्वरूप जोरबाग टेलीफोन एक्सचेंज में गैर ओ० वाई० टी०—सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत 22.1.79 तक दर्ज प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है न कि 20.1.79 तक।

(ख) से (घ) चूंकि नेहरू प्लेस में नए टेलीफोन एक्सचेंज की संस्थापना 16-12-81 में कर दी गई है और जोरबाग एक्सचेंज नए कनेक्शन देने की स्थिति में हो गया है, जोरबाग एक्सचेंज से अब उत्तरोत्तर नए कनेक्शन प्रदान किये जा सकेंगे।

टेलीफोन अन्तरण नियमावली

4940. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन अन्तरण नियमावली के अधीन एक स्वामित्वधारी फर्म जब साझेदारी फर्म बन जाती है और फर्म का नाम बदल दिया जाता है और फर्म का स्वामी एक साझेदार बन जाता है तो टेलीफोन को उस फर्म के नाम में देने की अनुमति है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने मामले सरकार के नोटिस में आये हैं और क्या यह अनुमति दिल्ली में विशेषकर दिल्ली छावनी में नहीं दी जाती ;

(ग) इन मामलों को सही करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) कोई नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में उत्पादित बिजली की मात्रा तथा उसमें से तमिलनाडु और कर्नाटक को बेची गई बिजली की मात्रा

4941. **श्री बी० के० नायर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में कुल कितनी बिजली का उत्पादन हुआ और इसमें से कितनी बिजली की राज्य में खपत हुई और कितनी बिजली तमिलनाडु और कर्नाटक को बेची गई ;

(ख) क्या इसमें से 20 प्रतिशत बिजली बेकार जाने दी जाती है ;

(ग) इससे कितनी धनराशि की हानि हुई ;

(घ) क्या ट्रांसमिशन सुविधाएं उपलब्ध कराने और बिजली के अधिकतम उपयोग के लिए कोई योजना बनाई गई है ; और

(ङ.) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केरल में पिछले वर्षों में हुआ केन्द्रवार ऊर्जा उत्पादन दिखाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 1976-77 से 1980-81 तक की अवधि के दौरान केरल में ऊर्जा की निवल खपत तथा तमिलनाडु और कर्नाटक को दी गई निवल ऊर्जा नीचे दिये अनुसार थी :

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
निवल खपत	2601	2836	3057	3205	3595
तमिलनाडु को दी गई निवल ऊर्जा	540	1606	1634	893	931
कर्नाटक को दी गई निवल ऊर्जा	—	—	463	990	710

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ.) 220 के० वी० की इदुक्की-उदमलपेट (केरल-तमिलनाडु) पारेषण लाइन का निर्माण प्रगति पर है। इदुक्की-त्रिचुर उत्तर तथा सबरीगिरि-त्रिवेन्द्रम की 220 के० वी० की दो और पारेषण लाइनों को अभी हाल ही में स्वीकृति दी गई है।

विवरण

केरल में पिछले पांच वर्षों (1976-77) से 1980-81 के दौरान हुआ केन्द्रवार ऊर्जा उत्पादन दिखाने वाला विवरण

(सभी मिलियन यूनिट में)

	1976-77	1977-78	19 8-79	1979-:0	1980-81
कुट्टयाडी	182.23	269.87	251.19	224.38	256.78
शोलयार	161.11	198.99	232.46	160.92	180.66
पोरोगालकुठु	200.15	238.48	246.52	202.81	178.61
पालीवासन	184.97	179.72	226.02	248.94	234-06
सेंगुलम	127.?1	166.76	166.09	147.70	156.31
पारियार	39.39	95.52	7270	103.79	106.25
नारीमंगलम	206.76	292.24	2?1.37	304.60	243.58
साबरींगिरि	1066.97	1065.51	1337.54	1469.60	1282.42
इदुक्की	993.35	1962.69	2367.30	2249.60	2623.23
जोड़ (सकल उत्पादन)	3162.16	4469.78	5191.19	5112.34	5261:90
जोड़ निवल उत्पादन	3141.00	4442.00	5154.00	5088.00	5236.00

1979. में डाकतार महानिदेशालय द्वारा जारी अनुदेश

4942. **श्री चंद्रभान आठरे पाटिल** संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकतार महानिदेशालय ने 1979 में अनुरोध जारी किये थे कि यदि किसी दोषी अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र वापस ले लिया जाये तो अनुप्राशनात्मक कार्यवाही करने वाले प्राधिकारी तब तक नई कार्यवाही नहीं कर सकते जब तक ऐसे वापस लेने के आदेश में मूल आरोप पत्र को रद्द कमने वापस करने/वापस लेने के कारण बताते हुए नया अनुवर्ती आरोप पत्रकारी करने के इरादे का उल्लेख नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तोइस सम्बन्ध में अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या ये अनुदेश केन्द्रीय सिविल सेवा (सी० सी० एन्ड ए०) के सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीयों पर लागू होते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) तथा (ख) डाकतार विभाग ने 5 जुलाई 1979 को अनुदेश जारी किए थे जिनमें यह स्पष्ट किया गया था कि अनुशासनिक प्राधिकारी दोषी कर्मचारी के विरुद्ध तब तक नये सिरे से कार्यवाही आरम्भ नहीं कर सकेंगे जब तक कि मूल आरोप पत्र को निरस्त करने के लिए अथवा कार्यवाही को समाप्त करने के लिए समुचित रूप से उल्लेख न हो कि कार्यवाही समाप्त की जा रही है तथा इससे मामले की परिस्थितियों में जो कार्यवाई उचित समझी जायगी उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ग) तथा (घ) डाक तार विभाग द्वारा अनुदेश केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गी० नियन्त्रण और अपील) नियमावली से नियन्त्रित होने वाले कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं ।

पैट्रोलियम पदार्थों में मिलावट

4943. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या पेट्रोलियम, रसायन औरउर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई पर नियन्त्रण रखने और पैट्रोलियम पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को सलाह दी गई है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी मिलावट करने तथा इन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाही के सम्बन्ध में रिपोर्ट मिल रही है ; और

(ग) क्या इन पदार्थों में मिलावट करने और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में तमिलनाडु सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी हां, ।

(ख) समय-समय पर राज्य सरकारों से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती हैं ।

(ग) तमिलनाडु सरकार से वर्तमान वर्ष के लिए कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

क्लोरैमफेनिकोल की मांग

4944 श्रीमती संयोगिता राणे : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्लोरमफेनिकोल और इसके ई-टरों की अगले पांच वर्षों में अनुमानित मांग कितनी की है ;

(ख) क्या हमारे देश में बुनियादी स्तर पर उत्पादन से मांग पूरी की जाएगी और

(ग) यदि हां, तो कैसे और यदि नहीं तो सरकार बहुत से लघु उद्योग एककों तार एल-बेस से तैयार किए जा रहे, क्लोरमफेनिकोल की तुलना में बुनियादी स्तरों पर मांग और सप्लाई का अन्तर कैसे पूरा करेगी ।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 5 प्रतिशत वृद्धि दर (मिश्रित) के आधार पर अगले पांच वर्षों में देश में क्लोरेमफेनिकल की मांग निम्न प्रकार होने की आशा है :—

1982-83	290 मी० टन
1983-84	305 मी० टन
1984-85	390 मी० टन
1985-86	330 मी० टन
1986-87	353 मी० टन

(ख) और (ग) फिलहाल मूल स्तर से क्लोरेमफेनिकल का स्वदेशी निर्माण उद्योग की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

तथापि मांग और निर्माण के बीच अन्तर को बल्कि क्लोरेमफेनिकोल के तरणविद्ध आयात से तथा वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा एल-बेस जैसे मध्यवर्तियों के आयात से भी पूरा किया जाता है ।

इंटरमीडिएटों पर सीमा शुल्क के कारण औषधि मूल्यों में वृद्धि

4945. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1981 में इन्टरमीडिएटों पर सीमा शुल्क में वृद्धि से अन्तिम रूप से तैयार उत्पादों के मूल्य अधिसूचित मूल्य से अधिक हो जाएंगे ;

(ख) लघु उद्योग एककों को इस लेखे में राज सहायता मंजूर करने के लिए औषध मूल्य समीकरण लेखे में कितना प्रावधान शेष है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने निम्नलिखित चार औषध मध्यवर्तियों पर उपलब्ध सीमा शुल्क रियायत को वित्त

मंत्रालय राजस्व विभाग की दिनांक 27 नवम्बर, 1901 की अधिसूचना के जरिए समाप्त कर दिया है :—

(1) एल-वेस

(2) डी-अल्पा फिनाइल ग्लाईसिन्स

(3) डी 2- एमिनोवूटा नोल

(4) गुनीडाइन हाईड्रोक्लोराइड

इस स्तर पर यह कहना सम्भव नहीं है कि उपरोक्त चार औषध मध्यवर्तियों पर सीमा शुल्क रियायत समाप्त करने से सम्बन्धित बल्क औषधों के मूल्यों में कोई वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं ।

(ख) और (ग) कोई आर्थिक सहायता दिए जाने, का प्रश्न तभी उठता है जब सरकार इन बल्क औषधों के फूल/सामान्य बिक्री मूल्य की तुलना में पूर्व मध्यवर्ती स्तर के लिए सम्बन्ध बल्क औषधों के लिए कोई अलग प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करती है ।

ड्रग्स इंटरमीडिएट पर उत्पादन शुल्क

4946. **श्री टी० एम० सावंत** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ ड्रग्स इन्टरमीडिएट पर सीमा शुल्क में हाल ही में की गयी तीव्र वृद्धि के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था ?

(ख) उन लघु उद्योग एककों की संख्या तथा क्षमता क्या है जो इन ड्रग्स इंटरमीडिएट से उत्पादित आयात अनुकल्प अन्तिम उत्पादन का कर रहे हैं ;

(ग) क्या लघु उद्योगों द्वारा डी० पी० सी० ओ० के अन्तर्गत अधिसूचित मूल्य पर तैयार उत्पादन को न बेच पाने के कारण इन लघु उद्योगों की क्षमता बेकार हो जायेगी और ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने लघु उद्योगों को चालू रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हलधर सिंह) : (क) सरकार ने वित्त मन्त्रालय राजस्व विभाग की दिनांक 27 नवम्बर 1981 की अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित 4 मदों पर सीमा शुल्क की रियायती दर समाप्त कर दी है जिसकी घोषणा मार्च, 1979 में की गयी थी ।

(1) एल-वेस

(2) डी अल्पा फिनाइल ग्लाइसिन

(3) गुमीडाइन हाईड्रोक्लोराइड

(4) डी 2- एमीनोबूटानोल

रियायती शुल्क को समाप्त करने का कारण यह है कि डी-अल्पा फिनाइल ग्लाइसिन और गुनीडाइन हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग देश में औषध निर्माताओं द्वारा अनिवार्य औषधों के निर्माण के लिए नहीं किया जा रहा और उनके स्थान पर गुनीडाइन नाइट्रेट और डी-अल्पा फिनाइन ग्लासिन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया जा रहा है जिस पर रियायती सीमा शुल्क उपलब्ध है। जहां एक एल बेस और डी 2-एमिनोबूटानोल का सम्बन्ध है, इन पर से रियायती सीमा शुल्क को इसलिए हटाया गया था कि उनके सम्बन्धित औषधों का उत्पादन मूल स्तर से किया जा सके।

(ख) से (घ) चार मामलों में से तीन मामलों में कुछ वल्कि औषधों जिसके लिए वे तीन मध्यवर्ती अपेक्षित है, के उत्पादन के लिए अपेक्षित अन्य मध्यवर्तियों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क की रियायती दर लागू है और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित वल्कि औषधों के मूल्यों पर बेच सकते हैं। शेष मामलों में (अर्थात एल-बेस) उनके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर लघु एककों के पास आपात लाइसेंस है वे इस मध्यवर्ती को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर स्टेट के कैमिकल्स एण्ड फार्मास्कूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० से प्राप्त कर सकते हैं।

जहां तक सम्वत वल्क औषधों के मूल्यों का सम्बन्ध है, यदि उनमें और संशोधन की आवश्यकता हुई तो उसके लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधान लागू होंगे।

23 अक्तूबर, 1981 को वेस्ट कोलफील्ड्स लिमिटेड की कार्यकारणी के समक्ष मन्त्री का भाषण

4947. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 23 अक्तूबर, 1981 को "वेस्ट कोल फील्ड्ज लिमिटेड" की कार्यकारिणी को सम्बोधित करते हुए कहा था कि ट्रेड यूनियन के नेताओं में श्रमिकों का विश्वास समाप्त हो गया है और सरकारी क्षेत्र की कार्यकारिणी को यह कमी दूर करने के लिए उनका काम अपने हाथ में लेना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ट्रेड यूनियनों को अधिकारियों द्वारा बदलने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) जसा आरोप लगाया गया है, वैसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इटली की माइक्रोपेरी द्वारा प्लेटफार्म का निर्माण

4948. **श्री नारायण चौबे** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की माइक्रोपेरी फर्म को जो मूलरूप से एक साल्वेज (रद्दी माल) की ठेकेदार है, बम्बई हाई में एस० लाई० प्लेटफार्म बनाने का ठेका दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है ;

(ग) क्या इसी कम्पनी को वैकल्पिक कार्य के लिए कहा गया था वित्त अर्थात मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा देने से एन० यू० प्लेटफार्म का निर्माण करने हेतु ;

(घ) क्या उक्त कम्पनी एस० आई० कार्य में दोषी है ; और

(ङ) क्या उनके मन्त्रालय ने एस० आई० प्लेटफार्म बनाने के लिए माइक्रोपेरी की फिर सिफारिश की है और यदि हां, तो ऐसा क्या सोच कर किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इटली की मैसर्स माइक्रोपेरी नामक एक फर्म है जो अपतटीय प्लेटफार्मों और पाइप लाइनों की स्थापना करने के मुख्य रूप से मैरीन ठेकेदार हैं। विश्वव्यापी टैन्डरों के आधार पर एन० यू० नामक एक अन्य प्लेटफार्म की स्थापना के विकल्प के समय एस० ई० और एस० आई० प्लेटफार्मों और पाइप लाइनों की स्थापना हेतु एक ठेका मैसर्स माइक्रोपेरी नामक कम्पनी को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दिया गया था क्योंकि उनका प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त प्रस्ताव सबसे कम मूल्य का पाया गया था।

(ख) मैसर्स माइक्रोपेरी द्वारा एस० ई० तथा एस० आई० प्लेटफार्मों की स्थापना करने तथा पाइपलाइनों और राइसर्स से को बिछाने हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सरकार द्वारा 2,05,54,600 अमेरिकन डालर के लिये विदेशी मुद्रा जारी की गई थी।

(ग) जी, हाँ। ठेके के प्रावधानों के अन्तर्गत मैसर्स माइक्रोपेरी को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एन० यू० नामक एक अतिरिक्त प्लेट फार्म की स्थापना का वैकल्पिक कार्य दिया गया था। एस० ई० और एस० आई० प्लेटफार्मों की स्वीकृति के लिए अनुरोध करते समय मैसर्स माइक्रोपेरी को अतिरिक्त प्लेटफार्म के कार्य को भी सौंपने की सम्भावना को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सरकार को सूचित कर दिया गया था। तथापि, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करने हेतु सरकार से अनुरोध नहीं किया गया था क्योंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कुछ मैरीन पाइप लाइनों के कार्य को रद्द करने के कारण परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में बचत होने से, अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी।

(घ) जी, नहीं। तथापि, एन० यू० प्लेटफार्म के अतिरिक्त कार्य को देने के साथ, समस्त तीनों प्लेटफार्मों के लिए विभिन्न कार्य की मदों को पूरा करने हेतु प्राथमिकताए उनको बता दी गई थीं जिससे कि इन सुविधाओं को पूरा किया जा सके तथा मानसून के बाद तत्काल प्रयोग में लाया जा सके। इसको वे पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे यद्यपि मानसून के आरम्भ होने से पहले कुछ गौण निम्न प्राथमिकता कार्य पूरे नहीं होंगे।

(ङ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मैसर्स माइक्रोपेरी की एस० जे० प्लेटफार्म की

सिफारिश इसलिए की गई थी क्योंकि उनकी दरें सबसे अधिक प्रतियोगी तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यक्रम की डिलीवरी कार्यक्रम को पूरा करने वाली पाई गई थीं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

विश्व बैंक सहायता के लिए राज्य विद्युत परियोजना

4949. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने विद्युत परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) केन्द्र द्वारा उनके प्रस्ताव अग्रेषित न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार।

(ख) विश्व की सहायता हेतु वर्ष 1984-85 तक प्रस्तुत की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं की श्रृंखला निर्धारित की जा चुकी है। तथापि, भविष्य में सहायता के लिए विद्युत परियोजनाओं का निर्धारण करते समय राज्य सरकार के सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का पेट्रोलियम पदार्थों की एजेंसी

4950. **श्री राम लाल राही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनाजतियों के लिए उद्योग और कारोबार के स्थानों का पूरा करने हेतु (पेट्रोल, डीजल मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस की डीलर शिप या एजेंसी) व्यक्तियों का चयन किस मानदण्ड के आधार पर किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि विभाग द्वारा इस मानदण्ड की अनदेखी की जाती है और आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए सभी डीलर शिप्स/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 25% आरक्षण एक रोस्टर प्रणाली और विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है, अतः चयन समिति द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। आरक्षण नीति के आरम्भ होने से निर्दिष्ट कोटा मोटे तौर पर हासिल किया गया है/किया जा रहा है।

तेल तथा प्राकृतिम गैस आयोग, देहरादून में भ्रष्टाचार

4951. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून के एक उप-निदेशक, जिसके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक अन्य अधिकारी का अनुग्रह चैक भुनाने के सम्बन्ध में बेईमानी का मामला दर्ज किया हुआ है, को वरिष्ठ उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, उक्त उपनिदेशक को वरिष्ठ उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत करने के क्या कारण हैं जबकि उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने मामला दर्ज किया हुआ है ; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) उक्त उप-निदेशक की 19-4-1979 से वरिष्ठ उप-निदेशक के पद पर पदोन्नति की गई थी जबकि सी० बी० आई० ने फरवरी 1980 में न्यायालय में औपचारिक चार्ज-शीट दायर की थी, अर्थात् उनकी पदोन्नति के 10 मास बाद ।

(घ) इस मामले में न्यायालय के निर्णय के आधार पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाई की जायेगी ।

रूस का वैधान परियोजना को आर्थिक सहायता देने से पीछे हटना

4952. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित वैधान सुपर तापीय परियोजना को रूस द्वारा आर्थिक सहायता देने के वायदे से पीछे हटने के कारण इसका भविष्य खतरे में पड़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना इस धारणा से शुरू की गई थी कि इस परियोजना पर व्यय होने वाली अनुमानित 50 करोड की लागत का वहन रूस करेगा ;

(ग) यदि हां, तो रूस द्वारा इस बारे में आग्रह किए जाने के क्या कारण थे ; और

(घ) इसके मुख्य कारण क्या थे और क्या इस बारे में कोई समझौता फार्मूला तय किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं । दिसम्बर, 1980 में हस्ताक्षर किए भारत-सोवियत तकनीकी सहयोग समझौते में 520 मिलियन रूबल के ऋण का

प्रावधान है। मध्य प्रदेश में बंधन में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित सुपर ताप विद्युत परियोजना हेतु ऋण सहायता भी इसमें शामिल है। परियोजना के केवल रूबल वाले भाग का वित्त पोषण ही इस ऋण द्वारा किया जाना है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन सुधारों के संबंध में राजनीतिक दलों की सिफारिशें

4953. **श्री आर० पी० यादव :**

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाचन सुधारों के संबंध में विपक्षी दलों की निर्वाचन सुधार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) प्रश्न में निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के बारे में विपक्षी दलों को जिन सिफारिशों का उल्लेख किया गया है वे संभवत: नौसदस्यों वाली समिति की सिफारिशें हैं जिनके बारे में यह बताया गया है कि वह समिति जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर द्वारा लिखे गए नोट के आधार पर व्यापक निर्वाचन सुधार तैयार करने के लिए 17 जुलाई, 1981 को विपक्षी दलों द्वारा नियुक्ति की गई है। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उस नोट में वस्तुत: उन उपायों का संक्षिप्त विवरण है जिनका सुझाव उन विभिन्न समितियों या आयोगों ने दिया है कि जिन्होंने इस विषय की समीक्षा की है।

विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझाव, जिनके अन्तर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें भी हैं, पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों पर अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात और अन्तिम विनिश्चिय करने से पूर्व इन पर राजनैतिक दलों के साथ और जहां कहीं आवश्यक होगा राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

वनस्थली विद्यापीठ के कर्मचारियों को कुकिंग गैस कनेक्शनों का आवंटन

4954. **श्री भोखाभाई :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर भारत में एक प्रमुख शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को उसके कर्मचारियों के लिए कुकिंग गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एल० पी० जी० कनेक्सनों की श्रेणी वार संख्या क्या है ;

(ग) उनके कर्मचारियों के अन्य स्थानान्तरित हो जाने, सेवानिवृत को जाने की स्थिति

में उनके नाम एल० पी० जी० कनेक्शनों के स्थानान्तरण को विनियमित करने सम्बन्धी नियम क्या हैं ;

(घ) क्या उक्त संस्थान के कर्मचारियों की सेवानिवृति । स्थानान्तरण से पूर्व इस संस्थान द्वारा एल० पी० जी० कनेक्शन वापस ले लिए जाते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उरर्वक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) वनस्थली विद्यापीठ को खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के 50 कनैशन स्वीकृत किए गए हैं। वगवार ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

स्टाफ के लिए घरेलू कनैक्शन	200
होस्टल	189
प्रयोगशालाएं	20
अस्पताल	16
आरक्षित भन्डार	75
	500

(ग) से (ङ.) संस्थानों के कर्मचारियों को गैस कनैक्शन उनके अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए जारी किये जाते हैं, इस कारण रिटायर होने पर या स्थानान्तरण होने पर खाना पकाने की गैस के कनैकशन संस्थान को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता है।

सालबुटामोल के उत्पादन के लिए मैसर्स ग्लैक्सो को लाइसेंस जारी किया जाना

4955. श्री सारिक अनवर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) क्या यह सच है कि सालबुटामोल के उत्पादन के लिए मैसर्स ग्लैक्सो को दिया गया आशयपत्र समाप्त हो गया है यदि हां तो कब और यह आशय पत्र किस तारीख तक के लिए वैध था ;

(ख) क्या यह सच है कि एल० पी और एम० आर० टी० पी० सालबुटामोल के लिए मैसर्स ग्लैक्सो की दिये गए आशय पत्र को वैधता बढ़ाने पर सहमत हुए थे और उसने उसके मन्त्रालय की सिफारिश की अस्वीकार कर दिया था ; एल० सी० एम० आर० टी० पी० द्वारा यह निर्णय कब लिया गया था ; और

(ग) यदि हां तो वह कौन सी परिस्थितियां थी, जिसके कारण इस कम्पनी की एल० सी० एच० एम० आर० टी० पी० के निर्णय की सूचना नहीं दी गई ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सालबूटाभोल के निर्माण के लिए मैसर्स ग्लैक्सो को दिये गये आशय पत्र को उसकी 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता अवधि से आगे नहीं पाया गया है और न ही आशय पत्र को रद्द माना गया है।

(ख) जी हां जून 1980 में।

(ग) समिति के निर्णय पार्टी को आमतौर पर अनुमोदित कार्यकृत प्राप्त होने पर सूचित किये जाते हैं। मैं० ग्लैक्सो के मामले में अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय का अभ्यावेदन, अनुमोदित कार्य कृत प्राप्त होने से पहले से पहले प्राप्त हुआ था कि आशय पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए उन्होने वैधता अवधि के अन्दर ही आवेदन किया है। निर्णय सूचित नहीं किया गया था क्योंकि यह जांच करने का प्रस्ताव था कि क्या इस मामले को अनुमोदित समिति को वापस भी जा सकता है।

भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा पंचाटों को क्रियान्वित न किया जाना

4956. श्री के० राममूर्ति : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधिकरणों के पंचाटों को 15 विशिष्ट मामलों में क्रियान्वयन नहीं किया गया है ; और

(ख) मन्त्रालय द्वारा भारत कोकिंग कोल लि० में औद्योगिक सम्बन्धों का अध्ययन करने हेतु भेजे गए दल की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) श्रम मन्त्रालय की एक अध्ययन टीम ने कोयला कम्पनियों में विवादों को निपटाने वाली व्यवस्था के अध्ययन के लिए अन्य कम्पनियों के साथ-साथ भा० को० को० लि० का दौरा किया। इस टीम की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

ईरान के अशोधित तेल के आयात हेतु करार

4957. श्री एच० एन० नञ्जे गौडा ; क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 में अशोधित तेल के आयात के लिए भारत और ईरान के बीच प्रस्तावित करार की मुख्य मुख्य बाते क्या हैं, और वर्ष 1982 में कुल घरेलू मांग को ईरान द्वारा कहां तक पूरा किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : नेशनल इरानियन आयल कम्पनी के साथ करार किये गए हैं जिनके अनुसार 1982 के दौरान, करीब 3.3 मि० मी० टन खनिज (क्रूड) तेल का आयात किया जाएगा। इससे खनिज (क्रूड) तेल की कुल मांग का करीब 9.3 प्रतिशत भाग पूरा होगा आगे और ब्यौरे देना जन-हित में नहीं है।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा इयिलजन में प्रशिक्षुता कार्यक्रम के लिए योजना

4958. **श्री चिंगब्रांग कोडयक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इन्डिला लिमिटेड का स्थानीय ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर डलियाजान में प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो प्रशिक्षण योजनाओं में कौन-कौन से मुख्य व्यवसायों को शामिल किया गया है ;

(ग) इसें कम्पनी द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इस लागत का कितना भार वहन करेंगी ; और

(घ) इसके फलस्वरुप कितने ग्रामीण बेरोजगार युवकों को खपाये जाने की संभा ना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) आयल इन्डिया लिमिटेड में वर्ष 1968 से प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत) विद्यमान है। उन लड़कों में से कुछ को प्रशिक्षण दुलियाजान में दिया जाता है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सफल होकर आते हैं।

(ख) फिटर, टर्नर मशीन चालक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, मोटर गाड़ी का मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, बायनल अटैन्डैंट, संरचनातमक तथा सर्वेक्षक फिटर नामक सम्बन्धित व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) आवश्यक फर्नीचर तथा निशुल्क चिकित्सा सुविधा सहित समस्त निशुल्क सेवाओं सहित निशुल्क होस्टल आवास की सुविधाएं हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित छात्र-वृति का भी भुगतान करती है। कम्पनी नियमित कर्मचारियों के समान ही राशन स्टोर्स की सुविधाएं प्रदान की जाती है। स्कीम के लिए 2.21 लाख रुपये का कुल वार्षिक व्यय खर्च किया गया है।

(ग) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण स्कीम को पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को खपाने का कोई वायदा नहीं किया गया है।

कर्नाटक को मिट्टी के तेल की सप्लाई

4959. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने मिट्टी के तेल के पम्पसेटों को मिट्टी के

तेल की सप्लाई न किये जाने हेतु आदेश जारी किये हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) मिट्टी के तेल की कमी को बूइर करने तथा कृषि पम्पसेटों को मिट्टी का तेल सप्लाई किये जाने में उठाई जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार की सहायता हेतु भारत सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) कर्नाटक सरकार ने इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिये हैं ।

(ख) मिट्टी का तेल (उपयोग प्रतिबन्ध) आदेश, 1966 के अन्तर्गत सिंचाई के लिए पम्पसेटो में मिट्टी के तेल का प्रयोग अनुमेय नहीं है । कर्नाटक तथा अन्य राज्य की सरकारों को इस सम्बन्ध में आदेश देने के लिये सलाह देने का प्रस्ताव है ।

आकाशवाणी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर

4960. **श्री वी० डी० सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जी० सी० ।1 ग्रेड में पदोन्नति इस प्रयोजन हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत कोटे पर परीक्षा के आधार पर की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है अगस्त 1981 में जारी किये गए एक आदेश द्वारा 50 वर्ष की आयु वाले कर्मचारियों के सी० जी० 16 ग्रेड में पदोन्नति हेतु परीक्षा में बैठने से रोक लगा दी गई है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन व्यक्तियों के जो 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और उन्हे पदोन्नति हेतु परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है, पदोन्नति के क्या अवसर हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । यह शर्त भारत सरकार के कार्यालयों पर लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तो के आधार पर निर्धारित की गई है । इस आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष की छूटहै ।

(ग) 50 वर्ष से अधिक/कम की आयु के समूह "घ" के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर इस प्रकार उपलब्ध हैं :-

(1) चपरासी से दफ्तरी ।

(2) दफ्तरी से सिलेक्श ग्रेड दफ्तरी ।

(3) चपरासी/दफ्तरी से कनिष्ठ वरिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर ।

गया में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भवन का निर्माण

4961. **श्री रूद्र प्रताप षाडंगी** : क्या सन्चार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या विभाग ने गया में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के भवन के निर्माण के लिए पहले ही भूमि ले ली है और इसका प्रारम्भिक निर्माण प्रारम्भिक कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा था और भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा गया के स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपकरण के आवंटन वर्ष 1982-83 के सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने की सम्भावना है और इस एक्सचेंज के वर्ष 1984-85 तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) (क) जी, हां

(ख) एक्सचेंज भवन के लिए प्राथमिक योजनाएं तैयार कर ली गई है तथा प्राथमिक प्राक्वलन की मंजूरी दी जाने वाली है ।1983 के अन्त तक भवन के तैयार हो जाने की संभावना है। एक्सचेंज के लिए आयातित उपस्कर अब 1983-84 के लिए आबंटित किया गया है। तथा इसके 1984-85 में चालू हो जाने की सभावना है।

दृश्य और श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा विरोधी दलों की अपेक्षा सत्तारूढ़ दल के कार्यक्रमों का प्रचार किया जाना

4962. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है दृश्य और श्रव्य प्रचार निदेशालय एक ऐसी एजेंसी है जो विरोधी दलों के कार्यक्रम तथा इसके समक्ष कार्य की अपेक्षा सत्तारूढ़ दल के कार्यक्रमों का प्रचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो, सार्वजनिक हित में जनवरी, 1980 से अब तक प्रकाशित किए गए कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कु० कुमुद बेनएम० जोशी) (क) से (ग) इस मन्त्रालय का विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय विभिन्न माध्यमों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों और विभाग की गतिविधियों, नीतियों और कार्यक्रम का प्रचार करने के एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में काम करता है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का बड़ी मात्रा में प्रचार कार्य राष्ट्रीय बचतों, परिवार कल्याण, स्वास्थ शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, कमजोर वर्गों के लोगों के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करने मद्य निषेध, प्रौढ़ शिक्षा, छुआ-छूत उन्मूलन के लिए शिक्षाप्रद और प्रेरक अभियानों. इन विषयों तथा सरकारी विभागों में पदों की भर्ती से सम्बन्धित सूचनाप्रद विज्ञापन तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए टेंडर रिलीज करने से

सम्बन्धित है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रमों का प्रचार किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

मैसर्स ब्रोहे लि० द्वारा प्राप्त किया गया क्लोरम्म फेनीकोल

4963. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ब्रोहे लि0 द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी निजी स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से कितना क्लोरम्म फेनीकोल प्राप्त किया गया।

(ख) क्या उन्होंने इस सामग्री को सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य से कम मूल्य पर बाजार से प्राप्त किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (ग) प्रश्न में दिया गया हवाला क्लोरम्म फेनीकोल चूर्ण के निर्माण में व्यस्त मै० वोहरिंगद नौल लि० से सम्बन्धित प्रतीत होता है। मांगी गई सूचना एकत्रित की जायेगी और सभा पटल पर रखी जायेगी।

विद्यमान टेलीफोन उपकरणों का बदला जाना

4964. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान टेलीफोन उपकरणों के बदले जाने की वार्षिक मांग क्या है तथा वर्तमान उत्पादन स्तर से इसमें से कितनी मांग को पूरा किया जा रहा है ; और

(ख) यदि वर्तमान उत्पादन से मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, तो क्या सरकार का कम से कम ऐसे लोगों के लिए इन उपकरणों का आयात करने का विचार है, जो इसके लिए विदेशी मुद्रा दे सकते हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय० एन० पाटिल) (क) वर्तमान टेलीफोन उपकरणों के बदले जाने की वार्षिक मांग 1981-82 के दौरान लगभग 90,000 है जिसे भारतीय टेलीफोन उद्योग की देशी वर्तमान उत्पादन क्षमता से पूरा किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० को लाइसेंस जारी किया जाना

4965. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० को वर्ष 1970 में सोडा एश का

1,40,000 टन विस्तार करने का लाइसेंस दिया गया था। जो वर्ष 1973 में पूरा हो गया था।

(ख) दिसम्बर, 1973 में मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० को और 1,40,000 टन अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने का लाइसेंस दिए जाने के साथ क्या शर्तें थी।

(ग) क्या इसके विस्तार के साथ रेल मार्गों को दोहरा करने तथा नमक कार्यों को दोहरा करने की शर्त लगी हुई थी,।

(घ) यदि नहीं तो मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० को इन शर्तों की सूचना कब दी गई थी; और

(ड.) क्या वे उक्त लाइसेंस के साथ लगाई गई शर्तों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) (क) मैसर्सटाटा कैमिकल्स लि० को उनके सोडा ऐश प्लांट की क्षमता 1,44,000 टन प्रति वर्ष तक गढ़ाने के लिए औद्योलाइसेंस सं० एल/19 (1) 70 रसा,-11/एम० ई० दिनांक 7.12.1970 दिया गया था लाइसेंस का जनबरी, 1979 में कार्यान्वयन हो गया।

(ख) और (ड.) मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० को सोडा ऐश की क्षमता 1,40,000 टन प्रतिवर्ष तक बढ़ान के लिए स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंस सं० सी० आई० एल० 15 (73) दिनांक 4.12.73 में निम्नलिखित शर्तें लगाई गई थी।

(1) औद्योगिक उपक्रम मीठापुर गुजरात में लगाया जाएगा।

(2) औद्योगिक लाइसेंस जारी जाने की तिथि से 2 वर्षों की अवधि में महत्वपूर्ण विस्तार पूरा हो जाएगा और वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा।

(3) 3,60,0000 टन प्रतिवर्ष तक विस्तृत क्षमता वाले यूनिट के चालू होने के तीन वर्ष की समाप्त के बाद कम्पनी पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष कम से कम 10,000 टन सोडा ऐश का निर्यात करेगी।

(4) किसी विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं होगी।

(5) कम्पनी अपने आन्तरिक संशाधनों से परियोजना की पूरी लागत वहन करेगी।

(6) औद्योगिक लाइसेंस दो वर्ष की अवधि के लिए वेद्य होगा जिसमें वाणिज्य उत्पादन प्रारम्भ करना होगा। यदि समय बढ़ाने की आवश्यकता हो तो कम्पनी उन परिस्थितियों जिसके अन्तर्गत और जिस अवधि के लिए समय बढ़ाने की आवश्यकता है का पूरा औचित्य दर्शाते हुए पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को आवेदन कर सकती है

(ग) जी नहीं।

(घ) कम्पनी ने अपने औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पक्ष में बताया था कि विस्तार योजना के लिए 2,70,000 टन लवण की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होगी और लवण का निर्माण कारखाने में ही होगा। दिसम्बर, 1975 में कम्पनी ने बताया कि फेरा अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी न मिलने के कारण उनका लवण कार्य रूका पड़ा है।

वर्ष 1972-73 के रेलवे बोर्ड के बजट में वीरमगांम से ओखा तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना शामिल किया गया था। परिवर्तन कार्य वर्ष 1978 तक पूरा होने की आशा थी। परिवर्तन अभी पूरा किया जाना है। मैसर्स टाटा केमिकल्स ने जनवरी, 1977 में सरकार को सूचित किया कि रेलवे लाइन को परिवर्तन करने में बिलम्ब के कारण उन्हें सोडा ऐश की विस्तार योजना के लिए अपेक्षित बढी मात्रा में ईधन कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन और हैंडलिंग में गम्भीर समस्या होगी।

"स्पाट" बाजार में कच्चे तेल का मूल्य

4966. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री एच० एन० नन्जे गौंडा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, और अक्तूबर, 1981 में विद्यमान मूल्यों की तुलना में "स्पाट" बाजार में नवम्बर में कच्चे तेल का मूल्य कम था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने "स्पाट" बाजार में मूल्य में कमी का लाभ उठाया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने कच्चे तेल की खरीद की थी ;

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा और किस मूल्य पर ; और

(ङ) कच्चे तेल के "स्पाट" मूल्य द्वारा कितनी बचत हुई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जैसा कि कुछ मार्किट पत्र/पत्रिकाओं में सूचित किया गया है कि सितम्बर और अक्तूबर, 1981 में विद्यमान मूल्यों की तुलना में ओ० पी० ई० सी० के कच्चे तेल के स्पाट मूल्य नवम्बर, 1981 के दौरान अधिक थे।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों पर मूल्य नियंत्रण को समाप्त किया जाना

4967. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ औषधियों पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो ऐसी औषधियों की सूची क्या है ;

(ग) भारत में सभी किस्म की औषधियों का निर्माण करने वाली फर्मों के नाम क्या है

(घ) वर्ष 1978 से 1980 तक इन सभी फर्मों ने वर्ष-वार कुल कितने लाभ अर्जित किया ; और

(ङ.) देश में जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण में लगी विदेशी फर्मों की संख्या क्या है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ.) जीवन रक्षक औषधों की कोई सम्मत सूची नही है । तथापि जहां तक प्रचलित आवश्यक औषध और फार्मूलेशनों जिनके मूल्य डी० सी० सी० ओ० 1979 के अन्तर्गत नियंत्रित है लगभग सभी विदेशी कम्पनियां भिन्न-भिन्न मात्रा में सभी औषधों/फार्मूलेशनों का निर्माण कर रही है

कालीदासपुर कोयला खान परियोजना

4968. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :**

श्री अजित कुमार साहा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले की कालीदासपुर कोयला खान परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना में उत्पादन कब प्रारम्भ होगा ; और

(ग) इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, और उसका ब्योरा क्या है ? -

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की कालिदासपुर खान के लिए आरभिक कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। परियोजना रिपोर्ट की जांच हो गई है और कम्पनी से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। आशा है कि आरंभिक उत्पादन वर्ष 1983-84 से होने लगेगा ।

(ग) कालिदासपुर परियोजना को 1013 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ।

सम्बलपुर में तार विभाग के कर्मचारियों को स्टाफ क्वाटरों का आवंटन

4969. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्बलपुर (उड़ीसा) में तार विभाग के कर्मचारियो के लिए बनाए गए 96 स्टाफ क्वार्टरों का अभी तक आवंटन नहीं किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) (क) जी हां। परन्तु क्वार्टरों की संख्या 90 है न कि 96

(ख) स्टाफ क्वार्टरों का आवंटन अब तक इस कारण नहीं हो सका है कि वास्तव में अभी संडास तथा बिजली कनेकशन नहीं लिए जा सके हैं तथा सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया गया है।

कार्य की असुरक्षात्मक स्थितियों में काम करने के सम्बन्ध में कोलरी मजदूर सभा द्वारा अभ्यावेदन

4970. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत खानों में मजदूरों को असुरक्षात्मक स्थितियों में काम करने के लिए कहे जाने पर, इन खानों के मजदूरों से शिकायत के सम्बन्ध में कोलरी मजदूर सभा आफ इन्डिया (सीटू) से दिनांक 6 सितम्बर, 1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) खान मजदूरों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम सिंह महाजन) : (क) से (ग) जी हां, । कोलियरी मजदूर सभा आफ इन्डिया ने अपने 6-9-81 के अभिवेदन में कुछ शिकायतें की थीं जो गलत पाई गईं। इसके आरोप इस बारे में थे कि कामगारों को ई० को० लि० की खानों में असुरक्षित कार्य दशाओं में काम करने के लिए कहा गया था। संक्षेप में यह इस प्रकार है :—

(1) तीर्थ कोलियरी डिगरी 3 की खान है और इसमें सुरक्ष उपायों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है।

(2) ई० को० लि० का प्रबन्ध मण्डल मजदूरों के खिलाफ दमन की कार्यवाई कर रहा है और उन्हें असुरक्षित कार्य दशाओं में काम करने के लिए बाध्य कर रहा है।

(3) कार्मिक विभाग के अधिकारी खानों पर नियन्त्रण कर रहे हैं और इस प्रकार कानून की सभी व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। वे लोग कामगारों को 8 घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

(4) खनिकों को खराब कैप लैम्प आदि बदलने के लिए ऊपर नहीं आने दिया जाता।

इन शिकायतों की जांच की गई है और आरोप सही नहीं पाए गए हैं जहां तक सुरक्षा का सवाल है, कम्पनी ने सभी स्तरों पर एक जोरदार अभियान शुरू किया है ताकि सुरक्षा कानूनों का कड़ाई से पालन हो। इस सम्बन्ध में कम्पनी ने, अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(1) एरिया सुरक्षा अधिकारी और मुख्यालय सुरक्षा अधिकारी को यह अधिकार दे दिए हैं कि यदि किसी खान में कार्यरत व्यक्तियों की जान को खतरा होने वाली कोई दशाएं हों तो उस खान/अनुभाग में काम बन्द करवा दें।

(2) कम्पनी के निदेशकों ने खानों के प्रभावी पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रणालियों के बारे में विशेष अनुदेश जारी किए हैं।

(3) जो खनन छतें अभी बनी हैं उनमें सहारे लगाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के यूनियन के महासचिव को पुनः काम पर लिए जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

4971. **श्री जायनाल अबेदिन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायधिकरण के निर्णय को पूरा करने के लिए यूनियन के महा सचिव को पुनः काम पर बहाल किए जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड कर्मचारी संघ, कलकत्ता से प्राप्त दिनांक 8 चुलाई, 1981 के अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये हैं तो उनके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विक्रम महाजन) (क) चूंकि कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता के महासचिव की सेवाएं गम्भीर कदाचार के अरोप में समाप्त की गई थीं। अतः राष्ट्रीय परियोजना निर्माणनिगम ने यह निर्णय लिया था कि औद्योगिक न्यायधिकरण, कलकत्ता के अधिनिर्णय का विरोध कलकत्ता उच्च न्यायालय में किया जाए। उच्च न्यायालय कलकत्ता ने निगम की दलील स्वीकार कर ली है और औद्योगिक न्यायधिकरण के निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी कर दिए हैं। यह मामला उच्च न्यायालय के अनुसार तय किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला क्षेत्र के समीप कम ताप वाले कार्बनाइजेशन संयंत्र

4972. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला क्षेत्र के समीप कम ताप वाले कार्बनाइजेशन संयन्त्र अधिक संख्या में स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य से कोई स्थल चुन लिए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) देश में कोयला क्षेत्रों के समीप और अधिक "कम ताप कार्बनीकरण संयन्त्र" लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, कानपुर में एक "कम ताप कार्बनीकरण संयन्त्र" परियोजना के लिए प्रारूप साध्यता रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई है जिसके लिए कोयले के स्रोत को अन्तिम रूप से अभी तय करना है। यह परियोजना रिपोर्ट का अध्ययन अभी शुरू किया गया है और परियोजना स्थल कोयला स्रोत के समीप नहीं है ।

अमरौली (गुजरात) के समीप सूक्ष्म तरंग टावर का निर्माण

4973. **श्री नवीन खापी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में अमरौली (सौराष्ट्र) के समीप "सूक्ष्म तरंग" का निर्माण बहुत धीमी गति से चल रहा है तथा वह निर्धारित समय पूरा नहीं हो सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है तथा यह कब तक चालू हो जायेगा ;

(घ) इसके निर्माण कार्य आरम्भ होने से 30 नवम्बर, 1981 तक उस पर कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ;

(ड़) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(च) इसकी योजना, परियोजना और अनुमान क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) टावर का निर्माण 1982 तक पूरा होने की उम्मीद है। परन्तु सम्पूर्ण रूप से सूक्ष्मतरंग परियोजना, जिसका यह टाबर एक अंग है, 1983 में चालू होने की आशा है ।

(घ) टावर की नींव एवं टावर सामग्री पर 30 नवम्बर 1981 तक 3, 47, 912/ रुपये व्यय किया गया ।

(ड़) टावर की सामग्री प्राप्त हो गयी है और निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है ।

(च) यह टावर राजकोट, अमरेली, भवनगर, अहमदाबाद, सूरत खुली पट्टी सूक्ष्मतरंग योजना का एक ही अंग है तथा इसकी अनुमानित लागत 7, 76, 000 है ।

पश्चिम बंगाल को अल्कोहल की सप्लाई के बारे में केन्द्रीय शीरा बोर्ड का निदेश ।

4974. **श्री नीरेन घोष** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सीरा बोर्ड ने उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों से पश्चिम बंगाल को शीरा सप्लाई करने का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों द्वारा कुल कितनी सीरा सप्लाई किया;

(ग) कम सप्लाई के क्या कारण हैं, और

(घ) कम सप्लाई के कारण पश्चिम बंगाल की अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को कुल कितना घाटा हुआ, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां, ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि अल्कोहल वर्ष 1980-81 के दौरान अन्य राज्यों ने 7,800 टन शीरा प्राप्त हुआ था ।

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि अपनी आवश्यकतायें पूरी करने के पश्चात अन्य राज्यों के लिए उनके पास कोई फालतू शीरा नहीं था । महाराष्ट्र सरकार ने आवंटित शीरे के लिए सप्लाई आदेश जारी किये गये थे परन्तु सप्लाई की गई समस्त मात्रा को अल्कोहल वर्ष के अन्तरगत नहीं उठाया जा सका ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पश्चिम बंगाल को सप्लाई के लिए शीरे का प्रयोग पश्चिम बंगाल आसवानियों द्वारा शराब को निर्माण करने में किया जाता है ।

देशभर में एशियाई खेलों को दूरदर्शन से प्रसारित करने के बारे में प्रौद्योगिकी

4975. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है जिससे देशभर में एशियाई खेल देखे जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सरकार ने डाक-तार माइक्रोवेव लिंकों द्वारा विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों को जोड़ने की योजना मंजूर कर दी है । बम्बई और मद्रास के बीच लिंक पहले से ही उप लब्ध है ; बम्बई-दिल्ली लिंक का परीक्षण किया जा रहा है : दिल्ली-लखनऊ-कलकत्ता लिंक और दिल्ली-जालंधर-श्रीनगर लिंक के अगले वर्ष उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है । मौजूदा लिंकों और उन लिंकों, जिनके एशियाई खेलों से पहले तैयार हो जाने की संभावना है, की सहायता से संबंधित दूरदर्शन केन्द्रों से खेलों को साथ-साथ या तो जीवन्त या रिकार्ड करके, जैसा भी आवश्यक समझा जायेगा और संभव होगा, रिले किया जायेगा ।

पहला इलैक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज

4976. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज कब तथा कहां स्थापित किया जाएगा ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार देश के बहुत से अन्य स्थानों पर भी ऐसे एक्सचेंज स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय पाटिल) : (क) देश में पहला इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज अक्तूबर, 1977 में स्थापित किया गया था जो कि बंबई में विदेश संचार सेवा का अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे टेलेक्स एक्सचेंज है। राष्ट्रीय पारगमन परियात को संचालित करने के लिए डाक तार जालकार्य का पहला इलेक्ट्रोनिक टेलेक्स एक्सचेंज बम्बई में स्थापित किया जा रहा है।

(ख) इस एक्सचेंज की क्षमता 3700 लाइनों की है। यह मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र से तथा वहां के लिए राष्ट्रीय परियात को भेजने हेतु एक पारगमन एक्सचेंज है और बम्बई के स्ट्राउजर जोनल टेलेक्स एक्सचेंज के पारगमन निष्पादन का भार भी इस पर दिया जाएगा। लगभग 700 उपभोक्ता कनेक्शन प्रदान करने हेतु भी इस एक्सचेंज का संरुप तैयार किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) पूर्वी, उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्रों से राष्ट्रीय परियात के स्विचिंग हेतु कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में संस्थापन हेतु 3 एस० पी० सी० इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों के आर्डर दिए गए हैं। देश में कुछ अन्य स्थानों पर भी इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

पश्चिमी राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

4977. श्री विरदा राम फुलवारिया : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या पश्चिमी राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) संसाधनों के अलावा और सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण पश्चिमी राजस्थान में रेडियो स्टेशन स्थापित करना सम्भव नहीं हुआ है।

नवम्बर, 1981 से 6 महीनों के दौरान उत्तरी राज्यों को बिजली की भारी कमी

4978. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों में यह रिपोर्ट छिपी है कि उत्तरी राज्यों को नवम्बर, 1981 से 6 महीनों के दौरान बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां तो प्रभावग्रस्त होने वाले मुख्य राज्य कौन-कौन से हैं ;

(ग) राजस्थान को बिजली की कितनी कमी का सामना करना पड़ेगा ; और

(घ) उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) यद्यपि हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चण्डीगढ़ जैसे उत्तरी क्षेत्र के कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोष जनक होने की आशा है, तथापि ऐसी संभावना है कि पंजाब हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों को अगले 6 महीनों में से कुछ महीनों के लिए विद्युत की कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विद्युत की स्थिति पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छी होने की संभावना है।

(ग) राजस्थान की विद्युत स्थिति पिछले वर्षों की अपेक्षा अच्छी होने की संभावना है। राजस्थान में विद्युत सप्लाई की स्थिति मुख्यत: राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र में प्रतिष्ठापित दो यूनिटों के कार्य,निष्पादन पर निर्भर करती है। मार्च, 1982 के उपरान्त विद्युत की कमियां घटकर 3 से 5 प्रतिशत तक की सीमान्त कमी रह जाएगी।

(घ) राज्यों में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में ये शामिल हैं : मौजूदा प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना, छुट्टियों के दिन अलग-अलग करके तथा व्यस्ततम भार प्रतिबन्ध जैसे उपायों से भार मांग का बेहतर प्रबंध करना, फालतू बिजली वाले राज्यों से विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत का अन्तरण करना तथा राज्यों में नई उत्पादन क्षमता की अधिवृद्धि करना।

"डी० जी० एस० एण्ड डी०.बाईंग टैंडर्स इन डैलीज फ्राम जनवरी, 1982"
शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4979. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 नवम्बर, 1981 के अंग्रेजी दैनिक पत्र "नेशनल हैराल्ड" में जी० डी० एस० एण्ड डी० बाईंग टैंडर्स इन डैलीज फ्राम जनवरी, 1982" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान मन्त्रालय द्वारा कितने माल तथा कितनी धनराशि के माल की खरीद की गई तथा उसकी खरीद का पूरा ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी, हां। पूर्ति का निपटान महा निदेशालय द्वारा की जाने वाली खरीदों के सम्बन्ध में टैंडर नोटिस, इस समय इन्डियन ट्रेड जनरल में प्रकाशित किये जाते हैं जो कि महानिदेशक, कमर्शियल इन्टेलिजेन्स तथा स्टेटिस्टिकस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित की जाने वाली साप्ताहिक बुलेटिन है। व्यापारियों की यह मांग रही है किपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की जाने वाली खरीदों के सम्बन्ध में जानकारी—का व्यापक रूप से प्रचार किया जाये, ताकि यह जानकारी सारे देश में फैली फर्मों, विशेषकर लघु एककों को मिल सके। इस बात को भी ध्यान रखते हुए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय प्रति वर्ष अत्यधिक मूल्य के भन्डारों की खरीद करता है, यह महसूस किया गया कि टैंडर सम्बन्धी ब्यौरे विविध क्षेत्रों के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायें, ताकि उनके बारे में अधिक व्यापक प्रचार हो सके और उनके लिए अधिक प्रतियोगिता हो सके। अब यह निर्णय लिया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष से तीन महीनों की अवधि के लिए एक योजना को तजुर्बे के रूप में लागू किया जाये। पहले यह प्रस्ताव था कि इस योजना को1-1-82 से प्रारम्भ किया जाये, परन्तु किन्हीं प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा। इस प्रश्न पर, क्या इसे बाद में जारी रखा जाए, यह तो इस तजुर्बे परिणाम को देखने के बाद ही निर्णय किया जायेगा।

(ख) पूर्ति निपटान महानिदेशालय द्वारा वर्ष, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में खरीदे गए महत्वपूर्ण सामान का मूल्य तथा उनकी प्रमुख श्रेणियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। खरीदे गए सामान की मात्रा के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जाते।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3264/81]

निर्वाचन संबंधी सुधारों पर राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श

4980. **श्री एन० के शेजवलकर :**

श्री सुरज भान :

श्री अटल विहारी वाजपेयी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन सुधार सम्बन्धी किन मुद्दों पर मन्त्रालय ने अन्तिम निर्णय लिया है ;

(ख) उन पर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कब विचार-विमर्श किया जाएगा तथा नई अथवा संशोधकारी विधियां संसद के समक्ष कब लाई जाएंगी ;

(ग) क्या निर्वाचन सम्बन्धी ये सुधार कुछ राज्यों में आगामी निर्वाचनों के समय लागू हो जाएंगे ; और

(घ) क्या उनमें से कुछ सुझावों का कुछ उपनिर्वाचनों में प्रयोग किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) संपूर्ण निर्वाचन निधि के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, वे जिनके अन्तर्गत निर्वाचन आयोग की सिफारिशें भी हैं, इस समय मंत्रीमंडल समिति के समक्ष हैं। इन प्रस्तावों पर अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात उन पर राजनीतिक दलों और जहां कहीं आवश्यक होगा, राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके फलस्वरुप अन्तिम विनिश्चय करने में आवश्यक रूप से कुछ समय लगेगा और इस प्रक्रम पर यह सही-सही बताना सम्भव है कि इस प्रयोजन के लिए एक समुचित विधान संसद के समक्ष कब तक लाया जा सकेगा। किन्तु, मतदाताओं की फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करने की स्कीम की प्रायोगिक आधार पर आजमाइस सिक्किम में अक्तूबर, 1979 में हुए उस राज्य के विधान सभा के निर्वाचन दौरान की गई थी। निर्वाचन आयोग में बताता है कि यह प्रयोग संतोषप्रद था।

एन० पी० सी० सी० एण्ड बेरेज नेशनल वर्कर्स यूनियन राजामुन्द्री की ओर से पत्र

498 . **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एन० पी० सी० सी० एण्ड बेरेज नेशनल वर्कर्स यूनियन (मान्यता-प्राप्त) राजामुन्द्री की ओर से दिनांक 16 सितम्बर, 1981 का पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन में यूनियन ने क्या मुद्दे उठाये हैं ;

(ग) उस पर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालम में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (घ) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि० को एन० पी० सी० सी० एण्ड वराज नेशनल वर्कर्स यूनियन, राजामुन्द्री से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। उक्त यूनियन के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के प्रबन्धकों से अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया है कि श्री प्रसाद राव को पुनः नियुक्ति के बारे में कार्यवाही तब तक के लिए स्थगित रखी जाय, जब तक कि उनके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों की पूरी तरह जांच नहीं हो पाती। समुचित जांच के बाद भी प्रसाद राव को 29 अगस्त. 1979 से सेवा से बरखास्त कर दिया गया था। उनके विरुद्ध एक निषेधाज्ञा भी प्राप्त की गई थी जिसमें राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के परिसरों में उनके प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। श्री प्रसाद राव श्रम न्यायालय, गून्टूर में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं कानूनी तौर पर जो उपाय अपेक्षित हैं वे उपाय राष्ट्रीय परियोजना निगम के प्रबन्धक करेंगे ।

त्रिपुरा में गैस पर अधारित उद्योगों की स्थापना

4982. **श्री वासुदेव आचार्य** : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की त्रिपुरा में गैस पर आधारित उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) त्रिपुरा में वारामुख कूप संख्या 6 में हाल ही में कुछ मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई गई है और कूप का इस समय विस्तृत अध्ययनों के लिए परीक्षण किया जा रहा है । इन अध्ययनों के पूरे होने और संरचना की क्षमता को स्थापित करने तक, गैस के उपयोग के लिए कोई योजना बनाना असामयिक होगा ।

राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर, बैंटू और छोतार टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन व्यवस्था ठप्प होना

4983. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर, बैंटू और छोतार टेलीफोन केन्द्रों में तकनीकी दोषों पुरानी मशीनों और उपकरणों के कारण टेलीफोन व्यवस्था ठप्प हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी दोष क्या हैं और पुरानी मशीनें किस प्रकार की है ; और

(ग) उन टाउनों और गांवों को टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने के लिए टेलीफोन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं । जोधपुर, बाड़मेर, बैंटू तथा छोतान (न कि छोतार) स्थित टेलीफोन एक्सचेंज भली भांति कार्य कर रहे हैं ।

(ख) जोधपुर एक स्वचल एक्सचेंज है बाड़मेर हस्यचल एक्सचेंज है तथा बैंटू एवं छोतान एक्सचेंज छोट स्वचल एक्चेंज है । देश में इस प्रकार के टेलीफोन एक्चेंज कार्य कर रहे हैं तथा इनमें लगा हुआ उपस्कर पुराना नहीं पड़ा है ।

(ग) ये एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं तथापि इन शहरों की टेलीफोन सेवाओं में सुधान करने हेतु निम्न लिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) बिजली फेल होने की अवस्था में निर्बाध सेवा हेतु जोधपुर में मार्च, 1982 तक एक उच्च क्षमता वाला इन्जिन आल्टरनेटर प्राप्त होने की आशा है।

(2) जोधपुर टेलीफोन एक्सचेंज में एक नई बैटरी स्थापित की जा रही है।

(3) जोधपुर टेलीफोन एक्सचेन्ज का दर्जा बढ़ाया जा रहा है

(4) 1982-83 तक जोधपुर टेलीफोन एक्सचेन्ज में वृद्धि करके 7000 लाइनें करने का कार्यक्रम है।

(5) जहां कहीं आवश्यक है, प्रतिस्थापित करके तथा मरम्मत करके उत्तरोतर भूमिगत केवल बिछाये जा रहे हैं।

(6) जहां-कहीं आवश्यक है अलूमीनियम तारों को लाने से प्रतिस्थापित करके उपभोक्ता की फिटिंग का उत्तारोत्तर नवीकरण किया जा रहा है।

(7) चार स्पैन अथवा उससे कम उपभोक्ता के खुले ऊपरि तार ड्राप तारों से प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम तैयार करने वाले व्यक्तियों के कैडरों में भर्ती के लिए मानदंड

4784. **श्री दिसम्बर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के कैडरों की संख्या कितनी है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम तैयार करते हैं तथा प्रस्तुत करते हैं ;

(ख) उनकी भर्ती और पदोन्नति के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या कुछ श्रेणी के कार्य को लोग ठेके के आधार पर करते हैं तथा कुछ नियमित सरकारी कर्मचारी हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार उन सभी को या तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी मानने का है अथवा उनको ठेके पर रोजगार देने का है जिससे सभी कैडरों में एकरुपता लाई जा सके ; और

(ङ) उच्च पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें तैयार करना और प्रस्तुत करना, इन माध्यमों द्वारा नियुक्त कार्यक्रम, इन्जीनियरी, स्टाफ आर्टिस्टों इत्यादि जैसे विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों का संयुक्त प्रयास है।

(ख) पदोन्नति के मानदण्ड कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित किए हुए हैं। इन भर्ती नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का अनुपात, शैक्षिक अर्हताएं, निचले पद में न्यूनतम सेवा, अपेक्षित व्यावसायिक अनुभव, इत्यादि निर्धारित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) स्टाफ आर्टिस्टों की श्रेणी इस समय संविदा कर्मचारियों की है। ये पेंशन को छोड़ कर केन्द्रीय सरकार के नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आवास सुविधाओं, आदि जैसे लाभों के पात्र हैं। पेंशन के बदले में ये अंशदायी भविष्य निधि के पात्र हैं। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि उनको पेंशन के लाभ देने के लिए एक विशिष्ट स्कीम सरकार के विचार हेतु तैयार की जाए। सभी कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों के रूप में मानने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को तथा उन व्यक्तियों को जो आकाशवाणी/दूरदर्शन से सम्बद्ध रहे थे, अब भी प्रथमतया तीन वर्ष की अवधि के लिए 2000/- रुपए के मासिक पारिश्रमिक पर प्रोडयूसर (ऐमीरिटस) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

देस्किन (तूब्रा) और स्पाडुम (जांस्कार) लद्दाख में नये उप डाक-घर का खोलना

4985. **श्री पी० नामग्याल :** क्या : संचार मन्त्री देस्किन (नुब्रा) और स्पाडुम (जांस्कार) लद्दाख में नये उप-डाकघर खोलने के बारे में 1 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2304 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नुब्रा के देस्किट (लद्दाख) स्थान पर एक उप-डाकघर तथा कार्गिल में स्पाडुम (जांस्कर) में एक शाखा डाकघर खोलने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो उसके कब तक चालू होने की संभावना है ;

(ख) क्या स्पाडुम, जांस्कर में स्थाई शाखा डाकघर खोला जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र गरमी के मौसम में कार्गिल की ओर से खुला रहता है तथा सरदी के मौसम में लेह की ओर से खुला रहता है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर नकारात्मक हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पारिल) : (क) मौजूदा शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर देस्किट में उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

जहां तक कार्गिल में स्पाडुम (जांस्कार) स्थित शाखा डाकघर का संबंध है, उक्त स्थान पर एक मौसमी शाखा डाकघर अगस्त 1979 से कार्य कर रहा है। शाखा डाकघर 1 जुलाई से

31 अक्तुबर तक—चार महीने कार्य करता है। स्पाडुम को जाने वाले रास्ते वर्ष के शेष छः महीने बर्ष से ढके रहते हैं।

(ख) और (ग) जम्मू कश्मीर सर्कल के पोस्टमास्टर जनरल ने नवंबर से जून तक के महीनों में विभिन्न व्यवहार्य मार्गों के जरिए स्पाडुम को डाक परिवहन की व्यवस्था करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यदि प्रस्ताव व्यवहार्य और औचित्यपूर्ण पाया गया तो शाखा डाकघर को वर्ष पर्यन्त खोले रहना संभव हो सकेगा।

कंट्रोल की औषधियों के मूल्यों का पुनरीक्षण

4986. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंट्रोल की बल्क औषधियों के मूल्यों का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन बल्कि औषधियों के उत्पादन और फार्मूलेशनों को प्रतिबन्धित करने का है जिनका गत 6 वर्षों में दो गुना होने का समाचार है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। सरकार ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अन्तर्गत अनेक बल्क औषधों के मूल्य निर्धारित/संशोधित किये हैं।

(ख) सरकार, 4 सितम्बर, 1980 को स्थापित क्षमता को कुछ शर्तों के साथ मान्यता दे रही है।

घटिया कोयले के कारण विद्युत उत्पादन उपकरणों का खराब होना

4987. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने यह शिकायत की है कि तापीय विद्युत संयन्त्रों को घटिया कोयला सप्लाई किए जाने के कारण उनके विद्युत उत्पादन उपकरण खराब हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कुछ ताप विद्युत केन्द्रों ने सूचित किया है कि उन्हें सप्लाई किया गया कोयला कभी-कभी घटिया किस्म का होता है, उसमें सलेटी पत्थर आदि जैसे विजातीय पदार्थ होते हैं जिससे यूनटों के कार्य-निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोयला कंपनियों को सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो कोयले से विजातीय पदार्थ निकाल दें। कोयले को तोड़-छानकर उसे अपेक्षित साइज का बनाने की सुविधाओं वाला कोयला हैण्डलिंग संयन्त्र कोयला खानों पर तत्परता के आधार पर लगाने तथा विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाकर अलग करने

का कार्य कम्पनियों ने हाथ में लिया है । इसके अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन के लिए नान-कोकिंग कोयले का परिष्कार किए जाने की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है । हाल ही के वर्षों में विद्युत केन्द्रों को प्राप्त हुए कोयले की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हुआ है ।

डाक सामग्रियों पर अदृश्य/न पढ़े जाने वाली डाक मौहरों की छाप

4988. **श्री भीकूराम जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि डाक-सामग्रियों पर डाक मौहरों की छाप स्पष्ट नहीं होती और अधिकांश मामलो में यह अदृश्य होती है और/अथवा पढ़ने में नहीं आती हैं ;

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि जनता को इस छाप की आवश्यकता विभिन्न प्रयोजनों के लिए होती है ; और

(ग) यदि हां, तो डाक सामग्रियों पर डाक-मुहरों की स्पष्ट छाप अंकित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) डाक टिकट मशीनों द्वारा डाक पर लगी मौहर की छाप सामान्यतया स्पष्ट होती है। यदि मोहरें घिसी हुई पुरानी होती है तो कभी कभी हथमोहरों से लगाई आप स्पष्ट भी नहीं हो सकती है । यद्यपि नई डाक टिकट विखपण मशीनें प्राप्त करने तथा घिसी हुई हथमोहरों को बदलने के लिए कार्रवाई की जा रही है फिर भी सभी डाक सर्कलों के अध्यक्षों को ये अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ स्टाफ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि डाक वस्तुओं का समुचित ढंग से विरुपण किया जाता है ।

सिनोमाइराइडिन का आयात

4989. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेटा रिकोलाइन से निर्मित प्रतिकिलो नैसीनामाइड से विदेशी मुद्रा के प्रवाह की तुलना में 3-सिनोमाइराईडिन के आयात के मामले में विदेशी मुद्रा का प्रभाव कम होगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयातित 3-सिनोमाइराइडिन से निर्मित नैसीनामाइड का बिक्री मूल्य डी० पी० सी० ओ० 79 के अन्तर्गत कम होगी , और

(ग) यदि हां, तो औषधियों के मूल्यों में कमी करने सम्बन्धी नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) वर्ष

1980-81 के दौरान लाइनोमाइराडाइन के आयात का औसत सी. आई. एफ. मूल्य 20.10 रुपए प्रतिकिलोग्राम और नियासिनाइड के मामले में 60 रुपये प्रति कि. ग्रा. था। तथापि यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि क्या आयातित नियासिनामाइड का निर्माण बेटा मिकोलाइन से किया गया था।

(ख) और (ग) सिनामाइड पर सी. आई. सी. पी. द्वारा किया गया लागत अध्ययन देश में बेटा सिकोलाइनस से इसका निर्माण अशांत (74 प्रतिशत) आयातित और अशांत (25 प्रतिशत) स्वदेशी सामग्री से किए जाने से सम्बन्ति है। अतः यह कहना असम्भव है कि आयातित 3-साइनो-पायरीजाइन से निर्मित नियासिनामाइड का बिक्री मूल्य डी. पी. सी. ओ. 1979 के अन्तर्गत कम होगा क्योंकि उसका लागत अध्ययन नहीं किया गया है।

कुड्डालोर, तमिलनाडु में पेट्रो-रसायन फैक्ट्री

4990. **श्री सी० चिना रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुड्डालोर, तमिलनाडु में एक पेट्रो-रसायन फैक्टरी शुरू किए जानें की संभावनाएं हैं ;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने वहां पर बड़ी सख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से पेट्रो-रसायन फैक्टरी की स्थापना के लिए कदम उठाने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) (क) से (ग) तमिलनाडु में केन्द्रीय क्षेत्र कुड्डालोर के स्थान पर किसी पेट्रो-रसायन एकक की स्थापना के हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। तमिलनाडु में पेट्रो-रसायन एककों की स्थापना के लिए कुछ प्राप्त हुए हैं। सरकार के विचाराधीन पड़ी लम्बित आवेदन-पत्रों के ब्यौरे जब तक सरकार उन पर कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाती है, प्रकाशित नहीं किये जाते हैं।

दामोदर घाटी निगम की विद्युत की लागत

4991. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम की 81-3-1981 को समाप्त हुए पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सभी खर्चों सहित विद्युत-उत्पादन पर क्या वास्तविक लागत थी और इसी अवधि में उसका "लोड फैक्टर" कितना-कितना रहा और इस प्रणाली की तदनुसार "लोड फैक्टर" सहित आय/किलोवाट प्रतिघण्टा क्या था;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न हुआ और उसका उपयोग कैसे किया गया ; और

(ग) 31-3-1979, 31-3-1980 और 30-9-1981 को दामोदर घाटी निगम के पास शेष नगद राशि कितनी थी तथा यदि कोई कमी हुई हो तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) 31-3-1981 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों की दामोदर घाटी निगम की विद्युत की लागत, भार अनुपात तथा आय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

ब्यौरे	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
विद्युत की वास्तविक लागत जिसमें सभी खर्चे शामिल हैं (लाख रु. में)	6203	6757	8492	8446	10620
वार्षिक भार अनुपात (उपभोक्ताओं के लिए)	71.52%	69.48%	66.39%	67.66%	59.16%
तत्सम्बन्धी आय प्रति यूनिट	17.9723 पैसे	18.3605 पैसे	21.0610 पैसे	23.4508 पैसे	26.9466 पैसे
(ख) वास्तविक अधिशेष (लाख रु. में)	2217	1748	1967	950	531

इस अधिशेष का उपयोग दामोदर घाटी निगम की विद्युत विस्तार सम्बन्धी परियोजा के लिए आन्तरिक साधनों के रूप में किया गया था।

(ग) दामोदर घाटी निगम की रोकड़ बाकी नीचे दिए अनुसार थी :—

रोकड़ बाकी	31.3.1979	31.3.1980	30.9.1981
(लाख रु. में)	2771	2534	(-)202*

* नकदी ऋण

बिद्युत विस्तार कार्यक्रम में पूंजी लगा दिए जाने के कारण यह कमी हुई है।

जीवन बीमा निगम से 5 करोड़ रु० का ऋण लेने तथा 15 करोड़ रुपए खुले बाजार से कर्ज लेने की अनुमति दामोदर घाटी निगम को हाल ही में दी गई है।

मजगांव में निर्मित प्लेटफार्मों का चालू किया जाना

4992. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री जगपाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजगांव डॉक्स में निर्मित दो प्लेटफार्मों को चालू करने में विलम्ब के कारण गत कुछ महीनों से बम्बई हाई में दैनिक उत्पादन में 20,000 बैरलों तक की हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मजगांव डॉक्स में निर्मित प्लेटफार्मों को चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रायचूर और बेल्लारी (कर्नाटक) के लिए उपग्रह दूरदर्शन

4993 **श्री एच० जी० रामलू** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर और बेल्लारी (कर्नाटक) जिलों को उपग्रह दूरदर्शन के अन्तर्गत लाने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी नहीं, ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ,

आकाशवाणी और दूरदर्शनकेन्द्र में सहायक निदेशकों के रूप में नियुक्ति अधिकारी

4993. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दूरदर्शन केन्द्र में हाल ही में सहायक निदेशक पदों पर कितने अधिकारी नियुक्त किये गये ;

(ख) क्या सहायक निदेशकों के रूप में नियुक्त किये गए अधिकारियों में से अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी व्यवसायिक जीवन ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिवों के रूप में आरम्भ किया था ;

(ग) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्र में सहायक निदेशक आर० एस० डी० के रूप में कितने ऐसे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जिन्होंने अपनी सेवा ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिवों के रूप में आरम्भ की थी ; और

(घ) इस बात के क्या कारण हैं कि सरकार उन स्टाफ आर्टिस्टों को उच्च पदों पर

पर नियुक्त नहीं करती है जो कार्यक्रम तैयार और प्रसारित करते हैं तथा उनको नियमित कर्मचारियों के रूप में पदोन्नत क्यों नहीं किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) आकाशवाणी के 57 कार्यक्रम एग्जीक्यूटिवों को सहायक केन्द्र निदेशक के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए गए हैं।

(ख) जी हां, ।

कोडाइकनाल, तमिलनाडु में टेलीविजन रिले केन्द्र

4995. **श्री स्कारिया थामस :** सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में कोडाइकनाल में टेलीविजन रिले केन्द्र आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र लाये जायेंगे ?

सूचना प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी हां, छटी योजना अवधि के दौरान कोडाइकनाल में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) उम्मीद है कि इस रिले ट्रांसमीटर की सेवा परिधि 180 किलोमीटर होगी जिसके अन्तर्गत मदुरै, कोयम्बत्तूर और रामनाथपुरम जिलों तथा तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, सेलम और नीलगिरी जिलों के भागों का लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आयेगा ।

गोड्डा जिले (बिहार) में दामोदर वादी निगम के सब स्टेशन-द्वारा विद्युत की सप्लाई में गड़बड़

4996. **श्री मतीनुद्दीन :** क्या ऊर्जा मंत्री यहलताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोड्डा जिला, संथाल परगन ा(बिहार) में दामोदर घाटी निगम का सब-स्टेशन वर्षों से विद्युत की सप्लाई में गड़बड़ कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप जनता को भारी कठिनाईयां हो रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि "हथिया नक्षत्र" के दौरान वर्षा न होने के कारण भागलपुर जिला, संथाल परगना के किसानों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिससे विद्युत द्वारा नलकूप चलाना आवश्यक हो गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गोड्डा के विद्युत अधिकारी अभी भी विद्युत सप्लाई में बाधाएं डाल रहे हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो क्या सरकार का विचार गोड्डा क्षेत्र, संथाल परगना, बिहार में विद्युत की सप्लाई स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

बदले की भावना से पुरुष तथा महिला लोडरों का स्थानांतरण

4997. **श्री मुकंद मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के खान प्रबन्धकों द्वारा पुरुष महिला भारवाहकों (लोडरों) की बदले की भावना से किये गये स्थानान्तरणों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बदले की भावना से किए जाने वाले इस प्रकार के स्थानान्तरणों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) ई० को० लि० की राणा कोलियरी से बानुडीमेरी कोलियरी को पुरुष और महिला कामगारों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है । फालतू कामगारों को एक कोलियरी में स्थानान्तरित किया जाता है और इस मामले में कोई दमन नहीं है । साधारणतया एक ही कोलियरी में कार्यरत पति-पत्नी दोनों को एक साथ किसी दूसरी कोलियरी में स्थानान्तरित किया जाता है ताकि वे एक साथ रह सकें । इन मामले में, अनेक महिला कामगारों के स्थानान्तरण बाद में उनके अभिवेदन प्राप्त होने पर रद्द कर दिए गए थे ।

कुशल उपयोग के लिए संयंत्रों का संचालन करने हेतु केन्द्र की पेशकश

9698. **श्री जैनल बशर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने उत्तर प्रदेश जैसे संकट-ग्रस्त राज्यों के विद्युत संयन्त्रों की क्षमता के कम उपयोग को ध्यान में रखते हुए नवीनतम प्रौद्योगिकी और कार्यपद्धिति आरम्भ करके उन संयन्त्रों को चलाने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह पेशकश किन- किन राज्यों को की गई है ; और

(ग) इस बारे में राज्यों की क्या प्रक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में तथा अन्य अवसरों पर केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे सुझाव दिये गये थे जिनमें राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता/परामर्श प्रदान करके, विद्युत केन्द्रों के समग्र प्रबन्ध द्वारा पर्याप्त मात्रा में और उचित गुणवत्ता वाले कोयले को सप्लाई की व्यवस्था करके तथा स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था करके ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निस्पादन में सुधार करने में सहायता दिए जाने का प्रस्ताव किया गया था कोई विशेष प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कनैक्शन

4999. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ उपभोक्ता, वर्ष 1979 में खाना पकाने की गैस के लिए पंजीकृत किये गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उनको गैस कनैक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ;

(ग) ऐसे कितने उपभोक्ता पंजीकृत हैं जिन्हें अभी तक खाना पकाने की गैस के कनैक्शन नहीं दिये गये है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) से (घ) वर्ष, 1979 के दौरान खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के कनैक्शन के लिए दिल्ली में लगभग 1,80,000 आवेदक पंजीकृत किये गये थे, जिनमें से 17,000 व्यक्तियों को अभी तक खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के कनैक्शन प्रदान कर दिये गये हैं। वर्ष 1979 की प्रतीक्षा सूची सहित खना पकाने की गैस की प्रतीक्षा सूचिओं को अगले दो से तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से निपटाया जायेगा।

हरियाणा के गांवों में विभागेतर कर्मचारियों के रूप में काम कम रहे रक्षा सेवाओं के पशनरों का वेतन

5000. **श्री चिरजी लाल शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के गांवों में उनके मन्त्रालय के अधीन विभागेतर कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे रक्षा सेवाओं के पेंशनरों को पेंशन तथा मंहगाई भत्ते से वंचित कर दिया गया है क्योंकि पेंशन पे मास्टर (रक्षा लेखा नियंत्रत) समुदाय है कि ये कर्मचारी केवल निश्चित वेतन ले सकते हैं और अवकाश, मंहगाई भत्ता और अन्य सुरक्षा जैसे कोई अन्य लाभ नहीं ले सकते।

(ख) क्या ये कर्मचारी अनियमित हैं और यदि हां, तो सभी भत्तों सहित इन को कुल कितना वेतन अदा किया जा रहा है और

(ग) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिकों के रूप में पेंशन पाने का हक है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पन बिजली के विकास पर कम ध्यान दिया जाना

5001. **श्री सुबोध सेन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात के क्या कारण हैं कि पन बिजली की संभावना के विकास पर कम ध्यान दिया जा रहा है, और

(ख) प्रत्येक पन-बिजली परियोजना की अधिष्ठापित विद्युत क्षमता कितनी-कितनी है और उनका उत्पादन कितना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) यह कहना सही नहीं है कि देश की जल विद्युत शक्यता के उपयोग के लिए बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है । इसके विपरीत देश की जल विद्युत शक्यता का उपयोग किये जाने को सरकार उच्चतत प्राथमिकता देती है । छठी और सातवीं पंच वर्षीय योजना में जो योजना कोशल अपनाया जा रहा है उससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 19666 मेगावाट की जो कुल प्रतिष्ठापित क्षमता आयोजित की जा रही है उसमें से 4768 मुगावाट क्षमता जल विद्युत के क्षेत्र में हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में आयोजित 25,000 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में से 15,000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता की आयोजना की जा रही है सातवीं पंचवर्षी योजना के अन्त तक जल विद्युत और ताप-विद्युत का योगदान समान स्तर पर प्राप्त कर लिये जाने की आशा है ।

इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने की दृष्टि से सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (रा० ज० वि० नि०) की स्थापना की है और केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन इसे सौंपा गया है ।

(ख) मौजूद विद्युत परियोजनाओं की प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता तथा पिछले 2 वर्षों के वास्तविक विद्युत उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्षेत्र/राज्य/स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट) (मौजदा)	अभिकल्पित विद्युत शक्यता (जी० डब्ल्यू एच०) के दौरान	वास्तविक विद्युत उत्पादन (मेगावाट अवर) 1979-80 के दौरान	1980-81 के दौरान
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
सांझा परियोजनाएं				
भाखड़ा नांगल	5×120 5×60+	5282	6623	5788

1	2	3	4	5
गंगुवाल	77.25			
कोटला	77.25			
देहर	4×165	3110	1823	2540
पोंग	4×60	1123	1510	1264
हिमाचल प्रदेश				
बस्सी	4×15	371	118	151
गिरि बाटा	2×30	383	220	76
जम्मू और कश्मीर				
लोअर झेलम	3×35	533	372	483
चेनानी	5×4.6	113		
मोहरा	2×4.5	79	305	282
गन्डेरबाल	2×3 2×4.5	93		
अपर सिंध	2×11	104		
लघु जल विद्युत	2.92			
राजस्थान				
राणाप्रताप सागर	(50 प्रतिशत हिस्सा)			
गांधी सागर	193	593	790	475
जवाहर सागर				
उत्तर प्रदेश				
रिहन्द	6×50	1211	1149	1129
ओबरा	3×33			
यमुना-दो) चिल्ला)	4×60	790	781	765
यमुना चरण-1	84.75	437	412	503
यमुना चरण-4	30	163		
माता टीला	3×10	144	79	131

1	2	3	4	5
रामगंगा	3×66	336	472	318
गंगा नहर	44.2	591	376	367
खाटिमा	41,4			
गढ़वाल ऋषिकेश	4×36	725	—	244
लघु जल विद्युत	7.19	—	—	—
पंजाब				
शानन	4×12	393	198	261
अपर बारी				
दोआब नहर	4×15	313	287	293
केन्द्रीय सेक्टर				
बैरा स्यूल	3×60	920	—	34
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात				
उकई	4×75	1030	1206	889
मध्य प्रदेश				
राणाप्रताप सागर, गांधी सागर जवाहर सागर	50 % हिस्सा	193	593	790	475
महाराष्ट्र				
कोयना 1.2 और 3 कोयना बांध	4×75+4×65+4×80	3800	4360	4683
बिजली घर	2×20	78	—	4
टाटा जल विद्युत	285	1350	1308	1470
वेतराना	1×60	115	137	158
भाटगर और वीर	1×16+2×4.5	90	142	134

1	2	3	4	5
पुरना	3×7.5			
लघु जल विद्युत	4 9			
दक्षिणी प्रदेश				
आन्ध्र प्रदेश				
तुंगभद्रा (80 प्रतिशत राज्यों का हिस्सा)	157.6	190	212	234
मचकुंड (70 प्रतिशत राज्यों का हिस्सा)	90.33	470	563	504
अपर सिलेरु	2×60	486	474	402
लोअर सिलेरु	4×100	1070	1089	1035
नागार्जुनसागर (कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 1 110 +4 100	1×110 +2×100	2871	870	1507
निजाम सागर	2×5	23	35	30
कर्नाटक				
शरावती जोग लिंगनामक्की	1066	4700	4824	5199
भद्रा	33.2	119		100
शिव समुन्द्रम	4×6+6×3	174	164	199
शिम्स हक्स	2×8.6	96	140	143
मुनिराबाद और तुंगभद्रा बांध (20 प्रतिशत	41.4	116	155	172

1	2	3	4	5
राज्यों का हिस्सा)				
कालीनदी चरण-1 (कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 6×135 +2×50	3×135	4112	117	575
केरल				
पन्नियार	2×15	148	103	107
पोरिगांल	4×8	171	203	178
पल्लीवसाल	3×7.5+3×5	285	249	234
नेरियामंगलम	3×15	237	305	244
सेंगुलाम	4×12	184	152	156
शोलायार	3×18	233	161	185
सांबिरगिरी	6×5	1215	1471	1272
कुट्टियाडी	3×25	248	224	257
इद्दुकी	3×130	2018	2250	2623
तमिलनाडु				
पाइकारा	70	274	495	443
नेत्तुर	240	541	713	877
पापनासम	4×7	105	136	85
मोयार	3×12	115	208	182
पेरियार	4×35	409	484	433
कुन्डाह	535	1315	2365	1929
सरकरपति	1×30	162	115	181
कोडायार	100	165	348	155

1	2	3	4	5
अलियार	1×60	175	205	182
शोलायार	95	254	331	353
सुरुलियार	1×35	79	105	202
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार				
कोसी	4×5	88	16	14
सुवर्णरेखा	2×65	149	62	137
उड़ीसा				
हीराकुण्ड	270	1056	634	1035
बलिमेला	6×60	1183	1152	1139
मचकुंड				
(30 प्रतिशत राज्यों का हिस्सा)	34.42	200	241	216
पश्चिम बंगाल				
लघु जल विद्युत	38.51	—	13	43
सिक्किम				
लोअर लग्यप	2×6	83	7	14
लघु जल विद्युत	2.55	—	—	1
दा० घा० नि०				
पंचेत हिल	1×30	120	97	158
मैथोन	1×60	137	91	176
तिल्लाया	1×4	23	1	11

1	2	3	4	5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश				
लघु जल विद्युत	7.12			
मेघालय				
उमियाम 1 और 2 उमत्रु	65.2	192	194	202
किरडरकुलई	2×30	118	122	146
लघु जल विद्युत	1.51	—	—	—
मणिपुर				
लघु जल विद्युत	0.6	—	—	—
त्रिपुरा और नागालैंड				
गुमटी (त्रिपुरा) दजुजु (नागालैण्ड)	11.5	43	42	43

श्रीलंका से स्वदेश आए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास कार्यक्रम

5002. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका से स्वदेश आये व्यक्तिओं के पुनर्वास के लिए इस समय क्रियान्वित किये जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

(ख) श्रीलंका से स्वदेश आने वाले इन व्यक्तियों को उनके भारत में आगमन के तुरन्त बाद से किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी जा रही है और इस बात के लिए क्या नियन्त्रण रखा जा रहा है कि यह वित्तीय सहायता वस्तुतः उनको ही मिले ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के पुनर्वास प्रयासों में कौन-कौन सी स्वयंसेवी एजेन्सियाँ सहायता कर रही हैं और उनकी सहायता का इस समय कैसे उपयोग किया जा रहा है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) प्रत्यावासियों के सार्वजननिक/नीजि तथा सहकारी क्षेत्रों में बागानों, कृषि, औद्योगिक उपक्रमों में तथा ऋण आदि देकर लघु व्यवसायों में पुनर्वास दिया जा रहा है ।

(ख) प्रत्याशियों के रामेश्वरम पहुचने पर उन्हें एक बार मुफ्त भोजन दिया जाता है। उन्हें यात्री तथा अवतरण प्रभार, अधिक सामान और ढुलाई प्रभार नहीं देने होते हैं। शिविर में ठहरने के समय पात्र परिवारों को यात्रा रियायत और नकद बेकारी अनुदान, मुफ्त भोजन, रियायती दरों पर राशन आदि जैसी विभिन्न राहत सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। लघु/व्यापार व्यवसाय में बसाए जाने वाले परिवारों को स्वीकार्य सीमा तक ऋण भी दिया जाता है। समस्त सहायता प्रत्यावासी परिवारों को सीधे प्रदान की जाती है।

(ग) श्रीलंका से आने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को केन्द्रीय सरकार और तमिलनाडु सरकार द्वारा की गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत लाया जाता है और इसे स्वेच्छी एजेन्सियों की सहायता से सम्बन्ध नहीं किया जाता है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्त निगम

5003. **श्री चित्त महाटा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्त निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने अब तक क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्त निगम स्थापित न करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये मीडिया यूनिटे लोगों की सेवा करने के अपने मौलिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकें इसके लिए इस प्रकार का संगठन आवश्यक नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय टेलीकम्यू निकेशन यूनियन मराठवाड़ा (औरंगाबाद) के सेक्रेट्री का ज्ञापन

5004. **श्री चतुर्भुज** :

श्री एस० मुरुगौयन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर-संचार उप-मन्त्री को भारतीय टेलीकम्यूनिकेशन टेक्नीशियन्स यूनियन, मराठवाड़ा (औरंगाबाद), महाराष्ट्र के डिवीजन सैक्रेट्री से कर्मचारियों की मांगों के बारे में दिनांक 19 अक्तूबर, 1981 को कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) उक्त ज्ञापन में क्या-क्या मांगें की गई हैं ;

(ग) इस प्रकार की गयी प्रत्येक मांग पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उस में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कार्यवाही कब तक की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचार पत्रों की स्वतंत्रता

5005. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस परिषद ने मानहानि कानून तथा संसदीय विशेषाधिकार न्यायालय का अवमान अधिनियम, शासकीय गुप्त बात अधिनियम के ऐसे अंशों, जिन से समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता का हनन होता है, में संशोधन करने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किये थे ;

(ख) क्या सरकार ने इन कानूनों का कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ;

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भिन्न-भिन्न विकास परियोजनाएं आरम्भ किये जाने के समय संचार सुविधाएं

5006. **श्री केयूर भूषण** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब भिन्न-भिन्न परियोजनाएं आरम्भ की जाती हैं तो उनके साथ साथ संचार सुविधाएं भी आरम्भ की जाती है ;

(ख) यदि नहीं, तो दूरस्थ स्थानों पर काम करने वाले श्रमिक अपने घरों के साथ सम्पर्क कैसे रखते है ; और

(ग) क्या संयंत्रों और परियोजनाओं की स्थापना करने के साथ-साथ संचार तथा डाक घर सुविधाएं भी आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) . 1. डाक सुविधाएं

(क) आम तौर पर परियोजना अधिकारियों के अग्रह पर अथवा, शहरी एव ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने हेतु निर्धारित सामान्य मानदंडों को ध्यान में रखते हुए परियोजना स्थल पर डाकघर खोलने के प्रश्न पर विचार किया जाता है।

(ख) नये क्षेत्र को डाक वितरण के उद्देश्य हेतु एक मौजूदा डाक घर के वितरण क्षेत्राधिकार में स्वयं ही शामिल कर लिया जाता है। अन्य डाक सुविधाओं के लिए, जब तक परियोजना स्थल पर ही डाकघर न खोल दिया जाए, परियोजना क्षेत्र के निवासी नजदीकी मौजूदा डाकघर से ये सुविधाएं ले सकते हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु डाक अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में होने वाली विकासात्मक क्रियाकलाओं के निरन्तर सम्पर्क बनाए रखते हैं। ताकि जैसा औचित्य बनता हो उस प्रकार सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

(2) टेलीफोन एवं तार सुविधाएं

(क), (ख), एवं (ग) सामान्यतः किसी स्थान पर टेलीफोन एवं तार सुविधाएं तब तक उपलब्ध की है जब योजना वित्तीय दृष्टि से व्यवहारी हो अथवा हानि होने की स्थिति में परियोजना प्राधिकारियों, राज्य सरकार अथवा किसी भी इच्छुक पार्टी में कराए एवं गारन्टी पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हों। परन्तु कृषि/सिंचाई/पावर परियोजना स्थल/टाउन शिप आदि के लिए हानि की शर्त में कुछ सीमा तक छूट दी जाती ज।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में काम में लाई जा रही बसें, टैक्सियां, डम्पर

5007. **श्री ए० के राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा बसों, टैक्सियों, टैक्ट्रों, डम्परों जैसे. कितने वाहन किराये पर काम में लाये जा रहे हैं और 1980-81 में तथा 1-11-81 तक उनके मालिकों को कितनी राशि का किराये के रूप में भुगतान किया गया, इसके विस्तृत तथ्य क्या हैं तथा वाहन-वार उनके प्रकार का ब्यौरा क्या है और उनकी प्रति दिन की किराया दरें क्या हैं ;

(ख) इन वाहनों के मालिकों के नाम क्या हैं तथा उनका क्षेत्र एवं मुख्यालय-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सभी वाहनों के लिए आवश्यक कामकाज हैं और इन पर लगने वाले कर दे दिए गए हैं, और इसके विस्तृत तथ्य क्या हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश वाहन काला धन छिपाने के लिए विभिन्न प्रकार के बल प्रयोग करने वाले लोगों द्वारा बेनामी आधार पर वाहनों के कामकाज तैयार कराये बिना ही चलाये जाते हैं और जो भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा अनियमितताओं पर पर्दा डालने के लिए काम में लाये जा रहे हैं, और

(ड.) यदि हां. तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ड.) सूचना एकत्र की रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

झालावाड़ राजस्थान में तार तथा टेलीफोन सेवाओं में सुधार

5008. **श्री चतुर्भुज** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने 2 नवम्बर, 1981 को झालावाड़, राजस्थान की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां. तो क्या तार और टेलीफोन सेवाओं में उचित प्रबन्ध सुधार के लिए झालावाड़ मुख्यालय में तार तथा टेलीफोन भवन के उद्घाटन के समय कोई आश्वासन किये गये थे और ये आश्वासन कब तक पूरे कर दिये जायेंगे और उनका पूरा ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) संचार उप मन्त्री ने झालावाड़ मुख्यालय में तार तथा टेलीफोन भवन के उद्घाटन के समय बिना किसी विशेष मामले के जिक्र के तार तथा टेलीफोन सेवाओं में सुधार के संबंध में सामान्य आश्वासन के अनुसार, टेलीफोन तथा तार सेवाओं में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है।

राजस्थान के गांमों नये कनैक्शन न दिए जाना

5009. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इस समय राजस्थान के किसी भी जिले के किसी भी गांव में नये कनैक्शन नहीं दिये जा रहे हैं , हालांकि इन गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है , और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और नये कनैक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य में किसी भी किस्म के बिजली के कनैक्शन दिए जाने पर इस समय कोई प्रतिबन्ध नहीं है बशर्ते वह निर्धारित शर्तें पूरा करता हो।

भारत में गंधक का उत्पादन

5010. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय गंधक का उत्पादन कितना है,

(ख) वर्ष 1981-82 में गंधक की कुल आवश्यकता कितनी है,

(ग) भारत किन देशों में गंधक का आयात कर रहा है; और

(घ) वर्ष 1980 में देशवार गंधक कितनी मात्रा में आयात किया जाता था,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में राक सल्फर के कोई स्रोत नहीं है। तथापि सल्फर निहित कच्चे तेल से एक नगण्य मात्रा प्राप्त की गई है। इसलिये देश में सल्फर की लगभग सम्पूर्ण मांग की आयातों से ही पूरा किया जाता रहा है।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान देश में सल्फर की कुल मांग लगभग 1.0 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ग) भारत सल्फर का आयात कनाडा यू० एस० ए० मैक्सिको, पोलेण्ड कुवैत, इरान, इराक बहराइन और यू० एस० एस० आर से कर रहा है।

(घ) वर्ष 1900 के दौरान सल्फर का देश वार आयात निम्न प्रकार था :

	मात्रा 000 मी० टन में
कनाडा	174
इरान	69
इराक	222
कुवैत	77
पोलेण्ड	14
यं० एस० एस० आर	16
यू० एस० ए०	33
बहराइन	55
कुल	660

बी० सी० सी० एल० के अधिकारियों को गृह-निर्माण और मोटर कार-ऋण

5011. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1981 को मकान बनवाने और कार खरीदने के लिए बी० सी० एल० के अधिकारियों को कितनी राशि के ऋण दिये गये थे ; इसके विस्तृत तथा क्या हैं और किन-किन अधिकारियों को कितनी राशि दी गई है ;

(ख) इन ऋणों से खरीदी गई कारों और बनाये गये मकानों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1981 में कार भत्ते की कितनी राशि ली गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश ऋणों का दुरुपयोग किया गया था और कार भत्ता ले रहे अधिकारी बी० सी० सी० एल० की कार का उपयोग कर रहे हैं और मकान ऋण लेने के बाद भी वे बी० सी० सी० एल० के मकानों में रह रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी विस्तृत तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बी० सी० सी० एल० का कुल क्षेत्र

5012. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1981 को बी० सी० एल० का कुल क्षेत्र तल अधिकार और वास्तविक कब्जे के अर्थों में कितना है ; इसके विस्तृत तथ्य क्या हैं और तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) भूमि का कुल कितना क्षेत्र है जिसके लिए बी.सी.सी. एल. के पास वैधा पत्र हैं और 31 मार्च. 1981 को बी. सी. सी. एल. ने राज्य सरकार को कितना भू-राजस्व दिया था और तत्सम्बन्धी क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) बी. सी. सी. एल द्वारा राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों से कुल कितनी भूमि अधिगृहीत की गई थी और इसके विस्तृत तथ्य क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि अधिकांश भूमि, जिसका बी. सी. सी. एल. अपनी स्वयं की भूमि होने का दावा करता है, भूतपूर्व प्राइवेट मालिकों द्वारा गैर-कानूनी रूप से हथियाई गई थी और बी. सी. सी. एल. ने कागजात के बिना इस अवैध कब्जे को केवल प्राप्त कर लिया है ; और

(ड.) यदि हां, तो इन कब्जों को वैध बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बी० सी० सी० एल० की बैठकों के मनोरंजन और विज्ञापन पर किया गया व्यय

5013. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 मे बी. सी. सी. एल. द्वारा विभिन्न बैठकों के मनोरंजन और विज्ञापन पर कितना व्यय किया गया और इसके विस्तृत तथ्य क्या हैं तथा इसका महीनेवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि में कार्मिक संघ के नेताओं के मनोरंजन और श्रमिकों के खिलाफ आरोप पत्र और निलम्बन संबंधी विज्ञापन पर किए व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कार्मिक संघों की बैठकों का ब्यौरा क्या है और मनोरंजन से सबद्ध कार्मिक संघों के नाम क्या है और कौन-कौन से समाचार-पत्र विज्ञापन का प्रमुख हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं ; और

(घ) क्या इन मामलों में मितव्ययिता की कोई गुंजाइश है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दक्षिण एशियाई देशों में दूर संचार व्यवस्था की स्थापना की रूप रेखा

5014. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशियाई देशों में दूरसंचार व्यवस्था की स्थापना करने की रूपरेखा के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) सभापटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र की एशिया एवं सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक परिषद् (ई. सी. ए. एम. ई अव ई. एस. सी. ए. पी.) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (आई. टी. यु.) तथा भाग लेने वाले एशियाई देशों जिनमें भारत भी शामिल है के बीच हस्ताक्षर हुए करार के संबंध में एशियाई दूर संचार जालकार्य स्थापित करने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन 1970 के आरंभ में किया गया था । इन अध्ययनों में स्थायी अच्छे किस्म के परिषण लिकों की व्यवस्था तथा उन्नत क्षेत्रीय दूर संचार जाल कार्य के लिए अपेक्षित अन्य पहलू भी शामिल हैं । भारत ने अध्ययन में भाग लिया तथा वह दक्षिण एशिया में एशियाई जाल कार्य के अंग के रूप में अपने पडोसियों में प्रणालियों के कार्यान्वयन से विशेष रूप से संबंधित है । इन लिकों के विवरण तथा वर्तमान स्थिति नीचे दी जा रही है ।

भारत श्री लंका सूक्ष्म तरंग लिक

भारत को श्री लंका से जोड़ने के लिए भारत में मदुरें तथा रामेश्वरम के बीच एक बौडी-पट्टी सूक्ष्म तरंग प्रणाली तथा रामेश्वरम (भारत) और कोलाम्बो (श्री लंका) के बीच चौड़ी पट्टी क्षमता की एक अन्य प्रणाली की योजना बनाई गई है । इसके अतिरिक्त मन्नार तथा जाफ्फना (श्री लंका) के बीच एक तरंग पट्टी सूक्ष्म तरंग प्रणाली की योजना तैयार की गई है । शीघ्र ही इन लिकों के चालू हो जाने की सम्भावना है ।

भारत बंगलादेश सूक्ष्म तरंग लिक

भारत को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए इस लिक के उन्तर्गत कृष्णानगर (भारत) तथा चौड़गा (बांग्ल देश) के बीच एक पारसीमा सूक्ष्म तरंग लिक का प्रस्ताव किया गया था । यह लिक चालू हो गया है ।

भारत–नेपाल सूक्ष्म तरंग/सहधुरीय लिक

इस लिक के अन्तर्गत पटना-मुराफ्फरपुर-रैकसौल केबीच एक चौड़ी पट्टी सूक्ष्म तरंग प्रणाली तथा रैकसौल और बीरगंज (नेपाल) के बीच एक चौड़ी पट्टी सहधुरीय केबुल लिक उपलब्ध कराये जा रहे हैं । भारतीय क्षेत्र में सूक्ष्म तरंग प्रणाली तना सहधुरीय केबुल संस्थापित किये जा चुके हैं । नेपाल क्षेत्र में केबुल बिछाने का कार्य तेजी पर है ।

भारत-पाकिस्तान सहधुरीय केबुल लिंक

इस लिंक के अन्तर्गत अमृतसर (भारत) तथा लाहौर (पाकिस्तान) के बीच एक चौड़ी पट्टी सहधुरीय केबुल लिंक का प्रस्ताव है। प्राथमिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसे अतिरिक्त अमृतसर-लाहौर सहधुरीब केबुल लिंक की संस्थापना के बाद जोधपुर (भारत) और मिर्जापुर खास (पाकिस्तान) के नीचे एक सहधुरीय केबुल लिंक की योजना है।

उपर्युक्त लिंकों के अतिरिक्त, भारत में हाशिमारा की भूटान में क्षिम्पू से जोड़ने वाला-भारत-भूटान सूक्ष्म तरंग लिंक संस्थापित किया जा रहा है।

भारत में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों का ब्यौरा

5014. **श्री सुभाष चन्द्र बास अल्लूरी :**

श्री एन० ई० होरो : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितनी और कौन-कौन सी बहुराष्ट्रिक कम्पनियाँ कार्य कर रही हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) बहुराष्ट्रिक कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों के, कम्पनी-वार, नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी शाखाओं और/या सहायकों के माध्यम से कार्य करती है। 31.3.1980 तक, भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की 135 शाखाएं और 118 सहायकें कार्य कर रही थीं। इन शाखाओं और सहायकों के नामों को, सहायक कम्पनियों की पैतृक/धारक कम्पनी के नाम तथा विनिगमन के देश के साथ कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित दो अलग अलग पत्रिकाओं में, जिनके शीर्षक (i) '31.31.980 तक फैक्ट्स शोट्स आन ब्रांचेज आफ फोरिन कंपनीज इन इण्डिया' और (ii) "31.3.1980 तक फैक्ट्सशोट् अन इण्डियन सब्सोडियरोज आफ फोरिन कम्नीज" में दिए गये हैं। इन तथ्य पत्रों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को दी गई है और दी जा रही हैं।

खानों का आधुनिकीकरण

5016. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार छठी योजना अवधि के दौरान देश में कुछ कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने और इनका दर्जा बढ़ाने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हाँ।

(ख) वे बड़ी खानें जिन्हें आधुनिकीकरण/विस्तार कार्यक्रम के अधीन लाए जाने का प्रस्ताव है, संलग्न विवरण- में दी गई है।

विवरण

जिन बड़ी खानों को आधुनिकीकरण/विस्तार कार्यक्रम के अधीन लाए जाने का प्रस्ताव है वह निम्नलिखित हैं :—

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. दुर्गापुर-रैयतवाड़ी
2. ओरियन्टल
3. गोविन्दा
4. शिवपुरी
5. पाथाखेरा
6. विश्रामपुर
7. द्युत
8. महाकाली
9. न्यू मजरी
10. नन्दन
11. जमुना भूमिगत
12. जमुना ओपेनकास्ट
13. गोवरा

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

1. कालीदासपुर/कालीकापुर
2. चौंरा ब्लाक
3. कुमारडीह
4. शिवपुर
5. कुमारधूबी
6. चित्रा
7. मोहनपुर
8. लालमटिया

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

4. ए० के०
5. टोपा
6. लैथो भूमिगत
7. चूरी मनकी
8. राई बचरा
9. करकटा ओपेनकास्ट
10. साउथ बलन्दा विस्तार
11. जगन्नाथ विस्तार
12. सेन्ट्रल साउथ विस्तार
13. सौंडा "डी" ओपेनकास्ट
14. रेलीधरा भूमिगत
15. हिन्देगिर ओपेनकास्ट
16. गोरवी विस्तार
17. के० डी० विस्तार
18. गिडी ए विस्तार
19. तालचेर
20. नन्दीरा

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

1. पुटकी बलिहारी
2. नार्थ अमलाबाद
3. भालगोरा
4. खरखरी-धर्माबन्द
5. केशलपुर
6. निचितपुर-सेतुलमारी

1. सेलेक्टिड धोरी
2. घोरी वेस्ट
3. आरा अग्रिम कार्रवाई
7. भोरा इन्क्लाइन
8. मुरुलीडीह 20/21 पिट्स
9. मुरईडीह विस्तार
10. गौसलीटांड भूमिगत
11. भालगौरा/साउथ तिसरा

बलिया और वाराणसी में कुकिंग गैस एजेंसियां खोलना

5017. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सच है कि बलिया और वाराणसी में कुकिंग गैस एजेंसी खोलने के लिए समाचार-पत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया था ;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख वाराणसी के लिए बढ़ाई गई थी और बलिया के लिए नहीं ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या केवल वाराणसी के समाचार-पत्रों में ही विज्ञापन दिया गया था और बलिया के समाचार-पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया गया था ;

(ड.) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और ;

(च) क्या सरकार का विचार इस अनियमितता की कोई जांच करने और पुन: विज्ञापन देने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वाराणसी स्थित डिस्ट्रीब्यूटर शिप के लिए आवेदन-पत्रों को प्राप्त करने के समय को अनुरोध प्राप्त होने पर अन्तिम तिथि से 15-16 दिनों के भीतर देने के लिए बढ़ा दिया गया था, जबकि बलिया के बारे में तिथि को बढ़ाने हेतु बहुत देर में प्राप्त हुआ था, अर्थात अन्तिम तिथि के लगभग 2 महीने बाद जब समय अवधि बढ़ाना व्यवहारिक नहीं था ।

(घ) वाराणसी के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप का विज्ञापन हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) तथा (हिन्दी) में दिया गया था और बलिया के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) तथा दैनिक जागरण (हिन्दी) में दिया गया था ।

(ड.) मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के अनुसार, विज्ञापन दो दैनिक समाचार-पत्रों में एक अंग्रेजी के और दूसरा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में जिसका सम्बन्धित जिला महानगर अथवा प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलन होता है ; जैसा भी मामला हो, दिए जाते हैं ।

(च) क्योंकि सम्बन्धित कम्पनी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए किसी प्रकार की जांच-पड़ताल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक में पन-बिजली परियोजनाएं

5018. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कौन-कौन-सी पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है अथवा उनका जांच कार्य चल रहा है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना का अनुमानित लागत और बिजली उत्पादन की क्षमता क्या है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के किस तारीख तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(घ) क्या इनमें से किसी परियोजना की प्राक्कलित लागत संशोधित की गई है ; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कर्नाटक की जो जल-विद्युत स्कीमें निर्माणाधीन हैं, जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है तथा जिनका अन्वेषण किया जा रहा है, उन स्कीमों का ब्योरा क्रमश: विवरण-1, विवरण-2 तथा विवरण-3 में दिया गया है।

(घ) और (ङ.) कर्नाटक में जल विद्युत स्कीम के लागत अनुमानों में संशोधन के बारे में राज्य प्राधिकारियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-1

1. निर्माणधीन परियोजनाएं

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	स्वीकृत अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	चालू होने की संभावित तारीख
1. कालीनदी चरण-1	6×135+ 2×50	131.50 सोपान-1 में पारेषण प्रणाली के लिए 5.84 करोड़ रु. समेत।	135-135 मेगावाट के तीन यूनिट चालू किए जा चुके हैं। 3 यूनिटों को दिसम्बर, 1983 में चालू करने का लक्ष्य है। 50-50 मेगावाट के दो यूनिटों को 1984-85 के दौरान चालू करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4
2. वाराही चरण-1	21×15+ 2×4.5	136.4	1986-87
3. गंगावली चरण-1	2×10.5	135.83	स्थानीय आन्दोलनों के कारण इन परियोजनाओं पर कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है। अतः इस स्थिति में इन दो स्कीमों को चालू करने की संभावित तारीख के बारे में बता सकना संभव नहीं है।
4. कालीनदी चरण-2	4×32+ 4×25+ 2× 25	205.83	

विवरण-2

(एक) कर्नाटक में अन्वेषण की जा रही परियोजनाएं

1. काली नदी चरण-3
2. सोन्डा पथानघाहाल्ला
3. शरावती टेल रेस (परियोजना रिपोर्ट अब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हो गई है)
4. बोरोपोल
5. अघनासनी
6. नेत्रावली
7. महादायी
8. कावेरी
9. अपर कृष्णा

विवरण-3

1. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही परियोजनाएं

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1. घाट-प्रभा	2×16	18.55
2. कावेनी बांध बिजली घर	1×20	8.74
3. शिवपुर	2×9	18.07
4. शरावती टेल रेस	4×60	144.69

कर्नाटक को आवंटित किया गया कोयला

5019. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान कर्नाटक राज्य को आवंटित किये गये कोयले की मात्रा कितनी है ;

(ख) इस अवधि के दौरान वास्तव में कोयले की कितनी मात्रा दी गई ; और

(ग) राज्य की मांग की तुलना में इसकी स्थिति कैसी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) किसी राज्य को कोयले का आबंटन नहीं किया जाता है । फिर भी राज्यों को कोयले की कुल मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं । अप्रैल-अक्तूबर, 1981 की अवधि में कर्नाटक को लगभग 10.03 लाख टन कोयला सप्लाई किया गया था । वर्ष 1981-82 के लिए कोयला नियंत्रक द्वारा अनुमानित कर्नाटक की कोयले की मांग 1.8 मि० टन है ।

कर्नाटक और पूरे देश के गांवों में नये डाकघर खोलना

5020. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के गांवों के विकास के लिए वहां नये डाकघर खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों का ब्योरा क्या है और इन गांवों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में डाकघरों की स्थापना के लिए कोई योजना बनाई है ,

(घ) क्या सभी गांवों को शामिल करने के लिए अपेक्षित डाकघरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है , और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सभी गांवों को शामिल करने में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्नाटक सर्किल में 1981-82 के दौरान अभी तक खोले गए डाकघरों एवं 31.3.82 से पहले खोले जाने वाले डाकघरों के ब्योरे क्रमशः विवरण-1 एवं 2 में दिए गए हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) एवं (ङ.) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । परन्तु देश में 5,75,930 गांवों की तुलना में ग्रामीण डाकघरों की संख्या 1,25,247 है । हालांकि प्रत्येक गांव में डाकघर खोलने

का कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी, इस उद्देश्य हेतु निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखकर प्रत्येक वार्षिक योजना में उत्तरोत्तर ग्रामीण डाकघरों की संख्या बढ़ाने के प्रयत्न किए जाते हैं।

विवरण-1

कर्नाटक सर्किल में 1.4.81 से 31.11.81 तक खोले गए डाकघर

1. शान्थेगुड्डा
2. बैरी
3. बालुरवकेरे
4. हालैटरगल
5. हगरागुड़
6. मनकलहल्ली
7. गौमाहल्ली
8. मन्दगंदमौनी
9. बेलाकुम्पा
10. तोतनवल्ली
11. हरस्याल
12. सुमबड़
13. हेनगड़का
14. बरगी
15. सोनागुर
16. नीलालूर
17. नगराड्डा
18. बरीहारा
19. वागहाराव्याकरबल्ली
20 शिरगुड्डा
21. गूंडलागनेक
22. कृष्णापुरा
23. कोलूरनगैनहल्दी
24. यतम्मबड़ी
25. पुन्यस्तल्ला
26. बेलागराहल्ली
27. पालसान्द्र
28. शिरियाना
29. कोडू पेंजीमारा
30. मोड्डापड्डूकोड्डी
31. अंडीजय
32. देवराहल्ली
33. राई

विवरण-2

कर्नाटक सर्किल में 1.12.81 से 31.8.82 तक खोले जाने वाले डाकघर

1. अमरूथाहल्ली
2. घौडलू
3. देवानूर
4. कोप्पा (पेरिया पटना)
5. कुन्टूर
6. वेंकटापुरा
21. मराटागेरे
22. गोहीमारुर
23. डेडामाल्थे
24. अरावाथेगरू
25. नेरुगलार्ल
26. येनेहोल्कोप्पालू

7. पुरेबंगी
8. हारेकोल्लाले
9. नीराले
10. दन्तल्ली
11. कन्नेगाला
12. गुथानूर
13. शिवापुरा
14. गांधीचौका
15. अन्नसेवरा
16. जगन्नानकेरे
17. हैगैंडल्लू
18. बसवनहल्ली
19. बेलाघेरेहल्ली
20 अन्जनागिरी बेट्टा
27. होनेवनयाली
28. हनुमानहल्ली
29. गापागन्डनहल्ली
30. कुरकुर
31. बलेजा
32. करपे
33. यरियादगा
34. नवूर
35. मुद्दुकोड्डी
36. मोमालपुरा
37. बांदीकोप्पा
38. हैबगुंड
39. सुलीकट्टी
40. हलकूपुगल
41. होशाकट्टी

माननथोडी बहुद्देश्यीय योजना

5021. **श्री ए० नीलालोहेथादसन नाडार :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की माननथोडी बहुद्देश्यीय योजना के लिए प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इसे स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) केरल में मनन्थवाडी बहुद्देश्यीय स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

राज्य प्राधिकारियों से मई, 1980 में प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है। स्कीम के कुछ पहलुओं पर टिप्पणियां राज्य प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं तथा उत्तरों की परीक्षा है। तथापि, इस परियोजना के अनुसार काबेरी बेसिन के जल को पश्चिम दिशा की ओर व्यापवर्तित किया जाना है। इस मुद्दे पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विचार विमर्श चल रहा है। बहुद्देश्यीय परियोजना होने के कारण, इसको योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना होगा और उसके बाद विद्युत के हिस्से को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

बताए गए। टिकट के पीछे विज्ञापन के लिए इन्होंने 70%-30% के शेयर सहित 5 लाख रुपये के न्यूनतम कारोबार की गारंटी दी।

3. मेसर्ज क्लासिक एडवर्टिजमेंट (कलकत्ता)

इस एजेंसी ने तीन वर्षों के लिए एक मुश्त रकम 1,12,50,000 रुपये बताई। अलग-अलग आंकड़े नहीं दिए गए।

4. एडवेल एडवर्टाइजिंग सर्विस

इस एजेंसी ने केवल बसों पर विज्ञापन के बारे में दरें बताईं। यह धनराशि तीन वर्षों के लिए 1,20,61,015 रुपये बताई गई।

5. मेसर्ज एड सिने

इस एजेंसी ने तीन वर्षों के लिए 36,36,636.36 रुपये बताए (12,12,212.12 रुपये प्रति-वर्ष) यह दर केवल बस क्यू शेल्टरों/टाइमकीपर बूथों के लिए बनाई गई।

6. मेसर्ज कनारा एडवरटाइजिंग

इस एजेंसी ने केवल तीन वर्षों तक केवल बस क्यू शेल्टरों/टाइमकीपर बूथों पर विज्ञापन के लिए 16,80,000 रुपये (प्रथम वर्ष में 3.80 लाख रुपये, द्वितीय वर्ष में 5.6 लाख रुपये और तृतीय वर्ष में 7.40 लाख रुपये) बताये।

मेरठ जिला उत्तर प्रदेश की मध्य गंग नहर का सर्वेक्षण

5525. **श्री निहाल सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरात्तत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के हस्तिनापुर क्षेत्र में मध्य गंग नहर की खुदाई करते समय कौरव और पाण्डवों के समय की शीशे की दीवारों तथा अन्य सामग्री के पाए जाने के बारे में रिपोर्टों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्राचीन परीक्षतगढ़ किले के अवशेष आदि मेरठ जिले में अब भी उपलब्ध हैं और क्या सरकार का विचार और आगे खुदाई कराने का है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) ग्लाश की दीवार प्राप्त नहीं हुई थी। कुछ खंडित ग्लास के टुकड़े, पिघले हुए ग्लास के धातुमल और ईंट के रोड़ों से चिपका हुआ द्रवित ग्लास एक मीटर लम्बाई तक उपलब्ध हुए थे। वहां पर उपलब्ध ग्लाश आधुनिक ग्लास के सदृश है। एक मीटर की गहराई पर एक पकी मिट्टी का मंडल कूप प्रकट हुआ था, जिसमें केवल चार घेरे थे।

(ग) मेरठ जिले में परीक्षितगढ़ का एक टीला है। सतही उपलब्धियों से मध्यकालीन और पूर्ववर्ती कालों के चिह्न मिलते हैं। उस टीले पर खुदाई कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डीजल इंजन सप्लाई करने वाली फर्में

5528. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन से रेलवे बोर्ड द्वारा पिछले 3 वर्षों में डीजल इंजन खरीदे जाते रहे हैं और इस प्रकार खदीदे गये प्रत्येक डीजल इंजन की कीमत क्या है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : गत तीन वर्षों में रेलवे बोर्ड ने किसी भी फर्म से कोई डीजल रेल इंजन नहीं खरीदा है। डीजल रेल इंजन वाराणसी और चितरंजन स्थित रेल कारखानों में बनाये जा रहे हैं।

वेदों के अध्ययन को लोकप्रिय बनाना

5527. **श्री के० मालन्ना**
श्रीमती संयोगिता राणे] : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में वेदों के अध्ययन को लोकप्रिय बनाने के लिये काई प्रयास किये हैं;

(ख) क्या इस बारे में दिल्ली में हाल में कोई गोष्ठी हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और सरकार से इस सम्बन्ध में क्या सहयोग मांगा गया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) शंकर संस्कृत, संस्कृति तथा शास्त्रीय कला अकादमी ने, जो देश में वैदिक अध्ययनों के लिए संस्थाएं चलाने वाला एक स्वैच्छिक संगठन है, ऐसी ही कुछ अन्य संस्थाओं के सहयोग से दिल्ली में 15 से 17 नवम्बर. 1981 तक एक अखिल भारतीय वैदिक छात्र सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में पारित किए गए एक संकल्प में भारत सरकार से निम्न-लिखित अनुरोध किया गया है :

(i) इन पाठशालाओं के लिए सहायता को मौजूदा 75 प्रतिशत के स्तर से 95 प्रतिशत तक बढ़ाना;

(ii) शिक्षकों और छात्रों के वेतनमानों और छात्रवृत्तियों के स्तर को वढ़ाना, जिसके आधार पर क्रमशः 1,000 रु० और 150 रु० प्रति मास की सहायता प्रदान की जा रही है।

पल्लियाडि रेलवे स्टेशन का सुधार

5528. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों एवं खतरे की जानकारी है जो त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन पर पल्ली ऐडी रेलवे स्टेशन के पुल पर उतरना चाहते हैं, क्योंकि उनको पुल के तंग होने और दोषपूर्ण निर्माण के कारण 20 फुट नीचे पानी में कूदना पड़ता है;

उपक्रमों निगमों और स्वायत्तशासी संस्थानों में विज्ञापन

5024. **श्री के० मालन्ना :** सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में मन्त्रालय के अधीन प्रत्येक उपक्रम निगम और स्वायत्तशासी संस्थाओं के वार्षिक विज्ञापन बजट का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) ऐसी एजेंसी कौन सी है जिसके माध्यम से विज्ञापन प्रचार अभियान किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

सन्चार मन्त्रालय के अधीन कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति

5025. **श्री पियूष तिरकी :** क्या सन्चार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्यालयों में इस वर्ष कितने विकलांग व्यक्ति नियुक्त हैं और राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या नौकरियों का कुछ प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है ;

(ग) यदि हां, तो क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है ; और

(घ) विकलांग व्यक्तियों के नौकरियों का कोटा पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सन्चार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) (क) से (घ) कुछ बिशेष प्रकार के कामों के लिए रिक्त स्थानों का 3 प्रतिशत विकलांग लोगों के लिए सुरक्षित रखा गया है । डाकतार विभाग सहित संचार मन्त्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों को निदेश भेज दिये गए हैं कि वे ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए विकलांग उम्मीदवारों को उचित सं० में नियुक्त कर तैनात करें क्योंकि डाकतार विभाग के अधीन भर्ती कार्यालयों की संख्या बहुत ज्यादा है अतः नियुक्त किए गए विकलांग लोगों की तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा

पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के अन्तिम निपटान के लम्बित मामले

5026. **श्री पियूष तिरकी :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के बहुत से मामले अभी तक अन्तिम निपटान के लिए लम्बित हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मामले लम्बित हैं ; और

(ग) इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) और (ख) मुआवजे के सभी दावे अब निपटा दिये गये हैं। तथापि, समय-समय पर दिए गये न्यायिक आदेशों और प्राप्त अभ्यावेदनों के परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में पुनः कार्यवाही करना अपेक्षित है। इस समय ऐसे मामलों की संख्या 298 है।

(ग) इन 298 मामलों का निपटान करने के लिए राज्य सरकारों/दावेदारों से अतिरिक्त जानकारी/कागजात प्राप्त किये जाने हैं। इन व्यक्तियों के मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए इस दिशा में सतत प्रयास किये जाते हैं। स्थल पर जाकर अपेक्षित आंकड़े एकत्रित करने के लिए समय-समय पर बन्दोबस्त विंग के अधिकारियों के दल भेजे जाते हैं।

वर्ष 1981-82 में राजस्थान में खोले गये डाकघर और उप-डाकघर

5027, **श्री चतुर्भुज** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 के दौरान राजस्थान में कितने और किन-किन स्थानों पर डाकघर और उप-डाकघर तथा डिवीजनल कार्यालय खोले जाने का विचार है?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) 1981-82 के दौरान राजस्थान में अब तक 34 शाखा तथा 4 गैर वितरण नगर उप डाकघर खोले गये हैं। 1981-81 की शेष अवधि के दौरान 54 शाखा डाकघर तथा 6 गैर वितरण नगर उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव हैं

1981-82 में न तो कोई मंडल कार्यालय खोला गया है और न ही खोले जाने की संभावना है।

जहां 1981-82 के दौरान डाकघर खोल दिए गए हैं अथवा खोले जाने का प्रस्ताव है, उन स्थानों के नाम क्रमशः विवरण-1 एवं 2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

राजस्थान में उन स्थानों के नाम जहां 1981-82 दौरान डाकघर खोल दिए गए हैं।

शाखा डाकघर :

1. गोपालपुरा
2. अलमास
3. अनिर्या
4. भावाना
5. खाखूरमाला
19. रालोर
20. कटराअजीज
21. टूलेरा
22. रघुनाथगढ़
23. भूगढ़

6. झालारिया
7. लाम्बियाकलां
8. बुडवा
9. राकूब्यास
10. सुलावास
11. धारोड
12. अन्डोरा
13. खेराली
14. लुहारिया
15. पालका
16. गढ़ी छाटोला
17. इब्राहीमपुर
18. कोतरा

उप डाकघर

1. दांअसामण्डी
2. शिवपार्क शास्त्रीनगर जयपुर
3- मांडेलपुरा
4. झालावार रेलवे कालोनी फलेरा

54. मन्सेर खेड़ी
25. राजवास
26. पसोलीमीदानी (लोहावत)
27. मानकपुरा
28. नोतीसारा
29. गुडली
30. उपलागढ़
31. पंचातिया
32. सेना
33. डांगरा
34. मेरुगढ़

विवरण-2

उन स्थानों के नाम जहां 1881-82 के दौरान डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है

शाखा डाकघर

1. मडाल्डा
2. बारली
3. डींगरी
4. रोवड़ा
5. सरसिया
6. देलवास
7. गानावाल
27. चाकुन
28. सीरानगर
29. चक हांरदुपुर
30. मोतीर
31. लालार
32. लूगवासखारा
33. चाखी

8: नाल
9. सूरजगढ़
10. मडराडा
11. थेडा
12. पारंडा
13. उगामामाकांटला
14. अमेरपुरा
15. डाकाओं कोटरा
16. डाडावाली
17. नयागाँव
18. ताजेवाला
19. मीनपुरा
20. रूपनगर
21, बेहलेलनगर
22, होलपुर
23, मनेशखड़ा
24, लाखिया
25, रोजरी
26, गुमाडाली
34. रामसानी
35. ढंढानिया भायलां
36- भालूराजवा
37. बनवारला
38. नंदिया प्रांभावाड़ी
39. सेवकी कलां
40. लवेराखुर्द
41. सीरामांडी
42. नूरकी भुज
43. कंडियापुरोहितां
44. काकानी
45. खर्दमेवाना
46, रोहीना
47, खीआसारिया
48, सानोरी
49, बारजासारी
50, जोधपुरा
51, माकुर्द
52, जम्बुरी
53, मम्मेरखेड़ा
54, सारंगसर

उप डाकघर

1, पहाड़गंज जे० पी०
2, शिवाजी नगर उदयपुर
3; छोटसादरी
4, अशोक नगर
5, कुशालगढ़ बस स्टैंड डूंगरपुर
6, गलियाकोट कालोनी सांगवाड़ा

एन० टी० पी० सी० को आवंटित धनराशि और उसका प्रयोग

5028. **श्री केयूर भूषण :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में एन० टी० पी० सी को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी ;

(ख) वर्ष 1980-81 में आवंटित पूरी राशि का उपयोग किया गया है ;

(ग) क्या वर्ष 1980-81 में कुछ राशी व्यपगत हो गई है ;

(घ) यदि हां, तो किस शीर्ष के अन्तर्गत ;

(ङ) इस राशि के व्यपगत होने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या इसके जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (च) : 285.40 करोड़/ रुपये के बजट प्रावधान के सामने, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने वर्ष 1980-81 के लिए 251.72 करोड़ रुपये लिए। ब्यौरा निम्नलिखित है :—

करोड़ रूपये में

बजट शीर्ष	बजट अनुमान	ली गई निधियां
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में लागत	216.10	203.58
राष्ट्रीय निगम को विद्युत ऋण	69.10	47.94
राष्ट्रीय ताप निगम अनुदान	0.20	0.20
	285.40	251.72

1980-81 वर्ष में थोड़ी कम निधियां लेने के कारण 1981-82 के शुरू-शुरू में पूरा होने वाले फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र 3×200 मेगावाट के यूनिटों के लिए मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आर्डर लिया जाना है जबकि इसको 1980-81 वित्त वर्ष के अन्त में पूरी होने की सम्भावना थी ।

रायपुर रेडियो स्टेशन को विज्ञापन सेवा केन्द्र बनाना

5029. **श्री केयूर भूषण :** सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थिति आकाशवाणी के विज्ञापन सेवा केन्द्रों (कमर्शियल सेन्टस) के नाम क्या हैं ;

(ख) आकाशवाणी के अधीन विज्ञापन सेवा केन्द्र की स्थापना करने के क्या मानदन्ड हैं ;

(ग) क्या रायपुर रेडियो स्टेशन को विज्ञापन सेवा केन्द्र बनाने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति मिल जाने की आशा है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) भोपाल और इन्दौर।

(ख) आकाशवाणी के विज्ञापन प्रसारण/केन्द्र नगर/शहर की जनसंख्या, उसके कारोबार की क्षमता, औद्योगिक विकास और वहां प्रसारण समय की बिक्री की गुन्जाइश को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं ।

(ग) से (ङ) आकाशवाणी, रायपुर से विज्ञापन प्रसारण सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नही है। तथापि, रायपुर केन्द्र सहित आकाशवाणी के केन्द्रों के प्राथमिक चैनलों से विज्ञापनों को चरणों में शुरू करने का स्वीकृत प्रस्ताव है ।

दूरसंचार विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की मांग

5030. **श्री सत्यनारायण जटिया : संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतनमान में संशोधन के दौरान दूरसंचार विभाग में इन्जीनियरी स्नातकों के लिए अग्रिम वेतन आयोग से पहले विद्यमान थी, समाप्त कर दिया गया था,

(ख) क्या यह भी सच है कि कनिष्ठ अभियन्ताओं ने विद्यमान 425-700 रुपये के वेतनमान के आधार पर 590-900 रुपये का वेतनमान करने की मांग की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सिद्धान्त रूप में उन्होंने "जूनियर इन्जीनियर्स टेलीकम्युनिकेशन एसोसिएशन" द्वारा की गई शिकायत को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, ।

(ग) और (घ) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

दिल्ली में टैक्सी स्टैंडों पर टेलीफोन की सुविधायें

5031. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने टैक्सी स्टैंडों पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) टैक्सी स्टैंडों पर लगे हुए टेलीफोनों से सरकार को कुल कितनी आय हुई है और टैक्सी स्टैंडों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उपमत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) इस प्रकार का रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ख) अर्जित राजस्व के बारे में कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता । टैक्सी स्टैंड हेतु टेलीफोन प्रतीक्षा-सूची के अनुसार उनकी बारी आने पर दिया जाता है ।

नायलोन यार्न बनाने वाली फर्में

5032. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन सी फर्मों नायलोन यार्न बनाने के काम में लगी हुई हैं ;

(ख) सरकारी क्षेत्र से ऐसी कितनी फर्में हैं और गैर सरकारी क्षेत्र में कितनी ; और

(ग) क्या सरकार को धागे की कताई के काम में इन फर्मों को हो रही कठिनाईयों की जानकारी है और यदि हाँ, तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्ययाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) इस समय निम्नलिखित कम्पनियां जो सभी प्राइवेट क्षेत्र में हैं, नायलान यार्न का काम कर रही हैं :—

1. बड़ौदा रैयन कारपोरेशन लिमिटेड,
2. सेन्चुरी इंका लिमिटेड,
3. गविचर नायलान्स लिमिटेड,
4. जे० के० सिन्थैटिक्स फाइवर एवं कैमिकल्स लिमिटेड,
5. मोदीपोन लिमिटेड.
6. निर्लोन सिन्थैटिक फाइवर एवं कैमिकल्स लिमिटेड,
7. श्री सिन्थैटिक लिमिटेड,
8. स्ट्रैल फाइवर्स इंडिया लिमिटेड,
9. नेशनल रैयन कारपोरेशन लिमिटेड,
10. श्री राम फाइवर्स लिमिटेड,

(ग) सरकार को नायलान कताई उद्योग की मुख्य कठिनाईयों की जानकारी नहीं है।

एशियाई खेल-82 के लिए बिजली की आवश्यकता

5033. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में होने वाले एशियाई खेल-82 के लिए बिजली की कितनी अतिरिक्त मात्रा की आवयश्कता होगी ;

(ख) एशियाई खेलों के दौरान आवश्यक, बिजली की इस अतिरिक्त मात्रा की पूर्ति का, सरकार किन स्रोतों से प्रबंध करेगी ; और

(ग) क्या सरकार खेलों के बीच में अचानक बिजली के चले जाने के अवसर पर विना बाधा के बिजली की सालाई जारी ध्यान में रखते हुए जैनरेटरसेंटों का प्रबन्ध कर रही है और यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशी खर्च होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) : इस प्रयोजन के तिए विद्युत की अतिरिक्त मात्रा 40/45 मेगावाट होने का अनुमान है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत उत्पादन को एशियाड-82 की विद्युत संबन्धी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पर्याप्त समझा गया है। आपातकालीन स्थिति में उत्तरी ग्रिड से भी बिजली ली जा सकती है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि कुछ एक एजेन्सियों जो कि विभिन्न काम्पलेक्सों में विद्युत के आन्तरिक वितरण की देखरेख कर रही है, आपातकालीन भारों को पूरा करने के लिए उत्पादन सेटों की व्यवस्था कर सकती है।

महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग जिले में रेडी टेलीफोन एक्सचेंज से आय

5034. **श्री वापू साहिब परुलेकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग जिले में रेडी टेलीफोन एक्सचेंज से कितनी-कितनी आय हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष आय में भारी कमी होती जा रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि एक्सचेंजों में सुचारु रूप से काम नहीं हो रहा है और इस संबन्ध में कई शिकायतें की गई हैं ?

सन्चार मत्रालय में उप-मंत्री श्री विजय एन० पाटिल) : (क) महाराष्ट्र के रेडी टेलीफोन एक्सचेंजों से पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्न आय हुई है :—

1978-79 = 98,940.00 रुपये

1979-80 = 1,08,994.00 रुपये

1980-81 = 1,16,644.00 रुपये

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। 1980-81 में दो तथा 1979-80 में चार प्राप्त शिकायतों क तुलना में 1981-82 में केवल एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतिक्षा सूची

5035. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या संचार मन्त्री दिल्लीं में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतिक्षा-सूची के बारे में 24 नवम्बर 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 387 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान किए जाने के लिए प्रस्तावित 8050 कनेक्शनों को, जैसा कि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर के भाग (ख) में बताया गया है, एक्सचेंजवार और श्रेणीवार विवरण क्या है ; और

(ख) उहरोक्त प्रश्न के ही भाग (क) के उत्तर में बताए गए लंवित आवेदन-पत्रों का कब तक निपटान कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) : ब्यौरा संलग्न विवरणों में दिया गया है।

विवरण-1

वर्ष 1981-82 के दौरान दिल्ली में दिए जाने वाले संभावित नए कनेक्शन

क. 1-4-81 से 31-10-81 तक दिए गए नए कनेक्शन

एक्सचेन्जों से दिए गए नए कनेक्शनों की संख्या

श्रेणी	राजौरी गार्डन	करोलबाग	गाजियाबाद i	गाजियाबाद ii
नान ओ वाई टी-जर्नल	1393	564	194	182
ओ वाई टी-एस	44	40	41	97
ओ वाई टी-सामान्य	506	186	126	106
नान ओ वाई टी-विशेष	245	110	187	152

1	2	3	4	5
नान ओ वाई टी-एस एस	12	1	4	23
अप्रयुक्त टे० सला० समिति	—	—	48	46
		(दिए जाने वाले)	(दिए जाने वाले)	
	2200	901	600	600

ख. 1.11.81 से 31.3.82 तक दिए जाने वाले नए कनैक्शन

एक्सचेन्जों से दिए जाने वाले कनैक्शनों की संख्या

श्रेणी	हौज खास	जार बाग	ओखला	नेहरू प्लेस	गाजिया बाद ii	गाजिया बाद i	करौल बाग
ओ याई टी- एस	62	177	66	72	9	2	37
ओ वाई टी-सा	266	72	103	435	31	10	3
नान ओवाईटी-विशेष	42	214	113	117	53	40	53
नान ओवाईटी-एस एस	44	54	26	49	1 कोई प्रतिक्षा सूची नहीं		17
नान ओवाईटी-जर्नल	127	384	151	227	86	135	70
टे० से० समिति के लिए आरक्षित	60	100	50	100	20	13	20
टिप्पणी 1 के अनुसार सिफारिश	601	1001	509	1000	200	200	200

टिप्पणी 1 विभागीय नियमों के अनुसार मंजूर किए गये कनैक्शनों में से 50 प्रतिशत कनेक्शन, ओ वाई टी एवं गैर-ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणियों के लिए बिना बारी के कनेक्शन देने हेतु टेलीफोन सलाहकार समिति को दिये जाते हैं। चूंकि यह जानना सम्भव नहीं है कि सदस्य ओ वाई टी के मामलों की सिफारिश करेंगे अथवा गैर ओ वाई टी विशेष श्रेणियों की इसलिए ओ वाई टी तथा गैर ओ वाई टी विशेष श्रेणी में प्रत्येक में 5 प्रतिशत का आरक्षण रखा जाता है। टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात प्रयोग न किए

गए टे० स० समिति कोटे के शेष भाग को सम्बन्धित श्रेणी में बारी पर कनेक्शन प्रदान करने हेतु दे दिया जाता है।

2 कभी-कभी ऐसा होता है कि श्रेणी-वार दिए गए कुल कनेक्शनों की संख्या, जैसा कि प्रतिशतता के अनुसार निर्धारित है, कुल दिए गए कनेक्शनों से अधिक हो जाती है, क्योंकि किसी विशेष दिन एक से अधिक मामले पंजीकरण के हो सकते हैं। एक ही दिन के पंजीकरण के मामलों को कोष्ठकों में रखा जाता है और यदि वे कुल दिए गए कनेक्शनों से अधिक भी हों तो इन मामलों में कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

विवरण

दिल्ली में वर्ष 1981-82 के दौरान एक्सचेंजवार निपटाई जाने वाली प्रतीक्षा सूची की संभावित तारीखें

एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची की की निपटाई जाने वाली संभावित तारीख				
	ओ वि वाई शे टी ष	ओ सी वाई मा टी न्य	गैर एस ओ एस वाई टी	गैर विशेष ओ वाई टी	गैर सामान्य ओ वाई टी
नेहरू प्लेस	12.9.80	31.5.80	30.981	16.1.80	19.6.75
जोरबाग	16.3.81	31.5.80	30.9.81	30.9.81	22.1.79
हौजखास	16.6.80	31.5.80	16.12.80	15.5.79	11.3.77
ओखला	30.9.81	2.6.80	30.9.81	9.9.80	9.5.79
राजौरी गार्डन	14.5.81	25.3.81	14.5.81	14.5.81	9.4.75
करौलबाग	2.11.81	20.2.81	2·11.81	8.9.81	1.3.75
गाजियाबाद-1	चालू	चालू	2.11.81	31.8.81	24.6.72
गाजियाबाद-1	5.10.81	30.6.81	2.11.81	2.11.81	24.5.74

रसोई गैस की एजेंसी की स्वीकृति के लिए मानदंड

5036. श्री मोहन लाल पटेल : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी नगर में रसोई-गैस की एजेन्सी की स्वीकृति के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ;

(ख) क्या रसोई-गैस वितरक के उपभोक्ताओं का कोई कोटा निर्धारित है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में कुछ वितरक एजेन्टों के पास भारी संख्या में उपभोक्ता पंजीकृत हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इन मानदण्डों का पुनरीक्षण करने का है कि एक वितरक एजेन्ट द्वारा कितने उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई की जानी चाहिए ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) उत्पाद उपलब्ध होने पर, एल० पी० जी० एजेन्सियों का खोला जाना इस समय निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है :

(1) पूर्वानुमानित उपभोक्ता क्षमता ;

(2) वितरण उपकरणों का अधिकतम उपयोग

(3) संचालन की व्यवहार्यता,

उद्योग के 1982-83 तक उन जिला-मुख्यालयों और कस्बों को जिनकी आबादी 50,000 से अधिक है को शामिल करने की योजना है और बाद में इससे कम वाले जिले, कस्बों को लिया जायेगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कुछ एजेन्ट अधिकतम सीमा के आरम्भ होने से पूर्व अधिक संख्या में दे रहे थे।

(घ) अधिकतम सीमा में संशोधन करने सम्बन्धी मामले की जांच एक कार्यकारी दल द्वारा की जा रही है ।

कोयला के अस्थायी बोदाम (डम्प्स) के कार्यकरण का अध्ययन

5037. **श्री के पी० सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में स्थापित कोयला के अस्थायी गोदाम (डम्प्स) के कार्यकरण का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या इनके काफी हद तक उन लक्ष्यों की पूर्ति हो गई है, जिनकी वजह से इनकी स्थापना की गई थी ;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में ऐसे और अस्थाई गोदाम (डम्प्स) स्थापित किए जाने हैं और यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोयले की टालें देश के विभिन्न भागों में इस दृष्टि से खोली गई थी कि लघु औद्योगिक एवं अन्य उपभो-

क्ताओं को कोयला आसानी से उपलब्ध हो सके और कोयले के बाजार मूल्य पर नियन्त्रण रखा जा सके । यह दोनों उद्देश्य काफी बहुत बड़ी सीमा तक पूरे हो गए हैं । टालों के संचालन की पुनरीक्षा कोयला विभाग में समय-समय पर की जाती है ।

(ग) इस समय चल रहे 31 टालों के अतिरिक्त, 73 और नई टालें विभिन्न राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का अभी प्रस्ताव है । जिनका विवरण निम्नलिखित है :

पश्चिम बंगाल	47
उत्तर प्रदेश	8
बिहार	1
महाराष्ट्र	1
मध्य प्रदेश	8
पंजाव	2
हरियाणा	1
जम्मू और कश्मीर	1
हिमाचल प्रदेश	3
चन्डीगढ़	1
	75

भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विवरण

50. श्री रघूनन्दन लाल भाटिया: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय विकासशील देशों से भारत में सब से अधिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या वे ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम और संबंधित व्यवसाय को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे ; और

(ग) ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने -अपने कार्यक्षेत्रों में भारतीय निपुणता, प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी का विकास करने में कहां तक सहायक हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) वित्त मंत्रालय द,वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उत्तर प्रभावहीन है ।

(ख) भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियं अपनी शाखाओं / या सहायकों के माध्यम से कार्य करती है। 31.3.1980 तक देश में 315 शाखाओं और 118 सहायकें कार्य कर रहीं थी। इन शाखाओं और सहायकों के नामों को शाखाओं और सहायकों को पैतृक /धारक कम्हनियों के विनिगमन के देश तथा सम्बन्धित व्यापार सहित विभाग द्वारा प्रकाशित दो अलग-अलग पत्रिकाओं शीर्षक (1) फैक्ट,सशोट,स आन ब्राचेज आफ फोरिन कम्पनीज इन इण्डिया एज आन 31.3. 1980 : और (2) फैक्ट, सशोट्स आन इण्डियन सब्सोडियरोज आफ फोरिन कम्पनीज एज आन 31.3. 1980 में दिया गया है। इन फैक्ट्सशोट्स को प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग)प्रश्न में निर्दिष्ट भारतीय प्रौद्योगिकी आदि के विकास की सहायता के परिमाण के निर्धारण का सामर्थ्य नहीं है। तथापि, इसको मुश्किल से अस्वीकार किया जा सकता है कि भारतीय उद्योग को बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इस तरह के विकास के लिए तकनीकी जानकारी प्रौद्योगिकी और तकनीकी और कुशल जनशक्ति को देने की परिभाषा में व्यावहारिक यगदान दिया है।

मैकमिलन एण्ड कम्पनी

5039. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के एक प्रकाशन गृह "मैकमिलन एण्ड कम्पनी" मद्रास ने हाल में भारत में अपनी गतिविधियों का बिस्तार करने के बारे में निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन क्षेत्रों में ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) ऐसी अवधारणा है कि प्रश्न का संदर्भ "दि मैकमिलन कम्पनी आफ इन्डिया बिमिटेड" नामक कम्पनी के लिए है। यह कम्पनी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं है, अतः इसके लिए, अपने कार्य-कलापों को किसी क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए. उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है अतः कम्पनी कार्य विभाग के पास यह सूचना नहीं है कि क्या इस कम्पनी ने हाल ही में अपने कार्य-कलापों को विस्तारित करने का निर्णय किया है, या नहीं।

सोवियत रूस द्वारा भारत को "न्यूमैटिक पंकचरस" की सप्लाई

5040. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया : क्या संचार मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस भारत की सड़कों की खुदाई किए विना इनके नीचे केबल विछाने के लिए 'न्यूमैटिक पंकचर ' नामक दो उपकरण सप्लाई कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस उपकरण के कब तक प्राप्त होने की आशा है और इसका उपयोग किन-किन स्थानों पर किया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस उपकरण की हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड में बनाने की वांछनीयता पर तथा इसका बड़े पैमाने पर उपयोग करने के संबंध में विशेष रूप से भारी यातायात वाली सड़कों के नीचे ये केबल बिछाये जाते हैं, ध्यान देने का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा ।

देश में टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित बनाना

5041. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में स्वदेशी स्वचालित एक्सचेंजों उपकरण का सीमित उत्पादन होता है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या उपाय दिए हैं और देश में टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित बनाने की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने केलिए क्या कार्यवाही की गई है ,

(ग) राज्यवार, विशेष रूप से पता लगाये जा चुके पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित बनाने की मांग का ब्यौरा क्या है ?

(घ) इन वस्तुओं की आदिवासी और पिछड़े जिलों में सप्लाई करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या मानदण्ड और प्राथमिकता अपनाई है, और

(ड़) यदि इन क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है, तो दूरसंचार के मामले में इन क्षेत्रों का पिछड़े क्षेत्रों के रूप में पता लगाए जाने का क्या प्रयोजन है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) देश में होने वाला स्वचल एक्सचेंज उपस्कर का उत्पादन बढ़ती हुई मॉग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है ।

(ख) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर ने छटी पंचवर्षीय योजना अवधि में विस्तार के नीचे लिखे प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं :

(एक) रायबरेली में, भारतीय क्रासबार परियोजना (आई० सी० पी०) डिजाइन के क्रासबार स्विचिंग उपस्कर की प्रतिवर्ष 2 लाख लाइनों की उत्पादन क्षमता वाले एक क्रासबार स्विचिंग कारखाने की स्थापना ।

(दो) छोटे इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की प्रतिवर्ष 10,000 लाइनें बनाने वाले पालघाट

कारखाने का विस्तार । यहां इलैक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज, ग्रामीण तथा निजी स्वचल शाखा एक्सचेंजों की प्रतिवर्ष 1.5 लाख लाइनें बनाई जायेंगी ।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने, संचार मंत्रालय के अधीन, पांच-पांच लाख लाइनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले दो बड़े इलैक्ट्रानिक स्विचिंग कारखाने 80वें दशक में स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

(ग) देश में 1300 से अधिक करचल एक्सचेंज हैं जिन्हें स्वचल बनाने की जरूरत है । शहरी, देहाती तथा पिछडे इलाकों में, सभी जगह से स्वचल टेलीफोन एक्सचेंजों की मांग है ।

(घ) दूरसंचार के लिए छटी पंचवर्षीय योजना में 6 प्रतिशत परिव्यय आदिम जाति क्षेत्रों के लिए अलग रखा गया है । पिछड़े क्षेत्रों में नुकसान की परवाह किए बगैर 25000 की आबादी वाले स्थानों में ही सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए प्राथमिकता दी गई है । जबकि आम इलाकों में 5000 की आबादी पर ऐसे टेलीफोन घर खोलने की व्यवस्था है।

(ड) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए सवाल पैदा नहीं होता ।

कटक में रेल-डाक सेवा कार्यालय खोला जाना

5042. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-मद्रास जनता एक्सप्रेस की 37 अप/38 डाउन गाड़ियों में कटक-विजियन ग्राम के बीच काम करने वाले रेल-डाक सेवा अनुभाग को रेल डाक-सेवा बी० जी० डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) अन्य रेल-डाक-सेवा डिवीजन की बेहतर डाक प्रबंध प्रशासनिक सुविधा और अधिक बड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस मामले में ऐसी डिवीजन को कब स्वीकृति मिलने की संभावना है और यह डिवीजन कब काम करना शुरू कर देगा ; और

(घ) क्या विद्यमान ढांचे में समय समय पर होने वाली असुविधा को हल करने के लिए वी० पी० डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कटक में एक कार्यालय खोलना संभव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) (क) जी हां ।

(ख) प्रशासनिक तथा कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए रेल-डाक-सेवा बी० जी० मडल के साथ नहीं जोड़ा गया था ।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिंसा का समर्थन करने वाली तमिल फिल्में

5043. श्री ईरा अनबारास : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसबात की जानकारी है कि "थन्नीर थन्नीर" "शिवप्पु मल्ली" और "वरुमें निरम्शिवप्पु" नामक तमिल फिल्मों में नवसली और उग्रवादी हिंसा की प्रवृत्ति का जो गांधी जी के "अहिंसा" के सिद्धान्त के विरुद्ध है, समर्थन किया गया है ;

(ख) यदि हां तो इन फिल्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे भारत में ऐसी फिल्मों का पुनरीक्षण करने के लिए एक बार और इनका सेंसर करने का है ;

(घ) अखिल भारतीय सेंसर बोर्ड और क्षेत्रीय सेंसर बोर्ड का गठन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ;

(ड.) क्या सरकार का विचार केवल उन्हीं व्यक्तियों को सेंसर बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करने के बारे में ध्यान देने का है जो सम्बन्धित क्षेत्र की संस्कृति, परम्परा और भाषा में निपुण हों ; और

(च) क्या सरकार का उस सेंसर बोर्ड के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार, जो उपरोक्त (क) भाग में उल्लिखित फिल्में जैसी फिल्मों को स्वीकृति प्रदान करता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) और (च) सरकार को "थन्नीर थन्नीर" "शिवप्पू मल्ली" और वरुमें निरम् शिवप्पू" नामक तमिल फिल्मों पर पाबन्दी लगाने/सेंसर करने के बारे अध्यादेश प्राप्त हुए हैं। सरकार को "थन्नीर थन्नीर" नामक फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाने के विरुद्ध भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। कोई अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व मामलों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जायेगा।

(घ) और (ड.) फिल्म सेंसर बोर्ड और इसके सलाहकार पैनलों का सदस्य बनने के मानदण्ड ये हैं कि वे योग्य और उपर्युक्त व्यक्ति होने चाहिए और जनता पर फिल्मों के प्रभाव को आंकने के योग्य होने चाहिए। संस्कृति, आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्तियों को ही बोर्ड और इसके सलाहकार पैनलों का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

रसोई-गैस एजेंसियों के लिए लाइसेंस जारी करना

5044. श्री अर्जुन सेठी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार रसोई-गैस एजेन्सियों के लिए विभिन्न व्यक्तियों को कुल कितने लाइसेंस जारी किये गए हैं तथा उनके नाम और पते क्या-क्या हैं ;

(ख) इन व्यक्तियों में से कितने-कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग और बेरोजगार श्रेणियों से सम्बन्धित हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान अवयस्त बच्चों के अभिभावकों को रसोई-गैस के लाइसेंस जारी करने के बारे हैं ध्यान देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) दिनांक 1.1.1975 से 31.8.1981 तक तेल कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई एल० पी० जी० डिस्ट्री-ब्यूटरशिपों की कुल राज्यवार संख्या तथा इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रदान की गई डिस्टीब्यूटरशिपों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। अन्य ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) अवस्वक बच्चों के माता-पिता अपनी पात्रता के अनुसार उपयुक्त वर्ग में अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

विवरण

दिनांक 1.1.1979 से 31.8.1979 तक प्रदान की गई एल० पी० जी० डिस्टब्यूटर शिपे

राज्य	कुल	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति
आन्ध्र प्रदेश	12	1
बिहार	2	2
गुजरात	16	4
हरियाणा	3	—
हिमाचल प्रदेश	2	2
कर्नाटक	12	3
केरल	2	—
मध्य प्रदेश	6	1
महाराष्ट्र	34	9
उड़ीसा	2	1

1	2	3
पंजाब	3	—
राजस्थान	8	1
तामिलनाडु	4	1
उत्तर प्रदेश	30	4
पश्चिम बंगाल	7	—
चंडीगढ़	2	2
दिल्ली	11	1
गोआ, दमन और दीयू	1	—
योग	157	32

बम्बई हाई गैस से संबंधित गैस क्रेकर परियोजनाओं की स्थापना

5045. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई गैस पर आधारित महाराष्ट्र गैस क्रेकर परियोजना और गुजरात गैस क्रेकर परियोजना की स्थापना करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है, और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) महाराष्ट्र में एक गैस और डाऊन स्कीम एककों के लिए एक स्थल का चयन किया गया है, काम्पलैक्स को अलीगढ़ क्षेत्र से दूर नैगोथना में स्थित किया जायेगा जिससे उस क्षेत्र के वातावरण पर कोई बुरा प्रभाव न पड़ सके। उत्पाद मिश्रण निश्चित किया गया है और प्रौद्योगिकी आदि के चयन के लिए विवदाएं सुप्रसिद्ध प्रोसेस लाइसेन्सधारियों से आमन्त्रित की गई है। निरीक्षण और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया है। गुजरात गैस क्रेकर परियोजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) महाराष्ट्र में किये जाने वाली प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत करीब 900 करोड़ रुपए है। जुलाई 1979 में गुजरात सरकार ने गुजरात में गैस पर आधारित पेट्रोकै-

मिकल्स उद्योग समूह के लिए 780 करोड़ रुपये की लागत का परिकल्पना अनुमान लगाया था।

(ग) सामान्यता, ऐसी परियोजनाओं की स्थापना में अनुमोदनों के पश्चात 5-6 वर्ष लग जाते हैं।

आवश्यक औषधियों के उत्पादन को बन्द किया जाना

5046. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दवाएं बनाने वाली कुछ कम्पनियां कुछ आवश्यक औषधि के उत्पादन को शनैः शनैः बन्द कर रही है,

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से महत्वपूर्ण ड्रग फोरमुलेशन्स के उत्पादन को बन्द किया जा रहा है

(ग) उसके क्या कारण हैं, और

(घ) उन औषधियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) (घ) मांग में कमी आदि के कारण पिछले कुछ महीनों में (1) मैसर्स फाइजर द्वारा निर्मित पी० ए० एल० और इसके लवण (11) आई० डी० पी० एल० धारा निर्मित सल्फोफेनाजोल जैसे कुछ अनावश्यक औषधियों के निर्माण की सूचना नहीं है किन्तु इन औषधों पर आधारित फार्मूलेशनों को न तो रद्द किया गया है और न ही इनकी कमी है क्योंकि इन बल्क औषधों का निर्माण अन्य निर्माता यूनिटों द्वारा किया जाता है। मैसर्स बायोलोजिकल इवान्स द्वारा निर्मित पी० ए० एस० ग्रेनुल्स जैसे फार्मूलशन उपलब्ध हैं।

आवश्यक और जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता में लगातार सुधार लाने की दृष्टि से सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में 24 नवम्बर, को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर में बताया गया है।

महानदी बेसिन में तेल की खोज का काम

5047. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानदी बेसिन में तेल की खोज का काम शीघ्र ही शुरु किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में इसके शुरू करने का विचार है ;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) आयल इन्डियन लि० महानदी वेसिन के तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों में पहले ही से खोज कार्य में लगा हुआ है।

(ग) आयल इन्डिया लिमिटेड ने महानदी वेसिन अपतटीय में 1200 किलोमीटर क्षेत्र में वायु-चुवकीय तथा भू-भौतिकीय/भू-कम्पीय सर्वेक्षण किया है क्षेत्र में दो कूपों का व्यधन किया गया है परन्तु इनमें से हाईड्रोकार्वन प्राप्त नहीं हुए हैं। व्यधन योग्य स्थलों का पता लगाने के लिए इन सर्वेक्षणों में एकत्र किये गये आंकड़ों की परामर्शदाताओं के सहयोग से पुनः व्याख्या की जा रही है।

महानदी तटीय क्षेत्र में भू-कम्पीय सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। और आगे कार्यवाही इन सर्वेक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेगी।

उड़ीसा के स्वामपतना और क्योंझर जिलों के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क

5048. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के स्वामपतना और क्योझर जिले के बीच सीधे टेलीफोन सम्पर्क की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है,

(ख) क्या इस तरह के प्रस्ताव को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है क्योंकि स्वामपतना क्योझर जिले का सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थान है और यह श्री मकुंज बांध परियोजना के समीप स्थित है, और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में कितना समय करने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नही।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोरखपुर शहर के जलमग्न होने के बारे में समाचार के प्रसारण से उत्पन्न आतंक

5049. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1981 को प्रातः 8 बजे और 8.10 बजे क्रमश हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार बुलेटिनों में इस बात का प्रसारण किया गया था कि गोरखपुर शहर के पूर्वी और दक्षिणी भाग 4 से 6 फीट तक पानी में डूबे हैं

(ख) यदि हां, तो इस समाचार का स्रोत क्या था और क्या सरकार को इसके कारण पूरे देश में पैदा हुए आतंक की जानकारी है जिसके परिणाम स्वरूप दूर-दूर स्थानों से लोग गोरखपुर दौड़े गए ; और

(ग) ऐसे समाचार के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के शिरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी, हां। समाचार बुलेटिन से सम्बन्धित उद्धरण इस प्रकार हैं :-

> "उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर जिले में बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है । राप्ती के साथ वाले माघोपुर बांध से पानी रिस कर गोरखपुर नगर में चार से छः फुट तक भर गया है। प्रभावित क्षेत्र में भोजन के पैकेट गिराने के लिए हेलीकाप्टरों को लगाया गया है । बीस हजार व्यक्तियों को जिले के अलग पड़ गए क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। आकाशवाणी, गोरखपुर के संवाददाता ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद यह रिपोर्ट दी है कि दरारों को भरने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।"

(ख) मामले की वास्तविकता यह थी कि आकाशवाणी के संवाददाता द्वारा भेजी गई सूचना का संपादकीय बैटिंग के दौरान गलत निवर्चन हो गया था। तथापि, सही स्थिति दो घन्टे के अन्दर ही एकदम अगले प्रातः 10.00 बजे के बुलेटिन में प्रसारित कर दी गई थी और उसको उस दिन के अन्य मुख्य बुलेटिनों में भी प्रसारित किया गया था।

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों को सचेत कर दिया गया था और उनसे कह दिया गया था। कि वे भविष्य में इस प्रकार के समाचारों के देने और उनका सम्पादन करने में सावधानी बरतें।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा उपकर तथा अन्य प्रभारों का भुगतान

5050. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे विभिन्न दरें क्या हैं जिन पर कोल इण्डिया लिमिटेड बिभिन्न राज्यों में रायल्टी के अलावा उपकरणों तथा अन्य प्रभारों का भुगतान कर रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विजय महाजन) : केन्द्रीय सरकार ने कोयला और भराई वाली रेत के स्वामिस्व की दरें 12-2-1981 से संशोधित कर दी है। यह स्वामिस्व कोल इण्डिया लि० की सहायक कम्पनियाँ अदा करती हैं। भारत सरकार अकोककर कोयले पर रु० 1.65 प्रतिटन और कोककर कोयले पर रु० 2.40 प्रतिटन की दर से उत्पादन शुल्क लगाती है और साथ ही 75 पैसे प्रतिटन का कल्याण शुल्क और 3 पैसे प्रति टन का बचाव शुल्क भी लगाती हैं। इनके अलावा राज्य सरकारें भी कुछ शुल्क लगाती हैं। जो नीचे दिये गए हैं :-

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में कोयले के स्वामिस्व पर कोई शुल्क नहीं है। परन्तु निम्नलिखित शुल्क लगाए जाते हैं।

(i) पी० डब्ल्यू शुल्क और मार्ग शुल्क जो शुल्क अधिनियम 1980 के अधीन लगाए जाते हैं।

(क) पी० डब्ल्यू शुल्क—वार्षिक प्रेषण के प्रत्येक टन कोयले पर कोयला खान—50 पैसे।

(ख) मार्ग शुल्क —ऐसे वार्षिक प्रेषण के प्रत्येक टन कोयले कोयला खान—पर 50 पैसे।

(ग) ग्रामीण रोजगार शुल्क जो पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम के 976, के अन्तर्गत देय है।

कोयला खान—ऐसे वार्षिक प्रेषण के प्रत्येक टन कोयले पर रु० 5/-

(घ) प्राथमिक शिक्षा शुल्क जो पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1973 के अधीन देय है।

कोयला खान—कोयले के वार्षिक प्रेषण में प्रत्येक टन कोयले पर रु० 1/-

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में स्वामिस्व पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र की खानों के सम्बन्ध में भी स्वामिस्व पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

उड़ीसा

उड़ीसा की राज्य सरकार उड़ीसा शुल्क (संशोधन) अधिनियम 1980 के अधीन कोयला समेत सभी खनिजों के खनन कार्य के लिए प्रयुक्त जमीन पर शुल्क लगाती हैं। इस शुल्क की दर स्वामिस्व के वार्षिक मूल्य अथवा स्थिर लगान, दोनों में से जो भी अधिक हो, के 100% के बराबर होती है।

आन्ध्र प्रदेश

राज्य सरकार ने कोयले के स्वामिस्व के 75 प्रतिशत की दर से कोयले पर खनिज राजस्व कर लगाया है। इसके अलावा, कोयले पर स्वामिस्व की दरों के प्रति रु० पर आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में 0.37 पैसे और तेलंगाना क्षेत्र में 0.25 पैसे की दर से स्थानीय शुल्क लिया जा रहा है।

बिहार

बिहार राज्य में कोयले के स्वामिस्व पर शुल्क 200 प्रतिशत की दर से लगाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में स्वामिस्व पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। राज्य सरकार सिंग-

रौली कोयला क्षेत्र की कोलियरियों के सम्बन्ध में 10 पैसे प्रति टन का स्थानीय शुल्क लगाती है।

बाटा इण्डिया लिमिटेड की विदेशी पूंजी

5051. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाटा इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता को इस समय विदेशी पूंजी कितनी है ;

(ख) जब से यह कम्पनी एक भारतीय कम्पनी हुई, तब से इसने डिवीडेंट, मुख्यालय खर्चे तथा मदों के रूप में कितनी पूंजी देश से बाहर भेज दी है ;

(ग) क्या इस पूंजी के परिसमापन के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कम्पनी द्वारा किए गए व्यापार में कोई विशिष्ट तकनीकी जानकारी अथवा प्रौद्योगिकी अन्तर्गस्त नहीं है, उसके क्या कारण हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) 31 दिसम्बर, 1980 को वर्ष समाप्ति के इसके नवीनतम वार्षिक लेखे के अनुसार बाटा इन्डिया लिमिटेड की वर्तमान विदेशी धारिता, 150.0 लाख रु० की है, जो उक्त तारीख तक, कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 40 प्रतिशत है।

(ख) 1977 से 1979 के वर्षों के मध्य, अर्थात इसकी विदेशी साम्य के 40 प्रतिशत तक रह जाने के पश्चात कम्पनी ने लाभांश के लेखे में 51.75 लाख रु० की राशि बाहार भेजी। किसी अन्य लेखे में कोई राशि बाहार नहीं भेजी गई थी।

(ग) तथा (घ) कम्पनी ने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के निदेशों का पालन किया है, एवं 1 77 में अपने विदेशी साम्य को कम करके 40 प्रतिशत कर दिया है। उन कम्पनिओं, जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के निदेशों का पालन किया है एव विदेशी साम्य को 40 प्रतिशत या इससे कम कर दिया है, के लिये, इस प्रकार की साम्य पूंजी को पुन: कम करना अपेक्षित नहीं है।

पन-बिजली परियोजनाओं का निष्पादन और उनके प्रबध में सुधार

5052, **श्री राम विलास पासवान** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कई पन बिजली परियोजनाएं हैं जो संसाधनों के अभाव तथा अन्य बाधाओं के कारण कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पन बिजली परियोनाओं के प्रबन्ध में सुधार लाने और इसके निष्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) देश की जल विद्युत क्षमता का उपयोग सोपानबद्ध रूप से किया जा रहा है। कार्यक्रम को बढ़ाने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय साधन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सरकार उच्चतम प्राथमिकता देती है। और इस उद्देश्य से कुशल और कारगर मानीटरिंग प्रणालियां शुरू की गई हैं। प्रगति की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और मन्त्रालय में समय-समय पर बैठकें की जाती हैं, जिनमें समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है और उनके हल निकाले जाते हैं।

वृहत जल विद्युत परियोजनाओं के केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित करने का दायित्व भी सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंपा है।

टेलीफोन सलाहकार समिति, दिल्ली में उद्योग क्षेत्र से सदस्यों के नामांकन हेतु मानदण्ड

5053. **श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या सन्चार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन सलाहकार समिति, दिल्ली में उद्योग क्षेत्र से सदस्यों का नामांकन करने का मानदण्ड क्या है, और

(ख) क्या उन एसोसिएशनों की, जिनको इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तुलन पत्र और सदस्यता का सत्यापन कर लिया गया है ?

सन्चार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बिजय एन० पाटिल) : (क) सन्चार मन्त्रालय में व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थानों/एसोसिएशनों से सांधे प्राप्त नामांकनों पर सरकार द्वारा उनके तथा अन्य नामों पर विचार और सिफारिश करने के बाद ही टेलीफोन सलाहकार समिति दिल्ली हेतु नामांकन किया गया था।

(ख) जी नहीं।

"वन लैख टन कोल ओवर रिपोर्टिंग इन सलानपुर एरिया विदन थ्री मंथ्स" शीर्षक से समाचार

5054. **श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल से प्रकाशित 18 सितम्बर, 1981 के "पर्यवेक्षक" सप्ताहिक में "वन लैख टन्स कोल ओवर रिपोर्टिंग इन सलानपुर एरिया विदिन थ्री मन्थ्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित दिया गया है ; और

(ख) यदि हो, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल-पर रख दी जाएगी।

तेल की खोज के संबंध में भारत सोवियत समझौता :

5055. **श्री वी० वी० देसाई :**

श्री माधव राव सिंधिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के संबंध में भारत सोवियत संघ के बीच लगभग एक वर्ष पूर्व शुरू की गई बातचीत दिसम्बर, 1981 में पुन: शुरू होने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत रूस से उच्चशक्ति प्राप्त तेल-उद्योग प्रतिनिधि-मंडल भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करने हेतु 23-11-81 को भारत पहुंचा था ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई समझौता हो गया है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) (क) दिसम्बर, 1980 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री एल० आई० ब्रेझनेव की यात्रा के दौरान आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अन्वेषण तथा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारतीय तथा सोवियत विशेषज्ञों के बीच कई बार विचार-विमर्श हुआ है।

(ख) जी, हां। दिनाँक 30 नवम्बर 1981 को सोवियत संघ के तेल उद्योग मंत्री श्री एन० ए० माल्तसेव के नेतृत्व में एक सोवियत प्रतिनिधित्व मंडल ने 23 नवम्बर से 30 नवम्बर 1981 तक भारत की यात्रा की थी।

(ग) और (घ) जी, हां। दिनांक 30 नवम्बर 1981 को सोवियत संघ के साथ एक विस्तृत संलेख पर हस्ताक्षर किये गये थे। संलेख की मुख्य विशेषता नीचे दी गई हैं :

1. दोनों पक्षों में यह सहमति व्यक्त की थी कि पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में संयुक्त भू-कम्पीय पूर्वेक्षण क्रमश: दिसम्बर 1981 तथा जनवरी 1982 में प्रारम्भ किये जायेंगे।

2. दोनों पक्षों ने सोवियत-भारत व्यधन दल द्वारा त्रिपुरा में राखिया-1 अन्वेषणात्मक कूप में की गई प्रगति को नोट किया तथा इसको पूरा करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाने के लिए सहमति व्यक्त की।

3. दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यह आवश्यक है कि आशाजनक तेल एवं गैस क्षेत्रों में भू-वैज्ञानिक अन्वेषण का विस्तार किया जाये।

4. इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि सोवियत संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किये गये अध्ययनों तथा अंकलेश्वर में एक गहरे कूप के व्यधन के लिए, हिमालय की तराईयों में उपलब्ध भू-वैज्ञानिक तथा अन्य आंकड़ों को विश्लेषण के लिए राजस्थान बेसिन में भूकम्पीय तथा अन्य आंकड़ों को तैयार करने तथा व्याख्या करने हेतु तथा कावेरी बेसिन के तटीय क्षेत्र की तेल व गैस की क्षमता की संभावना के मूल्यांकन के लिए प्रस्तावों पर सहायता प्रदान की जायेगी।

5. यह नोट किया गया कि पश्चिम बंगाल के सहमति प्राप्त क्षेत्र में अन्वेषणात्मक खुदाई के लिए बातचीत की जा सकती है तथा इस पर जून, 1982 के अन्त तक हस्ताक्षर किये जा सकते हैं। भारतीय पक्ष ने पश्चिम बंगाल बेसिन में कलकत्ता ग्रेविटी हार्ड क्षेत्र, पोर्ट केनिंग, डायमंड हारबर तथा बोदरा क्षेत्रों में व्यधन में सहायता के प्रस्तावों पर विचार करने पर भी सहमति व्यक्त की। सोवियत पक्ष ने देश के विभिन्न भागों में व्यधन कार्य में भारतीय व्यधन विशेषज्ञों की सहायता के लिए 40 सोवियत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करने के लिए सहमति व्यक्त की।

6. पक्षों ने भारत में तटीय क्षेत्रों में विभिन्न विधियों द्वारा तेल के कृत्रिम उठान के लिए वर्ष 1982 में संयुक्त रूप में एक कार्यक्रम तैयार करने पर भी सहमति व्यक्त की।

7. पक्षों ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थाओं तथा सोवियत संघ के तेल उद्योग की प्रमुख संस्थाओं के बीच सहयोग जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। सोवियत पक्ष ने भू-कम्पीय आंकड़ों को तैयार करने तथा उनकी व्याख्या करने में सिद्धान्त रूप में सहायता देने के लिए भी सहमति व्यक्त की। सोवियत पक्ष ने सोवियत संघ से विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त करके व्यधन समस्याओं को हल करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने तथा सलाह देने के लिए भी सहमति व्यक्त की।

मालदा जिले की खादी समितियां

5056. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्रालय ने कोल इण्डिया लिमिटेड के चेयरमैन को पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले की खादी समितियों के बारे में सूचना एकत्रित करने के निर्देश दिए है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

विज्ञापन के माध्यम से खाना बनाने की गैस एजेंसियां नियुक्त करना

5057. **श्री रीत लाल प्रसाद शर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980-81 के दौरान अनेक नगरों और महत्वपूर्ण जिला मुख्यालयों में खाना बनाने की गैस एजेन्सियों के आवंटन के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों का अधिकृत किये गये विपणन अधिकारियों द्वारा साक्षातकार लिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी प्रस्तावित स्थानों पर एजेन्सियों का आवंटन करने के

लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची फील्ड अधिकारियों द्वारा अन्तिम स्वीकृति के लिए अपने मन्त्री के पास भेज दी गई थी लेकिन हर बार इसे अस्वीकृत कर दिया गया था, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

5058. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीयों, जो पाकिस्तान से भारत आये और दिल्ली कोलोनिस्टों को विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु, पाकिस्तान में छोड़ी अपनी सम्पदा की एवज में सम्पदा आवटित करने के बारे में कितने मामले 15-20 वर्षों से लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन कोलोनिस्टों को यमुना-पार क्षेत्र में भूमि में आवंटित की जा रही है जो कि प्राय: यमुना बाढ़ में डूब जाती हैं और शरणार्थीयों को कठिनाई पैदा हो जाती है और उनके मामलों का निर्णय नही किया जा रहा है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ? और

(ग) यदि हां, तो क्या घपले और भ्रष्टाचार के मामलों की छानबीन करने के लिए एक उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठित करने का विचार है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) लगभग 159.

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस प्रकार की समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि घपले/भ्रष्टाचार के उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं ।

मैसर्स डे-से केम लिमिटेड

5059. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स डे-से-केम लिमिटेड, जो पूर्वी भारत में एन्टीबायोटिक दवाइयां बनाने वाला एकमात्र संयंत्र है और जो पूरे भारत में जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण करने की क्षमता वाला सबसे बड़ा क्लोरामफेनीकोल निर्माता है, की ओर किन कारणों से सरकार ने, इसके 11 अक्टूबर 1971 से बन्द होने के बाद से अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है, और

(ख) इस कम्पनी का राष्ट्रीकरण करने में बाधा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि क्लोरमफेनीकल के एक निर्माता डे-से-केम लि० ने अक्टूबर, 1971 में अपना निर्माण बन्द कर दिया था और कारखाने को बन्द कर दिया था फिर भी जनवरी, 1973 में कारखाना फिर खोला गया और निर्माण प्रारम्भ हुआ।

सरकार समस्याओं से परिचित है और कम्पनी को एक मध्यवर्ती एल-वेस से क्लोरमाफेनीकल के निर्माण की अनुमति दी है। उन्हें विभिन्न औषधों और फार्मूलेशनों के लिए भी लाइसेंस दिए गए हैं :

वित्तीय संस्थान जिन्होंने इस कम्पनी में अपनी पूंजी लगाई है, उसकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी निश्चय पर पहुंचने से पहले राष्ट्रीयकरण समेतइस कम्पनी को पुनर्जीवित करने के प्रश्न पर सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है।

वेटोमेथासोन की बिक्री के लिए मैसर्स ग्लैक्सो द्वारा अधिक वसूली किया जाना

5060. **श्री तारीकर अनवर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि मैसर्स ग्लैक्सो ने वेटामेथासोन इससे बनी औषधियां और विटामीन ए पर आधारित अन्य फार्मूशनों की अपनी बिक्री के लिए भारतीय जनता से अधिक राशि वसूल की है ;

(ख) क्या यह भी सच है है कि करोड़ों रुपये की अधिक वसूली के बावजूद उनके मंत्रालय द्वारा इस कम्पनी के सलबुटामोल प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, और

(ग) क्या यह सच है कि गत दस वर्षों के दौरान मैसर्स ग्लैक्सो के कार्यकलाप राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक रहे हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने 12 मई 1981 से वेटामेथासोन अल्कोहल, वेट मेथासोन 17 वालरेट और वेटामेथासोन सोडियम फास्फेट के मूल्य संशोधित किये हैं। इन औषधों के पूर्व मूल्य और 12 मई 1981 से संशोधित मूल्य नीचे दर्शाये गये हैं :

क्र० सं०	वल्क औषधों का नाम	पूर्व मूल्य रुपए/नाम	संशोधित मूल्य (12 मई, 1981 से लागू)
1.	वेटामेथासोन अल्कोहल	134,20 (1974 में सरकार द्वारा निर्धारित)	113,34

2.	वेटोमथासोन 17-वालरेट	220,00 (कम्पनी द्वारा घोषित)	105,85
3.	वेटामेथासोन डि० सोडियम फास्फेट	225,00 (कम्पनी द्वारा घोषित)	126,23

इसके अलावा यद्यपि दिनांक 12 मई, 1981 से पहले मैं० ग्लैक्सो द्वारा घोषित किया गया वेटामेथासोन डि० सोडियम फास्फेट का मूल्य 225.00 रुपये प्रति ग्राम था किन्तु अपने फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारित करने में उनके द्वारा इस औषध के अपनाये गये मूल्य 236,84 रुपए प्रति ग्राम था। मैं० ग्लैक्सो ने संशोधित मूल्यों को कार्यान्वित नहीं किया है, परन्तु 12 मई, 1981 से लागू संशोधित मूल्यों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका की है और न्यायालय ने संशोधित मूल्यों के कार्यान्वयन पर अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया है। अतः अधिक मूल्य लेने तथा मनचाहे लाभ, यदि होई हो, की वसूली के प्रश्न पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

जहाँ तक विटामिन ए पर आधारित फार्मूलेशनों का सम्बन्ध है। इस आरोप की जांच की जा रही है कि मैं० ग्लैक्सो ने अपने फार्मूलेशनों में आयातित विटामिन ए का प्रयोग किया है। इसके लिए अधिक मूल्य लेने का प्रश्न इस जांच के परिणामों पर निर्भर है।

(ख) साल्वटामोल के निर्माण के लिए मैं० ग्लैक्सो को प्रदान किये गए आशय पत्र की स्थिति दिनांक 22/12/1981 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या, 4 55 के उत्तर में दी जा रही है।

(ग) अनधिकृत आयात और औद्योगिक लाइसेन्स को कार्यान्वित न करने की कुल घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं और आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हैं। तथापि, मैं० ग्लैक्सो कुछ आवश्यक औषधों का निर्माण कर रहे हैं। अतः इस स्तर पर सुनिश्चित रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि उनके समस्त कार्यकलाप राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक हैं।

सी० आई० पाइपों की कमी

2061. श्री के० पी० सिंह देव : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सी० आई० पम्पों की जबर्दस्त कमी है और इससे देश की ग्रामीण पेय जल योजनाओं के कार्यान्वयन में विशेषकर बाधा पैदा हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी कितनी कमी है ;

(ग) राज्यों को पेयजल परियोजनाओं के लिए सप्लाई किस तरह कम की गई अथवा राज्यों की 1979-80 और 1980-81 की मांग की तुलना में राज्यवार कितनी सप्लाई नहीं की जा सकी ; और

(घ) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां। देश में ढलवां लोहे के स्पन पाइपों की कमी है। तथापि, ग्रामीण पेय-जल पूर्ति की बहुत-सी योजनाओं में ढलवां लोहे के पाइपों की आवश्यकता नहीं होती और ऐसी योजनाओं के मामले में भी, जिनमें इन पाइपों की आवश्यकता होती है, वहां अन्य प्रकार की सामग्री का प्रयोग करने के यत्न किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें, स्वयं सीधे ही खरीद द्वारा या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से ली गई खरीद द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दर संविदाओं के अन्तर्गत, राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही पूर्ति आदेश दिए जाते हैं। आवश्यक मात्रा और प्राप्त हुई मात्रा के संबंध में सूचना, राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होगी, क्योंकि पेय जल पूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन करना उन्हीं का उत्तरदायित्व है।

(घ) कच्चे लोहे के आयात करने के बारे में इस्पात विभाग का प्रस्ताव है। इसीलिए, पाइप विनिर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी जरूरत के बारे में स्टील आथरिटी आफ इन्डिया लिमिटेड को सूचित कर दें। औद्योगिक विकास विभाग बन्द यूनिटों को फिर से चालू करने के मामलों पर विचार कर रहा है।

महत्वपूर्ण उद्योगों को एम० आर० टी० पी० एक्ट से छूट

5062. **श्री ईरा अनबारसु** : क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम (एम० आर० टी० पी० एक्ट) उद्योगों की, निश्चित सीमा से अधिक अपनी क्षमता और उत्पादन का विस्तार करने के लिए हतोत्साहित करता है और औद्योगिक विकास को स्तंभित करता है तथा कुछ उद्योग भारत छोड़कर भी चले जाते हैं ;

(ख) निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से एम० आर० टी० पी० अधिनियम के प्रावधानों की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने का सरकार का विचार है ;

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में अपना प्रयोजन कहां तक पूरा किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कम से कम सीमेन्ट, इस्पात और चीनी जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को, उत्पादन बढ़ाने के लिए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के के सीमाक्षेत्र से छूट देने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उद्देश्य आर्थिक प्रणाली के संचालन को विनियमित

करना है, ताकि यह जनहित के विरुद्ध आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का परिणामी न हो तथा एकाधिकारी व अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों को निषिद्ध करे। अधिनियम का उद्देश्य इस प्रकार से उपक्रमों के विकास को रोकना नहीं है वरन् इसमें केवल उनके विस्तार को विशेषित क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से विनियमित करना प्रारुपित किया गया है ताकि इस प्रकार के विस्तारों से, लघु तथा मध्यम श्रेणी के उपक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा यह "जन हित" के अभिभावो विचार के अन्य प्रकार से विरुद्ध न हो।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अतन्तर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकरण योग्य उपक्रमों के लिए, इसकी धारा 21 के अन्तर्गत सारवान विस्तार, धारा 22 के अन्तर्गत नवीन उपक्रम की स्थापना, तथा धारा 23 के अन्तर्गत एकीकरण/संविलियन तथा अधिकार में लेने, के लिए प्रस्तावों की बाबत, केन्द्रीय सरकार का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। इस प्रकार के प्रस्तावों पर, यह सुनिश्चित करने के पश्चात् अनुमोदन प्रदान किया जाता है कि उनका कार्यान्वियन देश के जन-साधारण के साथ-साथ राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की भलाई के लिए है, एवं यह इसकी धारा 28 में वर्णित मानदण्डों के समनुरुप है। तथापि, यह भी सर्वमान्य है कि विद्यमान उपक्रमों का कुछ मात्रा में सामान्य विकास, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के साथ-साथ उनके स्वयं के सतत स्वस्थ रहने के लिए वांछनीय है। तदनुसार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में, स्वयं ही, सरकार का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किए बिना कुछ परिस्थितियों में उपक्रमों के विकास की अनुमति है। (अर्थात्, जहां विस्तार परिसम्पतियों तथा उत्पादन के मूल्य की अभिवृद्धि के अनुसार, 25 प्रतिशत से कम हो, अथवा जहां विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 21 (4) के अन्तर्गत मुक्ति दी गई हो, अर्थात् जहां विस्तार, एक से तथा उसी प्रकार के व्यापार में, हो, तथा उपक्रम प्रमुख न हो)। यह कहना सही नहीं होगा कि अधिनियम, प्रत्यक्षत: औद्योगिक उत्पादन को निरुत्साहित करता है अथवा विकास को निषिद्ध करता है वरन् यह निश्चित रूप से विकास को उद्योगों के निर्धारित क्षेत्रों की ओर अग्रसर करता है, एवं शक्ति के संकेन्द्रण पर रोक लगाता है।

(ख) से (घ) सरकार ने साथ-साथ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों तथा इसके संचालन का पुनर्विलोकन करने के लिए जून, 1977 में उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) नियुक्ति की। इस समिति की रिपोर्ट सरकार को 29 अगस्त, 1978 को प्रस्तुत की गई थी, एवं इसकी प्रतियां संसद के सदनों के पटलों पर, 30 अगस्त 1978 को प्रस्तत कर दी गई थीं। इसकी सिफारिशें, साथ-साथ, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अनेक पहलुओं से सम्बन्धित हैं। इनका सम्यत: विधायन किया गया है, एवं ये वर्तमान में उच्चतम स्तर पर, सरकार के विचाराधीन हैं। कुछ प्राथमिकता प्राप्त उद्यागों की मुक्ति सम्बन्धित शिफारिशों सहित, अन्य सभी शिफारिशें, जब अन्तिम रूप से सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जायेगी, तो उनको तथा समय एक संशोधनकारी विधान के माध्यम से प्रभावो बनाया जायेगा।

निर्यातो की बाबत, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, की धारा 2 (घ) पहले ही एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1980

द्वारा इस दृष्टि से संशोधित कर दी गई है. कि "प्रमुखता' के उद्देश्य के लिए एक उपक्रम द्वारा किये गये उत्पाद की कुल प्रदा की संगणना करते समय निर्यातों की मात्रा को सम्मिलित न किया जाय।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उत्पादन और कार्यकारी पूंजी

5063. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के क्या नाम हैं और उनके उत्पादन की मात्रा तथा कार्यकारी पूंजी कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में शेयरों अथवा अन्य किसी रूप में कोई पूंजी लगाई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी पूंजी लगाई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी शाखाओं तथा/अथवा सहायक कम्पनियों के माध्यम से कार्य करती हैं। 31-3-1980 तक देश में इनकी 315 शाखायें तथा 118 सहायक कम्पनियां संचालित थीं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों के नाम उनके मूल विनिगमन के देश/धारिता कम्पनियों, के नामों सहित, (1) "फेक्ट-शीट्स आन-ब्रान्चेज आफ फारेन कम्पनीज इन इन्डिया ऐज आन 31-3-80" तथा (2) "फेक्ट-शीट्स आन इन्डियन सबसीडियरीज आफ फारेन कम्पनीज ऐज आन 31-3-80" शीर्षक से, इस विभाग द्वारा प्रकाशित दो पुस्तिकाओं में दिए गए है। इन दोनों तथ्य पत्रों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में भेजी गई हैं तथा भेजी जाती हैं। इन शाखाओं में से आई० सी०-3 की तथा 71 सहायक कम्पनियों के उत्पादन के मूल्य तथा कार्य पूंजी की राशि, जिनके बारे में 1998-79 के वर्ष की सूचना उपलब्ध है, निम्न प्रकार हैं :—

शाखायें	(करोड़ रु० में)
1. उत्पादन का मूल्य	867.08
2. कार्य पूंजी	67.35
सहायक कंपनियां	
1. उत्पादन का मूल्य	1833.56
2. कार्य पूंजी	404.68

(ख) तथा (ग) सूचना संग्रह की जा रही है व यथाशीघ्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

दीघा हार्ड में तेल टर्मिनल की उपयुक्तता

5064. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीघा हार्ड, जो कि हुगली नदी के समुद्र में गिरने के स्थान सेन्डडेड के पश्चिम में हैं, तेल के लिए टर्मिनल बनाए जाने हेतु उपयुक्त है और वहां पर बंगाल की खाड़ी से निकले अशोधित तेल को निश्चित रूप से सुविधापूर्वक चढ़ाया और उतारा जा सकता है;

(ख) क्या सरकार ने हल्दिया तेल शोधक कारखाने के लिए दीघा हार्ड में एक दूसरा तेल टर्मिनल स्थापित करने के लिए कोई इजीनियरिंग अध्ययन शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने हल्दिया पोर्ट में अनुभव किए गए सीमित अकाल की बाधाओं को दूर करने हेतु हल्दिया तेल शोधक कारखाने के लिए एक दूसरे तेल टर्मिनल के स्थान का पता लगाने हेतु संभव विकल्प स्थानों का सुझाव देने हेतु इजीनियरिंग अध्ययनों के लिए तथा प्रायोजना के अनुसार खनिज तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़े हुए यातायात से निपटने हेतु इन्जीनियर्स इण्डिया लि० को अपने परामर्शदाता के रूप में लगाया है। ऐसी आशा की जाती है कि परामर्शदाता अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देंगे।

शराब के कारखानों में लगाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का आयात

5065. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति ने शराब बनाने की प्रक्रिया में उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक उन्नत प्रौद्योगिकी के आयात की सिफारिश की है ताकि क्षमता उपयोग, जो इस समय अत्यन्त कम है, बढ़ाया जा सके,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अल्कोहल उत्पादन की क्षमता की जांच करे फरमटेशन की प्रौद्योगिकी में सुधार ईन्धन बचाने और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को समुन्नत बनाने के लिए एक समिति गठित की थी ;

(ग) यदि हां, तो उस समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि समिति ने इस बात की सिफारिश की है कि उन्नत प्रौद्योगिकी के सफल अधिष्ठापन के सभी वाणिज्यिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाया जाए, और

(ङ.) यदि हां, तो सरकार ने उस समिति की कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सरकार ने अल्कोहल निर्माण में दक्षता, फर्मेन्टेशन की, प्रौद्योगिकी में सुधार, ईन्धन सरक्षण और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के प्रवर्तन की जांच करने के लिए डा० एस० पी० भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषताओं की समिति गठित की। समिति ने पाया कि फिलहाल अल्कोहल निर्माण की दक्षता और कम है और दक्षता में सुधार लाना आवश्लक होगा। समिति ने वह भी सिफारिश की है कि अल्कोहल निर्माण की दक्षता में सुधार लाने के लिए यदि आयात की भी आवश्यकता हो तो फिर भी नई प्रौद्योगिकी लगाई जानी चाहिए और यदि नई प्रौद्योगिकी का आयात करना पड़ता है तो केन्द्रीयकृत आधार पर आयात किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) समिति ने निम्नलिखित अन्य सिफारिशों की :

1. चीनी मिलों और आसवानियों को शीरे के लिए पक्का आच्छादित भंडार बनाने के बाध्य किया जाना चाहिए जो चीनी मिलों में कम से कम चार महीने के निर्माण को जमा करने के लिए पर्याप्त हो और आसवनियों में चार महीने की खपत को अपन पास रखन की व्यवस्था हो।

2. अल्कोहल के निर्माण में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाना आवश्यक है :

(क) अल्कोहल उद्योग को अग्रता का दर्जा दिया जाना चाहिए।

(ख) अल्कोहल के नियंत्रण मूल्य को संशोधित किया जाना चाहिए और इसे लाभप्रद रखने के लिए मूल्य सूत्र में आन्तरिक बुद्धि की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) अल्कोहल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शीरे की कुल उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए खाण्डसारी शीरे को अल्कोहल निर्माण के लिए सभी राज्यों में भेजा जाना चाहिए।

3. अल्कोहल का प्रयोग कीमती रसायनिक उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए और मोटरगाड़ी में इसके प्रयोग पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

4. अल्कोहल के निर्माण के लिए शीरा को छोडकर अन्य कच्चा माल काफी महंगा है। इस पर तभी विचार किया जाना चाहिए यदि शीरे की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है।

5. विभिन्न निःस्त्राव उपचार प्रक्रियाओं का किसी सक्षम इन्जीनियरिंग फर्म द्वारा व्यापक अधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अल्कोहल का संशोधित मूल्य नियंत करन क नियत करने में निःस्भाव उपचार के नियत और परिवर्तनशील लागत को ध्यान में रखना चाहिए।

6. आगामी दस वर्ष की अवधि में अल्कोहल पर आधारित रसायनों के निर्माण के लिए सुझाई गई सभावित योजना के लिए अल्कोहल के वर्तमान निर्माण स्तर को वर्ष 1985-86 तक

900 मिलियन लिटर तथा 1990-91 तक 1400 मिलियन लिटर तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इसे लागू करने के लिए अपेक्षित दीर्घावधि नीति, अग्रता और लाभ दर्शाते हुए एक समयबद्ध राष्ट्रीय अल्कोहल कार्यक्रम तैयार किया जाए।

(ङ.) रिपोर्ट, राज्यों और आसवनी उद्योग को सौंप दी गई थी। आसवनी उद्योग को आधुनिकीकरण के लिए कार्यवाही योजना बनाने का अनुरोध किया गया है। सरकार इस प्रकार की हर आवश्यक और व्यवहार्य सहायता देगी। यदि सरकार को कोई आसवनी या आसवनियों के पंजीकृत संघ दक्षता में सुधार लाने के लिए सहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

दूरसंचार उपकरण का आयात

5066. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-82 के दौरान कुल जितना दूरसंचार उपकरण आयात किया जाएगा

(ख) इससे देश में टेलीफोन लाइनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में कहां तक सहायता मिलेगी ; और

(ग) टेलीफोन लाइनों की कम से कम 50 प्रतिशत मांग कब तक पूरी हो जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) कुल दूरसंचार उपस्कर जिसके आयात करने पर विचार किया जाता है। निम्नलिखित होंगे :

1980-81	9.30 करोड़
1981-82	71.05 करोड़

(ख) अनुमोदित पंचवर्षीय योजना में की गई व्यवस्थाओं के अनुरूप दूरसंचार सेवाओं के विकास कार्यक्रम को पूरा करने हेतु दूरसंचार उपस्कर का आयात किया जाता है।

(ग) 31-3-1981 को टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची 4.43 लाख की प्रतीक्षा सूची के आवेदकों में से 50 प्रतिशत को 1984-85 तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की आशा है बशर्ते कि साधन उपलब्ध हों।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति न किए जाने के कारण श्रमिक दिनों की हुई हानि

5067. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्त न किए जाने के कारण 1 फरवरी' 1980 से 30 सितम्बर, 1981 की अवधि के दौरान कुल कितने श्रमिक दिनों की हानि हुई ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : उच्च न्यायालयों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

संचार मंत्रालय में निलम्बित कमचारियों की संख्या

5068. श्री मूल चन्द डागा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय के प्रत्येक विभाग में ऐसे कर्मचारियों की वर्ग वार संख्या तथा ब्यौरे क्या हैं जो निलम्बित है ;

(ख) उनके निलम्बन के क्या कारण है और उनको किस तारीख को निलम्बित किया गया था और क्या इस बारे में एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय किया है कि निलम्बित कर्मचारियों के मामलों की एक निर्धारित अवधि के भीतर निपटाया जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है । संचार मंत्रालय के अधीन डाक तार विभाग सहित, कई संगठन हैं जहां 8 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं । भारत भर में फैले अनेक कार्यालयों और क्षेत्रीय एककों के विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकारी संबन्धित आचरण नियमों के मातहत विशिष्ठ रूप से उल्लिखित अनुशासनहीनता और कदाचार के लिए अपने प्रशासनिक अधिकार में काम कर रहे कर्मचारियों को निलम्बित करने का अधिकार रखते हैं । इन सभी कार्यालयों के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की सख्या तथा उनसे सम्बन्धित विवरण इकठ्ठा कर समेकित करने में काफी समय लगेगा । क्योंकि निलम्बित कर्मचारियों के मामलों की नियमित जांच समय-समय पर होती रहती है और जरूरी होने पर निलम्बन आदेश वापिस भी ले लिए जाते हैं, इस लिए स्थिति बराबर बदलती रहती है । इस प्रकार इस बारे में जानकारी इकठ्ठा करते ही पुरानी हो जाएगी । अस्तु आंकड़े इकठ्ठा करने में लगने वाला समय, मेहनत और खर्च इसके उद्देश्य के अनुरूप नहीं रहेगा ।

(ग) और (घ) निलम्बित कर्मचारियों का परिहार्य विलम्ब के बिना निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्रालयों द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को विभिन्न अनुशासनिक प्राधिकारियों को तत्काल परिचालित कर दिया जाता है ।

ऊर्जा सरक्षण

5069. श्री मूल चन्द डागा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) उनको किन-किन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) छठी योजना में ऊर्जा संबंधी कार्य नीति के जो तत्व बताये गये हैं उनमें से एक तत्व है ऊर्जा की बरबादी को कम करने के लिए तथा ऊर्जा उत्पादन तथा इसके समुपयोजन की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ध्यान देना। इस दिशा में सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

1. पारेषण तथा विवरण हानियों को कम करने के लिए विद्युत सेक्टर में उपयुक्त प्रणाली में सुधार किए जा रहे हैं।

2. राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी गई है कि संरक्षण संबंधी उपाय लागू करें विशेषकर कृषि क्षेत्र में कृषि उपभोक्ताओं को उचित कार्य कुशलता वाले पम्प खरीदने की सलाह देकर वे ऐसा करें।

3. विशेष संरक्षण सैलों की स्थापना के लिए कई राज्य बिजली बोर्डों ने कार्रवाही आरम्भ कर दी है।

4. तेल से चलने वाले अकुशल बायलरों के स्थान पर आधुनिक कुशल बायलर लगाने के लिए उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की एक स्कीम आरम्भ की गई है।

5. रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करने के लिए गतिशील कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। छठी योजना में 1000 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण करना परिकल्पित है।

6. विद्युत उत्पादन और अन्य गैर आवश्यक क्षेत्रों में तेल के प्रयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है।

7. ग्राम विद्युतीकरण के लिए गतिशील कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इससे तेल की खपत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

8. उद्योगों को सलाह दी गई है कि अवशिष्ट उष्मा प्राप्त करने के उपकरण स्थापित करें तथा जहां कहीं भी संभव हो वहां विद्युत के सह। उत्पादन की व्यवस्था करें।

9. मिट्टी के तेल और एल० पी० जी० के अधिक कार्य कुशलता वाले नए स्टोव विकसित किए गए हैं और ये बाजार में बेचे जा रहे है। केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल किये जाने के लिए जलाऊ लकड़ी के विशेष प्रकार के चुल्हे का विकास किया है जिसकी कार्य कुशलता अधिक है।

10, उद्योगों में ऊर्जा के उपयोग और संरक्षण पर एक कार्यकारी दल का गठन

भारी उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। यह कार्यकारी दल औद्योगिकी क्षेत्र में ऊर्जा के संरक्षण की शक्यता के बारे में अध्ययन करेगा तथा उनको कार्यान्वित करने के उपाय सुझायेगा।

11. ऊर्जा संरक्षण को बढावा देने के उपायों का पता लगाने के लिए सरकार ने भारतीय इन्जीनियरी उद्योग एसोशिएशन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान सगठनों जैसे संगठनों तथा राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए हुए है।

अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के सेमीनार में लिए गए निर्णय

5070. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 नवम्बर, 1981 को हुए अखिल भारतीय पत्र सम्पादक सम्मेलन के सेमीनार की चर्चा का विषय क्या था और क्या सेमीनार में उक्त विषय पर कोई सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस सेमीनार में समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता के बारे में अपनी नीति स्पष्ट की थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन द्वारा 28-11-1981 को रिसपोन्स और रिस्पोन्सीबिलिटी ट्वाइस बिस्फोर दि प्रेस नामक एक सेमिनार आयोजित किया गया था। सरकार को सेमिनार के निष्कर्षों के बारे मे आयोजकों से कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सूचना और प्रसारण उप मन्त्री ने अपने उद्घाटन भाषण में प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया था और यह सुझाव दिया था कि इस स्वतन्त्रता को जिम्मेदारी के साथ निभाए जाने की आवश्यकता है जिसे प्रेस द्वारा स्वयं सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय समाचारपत्र संपादक सम्मेलन की प्रतिक्रिया से सरकार को औपचारिक रुप से सूचित नहीं किया गया है।

विश्व बैंक के दल का अपर इन्द्रावती परियोजना का दौरा

5071. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दल ने उड़ीसा में अपर इन्द्रावती परियोजना की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना, निधियों की व्यवस्था के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है। इस परियोजना का मूल्यांकन संबंधी कार्य हाथ में लेने से पूर्व बैंक ने और ब्योरा मांगा है।

दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

5072. **श्री निहाल सिंह** : क्या सन्चार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रत्येक पुनर्वास कालोनी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की जनता क्वार्टर कालोनियों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए गए हैं, और उन कालोनियों की संख्या कितनी है जिनमें मार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं है ; और

(ख) क्या इन कालोनियों की कुछ सुधार समितियों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की मांग की है यदि हां, तो इन कालोनियों के नाम क्या हैं ?

सन्चार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) पुनर्वास कालोनियों में कार्य कर रहे सार्वजनिक टेलीफोन घर निम्न प्रकार हैं : मंगोलपुरी 2, शकरपुर-2, जहांगीरपुरी-2, सीलमपुर, नन्द नगरी और सीमापुरी प्रत्येक में एक।

(कुल संख्या 10)

कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, त्रिलोकपुरी, गोकलपुरी सुल्तानपुरो, रघुबीर नगर तथा मादीपुर में अभी तक सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं उपलब्ध कराए जा सकें हैं।

(ख) जी हां, समाज सुधार समिति रघुबीर नगर से सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था हेतु निवेदन किया गया है।

पंजाब में बिजली की भावी मांग तथा उपलब्धता

5073. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा हाल में तैयार की गई समदर्शी विद्युत विकास योजना के अनुसार यदि अगले दो दशकों के दौरान बिजली की मांग और इस उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए समय पर पर्याप्त उपाय नहीं किए गए तो क्या इस शताब्दी के अन्त तक पंजाब को विद्युत संकट का मामना करना पडेगा ; और

(ख) यदि हां, तो न केवल इस स्थिति का सामना करने अपितु पन-बिजली प्रणाली तथा भटिण्डा तापीय संयंत्र दोनों की वर्तमान उत्पादन क्षमता में सुधार करने तथा इसका इष्टतम उपयोग करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : विद्युत विकास के लिये योजना कार्यक्रम, सरकार द्वारा बनाई गई वार्षिक सर्वेक्षण समिति के तत्वाधान में किए गए विद्युत सर्वेक्षणों के आधार पर बनाये जाते हैं । यह समिति विभिन्न क्षेणों की आर्थिक वृद्धि और विकास को भी दृष्टिगत रखती है । ये सर्वेक्षण, राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सरकार के अन्य संगठनों के साथ परामर्श एवं विचार विमर्श करके किए जाते हैं । विद्युत मांग के पूर्वानुमान को अन्तिम रूप देते समय, राज्य बिजली बोर्डों के दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखा जाता है । व्यवहार रूप में सामान्यत: यह पाया जाता है कि राज्य बिजली बोर्ड अपनी मांग का अनुमान बढ़ा चढ़ा कर लगाते हैं । यही बात पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के बारे में भी है ।

पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि बिजली की मांग जो 1981-82 में 1561 मेगावाट है, बढ़कर 1989-90 में 4969 मेगावाट हो जाएगी । बोर्ड के साथ विचार विमर्श करके ग्यारवीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति ने इस प्रत्याशित व्यवस्तम मांग के पूर्वानुमान में संशोधन करके इसे 2821 मेगावाट कर दिया है ।

भविष्य की योजना का आधार यह है कि समस्त देश में फालतू बिजली हो कमी वाले राज्यों को फालतू बिजली वाले क्षेत्रों से बिजली मिला करेगी । यह स्थिति आगामी 6-7 वर्षों में प्राप्त कर ली जाएगी ।

(ख) इस समय पंजाब की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 1536.34 मेगावाट है, जिसमें भाखड़ा और व्यास काम्पलेक्स से उसे मिलने वाला उसका भाग भी शामिल है । 999.28 मेगावाट की कुल क्षमता की कई परियोजनाएं इस समय निर्माणाधीन हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाओं नामश: बैरास्यूल, सलाल और सिंगररौली से भी पंजाब को हिस्सा मिलेगा ।

नई उत्पादन क्षमता का निर्माण करने के राज्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र में एक क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ताकि उत्तरीय क्षेत्र की सभी विद्युत प्रणालियों का समेकित प्रचालन किया जा सके, फालतू बिजली वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में बिजली का स्थानांतरण किया जा सके, आपातकालीन बन्दी के हालातों में विद्युत का आदान प्रदान किया जा सके ।

वर्तमान विद्युत केन्द्रों से विद्युत के उत्पादन में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इनके प्रचालन की सावधानी पूर्वक मानीटरिंग की जा रही है । प्रचालन सम्बन्धी समस्याओं का पता लगाने और विभिन्न उपस्करों के सप्लाई कर्त्ताओं के साथ परामर्श करके सुधार कार्यक्रम बनाने में सम्बन्धित प्राधिकारियों को सहायता दी जाती है । परियोजना प्राधिकारियों को उपचारी उपाय सुझाए जा रहे हैं । इसके अलावा समस्याओं का पता लगाने के

लिए और स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम सुझाने के लिए केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञ विद्युत केन्द्रों के दौरे करते रहते हैं।

प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

5074. **श्री अमर राय प्रधान : सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे कुछ राज्यों में, जहां गैर कांग्रेसी सरकारें सत्ता में हैं, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन राज्यों में प्रेस की स्वतंत्रता पुनः बहाल करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) (क) से (ग) प्रेस परिषद को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो अधिकतर वैयक्तिक समाचार पत्रों/व्यक्तियों की शिकायतों के संदर्भ में है। ये परिषद के विचाराधीन में। तथापि, किसी भी सम्बन्धित राज्य सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई है।

उत्तरी बंगाल में समाचारों का सुना जाना

5075. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुच बिहार, और पश्चिमी दीनापुर के लोग कलकत्ता, दिल्ली तथा आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों से प्रसारित समाचार नहीं सुन पाते जबकि वे बंगला देश विशेषकर ढ़ाका रंगपुर आदि से प्रसारित समाचार सुन सकते हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये हैं जिससे उत्तरी बगाल के लोग आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित समाचार सुन सकें ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार सिलीगुड़ी आकाशवाणी केन्द्र के वर्तमान ट्रांसमीटर के स्थान पर अधिक शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सिलीगुड़ी आकाशवाणी केन्द्र के वर्तमान ट्रांसमीटर को कब तक बदला जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) (क) से (घ) यह सही है कि उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी कूच बिहार और दीनाजपुर के जिले आकाशवाणी के कलकत्ता

केन्द्र की सेवा परिधि से बहार हैं। यह काफी संभव है कि बंगला देश के रंगपुर केन्द्र के प्रसारण कूच बिहार और पश्चिमी दीनाजपुर के क्षेत्रों में तुलनात्मक अच्छी तरह सुने जा सकते हों, क्योंकि ये जिले रंगपुर के अधिक निकट हैं।

सिलीगुड़ी केन्द्र कलकत्ता और दिल्ली के कार्यक्रमों और समाचारों को रिले करता है।

छठी योजना (1980-85) में सिलीगुड़ी के वर्तमान मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 20 किलोवाट से बढ़ाकर 200 किलोवाट करने का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के कार्यान्वित हो जाने पर सिलीगुड़ी केन्द्र की शक्ति काफी बढ़ जायेगी और तब इन जिलों को बेहतर सेवा प्राप्त होने की उम्मीद है। उक्त स्कीम के छठी योजना अवधि के दौरान पूरा हो जाने की उम्मीद है।

औषध फर्मों को जारी किये गये लाइसेंसों का क्रियान्वित न किया जाना

5076. **श्री राम विलास पासवान**: क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने लाइसेंस और आशय पत्र 19 अन्त तक तथा 31 जुलाई, 1981 को क्रियान्वित किये बिना पड़े थे। जिनको औषध निर्माताओं को जारी किया गया था ;

(ख) 1973 और 1974 में ऐसे कितने लाइसेंस आशय पत्र जारी किये थे जो बिना क्रियान्वित किये पड़े है ;

(ग) इस लाइसंसों/आशयपत्रों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे मे सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) सामान्यता आशयपत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैद्य होता है जिनके अन्दर पार्टी को उनकी शर्त को पूरा करने और विदेशी सहयोग जैसी व्यवस्था को अन्तिम रूप देना, यदि कोई है तथा पूंजीगत माल के आयात के लिए कदम उठाना पड़ता है और इसे औद्योगिक लाइसेंस में बदलने की अनुमति लेनी पड़ती उसी प्रकार औद्योगिक लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 2 वर्षों की अवधि में पार्टी को लाइसेंस में उल्लिखित निर्माण स्थापित करने के लिये योजना बनानी पड़ती है और निर्माण प्रारम्भ करना पड़ता है। जहां पर्याप्त कारण होता पार्टी आशयपत्र औद्योगिक लाइसेंस की वैद्यता तिथि को बढ़ाने के लिए आवेदन करती है और उसकी स्वीकृति दी जाती है। 31.7.79 के बाद जारी औद्योगिक लाइसेंस और 31.7.1980 के बाद जारी आशय पत्र 31,7,81 तक अपनी प्रारम्भिक वैद्यता अवधि के अन्तर्गत है। 31,7 1981 को प्रारम्भिक वैद्यता तिथि के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर 28 औद्योगिक लाइसेंस अकार्यान्वित रहे और 50 आशयपत्र औद्योगिक लाइसेंस में नहीं बदले गए।

(ख) वर्ष 1973 और 1974 के दौरान जारी औद्योगिक लाइसेंस अशायपत्र में से 2 औद्योगिक लाइसेंस अकार्यान्वित रहे और 2 आशयपत्र औद्योगिक लाइसेंस में नहीं बदले गए।

(ग) और (घ) दो औद्योगिक लाइसेंसों को वापस लेने की कार्यवाही की गई है। जहाँ तक आशयपत्रों का सम्बन्ध है एक मामले में आशयपत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने का प्रश्न विचाराधीन है दूसरे आशयपत्र के बारे में विदेशी सहयोग शर्तों का अनुमोदन हो गया है और पार्टी को अन्तिम रूप से किए गए करार को रिकार्ड के लिए प्रस्तुत करना है। इसी बीच अशायपत्र की वैधता तिथि बढ़ा दी गई है

दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति

5077. **श्री के० लकप्पा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति में कोई संसद सदस्य मनोनीत किया गया है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) टेलीफोन सलाहकार समिति में होने के नाते संसद सदस्यों के क्या अधिकार और विशेषाधिकार होते हैं ?

सन्चार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बिजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टेलीफोन सलाहकार समिति का सदस्य होने पर संसद सदस्यों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं :-

(1) टेलीफोन सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य बने रहने तक सांधारण किराए का भुगतान करके अधिभावी प्राथमिकता के आधार पर एक अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन दिया जाता है बशर्ते कि उनके नाम से कोई अन्य टेलीफोन कनेक्शन न हो।

(2) टेलीफोन सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य को समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु समय-समय पर ग्राह्य दरों पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता पाने का अधिकार प्राप्त है।

(3) सदस्य ओ० वाई० टी० तथा गैर ओ० वाई० टी श्रेणियों के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में विभिन्न आवेदकों के तुलनात्मक योग्यता का संयुक्त मूल्यांकन करके निष्पक्ष एवं समान आधार पर नियमों के अन्तर्गत बगैर बारी के कनेक्शन देने में विभाग की सहायता करते हैं।

दूरदर्शन स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन

5078. श्री राम अवध : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन स्टाफ आर्टिस्टों/विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभाग तथा मन्त्रालय को कितने अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये ;

(ख) क्या विभाग या मन्त्रालय द्वारा इन अभ्यावेदनों की प्राप्ति की सूचना दे दी गई है ;

(ग) उनमें से कितने अभ्यावेदनों पर कार्यवाही की गई है और कितने पर नहीं ; और

(घ) इन अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही न किये जाने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) (क) से (ग) दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों और उनकी एशोसियेशनों से भी दूरदर्शन केन्द्रों/दूरदर्शन महानिदेशालय तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में भी समय समय पर अनेक अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। इन अभ्यावेदनों पर नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है और आमतौर पर सम्बन्धित व्यक्तियों को की गई कार्रवाई से सूचित किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम हल्दिया एकक के लिए ताप बिजली घर

श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के हल्दिया एकक के लिए पूर्ण ताप बिजली घर की स्थापना का कोई प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्योरा क्या है : और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रससयन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड के हल्दिया यूनिट के उर्वरक प्लांट की बिजली आवश्यकता पूरी करने के लिए नवम्बर, 1981 में कोयले पर आधारित कैप्टिव पावर प्लांट लगाने के लिए अनुमोदन किया है। कैप्टिव पावर प्लांट का पूंजी लागत 0.50 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अंश समेत 29.04 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके मई 1985 तक पूरा होने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी अधिकारियों और वरिष्ठ अनुवादकों की नियुक्ति के लि एप्र क्रिया

5080. श्री ओस्कर फर्नान्डीज : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और उसके सम्बद्ध कार्यालयों (कार्यालयवार) सहित हिन्दी अधिकारियों और वरिष्ठ अनुवादकों के कुल कितने पद हैं ;

(ख) विभागीय पदोन्नति अथवा विभागीय हरिपत्रों के आधार पर चयन द्वारा ऐसे कितने पद भरे गये थे ।

(ग) क्या यह सच है कि कुछ सम्बद्ध कार्यालयों में ऐसे पदों के लिये परिवारों में न्यूनतम अर्हता ए म० ए० निर्धारित की गई थी जबकि अन्य सम्बद्ध कार्यालयों में यह अर्हता बी० ए० निर्धारित की गई थी; यदि हां तो इस प्रकार की असमानता के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि नियमित और वरिष्ठ पात्र व्यक्तियों को नियुक्ति/पदोन्नत किया गया था ; यदि हां तो उसके क्या कारण है ; और

(ङ) इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (घ) : हिन्दी अधिकारी के 7 पदों में से 5 पद संघ लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों से भरे गए हैं । एक और मामले में की गई नियुक्ति को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के बनने और पद के इस सेवा में शामिल होने तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के समय समय पर जारी रखा आ रहा है । शेष 4 पदों के मामले में, उक्त सेवा के बनाने और पदों के उसमें शामिल होने तक भर्ती नियम बनाए गए है । तथापि, कार्य के हित में तदर्थ नियुक्तियां की गई है ।

वरिष्ठ अनुवादकों के मामले में केवल । पद के लिए भर्ती नियम मौजूद है किन्तु 4 पदों के बारे में वर्तमान नियुक्तियां तदर्थ आधार पर हैं ।

इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियां उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आकलन और उनकी सेवा के रिकार्ड के आधार पर की गई थी । क्योंकि इन पदों पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए कोई संयुक्त वरीयता मौजूदा नहीं है इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों की नियुक्ति को गलत तरीके से की गई नियुक्ति या विभागीय पदोन्नति कोटे के माध्यम से की गई नियुक्ति नहीं समझा जा सकता ।

(ग) जी हां । उक्त सेवा के बनने तक, हिन्दी अधिकारी के 4 पदों और वरिष्ठ अनुवादक के 3 पदों के लिए भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं । इस प्रकार की स्थिति में जब पदों को भरने की आवश्यकता होती है । विचार किए जाने वाले विभागीय उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक अर्ह-

ताएं कार्य की आवश्यकताओं के गुण दोष के आधार पर निर्धारित करने की सामान्य परिपाटी है।

(ङ) प्रस्तावित नई सेवा में सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों के पदों के शामिल कर लिए जाने की उम्मीद है। नई सेवा में पदों के भर्ती नियमों में इस प्रकार के पदों की भी देख रेख होगी।

विवरण

	मंत्रालय/सम्बद्ध कार्यालय	पदों की कुल संख्या	
		हिन्दी अधिकारी	वरिष्ठ अनुवादक
1.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय (मुख्य सचिवालय)	1	1
2.	आकाशवाणी महानिदेशालय	1	1
3.	दूरदर्शन महानिदेशालय	1	—
4.	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1	1
5.	प्रकाशन विभाग	1	1
6.	भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय	1	—
7.	पत्र सूचना कार्यालय	1	—
	कुल :	7	4

विद्युत बोर्डों के इन्जीनियरों द्वारा हड़ताल

5081. श्री बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1981 के दौरान विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के बहुत से इन्जीनियरों द्वारा हड़ताल की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में बिजली की इन हड़तालों के कारण गम्भीर स्थिति पैदा हुई है और बहुत से राज्यों में बिजली की बहुत कमी थी,

(ग) यदि हां, तो बिजली इन्जीनियरों द्वारा इस हड़ताल के मुख्य कारण क्या थे ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इन इन्जीनियरों की मुख्य मांगें क्या थीं और केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप से समझौता कराने में कहां तक सहायता मिली है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजना) (क) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के कुछ सुवार्डिनेट इन्जीनियर 20 नवम्बर, 1981 से हड़ताल पर चले गये थे। इसकी वजह से राज्य की विद्युत सप्लाई में बाधा पड़ी।

राज्य बिजली बोर्डों में औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित मामलों का सम्बन्ध राज्य सरकारों और बिजली बोर्डों से है। हमें पता चला है कि सुवार्डिनेट इन्जीनियर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है। हड़ताल की अवधि के दौरान विद्युत की सप्लाई बनाये रखने के लिए राज्य ने सुसंगठित प्रयास किए और केन्द्र सरकार भी जहां तक व्यवहार्य हुआ, वहां तक पड़ोसी राज्यों/विद्युत प्रणालियों से सप्लाई की व्यवस्था करती रही है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

5082. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी मुख्य मन्त्रीयों से न्याय शीघ्र दिलाने के लिए उच्च न्यायाधीषों के रिक्त पदों को यथासम्भव शीघ्र भरने की सिफारिशें भेजने के लिए अनुरोध किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इन शिकायतों की ओर ध्यान देते हुए कि नियुक्तियों में प्रायः महीनों का विलम्ब हो जाता है, निधारित समय का पालन करने को सलाह भी दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो अब कितने मुख्य मन्त्रीयों ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं और कितने राज्यों ने अब तक केन्द्र को नामों के बारे में सूचित नहीं किया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) मुख्य मन्त्री को नवम्बर, 1980 में यह सलाह दी गई थी कि वे उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के लिए अपनी सिफारिशें भेजने के मामले में निर्धारित समय का पालन करें। जहां कहीं आवश्यक है मुख्य मंत्रियों को अपने प्रस्ताव शीघ्र भेजने के लिए अनुस्मरण करा दिया गया है। न्यायधीशों की नियुक्ति एक निरन्तर प्रक्रिया है क्योंकि रिक्तियां होती रहतीं हैं और मुख्य मन्त्री समय-समय पर प्रस्ताव भेजते रहते हैं 15. 12. 1981 की विभिन्न उच्च न्यायालयों में 74 पद रिक्त थ। आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, इलाहाबाद, कलकत्ता, मध्यप्रदेश तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयो में उक्त तारीख को विद्यमान रिक्त पदों में से 81 पदों पर आरम्भिक नियुक्तियां करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं।

हैदराबाद में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

5083. **श्री नरसिम्हा रेड्डी** : विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया है; और जिसमें केन्द्रीय सरकार से हैदराबाद में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विनिश्चय किया गया हैं ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा ने तारीख 22.9.1978 को अपनी बैठक में एक गैर-सरकारी संकल्प पारित किया था जिसमें राज्य सरकार से यह सिफारिश की गई थी कि वह "दक्षिण राज्यों के मुकदमा लड़ने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दक्षिण में अधिमानतः हैदराबाद में उच्चतम न्यायालयों की एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ बातचीत करे।" राज्य सरकार ने इस संकल्प की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेज दी थी।

(ख) और (ग) संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबन्ध है कि "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में बैठेगा जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधिपति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर संकल्प की एक प्रति भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री को भेज दी गई थी। इस सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रामागुंडम विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता

5084. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामागुन्डम विद्युत परियोजना (1981) के विद्युत उत्पादन की वर्तमान क्षमता क्या है और क्या छटी योजना के अन्त तक इसे उत्तरोत्तर बढ़ाने की कोई योजना है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1979-80 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए आवंटित किए गए धन को पूरा-पूरा खर्च नहीं किया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या परियोजना प्राधिकारियों को योजनाएँ तैयार रखने के लिए निर्देश दिया गया है ताकि केन्द्रीय सहायता का पूरा-पूरा उपभोग हो सके और काम की गति में तीव्रता आए ; और

(घ) वर्ष 1981 से सम्बन्धित निधि के उपयोग की क्या स्थिति है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, आन्ध्र प्रदेश में रामागुण्डम में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने की परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। परियोजना की प्रतिष्ठापित चरम क्षमता 2100 मेगावाट होगी जिसमें 500-200 मेगावाट के 3 यूनिट तथा 500-500 मेगावाट के 3 यूनिट होंगे। 200 मेगावाट का पहला यूनिट फरवरी, 1984 तक लागू किए जाने का कार्यक्रम इस समय है तथा वर्तमान योजना के अन्त तक इस केन्द्र की प्रतिष्ठापित क्षमता 600 मेगावाट ही जाने की आशा है।

(ख) जी, नहीं। परियोजना के लिए निधियों का समुपयोजन 1979-80 में 99 प्रतिशत से अधिक था।

(ग) वार्षिक वित्तीय प्रावधानों का निर्धारण, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निर्माण कार्यों के अनुसार किया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम आशा करता है कि वर्ष 1981-82 के लिए किए गये 80 करोड़ रुपये के आवंटन का वह पूरा उपयोग कर लेगा।

विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बल

5085. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है कि देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किय जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह की इकाईयों की संख्या क्या है और स्पष्ट तौर पर उसके विचारार्थ विषय क्या हैं,

(ग) क्या बिजली उत्पादन बढ़ाने और आंध्र प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड को समुचिता सहायता देने के लिए कोई कृत्रिक बल बनाया गया है, और

(घ) कृत्रिक बल की सिफारिशें कब तक उपलब्ध होंगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) देश में विद्युत की कमी के कारणों में से एक कारण ताप विद्युत केन्द्रों का अपेक्षतया असंतोषजनक कार्य-निष्पादन है तदनुसार, ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में, ताप विद्युत सेक्टर में विशिष्ट कार्यों के कृत्रिक बलों का गठन करना भी शामिल है। 200 मेगावाट की यूनिटों के शीघ्र स्थिरीकरण तथा इनके बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए कदम उठाये जाने की दृष्टि से एक कृत्रिक बल गठन किया गया है। इस कृत्रिक बल में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी ईलेकिट्कल्ज लि०, ईन्सट्रूमेंटेशन लि० कोटा तथा राज्य बिजली,

बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने कमियों का पता लगाया है और 200 मेगावाट यूनिटों के स्थिरीकरण के लिए इसमें सुधार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम किया है। यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा उस कृत्रिक बल द्वारा की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरूप, 200 मेगावाट की यूनिटों का क्षमता समुपयोजन, जो 1980-81 में 369 प्रतिशत था बढ़कर अप्रैल से अक्तूबर, 1981 के दौरान 40-45 प्रतिशत हो गया है।

संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और कमियों को दूर करने संबधी कार्य करने में कुछ राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करने के लिए भी कृत्रिक बलों का गठन किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों वाला एक भ्रमणकारी दल भी प्रचालन प्रक्रियाओं की मानीटरिंग करता है और विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को परामर्श देता है। इस दल का कार्य भी सतत् प्रकृति वाला है। 200 मेगावाट की यूनिटों के लिए गठित किये गए कृत्रिक बल के ढ़ांचे पर ही एक क्रतिक बल का गठन, 100/110/120 मेगावाट के यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए भी किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की सहायता के लिए अलग से किसी कृत्रिक बल का गठन नहीं किया गया यद्यपि उपरोत कृत्रिक बलों द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को भी सहायता की जायगी। यह सहायता उनकी आवश्यकता और यूनिटों के साइज पर निर्भर करेगी

अधिक नलकूपों के लिए बिजली उपलब्ध कराने की योजना

5086. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री के० पी० सिंह देव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आगामी 3 वर्षों में अधिक नलकूपों के लिए बिजली उपलब्ध कराने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में कितने अतिरिक्त नलकूपों के लिए बिजली उपलब्ध कराई जायेगी ;

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई गई है कि काश्तकारों को भी उतनी ही बिजली सप्लाई की जाये जितनी उद्योग को सप्लाई की जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी योजना (1980-85) के दौरान 25 लाख पम्पसेटों को बिजली दिए जाने का प्रस्ताव है। इस सुविधा का एक भाग ट्यूबवैलों के ऊर्जन के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। यह कार्यक्रम संबधित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) इन दो राज्यों में वर्ष 1980-81 से 1981-82 तक के ऊर्जन कार्यक्रमों का ब्योरा निम्नानुसार है :

राज्य	31-3-1980 की स्थिति के अनुसार अर्जित किए गए सिंचाई पम्पसेटों की कुल संख्या	छठी योजना 1980-85 के लिए लक्ष्य	1980-81 के दौरान अर्जित किए गए पम्पसेटों की वास्तविक संख्या	1981-82 के दौरान प्रगति लक्ष्य अगस्त, 1981 के अन्त तक वास्तविक उपलब्धि
आन्ध्र प्रदेश	4,05,127	2,80,000	41,366	49,000	16,720
उड़ीसा	12,958	90,032	3,236	11,010	590

(ग) और (घ) भारत सरकार कृषकों को विद्युत की सप्लाई के लिए उच्च प्राथमिकता देती रही है। विद्युत की कमी की स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत की सप्लाई के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में कृषि पम्पिंग को अनिवार्य उपभोक्ताओं की श्रेणियों के समूह में शामिल किया गया है। कृषकों की मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा मन्त्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सभी राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों/कृषि कार्यों के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे तक विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित करें। कृषकों की विद्युत की वास्तविक सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम अपने दल नियमित रूप से भेजता रहता है।

आकाशवाणी, भोपाल की पारेषण क्षमता में वृद्धि

5087. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी भोपाल केन्द्र की पारेषण क्षमता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह नया ट्रांसमीटर कब से काम करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भोपाल के ट्रांसमीटर की। किलोवाट मीडियम वेव की वर्तमान शक्ति को बढ़ाने के लिए फालतू ट्रांसमीटरों में से एक ट्रांसमीटर का पुनः उपयोग करने की एक स्कीम छठी योजना में शामिल की गई है। इसके छठी योजना अवधि के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

कोटा तापीय बिजली घर के लिए घटिया स्तर के टैंकों का निर्माण

5088. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय बिजली घर, काटा (राजस्थान के लिए बनाए गए चार टैंकों में से दो टैंकों को एक एक्सप्लोसिव आथरिटी ने अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि वे सुरक्षा उपबन्धों के अनुसार आवश्यकता पूर्ति नहीं करते ;

(ख) यदि हां, ऐसे घटिया स्तर के टैंक बनाने पर कितनी धनराशि का नुकसान उठाना पड़ा और इसके निर्माण का ठेका किस कम्पनी को दिया गया था ;

(ग) क्या इस नुकसान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) : राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए लाइसेंस तीन टैंकों को दिए गए हैं। चौथे टैंक को लाइसेंस देने से संबंधित मामले को भी संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

आंध्र प्रदेश में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

5089. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापतनम इस्पात संयंत्र से धातु मल का उपयोग करके आंध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाने स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं तो क्या पेट्रोलियम या कोयले पर आधारित और अधिक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : (क) और (ख) जी नहीं।

लघु क्षेत्र की सोडा ऐश की मांग

5090. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के लिए लघु क्षेत्र की सोडा ऐश की अनुमानित मांग कितनी है और डी० जी० टी० डी० के एकवों की 6.8 लाख की मांग के अतिरिक्त सोडियम सिलिकेट, अन्य उद्योगों डिटरजेन्ट्स, धोबियों घरों सहकारी समितियों आदि की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है,

(ख) वर्ष 1981-82 में कुल मिलाकर कितनी कमी होगी, और

(ग) इसे किस प्रकार पूरा किया जाना था,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सोडा ऐश के

लिए वर्ष 1981-82 की मांग के बारे में अकार्बनिक रसायनों पर कार्यकारी दल जिसमें डी० जी० टी० डी०, विकास आयुक्त (लघु उद्योग), योजना आयोग और रसायन और उर्वरक विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं ने 6.8 लाख टन का अनुमान लगाया। इस मांग में लघु उद्योग और लघु उपभोक्ताओं समेत सभी प्रकार के उपभोक्ताओं की आवश्यकता सम्मिलित है।

(ख) और (ग) सोडा ऐश के निर्माताओं ने सरकार को सूचित किया है कि "बैंजनों,-कोक और कोयले की सप्लाई के वर्तमान स्तर पर 1981-82 में 6.7 लाख टन सोडा ऐश का निर्माण होगा। वर्ष 1981-82 के प्रथम आठ महीनों के लिग उत्पादन रुख से यह प्रत्यक्ष है कि इस स्तर को प्राप्त किया जा सकता है आयातित स्टाक और स्वदेशी सोडा एश समेत 6.70 लाख टन की सभी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

दिल्ली में पुनर्वास मंत्रालय के कब्जे में भूमि

5091. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली में पुनर्वास मंत्रालय के कब्जे में सरकारी भूमि के क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अवैध अथवा अनधिकृत कब्जे के क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुल क्षेत्र में बेदखली की कार्यवाही चल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अनधिकृत कब्जे में पड़ी शेष भूमि के संबंध में बेदखली की कार्यवाही आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) मामला विचाराधीन है।

विवरण

(एकड़ों में)

	खाली क्षेत्र	अनधिकृत कब्जे के अधीन क्षेत्र	हरा क्षेत्र	योग
(1) अविकसित भूमि	576.28	330.99	30.25	939.52
(2) विकसित भूमि	141.28	96.63	12.00	239.91
योग :	707.56	427.62	48.25	1177.43
		या 430 एकड़		या 1180 एकड़

पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संबंधी विशिष्ट तथा तकनीकी जानकारी का निर्यात :

5092. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बाद विकासशील देशों को विशिष्ट तथा तकनीकी जानकारी का निर्यात करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं जिनको भारत इस समय पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अपनी तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा रहा है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों से कोई आर्डर प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) अन्वेषण, भूकम्पीय सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक अध्ययन, ड्रिलिंग, पाइपलाइन निर्माण, एल० पी० जी० कम्प्लेक्स, परामर्शी तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं के क्षेत्रों में, आबूधाबी ईराक, जांबिया, अल्जीरिया, इथोपिया, यमन जनवादी गणतंत्र (पी० डी० आर० वाई०) आदि देशों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

कुछ और विकासशील देशों में कार्य-ठेके/परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली छावनी में बिजली के कनेक्शन देने से इनकार किया जाना

5093. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी के निवासियों को एम० ई० एल० के पास बिजली की कमी के कारण वाणिज्यिक तथा घरेलू उपयोग के लिये बिजली के कनेक्शन देने से इन्कार कर दिया गया है जबकि दिल्ली का दावा है उसकी आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कार्यवाही की गई और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) यह सूचित किया गया है कि दिल्ली छावनी बोर्ड के सदर बाजार और गोपीनाथ बाजार में वितरण तार-जाल की क्षमता चरम सीमा पर है और इस कारण इस प्रणाली से नये कनेक्शन दिए जाने से वर्तमान व्यवस्था में ओवर-लोडिंग हो जाएगी, जिससे विद्युत सप्लाई का ब्रेक डाउन हो सकता है। इसलिए वाणिज्यिक और घरेलू कार्यों के लिए नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं यद्यपि बिजली की कोई कमी नहीं है। दिल्ली छावनी के गोपीनाथ बाजार और सदरबाजार में बिजली सप्लाई में सुधार किए जाने के कार्यों को हाल ही में स्वीकृत किया गया है और नये कनेक्शन इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात दिए जाएंगे।

"मिनिस्टर टैल्स डेसू टु सेट थिग्स राइट" और "डेसू टोल्ड टु आइडेटिफाई कासिस आफ फाल्टी बिल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

5094. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" और "हिन्दुस्तान टाइम्स" में क्रमश "मिनिस्टर टैल्स डेसू टु सेट थिग्स राइट" और "डेसू टोल्ड टु आइडेटिफाई कासिस आफ फाल्टी बिल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) मांग से अधिक बिजली उपलब्ध होने का दावा करने के साथ-साथ घन्टों तक बिजली बन्द रखे जाने के क्या कारण है और वितरण व्यवस्था में सुधार करने के संबंध में किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट व बदरपुर बिजली घरों से अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित न किये जाने के क्या कारण हैं और

(ङ) क्या बकाया राशि को वसूल करने के लिये कोई अभियान चलाया गया है ; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकाला है।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) 2 अक्तूबर,1981 को इण्डियन एक्सप्रेस और हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे समाचार को सरकार ने देखा है।

(ग) दिल्ली में लोड शैडिंग की घटनाएं काफी कम हो गई है। इस वर्ष जनवरी से नवम्बर तक केवल 33 दिन लोड शैडिंग की गई। इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 93 दिन तथा वर्ष 1979 में 122 दिन लोड शैडिंग की गई थी। जहां तक विद्युत प्रणाली को सुधारने का सम्बन्ध है, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान जैसे किसी बिजली प्रदाय संगठन में वितरण तार जाल का विस्तार करने ओर उसे सुदृढ़ करने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और इस लिये दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्था न अपनी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ प्रदाय संस्थान ने सदस्य (विद्युत प्रणाली) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीन एक समिति का गठन भी किया है उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।

(घ) इन्द्रप्रस्त केन्द्र और बदरपुर में कुछ अवसरों पर विद्युत उत्पादन कम होने के कारण ये होते हैं; बायलर ट्यूब में लीकेज संयत्र पुराने होना कोयला की गुणवत्ता घटिया होना तथा प्रणाली में अधिक भार की परिस्थितियों के कारण सुरक्षात्मक अनुरक्षण के लिए यूनिटों का उपलब्ध न होना। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरुप बदरपुर विद्युत केन्द्र में पर्याप्त सुधार हुआ है। अक्तूबर 1981 में संयंत्र भार अनुपात 62 प्रतिशत था। इसकी तुलना में अक्तूबर 1981 में यह 33 प्रतिशत था। इसके अलावा इन

उपायों के परिणाम स्वरुप पिछले 2/3 महीने से दिल्ली के पास फालतू विद्युत हो गई है।

(ड.) जी हां। बकाया राशियों की वसूली के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने एक अभियान शुरू किया है और उम्मीद है कि वसूली की स्थिति में सुधार हो जाएगा।

सोडा-ऐश की आवश्यकता और उत्पादन।

5095. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोडा-ऐश की कुल आवश्यकता कितनी है और वर्ष 1979 और 1980 में कितना उत्पादन हुआ है।

(ख) इन दो वर्षों में सोडा ऐश का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया और

(ग) संबंधित लघु निर्माण एककों में सोडा-ऐश वितरित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अकार्बनिक रसायनों पर गठित कार्यकारी दल जिसमें तकनीकी विकास महानिदेशालय विकास आयुक्त लघु उद्योग रसायन और उर्वरक विभाग तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि है ने वर्ष 1980-81 में 6.30 लाख टन सोडा ऐश की मांग का अनुमान लगाया है। वर्ष 1979-80 में 5.56 लाख टन और 1980-81 में 5.63 लाख टन सोडा ऐश का निर्माण हुआ।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान 1.35 लाख टन सोडा ऐश का आयात किया गया। वर्ष 1980-81 (अगस्त, 1980 तक) 0.47 लाख टन आयात किया गया। आयात सांख्यिकी का संकलन और प्रकाशन महानिदेशक वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी कलकत्ता द्वारा किया जाता है। सामान्यतया सांख्यिकी के संकलन और प्रकाशन में विलम्ब होता है। अगस्त, 1981 के बाद की अवधि के लिए सांख्यिकी का कभी प्रकाशन नहीं हुआ है। सांख्यिकी के संकलन के बाद उन्हें भारतीय विदेशी व्यापार खण्ड 11 कीमासिक सांख्यिकी प्रकाशित में किया जाएगा जिसकी प्रतियां संसद ग्रन्थालय में उपलब्ध होगी।

(ग) वास्तविक उपभोक्ता खुले सामान्य लाईसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत सोडा ऐश का आयात कर सकते हैं। इस प्रकार आयातित सोडा ऐश के वितरण का प्रश्न नहीं उठता तथापि लघु उद्योग यूनिट जो स्वयं सोडा ऐश को आयात नहीं कर सकती उन्हें सहायता देने के लिये सरकार के अनुरोध पर वर्ष 1979-80 में स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (सी० पी० सी०) ने 19100 टन सोडा ऐश का आयात किया। इस प्रकार आयातित सोडा ऐश की वास्तविक उपभोक्ताओं विशेषकर लघु यूनिटों को आवंटित करने के लिए राज्य सरकारों की स्वेच्छ पर उन्हें दिया गया। जनवरी 1981 में सी० पी० सी० ने फिर राज्य 10,00 टन सोडा ऐश का आयात किया। सी० पी० सी० के पास 8000 टन

सोडा ऐश अभी भी उपलब्ध है । कोई भी वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ता सीधे सी० पी० सी० से सोडा ऐश खरीद सकता है ।

तालचेर में "सुपर" तापीय विद्युत परियोजना

5096. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "सुपर" तापीय विद्युत परियोजना उन छः परियोजनाओं में से एक थी जिन पर लगभग छः वर्ष पहले विचार किया जा रहा था और जबकि अन्य पांच परियोजनाओं के सम्बन्ध में निर्माण कार्य हो चुका है, तालचेर परियोजना का कार्य अभी शुरू किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को देश की अन्य किसी नई "सुपर" तापीय परियोजना की तुलना में प्राथमिकता दी जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) वृहत् पिट हेड ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थल चुनाव समिति ने अप्रैल, 1976 में विस्तृत जांच के लिए (पूर्वी क्षेत्र के 4 स्थलों समेत) जिन 11 स्थलों का सुझाव दिया था, उनमें से एक स्थल तलचेर था । उड़ीसा में तलचेर में एक वृहत् ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है जिसमें तीन चरणों में 2800 मेगावाट की चरम सीमा प्रतिष्ठापित क्षमता की परिकल्पना की गई है । इस व्यवहार्यता रिपोर्ट पर अभी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृत दी जानी है ।

बांकुलिया-अर्द्धग्राम बारजोरा क्षेत्र में कोयले निक्षेपों का विदोहन करने की योजना

5097. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान (सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्ट्रीट्यूट) ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले की कालीदासपुर कालिकापुर परियोजनाओं सहित बांकुलिया अर्द्धग्राम बारजोरा जिले केसमस्त क्षेत्र में कोयले के निक्षेपों का बिदोहन के लिए एक विस्तृत समेकित योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (ग) : केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन सस्थान लिमिटेड ने बांकुरा जिला के मेजिया ब्लाक में विस्तृत समन्वेषण

किया है। खनन के लिए ऐसे तीन ब्लाक निर्धारित किए गए हैं जिनमें खनन के लिए समुचित संभावना है। इनमें से कालिकापुर और कालीदासपुर ब्लाकों का पहले ही समन्वेषण किया जा चुका है कालिकापुर ब्लाक के लिए एक साध्यता रिपोर्ट पहले ही बनाई जा चुकी है। साथ लगे अर्द्ध ग्राम ब्लाक का इस समय समन्वेषण अभी चल रहा है के० खा० आ० और डि० सं० लि० ने अनुमान लगाया है कि पूरे अर्द्ध ग्राम ब्लाक को और कालिकापुर ब्लाक के भाग को इस प्रकार विकसित किया जा सकता है कि वहां एक मिलियन टन प्रति वर्ष का उत्पादन हो सके। इस क्षेत्र में और भी समन्वेषण कार्य चल रहा है।

पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की मांग में वृद्धि तथा इसे पूरा करने के लिए दामोदर घाटी निगम की योजना

5098. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की मांग बढ़ रही है और विद्युत की इस मांग को पूरा करने के लिए दामोदर घाटी निगम द्वारा क्या प्रस्ताव तैयार किए गए हैं ?

(ख) दामोदार घाटी निगम की विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी लागत क्या है ;

(ग) ये योजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ; और

(घ) दामोदर घाटी निगम के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (घ) दामोदर घाटी निगम प्रणाली में बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए निगम ने कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित स्कीमें हाथ में ली हैं :—

स्कीम का विवरण	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	चालू करने की निर्धारित तारीख
1- दुर्गापुर में 1 × 210 मे० वा० का यूनिट	85.71 रुपये	5-12-1981 को यूनिट समकालित किया गया था। इसे परीक्षण के लिए चलाया जा रहा है और यह चालू किए जाने की प्रक्रिया है।
2- बोकारो "बी" में 1 × 210 मेगावाट का यूनिट	87.00 रुपये	1984-85

1	2	3
3- पंचेत हिल में 1 × 40 मेगावाट का रिवर्सीबिल पम्प टरबाइन यूनिट	29.85 रुपये	1984-85
4- बोकारो "बी" में 2×210 मेगावाट का यूनिट	187.00 रुपये	1985-86

इसके अतिरिक्त, 652-652 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मैथौन में 5×210 तथा 5×210 मेगावाट के दो ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना किये जाने के दामोदर घाटी निगम के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए यूनिटों को पुनः कार्यक्षम बनाने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम की योजनाएं तैयार की गई थी और ये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनसे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। दामोदर घाटी निगम के ताप विद्युत यूनिटों का क्षमता समुपयोजन पिछले छः महीने में 5 प्रतिशत से अधिक हो गया है जो देश में सबसे अधिक है।

धनकुनी में कार्बनीकरण संयंत्र

5099. **प्रो० रूप चन्द्र पाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में धनकुनी में कम तापमान वाले कार्बनीकरण संयंत्र के लिए परियोजना प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संयंत्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है।

(ग) इस संयंत्र के अनुमानतः कब तक पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) उसका अनुमानित निवेश कितना है और उससे कितने नए आदमियों को रोजगार मिल जायेगा ; और

(ङ) उस परियोजना के लिए कितने सहायक एककों के स्थापित होने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) धनकुनी (पं० बंगाल) में कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र के लिए परियोजना तैयार कर ली गई है। संयंत्र की खपत क्षमता प्रतिदिन 1500 टन अनुकूल आकार वाले कोयले की होगी। संयंत्र इन बस्तुओं का उत्पादन करेगा लगभग 1000 टन धुआं रहित घरेलू ईंधन प्रतिदिन 18-20 मिलियन घन फीट गैस प्रति-

दिन, 80 टन टार रसायन प्रतिदिन और अन्य उत्पाद जैसे अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट आदि ।

(ख) फैक्ट्री भवन, रेलवे साइडिंग, नागरिक बस्ती के लिए जमीन घनकुनी परियोजना प्राधिकारियों को दी जा चुकी है । निर्माण स्थल की भराई मार्ग की मरम्मत, अस्थायी कार्यालय का निर्माण आदि के लिए प्रारंभिक काम हो रहा है । हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन ने जो मुख्य ठेकेदार है प्रक्रिया प्रौद्योगिकी प्राप्त करने, संयंत्र स्थल के सर्वेक्षण, रेलवे साइडिंग आदि के लिए आवश्यक कार्रवाई कर दी है ।

(ग) आशा है कि संयंत्र से उत्पादन सितम्बर, 1984 में होने लगेगा ।

(घ) कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र की अनुमानित लागत 49.27 करोड़ रु० है जिसमें 4.77 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित है । संयंत्र के लिए आवश्यक जन शक्ति लगभग 900 आंकी गई है ।

(ङ.) मुख्य उत्पादन के बाद अनुवर्ती सहायक उद्योगों के रूप में कोक-ब्रीज, ईंट-निर्माण इकाइयों, विभिन्न प्रकार के रसायन संयंत्र आदि की स्थापना होने की आशा है । मुख्य उत्पाद के पहले, संयंत्र की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अनेक टन कास्टिंग की और साथ ही लोहा और इस्पात उत्पादनों की भी आवश्यकता होगी ।

टेलीफोन विभाग की अकुशलता के बारे में अमरेली वाणिज्य मण्डल आदि से ज्ञापन

5100. **श्री नवीन खाणी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरेली वाणिज्य मण्डल (सौराष्ट्र गुजरात) तथा अमरेली और गुजरात राज्य संचार विभाग अधिकारियों से अमरेली नगर तथा अमरेली जिले के टेलीफोन विभाग की अकुशलता के बारे में पत्र ज्ञापन आदि प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) अमरेली के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा वहां टेलीफोन विभाग को और अधिक कुशल बनाने के लिए इस मामले में क्या कार्रवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां । अध्यक्ष वाणिज्य एवं उद्योग मंडल अमरेली से तारीख 7-11-81 का एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस पत्र में इन स्टेशनों के रास्ते बम्बई, अहमदाबाद एवं अन्य स्थानों के लिए ट्रंक काल लगाने में होने वाली कठिनाइयों की शिकायत की गई थी ।

(ग) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है : —

(1) ट्रंक एक्सचेंजों में प्रचालन स्टाफ का कड़ा पर्यवेक्षण,

(2) ट्रंक परिपथों की क्षमता पर निदेशक दूरसंचार राजकोट द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा आवश्यक होने पर उपचारी कदम उठाए जाते हैं।

(3) स्थानीय दोषों तथा शिकायतों पर गुजरात सर्कल के महाप्रबन्धक द्वारा वैयक्ति निगरानी रखी जा रही है।

(4) ट्रंक की श्रेष्ठ उपयोगिता के लिए ट्रंक परिपथों के पुनः आवंटन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

टी० वी० कान्ट्रैक्ट्स: सी० बी० आई० मेक्स ए मूव

5101. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर,1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में "टी० वी० कान्ट्रैक्ट्स: सी० बी० आई० की ओर दिलाया गया है; और

(ख) कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की गई छान-बीन के क्या परिणाम रहे और उसका ब्यौरा क्या है ; यदि कोई जांच नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने यह स्पष्ट किया है कि वह इस प्रकार की कोई पूछताछ नहीं कर रहा था। इस आशय का एक समाचार 10-11-1981 के इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है।

औषध उद्योग तथा भारतीय लोग सम्बन्धी गोष्ठी

5102. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 और 8 नवम्बर, 1981 को दिल्ली में आयोजित औषध उद्योग तथा भारतीय लोग सम्बन्धी गोष्ठी की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो यह गोष्ठी किनके द्वारा आयोजित की गयी थी, और

(ग) गोष्ठी में भाग लेने वालों का ब्यौरा क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से

(ग) जी हां। "औषध उद्योग पर राष्ट्रीय गोष्ठी" के बारे में 8.12.1981 को पूछे गए लोक सभा अतरांकित प्रश्न सं॰ 2770 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। औषध उद्योग और भारतीय जनता पर गोष्ठी का आयोजन निनम्लिखित संगठनों द्वारा किया गया था :

1. दिल्ली विज्ञान मंच।

2. फोरम फार साइन्स, टेक्नालोजी एण्ड ₹

3. एसोसिएशन आफ साइंटिफिक वर्कर्स ॰

4. सोसाइटी आफ यंग साइन्टिस्ट्स।

5. आल इन्डिया फेडरशन आफ जूनियर ड

6. फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजन्टेटिब्स।

भाग लेने वालों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध न

"स्टील और स्लैक" कोयले ₹

5103. श्री आनन्द पाठक : क्या ऊर्जा मन्त्र

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ कर्मचारी आई० आर० सी० अधिनियम (माल ढुला का लाभ उठाकर दुलभ स्टीम और ब्लैक कोयले को बहु हे हैं और

(ख) इस कारण कोल इन्डिया लिमिटेड को 1980 और 1981 में कुल कितना नुकसान हुआ ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) : आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शीरा भण्डारण निधि का दुरुपयोग

5104. श्री एच॰ एन॰ जन्जे गौडा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन चीनी और खांडसारी एककों को दण्ड देने का निर्णय किया है जिन्होंने सीरा भण्डारण निधि का दुरूपयोग किया है,

यदि हां, तो क्या राज्यों में कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के कारखानों से सम्बन्धित इन मामलों के बारे में जानकारी दें,

(ग) क्या सीरा अनुभाग नियन्त्रण आदेश 1961 तथा राज्य शीरा अधिनियम के अन्तर्गत चीनी तथा खाँडसारी कारखानों से अपेक्षा की जाती है कि वे सीरा की बिक्री से प्राप्त आय का अंश भण्डारण निधि के लिए निर्धारित करें, और

(च) इन दोषी चीनी एककों के विरुद्ध भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) से (घ) : आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलकाडु राज्यों में बैकम पान चीनी कारखानों और ओपन पान खांडसारी यूनिटों द्वारा निर्मित सीरा नियन्त्रण आदेश 1961 के अन्तर्गत आता है मध्य प्रदेश में केवल बैकम पान चीनी मिलों द्वारा निर्मित सीरा ही सीरा नियन्त्रण आदेश 1961 के अन्तर्गत आता है । उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, और हरियाणा राज्यों का अपना सीरा नियन्त्रण आदेश है। ओपन पान खाण्डसारी यूनिटों द्वारा निर्मित सीरा इन आदेशों के अन्तर्गत नहीं आता।

सीरा नियन्त्रण (भण्डारन सुविधा के लिए निधि का नियन्त्रण आदेश) 1976 के अन्तर्गत उन राज्यों में स्थित प्रत्येक चीनी कारखाना या खाण्डसारी जिन पर सीरा नियन्त्रण आदेश 1961 लागू है अपने सीरे की बिक्री के लगभग $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत के बराबर राशि) सीरा लेखा के लिए भण्डारन निधि नामक अलग लेखा शीर्ष में कराएगा। राज्य सीरा नियन्त्रण आदेश में भी इसी प्रकार का प्रावधान है।

राज्य सरकारों से चीनी और खाण्डसारी कारखानों द्वारा "भण्डारन निधि" और भण्डारन सुविधाओं में जमा कराई गयी राशि के बारे में सुचना देने का अनुरोध किया गया था 28 नवम्बर, 1981 को केन्द्रीय सीरा बोर्ड की हुई बैठक में राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि भण्डारन निधि में जमा होने वाली राशि को पर्याप्त भंडारन सुबिधा लगाने के लिए उचित ढग से प्रयोग किया जाए।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में तेल की चोरी करने वाला गिरोह

5105. **डा० वसन्त कुमार पन्डित** : क्या पेट्रोलिलम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में तेल की चोरी करने वाले गिरोह के मामलों की जांच कर रहा है जिसमें लाखों रुपयों की राशि सम्बद्ध है ;

(ख) वर्ष 1979,1980 और 1981 के दौरान डम्पों, पाइपलाइनों, अनुत्पादक सूखे कुओं और लीकेज वाल्वों से तेल की चोरी के कितने मामलें गुजरात के न्यायालयों में दायर किये गये है ;

(ग) क्या सरकार के नोटिस में यह बात गई है कि तेल की चोरी के ये मामले तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों की साँठ गाँठ के साथ टेंकर आपरेटरों के सुसंगठित गिरोह का परिणाम है ; और

(घ) सभी खामियों को दूर करके और अधिकारियों की साँठ गांठ से की जा रही चोरी को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। गुजरात में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से सम्बन्धित अशोधित तेल की चोरी/उठाईगीरी केदो मामलों की जाँच पड़ताल की जा रही है।

(ख) गुजरात की अदालतों में तेल की चोरी/उठाईगीरी के बकाया मामलों की वर्षवार स्थिति नीचे दी गई हैं:-

1979	:	1 मामला
1980	:	7 मामले
1981 (सितम्बर तक)	:	11 मामले

(ग) चूंकि मामले जांच के अधीन है/अदालतों में चल रहे हैं, उनके बारे में बताना असामयिक होगा।

(घ) आयोग ने तेल की चोरी, उठाईगीरी तथा कूप शीशों, बाल्वों तथा पाइपलाइनों में हेर-फेर के तथ्यों को राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के ध्यान में लाने के लिए पहले ही कार्यवाही की है। मेहसाना, अहमदाबाद तथा अंकलेश्वर प्रायोजनाओं में सशस्त्र गश्त भी शुरू की गयी है। इसके अतिरिक्त तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सुरक्षा अधिकारियों तथा गश्ती दलों ने अशोधित तेल की उठाईगीरी में लगे 19 अपराधियों सहित 10 टैंकरों, ट्रकों, मैटाडोरों सहित ट्रैक्टरों तथा ऊंटगाड़ियों को पकड़ा है।

सोडा ऐश निर्माताओं को अधिष्ठापित क्षमता

5106. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के सभी तीनों सोडा कश निर्माताओं की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी और वर्ष 1974 से 1980 तक वर्षवार उन्होंने सोडा ऐश का कितना कितना उत्पादन किया।

(ख) इसके क्या कारण हैं कि मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड लगातार क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है, जबकि सौराष्ट्र कैमिकल्स और धरंगधरा कैमिकल्स लिमिटेड, जो अन्य दो

छोटी इकाइयां हैं अपनी अपनी अधिष्ठापित क्षमता से लगातार कहीं अधिक उत्पादन करती रही हैं ;

(ग) क्या मैसर्स टाटा कैमिकल्स को सोडा-ऐश संयंत्र और 400 टन प्रतिदिन की क्षमता का प्रोरेस उपकरण लगाने के लिए दिनांक 12 मार्च, 1974 को लाइसेंस (संख्या सी० आई० एल० 250) (74) जारी किया गया था ;

(घ) क्या मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० अन्य कम्पनियों की तकनीकी निपुणता से सोडा ऐश को उत्पादन करने वाले एक टर्न की प्रोजेक्ट के रूप में है, और

(ड.) क्या सरकार मै० टाटा कैमिकल्स लि० द्वारा लगातार कम उत्पादन तथा 5 लाख टन सोडा ऐश का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने में असफल रहने के बारे में सर्वांगीण जांच करायेगी ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) वर्ष 1974 से 1980 तक प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात में तीन सोडा-ऐश निर्माताओं के सोडा ऐश की स्थापित क्षमता और निर्माण के बारे में ब्यौरे विवरण में दर्शाय गए है ।

(ख) वर्ष 1980 में मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० का क्षमता उपयोग मैसर्स सौराष्ट कैमिकल्स से अधिक था । वर्ष 1976 और 1977 में मैसर्स टाटा कैमिकल्स से अधिक क्षमता उपयोग मैसर्स धारंगधरा कैमिकल्स से अधिक था । वर्ष 1974 से 1979 तक मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स ने अपनी स्थापित क्षमता से अधिक निर्माण किया ।

मैसर्स टाटा कैमिकल्स ने सूचित किया है कि वे परिवहन समस्याओं, कोक और कोयले की अनुपलब्धता, कोयले की घटिया किस्म, प्लांट और मशीनरी की खराबी/असफलता जैसी विभिन्न रुकावटों के कारण लाइसेंस शुदा क्षमता के बराबर निर्माण नहीं कर सकें ।

(घ) मैसर्स टाटा कैमिकल्स ने सूचित किया है कि ऐसा नहीं है ।

(ड.) मैसर्स टाटा कैमिकल्स ने बताया है कि टैटरी सीमा में उनके सोडा ऐश प्लांट की विस्तार योजना पहले ही पूरी हो गई है विस्तृत क्षमता से निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व कुछ स्थाई किस्म की मदों और इन्फ्रास्ट्कयरल सुविधाओं सामग्री हैण्डलिंग थाई आदि की पुनव्यवस्था अभी की जानी है कम्पनी का तर्क यह है कि हाणा से मीठापुर तक छोडी लाइन का वड़ी लाइन में परिवर्तित किए वगैर विस्तृत क्षमता के लिए कच्चे माल का परिवहन सुचारु रूप से नहीं हो सकता । कम्पनी के विरुद्ध जाँच पड़ताल करने का विचार नहीं है ।

विवरण

मात्रा 000 टन

वर्ष	टाटा केमिकल्स		सौराष्ट्र केमिकल्स		धारंगधरा केमिकल्स	
	क्षमता	निर्माण	क्षमता	निर्माण	क्षमता	निर्माण
1974	250	248.9	168	188.6	50	54.7
1975	360	279.8	168	184.9	65	58.6
1976	360	294.7	168	197.7	65	52.4
1977	360	320.1	168	177.8	65	54.1
1978	360	305.6	168	191.6	65	64.3
1979	360	297.7	168	181.2	65	61.7
1680	360	316.5	230 *	152.9	65	67.9

* 1 मई, 1981 से

"स्कैण्डल इन टी० वी० फिल्म्स" शीर्षक समाचार

5107. श्री ए० यू० आजमी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 सितम्बर 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में "स्कैण्डल इन टी० वी० फिल्म्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इन सात व्यक्तियों में से, जिन्हें लघु फिल्मों के लिये करार दिये गये हैं, 6 व्यक्तियों को फिल्म निर्माण में मान्य अनुभव प्राप्त नहीं था यदि हां, तो इन 6 व्यक्तियों को किस आधार पर करार दिये गये हैं ;

(ग) क्या दूरदर्शन केन्द्र की अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार जिन दो व्यक्तियों को ऐसे करार दिये गये थे, जिन्हें पूर्व जानकारी नहीं थी ; यदि हां, तो इन दो व्यक्तियों को किस आधार पर करार दिये गये थे ;

(घ) क्या ये करार दिल्ली दूरदर्शन को अवहेलना करके निदेशालय की सिफारिश पर किये गये थे ;

(ङ.) क्या जिन पार्टियों को करार दिया गया था उनमें से एक पार्टी ने अग्रिम लेने के बावजूद कई महीने गुजर जाने पर भी कच्ची सामग्री (रफकट्स) नहीं भेजी थी ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरदर्शन सभी सात व्यक्तियों की पृष्ठभूमि से परिचित है ।

(घ) निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद करारों पर सम्बन्धित केन्द्रों द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे।

(ङ.) जी, हां। इसका कारण बाजार में कच्ची सामग्री का उपलब्ध न होना था।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर और दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों का स्थापित किया जाना

5108. श्री डूमर लाल बैठा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने सरकार को इस बारे में सुझाव दिया है कि मुकदमा लड़ने वाले पक्षकार दिल्ली आने में असमर्थ हैं उनको सुविधाएं देने के लिए भारत में सुदूर उत्तर और दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित की जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आल इण्डिया रेडियो द्वारा ईसाई भक्ति गीतों, ईसाई पर्वों तथा संस्थानों को पर्याप्त कवरेज दिया जाना।

5109. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेडियो ईसाई भक्ति गीतों, ईसाई पर्वों तथा संस्थाओं को उनकी सम्पूर्ण कवरेज हेतु पर्याप्त समय दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किए जाने वाले ईसाई भक्ति गीतों को प्रातः कालीन संगीत कार्यक्रम में योजनाबद्ध आधार पर शामिल किया जाता है। ईसाई पर्वों के अवसरों पर, ईसाई भक्ति गीतों, स्तुति गानों, करोलों, आदि को प्रसारित करने के अलावा, विभिन्न केन्द्र पर्व/अवसर के महत्व पर वार्ताओं, रुपकों एवं संगीत कार्यक्रमों जैसे विशेष कार्यक्रम तथा विशेष गिरजा सेवाओं या भजन मंडली की रिकार्डिंग भी प्रसारित करते हैं। क्रिसमस जैसे अवसरों पर कुछ केन्द्रों द्वारा गिरजों में आयोजित मध्य रात्रि मास को सीधे रिले किया जाता है।

महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा सम्बन्धी समाचार भेजने के लिए उनके साथ विदेश गए रिपोर्टरों संवाददाताओं/वरिष्ठ संवाददाताओं की संख्या

5110. श्री रामस्वरूप राम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रिपोर्टरों/संवाददाताओं/वरिष्ठ संवाददाताओं की कुल संख्या कितनी है जो गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न अवसरों पर विशिष्ठ व्यक्तियों की यात्राओं के समाचार भेजने के लिए उनके साथ विदेश गए ; और उनके नाम पद क्या हैं ;

(ख) उनमें से कितने रिपोर्टरों/ संवाददाता/ वरिष्ठ संवाददाता पांच वर्ष से अधिक समय से उसी पद पर बने हुए हैं और उनमे से कितने दस वर्ष से भी अधिक समय से उन्हीं पदों पर बने हुए हैं और उसके क्या कारण है ; और

(ग) मन्त्रालय क्या कदम उठाने पर विचार कर रहा है जिससे कि समाचार सेवा प्रभाग

(आकाशवाणी) में रिपोर्टरों का कार्य करने वाले इन महत्वपूर्ण पदों पर आसीन कार्मिकों द्वारा वर्षों तक उसी पद पर बने रहकर कोई निहित स्वार्थ न पैदा हो जाए और जिससे विदेश भेजे जाने के लिए उनके साथ विदेश जाने के मामले में विभाग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारिवों सहित सभी व्यक्तियों को न्याय मिल सके।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

इन श्रेणियों का कोई भी व्यक्ति समाचार सेवा प्रभाग में उसी पद पर 10 वर्ष से अधिक समय से नहीं बना रहा। तथापि, वहां पर 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से उसी पद पर रहे हैं। इसका कारण इन अधिकारियों का केन्द्रीय सूचना सेवा के उन ग्रेडों में होना जिनमें स्थानांतरण सामान्यतया 6 वर्ष की अवधि के बाद ही किया जाता है तैनाती के केन्द्र की भाषा सम्बन्धी आवश्यकताओं और संवर्ग में इस प्रकार के कर्मचारियों की कमी होना आदि है।

(ग) इस बात के कारण कि इन संवाददाताओं का कार्य ध्यानपूर्वक मानिटर किया जाता है, किसी के निहित स्वार्थ पैदा होने की संभावना नहीं है। अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा को कवर करने के लिए विदेशों में विशेष नियुक्ति के मामले में उद्देश्य सिद्ध योग्यता और अनुभव के आधार पर व्यावसायिक रूप से सर्वोत्तम व्यक्ति को चुनने का है। अतः विशिष्ट कार्यों के लिए इस प्रकार का चयन केवल गुण दोष पर ही आधारित होना है।

आन्ध्र प्रदेश में और तकनीकी स्कूलों का खोला जाना

5111. **श्री जो० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामागुण्डम ताप संयंत्र से रोजगार के विशेषकर तकनीकी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे किन्तु उनका राज्य के युवाजन तकनीकी शिक्षा के अभाव में पूर्ण उपयोग नहीं कर सकेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश और तकनीकी स्कूलों की स्थापना तथा विद्यमान तकनीकी स्कूलों के विस्तार के लिए राज्य सरकार को उपयुक्त सहायता देगी जिससे कि संयंत्र के निर्माण के दौरान तथा इसके पूरा होने पर राज्य के युवाजनों को रोजगार के उपयुक्त अवसर मिल सकें।

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) वर्तमान निर्देशों के अनुसार जिन पदों का अधिकतम वेतनमान 800 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होता, उन पदों पर भर्ती सम्बन्धित स्थानीय रोजगार कार्यालय/कार्यालयों के जरिए की जाती है। जिन मामलों में स्थानीय रोजगार कार्यालय अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी कर देता है, उन मामलों में रिक्तियों को विज्ञा-

पित कर दिया जाता है तथा भर्ती सामान्यतः उन्हीं राज्यों के व्यक्तियों तक सीमित रहती है जहां पर केन्द्रीय परियोजना स्थित हो। अपने रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए इन निर्देशों के अनुसार भर्ती करने में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ है। पर्यवेक्षक श्रेणियों के पदों के लिए भी आन्ध्र प्रदेश से ही काफी व्यक्तियों की भर्ती कर लेने की है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की आशा है। जहां कार्यपालक तथा प्रबन्धक वर्ग के पदों का सम्बन्ध है ये पद या तो अखिल भारतीय भर्ती आधार पर भरे जाते हैं या संगठन के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण करके भरे जाते है जैसा कि भारत सरकार के बहु-यूनिटों वाले सरकारी उपक्रमों में किया जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की अपने रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 3200 व्यक्तियों की आवश्यकता होने की संभावना है। इनके ब्यौरे नीचे दिए गए है :

कार्यपालक	480
पर्यवेक्षी	320
गैर-पर्यवेक्षी तकनीकी	2200
गैर-पर्यवेक्षी गैर तकनीकी	200
जोड़	3 00

यद्यपि नए तकनीकी संस्थाओं को खोलने के प्रस्तावों के लिए भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है तथापि तकनीकी शिक्षा के लिए सुविधाएं जुटाने और इनका विस्तार करने का दायित्व राज्य सरकार का है। तथापि इस प्रयोजना के लिए वित्तीय प्रावाधान राज्य सरकार द्वारा अपनी राज्य योजना के अन्तर्गत ही किए जाते हैं।

"डेसू टू आन अर्थ इल-लीगल कनेक्शन" शीर्षक समाचार

5112. डा० ए० यू० आजमी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" "डेसू टू आन अर्थ इल-लीगल कनेक्शस" और "प्रोटेस्ठ अगेन्स्ट पावर क्राइसिस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या दिल्ली में बिजली कनेक्शनों के अनाधिकृत अन्तरण के किन्हीं मामलों का पता चला है।

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष ऐसे कितने मामलों का पता चला था ; और

(घ) ऐसे मामलों की आवृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) प्रश्नगत समाचार से सरकार अवगत है ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोल इण्डिया लिमिटेड के श्रमिकों का बेरोजगार होना

5113. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री रेणु पद दास : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के 50 हजार श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ; और

(ख) उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता

इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा सीतापुर उत्तर प्रदेश में कुकिंग गैस की डीलर शिप के लिए विज्ञापन

5114. **श्री राम लाल राही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन आयल कारपोरेशन लखनऊ द्वारा वर्ष 1981 के आखिर महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कुकिंग गैस एजेन्सियों की डीलरशिप देने के लिए उत्तर-प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके आधार पर लगभग 300 व्यक्तियों ने अपने आवेदन पत्र भेजे थे ;

(ख) क्या इन आवेदन पत्रों में से 40 व्यक्तियों के आवेदन पत्रों को चुन लिया गया था और उन्हें 10-12 दिन पूर्व साक्षातकार की सूचना दे दी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो साक्षातकार में 41 व्यक्तियों को किस आधार पर शामिल किया गया था ;

(घ) आवेदन-पत्रों के चयन में क्या मानदन्ड अपनाया गया और क्या अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों द्वारा भी आवेदन-पत्र भेजे गए थे, और यदि हां, तो साक्षात्कार हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवारों को बुलाया गया था ; और

(ड़) क्या जिले में जनसंख्या के आधार पर कुकिंग गैस एजेन्सियों के कोटे के आनक्षण की मांग की गई है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) और (ख) जी हां, । विज्ञापन के सम्बन्ध में 76 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 41 उम्मीदवारों को साक्षात्कार बुलाया गया था ।

(ग) चयन के मापदन्ड को अपना कर उसके अनुसार आरम्भ में साक्षात्कार हेतु 40 उम्मीदवार का चयन किया था । बाद में पता चला कि एक उम्मीदवार जिसको अयोग्य घोषित किया गया था वास्तव में योग्य था । आरम्भ में उम्मीदवार को इसलिए अयोग्य घोषित किया गया था क्योंकि उसने आयु प्रमाण में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के प्रवेश प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सलग्न की थी मैट्रिक परीक्षा के प्रमाण-पत्र की नहीं । तथापि, बाद में यह पता चला कि उक्त प्रवेश प्रमाण-पत्र आयु में प्रमाण में स्वीकार करने योग्य था । इसलिए अन्याय से बचाने के लिए उसे भी साक्षातकार के लिए अन्तिम उम्मीदवार (41 वां उम्मीदवार) के रूप में बुलाया गया था ।

(घ) आवेदन पत्रों के चयन हेतु अपनाया गया मापदन्ड है शिक्षा, अनुभव, वित्त, सुविधाओं आदि को उपलब्ध कराने की क्षमता । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से एक को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था ।

(ड़) जी, हां । अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया है कि सीतापुर स्थित उक्त डिस्ट्रीब्यूटरशिप का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए अवर्गीकरण किया जाये ।

दूरदर्शन के प्रसारण काल का पुनरीक्षण

5115. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन पर चार घंटे के दैनिक प्रसारण का बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि दूरदर्शन कार्यक्रम का स्तर घटिया है क्योंकि अधिकांश प्रोड्यूसर समन्वय कार्य मे व्यस्त रहते हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त (क) और (ख) भागों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण काल को प्रतिदिन चार घन्टों से घटाकर तीन घन्टे करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साटे) (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एफ० पी० डी० आई० एल० सिन्दरी द्वारा केटेलिस्ट

5116. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) एफ० पी० डी० आई० एल० सिन्दरी द्वारा पिछले वर्षों में प्रतिदिन कितने तथा कौन-कौन से केटेलिस्टों का उत्पादन किया गया और उनके उपयोगों का ब्यौरा क्या है,

(ख) प्रत्येक किस्म के केटलिस्टों का इस समय कितना भन्डार जमा है और उस कारण कितनी राशि अवरुद्ध है,

(ग) ये केटलिस्ट अन्य किन संगठनों द्वारा बनाये जाते हैं और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है,

(घ) सरकारी क्षेत्र के सभी उर्वरक क्षेत्रों की एफ० पी० डी० आई० एल० द्वारा तैयार किये गये केटलिस्टों की माँग क्या है और उनके द्वारा कितनी मात्रा की वस्तुतः खरीद की गई,

(ङ) क्या यह सच है कि किसी भी सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयन्त्र द्वारा एफ० पी० डी० आई० एल० से केटेलिस्टों की खरीद नहीं की जा रही है और सिन्दरी के एकक ने भी एफ० पी० डी० आई० एल० के टेण्डर खोले जाने से पूर्व अन्य एजेन्सियों को क्रयादेश दिए थे जिसको मंत्रालय के सचिव ने सिन्दरी के अपने पिछले दौरे के दौरान गैर कानूनी घोषित किया था, और

(च) यदि हां, तो एफ० पी० डी० आई० एल० के केटलिस्टों की बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठये गये हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान एफ० पी० डी० आई० एल० सिन्दरी द्वारा निर्मित उत्प्रेरकों की मात्रा और नाम मासिक ब्यौरे समेत विवरण एक में दिए गए हैं इन उत्प्रेरकों की उपयोगिता का क्षेत्र निम्न प्रकार है :

उच्च ताप कार्बन मोनोक्साइड परिवर्तन उत्प्रेरक :

यह उच्च तापमान वाली सतान प्रतिक्रिया में मदद करता है किन्तु 190 से 250 डिग्री सेन्टीग्रेट के बीच के कम तापमान पर।

स्टीम/आक्सीजन रिफार्मेशन कैटेलिस्ट :

यह एक चरण में गैस या नैपता में उपस्थित हल्के हाइड्रोकार्बन और वाष्प के बीच और बाद वाले चरण में कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन तथा कार्बनडाय आक्साइड के मिश्रण के

निर्माण में आक्सीजन (वायुवत्ता) और वाष्प के बीच प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। सन्चालन में तापमान 700 डिग्री सेन्टीग्रेट से 1200 डिग्री सेन्टीग्रेट के बीच रहता है।

मिथेनेशन उत्प्रेरक :

यह 316 डिग्री सेन्टीग्रेट और 350 डिग्री सेन्टीग्रेट तापमान के बीच मिथेन बनाने में कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डायआक्साइड का हाइड्रोजन के साथ पुनर्गठन में मदद करता है।

आयरन आक्साइड डिसल्फ्यूराइजेशन :

यह वायुमन्डलीय तापमान पर कुछ गैस में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाने और अलग करने में मदद करता है।

(ख) नवम्बर, 1981 में उत्प्रेरक के प्रत्येक किस्म का स्टाक और स्टाक का मूल्य निम्न प्रकार है :

उत्प्रेरक का नाम	स्टाक टन में	मूल्य लाख रुपये में
हाई टेम्प्रेचर को कनवर्सन	23	91
लो टेम्परेचर को-कनवर्सन	198	140
रिफार्मेशन	59	55
मिथेनेशन	56	39
आयरन आक्साइड डिसल्फ्यूराइजेशन	2	0.1

(ग) दूसरा संगठन जो उसी प्रकार के उत्प्रेरक का निर्माण करता है केरल में यूनाइटेड कैटेलिस्ट इन्डिया लि० (यू० सी० आई० एस०) है। इन किस्मी के उत्प्रेरकों के लिए उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता निम्न प्रकार है :

हाई टेम्प्रेचर को-कनवर्सन उत्प्रेरक	450 टन/वर्ष
लो टेम्प्रेचर को-कनवर्सन उत्प्रेरक	450 टन/वर्ष
रेफोर्मेशन उत्प्रेरक	80 टन/वर्ष
मिथेनेशन उत्प्रेरक	60 टन/वर्ष

(घ) इन उत्प्रेरकों की औसत उपयोगी अवधि के आधार पर सरकारी क्षेत्रीय यूनिटों के लिए प्रतिवर्ष इन उत्प्रेरकों को बदलने की वर्तमान औसत आवश्यकता निम्न प्रकार आंकी गई हैं :

हाई टेम्परेचर को कनवर्सन उत्प्रेरक	700 टन/वर्ष
लो टेम्प्रेचर को-कनवर्सन उत्प्रेरक	250 टन/वर्ष
रिफार्मेशन उत्प्रेरक	150 टन/वर्ष
मिथैनेशन उत्प्रेरक	70 टन/वर्ष

एफ० पी० डी० आई० एल० द्वारा समान किस्म के उत्प्रेरकों की बिक्री निम्न प्रकार है :

	1979-80	1980-81
	टन	टन
हाई टेम्प्रेचर को कदवर्सन	382	215
लो टेम्प्रेचर को कनवर्सन	210	28
रिफोर्मेशन	13	15
मिथैनशन	56	42

यह सच नहीं है कि कोई भी सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम एफ० पी० डी० आई० एल० उत्प्रेरक नहीं खरीदता । ग्राहक जो एफ० पी० डी० आई० एल० उत्प्रेरक खरीदते है उनमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रीय यूनिट सम्मलित हैं ।

फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया का सिन्दरी यूनिट जनवरी से दिसम्बर, 1981 तक एफ० पी० डी० आइ० के उच्च ताप कार्बन मोनोक्साइड परिवर्तन उत्प्रेरक का प्रयोग करती रही है और उन्होंने पाया कि उत्प्रेरक क्षेत्र में प्रवाह परिसीमन के कारण उनकी उत्पादन क्षमता निर्धारित क्षमता से कम है । सिन्दरी यूनिट को भी आयातित उत्प्रेरक से समाप्त अनुभाव प्राप्त हुआ जो मूल प्लांट के साथ वर्तमान एफ० पी० डी० आई० एल के चार्ज में आया उन्होंने यह भी देखना चाहा कि क्या यू० सी० आई० एल० उत्प्रेरक जो देश में ही उपलब्ध है, बेहतर परिणाम दे सकता है । इसलिए तकनीकी आधार पर इन्होंने यू० सी० आई० एल० उत्प्रेरक को प्रयोग में लाने की सोची ।

(च) बिक्री प्रवर्तन और उत्प्रेरकों का बिपणन भी एफ० पी० डी० आई० एल० का एक कार्य है । एफ० पी० डी० आई० एल० ने सूचित किया है कि इस दिशा में वे निम्नलिखित कदम उठा रहे हैं :

(1) अपने उत्प्रेरकों के कार्य निष्पादन का प्रचार करने के लिए सभी उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से संगठित गोष्ठी में मिलना और सभी संभावित ग्राहकों को उन्हें प्रयोग में लाने के लिए सहमत करना ।

(2) नए प्लांटों में प्रयोग के लिए यथार्थ होने के प्रमाणपत्र के लिए उत्प्रेरकों का परामर्शदाताओं द्वारा परीक्षण कराने का प्रयास करना ।

(3) अपने उत्प्रेरकों को लेने और प्रयोग करने के लिए विदेशी ग्राहकों में रुचि पैदा करने का प्रयास करना ।

विवरण

(एफ० पी० डी० आई० एल० सिन्दरी द्वारा निकर्तत उत्प्रेरकों की मात्रा और नाम उत्पादन आंकड़ों मीटरी टनों में)

उत्प्रेरक का नाम	हाईटैम्प्रेचर कार्बन मोनो कनवर्सन		लो टेम्प्रेचर कार्बन मोक्साइड कनवर्सन		स्टीम/आक्सीजन में कनवर्सन		मिथेनेशन		डिसल्फराइजेशन
वर्ष	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81	1979-80
महीना									
अप्रेल	27	20	15	14	—	17	3	—	—
मई	28	5	17	16	—	16	14	—	1
जून	34	30	10	15	—	11	3	—	1
जुलाई	30	35	3	17	—	2	—	10	10
अगस्त	32	32	23	16	—	1	—	15	—
सितम्बर	9	35	20	19	—	1	—	9	—
अक्टूबर	28	35	18	20	8	—	—	2	—
नवम्बर	30	36	16	12	18	—	—	—	—
दिसम्बर	31	35	17	16	10	7	—	1	—
जनवरी	31	23	20	80	9	8	—	2	—
फरवरी	35	28	14	17	—	8	—	5	1
मार्च	34	23	20	18	—	—	—	11	—

गुजरात में गैस पेट्रोल की एजेंसियों का आबंटन :

5117. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1981 और 1982 में बेरोजगार स्नातक अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों, आदिवासियों, युद्ध विधवाओं, विकलांगों, अन्धें व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य लोगों के लिए गैस और पैट्रोल पम्पों की एजेन्सियों के लिए कितने स्थान और स्टेशन चुने गये हैं ;

(ख) उपर्युक्त के चुनाव और वितरण के लिए नियम, विधिनियम, मानक और नीति क्या है ; और

(ग) वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान गुजरात के विभिन्न स्थानों में ऐसी दोनों एजेन्सियों के लिए कितने व्यक्ति चुने गये और कितने व्यक्तियों को आवंटन किया गया ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान उद्योग द्वारा गुजरात में लगभग 21 तरलीकृत पेट्रोलियम गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा 40 रिटेल आउटलेट डीलरशिपों (पेट्रोल/डीजल पम्प) खोले जाने की योजना है । ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) डीलरों/वितरकों की सभी नियुक्तियां समाचार पत्रों विज्ञापनों के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने के पश्चात तथा चयन विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है । डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आरक्षण प्रतिमान नीचे दिया गया है :

अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (एस० सी०/एस० टी०	25 प्रतिशत
बेरोजगार स्नातक (यू० जी०)	10 प्रतिशत
बेरोजगार इन्जीनियरी स्नातक (यू० ई० जी०)	10 प्रतिशत
शारीरिक रुप से अपंग/युद्ध में घायल हुये रक्षा कार्मिक तथा युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवायें (पी० एस०)	10 प्रतिशत
विशिष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्ता/स्वतन्त्रता सेनानी (एस० डब्लू/ एफ० एफ०)	10 प्रतिशत
व्यापारिक आधार पर (ओ०)	30 प्रतिशत

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान गुजरात में तेल कम्पनियों द्वारा लगभग 21 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें (पेट्रोल/ डीजल पम्पों तथा 7 तरलीकृत पेट्रोलियम गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रदान की गयी थी । ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

रिटेल आउट लेट

स्थल	वर्ग	स्थल	वर्ग
सिखा	एस० सी०	पोरबन्दर	ओ०
मोगर	पी० एच०	कारचेलिया	एस० टी०
अमीरगढ़	एस० डब्लू/एफ० एफ०	जखाओ	यू० जी०
सन्थालपुर	यू० ई० जी०	वार्दवाला	यू० जी०
भालगाम	पी० एच०	समाईकाल	एस० डब्लू/एफ० एफ०
कपादवंज	यू० जी०		
न्यू सीवालिया	एस० डब्लू/एफ० एफ०	सरदारपुर	ओ०
मुन्धार	एस० टी०	आलमगीर	यू० जी०
खीमराना	ओ०	सतलसाना	ओ०
बलसर	पी० एच०	कादियादार	एस० डब्लू/एफ० एफ०
सन्तरामपुर	यू० ई० जी०	तन्कार	एस० सी०
तारापुर	पी० एच०	सरदारगढ़	ओ०
सोकली	ओ०	मालपुर	ओ०
दन्ता	एस० डब्लू	जेसार	ओ०
मागधल्ला	एस० सी०	मार्कीट यार्ड	ओ०
मोरवी	यू० ई० जी०	समधी याला	एस० टी०
अपलेटा	एस० सी०	गर्दसवार फाटा	ओ०
आनन्दपुर	ओ०	माकनसा	पी० एच०
धोगा	ओ०	एनएच-8ए,गांधी पालनपुर	पी० एच० एस० टी०
आहवा	ओ०	मोदासा	यू० जी०
पोर	ओ०		
जामनगर रोड	ओ०		

रावपुर	यू० जी०
वरोदा	ओ०
मूली	यू०ई० जी०
मेघराज	ओ०
दहेज	ओ०
वगादू	पी० एच०

समयोपरि भत्ते के भुगतान के बारे में चौकीदारों की ओर से अभ्यावेदन

5118. **श्री नवीन खाणी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दृश्य श्रुत प्रचार निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक, उप निदेशक (ए० डी० एम०) डी० ए० वी० पी० और सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सचिव को 2 अक्तूबर, 1975 से मार्च, 1977 तक की अवधि के लिये समयोपरि भत्ते का भुगतान न किये जाने के बारे में 1980 और 1981 के दौरान कुछ चौकीदारों, उनकी युनियनों और एसोसियेशनों की ओर से ज्ञापन शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है उस पर क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला : और

(ग) उसका कब तथा किस प्रकार भुगतान किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के चौकीदारों ने अपने अभ्यावेदन में यह मांग की थी कि इनको अक्तूबर,1975 से मार्च, 1977 तक उनके द्वारा दी गई एक दिन में 8 घन्टे से अतिरिक्त ड्यूटी के लिए सम्योपरि भत्ता दिया जाए । मामले की वित्त मन्त्रालय तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से विस्तार से जांच की गई थी । तथापि उनकी मांग को स्वीकार करना संभव नहीं था ।

बिहार के "इण्डियन नेशन" और आर्यावर्त समाचार के प्रकाशन का निलम्बन

5119. **श्री कुंवर राम** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र "इण्डियन नेशन" तथा आर्यावर्त का प्रकाशन इस समय निलम्बित है ; और

(ख) यदि नहीं तो, क्या ये पहले बन्द किये गये थे और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि ये इस समय बन्द हैं तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पटना के "दि इण्डिया नेशन" और आर्यावर्त 27-9-1981 को और 30-9-1981 से 14-11-1981 तक कर्मचारियों के एक द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण प्रकाशित नहीं हुए थे ।

भोजपुरी भाषा के उद्घोषक के रिक्त पद का भरा जाना

5120. **श्री तारिक अनवर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, पटना में भोजपुरी भाषा के उद्घोषणा का पद कब से रिक्त पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या पटना रेडियो स्टेशन के निदेशक ने इस पद को भरने या इसका सृजन करने से संबंधित कोई प्रस्ताव महानिदेशक, आकाशवाणी को भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कब स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ; और

(घ) सेवा की कितनी अवधि के बाद किसी कर्मचारी की नियुक्ति नियमित की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 1975 से ।

(ख) और (ग) जी हां । इसके अलावा, आकाशवाणी के आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक द्वारा भोजपुरी कार्यक्रमों की वर्तमान मात्रा का किए गए अध्ययन से इस प्रकार के पद का औचित्य सिद्ध नहीं हुआ है ।

(घ) नियमित सिविल सेवा के पदों के लिए, सामान्य परिपाठी व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखने का है । आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों जो संविदा कर्मचारी हैं के संवर्ग में 2 वर्ष की परिवीक्षणा अवधि के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रारम्भिक संविदा की पेशकश करने की परिपाठी है ।

स्थायी किए जाने या दीर्घकालिक संविदा दिए जाने के रूप में नियमित नियुक्ति उसके बाद होती है ।

डायरेक्टोरेट आफ फील्ड पब्लिसिटी के कर्मचारी एसोसिएशन की मांगे

5121. **श्री राजेन्द्र प्रसाद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डायरेक्टोरेट आफ फील्ड पब्लिसिटी के कर्मचारियों के एसोसिएशन ने निदेशालय के कार्यकरण में सुधार के साथ-साथ एक 23 सूत्री ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में कौन-कौन से मुख्य मुद्दों को उठाया गया है ; और

(ग) मन्त्रालय द्वारा "प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट" अब तक कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) (क) और (ख) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के कर्मचारियों की एसोशिएशन की सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री के साथ एक बैठक हुई थी इस एसोसिएशन ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत नही किया था। तथापि, अनेक बिषयों पर चर्चा हुई थी दिए गए सुझावों में से कुछ सुझाव ये थे :-

> "निदेशक की तदर्थ आधार पर नियुक्ति के बजाय नियमित आधार पर नियुक्ति करना, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के कर्मचारियों में से केन्द्रीय सूचना सेवा के पदों पर पदोन्नति करने का कोटा निर्धारित करना, रिक्त पदों को भरना ; विभिन्न श्रेणियों के पदों के भर्ती नियमों को अन्तिम रूप देना तथा अरुणाचल प्रदेश में रिहायशी/कार्यालय आवास का निर्माण करना आदि।"

(ग) चर्चा के बाद इस बात पर सहमित हुई कि कर्मचारी पक्ष अपनी समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उनको निदेशक के साथ उठाएगा बाद में एसोसियशन ने निदेशक के साथ अनेक बैठक की और विभिन्न बातें सूझाई। कुछ बातों का एसोसिएशन की संतुष्टि के अनुरूप समाधन कर दिया गया है।

कुरुक्षेत्र और भागीरथ का प्रकाश

5122. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुरुक्षेत्र और हिन्दी भागीरथ के नवीनतम अंक के सम्पादक कौन हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन पत्रिकाओं में वहां कार्यरत व्यक्तियों के नाम पर प्रिंट लाइन प्रकाशित करने के निर्णय की अनदेखी की गई है ;

(ग) इन पत्रिकाओं को आवश्यक सचिवालय और पत्रिका प्रकाशन के लिए अन्य सुविधाओं से बंचित करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन पत्रिकाओं को उचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) (क) श्री एम० पी० सिंह, सहायक सम्पादक "कुरुक्षेत्र" पत्रिका की देख रेख कर रहे हैं और श्री राधा-

कान्त भारती, सहायक सम्पादक "भागीरथ" पत्रिका की देख रख कर रहे हैं।

(ख) प्रिन्ट लाइन अनिवार्य रूप से दी जाती है। और सहायक सम्पादक तथा सम्पादकीय सहायकों के नाम पत्रिका में दिए जाते हैं। तथापि "भागीरथ" (हिन्दी) पत्रिका में जुलाई सितम्बर,1981 के अन्त में अनवधानता से प्रिंट लाइन नहीं छपी।

(ग) और (घ) दोनों पत्रिकाओं के सम्पादकीय कर्मचारियों को सभी आवश्यक सचिवालयीन सहायता और अन्य सुविधाएं दी जाती है।

भाषायो प्रसारणों के लिए नया चैनल

5123. **श्री के० मालन्ना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भाषाई प्रसारणों को सभी दूरदर्शन केन्द्रों में अधिक समय देने के बारे में नया चैनल शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र तथा राज्यों द्वारा तापीय बिजली घरों में पूंजी निवेश

5124. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि ;

(क) केन्द्र तथा राज्यों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के तापीय बिजली घरों पर पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ख) इन योजनाओं के दौरान कितनी क्षमता संस्थापित की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) : पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत सेक्टर में उत्पादन परियोजनाओं में लगाई गई पूंजी और प्राप्त हुई प्रतिष्ठापित क्षमता को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। इसमें ताप विद्युत परियोजनाओं में किया गया निवेश भी शामिल है।

विवरण

योजना	विद्युत सेक्टर में व्यय परिव्यय (करोड़ रु० में)	प्राप्त हुई प्रतिष्ठापित क्षमता (मिलियन मेगावाट)
एक	105	1.10

1	2	3
दो	250	2.25
तीन	774	4.52
तीन वार्षिक योजनाएं	676	4.12
चार	1555	4·58
पांच	4573 *	10.20

* अनन्तिम

छोटे, माध्यम दर्जे के और बड़े समाचार पत्रों को विज्ञापनों का वितरण

5125. **श्री काजी सलीम** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 30 नवम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान छोटे समाचार पत्रों तथा उनके संगठनों की ओर से सरकार को ये शिकायतें, ज्ञापन, पत्र और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि बड़े समाचार पत्रों और माध्यम दर्जे के समाचार पत्रों की तुलना में छोटे समाचार पत्रों को कम विज्ञापन मिल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों अभ्यावेदनों आदि में क्या क्या मुख्य बातें लिखी हुई हैं ;

(ग) उनको दिए जाने वाले विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) छोटे, माध्यम दर्जे के और बड़े समाचार पत्रों का विज्ञापन देने सम्बन्धी नीति क्या हैं ; और

(ङ.) वर्ष 1980 से 30 नवम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही में महाराष्ट्र, बम्बई और गुजरात के प्रत्येक (एक) छोटे, (दो) मध्यम दर्जे के (तीन) बड़े दैनिक समाचार पत्र तथा (एक) साप्ताहिक (दो) पाक्षिक और (तीन) मासिक पत्रिकाओं आदि को कितने-कितने विज्ञापन दिए गए हैं तथा उनमें से प्रत्येक के नाम और पते क्या-क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) (क) जी, हां ।

(ख) उसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य बातें सुझाव शामिल हैं :-

(1) सरकारी विज्ञापनों में छोटे और मझोले समाचारपत्रों का हिस्सा बढ़ाया जाये,

(2) विज्ञापनों की दरें बढ़ाई जाए, ।

(3) 2000 प्रतियों तक की दैनिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों को क्लेम की गई प्रसार संख्या आदि के समर्थन में चार्टर्ड लेखाकार का प्रमाण पत्र देने से छूट दी जाये।

(ग) से (ङ.) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों को सरकार की विविध प्रचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रिलीज किया जाता है न कि वित्तीय सहायता के उपाय के रूप में विज्ञापनों का रिलीज और वितरण किया जाना धन-राशि की उपलब्धता के अधीन रहते हुए सरकार की विज्ञापन नीति (जिसकी प्रति सदन की मेज पर पहले ही रखी जा चुकी है) द्वारा विनियमित होता है। तथापि, सरकार के स्थूल सामाजिक उद्देश्यों के अनुसरण में छोटे और मझौले समाचार पत्रों का उपयोग करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय राज्य-वार तथा श्रेणीवार संगत आंकड़े वित्तीय वर्ष के लिये रहता है न कि कैलेण्डर वर्ष के लिये। इसके अलावा, वैयक्तिक समाचारपत्रों को रिलीज किए जाने वाले विज्ञापनों की मात्रा और उनके मूल्य को गोपनीय समझा जाता है क्योंकि इसका स्वरूप विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा सम्बन्धित समाचार के बीच एक संविदा का है।

महाराष्ट्र और गुजरात से प्रकाशत होने वाले मराठी और गुजराती समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों को 1980-81 के दौरान रिलीज किए गए विज्ञापनों की मात्रा और उनका मूल्य इस प्रकार है :-

मराठी

	बड़े	मझौले	छोटे
निवेशनों की संख्या	2017	2516	2429
स्थान	86990 कालम से० मी०	104731 कालम से० मी०	14'124 कालम से० मी०
धनराशि	10,88,069 रु०	6,14,719 रु०	4,76,036 रु०

गुजराती

निवेशनों की संख्या	1817	1197	2108
स्थान	84286 कालम से० मी०	71896 कालम से० मी०	103362 कालम से० मी०
धनराशि	10.16.347 रु०	4.31.915 रु०	3.50.470 रु०

मलेरिया, हैजा फाइलेरिया, क्षयरोग तथा कुष्ठ रोग आदि के लिए आवश्यक औषधियों की उपलब्धता

5126. श्री के० मालन्ना : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मलेरिया, हैजा फाइलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा अन्य गम्भीर रोगों के लिए आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुधारने में हुई, प्रगति से संतुष्ट हैं, ।

(ख) क्या यह सच है कि भारत में अधिकतर औषधियों का मूल्य अधिक रखा जाता है, और

(ग) क्या यह भी सच है कि औषधियों के विज्ञापन एवं प्रचार पर भारी व्यय भी एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण है जिससे कमी हुई है और उचित मूल्यों पर एवं पर्याप्त मात्रा में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में असफलता हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) सरकार, राज्य औषध नियंत्रकों, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों और जनता की शिकायतों के आधार पर प्रत्येक सप्ताह आवश्यक और जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता की देख रेख करती है । हाल ही में मैसर्स फाइजर द्वारा निर्मित क्षयरोग निरोधी फार्मुलेशन आइसोनेक्स पी० ए० सं० ग्रेनुलस मैसर्स पार्क-डेविस के डायलेनिटन के फुर्स जैसे एंटी इटिसेप्टिक औषधों के कुछ उत्पादों के विशिष्ट ब्राण्डों की समय-समय पर कमी की सूचना मिली है । इन सभी मामलों के समान उत्पाद जैसा कि नीचे बताया गया है, उपलब्ध थे :-

कमी की सूचना	समान उपलब्ध उत्पाद
क्षयरोग निरोधी फार्मुलेशन	—
आइसोनिक्स गोलियां (फाइजर)	नाइड्रोजाइड गोलियां (साराभाई)
पी० ए० स० गेनुल्स (फाइजर)	पी० म० स० ग्रेनुल्स वायोलोजिक्स इवान्स)
एंटी-इपिलप्टिक फार्मुलेशन	
डावलोन्टिन कैप्सुल (पार्क डैविस)	इप्टायन कैप्सुल (बूट्स)

(ख) आवश्यक और जीवन रक्षक औषधों के (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं । सरकार बल्क औषधों का मूल्य उनके निर्माण की अनुमानित लागत के आधार पर नियत/संशोधित करती है । और उचित लाभ की अनुमति देती है । फार्मुलेशनों के लिए उनका मूल्य उनके निर्माण की कारखाने के वाहर लागत के आधार पर नियत किया जाता है और औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 के प्रावधानों के अनुसार मार्क- अप की कुछ प्रतिशतता की अनुमति देती है । लागत का अध्ययन निर्माता द्वारा दिए गए आंकडों के आधार पर औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा किया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

"नान रेजीडेंटस आफर फार इन्वेस्टमेंट" शीर्षक समाचार

5127. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1981 के "इकानामिक टाइम्स" में "नारेजिडेंट्स जेस्चर-4 बिलियन डालर ओफर्ड फार इन्वेस्टमेंट" (गैर-निवासियों का सदभाव-4 बिलियन डालर निवेश का प्रस्ताव) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों में बसे गैर निवासी भारतीयों के एक सार्थ संघ ने विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 3 बिलियन डालर तथा ऐसे क्षेत्र में, जिसे सरकार चाहे, निवेश के लिए एक बिलियन डालर का ऋण देने का ऊर्जा मन्त्रालय से प्रस्ताव किया है ;

(ग) क्या इस सार्थ संघ ने केवल दो ही शर्तें लगाई हैं ; (एक) इस तथ्य के बावजूद की ये परियोजनाएं केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत हैं ; 9 प्रतिशत लाभ की गारन्टी केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिए (दो) देश में अनुपलब्ध उपकरणों का आयात करने की अनुमति होनी चाहिए ;

(घ) क्या इस सार्थ संघ ने सुझाव दिया है कि इसे कम से कम 30 वर्ष की अवधि तक उपरोक्त शर्तों के पूरा किये जाने का आश्वासन दिया जाना चाहिए, और

(ड.) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) जी, हां।

(ख) से (ड.) भारत सरकार को प्राइवेट पार्टियों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें ताप विद्युत संयंत्रों के वित्त पोषण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त बाजार से विदेशी मुद्रा जटाने के प्रस्ताव हैं। चूंकि सरकार ने इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया है, अत: इस स्थिति में इन प्रस्तावों के ब्यौरे को प्रकट करना उपयुक्त नहीं होगा।

कोयला खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना

5128. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में काम करने वाले कर्मचारियों के अनुरक्षण तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के बारे में कोई समझौता किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) कोयला खानों के कामगारों के अनुरक्षण और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए कोई समझौता नहीं है परन्तु कामगारों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और अधिक प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रबन्ध किया जा रहा है।

टिहरी बांध के लिए विश्व बैंक से सहायता

5129. श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और इस सम्बन्ध में ब्यौरा है ; और

(ख) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो कार्यवाही कब तक किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) उत्तर प्रदेश ने सुझाव दिया है कि टिहरी बांध परियोजना की विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत किया जाए तथापि, वर्ष 1984-85 तक विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं की श्रृंखला निर्धारित की जा चुकी है। भविष्य में सहायता के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का निर्धारण करते समय राज्य सरकार के सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में विद्यमान कैन्टीन तथा पशु पालन शालायें (क्रेचिस)

5130. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० में 1 नवम्बर, 1981 को कितनी कैंटीन तथा शिशु पालन शालाएं विद्यमान थी, उनके विस्तृत तथ्य क्या हैं तथा क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है, इस तारीख तक कैंटीनों में कितनी बिक्री हुई है तथा कितने शिशुओं का पालन किया गया है ?

(ख) 1 नवम्बर, 1981 को वास्तव में कितने कैंटीन और शिशु-पालन शालाएं चल रही थी तथा उनका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है, उस तारीख तक कैंट्रिनों में कितनी बिक्री हुई तथा कितने शिशुओं का पालन किया गया ;

(ग) क्या उनको पता है कि दोवरी कोलियरी का उपयोग केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के शिवर के रूप में किया जा रहा है जबकि इस बल के लिए निर्मित भवन अधूरा पड़ा है और अधिकांश शिशु पालन शालाएं दिखाने के लिए है जो केवल झूठी उपस्थिति पर पैसा खर्च कर रही हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले में अचानक जाँच करेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा. पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस सम्बन्ध में उपर्युक्त सूचना प्राप्त हो जाने के बाद ही विचार किया जाएगा।

महिलाओं के लिए समान सिविल संहिता का बनाया जाना

5131. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अल्प संख्यकों के विभिन्न महिला संगठनों ने मांग की है कि समान सिविल संहिता बना कर विवाह, विवाह-विच्छेद और महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में तत्काल संशोधन किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बंगलौर में विशिष्ट उपकरणों के निर्माण के लिये एक नए एकक की स्थापना करना

5132. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या सन्चार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में डिजाइन किये गये विशिष्ट उपकरणों का रेलवे प्रतिरक्षा सेवाओं और विद्युत बोर्डों के समन्वय के साथ निर्माण करने के लिये बंगलौर में एक नए एकक की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के ब्यौरे क्या है ;

(ग) एकक की स्थापना कब और किस लागत पर की जानी है ;

(घ) इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या क्या होगी ; और

(ड.) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा अपने डिजाइन तथा उत्पादन गतिविधियों को अब तक बनाने के आधुनिकीरण कार्यक्रम के ब्योरे क्या हैं और इस संबंध में कितनी राशि व्यय की जानी है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) यद्यपि, रेलवे, रक्षा सेवा और बिजली बोर्डों के सहयोग से इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में डिजाइन किए विशिष्ट उपस्कर तैयार करने के लिए एक नया कारखाना बंगलौर में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, फिर भी ऐसा उपस्कर तैयार करने की मौजूदा सुविधाओं को बंगलौर में ही एक अलग स्थान पर ले जाया जा रहा है ।

(ग) इस कार्यक्रम के लिए अनुमानित निवेश लगभग 91 लाख रुपए होगा ।

(घ) ऐसे उपस्कर की वार्षिक उत्पादन क्षमता का मूल्य लगभग 200 लाख रुपए है ।

(ङ.) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने अनुसंधान और विकास सुविधाओं के विस्तार करने की योजना बनाई है यथा संकर (हाइब्रिड) सूक्ष्म परिपथ प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सहायता युक्त डिजाइन दल, पर्यावरण परीक्षण प्रयोगशाला, क्षेत्र परीक्षण दल आदि । छठी पंचवर्षीय योजना, (1980-85) में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए 1400 लाल रुपए का कुल पून्जीगत पारिव्यय मंजूर किया गया है।

गुजरात में कपड़ा मिलों के आवंटित स्टीम कोयला

5133. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कपड़ा मिलों की स्टीम के कोयले की अनुमानित मांग की तुलना में उनको जनवरी-अक्तूबर,1981 के दस महीनों में प्रतिमास कितनी मात्रा का आवंटन किया गया ;

(ख) जनवरी से अक्तूबर 1981 की अवधि में आवंटन की तुलना में कपड़ा मिलों को वस्तुत: कितना कोयला भेजा गया ;

(ग) क्या गुजरात में उद्योग को स्टीम कोयले के पारेषणों में कोई कमी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरे क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) गुजरात की कपड़ा उद्योग इकाइयों को कोयले का आवंटन नहीं किया जाता है । गुजरात के कपड़ा उद्योग की कुल मांग को पूरा किया जा सकता है । जनवरी-अक्तूबर, 1981 में लगभग 5.70 लाख टन कोयला गुजरात की कपड़ा मिलों को सप्लाई किया गया था ।

(ग) और (घ) गुजरात में भाप कोयले की उपलब्धता में कुछ कमी की रिपोर्ट मिली है । इस कमी का मुख्य कारण था कोयले के प्रेषण के लिए वैगनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना । कोयला, कंपनियां, रेल द्वारा कोयला भेजने में जितनी कमी आई है उतना कोयला सड़क से ले जाने के लिए भी देती रही हैं । किन्तु हाल ही में वे० को० लि० में रेलवे वैगनों द्वारा कोयले के लदान में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और आशा की जाती कि गुजरात और अन्य राज्यों को भाप कोयले के प्रेषण में कोई कमी नहीं आएगी ।

केन्द सरकार द्वारा जारी "इमेज" विज्ञापनों पर खर्च धनराशि

5134. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपनी छवि विज्ञापित करने के लिए जैसा पहले कभी नहीं किया गया, समाचार पत्रों में अधिक धनराशि खर्च कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश की प्रमुख भाषाओं के 503 भारतीय दैनिकों और पत्र-पत्रिकाओं में किए गए सर्वेक्षण में अनुसार इन तथाकथित "इमेज" विज्ञापनों ने परिवार नियोजन और अन्य सेवा सम्बन्धी विज्ञापनों को पीछे छोड़ दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में किए गए सर्वेक्षण के बारे में अन्य ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप- मन्त्री (कु कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस प्रकार के सर्वेक्षण पर कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"डाई स्टाफ यूनिट्स पोज विग हैल्थ हैजार्डस" शीर्षक से समाचार

5134. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 दिसम्बर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डाई स्टाफ यूनिट्स पोज विग हैल्थ हैजार्डस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दिल्ली और उसके आस पास इस प्रकार की कितनी यूनिटें हैं जिनसे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा हो रहा है तथा इस खतरे को बढ़ाने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बाकी गुजरात, में रंजक और रंजक मध्यवर्त्तियों का निर्माण करने के लिये मैं० अमर डाई केम लि, के प्रस्ताव पर एम० आर० टी० सी० आयोग ने जून 1981 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में रंजक और रंजक मध्यवर्तियों के निर्माण में व्यस्त यूनिटों द्वारा वातावरण में उत्पन्न की गई खराबी और जहरीले प्रभावों को दूर करने के लिये विद्यमान वैधानिक उपायों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता का हवाला दिया ।

रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया था कि सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के विषैला पदार्थ नियंत्रण, अधिनियम 1976 के आधार पर एक कानून बनाने के लिये विचार करना चाहिये। रंजक और रंजक मध्यावर्तियों के उत्पादन से स्वतः ही प्रदूषण उत्पन्न होता है विशेषक कवेर निस्त्राव से प्रदूषण से बचने के लिये निस्त्रावों का ठीक से उपचार आवश्यक है। जल प्रदूषण को जल (सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। वायु प्रदूषण की वायु (सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत किया जाता है। अधिनियमों का संचालन संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इन अधिनियमों के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है वैद्यानिक उपायों के बारे में एम० आर० टी० आयोग द्वारा दिये गये सुझाव पर सभी सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात निर्णय लिया जायेगा।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि रंजक और रंजक पदार्थों के निर्माण के लिये 4 यूनिटे पंजीकृत है और इन चार यूनिटों द्वारा प्रदूषण उत्पन्न करने की उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है।

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में

प्रो० मधु दण्डवते (काजापुर) : महोदय उस मामले के बारे में क्या हुआ जिसके बारे में मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह अब मिला है और मैं आपको इस बारे में लिखुंगा। मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय मैं एक अनुरोन करना चाहता हूं। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। इसका सम्बन्ध केवल मधु दण्डवते से ही नहीं है किन्तु हम इसका सम्बन्ध सारी सभा के साथ है। कृपा करके हमारे अनुडोध को सुनने से पूर्व अपना उत्तर न दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा (व्यवधान).

प्रो० मधु दण्डवते : इन बातों की चर्चा कक्ष में नहीं की जा सकती महाराष्ट्र विधान मंडल में सार्वजनिक रूप से हमारे विरूद्ध यह आरोप लगाया गया है और आप इस मामले पर अपने कक्ष में क्यों चर्चा करना चाहते हैं ? (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करूंगा।

प्रो मधु दण्डवते : महाराट्र के मुख्य मन्त्री मुझे उच्चतम न्यायालय में जाने से रोकने के लिए महाराष्ट्र विधान मंडल का प्रयोग कर रहे हैं और चूंकि मैंने उन पर भ्रष्टाचार और कदाचारों के आरोप लगाए थे उन्होंने मेरे विरूद्ध विशेषाधिकार का एक प्रस्ताव पेश किया है। अतः

मैं उनके विरूद्ध विशेषाधिकार का एक प्रस्ताव लाया हूं । क्या आप सन्तुष्ट हैं कि यह प्रथम दृष्टया स्वीकार्य मामला है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर विचार करने दीजिए। हम देखेंगे । (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इन मामलों पर कक्ष में चर्चा नहीं की ज. सकती । यह आप और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में निर्णय करना होगा । बगैर समझे कैसे बता हूं ? (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, इस मामले का सम्बन्ध केवल प्रो० मधु दण्डवते से ही नहीं है । इसका सम्बन्ध सारी सभा से है । (व्यवधान) क्या आपको महाराष्ट्र, विधान सभा से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, मुझे पत्र मिला है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप इसी समय ही इसे अस्वीकार क्यों नहीं कर देते और उन्हें बता क्यों नहीं देते ? इसमें विचार करने की क्या बात है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने रूल नहीं तोड़ना है । मैं काहे को रूल तोड़ूंगा— किस लिए तोड़ूंगा ? मैं वैसा कैसे कर सकता हूं ? मैं इसका अध्ययन किए बिना क्या कर सकता हूं ? मुझें हर बात का अध्ययन करना होता है और तब गुण दोष के आधार पर यह निर्णय करना होता है कि इसे अस्वीकार अथवा स्वीकार । यही कुछ मैं कर सकता हूं । (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते । आपने कल कहा था "मैं समाचार पत्रों के आधरा पर नहीं चल सकता । मुझें पत्र नहीं मिला है ।" अब आपको महाराष्ट्र विधान सभा से पत्र मिल गया हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अध्ययन करने दीजिए मैं आपको बताऊंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपा करके हमें पत्र की विषय—वस्तु के बारे में बताईए । हम इस पत्र के जानने के अधिकारी हैं । (व्यवधान) । 1954 में श्री मावलंकर ने एक मिनट के लिए भी मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : चैक तो करने दीजिग साहब । (व्यवधान) ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं जो कुछ पूछ रहा हूं वह यह है । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही—वृतांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी । (व्यवधान) ।*

प्रो० मधु दण्डवते : हमारा इस प्रकार निरादर मत कीजिए ।

---

* *कार्यवाही—वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।*

मैं पत्र की विषय वस्तु को जानने का अधिकारी हूं। मुझे पत्र के विषय वस्तु के बारे में बताइए सभा को पत्र की विषय वस्तु का ज्ञान होना ही चाहिए। महाराष्ट्र विधान सभा में इस सभा का अपमान किया गया है और आप इस पत्र की विषय वस्तु के बारे में बताने से इन्कार कर रहे है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता। मैं इस समय किसी प्रकार का निर्णय नहीं दे सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : समस्त महाराष्ट्र विधान सभा ने मेरा और आपका अपमान किया है और आप सभा में इस पत्र को पढ़कर सुनाने को तैयार नहीं हैं।। इस सभा को महाराष्ट्र विधान सभा से प्राप्त पत्र की विषय वस्तु को जानने का अधिकार है। उन्होंने हमारी सभा का अपमान किया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका अध्ययन करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, गृह मन्त्री महोदय ने कल यह कहा था कि वह आज प्रातः तक आपको यह सूचित करने की स्थिति में होंगे कि सरकार श्री जटिया के मामले में न्यायिक जांच करायेगी अथवा नहीं और उसी के कारण आपने विशेषाधिकार प्रस्ताव पर अपनी सहमति रोकी थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे दोनों सर्वथा भिन्न बातें हैं। सभा के बाहर की अनेक घटनाओं की न्यायिक जाँच की जाती है। इस मामले में जांच हो भी सकती है। किन्तु यहां तो इस सभा के एक सदस्य के विशेषाधिकार का प्रश्न है जिस पर पुलिस द्वारा प्रहार किया गया है और उन्हें क्रूरता से घायल किया गया है। श्री भोगेन्द्र झा के मामले में आपने एक मिनट की भी प्रतीक्षा नहीं की थी···

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात कुछ भिन्न है। मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

आप सुनते क्यों नहीं हैं। आप सुनिये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा। (व्यवधान) *

मैं दोहरे मानदण्ड नहीं अपना सकता। मैं कहता हूं कि इस मामले पर विचार होगा।

मैंने श्री जटिया को अनुमति दे दी है और वह नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किन्तु कल उन्हें यह कह कर चुप करा दिया था कि न्यायिक जांच करायी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक भिन्न बात है।

* कार्य-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार की बात कुछ भिन्न है। (व्यवधान) आपको हो क्या गया है ? आप कोई काम करने ही नहीं देंगे ? कोई अच्छा काम। (व्यवधान) क्या कर रहे हैं आप लोग ? मैं कुछ काम करने की चेष्टा करता हूं, आप बिना वजह बोले जा रहे हैं। बिना वजह, बगैर सिर पैर के बोले जा रहे हैं। कोई उसका मतलब नहीं है। (व्यवधान) आपने कभी रूल पढ़ा है ? (व्यवधान) इनको जरा रूल दिखा दीजिए। (व्यवधान) हमने जो श्री भोगेन्द्र झा के केस में किया था वह अब भी है। उनके केस में कुछ किया था कि नहीं ? पढ़ते क्यों नहीं ? पढ़कर देखो उसमें क्या किया था···(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं माननीय सदस्य को वक्तव्य देने की अनुमति देने के लिए आपका आभारी हूं, किन्तु क्या मुझे आप यह आश्वासन देंगे कि उस वक्तव्य पर विचार करने के बाद आप विशेषाधिकार के प्रश्न पर बुद्धिमत्ता से विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : आप ऐसा कहते क्यों नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कह तो रहा हूं, किन्तु आप एक एक्सप्रैस गाड़ी की तरह बिना रुके अपनी बात कहते जा रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी : मैं आपका बहुत ही आभारी हूं, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त भी सुनते नहीं हैं। कम से कम में आपसे यह आशा करता हूं कि आप मेरी बात को सुनें और यह जानें कि मैं क्या करना चाहता हूं। आप सुनते ही नहीं हैं और बिना रुके बन्दूक की गोली की तरह अपनी बात को कहते जा रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सत्र के केवल दो दिन रह गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : चिन्ता करने की कोई बात नहीं है, मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं, हम इसका ध्यान रखेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : प्रो० मधु दण्डवते ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है···

अध्यक्ष महोदय : अब उसकी कोई बात मत करिये।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इससे आपका क्या मतलब है। आप उस ढंग से मुझे रोक नहीं सकते हैं ?···(व्यवधान)

यह सभा के विशेषाधिकार का मामला है। इसका एक सदस्य के अधिकारों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है कि मुझे उसका अध्ययन करना है। आप इस प्रकार क्यों कहते चले जा रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : आपको एक पत्र मिला है। कल आपने सभा मे यह कहा था कि यदि आपको कोई पत्र मिलेगा, तो आप सभा को उसकी जानकारी देंगे। अब यदि आपको एक पत्र मिला है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा है आपको कि नहीं दूंगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे अपना निवेदन करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अनावश्यक रूप से आप यह सब कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप बात को सुनने के लिए तैयार क्यों नही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप जबरदस्ती मुझसे कहलवाना चाहते हैं। मैं असंगत बातों को कैसे सुन सकता हूं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप मेरी बात सुने बिना कैसे कह सकते हैं कि मैं असंगत बात कह रहा हूं ?···(**व्यवधान**)।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी मैंने एक प्रिवलेज मोशन दिया है और एक एडजर्नमेंट मोशन दिया है। मैनपुरी की स्थिति के सम्बन्ध में···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नाट अलाउड इस पर मैं विचार कर रहा हूं। इसकी अनुमति नहीं है। मैं इस बारे में चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे इसे देखना है। सारे आदमी एक साथ क्यों बोल रहे हैं ? एक आदमी को क्यों नहीं बोलने देते ? यह क्या है ? मैंने इस बात का पता लगाना है कि क्या उन्होंने उस एस० पी० को बुलाया था अथवा नहीं और क्या उसने जानबूझ कर ऐसा किया था अथवा उसे इस बारे में सूचित नहीं किया गया था। मुझे तथ्यों का पता लगाना है।

श्री राम विलास पासवान : आप दो मिनट सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों सुन लूं जब आपने मुझे लिखकर दिया है। आप अननेसेसरिली हाउस का टाइम जाया करते हैं। यह पता लगाना मेरा कर्त्तव्य है। मुझे तथ्यों का पता लगाना है। (**व्यवधान**)

यह हर रोज की आदत बन गई है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस पर मैं विचार कर रहा हूं। मुझे अवश्य ही तथ्यों का पता लगाना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : आपने इसी सदन में कहा था कि मैं देवली इशू···

अध्यक्ष महोदय : मैंने करवा दिया देवली पर। मैंने यह कर तो दिया है। कितनी बार आप इस मामले को उठायेंगे ? पहले दिन मैंने इस पर चर्चा की थी।

श्री राम विलास पासवान : आपने काल अटेंशन लिया था और कह दिया कि इस पर डिस्कशन होगा···।

(व्यवधान)

अब पार्लियामेंट बन्द होने वाली है दो दिन बाद।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं हर रोज हर विषय को नहीं ले सकता।

(व्यवधान)**

किसी भी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न करें।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम इस प्रकार विशेषाधिकार समिति के पास इस मामले को भेजने के लिए उचित सम्मान के साथ एक गलत परम्परा कायम करेंगे···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह मालूम होना चाहिए कि आप क्या बात कह रहे हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : परसों लिखित रूप में आपके कक्ष में आपको ही यह वक्तव्य दिया गया था···

अध्यक्ष महोदय : मुझे बता दीजिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : जटिया जी के मसले पर मैंने परसों चैम्बर में स्टेटमेंट दिया उसके बाद अगर आप इनसिस्ट करेंगे कि हाउस में मेम्बर पढ़े तभी मामला प्रिवलेज कोर्ट में दिया जाएगा। वह बिल्कुल ही गलत परम्परा होगी।

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल, असंगत बात है। मेरे पास मेरे पूर्व निर्णय हैं। इसकी अनुमति नहीं है।

श्री राम जेठमलानी : क्या आप आज हमें यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि सभा के स्थगित होने से पूर्व आप इस मामले के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पूरी तरह विचार कर रहा हूं। मैं इस बारे में विलम्ब क्यों करूंगा ? यदि मैं सन्तुष्ट हो जाता हूं, तो मैं इसे कर दूंगा।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम जेठमलानी : मुझे उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। क्या आप कुछ आश्वासन देंगे कि सभा के स्थगित होने से पूर्व आप यह कर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपका सम्मान मेरा सम्मान है। इस बारे में मैं और आप संदेह क्यों करते हैं ?

एन० के० शेजवलकर : यह क्या बात है ? यह गलत बात है। यह मामला है···

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़कर देखिए। जी हां, श्री हरिकेश।

(व्यवधान)

आप पढ़कर नहीं आते, शेजवलकर जी, तो मेरा दोष नहीं है। मैंने इसे पढ़ा है। जो कुछ मैं कर रहा हूं, वह पूर्ण से नियमों के अनुसार है।

(व्यवधान)**

नहीं इसकी अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। **(व्यवधान)****

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : **

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान) **

किसी भी बात की अनुमति नहीं है।

इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

मैंने श्री हालदर को बोलने की अनुमति दी है। श्री हरिकेश बहादुर आपकी कही हुई बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

कुछ नहीं। ठीक बात नहीं है। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (दुर्गापुर) : जो कुछ प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है वह केवल एक व्यक्तिगत मामला ही नहीं है। आपको महाराष्ट्र विधान सभा से एक पत्र मिला है···इसका सारी सभा से सम्बन्ध है···

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह बात संगत नहीं है । यह ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)**

यह नहीं हो सकता अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे । श्री सेठी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, करपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, अम्बाला मुगल, एरणाकुलम आदि-आदि की वर्ष 1980-81 की समीक्षायें तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम, रसायन और उवरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं निम्नलिखत पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, और उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी०-3137/80]

(ख) (एक) कोचीन रिफाइनरिज लिमिटेड, अम्बालामुगल, एरणाकुलम जिला के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोचीन रिफाइनरिज लिमिटेड, अम्बालामुगल, एरणाकुलम जिला का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उनपर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[मन्त्रालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी०-3138/81]

(ग) (एक) इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक

** *कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।*

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उनपर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्णीयां। [ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 3139/81]

(घ) (एक) हुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) लुब्रीजोल इन्डिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उनपर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए' देखिए संख्या एल० टी० 3140/81]

(ड.) (एक) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 का वार्षिक कार्यकरण की ओर सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 3141/81]

(च) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उनपर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्णियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 3142/81]

(छ) (एक) हिन्दूस्तान आरगेनिक कैमिनल्स लिमिटेड, रासायनी (महाराष्ट्र) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो हिन्दुस्तान आरगेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रासायनिक (महाराष्ट्र) के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 3143/81]

(ज) (एक) मद्रास रिफाइनरीज बिमिटेड, मनाली, मद्रास के वर्ष 1680-81 के कार्यकरण की सरनार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिदन, लेखापरीक्षित लेखे और उनपर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयां । [ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 3144।81]

(झ) (एक) पाइराइट्स, फास्फेट्स एन्ड कैमिकल्स लिमिटेड डेहरी ओन-सोन (तिहार) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पाइराइट्स, फास्फेट्स एन्ड कैमिकल्स लिमिटेड डेहरी-ओनसोन (बिहार) का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उनपर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 3145/81]

(2) (एक) तेल उद्योग (विकास) अधिनिलम, 974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष, 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 3146/81]

(3) ब्रिज एन्ड रूफ कम्पनी (इन्डिया) लिमिटेड के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन को लेखावर्ष की समाप्ति के पश्चात 9 मास की निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० (3147/81)

सम्पत्ति के अन्तरण अधिनियम, 1882 के सम्बन्ध में विधि आयोग का 17 वां प्रतिवेदन तथा इसे सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के सम्बन्ध में 1 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की अनुसूची 21 के भाग-ख में संशोधन करने वाली अधिसूचना

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सम्पत्ति अधिनियम, 1882 के सम्बन्ध में विधि आयोग के 17वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपयुक्त (4) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) ।
[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 3148/81)

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिदियम 1969 के

उपबन्धों के निष्पादन के सम्बन्ध में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 2149/81]

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 11 (ड.) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो, दिनांक 18 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा संसदीय तथा विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूचित 21 के भाग-ख में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

[ग्रंथालत में रखो गई, देखिए संख्या एल० टी० 3150/81]

ऊन अनुसंधान एसोसिएशन ठाणे, भारतीय निर्यात प्रतिष्ठानों के महासंघ नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा में आदि-आदि

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) ऊन अनुसंधान एसोसिएशन ठाणे के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रतिथा लेखेपरीक्षित लेखे ।

(दो) खन अनुसंधान एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 3152/81]

(2) (एक) भारतीय निर्यात प्रतिष्ठानों के महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा वेखापरोक्षित लेखें ।

(दो) भारतीय निर्यात प्रतिष्ठानों के महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 3152/81]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 61क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखें तथा उनपर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 3153/81]

आन्ध्र प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड क्रमशः हैदराबाद तथा शिमला की समीक्षायें तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा उन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(क) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद के 30 जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद का 30 जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पिणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 3154/81]

(ख) (एक) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिमाचल प्रदेस कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 3155/81]

भारतीय रिजर्व बैंक विनियमों में कुछ संशोधन, दिल्ली वित्तीय निगम का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, निगम अन्तरण (संशोधन) नियम, 1981 दिल्ली बिक्रय कर पांचवा छठा संशोधन नियम, 1981 आदि आदि

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्त- र्गत (एक)

भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमों, 1949, (दो) भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों, 1935 और (तीन) भारतीय रिजर्व बैंक गारंटी निधि विनियमों में संशोधनों की एक-एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3156/81]

(2) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, जो दिनांक 23 नवम्बर 1981 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 6(15) /81 (फीजो) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3156/81)

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निवास अन्तरण (संशोधन विनियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स० का० नि० 647 (ड.) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3158/81]

(4) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) दिल्ली विक्रय कर (पांचवा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1981 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(43) /78 फिन० जी० में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) दिल्ली विक्रय कर (छठा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 24 नवम्बर, के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4/32/80 फिन० (जी) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखें गये, देखिये संख्या एल० टी० 3159/81]

(5) सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(एक) डाकघर बचत बैंक सामान्य नियम, 1981 जो दिनांक 17 दिसम्बर 1981 के भारत के राजपत्रमें अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 662 (ड.) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 जो दिनांक 17 दिसम्बर 1981 के भारत

के राज पत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 663 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर सावधि जमा नियम, 1981, जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 664 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) डाकघर संचयी सावधि जमा नियम, 1981, जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 665 (ड.) के प्रकाहुए थे।

(पांच) डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 666 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(6) डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के नियम 6 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 667 (ड.) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 दिसम्बर 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी खाते में जमा राशि पर ब्याज की दर अधिसूचित की गई है।

[ग्रंथालय में रख गये, देखिये संख्या एल० टी० 3160/81]

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर तथा हिन्दूस्तान टेलीप्रिन्ट से लिमिटेड मद्रास के वर्ष 1980-81 की समीक्षाएं तथा वार्षिक प्रतिवेदन

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 61 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 3162/81]

(2) (एक) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स मिलिटेड मद्रास के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स मद्रास का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षक लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये' देखिये संख्या एल० टी०-3162/81]

अध्यक्ष महोदय : मैंने करवा दी । बार बार नहीं उठाते । मैं हर रोज हर प्रश्न पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता अब श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामा राव ।

प्राक्कलन समिति

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सीमा शुल्क तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय ग्रामीण नियोजन के सम्बन्ध में सरकार के उत्तर दर्शाने वाले विवरण

श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामा राव : राजमुद्री में प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित विवरणों के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं —

(1) वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग)—सीमा शुल्क के बारे में प्राक्कलन समिति के की गई कार्यवाही सम्बन्धी तीसरे प्रतिवेदन के अध्ययन पांच में सम्मिलित सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के अन्तिम उत्तर और अन्य अध्यायों के सम्बन्ध में अग्रेतर जानकारी को दर्शाने वाला विवरण ।

(2) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय ग्रामीण नियोजन के बारे में प्राक्कलन समिति के की गई कार्यवाही सम्बन्धी सत्रहवें प्रतिवेदन के अध्याय एक में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के की गई कार्यवाही सम्बन्धी उत्तर को दर्शाने वाला विवरण ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौतीसवां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मनन (मद्रास) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

साठवां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं संघ उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित आठवे प्रतिवेदन

(छठी लोक सभा) पर की गयी कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का साठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रोज एक बात का ठेका ले रखा है आपने ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस करिए, बस करिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हरेक बात का नियम होता है, मैंने पहले दिन एलाऊ कर दिया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील करता हुं कि हर बात का अतिक्रमण अच्छा नहीं होता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस दल के नेता हैं, में आपसे अपील करता हूं कि हर एक बात का अतिक्रमण जब भी करते हैं, यह अच्छा नहीं होता। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। बैठिए आप।

देखिए, एक बात कों लेकर के इस तरीके से आप मुझे मजबूर करना चाहेंगे ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए। इट इज नो मच। मैंने सुन लिया। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : जी हां, सारे ईन्सान हैं। सभों पार्लियामेंट के मेम्बर हैं ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : यह व्यक्ति गैर जिम्मेबार बन रहा है। मैं उनका नाम लूंगा। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि आपको चिन्ता नहीं है। मुझे एक बात की चिन्ता है कि भारतवर्ष ने आप लोगों को यहां नुमाइन्दगी करने के लिए भेजा है ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोहय : मैं मेम्बरों से अपील करना चाहता हूं, एक बात जानना चाहता हूं कि मेम्बर्स सारे रेस्पांसिबल हैं और सारे मेम्बर्स ने इस सदन के रूल्स को बनाया है और हिसाब से बनाया है, अगर उसके हिसाब से आप काम करना चाहें तो चल सकता है। अगर सारे लोग अपनी मर्जी से काम करना चाहें कि हम जो चाहेंगे वही होगा तो न मेरी आवश्यकता है न सदन की आवश्यकता है।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले दिन करवाया है। मैंने इसे पहले दिन ही कर दिया था। मैं इसे अनुमति नहीं दूंगा। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : सबको पता है। हमारी सबकी भावनाएं ऐसे जघन्य काम के विरूद्ध हैं। हमारे दिल में भी उतना ही दर्द है और कोई मतलब नहीं है इस बात का कि हम कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : ये सज्जन कुछ भी कहें, मेरी अनुमति बिना कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री, महोदय, क्या अब आप अपना वक्तत्व पढ़ेंगे।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या झगड़ा है ?

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं कहा।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सच बात कहूंगा चाहे इसको लो या उसको लो मेरे लिए कुछ नहीं है।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सच बात कहूंगा, न्याय पूर्ण बात कहूंगा।

श्री इन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : सुनने कोई देगा ? क्यों बोलते हैं ? सुनने नहीं देंगे।

जत्थेदार सन्तोख सिंह की मृत्यु के बारे में वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह) : मैं अत्यधिक दुख के साथ सभा को सूचित करता हूं कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्ध कमेटी के अध्यक्ष, जत्थेदार सन्तोख सिंह की सोमवार, 21 दिसम्बर, 1982 को रात्री में दुखद् परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।

अब तक दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में जिन तथ्यों का पता लगाया है उनके अनुसार 21.12.1981 को रात 8-30 बजे से करीब जत्थेदार अपनी कार में कुछ अन्य व्यक्तियों

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के साथ गुरुद्वारा सिंह ख्याला गांव (तिलक नगर पुलिस थाना), में हुए 'दीवान' के बाद लौट रहे थे। गुरुद्वारे से करीब 75 गज दूर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के एक निर्वाचित सदस्य सरदार सोहन सिंह सिन्धु ने उनकी कार को रोकने के लिए हाथ दिया। संधु ने उस क्षेत्र में अपने के लिए जत्थेदार के अधिकार को चुनौती दी जिसके उत्तर में जत्थेदार ने कहा कि वह स्थानिय संगत के नियन्त्रण पर वहां गये थे। संधु ने एक अग्नेय अस्त्र से उन पर गोली चलायी, जत्थेदार संतोख सिंह के अंग रक्षक धन्ना सिंह ने, जो उमके साथ ही खड़े थे, गोली चला दी और संधु को जख्मी कर दिया। जत्थेदार और संधु दोनों को क्रमशः अखिल भारतीय अयुर्विज्ञान संस्थान तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित किया।

धन्ना सिंह और जत्थेदार के दो अन्य साथियों के ब्यान ले लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और तहकोकात जारी है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

युनाइटेड किंगडम और आस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा भारतीय प्रथमोपचार और मरहम-पट्टी सामग्री पर प्रतिबन्ध लगाये जाने और उसे जलाए जाने के समाचार के बारे में

श्री हरिनाथ मिश्र (दरभंगा) : मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"यूनाइटेड किंगडम और आस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा भारतीय प्रथमोपचार मरहम-पट्टी सामग्री पर प्रतिबन्ध लगाये जाने और उसे जलाये जाने के समाचार और भारतीय सामान के निर्यात पर उसका विपरीत प्रभाव।"

वाणिज्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खर्शीद आलम खां) : सरकार इस बात से अवगत है कि भारत से निर्यात की गई "स्टेराइल" के लेबल वाली सर्जीकल ड्रेसिंग की कुछ खेपें विदेशों में, जिनमें ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर शामिल हैं, संदूषित पायी गयी हैं।

सर्जीकल ड्रेसिंग के उत्पादन और क्वालिटी नियन्त्रण पर औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्ध लागू होते हैं। औषधियों (सर्जीकल ड्रेसिंग सहित) के उत्पादन और बिक्री पर राज्य सरकारों द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है और क्वालिटी नियन्त्रण के नियमों को लागू करने और साथ ही औषधि विनिर्कात लाइसेंस देने और उनका नवीकरण करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य औषधि नियन्त्रक है और साथ ही औषधि निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी हैं।

ब्रिटेन की सरकार की कार्यवाही से पहले आस्ट्रेलिया की सरकार ने भी उपभोक्ताओं को चेतावनी दे दी थी कि भारत से निर्यात की गयी जख्म वाली कुछ ड्रेसिंग संदूषित हैं और उन्हें जला देना चाहिए। आस्ट्रेलिया के प्राधिकारियों ने मेसर्स जेयर एक्सपोटर्स, कलकत्ता नामक एक निर्यातक को अभिज्ञात किया था। इस जानकारी के मिलने के तुरन्त बाद पश्चिम बंगाल के औषधि नियन्त्रक ने औषधि नियन्त्रक (भारत) के अनुरोध पर निर्यातक और साथ ही उत्पादक के, जिसने वास्तव में निर्यातित ड्रेसिंग का उत्पादन किया था (मैसर्स सुजीत एण्ड कम्पनी, 24 परगना) के अहातेइसे सर्जीकल ड्रेसिंग के नमूने लिए। परीक्षण करने पर लिए गए कुछ नमूने गैर-स्टैराइल और संदूषित पाये गये। औषधि नियन्त्रक (भारत) के कार्यालय ने निदेशक, औषधि नियन्त्रक, पश्चिम बंगाल को यह सुझाव लिख कर भेजा था कि औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत नियतिक और उत्पादक दोनों के खिलाफ निवारक कार्यवाही की जाये। पश्चिम बंगाल के औषधि नियन्त्रक ने मैसर्स सुरजीत सिंह एण्ड कं० का उन वस्तुओं के सम्बन्ध में उत्पादन लाइसेंस पहले ही समाप्त कर दिया है जिनको स्टैराइल करने की आवश्यकता होती है। अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी इस फर्म का उत्पादन लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है। वाणिज्य मन्त्रालय ने मैसर्स जेयर्स एक्सपोर्ट द्वारा किये जाने वाले सर्जीकल ड्रेसिंग के निर्यात को निलम्बित करने के लिए अलग से भी कार्रवाही की है। अन्य फर्मों के नामों की सूचना आगे कार्रवाही के लिए औषधि नियन्त्रक (भारत) के कार्यालय में भेज दी गई है।

भारत सरकार ने 27 नवम्बर, 1981 को निर्यात (नियन्त्रण) आदेश, 1977 में संशोधन जारी किया है जिसमें व्यवस्था की गयी है कि भारत के सर्जीकल ड्रेसिंग के निर्यात को अनुमति तभी दी जाये जब यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाये कि सर्जीकल ड्रेसिंग का प्रत्येक बैच स्टैराइल क्वालिटी का है और उसका परीक्षण कर लिया गया है तथा उसे स्टेंडर्ड क्वालिटी को पाया गया है। प्रमाण पत्र औषधि तथा प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अन्तर्गत अनुमोदित संस्था का होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनते ही नहीं है तो मैं क्या करूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मेरा काम है ? यह तो आपका काम है। यह सब तो आप कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर करा हूं। आप डिक्टेटरशिप से काम करवाना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। ऐसे काम नहीं चलता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात भी सुनिए। हमेशा यही होता है। मैं सारे लोगों को सुन चुका हूं लेकिन हर रोज यही होता है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर० परमार : *

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा । आप मेरी बात सुनेंगे ? आपको तो इतनी भी सहनशीलता नहीं है कि जब मैं खड़ा हूं तो कुर्सी का कुछ मान करना होता है । यह कुर्सी क्या मेरी है या मेरे बाप की है ? यह कुर्सी तो आपकी है ।

आपने विजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई है, उसमें आपके नुमाइन्दे होते हैं, सारी पार्टी के लोग होते हैं । जो वहां पर तय होना है उसी पर यहां डिस्कशन करवाते हैं । लेकिन आप यहां पर डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं । क्या यही प्रजातन्त्र है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले दिन ही एडमिट किया था ।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मैं कहां डिक्टेटर बन रहा हूं ? आपकी अपनी कमेटी है जो तय करती है । मैंने किसी भी बात के लिये अनुमति नहीं दी है : जो कुछ कहा गया है, वह सब मेरी अनुमति के बिना है ।

* (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) यह सही बात है कि आपने कालिंग एटैंशन मंजूर किया उसके बाद कुछ फैक्ट्स आपके नोटिस में आए । रामविलास जी ने कहा कि कमेटी वहां गई, पार्लिमेंटरी कमेटी गई । वहाँ हरिजनों में डर है । दूसरे गाँव में भी लोग डरे हुए हैं । चीफ मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश की सरकार में लोगों का विश्वास नहीं हो पा रहा है कि जाँच ठीक से होगी और ठीक से मुजरिमों को सजा हो पाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह मैं कैसे मान लूं ?

श्री इन्द्रजीत यादव : पार्लिमेंटरी एफेयर्ज मिनिस्टर से कहे ···

अध्यक्ष महोदय : राकेश जी मैं रोज देख रहा हूं जैसा सबूत आप दे रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत यादव : बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी को आप बुलाएं और वहां इसको रखें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने रोका कब है ?

* (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हाउस में जो बिजनैस आता है वह विद कसेसस आफ दी बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी आता है । अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं रखता हूं एडीशन चाहे कर लूं सबास्ट्रैक्शन नहीं करता हूं । एडीशन इस वास्ते करता हूं कि जनहित की बात हो जाए और बढ़ोतरी हो जाए, समय और मिल जाए जनहित के मामलों पर विचार के लिए । तीन चार बार बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है ।

* (व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में बोल रहे हैं। यह बुरी बात है। हरिकेश बहादुर जी आप रोज ऐसा करते हैं। किसी की सुन लिया करो।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप कभी मेरी बात नहीं सुनते। यह दुर्भाग्य की बात है।

श्री राम लालसाही (मिसरिख) : हम लोग बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी के मैम्बर नही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपमें से एक ही होता है, सारे नहीं होते हैं

अध्यक्ष महोदय : आप न्याते संगत की बात कर रहे हो।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : राकेश बाबू मेरी एक बात सुन लीजिए।

···(व्यवधान)···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हम लोग आपको पक्षपाती नहीं कहना चाहते हैं और न हैं। हम आपसे न्याय चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : राजनाथ जी, न्याय डण्डे के दबाव से नहीं मिल सकता है।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं बात करने को तैयार हूं।

···(व्यवधान)··

अध्यक्ष महोदय : यहां सदन पर चल रहा है, सामने डण्डा।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपको थोड़ा लिहाज नहीं आता है कि आप किसी की बात सुन लें। डेली आपका पेशा बन गया है। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक बात आपके सामने रखी है कि आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। 50 आदमी एक साथ खड़े हो जाते हैं। मैं एक बात हमेशा आपसे कहता हूं कि जो तरीके से करना चाहो, कर लो। आप आ जाइए, मैं इनको भी बुला लेता हूं। आप बात कर लो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप सारा हाउस देखली पर लगा लो, कफाल्टे पर लगा लो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरा तो टाइम नहीं है, हाउस का टाइम है। ये भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी भी बैठी है। मैंने एक बात आपसे हमेशा कही है।

श्री रामजेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : आप ठीक काम करते हैं लेकिन आप बहुत देरी से ऐसा क्यों करते हैं ? ये चिल्ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये चिल्ला नहीं रहे, ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय मैंने उनसे अनुरोध किया है ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आ जाइए मैंने उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं लिये जाने वाले कार्यों के विषय में कार्य मंत्रणा समिति में सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसार चल रहा हूं। फिर भी मैं बात करने को तैयार हूं सारों को बैठा दूंगा। आप जो चाहते हैं वह कर देंगे, मुझे क्या तकलीफ है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने और क्या कहा है आप सुनें, तब न।

(व्यवधान)

अध्क्षय महोदय : मैं एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूं आप समझते नहीं, मैं क्या करूं।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप क्या बुल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, ता० 24 तक पार्लियामेंट है, हम लोग रात भर बैठने के लिए तैयार हैं। मैं आपका कोई बिजनेस डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आपसे इतना आग्रह है कि आप आज मीटिंग बुला लीजिये। हम लोगों की जो फीलिंग है उसको सुन लीजिये और दूसरे पक्ष के लोगों की बात भी सुन लीजिये ···

अध्यक्ष महोदय : आप तो बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में रहते हैं।

श्री रामविलास पासवान : दो-तीन बार से नहीं रहता हूं। हम रहते तो खूंटा गाड़ देते।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वहां आ जाइये। यह कमेटी आपकी है।

श्री मधु दण्डवते (राजापुरा) : हम सुझाव पर सहमत हो गये हैं। उन्हें आपके चेम्बर में आपसे मिलना चाहिये और जो कुछ करना है उसके बारे में निर्णय लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि हाउस का समय इस तरह से जाया न किया जाय। लेकिन ये रोजाना ऐसा करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है, अगर बात इतनी ही है कि अखबार में नाम छपवाना है, तब ठीक है।

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, एक तान्त्रिक ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है एक

माननीय सदस्य ने इसको उठाया है। प्रधान मन्त्री के खिलाफ अनर्गल बातें कही जाती हैं और फिर सरकार की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया जाता है मैं चाहता हूं कि इस पर भी बहस हो।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : श्री आर० वी० स्वामीनाथन साहब के खिलाफ मैंने जो प्रिवलेज का नोटिस दिया था, आपकी तरफ से मेरे पास जवाब आया था और मैंने फिर अपनी तरफ से जवाब दिया है। इस बारे में आपकी तरफ से अभी फैसला नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह नियम 115 में आयेगा।

श्री हरिकेश बहादुर : एसेन्शल सर्विसिज पर बहस हुई थी और उस पर माननीय मन्त्री जी का जो बयान आया था, मैं चाहता हूं कि उस पर भी बहस की जाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो जो बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी कहेगी, वह करूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, ...

अध्यक्ष महोदय : अब क्या कसर रह गई है, साहब।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, वह मैं आपसे अर्ज करूंगा। यहां कार्य पद्धति की जो बात हुई है उसको आपने अपने ऊपर लेकर अच्छा नहीं किया है ...

अध्यक्ष महोदय : कौन सी बात ?

श्री मनीराम बागड़ी : आपसे क्या झगड़ा था। डण्डे से करवा रहे हो ऐसा कहना आपकी शान के खिलाफ है। आप चाहें तो हम इस्तीफा लिख कर दे देते हैं। जब लोग मरते हैं तो इस तरह की बात उठानी पड़ती है। मैं तो इनको बधाई देता हूं और विरोध पक्ष को कमजोर समझता हूं जो ऐसे सवाल को नहीं उठाते हैं और जो कानून नुक्ते में चले जाते हैं। मैं उस कांग्रेस वालों को बधाई देता हूं जिसने इस मुद्दे को यहां पर उठाया है ...

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी जी, मैंने यह नहीं कहा है।

श्री मनीराम बागड़ी : हमसे अगर आपको नाराजगी है तो सफेद कागज पर इस्तीफा ले लें।

अध्यक्ष महोदय : आपने समझा नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी अगर हरिजन का सवाल आये और कांग्रेस वाला उठाये तो उसे क्रेडिट क्यों नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि जब मैं इनकी कन्सेन्सस को मानने के लिए तैयार बैठा हूं तो फिर यह डण्डा क्यों है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपसे कौन कह रहा था, बात तो शासन की थी।

अध्यक्ष महोदय : रोज होता है।

श्री मनोराम बागड़ी : आप आजमा कर देख लें, अभी इस्तीफा लिखकर दे देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आप सबको सेल्यूट मारता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महादय : जब आपके पास दूसरे तरीके से करने का साधन है तो ऐसा करने का क्या फायदा है। आपके पास बिजिनैस ऐडवाइजरी कमेटी है उसमें रखिये।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैने कल एक नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी में क्यों नहीं रखवाते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : मैंने प्रिवलेज का नोटिस दिया था आपने कहा था कि फैक्ट्स मंगवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : फैक्ट्स मंगवा रहा हूं फिर इसमें क्या झगड़ा है ?

श्री रामविलास पासवान : सारे झगड़े की जड़ तो यही है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही हो चुका है मैं इसे पहले ही कर चुका हूं। इसमें मैंने एक मिनट की देर नहीं लगाई है इस तरह की बातों से मेरी सेहत पर कौनसा असर पड़ता है।

श्री हरिनाथ मिश्र : माननीय वाणिज्यि मन्त्री के भाषण को मैंने सुना यद्यपि मैं उनकी कई बातों तथा शब्दों को नहीं समझ सका। सौभाग्य से वक्तव्य को एक प्रति अभी आर्ग मुझें दी गयी है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नरायण सिंह)

अध्यक्ष महोदय : अब इस सत्र में दो दिन का समय बच गया है और काम काफी है इसलिये मेरा अनुरोध है कि लंच को डिस्पेंस विद कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आज मध्याह्न भोजन के लिए कोई अवकाश नहीं होगा। मेरे विचार में सभा इस बात से सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं अगली बात पर आने से पहले आस्ट्रेलिया में हुई घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा मन्त्री महोदय ने भी अपने विवरण में इसका जिक्र किया है इन्होंने कहा है।

> "ब्रिटेन की सरकार की कार्यवाही से पहले आस्ट्रेलिया की सरकार ने भी उपभोक्ताओं को चेतावनी दे दी थी कि भारत से निर्यात की गई जख्म वाली कुछ ड्रेसिंग संदूषित है और उन्हें जला देना चाहिये। आस्ट्रेलिया के कुछ प्राधिकारियों

ने मैसर्ज जेयर एक्सपोर्टस, कलकत्ता नामक एक निर्यात
था ।"

जहां तक मुझे पता है, सितम्बर 1981 के शुरू में, आस्ट्रेलिया के अ
से निर्यातित सर्जीकल बेंडेजिज की कुछ खेपों में संदूषण का पता लगाया अ
मानक प्रयोगशाला, आस्ट्रेलिया में इनका परीक्षण किया गया । चूंकि सर्जी
मानवीय संदूषण हो सकता था, इसलिए आस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने सभ
को वापिस मांग कर जलाने के लिए कदम उठाये ।

बाद में दिसम्बर 1981 के उत्तरार्ध में भारत ,ताइवान तथा थाईलैं
ड्रेसिंग को भी बेकटोरिया से संदूषित पाया गया । सितम्बर, 1981 के शु
1981 के मध्य तक के लगभग डेढ़ मास की अवधि में इन सब बातों का पत
प्रासंगिक प्रश्न उठ खड़े हुए । सरकार को आस्ट्रेलिया में ड्रेसिंग सम्बन्ध
पहले कब पता चला ? निर्माण करने वाली फर्म को इन घटनाओं का पता
होगा । क्या उन्होंने भारत सरकार, विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार को
हां, तो कब और उसके बाद क्या कार्यवाही की गई ? यदि वे ऐसा करने
सरकार को सूचित नहीं किया तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्य
हमारे उच्चायुक्त का कम से कम आस्ट्रेलिया की दुखद घटनाओं के बारे में
का कर्तव्य नहीं था ? क्या उन्होंने ऐसा किया ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उत्तर में बताया गया है :

"सर्जीकल ड्रेसिंग के उत्पादन और क्वालटी नियंत्रण पर अ
सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नि
होते हैं । औषधियों (सर्जीकल ड्रेसिंग सहित) के उत्पादन
सरकारों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है और क्वालटी नियंत्रण
करने और साथ ही औषधि विनिमाता लाईसेंस देने और उ
के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य औषधि नियंत्रक हैं और साथ
तथा अन्य कर्मचारी हैं ।"

सौभाग्य से मैंने अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ा है और
औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 79—'लाईसेंस की
गया है :

"लाईसेंस-धारी उन वस्तुओ के उचित निर्माण, और रखरखा
लिये पर्याप्त कर्मचारियों, स्थान तथा संयंत्रों की व्यवस्था करेग
सेंस जारी किए गए हैं । अनेक अन्य शर्तें भी हैं । धारा ६
रिपोर्ट में कहा गया है :

"निरीक्षक लाईसेंस प्राधिकारी को निरीक्षण सम्बन्धी एक ब्यौरेपूर्ण प्रतिवेदन भेजेगा।"

धाना 81— लाईसेंसिंग प्राधिकारी की प्रक्रिया—में कहा गया है :

"यदि लाईसेंस देने वाला प्राधिकारी, ऐसी आगामी जांच के बाद, जिसे कि वह उचित समझे, इस बात से संतुष्ट हो कि अधिनियम के अन्तर्गत नियमों की जरूरतों को पूरा कर लिया गया है और लाईसेंस तथा नियमों की शर्तों को पूरा किया जायेगा, तो वह प्रपत्र 28 में लाईसेंस जारी करेगा।"

उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये, आपसे यह पूछना उचित होगा, चूंकि आप स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी उत्तर दे रहे हैं, कि ये शर्तें क्या हैं और इन शर्तों में से कितनी शर्तें आवेदक ने लाईसेंस प्राप्त करने से पहले पूरी की ? निरीक्षक कौन थे और उनकी ब्यौरेपूर्ण रिपोर्ट क्या थी। निश्चय ही लाईसेंस जारी करने से पहले निरीक्षक अथवा कुछ निरीक्षकों ने यह देखने के लिए उस कारखाने का दौरा करना था कि क्या शर्तें पूरी की जा रही हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें

श्री हरिनाथ मिश्र : मैंने तो अभी-अभी शुरू किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 12 मिनट ले चुके हैं। तीन मिनट समय की ही अनुमति है। कोई अन्य सदस्य आपका उदाहरण न दें, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप सभापति तालिका में हैं, आप नियम जानते हैं···

श्री रविन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : इन्हें कभी-कभी ही अवसर मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप इनका समर्थन क्यों कर रहे हैं। इनका नाम सभापति तालिका में है।

इसके अतिरिक्त अधिक दुख की बता यह है कि हमारी मातृ भूमि भारत के नाम और छवि को ही धूमिल नहीं किया गया है, अपितु सम्भवतया उस पर अमिट धब्बा भी लगाया है।

उत्तर के अन्त में यह कहा गया है :

"27 नवम्बर, 1981 को भारत सरकार ने निर्यात नियन्त्रण आदेश, 1977 का एक संशोधन जारी किया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत से सर्जीकल ट्रेसिगंस (शल्य-पट्टियों) के निर्यात की अनुमति केवल इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर ही दी जायेगी कि सर्जीकल ट्रेसिगंस की प्रत्येक खेप जीवाणुहीन कोटि की है और इसका परीक्षण किया जा चुका है तथा इसे मानक कोटि का पाया गया है। यह प्रमाणपत्र औषध और प्रसाधन नियम 1945 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी संस्थान की ओर से होना चाहिए।"

अब महोदय क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता कब और कहां अनिवार्य पाई गई थी औषध और प्रसाधन अधिनियम 1940 पूरे क्षेत्र पर लागू होता है चाहे सामान का उपयोग इस देश में है या उसका निर्यात किया जाता है फिर भी केवल निर्यातों पर ही लागू किया गया है।

क्या मैं यह जान सकता हूं कि देश में इस अपराध की रोकथाम के लिए क्या-क्या निवारक और दमनकारी उपाय किए जायेंगे। क्या हम यह समझ लें कि भारतीय रोगी जिनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है, (चाहे सरकारी में या प्राइवेट में) उन्हें बहिरंग रोगी माना जाता है ; उनमें बहुत से गिनी-पिग है और वे पूर्णतया इन निर्माताओं की दया पर जीते हैं जो कि हर ढंग से पैसा कमाना चहाते है, अच्छे या बुरे सभी तरीकों से ?

इन परिस्थितियों में मेरा यह हद विश्वास है कि ऐसा व्यवहार करने वाली सभी निर्माणकर्ता अथवा निर्यातकर्ता फर्मों के नाम काली सूचि में दर्ज करने में पूरी सख्ती बर्तनी चाहिये।

दूसरे ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्हें राज्य स्तर पर अथवा केन्द्र स्तर पर दोनों माल का निर्माण करने वाली तथा निर्यात करने वाली फर्मों, के प्रभावी पर्यवेक्षण का काम सौंपा गया है सम्बद्ध अधिकारियों को कर्त्तव्यपालन में लापरवाही बरतने या सहापराधिता के लिए तत्परता से और सुमुचित ढंग से दण्डित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही अनिवार्य है जिससे कि कोई भी व्यक्ति या व्यवसायी फर्म भविष्य में राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय छवि की कीमत पर अपना ही स्वार्थ साधने का प्रयत्न न कर सके। मेरे ये विनम्र अपितु ठोस सुझाव है।

श्री खुर्शीद आलम खान : माननीय सदस्त ने जो गहन चिन्ता व्यक्त की है उसे में समझता हूं यह सच है कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, कुछ गलत प्रचार किया गया है, परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आस्ट्रेलिया में हमारे हाई-कमीशन ने बड़ी तत्परता से इस घटना की सूचना दी थी। यह सूचना समय पर भेजी गयी थी। इसी प्रकार जिनेवा में हमारे स्थायी मिशन से भी स्वास्थ्य मन्त्रालय को इस मामले के बारे में सूचना मिली थी इस सूचना के आधार पर तुरन्त कार्यवाही आरम्भ कर दी गई थी। आस्ट्रेलिया के व्यापार आयोग से भी हमारा सहयोग रहा है। 9 दिसम्बर को उन्होंने अपने देश के उन आयतकों के नामों के बारे में सूचना माँगी थी जिन्होंने भारत से आयात किया था, विशेषरूप से मैसर्स जेयर एण्ड कम्पनी से सर्जीकल ट्रेसिंग और अन्य सामग्री आयातित की थी। हमने सभी आवश्यक सूचना उनको दी। उस सूचना के आधार पर वे अपने देश में आयातकों का पता लगा सके और पास जो भी सामग्री थी उसे नष्ट करने के लिए उनसे ले लिया।

जहां तक निर्माताओं और मैसर्स जेयर एण्ड कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य को यह विश्ववास दिलाना चाहता हूं कि ब्रिटेन के बारे में सूचना मिलने से पूर्व ही कार्यवाही की जा चुकी थी। जेयर निर्यातकों को कोई भी वस्तु निर्यात करने से तुरन्त रोक दिया गया है इसी प्रकार मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि पश्चिम बंगाल के

24 परगना स्थित मैसर्स सुजीत एण्ड कम्पनी नाम के निर्माताओं के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई थी। वन्ध्यकरण के लिए आवश्यक सामग्री बनाने का उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और उनके अन्य लाइसेंसों को निलम्बित कर दिया गया है आगे जांच चल रही है। यहां मैं यह बता देना चाहूंगा कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि औषध और प्रसाधन अधिनियम 1940 एक केन्द्रीय अधिनियम है, परन्तु इसको लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है और प्रत्येक सरकार का अपना औषध नियन्त्रक होता है तथा इसलिए जब हमें यह सूचना मिली, और भारत के औषध नियन्त्रक को मिली तो इसे पश्चिम बंगाल के औषध नियन्त्रक को भेज दिया गया और उसे यह आदेश दिए गये कि तुरन्त कार्यवाही की जाए और इस संदूषण के लिए जो लोग जिम्मेदार पाये जाएं उन्हें कठोर दण्ड दिया जाए। इसके आधार पर निर्यातकों और निर्माताओं के यहां नमूने इकट्ठे किए गये । 9 नमूने भरे गये और उनकी जांच की गई। जिन 9 नमूनों की जांच की गई उनमें से सात नमूने संदूषित पाए गए और इसलिए यह कार्यवाही की गई अब तक गलत बात का प्रचार का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। परन्तु इसका प्रभाव हमारे टेक्सटाइल कोटे या अन्य निर्यात पर नहीं पड़ता है और इस बारे में हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। अब लाइसेन्स जारी करने की जिम्मेवारी औषध नियन्त्रक की है और लाइसेन्स जारी करने की शर्तें मोटे तौर पर इस प्रकार है :

(1) विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण के लिए स्वास्थ्यकर और पर्याप्त परिसर बनाए रखना,

(2) निर्माण प्रतिक्रिया के निरीक्षण हेतु पर्याप्त अर्हताप्राप्त तकनीकी कार्मिक नियुक्त करना एवं औषधियों के निर्माण के लिए अपेक्षित आवश्यक उपस्कर और उपकरण रखना; और

(3) उत्पादन में काम आने वाले कच्चे माल का परीक्षण करने के लिए और हर प्रकार के औषध निर्माण के परीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा परीक्षण इकाई निर्माण इकाई से स्वतन्त्र होनी चाहिये ।

मैसर्स सुजीत कम्पनी की अपनी स्वयं की परीक्षण प्रयोगशाला है। यह सच है कि जब पश्चिम-बंगाल के औषध नियन्त्रक के निरीक्षक ने इसका निरीक्षण किया तो उसको उसमें अपेक्षित मानक के अनुरूप वस्तुएं नहीं मिलीं ।

एक माननीय सदस्य : ऐसा तब हुआ जब लाइसेन्स दिए गए थे।

श्री खुर्शीद आलम खान : जब लाइसेन्स दिए गये थे तब औषध नियन्त्रक के निरीक्षक ने फैक्टरी और प्रांगण का निरीक्षण किया था और यदि उसकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होती तो पश्चिम बंगाल के औषध नियन्त्रक ने लाइसेन्स दिया होता। इसके अतिरिक्त लम्बे समय तक 5 या 6 वर्षों के लिए मैसर्स जेयर एक्सपोर्ट निर्यात करते रहे हैं, और यह पहला अवसर है कि इस प्रकार की शिकायत वाणिज्य मन्त्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के ध्यान में आई है और हमने तुरन्त कार्यवाही की है और विभिन्न राज्यों के औषध नियन्त्रकों को यह आदेश देते हुए सतर्क

कर दिया है कि लाइसेन्स जारी करने की सभी शर्तें लागू की जाएं और यह देखा जाए कि पूर्णतया लाइसेन्स की शर्तों के अनुरुप है। अन्यथा उनको इन वस्तुओं के निर्माण की अनुमति देना संभव नहीं होगा।

इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) यदि मैंने गलत नहीं समझा है तो ड्रेसिंग सामग्री घावों को खोलने के काम में लाई जाती है और वह संदूषित पाई गई थी, जिससे कोथ और धनुष-बाय हो सकती है। इन लोगों को अपराधी करार दिया जाए। उनके लाइसेन्सों को निलम्बित करने से क्या लाभ है ?

श्री खुर्शीद आलम खान : नियमों के अधीन लाइसेन्सों को रद्द किया जा सकता है और निलम्बित किया जा सकता हैं और इसी के साथ साथ कानूनी कार्यवाही करने का भी प्रावधान है और कोई भी व्यक्ति कानून की पकड़ से नहीं बच सकता।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं मन्त्री महोदय का उत्तर सुन रहा था, जिन्होंने इस विषय पर माननीय सदस्यों की चिन्ता को बिल्कुल ठीक समझा है। इसी के साथ ही साथ क्या मैं यह इन्गित कर सकता हूं कि उनके वक्तव्य में विरोधाभास है। जबकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से ड्रेसिंग सामग्री के आयात पर रोक लगा दी है, तब भी उनका कहना है हमारे टैक्सटाइल निर्यात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे विचार से यह परस्पर विरोधी वक्तव्य है।

सरकार ने विस्तृत वक्तव्य नहीं दिया है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है और यह आवश्यक है कि सदन को और अधिक सूचना दी जानी चाहिये थी। सरकार के ध्यान में यह मामला कब आया और क्या कार्यवाही की गई थी सरकार की ओर से कुछ कार्यवाही किए जाने के पश्चात क्या इस प्रकार के निर्यात की कोई पुनरावृत्ति हुई थी ? ये सब बात सदन में बताई जानी चाहिये थीं, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

मैं सरकार का ध्यान एक और गम्भीर स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। निर्यात सामग्री तो अच्छी होनी ही चाहिये। यदि उस सामग्री का यह हाल है तो, देश के अन्दर प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री की क्या स्थिति होगी? वह तो साफतौर से आवश्यक गुणवत्ता से भरपूर नहीं होगी। ब्रिटिश सरकार ने कुछ ड्रेसिंग सामग्री पर रोक लगा दी है क्योंकि उन्होंने पाया है कि इसमें केथी और धनुष-बाय आदि के कीटाणु हैं। हमारे देश में विभिन्न अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों तथा अन्य स्थानों में ऐसी ही सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। क्या सरकार ने देश के भीतर इस सामग्री के कुछ नमूने लिए हैं और उनका परीक्षण किया है ? क्या इसका किसी प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया था ? यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला और उसके बाद क्या सरकार ने देश में कोई कार्यवाही की है यदि हां तो क्या ? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार को इस सभा और देश को सन्तुष्ट करना चाहिये कि उन्होंने आवश्यक कार्यवाही की है।

मन्त्री महोदय ने केवल एक ही निर्यातक का नाम लिया है अर्थात मसर्स जेयर एक्सपोर्टस

तथा एक निर्माता का मैसर्स सुजीत एण्ड कम्पनी। मैसर्स जेयर एक्सपोर्टस निर्यातक हैं। क्या इस सामग्री का एक ही निर्माता है या इसके बहुत से निर्माता हैं ? क्या सरकार ने इस सामग्री के विभिन्न निर्माताओं के नमूने भरे हैं ? एक अन्य प्रश्न यह है कि क्या यह कुछ व्यवसायी प्रतियोगियों का कोई षडयन्त्र है, जिसमें कि ऐसी बातें हो रही है ? सरकार को इस बारे में विस्तृत जानकारी देनी चाहिये थी, इस सामग्री के कितने निर्माता हैं और क्या उनके द्वारा निर्मित सामग्री का परीक्षण किया गया था या नहीं।

इस सम्बन्ध में निर्यात संवर्द्धन परिषदों के कार्यचालन का प्रश्न भी बड़ा सटीक है ये परिषदें वाणिज्य मन्त्रालय के संगठन हैं एक आरोप यह लगाया जाता है कि स्वयं परिषद के ही एक निदेशक का हाथ देश से बहार जाने वाली दोयम दर्जे की सामग्री को पास करने में है और उसके विरुद्ध कुछ जाँच पड़ताल चल रही है यदि यह सच है तो मन्त्रालय को इस मामले के बारे में सभा को जानकारी देनी चाहिये।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सामग्री भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियों के अनुरूप थी ? जो भी सामग्री निर्यात के लिए हो, वह सभी अच्छे दर्जे की होनी चाहिये। यदि सामग्री भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियों के अनुरूप भी हो तो भी क्या निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा कठोर गुणवत्ता नियन्त्रण लागू रखने के लिए कोई नियमित निरीक्षण किया जाता है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जिस सामग्री के बारे में संदूषित होने के आरोप लगाए गए हैं इस पर भारतीय मानक संस्थान का चिन्ह लगा था और क्या उन्हें बाहर भेजने की अनुमति निर्यात संवर्द्धन परिषद ने परीक्षण करने के बाद दी थी। यदि यह सब किया गया था तो उसके बाद भी सामग्री को किस प्रकार संदूषित पाया गया ? क्या सरकार उन सभी सम्बद्ध अभिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिन्होंने इसका निरीक्षण किया था और निर्यात की अनुमति दी थी ? ये कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जिनका मैं मन्त्री महोदय से उत्तर चाहता हूं।

श्री खुर्शीद आलम खान : प्रथमतः मेरा माननीय सदस्य से विनम्र निवेदन है कि मेरे वक्तव्य में कोई विरोधाभास नहीं है इसके कारण टेक्सटाइल उद्योग पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। जहां तक निर्यात करने वाली कम्पनियों की संख्या का सम्बन्ध है, उनकी संख्या देश में लगभग 40 है। जब मैंने स्पष्टरूप से उल्लेख किया था कि इन निर्माता कम्पनियों की आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों सहित अपनी स्वयं की परीक्षण प्रयोगशालाएं होंगी। वास्तव में यह एक आन्तरिक प्रकार का प्रबन्ध होता है, जहां परीक्षण करना होता है यहां भारतीय मानक संस्थान के चिन्ह का तो प्रश्न ही नहीं उठता और न ही इसके परीक्षण या निरीक्षण के लिए कोई निर्यात संवर्द्धक परिषद उत्तरदायी है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं निर्यात संवर्द्धन परिषद का तो नाम ही निर्यात संवर्द्धन है, यह कोई निरीक्षण के लिए नहीं है। निरीक्षण करने का उनको ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। परीक्षण तो औषध और प्रसाधन नियम 1945 में दिए गए नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है अर्थात उन्हें अपनी स्वयं की प्रयोगशाला रखनी होगी और उस प्रयोगशाला में उन्हें परीक्षण का कार्य सम्पन्न करना होगा। पूरी सावधानी बरतने के लिए यह किया गया है कि भारत के औषध नियन्त्रक ने निर्माताओं के

यहां से परीक्षण हेतु नमूने एकत्र करने और यह देखने के लिए आया कि वे संदूषित है या नहीं, निर्देश जारी किए र । और सभी निर्माताओं को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने लाइसेन्सों की शर्तों का दृढ़ता से पालन करें और उनके मार्ग दर्शन के लिए जो शर्तें लगाई गई हैं उनका भी पालन करें ।

श्री मनोरंजन भक्त : मेरे प्रथम प्रश्न का जोकि अधिक महत्वपूर्ण है उत्तर नहीं दिया गया है । यह घरेलू उपभोग के बारे में है क्या सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री संदूषित होती है या अच्छी होती है, क्योंकि हमारी निर्यात सामग्री अच्छे दर्जे की होनी चाहिए देश में तो केवल घटिया किस्म की सामग्री ही प्रयोग में लाई जाती है ।

श्री खुर्शीद आलम खान : मैंने बताया है कि नमूने एकत्र किए गये थे, चाहे वे घरेलू उपयोग के लिए हो या निर्यात के लिए । परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि वे अच्छी गुणवक्ता को हो ।

श्री मनोरंजन भक्त : इस बीच उनका प्रयोग बन्द कर दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल परीक्षण के बाद ही ।

श्री खुर्शीद आलम खान : यदि परीक्षण के बाद उन्हें संदूषित पाया जाता है तो उनका प्रयोग बन्द कर दिया जायेगा । अन्यथा प्रत्येक सामग्री बन्द कर दी जायेगी तो चिकित्सक किसका प्रयोग करेंगे ?

श्री बी० वी० देसाई (जयपुर) : माननीय सदस्यों और सम्बद्ध मन्त्री महोदय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय पर विस्तार से चर्चा की है अब केवल यही प्रश्न रह गया है कि क्या सरकार वस्तुओं मदों की गुणवत्ता नियन्त्रण के प्रति वास्तव में ही सजग है, फिर चाहे वे निर्यात के लिए हो या घरेलू उपभोग के लिए । वास्तव में मैं अभी कुछ ऐसी मदों का उल्लेख करूंगा । जिन्हें विदेशी कम्पनियों ने रद्द किया है इन शल्य पट्टियों और अन्य औषधियों को ही नहीं, अपितु विदेशियों ने एक दम से अन्य कुछ वस्तुओं को भी रद्द किया है ।

वास्तव में, अभी हाल ही में मैं कुवैत गया था, जहां पर मैंने पाया कि इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स साफ इण्डिया ने भारत से इस्पात का निर्माण किया था—किसी निजी कम्पनी से नहीं, अपितु भारतीय इस्पात प्राधिकरण से और माल को एक दम से रद्द कर दिया गया था । यह वहां पड़ा था और वे किसी न किसी तरह से इसे खुले बाजार में बेचने का प्रयास कर रहे थे । इसी प्रकार उन्होंने सीमेंट की पूरी खेप को रद्द कर दिया था । अतः यह कोई औषधियों की ही बात नहीं है । औषधियों और पट्टियों की तो हमे बड़ी चिन्ता है, क्योंकि मानव शरीर पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है ।

श्री मान् इन्द्रजीत गुप्त ने न केवल लाइसेंसों का निलम्बित करने या रद्द करने का ही सुझाव दिया है अपितु उन्होंने यह भी कहा है कि न केवल निर्यात दुरुपयोग के लिए बल्कि आंत-

रिक उपभोग के लिए भी उनकी सप्लाई करने वाले अपराधियों के विरुद्ध दाण्डित कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु इसके अतिरिक्त गुणवत्ता निमन्त्रण का भी परिप्रेक्ष्य है, जिसे या तो केन्द्रीय सरकार पर इस आधार पर बड़े आराम से राज्य सरकार को हस्तान्तक्ति कर सकती है कि यह राज्य सरकार का विषय है या उसके विपरीत। अतः मुक्तभोगी तो उपभोक्ता ही होगा फिर चाहे वह भारत में हो या बाहर। क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत है, अतः किसी को भी यह पता नहीं होता कि ये पट्टियां या अन्य वस्तुयें कहां जायेंगी। परन्तु जब कोई वस्तु किसी विदेशी राष्ट्र की भेजी जाती है तो यह स्वाविक है कि हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में माननीय मंत्री का यह कथन सही नहीं है कि कुछ जिन्सों के बारे में अन्य सरकारों द्वारा व्यक्त विचारों से शेष मदों का निर्यात प्रभावित नहीं होता. जहाँ तक निर्यात का सम्बन्ध है, किसी राष्ट्र की प्रतिष्ठा उससे प्रभावित होती है। हमारे निर्यातक के बारे में अन्य राष्ट्रों के द्वारा व्यक्त बुरे विचारों हमारे निर्यात में अपनाये गये भ्रष्टाचार आदि अन्य बातों तथा निम्न कोटि के माल की पूर्ति से अन्य जिन्सों के हमारे निर्यात पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अतएव मैं यह जानना चाहूंगा कि, न केवल इस वस्तु के, बल्कि अन्य वस्तुओं की भी गुणवत्ता पर नियन्त्रण के लिए सरकार का सख्त कदम उठान का विचार है क्योंकि यह मामला माननीय मंत्री तथा इनके विभाग से सम्बन्धित है। जो वस्तु ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा सिंगापुर को निर्यात की गयी थी उसके बारे में मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल जाय एक्सपोर्ट तथा सुरजीत कम्पनी के नाम ही बताये हैं। जो माल ब्रिटेन. आस्ट्रेलिया तथा सिंगापुर को निर्यात किया गया है क्या वह इन्हीं दोनों कम्पनियों द्वारा भेजा गया था अथवा अन्य कम्पनियों ने भी भेजा था ? यदि इसमें अन्य कम्पनियां भी शामिल हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री खुर्शीद आलम खान : सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने इस मामले के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रश्न पूछने अपेक्षा माल के लदान से पहले उसकी जाँच पड़ताल का प्रश्न उठा दिया है। मैं इन सब बातों को विस्तार से नहीं जानना चाहता, परन्तु यहां मै एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। 1979-80 में निर्यात किये जाने वाले माल की 2.07 लाख मामलों में जहाज में लदान से पहले जाँच पड़ताल की गई थी और उसमें से लगभग 312 मामलों में विदेशी क्रेताओं ने माल को निर्यात के लिए अनुपयुक्त पाया। अतः इस बात की सराहना करनी होगी कि इतनी भारी संख्या में किये गये निरीक्षणों में केवल कुछ ही मदें निर्यात के लिए अनुपयुक्त पाई गयीं। अतः इस आधार पर यह सामान्य वक्तव्य नहीं किया जा सकता कि इससे हमारा निर्यात प्रभावित होगा।

माननीय सदस्य ने अन्य उत्पादकों के नाम जानने चाहे थे। तीन नाम और हैं। वे है 'मैसर्स बसीरहाट वीविंग इन्डस्ट्रीज' जॉय इन्डस्ट्रीज तथा आँरा इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें से भी मैसर्स बसीरहाट वीविंग इन्डस्ट्रीज बंद हो गई है। अतः हम वहां से माल के नमूने नहीं प्राप्त कर सके। शेष कम्पनियों से नमूने प्राप्त कर लिए गये हैं। तीसरी कम्पनी ने माल का उत्पादन नहीं किया परन्तु चाहे कुछ भी हो, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सभी जगहों से

जाँच के लिए जा रहे हैं। अतः कोई भी उत्पादक इससे नहीं बच पायेगा। उनके माल के नमूनों की जाँच की जायेगी और निश्चत रूप से यह देखा जाएगा कि वह जीवाणु रहित हैं अथवा नही।

उनका यह सुझाव है कि जाँच की जानी चाहिए। यह जाँच करने वाले अभिकरणों की जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि उनके पास इस प्रयोजन के लिए योग्यता एवं साधन नहीं है विशेषतया तब जबकि स्वयं निर्माण करने वाले कारखाने के परिसर में ही निरीक्षण गवं परीक्षण का प्रावधान है। अतः यह आवश्यक नहीं कि माल की जाँच निरीक्षण अभिकरण द्वारा की जाये जिसके पास इसके लिए न तो योग्यता है और न ही साधन हैं। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न राज्यों के औषधि नियन्त्रकों की जिम्मेदारी है कि वह देखें कि उत्पादनों की जाँच नियमों के अनुसार की, और मुझे विश्वास है कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा भारत में निर्मित प्राथमिक उपचार के मरहमपट्टी के सामान पर रोक लगाये जाने तथा उस सामान के जलाये जाने से भारतीय सामान के निर्यात पर पडा विपरीत प्रभाव है। यह पाया गया था कि यह सामान जीवाणुओं से दूषित था जिसके कारण टिटनेस आदि हो सकती है। यह भी मालुम हुआ है कि आस्ट्रेलिया की सात सरकारों द्वारा दिए गए संयुक्त वक्तव्व में इन वस्तुओं का ब्यौरा इस प्रकार दिया गया था : गोल लिपटी पट्टियाँ सोखने वाली पट्टियाँ लिनन की नरम पट्टियाँ, घाव पर बाँधने वाली पट्टियाँ, तिकोनी पट्टियाँ, सोखने वाली रुई तथा 'एक्सरे डिटेक्टेवल स्वैब, । अतः केवल शल्य चिकित्सा संबंधी पट्टियाँ ही नहीं बल्कि दूषित वस्तुओं में अन्य भी कई वस्तुऐं सम्मलित हैं। एसी भी सूचना है कि सिंगापुर में भी भारत द्वारा निर्मित पट्टियों को रद्द कर लिया गया। इस सरकार ने शल्य-चिकित्सा संबन्धी पट्टिया का पहले ही अस्वीकार कर दिया था। अतः भारतीय उत्पादको तथा निर्यातकों के इस प्रकार के कार्य-कलापों से भारत के नाम तथा ख्याति को धक्का पहुंचा है, और सरकार की बदनामी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सक्ता हूं कि सरकार इन दूषित वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात को बन्द करन के लिए तथा इनके स्टाक को अपने अधिकार में लेने के लिए क्या कार्रवाही करने का विचार रखती है ताकि यह वस्तुऐं स्वदेशी बाजार में भी आ सकें। क्या मंत्रालय इस बात से अवगत है कि सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपने देश में औषधियों की सभी दुकानों से भारतीय पट्टियों के भन्डार को वापिस लेन के विचार से तहतीकात आरम्भ की गई थी और क्या अभी हाल ही में आस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा भी इस प्रकार की पट्टियों को जीवाणुओं से दूषित पाया गया था और इन दूषित वस्तुओं के कारण और पट्टियों तथा अन्य सामान के भन्डार को वापिस लेने के कारण विशेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है ? इस प्रकार के अपराध को मद्दे-नजर रखते हुए भारतीय उत्पादकों के लाइसेंस रद्द करने या स्वीकार करने तथा निर्यात किये जाने वाले माल को रद्द करने के अतिरिक्त भारत सरकार का इस बारे में क्या कठोर दन्ड देने का विचार है ?

श्री खुर्शीद आलम खान : माननीय सदस्य ने लगभग उन्हीं प्रश्नों को दोहराया गया है जो उनसे पहले बोलने वाले सदस्य ने पूछे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पहले से ही दिया जा चुका है कि ऐसे प्रत्येक मामले में जहां कि सामान को दूषित अथवा निम्न स्तर का पाया जाता है सख्त कदम उठाये जायेंगे इस बारे में पहले ही विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं और औषधि सलाहकार समिति ने, जोकि एक सांविधिक समिति है, इस संबन्ध में जांच करने के लिए तथा मरहम-पट्टी के लिए आवश्यक अन्य वस्तुओं के स्तर के बारे मे सरकार को अपनी सिफारिशें देने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की है ।

जहां तक ब्रिटेन से जानकारी प्राप्त करने का संबन्ध है, मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे हाई कमीशन द्वारा दी गयी अन्तिम सूचना के अनुसार ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने वहां की संसद में एक वक्तव्य दिया है जिममें उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया है लेकिन यह कहा है कि कुछ ऐसी पट्टियां पाई गई हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि पट्टियां अधिक दूषित नहीं हैं। अतः मैं समझता हूं कि हमें एक दम से यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए और यह वहीं सोच लेना चाहिए कि इस देश में जिस भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उससे जहर-वेदा और टिटनेश जैसी बीमारियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि ये ऐसी छूत की बीमारियां हैं जिनके बारे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। परन्तु उनके वक्तव्य से ऐसा मालूम होता है कि वह इस बारे में निश्चित नहीं है कि जो प्रदूषण पट्टियों में पाया गया है वह वास्तव में ही ऐसा है जिससे इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है।

जहां तक प्रतिबन्धों और अन्य बातों का प्रश्न है, मैं इस संबन्ध में पहले ही एक माननीय सदस्य के प्रश्नों के उत्तर में कह चुका हूं और मेरा विचार है कि मैं इस संबन्ध में केवल इतना ही कह सकता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रेषित माल का भुगतान कौन करेगा ?

श्री खुर्शीद आलम खान : इस प्रकार के कुल लगभग दो करोड़ रुपये के सामान का निर्यात हुआ था। उसमें से ऐसे माल का मूल्य नगण्य है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या माल प्राप्त करने वाले ने कीमत का भुगतान कर दिया है। क्षतिपूर्ति कौन करेगा ? क्या मुआवजा दे सकते हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खान : हम किस प्रकार मुआवजा दे सकते हैं ?

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मन्त्री महोदय के वक्तव्य से मुझे मालूम होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही उस कम्पनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय निर्यात लाइसेंस रद्द ही क्यों नहीं कर देता ? वह इसको निलम्बित ही क्यों करते हैं ? उन्हें इस बारे में कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। क्या सरकार का विचार कम्पनी का निर्यात लाइसेंस रद्द करने का है ? इग्लैंड में उन्होंने दूषित सामान को जला दिया है। इस कम्पनी द्वारा देश के अन्दर जो माल बेचा गया है उनके बारे में आप क्या करेंगे ? क्या यहां भी सरकार वैसा ही

करेगी ? क्या इस सम्बन्ध में इग्लैंड अथवा किसी अन्य देश ने शासकीय तौर पर सूचना दी है अथवा इस बात की सूचना केवल समाचार-पत्रों के माध्यम से ही मिली है ; निर्यात का कार्य वाणिज्य मन्त्रालय के माध्यम से किया जाता है । निर्यात किये जाने वाले सामान के स्तर नियंत्रण का कार्य स्वास्थ्य मन्त्रालय करता है । इन बातों में अधिक तालमेल रखने के लिए क्या यह दोन बातें एक ही मन्त्रालय के अधीन नहीं लाई जा सकती । इस सम्बम्ध में सरकार का क्या विचारों है ? क्या सरकार का विचार इस प्रकार के अपराध को दंड संहिता के आधीन लाने का है ? यदि हां, तो ऐसा किस समय तक किया जायेगा ?

श्री खुर्शीद आलम खान : माननीय सदस्य का पहला सवाल तो यह है कि क्या हमें यह सूचना केवल समाचार पत्रों से ही मिली है अथवा शासकीय तौर पर भी मिली है मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमें यह सूचना इग्लैंड और आस्ट्रेलिया स्थित हमारे हाई कमीशनों से मिली है और उन्हें यह सूचना ब्रिटिश सरकार के विदेश मन्त्रालय से प्राप्त हुई है । तत्पश्चात हमें यह सूचना समाचार पत्रों से भी प्राप्त हुई ।

जहां तक कि स्वास्थ्य मन्त्रालय और वाणिज्य मन्त्रालय में तालमेल का सम्बन्ध है जैसे ही हमें यह सूचना मिली दोनों मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों की एक सयुक्त बैठक बुलाई गयी और ऐसा प्रबन्ध किया गया कि किसी योग्य प्रयोगशाला से विशेष प्रमाण पत्र मिलने से पहले कोई भी निर्यात नहीं किया जा सके । इस बीच स्वास्थ्य मन्त्रालय के औषधि नियंत्रक मे राज्यों के औषधि नियंत्रकों को ऐसे इस मामले में कठोर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये जिससे कि स्तर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सकें । इस सब में तालमेल है और कोई समस्या नही है । जैसा कि मैंने शुरू में कहा है इस बारे में प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और निर्देश जारी किए गए हैं, जहां तक शल्य चिकित्सा सम्बन्धी सामान का सवाल है प्रत्येक उत्पादक को जाँच करने के लिए एक सुरक्षित प्रयोगशाला कायम करनी पड़ती है । प्रशासकीय नियंत्रण तथा नियमों और विनियमों को लागू करना राज्य के औषधि नियंत्रक तथा उसके निदेशालय का काम है ।

"अंकटाड" में वस्तुओं के लिये संयुक्त निधि स्थापित करने हेतु किये गये करार पर भारत की सहमति के बारे में वक्तव्य

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी : प्राथमिक वस्तुएं विकासशील देशों की अर्थ व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । अधिकांश निर्यात आय उनसे प्राप्त होती है । तथापि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से वस्तुओं के बाजार ढ़ाचे कमजोर हैं । अधिकांश वस्तुओं की कीमतें न केवल अस्थिर हैं बल्कि मन्दी भी रहती है । विकासशील देशों का आम तौर पर उनकी प्रोसैसिंग और विपणन पर कोई नियन्त्रण नहीं है ।

नैरोबी में 1976 में अंक्टाड-4 के दौरान वस्तुओं की समस्याओं के हल करने के लिये एक बड़ी पहल की गई जबकि वस्तुओं के सम्बन्ध में समन्वित कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्यो में शामिल हैं वस्तुओं के व्यापार में स्थिर दशायें बनाना और निर्यात आय में वृद्धि करके विकासशील देशों की बास्तविक आय में सुधार करना और उसको बनाये रखना।

समन्वित कार्यक्रम में 18 वस्तुएं आती हैं और उसमें ऐसी कई वस्तुएं शामिल हैं जिनमें भारत की काफी रुचि है जैसे काफी, रुई, सरत रेशा और उत्पादन, लौह अयस्क, पटसन तथा उत्पादन, चीनी चाय और वनस्पति तेल। कार्यक्रम में अलग अलग वस्तुओं के बारे में कई अन्तर्राष्ट्रीय वार्ताओं की व्यवस्था है ताकि विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय उपायों के बारे है करार किए जा सकें समन्वित कार्यक्रम की मुख्य बात है कीमत स्थिरीकरण और साथ ही अन्य उपायों को वित्त व्यवस्था के लिये सामान्य निधि अंक्टाड के तत्वावधान में लम्बी बातचीत के बाद जून, 1980 में "वस्तुओं के लिये सामान्य निधि की स्थापना करने वाले करार" के पाठ को अन्तिमरूप दिया गया। निधि की सीधे अंशदान पूंजी के कम से कम दो-तिहाई भाग अंशदान करने वाले 90 राज्यों के अनुसमर्थन या स्वीकृति के पश्चात यह करार लागू हो जायेगा।

करार में व्यवस्था है कि निधि को दो खातों में बांटा जायेगा। पहले खाते का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु करारों के ढ़ाचें के भीतर बफर स्टाक की व्यवस्था करने के लिये किया जायेगा दूसरे खाते का उद्देश्य है अनुसंधान और विकास, उत्पादन में सुधार, विपणन आदि जैसे वस्तु विकास उपायों का संवर्धन करना।

निधि में लगभग 47 करोड़ अमरीकी डालर की सीधी अंशदान पूंजी होगी। 47 करोड़ अमरीकी डालर की सीधे अंशदान पूंजी में से 40 करोड़ अमरीकी डालर की राशि दूसरे खाते के लिये होगी। दूसरे खाते में स्वैच्छिक अंशदानों के जरिये और अनुपूर्ति की जायेगी जिसके लिये 28 करोड़ अमरीकी डालर का आरम्भिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

लगभग 47 करोड़ अमरीकी डालर की सीधे अंशदान पूंजी में भारत का अंश 24.4 लाख अमरीकी डालर बनता है। इसके अलावा भारत में दूसरे खाते के लिये 50 लाख अमरीकी डालर क स्वैच्छिक अंशदान करने का वचन दिया है।

विकासशील देशों के सामने आने वाली समस्याओं को निपटाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के क्षेत्र में यह करार एक कदम है।

सामान्य निधि की स्थापना से भारत और अन्य विकासशील देशों द्वारा जो कदम उठाये जाएंगे वे अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु करारों या निकायों के लिये वार्ताओं के सफलतापूर्व पूरे होने पर निर्भर करेंगे। आशा है कि इस निधि की स्थापना से उन प्रयासों को प्रोत्सहन मिला।

हमने इस करार में पक्षकार होने का निश्चय किया है । करार की प्रतियां माननीय सदस्यों के संदर्भ के लिये संसद पुस्तकालय में रख दी गई है ।

———

भूमिगत रेल (सकर्म-सनिर्माण) संशोधन विधेयक

रेल मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं श्री केदार पांडे की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भूमिगत रेल (संकर्म-सनिर्माण) अधिनियम 1978 में संशोधन करने वाले विधेयक के प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान को जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

> "कि भूमिगत रेल (सकर्म-निर्माण) अधिनियम 1978 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सी० के० जाफर शरीफ: मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

———

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): मैं श्री राव वीरेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, कि

> "वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

———

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले लिये जायेंगे श्री सत्यनारायण जटिया ।

श्री सूरज भान (अम्बाला) महोदय, उनको खड़े होकर पढ़ने में कोई कठिनाई हो रही है कृपया उनको बैठकर पढ़ने की अनुमति हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है वास्तव में मैं स्वयं ही उनको यह कहना चाहता था । वह बैठकर पढ़ सकते है ।

श्री एन० के० शेजवालकर (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय को यहां पर आना चाहिय क्योंकि यह मामला एक सदस्य के विशेषाधिकार से सम्बन्ध रखता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य पढ़ा जाने दीजिए ।

श्री एन० के० शेजवालकर : वक्तव्य के बाद उन्होंने फौरन घोषणा करनी है ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बसीरहाट) : यह वक्तवय नियम 377 के अन्तर्गत क्यों दिया जा रहा है ।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय ने अपने कक्ष में वचन दिया था कि वक्तवव्य पढ़ा जाने के फौरन बाद वह घोषणा करेंगे वह अभी आये है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें नियम 377 के अन्तर्गत अपना वक्तव्य पढ़ने दीजिये ।

श्री एन० के० शेजवालकर : महोदय यह नियम 377 के अन्तर्गत नहीं हो सकता । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लेने दीजिए, आप क्यों) चिंता करते हैं ?

श्री इन्द्रजीय गुप्ता : इसका सम्बन्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव से हैं । यह नियम 377 के अन्तर्गत नहीं हो सकता । इस पर फौरन ही कोई कार्यवाही की जानी है ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सूरज भान : माननीय अध्यक्ष जी, श्री सत्यनारायण जटिया को इजाजत है बैठकर पढ़ने की ?

अध्यक्ष महोदय : हां, हां, बैठकर पढ़ सकते हैं ।

(एक) 15 दिसम्बर, 1981 को उज्जैन में पुलिस द्वारा श्री सत्यनारायण जटिया पर कथित हमला

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त वेदना से पीड़ित हो अपना वक्तव्य उस समय दे रहा हूं जब कि मध्य प्रदेश की विधान सभा का रजत जयन्ती समारोह, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में आपने सुशोभित किया तथा जिस विधान सभा का सदस्य रहने का मुझे भी मोका मिला है, उसी मध्य प्रदेश में समारोह के दो दिन पूर्व 15 दिसम्बर को प्रजातंत्र में जनता के प्रतिनिधि के साथ कैसा सलूक किया गया उसी का ब्योरा सिलसिलेवार में सदन के समक्ष कर रहा हूं ।

मान्यवर, उज्जैन की दो कपड़ा मिलें—विनोद तथा विमल टैक्सटाइल्स—में 8,000 से अधिक मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं । किन्तु अगस्त, 1981 से ये मिलें लगातार नहीं चल रहीं हैं तथा 8 नवम्बर, 1981 से बन्द हो गई हैं । इसके कारण 8,000 मजदूर, कर्मचारी और उन पर आश्रित 50,000 लोग इन मिलों के बन्द हो जाने के कारण प्रभावित हुए हैं ।

मैं उज्जैन लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचित जनता का प्रतिनिधि हूं । अतएव यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इन हजारों की संख्या में बेरोजगारी से प्रभावित लोगों को मिलों को चलवाने की कोशिश कर इनकी वाजिब मदद करूं । इस हेतु मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री, श्री अर्जुन सिंह से उनके उज्जैन आगमन पर तथा भोपाल में व्यक्तिगत रूप से मिलकर मिलों को अविलम्ब चलाने हेतु आग्रह किया । लोग सभा के वर्तमान सत्र में 1 दिसम्बर, 1981 को नियम 377 के अन्तर्गत सदन को सदस्या से अवगत करवाया । इतना ही नहीं तो इसके पूर्व पिछले सप्ताह शुक्रवार को विगत सप्ताह की कार्यसूची में इस विषय को सम्मिलित करने का निवेदन लोक सभा में व्यक्त किया । मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन संसद भवन में स्थित उनके कमरे में जाकर इस समस्या से अवगत करवाया, जिसे हमारे माननीय अध्यक्ष ने सहानुभूतिपूर्वक सुना ।

दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 शुक्रवार को सायं साढ़े पांच बजे आयातीत चीनी के प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा में मैंने हिस्सा लिया और सदन की कार्यवाही चलने तक में लोक सभा में था । दूसरे दिन शनिवार को तथा रविवार को चूंकि सदन का अवकाश था, मैं इन दो दिनों के लिये उज्जैन गया । वहां मिलों के मजदूरों ने मुझे 15 दिसम्बर तक उज्जैन में हीं रुके रहने का आग्रह किया । 12, 13, 14 दिसम्बर को अपने लोक सभा क्षेत्र में जनसम्पर्क किया । इन मजदूर परिवारों की आर्थिक विपन्नता को देखा । महिलाओं के जेवर, घर के बर्तन बेच कर गुजारा करने के हालात सुने । 15 दिसम्बर को मजदुरों के आव्हान पर "उज्जैन बन्द" के दौरान प्रातः एक मजदूरों की "रैली" को मैंने संशोधित किया । इसके बाद उनकी मांगों को केन्द्र सरकार तक पहुंचाया जाय, इस हेतु एक सांकेतिक प्रदर्शन रेलवे पर किया गया । प्रदर्शन के उपरान्त चूंकि यह सार्वजनिक तौर पर अन्तिम कार्यक्रम था इसके उपरान्त यथाशीघ्र मैं लोक सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली लौट जाना चाहता था । उस समय मेरे साथ श्री हरिवल्लभ बंसल,

श्री राजेन्द्र रघुवंशी, श्री रामेश्वर गहलौद तथा श्री किशोर लश्करी थे। हम स्टेशन के प्लेट फार्म नं० 1 पर थे तथा स्टेशन से बाहर की ओर जा रहे थे। रेलवे पुलिस थाने के पास उज्जैन जिला पुलिस अधीक्षक श्री एच० पी० सिंह ने मुझे न सुनते हुए मेरे दोनों हाथ पकड़ कर चिल्ला कर पुलिस कर्मियों को मेरे ऊपर लाठी चलाने का निर्देश दिया। पहला प्रहार मेरे सिर पर किया, दूसरा मेरी दाहिनी जांघ पर तथा तीसरा मेसे बांये पांव व घुटने के नीचे, जिसके कारण मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे साथ चल रहे व्यक्तियों पर जो मुझे बचाने दौड़े और मुझे बचाने के लिए ढक लेना चाहते थे···उनको तथा मुझे काफी चोटें आयीं। मेरे सिर में, दांये-बांये दोनों हाथों में, दाहिने हाथ की कोहनी पर, दाहिने हाथ की जंघा पर घुटने और टखने पर लाठी के प्रहार किये गये। मेरे बांये पांव के आगे के हिस्से पर प्रहार के कारण खून बह निकला। मुझे पूरे तौर पर घायल कर दिया। मैंने पुलिस अधीक्षक से अपनी बात कहनी चाही, किन्तु सुनना तो दूर रहा, अपशब्दों और अभद्रतापूर्वक कहा—बदमाश—गुन्डे कहीं के नेतागिरी करता है। तेरी नेतागिरी अभी ठिकाने लगा देता हूं। कमीने, हरिजन कहीं के संसद-सदस्य बन गया तो अपनी औकात भूल गया। उसने डंडों से मेरे शरीर को घायल किया, किन्तु उसके अपमान और तिरस्कार के नफरत भरे शब्दों ने मेरी आत्मा को छलनी बना दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, व्यक्तिगत रूप से मैं काफी आहत हूं। बिना किसी आदेश के जबकि जिलाधीश उज्जैन रेलवे पुलिस थाने में थे, मुझे रोके रखने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। एक घन्टे तक पुलिस ने मुझे प्लेट फार्म पर ही बलपूर्वक रोके रखा, मेरा मजाक उनाते रहे और मैं सहता रहा। एक घन्टे के उपरान्त भी जब कोई आदेश मुझे नहीं दिया, किसी तरह परेशान होकर में उनके इस घेरे से बाहर आया। स्टेशन के बाहर फिर मुझे पुलिस द्वारा घेर लिया गया और तब जबरन मुझे जेल में भेज दिया गया। जेल मे मुझे कैदियों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां जेल के डा० श्री पटवर्धन ने जांचकर प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद मुझे 15-12-81 को रात्रि में रिहा किया गया।

दिनांक 16-12-81 को रेलवे पुलिस थाने पर लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाने जब श्री राजेन्द्र शिंदे को भेजा तो रिपोर्ट लेने से इन्कार कर दिया। बाद में रेलवे पुलिस अधिकारी ने अपने अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के उपरान्त रिपोर्ट ले ली। पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति मेरे पास है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस अधीक्षक श्री एच० पी० सिंह ने बलपूर्वक मुझे रोके रखा, मुझे अपमानित किया और बार-बार घेरकर प्राणघातक चोटें पहुंचायीं। मुझे लोक-सभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया। मेरे शरीर के जख्म तो मैं सहन कर रहा हूं, किन्तु मेरी आत्मा आहत है। मैं इस सदन से तथा सदन के प्रमुख के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि—

1- उक्त पुलिस अधिकारी के विरुद्ध, जिसने मुझे तथा मेरे मर्म को जख्मी तो किया ही है, मुझे लोक-सभा में लोक प्रतिनिधित्व करने के कर्तव्य के निर्वहन से वंचित किया है, अतएव

इस सम्बन्ध में अविलम्ब न्याय दिया जाये, जिससे भविष्य में जन-प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की वीभत्स और अन्यायपूर्ण कार्यवाही करने का कोई दुःसाहस न कर सकें ।

2- उक्त स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावी पुलिस अधिकारी मुझे, मेरे परिवार को तथा मेरे साथियों को जिनका नाम इस वक्तव्य में दिया गया है, और अधिक क्षति पहुंचाने का कोई षडयन्त्र न कर दें, इस हेतु मुझे, मेरे परिवार तथा मेरे साथियों को पूर्ण सुरक्षा, संरक्षण तथा अभय प्रदान किए जायें ।

इसके साथ ही अन्त में मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मन्त्री से यह आग्रह करना चाहूंगा कि विनोद व विमल मिल के हजारों मजदूरों की बेरोजगारी समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार मिलों को तत्काल अधिग्रहीत कर राहत प्रदान करे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, सदन से मांग करता हूं कि कृपया इस प्रकरण को प्रिविलेजेज कमेटी, विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाए । संयोग से मैं यहां पर मौजूद हूं, यदि मैं यहां नहीं आता तो ऐसे समय में लिखित वक्तव्य को भी स्वीकार करेंगे, ऐसा भी मेरा निवेदन है । इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया ।

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : महोदय, यह एक गम्भीर बात है और हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए । अन्यथा इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी सदस्य को सदन में आते या जाते समय, उसका कर्तव्य निभाते समय उत्पीड़ित करना अथवा रोकना सदस्य के विशेषाधिकार का हनन और सदन की अवमानना करना है । इसी प्रकार से किसी सदस्य को संसद में उसके व्यवहार के लिए उत्पीड़ित करना विशेषाधिकार का हनन है । मुझसे पहले मेरे माननीय साथियों का भी यही विचार था कि किसी ऐसे कार्य के लिए जो कि संसद से सम्बन्धित नहीं हो, सदस्य को उत्पीड़ित करना अथवा दुर्व्यवहार करना, सरकारी अधिकारियों तथा पुलिस द्वारा अशिष्ट व्यवहार आदि मामले विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आते और इस प्रकार की शिकायतें सदस्यों द्वारा सीधे मन्त्री से की जानी चाहिये ।

तथापि इस सम्बन्ध में मैंने यह पाया है कि तथ्यों के बारे में सरकार का विचार श्री सत्यनारायण जटिया द्वारा सदन में दिए गए विचारों से भिन्न है । अतः इस मामले के विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति को सौंपे जाते पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

विशेषाधिकार का प्रश्न

उज्जैन में पुलिस द्वारा श्री सत्यनारायण जटिया पर कथित हमला

श्री सूरज भान (अम्बाला) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री सत्यनारायण जटिया द्वारा सभा में दिए गए वक्तव्य, जो 15 दिसम्बर, 1981 को उज्जैन में उन पर पुलिस द्वारा प्रहार से सम्बन्धित है, के मामले को विशेषाधिकार समिति को विचार करने तथा रिपोर्ट करने के लिए भेजा जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री सत्यनारायण जटिया द्वारा सभा में दिए गए वक्तव्य, जो कि 15 दिसम्बर 1981 को उज्जैन में उन पर पुलिस द्वारा प्रहार से सम्बन्धित है, के मामले को विशेषाधिकार समिति को विचार करने तथा रिपोर्ट करने के लिए भेजा जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 377 के अधीन मामले

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

(दो) दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों में कन्नड़ गीतों को शामिल करना

*** श्री ओस्कर फर्नान्डीस** (उदीपी) : क्षेत्रीय चित्रहार, दिल्ली दूरदर्शन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के गाने तथा दृश्य दिखाये जाते हैं। दुर्भाग्यवश, इस कार्यक्रम में कुछ क्षेत्रीय भाषायों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है पिछले एक वर्ष से कन्नड़ भाषा का एक भी गाना क्षेत्रीय चित्रहार में शामिल नहीं किया गया।

जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में कन्नड़ भाषा-भाषी रह रहे हैं। यह स्पष्ट है कि उनकी ऐसे किसी कार्यक्रम में जो कि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों के समरूप हो, काफी दिलचस्पी है। जहां तक कन्नड़ भाषा की फिल्मों के स्तर का प्रश्न है, ऐसी कन्नड़ फिल्मों की संख्या काफी है जिन्हें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और और जो अपने उत्तम संगीत के लिए प्रसिद्ध है उनमें से कुछ गाने तथा दृश्य इस कार्यक्रम के लिए चुने जा सकते हैं जिससे न केवल कन्नड़ भाषा-भाषी व्यक्तियों का मनोरंजन होगा अपितु इससे सारे संगीत प्रेमी भी प्रसन्न होंगे।

इसलिए मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह इस तरफ ध्यान दें और इस कार्यक्रम में कुछ कन्नड़ गीतों और फिल्मों के दृश्यों को शामिल करवायें।

(तीन) विदेशों से स्टेनलेस स्टील के आयात में कथित कदाचार

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) हजारों टनों की तादाद में स्टेनलेस स्टील विदेशों से गलत

---

* कन्नड़ में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का रूपन्तर।

नाम से जैसे डिफेक्टिव सर्कल व फेब्रिकेटेड आइटम्स जैसे एंगल व चैनल इत्यादि के रूप में आ रहा है जिससे सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हो रही है डिफेक्टिव सर्कल अन्य दूसरे आइटम्स पर 40 प्रतिशत कस्टम्स ड्यूटी लगती है। जबकि स्टेनलेस स्टील सीटों पर 225 प्रतिशत ड्यूटी लगती है। इस प्रकार 185 प्रतिशत ड्यूटी की चोरी दिन दहाड़े हो रही है। इसके अलावा बिल कम रेट से वन कर जाते हैं जिससे ड्यूटी की चोरी होती है इस तरह हजारों टन माल गलत तरीकों से आने से देश की छोटी-छोटी इकाइयों का भविष्य खतरे में पड़ गया है व उनका माल खरीदने वाला कोई नहीं रहा।

यही नहीं स्टेनलेस स्टील सीटों को काला रंग करके काली सीट विदेशों से मंगाई जा रही है जिस पर 40 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती है। इस तरह भी काफी तादाद में माल बम्बई आ रहा है व सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हो रही है ।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)।

इन सब लोगों की जांच कराई जानी चाहिए तथा जो माल विदेशों से इस प्रकार आया है उस पर पूरी ड्यूटी यानी 225 प्रतिशत वसूल की जाय। आगे के लिए यह घटना दुबारा न हो सके इसके लिए स्टेनलेस स्टील की हर तरह की किस्म पर ड्यूटी 225 प्रतिशत की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह का घपला दोबारा न हो सके। बिल ठीक रेट पर बन कर आयें इसके लिए स्टेनलेस स्टील के सब आइटमों का फ्लोर प्राइस फिक्स किया जाना चाहिए।

(चार) तमिलनाडु के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्ध स्कूलों के छात्रों की समस्याएं -

** **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** (तिरुनेलवेली) : तमिलनाडु में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध कई विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी कतिपय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उच्चतर माध्यमिक पाठ्य क्रम पूरा करने के पश्चात जब ये विद्यार्थी बी० ए०, बी० एस० सी०, एम० बी० बी० एस० में प्रवेश लेना चाहते हैं तब उन्हें कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पडता है। तमिलनाडु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों के विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हैं। परन्तु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थी कम अंक प्राप्त करते हैं। हमने जब इसके कारणों का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उत्तर पुस्तिकाओं को जाँचने की पद्धति इसका कारण है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों का उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने की पद्धति अन्य विद्यालयों से भिन्न है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच सख्ती से की जाती है। चूंकि वे० मा० शि० बो० के विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए 11वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अन्य विद्यालयों में 12वीं कक्षा के लिए जाते हैं। के० मा० शि० बोर्ड के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या घटना

** तनिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

स्वाभाविक है कला महाविद्यालयों तथा अन्य व्यावसायिक महाविद्यालयों में 85 प्रतिशत से 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता है। उच्च प्रतिशत अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से के० मा० शि० बोर्ड के विद्यार्थी अन्य विद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं। सामान्यत: के० मा० शि० बोर्ड के विद्यार्थियों का स्तर श्रेष्ठ है। परन्तु जब आप सार्वजनिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की ओर देखेंगे तो पाएंगे कि के० मा० शि० बोर्ड के विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। जिसके फलस्वरूप बी० ए०, बी० एस० सी०, एम० वी० बी एस० आदि में उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता है। हाल ही में के० मा० शि० बोर्ड के विद्यालयों के विद्यार्थियों के माता-पिता ने बोर्ड के अध्यक्ष से अपील की है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच उदारता से की जाए। अन्यथा उच्च शिक्षा सस्थाओं में के० मा० शि० बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए जांए अथवा केन्द्रीय सरकार को के० मा० शि० बोर्ड के लिए अलग से महाविद्यालय चलाने चाहिए। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिन्तित माता-पिता की उचित अपील का मैं समर्थन करता हूं।

(पांच) नेवेली लिगनाइट निगम के लिए भूमि का अधिग्रहण किये जाने के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) नेवेली लिगनाइट निगम की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी।

यह एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। तमिलनाडु स्थित उद्योगों की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति में ताप विद्युत और कोयला मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त यह 18,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है तथा उर्वरकों की मांग पूरी करता है।

इस विशाल परियोजआ की स्थापना के लिए 13 गांवों का अधिग्रहण किया गया था। भूमि अधिग्रहण के समय विस्थापित व्यक्तियों को परियोजना में नौकरी देने तथा कृषि योग्य भूमि और मकानों का उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था। परन्तु विस्थापित व्यक्तियों को दिए गए आश्वासन को नेवेली लिगनाइट निगम ने पूरा नहीं किया। अब भी लगभग 2,500 विस्थापित व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें 25 वर्ष का समय बीत जाने पर भी नौकरी नहीं दी गई है। विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, मेरे बिचार में तमिलनाडु सरकार ने चार प्रकार का वर्गीकरण कर रखा है। जिन लोगों के मकानों का अधिग्रहण किया गया है, वे पहले वर्ग में आते हैं। जिन लोगों के मकान और भूमि का अधिग्रहण किया गया है तीसरे वर्ग में तथा जिन लोगों की भूमि का आंशिक रूप से अधिग्रहण किया गया है वे चौथे वर्ग में आते हैं। रोजगार देने हेतु इस तरह प्राथमिकता देने का यह वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण और असंगत है क्योंकि जिन लोगों की भूमि और घर दोनों का अधिग्रहण किया गया है उन्हें प्रथम वर्ग में रखा जाना चाहिए क्योंकि उनकी आय का मुख्य साधन यही है। जिन लोगों ने अपनी सम्पूर्ण भूमि छोड़ दी है, उन्हें दूसरे वर्ग में रखा जाना चाहिए जिन लोगों की भूमि का आंशिक रूप से अधिग्रहण किया गया है उन्हें तीसरे वर्ग में रखा जाना चाहिए तथा जिन लोगों को केवल अपने मकान देने पड़े हैं उन्हें चौथे वर्ग में रखा जाना चाहिए।

गलत वर्गीकरण के कारण विस्थापित तथा प्रभावित लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया भूमि के अधिग्रहण के समय भू-स्वामियों को दिया गया मुआवजा बहुत थोड़ा है इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देता हूं एक व्यक्ति की 4 एकड़ भूमि के लिये 3 से 641-80 रुपए की छोटी सी राशि दी गई है यह मुआवजा बहुत ही असंगत और अपर्याप्त है ।

उपर्युक्त बातों के संदर्भ में मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वह

(एक) रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले से किए गए वर्गीकरण का पुन: वर्गीकरण करायें ।

(दो) विस्थापित व्यक्तियों को बाजार कीमत को ध्यान में रखकर उचित मुआवजा प्रदान करायें, और

मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री से आगे यह भी आग्रह करता हूं कि वह विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा देने तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा पुनर्वास योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने हेतु उचित कदम उठाए ।

कम से कम माननीय मन्त्री प्रत्येक विस्थापित परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए एक निर्देश जारी करने के बारे में तो विचार कर सकते हैं ।

(छ:) पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी जंक्शन पर डीजल पी० ओ० एच० वर्कशाप का बन्द होना ।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :

मजदूर संघों, संगठनों, विधान सभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों सहित विशिष्ट नागरिकों और विशेश रूप से पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी जंक्शन पर डीजल पी० ओ० एच० वर्कशाप बन्द होने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

यद्यपि विश्व बैंक के ऋण तथा उसके मार्गदर्शन के अधीन वर्कशाप के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों की मुझे जानकारी है । परन्तु यह कभी भी नहीं बताया गया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्कशायों का बन्द किया जाना भी सम्मिलित होगा । यह स्वयं भारतीय रेलवे के विकास के लिए हानिकार सिद्ध होगा क्योंकि इस शेड को बनाने के लिए व्यय की गयी पूंजी केवल निरर्थक व्यय सिद्ध होगी ।

अजमेर में पी० ओ० एच० कार्यचालन की दृष्टि से व्यावहारिक है परन्तु तिनसुखिया से अजमेर और वापस की दूरी इसमें सम्मिलित कर देने से रेलवे की अर्थ व्यवस्था की कमर टूट जाएगी । जहां तक मैं जानता हूं कि किसी भी इन्जन को पी० ओ० एच० के रास्ते किसी

गाड़ी में एक वेकार इन्जन के रूप में लगा नहीं रहने दिया है। इसके कार्य करने की योग्यता की जांच कार्यरत शेडों पर की जाती है और एक इन्जन द्वारा गाड़ी खींचने से पूर्व यह जांच आवश्यक समझी जाती है।

वजट भाषण में रेल मंत्री ने जिस प्रकार बिल्कुल स्पष्ट रूप से लाइन परिवर्तन का विरोध किया था उससे यह आशा की जा सकती है कि पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर सीमान्त रेलवे में छोटी लाइन कुछ और समय तक चलती रहेगी। पूर्वोत्तर रेलवे में जहां उन्हें कोई अनुभव नहीं हैं, एक नया डीजल शेड खोलने के निर्णय से यह बात सिद्ध हो जाती है। मैं नहीं जानना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर और उत्तरी सीमान्त रेलवे के लगभग मध्य में सिलीगुड़ी में स्थित पी० ओ० एच० वर्कशाप इन दो रेलवे के डीजल इन्जनों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों नहीं कर सका।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हुं कि सिलीगुड़ी जंकशन स्थित डीजल पी० ओ० एच० वर्कशाप का बन्द किया जाना कर्मचारियों के लिये अनुचित है इससे भारतीय रेलवे के कार्य तथा अर्थव्यवस्था में और कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाए।

मैं मांग करता कि सम्बन्धित मन्त्री इस सम्बन्ध में सभा में एक वक्तव्य दें।

(सात) दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में शान्ति स्थापित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पन्सकुरा) : मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्नलिखित वषय उठाती हूं,

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर, जो अपनी माँगों के समर्थन में शनिवार 19 दिसम्बर के एक बजे से शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, रविवार, 20 दिसम्बर की सुबह को लाठी चार्ज किया गया तथा दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन (आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध) के 12 नेताओं को, जिनमें कार्यकारिणी के तीन सदस्य भी सम्मिलित थे, गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों विद्यार्थियों तथा अध्यापकों ने मिलकर 21 तारीख को लाठी चार्ज और गिरफ्तारी के विरुद्ध तथा कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में हड़ताल की।

कर्मचारियों की मांग बहुत ही उचित और न्यायसंगत हैं। इनमें विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की मांग, चूंकि कार्य बहुत बढ़ गया हैं और 1962 से कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की माँग, मकान किराये भत्ते में वृद्धि अथवा मकान उपलब्ध कराने की मांग अखिल भारतीय अध्यापक मांग दिवस 23 नवम्बर को उनके द्वारा हड़ताल में भाग लेने के कारण वेतन में की गई कटौती को बहाल करने की माँग सम्मिलित हैं।

यह बड़े खेद की बात है कि विश्वविद्यालय अधिकारियों ने बातचीत द्वारा समझौता करने की बजाय कर्मचारियों को पुलिस से लड़वाने का रास्ता अख्तियार कर लिया है।

यह सौभाग्य की बात है शिक्षा मंत्री यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आशा है वह सभी गिरफ्तार कर्मचारियों को छोड़ने के बाद उचित समझौता करने के लिए बातचीत आरम्भ करने हेतु तत्काल कदम उठायेगी ताकि परिसर में शान्ति स्थापित की जा सके।

(आठ) **जनगणना विभाग के कर्मचारियों की प्रमाणित छंटनी के बाद उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिए जाने की आवश्यकता।**

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन भारतीय अस्थाई जनगणना कर्मचारी महासंघ के समस्त 27,200 कर्मचारियों, जिन्होंने 1981 की जनगणना के सारणीथन (टेबुलेशन वर्क) में भाग लिया था तथा जो उन कार्यों के लिए अस्थाई रखे थे, कि समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :

इन कर्मचारियों को मात्र 300-330 रुपये व 280 रुपये स्थिर वेतन विभिन्न श्रेणियों में मिलता है। इनके द्वारा प्रदत्त आँकड़ों पर ही भारत का योजना मत्रालय अपनी योजनायें निर्धारित करता है। इतने गुरुत्तर कार्य के लिए इनको इतना अल्प वेतन मिलता है। पर फिर भी ये इस कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं।

इस सेवा अवधि में मिलने वाले अल्प वेतन से असंतोष तो है, लेकिन इससे अधिक चिन्ता है कि 2 फरवरी, 1982 को छंटनी के उपरान्त इनका भविष्य क्या होगा ? मैं केन्द्र सरकार से इस सेवा अवधि के उपरान्त वैकल्पिक रोजगार की प्रभावी व्यवस्था की माँग करता है।

केन्द्रीय सरकार को अस्थाई जनगणना कर्मचारियों की छंटनी के समय केन्द्र व राज्य सरकारों में वैकल्पिक रोजगार की प्रभावी व्यवस्था हो।

1971 जनगणना के कोडिंग व पंचिंग सेल के छंटनी-शुदा कर्मचारियों को जो सुविधायें प्रदान की गई थीं, वे सभी सुविधाऐं 1981 के जनगणना कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाय। केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवा अवधि 3 साल की आयु छूट केन्द्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त राजकीय सरकारों के अधीन कार्यालयों में भी दी जानी चाहिए।

अस्थाई जनगणना कर्मचारियों को योग्यतानुसार केन्द्रीय रोजगार चयन समिति (सरप्लस सेल) में पंजीकृत कर सीधी नियुक्तियां प्रदान की जाय।

समस्त अस्थाई जनगणना कर्मचारियों को छंटनी के उपरान्त नई नियुक्ति तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाय।

मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार 28 फरवरी, 1982 की छंटनी से पहले ही कारगर

कदम उठाकर 27,200 कर्मचारियों (नौजवानों) को बेरोजगार होने से बचायेगी । धन्यवाद ।

(नौ) देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : मैं नियम 377 के अधीन सरकार के ध्यान में अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला लाना चाहता हूं :

देश के विभिन्न भागों में सिचाई कार्यों के लिए नलकूपों को की जाने वाली विद्युत सप्लाई लहुत थोड़ी है और देश के कुछ भागों में तो यह न के बराबर है । जहां कहीं भी यह सप्लाई की जाती है वहां यह औसतन 5 से 6 घन्टे होती है और वह भी अधिकांश रूप से रात के समय। इस समय गेहूं की फसल को पानी देने की अत्यधिक आवश्यकता है, अन्यथा आगामी फसल में गेहूं की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इससे स्वत: राष्ट्रीय खाद्य समस्या उत्पन्न हो जायेगी । अत: यह अनुरोध किया जाता है कि इस समय सरकार को अवश्य ही हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को नलकूपों के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे तक बिजली प्राप्त हो और यदि सम्भव हो तो दिन के समय क्योंकि दिसम्बर का महीना वर्ष का बहुत ठंडा महीना है ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (तीसरा संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक पर चर्चा आरम्भ करेंगे । इस विधेयक के लिए समय निश्चित नहीं है और हमने इस पर 5 बजे सांय तक चर्चा समाप्त करनी है इसे पारित किया जाना है ।··· (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : महोदय चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है अत: इसके लिए अधिक समय मिलना चाहिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : पहली बात यह है कि इसमें बहुत से ही महत्वपूर्ण किस्म के अनेक संशोधन पेश किए गए हैं और उन सभी पर चर्चा की गयी है । पहले हम विधेयक को ले लें और उसके बाद उन पर विचार कर लेंगे ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : इसे दूसरे सदन को भी भेजा जाना है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा यह कहना है कि इस विधेयक पर बोलते समय वे इस विधेयक पर चर्चा के लिए जितना समय दिया गया है उससे अधिक समय लेने का प्रयास न करें । वे संक्षेप में ही कहने का प्रयास करें ।

इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : इसके लिए कुछ समय निश्चित अवश्य होना चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) वे सत्र के बिल्कुल आखिर में इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तो समय भी सीमित है।

सभापति महोदय : तीन घन्टे का समय दिया गया है। उनके मतानुसार यह एक अत्यन्त ही गैर विवादस्पद विधेयक है। अब शिक्षा मन्त्री महोदय बोलगे।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

> 'कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय विधेयक पर विचार किए जाने से पूर्व मैं आपका और सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि जिस विधेयक पर हम विचार करने जा रहे हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम तो मुसलमान भाइयों को दिए गए इस वादे को पूरा करने जा रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के एतिहासिक स्वरूह को बनाए रखा जाएगा। विश्व-विद्यालय के अल्प-संख्यक स्वरूप को बनाए रखने का वायदा 1980 के चुनाव घोषणा पत्र में किया गया था : मैं इस बात को मानती हूं कि यह एक ऐसा विधेयक है जिसको सदन के लगभग सभी भिन्न विचार धाराओं वाले सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।

हमारी विश्व-विद्यालय शिक्षा के विकास में अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय अधिनियम 1920 का अधिनियमन का बनाया जाना एक महत्व-पूर्ण घटना थी। तथापि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के इतिहास का प्रारम्भ इससे नहीं हुआ था। वास्तव में 1970, में ही सर सैयद अहमद खां ने यह अनुभव किया था कि भारत वर्ष में मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन का मुख्य कारण आधुनिक शिक्षा की उपेक्षा है। अत: उन्होंने मुसलमानों के शैक्षिक उन्नित के लिए मार्गोपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया था। मई 1972, में मोहम्मडन एंग्लो ओरियन्टल कालेज फंड कमेटी नाम की संस्था ने कार्य करना आरम्भ किया। उसके तत्वाधान में, मई, 1973 में एक विद्यालय खोला गया 1876 में यह हाई स्कूल बन गया और 1877 में एक महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए आधारशिला रखी गयी। सर सैयद अहमद खां मुस्लिम विद्यालय की स्थापना करने के अपने स्वप्न को साकार होते देखने के लिए अधिक दिन तक जीवित न रह सके। 1898 में, उनकी मृत्यू के बाद, मोहम्मडन एंग्लो ओरिअन्टल कालिज को केन्द्र बनाकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने के विचार ने बल पकड़ा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउन्डेसन कमेटी ने विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक धन एकत्र करना आरम्भ कर दिया। तब तक, अलीगढ़ का मोहम्मडन एंग्लो ओरिअन्टल कालिज मुस्लिम शिक्षा का एक अग्रणी केन्द्र बन गया। सरकार और मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउन्डेसन के बीच लम्बे समय तक निरन्तर विचार-विमर्श के बाद, 1920 में सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया।

ऐतिहासिक तथ्य एक ऐसी चीज है जिसे कानून नहीं बदल सकते हैं। वास्तव में, 1920

के अधिनियम का बनाना भारत के मुसलमानों के लम्बे समय से हृदय में संजोए हुए आदर्श की पराकाष्ठा ही थी। यह न केवल उनका स्वप्न था, जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना में साकार हुआ, अपितु उन्होंने पर्याप्त मात्रा में अपनी सम्पत्ति और धन का भी दान किया जो उसके निर्माण में लगा।

लंबे समय से भारतवर्ष के मुसलमान इस बात को लेकर चिन्तित रहे हैं कि यह कानून जिससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शासित होता है इस ऐतिहासिक तथ्य को स्पष्ट; रूप से मान्यता प्रदान नहीं करता है। भारत के मुसलमानों की यह एक सर्वसम्मत मांग रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके इस ऐतिहासिक तथ्य को यथोचित मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। उनकी मांग को समस्त देश में भारी समर्थन प्राप्त है वास्तव में देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस मांग का समर्थन किया है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वद्यिालय के संशोधनों पर काफी समय से चर्चा चलती आ रही है। संशोधन के पूर्व प्रयास अर्थात 1979 में किये गये प्रयास निष्फल रहे। इसी पृष्ट भूमि को ध्यान में रखते हुए हमने विश्वविद्यालय को उसके ऐतिह'सिक स्वरुप प्रदान करने वाले विधान बनाने का समर्थन करने की शपथ ली थी और उसी शपथ को आज हम पूरा कर रहे हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हमारे सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय में से एक है। यह एक ऐसा संयुक्त संस्थान है जिसमें शिशु-शिक्षा से लेकर आचार्योंतर शोध तक शिक्षा की व्यवस्था है। सभी प्रमुख क्षेत्रों में इसके सकाय है यथा अभियान्त्रिक, प्रौद्योगिकी, औषध विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी। इससे लगभग 170000 से अधिक शिक्षार्थी और 1000 से अधिक अध्यापक है। यह सभी प्रकार की एवं त्रिविध आधुनिक शिक्षा प्रणाली का का एक प्रतीक है।

इतना कहने के बाद अब मैं बहुत ही संक्षेप में उन मुख्य संशोधनों की रूपरेखा आपके समक्ष रखता हूं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम अधिनियम में करना चाहते हैं।

इस ऐतिहासिक सच्चाई को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय की स्थापन मूलरूप से सरकार के से हाथों न होकर भारत के मुसलमानों द्वारा की गई थी, इस अधिनियम के नाम और प्रस्तावना को संशोधित करने का इसमें प्रस्ताव किया गया है।

साथ ही हम अधिनियम में 'विश्वविद्यालय' शब्द की परिभाषा को संशोधिन कर रहे है जिससे ऐसा कोई भी सन्देह न रहे कि विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया हुआ अपनी रुचि का एक शैक्षिक संस्थान है। इस प्रकार विश्वविद्यालय को इसका ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने के बाद हमने अधिनिपम में एक ऐसे उपबन्ध के रखने का विचार किया है जो कि विशेषरूप से इस देश के मुसलमानों की शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रगति के संवर्द्धन हेतु विश्वविद्यालय को शक्ति प्रदान कर सके। ऐसा करते हुए मैं स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहता हूं कि संशोधन-विधेयक के उपबन्ध किसी प्रकार से विश्वविद्यालय के धर्म निरपेक्ष

स्वरूप के साथ समझौता नहीं करते है । यूनिवर्सिटी कोर्ट का सर्वोच्च शासी निकाय बनाने के उपबन्ध समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं, जो कि अधिकांशतः विश्वविद्यालय के स्वरूप में प्रशासकीय पद्धति में और विभिन्न प्राधिकारियों के गठन में परिवर्तन से सम्बन्धित हैं ये वे विस्तृत मामले हैं जिन पर सदन में चर्चा की जायेगी ।

मुझे पूर्ण आशा है कि सदन के समक्ष प्रस्तुत संशोधन विधेयक के उपबन्ध पर्याप्त रूप में हमारे मुसलमान भाईयों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे । मुझे विश्वास है कि सदन के सभी वर्गों का इन प्रस्तावों के लिए जो व्यापक समर्थन प्राप्त है, वह बाद में इन पर विचार करने के दौरान मिलेगा ।

महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

> "कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अब श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय यह तीसरा संशोधन विधेयक है जो कि इसी वर्ष सदन में पुरःस्थापित किया गया है जिससे यह पता चलता है कि सरकार अभी कोई निश्चय नहीं कर सकी हैं और कर्त्तव्य विमूढ़ता से ग्रस्त है । अब विधेयक पेश कर दिया गया है जिसमें विद्यार्जन के इस महत्वपूर्ण पीठ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गठन और क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है ।

हमें इस बात पर भी विचार करना है कि इस विधेयक के पीछे मूल उद्देश्य क्या है और इस संस्थान के भविष्य पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा । हमारा विश्वास है कि इस प्रकार के विधेयकों पर रचनात्तक तथा बिना किसी भावावेश के चर्चा की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम कैसे विद्यार्जन की इस पीठ के उन वास्तविक सिद्धान्तों को किस प्रकार प्राप्त कर सकें जो उन लोगों के मस्तिष्क में थे जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बद्ध थे,

महोदय, इस विधेयक के गुण दोषों पर विचार प्रकट करने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामलों पर हमारी विचारधारा क्या है महोदय, हम मानते हैं कि इस देश के विभिन्न अल्प-सख्यों को विशेषकर मुसलमानों को शिक्षा क्षेत्र में प्रगति सहित उनके सर्वांणीण विकास हेतु विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है ।

हम उसको स्वीकार करते हैं । हम महसूस करते हैं कि समुदायों के बीच असमानता समाप्त करने के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के लिए' अल्पसंख्यकों, जिसमें

मुसलमान भी सम्मिलित हैं' पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक शैक्षिक संस्थाओं का सम्बन्ध है। हम चाहते हैं कि इन संस्थाओं को संकीर्ण व जातिवाद की विचार धारा पर नियन्त्रण से मुक्त होना चाहिए तथा ऐसा नियन्त्रण शैक्षिण संस्थाओ में नहीं लाया जाना चाहिए जो कि इन सस्थाओं में धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतान्त्रिक बनाये रखन में सहायक न हो।

महोदय, जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, निश्चित रूप से हमारा यह मत है कि इस महान विद्या पीठ को मुस्लिम संस्कृति तथा शिक्षा का उत्थान व प्रगति करनी चाहिए परन्तु साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि इसमें सच्ची धर्म निरपेक्षता की भावना को बनाये रखा जाये। जिसके द्वारा ही इसकी सच्ची प्रथा बनाये रखी जा सकती है तथा मुसलमानों की वास्तविक प्रगति हो सकती है। सम्भवतः श्री सैयद अहमद ने यही सोचा था कि यह सच्चे धर्म निरपेक्ष भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, अब हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विषय में मुस्लिम भाइयों तथा बहनों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। परन्तु मुझे यह विश्वास है कि मेरे मुस्लिम भाई बहन इस महान विश्वविद्यालय को किसी एक वर्ग या समुदाय के लिए पूर्णरूप से सुरक्षित नहीं करना चाहते जो कि धर्म निरपेक्षता की भावना व लोकतान्त्रिक ढांचे के प्रतिकूल होगा। हम इस विश्वविद्यालय द्वारा मुसलमानों के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उत्थान पर बल देने वाले सभी प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध है। परन्तु अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में हमारा दुखद अनुभव रहा है। महोदय, हमने अपन अनुभव से देखा है कि जब भी तथा जहां भी अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित की गयी संस्थाओं को अल्पसंख्यक का तत्व प्रदान किया गया चाहे यह किसी भी धर्म की हो तो इसका कार्य अलोकतान्त्रिक आधार पर चलाया गया जिसको, मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभा या देश में कोई भी, जिसमें हमारे मुस्लिम मित्र भी सम्मिलित है' पसन्द नहीं करेंगे। महोदय, जिस बात की हमें आशका है वह यह कि कोई शैक्षिक संस्था किसी गुट के नियन्त्रण में नहीं आनी चाहिए क्था इस प्रकार की किसी संस्था के किसी विशेष चरित्र को बनाये रखने के नाम पर उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निहित स्वार्थी, धर्मधीशों या जमींदारों या इस प्रकार के लोगों का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए इस संस्थान को अल्पसख्यकों की संस्था बनाने की मांग के पीछे कुछ अच्छे कारण हैं, उसकी हम प्रशंशा करते हैं परन्तु हम महसूस करते है कि इस संस्था के लोकतान्त्रिक चरित्र को बनाये रखने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए जहां पर इस विश्वविद्यालय के संस्थापकों का इस विश्वविद्यालय को जाति, धर्म तथा समुदाय का विशेष विचार किये बिना एक महान विद्यापीठ बनाने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। अतः हमें इस बात पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करना है कि चूंकि इसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया। मुस्लिम संस्था के रूप में इसके चरित्र को बनाये रखना होगा। हमें इस बात की आशंका है कि ऐसी मांग से अलोकतान्त्रिक की प्रवित्तियों को बढ़ावा मिलेगा विश्वविद्यालय तथा कार्यकलापों पर छा जायेगी तथा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध तथा प्रशासन में आवंछनीय प्रवृत्तियां विकसित हो जायेगी यह हमारा मूल उद्देश्य हैं तथा हम अधिनियम विधेयक के प्रावधानों पर अपने दृष्टिकोण से विचार करना चाहेंगे।

ऐसी आशंकायें हैं कि यदि इस विधेयक को लागू कर दिया गया तो यह संस्था के धर्म निरपेक्ष चरित्र को काफी हद तक नष्ट कर देगा तथा विश्व विद्यालय साम्प्रदायिक तत्वों तथा निहित स्वार्थों के नियन्त्रण में आ जायेगा। यदि हमारी बात गलत सिद्ध हो जाये तो हमें खुशी होगी। परन्तु हमें उस ढांचे पर जिस पर अब विचार किया जा रहा है तथा जो हमारी आशंकाओं का आधार है, विचार करने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस विषय पर एक प्रवर समिति द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है। यह ऐसा विधान कार्य है जिसको प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था यद्यपि कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी मैं माननीय मन्त्री से इस पर विचार करने के लिए निवेदन करता हूं इसी वर्ष में अर्थात 198। में तीन अलग-अलग विधेयक इस सभा में प्रस्तुत किये गये हैं ...

सभापति महोदय : वर्ष 1980 में।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां मैं अपने आपको ठीक कर लेता हूं एक वर्ष में ही सरकार अपने वैधानिक प्रास्तावो में भिन्न भिन्न निर्णय लेती रही है इतने ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय के लिए हम चाहते हैं कि यह उत्तरोत्तर उन्नति करे तथा और अधिक महान तथा अच्छी विद्यापीठ बने जहां पर उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इस पर अधिक गहराई से विचार किया जाना चाहिए। अब समय का अभाव है जैसा कि पहले ही कहा गया है कि यह विधेयक सत्र के अन्त में सभा के सामने प्रस्तुत किया गया है तथा बहुमत से पाटित कर दिया जायेगा। प्रश्न यह है कि क्या इस पर उचित रूप से विचार किया जायेगा।

कृपया देखें कि इस विधेयक में क्या कहा गया है इसमें विश्वविद्यायय के अल्पसंख्यक चरित्र को वहाल करने का प्रयास किया गया है और मन्त्री महोदय के वक्तव्य में भी ऐसा कहा गया है जहाँ तक इस विश्वविद्यालय को प्रारम्भ करने की बात है, ऐसा एक साँवधि के अन्तर्गत किया गया था। यह सबको मालूम है। इस संविधि की उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 की पृष्ठभूमि में व्याख्या की गयी है : ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय इस पर एक बड़ी पीठ द्वारा किये जाने के लिए सोच रहा है परन्तु यह बात कि इस विश्व विद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत की गयी थी एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता। यह विधेयक विश्व विद्यालय के अल्पसख्यक चरित्र को वहाल करता है निस्संदेह हम देश के कुछ अग्रगण्य मुसलमानों बुद्धिजीवियों तथा शिक्षाविदों के महान प्रयत्नों की सराहना करते हैं एक विधान के द्वारा आप इतिहास कैसे बदल सकते हैं ? हम नहीं जानते। जिसकी मुझे आशंका है वह यह है कि ऐसा करके आप मुकदमेवाजी का दरवाजा खोल रहे हैं जो हम नहीं चाहते। यदि एक सस्था की स्थापना एक विशेष ढंग से कर दी गयी है, एक पूर्वप्रभावी कानून से आप इसके ढंग को नहीं बदल सकते। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि इसकी स्थापना एक सांविधिक अधिनियमन के अधीन की गयी थी तथा इसकी स्थापना किसी समुदाय विशेष द्वारा स्थापित नहीं की गयी है। स्थापना शब्द को केवल संविधान

के अनुच्छेद 30 को आकर्षित करने के लिए लाया जा रहा है क्योंकि वहां पर प्रयोग की गयी भाषा 'स्थापना' है।

सभापति महोदय : आपने कहा है कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में अल्पसंख्यक चरित्र की बहाली शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें ये शब्द नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा स्वयं माननीय मन्त्री ने कहा है। उनके भाषण में इसका उल्लेख है। महोदय, सम्भवत: आप दूसरे विधेयक को देख रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं विचाराधीन विधेयक की ही देख रहा हूं सम्भवत: आपके किसी दूसरे विधेयक का हवाला दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हो सकता है। परन्तु स्वयं मन्त्री ने यह कहा है। जो किया जा रहा है वह यह है कि 'स्थापना' शब्द को इस अधिनियम से यह दिखाने के लिए कि इसकी स्थापना संविधि के अधीन नहीं की गयी थी हटाया जा रहा है क्या जो कुछ 1920 में किया गया था उसको 1981 में इस प्रकार के एक कानून से नष्ट किया जा सकता है। तथ्य को भूतलक्षी प्रभाव वाले इस प्रकार के विधान द्वारा नहीं बदला जा सकता।

स्थिति क्या है ? 'स्थापना' शब्द का वर्तमान संविधि से लोप करके वे ऐसा वादविवाद करना चाहते हैं।

जैसा कि मैंने कहा है, हम इन भावनाओं की कद्र करते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इसे प्राप्त किया जा सकता है ? "इसकी स्थापना एक विशेष समुदाय द्वारा की गयी है अत: संविधान के अनुच्छेद 30 को आकर्षित किया जा सकता है" यह तर्क है स्वयं मन्त्री ने इसकी आशंका की है और मैं मानता हूं अर्थात इसमें अल्पसंख्यक चरित्र को बहाला करने का प्रयास किया गया है अत: मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप उस चरित्र को बहाल कर सकते हैं जो कि प्रारम्भ में नहीं था, क्योंकि हमें उस सांविधिक अधिनियमन पर विचार करना है जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गयी।

हो सकता है कि यह उच्चतम न्यायालय को इस निर्णय पर लाने के लिए किया गया हो। हम यह नहीं सोच सकते कि उच्चतम न्यायालय क्या करेगा। परन्तु उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के लिए सांविधिक प्रावधान को बदला जा रहा है।

परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया है। अब 'विश्यविद्यालय' शब्द की परिभाषा बदली जा रही है। एक तथ्य को परिभाषा में परिवर्तन करके कैसे बदला जा सकता है, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार विश्वविद्यालय से भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी पसंद की शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिसकी स्थापना आरम्भ में मुसलिम ऐंगलो ओरियंटल कालेज अलीगढ़ के रूप में की गई थी। और जिसने बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया अत: अब

वे एक संशोधन के द्वारा विश्वविद्यालय का रूप बदल देना चाहते हैं इससे प्रयोजन सिद्ध होगा अथवा नहीं, इसके बारे में हमें गम्भीर संदेह हैं।

जैसा कि मैंने कहा है कि वर्तमान अधिनियम प्राक्कथन 'स्थापना' शब्द को लोप करके अब परिभाषा को सविधान के अनुच्छेद 30 की भाषा के अनरूप बनाया जा रहा है। तथा जैसे ही यह हो जायेगा अनुच्छेद 30 लागू हो जायेगा। इसके परिणाम क्या होंगे ? साथ ही इस संसद को इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति कब तक है ? यदि इस संशोधन से प्रयोजक सिद्ध हो जाता है तो मुझे इस बारे में भारी संदेह है। कि क्या इस प्रकार के कानून से 1920 में स्थापित की गई इस संस्था के मूल रूप को बदला जा सकता है। मान लो यह हो सकता है तो इसके तत्काल परिणाम क्या होंगे ? क्या संसद को वहां पर कार्य कर रहे लोगों के नियोजन की शर्तों के सम्बन्ध में, या आध्यापकों या भावी प्रबन्धकों तथा प्रशासकों के सम्बन्ध में कानून बनाने की कोई शक्ति होगी। क्योंकि वर्तमान कानून इस प्रकार का है कि यदि एक बार अनुच्छेद 30 के अर्थ में इसका अल्पसख्यक स्वरूप स्थापित कर दिया गया तो आपके हाथ कट जायेगें कुछ भी नहीं किया जा सकता। जब हम कहते हैं कि हमारा अनुभव बहुत दुखद है, मैं आपको प्रत्येक प्रकार की अल्पसख्यक सख्या के बारे में बतला सकता हूं। चाहे यह हिन्दु अल्पसंख्यक संस्था है या जैन। कभी कभी हिन्दू भी अल्पसंख्यक बन रहे हैं। वे कहते हैं वैष्णव अल्पसंख्यक संख्या है अनुच्छेद 26 आकर्षित किया जा रहा है। कि इसके अतिरिक्त, ईसाई, मुस्लिम तथा जैन सस्थायें भी हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझे यकीन है कि उन सबको पता है कोई मतभेद तथा भेदभाव नहीं है एक वार जब संविधान के अनुच्छेद 30 अथवा 26 के अन्तर्गत इस नियंत्रण को मान लिया जाता है तो हम देखते हैं कि कर्मचारियों के लिए कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अध्यापन के किसी भी स्तर को नहीं बनाये रखा जा रहा है, यद्यपि न्यायपूर्ति कृष्ण आय्य ने अनुच्छेद 30 की संस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए हाल में प्रयास किये हैं आप समझते हैं। कि अनुच्छेद 30 की संस्थाओं से मेरा क्या तात्पर्य है इसी निर्णय में कहा गया है कि यदि सरकार की राशि दी जाये। अनुदान दिया जाये तो सरकार कुछ नियंत्रण रख सकती है। कुछ रोक लगा सकती है और कम से कम राशि के उपयोग के बारे में आवश्यक सूचना मांग सकती है। प्रधानाचार्य की नियुक्ति में भी उनकी बात मानी जा सकती है, इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ बोलबाला अवश्य होगा।

मैं हावड़ा, पश्चिम बंगाल के एक सफाई मिशनरी संस्था के बारे में जानता हूं, जहां ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है जो स्नातक भी नही हैं। मास्टर डिग्री बी० टी०, बी० एड डिग्री वाले अध्यापक, जो मिशनरी की सिस्टरों, प्रधानाचार्य के इशारों पर नहीं नाचे। वे अपने रोजगार खो बैठे हैं। मैं उनके मामले की वकालत करने के लिए अदालत में गया था। उत्तर यह मिला कि यदि आपको बिना कारण बताये नोटिस के बर्खास्त कर दिया गया हो और पक्षपातपूर्ण ढंग से बर्खास्त कर दिया गया हो तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत कुछ भी नहीं कर सकते। हम कई मामलों का हवाला दे सकते हैं। सर-

कार द्वारा चलाये जाने वाले कालेज भी, जिन्हें इन संस्थाओं की सहायता से चलाया जा रहा है, विधान मंडल तथा कार्यपालिका के नियन्त्रण से बाहर हैं। अध्ययन स्तर, रोजगार की शर्तों के बारे में तथा अध्यापन और गैर अध्यापन कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि यह उनके दल के चुनाव घोषणा पत्र में है। अत: इस देश अथवा साधारण लोगों का अनुभव कुछ भी हो, इसे स्वीकार करना ही होगा। हम कहते हैं कि ये हमारी शर्तें हैं। क्या हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ज्ञानअंजन की एक गौरवपूर्ण संस्था के रूप में नहीं बनाये रख सकते और साथ-साथ इसके प्रजातंत्रीय तथा धर्मनिर्पेक्ष स्वरूप को बनाये नहीं रख सकते ? क्या हम इसका उपयोग इसके प्रजातंत्रीय तथा धर्मनिर्पेक्ष आधार को प्रभावित किए बिना मुस्लिम संस्कृति के विकास के लिए नहीं कर सकते ? हमारे विचार में प्रशासनिक और राजनैतिक इच्छाओं के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। अत: स्थिति देखने पर आपको पता चलेगा कि परिवर्तन किए गए हैं। सभा अब कार्यकारी परिषद् का स्थान लेते हुए विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्था बन रही है। इसे वर्तमान संविधियों के होते हुए निषेधाधिकार दिए जा रहे हैं, उपकुलपति पद के लिए प्रत्याशियों की तालिका बनाने, विश्वविद्यालय में काम करने के लिए व्यक्तियों का चुनाव करने, कार्यकारी परिषद् के लिए कम से कम छ: सदस्य चुनने की शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। मैं मन्त्री महोदय को चेतावनी देता हूं कि यह कानून अव्यवहार्य होगा। मैं यह बात अभी नहीं कहना चाहता लेकिन यदि आप इस ओर ध्यान दें तो अपको पता चलेगा कि यह पूर्णत: अव्यवहार्य कानून होगा। गठन किस प्रकार होता है ? गठन बहुत महत्वपूर्ण है, सभा को 179 व्यक्तियों का सर्वोच्च शाही निकाय क्यों बनाया जा रहा है ?

सभापति महोदय : संख्या 169 है। यह एक बड़ी सूची है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस शुद्धि को स्वीकार करता हूं। किसी अन्य व्यक्ति ने यह मेरे लिए बनाया था : मुझे इसे स्वयं बनाना चाहिए था।

सभापति महोदय : यह अधिक प्रजातंत्रीय तथा प्रतिनिधिक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसके बारे में कई अलग-अलग मत हैं। 70 सदस्य सीधे मुस्लिम निकायों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिसमें ओल्ड बोयज एसोसिएशन के भी 25 प्रतिनिधि शामिल हैं। यह एसोसिएशन क्या है ? हमारी सूचना के अनुसार यह कुछ ही व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित एक रद्द संस्था है। इसके प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, यह हम नहीं जानते। हमारे विचार में इसकी सदस्यता 1000 से अधिक नहीं होगी। यह 60 वर्षों से चल रही है और इसकी एक ओल्ड बोयज एसोसिएशन है जिसमें लगभग 1000 सदस्य हैं। यह चलन तथा काम करने वाली संस्था नहीं है। अब इसके प्रतिनिधि 25 होंगे जबकि अभी तक 15 होते थे। अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा कान्फ्रेंस के भी 5 प्रतिनिधि होगे। यह संस्था काम करती है या नहीं, इसके बारे में काफी संदेह है। अब तक इसके 2 प्रतिनिधि थे जो अब 5 हो जायेंगे। इस कान्फ्रेंस का गठन कौन कर रहा है ? इस कान्फ्रेंस के सदस्यों का चुनाव कौन कर रहा है ? वे 5 सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं। चुनाव प्रणाली क्या है, इसे कोई नहीं जानता। फिर सभा मुस्लिम संस्कृति

के 15 प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। असंगति देखिए। सभा को मुस्लिम संस्कृति के 15 प्रतिनिधियों का चुनाव करना पड़ता है। जब तक उन्हें चुना न जाये, उस समय तक सभा का गठन नहीं होता। सभा इन सदस्यों का चुनाव कैसे करेगी ? मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधियों का चयन कैसे किया जायेगा ? चुनाव प्रणाली क्या होगी ? मतदाता कौन होंगे ?

सभापति महोदय : इसमें कहा गया है कि इसकी व्यवस्था संविधि में की जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह महत्वपूर्ण मामला सभा द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मार्ग-दर्शी सिद्धांतों पर छोड़ा गया है। सभा निर्णय लेगी कि इसका गठन कैसे होगा। सभा प्राच्य ज्ञान के मुस्लिम कालिजों के छः प्रतिनिधियों का चुनाव भी करेगी। यहां के लिए केवल मुस्लिम धर्म स्कूलों के ही प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। सभा वकफ बोर्ड के सभापति को भी चुनेगी, जिसका शिक्षा संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका उद्देश्य बिलकुल भिन्न है अर्थात वकफ बोर्डों को चलाना। उन्हें यहां नियुक्त करने की क्या जरूरत है ?

सभापति महोदय : कुछ स्कूल तथा कालिज वकफ बोर्डों के अधीन भी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : शिक्षा से हर बात का सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। शिक्षा का न होना भी शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। मुस्लिम शैक्षणिक संस्कृति सोसाइटी से भी सभा द्वारा 5 व्यक्तियों का चुनाव किया जाना है। अतः हर बात सभा पर छोड़ दी गयी है जिसका गठन इस चुनाव के होने तक नहीं किया जा सकता। मैं नहीं जानता कि सभा का गठन न होने तक चुनाव कैसे होंगे। जिन लोगों ने 10,000 रुपये या इससे अधिक दान दिया है, उनके 10 प्रतिनिधि होंगे। हम जानते हैं कि यह दान कहां से आया। इसके अतिरिक्त, नया विधेयक, सभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के महत्वपूर्ण सिद्धान्त को हटाकर विश्वविद्यालय के उदार तथा प्रगतिशील वर्ग को प्रतिनिधित्व से वंचित करता है। फिर हमें यह भी मालूम होता है कि अध्यापकों के 10 निर्वाचित तथा गैर अध्यापन वर्ग के 5, 6 निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे।

सभापति महोदय : इसका उल्लेख विधेयक में है। आपने लगभग आधे घटे का समय लिया है। यदि आप विधेयक को पढ़ते ही जायें, तो इसका कोई अन्त नहीं मिलेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं विधेयक को नहीं पढ़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि सभा का गठन कैसे किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति मेरे दल पर किसी साम्प्रदायिक सस्था को समर्थन देने के लिए आरोप नहीं लगा सकता। हम अपनी शंका प्रकट कर रहे हैं। मैंने अपने भाषण को यह कह कर शुरू किया है कि यह संरक्षण दिया जाना है। मैंने कहा है कि उन्हें प्रगति तथा विशेष समर्थन चाहिये। लेकिन हम कह रहे हैं कि यह कोई तरीका नहीं है। क्या हम उस प्रकार का प्रजातंत्रीय तथा धर्मनिर्पेक्ष स्वरूप ला सकते हैं ? क्या यह आपकी इच्छा है ? मन्त्री महोदय ने अपना भाषण समाप्त करने से पहले कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बुनियादी धर्मनिर्पेक्ष स्वरूप को बनाये रखना है। अतः हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बातों से बहुत से लोगों के मत में कुछ भ्रम पैदा हो रहा है।

सभा द्वारा चुने जाने वाले एक अवैतनिक कोषाध्यक्ष के बारे में भी एक प्रावधान है। इसके लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है। वह विश्वविद्यालय के वित्तीय तथा लेखा सम्बन्धी मामलों के पूरे प्रभारी होंगे। फिर देखिये कि कार्यकारी परिषद् के महत्व को कैसे कम किया जा रहा है। चूंकि आप जल्दी करने के बारे में इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें आशंका है कि इनके चुनाव घोषणा पत्र के नाम पर इस महान संस्था को उस स्थिति में पटका जा रहा है जहां इसके प्रजातंत्रीय तथा धर्मनिरपेक्ष कार्यकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके फलस्वरूप, समूचे विश्वविद्यालय के हितों को ही आघात नहीं पहुंचेगा बल्कि विद्यार्थियों, अध्यापकों, गैर-अध्यापन कर्मचारियों के हितों पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। मात्र अल्पसंख्यक स्वरूप देने से आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आप अधिक समस्यायें पैदा कर रहे हैं। अलीगढ़ हिन्दू विश्वविद्यालय की मांग भी की गयी है। अब दूसरा सम्प्रदाय भी अपने अस्तित्व को दिखाना चाहता है। अलीगढ़ हिन्दू विश्वविद्यालय बनाने के प्रयास शुरू कर दिये गए हैं। इसके लिए एक बड़े क्षेत्र वाली जमीन का दान कर दिया गया है। अब हर सम्प्रदाय अपना विश्वविद्यालय बनाने तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत लाने जा रहे हैं ताकि यह सभी नियंत्रणों से मुक्त रहे। यदि मन्त्री महोदय का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो प्रथमतः उनके पास इस विश्वविद्यालय के बारे में कोई शक्ति नहीं होगी। उन्हें वहां होने वाली घटनाओं को दूर से ही देखना पड़ेगा। अतः हम अनुरोध करते है कि इस विधेयक पर गहराई से विचार किया जाये, कठिनाइयों तथा विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया जाए और इसे पारित करने में जल्दी न की जाये। यह कहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि आप चुनाव घोषणा पत्र में किये गये चुनाव वायदों को पूरा कर रहे हैं क्योंकि मूल्य कम करने, रोजगार देने सम्बन्धी कई अन्य वायदे भी किए गए हैं लेकिन इनका कुछ नहीं बना। अतः चुनाव घोषणा पत्र को एक दम महत्व देने की बात को लोग पसन्द नहीं करते। अतः इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया जाना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे इस संस्था का प्रजातंत्रीय ढांचा प्रभावित हो।

श्री एच० के एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी एक सुयोग्य अधिवक्ता है। मेरा भी वही पेशा है। इस पेशे के लोग कानूनी प्रवृत्ति के हो जाते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे तर्कों में कानूनी पहलू बहुत ही कम था।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं दूसरे भाग को भी लेता हूं। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, यह उनके भाषण का छोटा सा अंश था। आरम्भ में मैं यह अवश्य कहूंगा कि हम अधिवक्ताओं के लिए कानूनी बातें करना स्वाभाविक है और समाज को हमारी आवश्यकता है। मेरा अर्थ अपने पेशे पर कोई आक्षेप लगाना नहीं है। हमारा संबन्ध एक बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम पेशे से है जिसकी कभी-कभी मामलों के स्पष्टीकरण हेतु आवश्यकता होती है। परन्तु कभी-कभी हम मामलों में भ्रांति भी उत्पन्न कर देते हैं। हम दोनों पक्ष में तर्क दे सकते हैं। मेरा अर्थ (व्यवधान) ... पूर्ण सम्मान के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज उन्होंने अत्यधिक कानूनी दृष्टिकोण अपना लिया था, इसके बाद वे लोकतान्त्रिक पक्ष पर आ गए और उसके बाद

अन्य बातें करने लगे । उनका संबन्ध एक ऐसे दल से है जिसका मार्ग क्रान्तिकारी है जो लोगों इच्छाओं के अनुरूप रहना चाहता है, जो लोगों के साथ चलना चाहता है । उनके अनुसार उनकी पार्टी एक साम्प्रदायिक पार्टी नहीं है और यह अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करना चाहती है ।

उनको सुनकर, उनके सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्या प्रभाव होगा, क्या आपके पास इसे भूतलक्षी प्रभाव देने का अधिकार है, यह सन्देह कि क्या इसे रद्द किया जा सकता है । सब बातों को सुनकर मेरे ऊपर कुल प्रभाव यह पड़ा कि वह कुछ आवश्यकता से अधिक कानूनी बातें कर रहे हैं । इसके साथ-साथ, दूसरे भाग में उन्होंने लोकतन्त्र की बातें की । लोकतन्त्र क्या है ? लोकतन्त्र का मूल सिद्धान्त यह है कि लोकतन्त्र लोगों की इच्छा के अनुरूप तथा लोगों की विचारधारा के अनुरूप होना चाहिए । इसके साथ ही, चूंकि वह जानते थे कि उनको एक गम्भीर मामले पर तर्क करना है और उनको अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को अल्प संख्यक समुदाय की इच्छाओं के अनुरूप सिद्ध करना है इसलिए इन्होंने अनेक अगर-मगर लगाकर बचाव किया है ।

उच्चतम न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए मै यह क हना चाहता हूं हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ससद में चर्चा कर सकते हैं । मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता । मेरे विद्वान मित्र तथा एक सुयोग्य अधिवक्ता श्री गाडगिल, जो मेरे बाद बोलेंगे इस मुद्दे पर विस्तार से प्रकाश डालेगे । परन्तु मैं यह कहूंगा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले दिया गया निर्णय, जिसका उन्होंने उल्लेख किया था, जो 1967 में हुआ था और 1968 में रिपोर्ट किया गया था, मेरे मत में ही नहीं ; मैं तो कानूनी पेशे में मामूली सा व्यक्ति हूं, बल्कि अत्यधिक महत्वपूर्ण कानूनी विद्वानों के मत में कानूनी दृष्टि से ठीक नहीं था । क्योंकि इसका आधार इंग्लैंड के न्यायालय का एक निर्णय था जहां यह समझा जाता है कि विश्वविद्यालय का कार्य डिग्री प्रदान करना होता है । विश्वविद्यालय का काम केवल डिग्री प्रदान करना नहीं है, इसका कार्य कतिपय मूलभूत मूल्यों को प्रोत्साहन देना है । हमारे कानून और इंग्लैंड के कानून में यही अन्तर है। यद्यपि मैं विधिवेत्ता नहीं हूं फिर भी मेरी व्यक्तिगत मत यही है कि सरकार द्वारा सभा के समक्ष रखा गया विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि संसद को ऐसा विधेयक पारित करने का अधिकार है जो पिछली तारीख से प्रभावी होता हो । यदि यह लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करता हो । मैं उच्चतम न्यायालयके अनेक निर्णयों का उदाहरण दे सकता हूं, लगभग आधे दर्जन निर्णयों का उदाहरण तो दे ही सकता हूं परन्तु मैं यह बल अपने अन्य मित्रों पर छोड़ता हूं जो विस्तार से इस पर बोलेंगे । परन्तु जहां तक व्यक्तिगत अधिकारों का संबंध है, आप एक ऐसे विधेयक द्वारा उन्हें समाप्त नहीं करते जो पिछली तारीख से प्रभावी होता हो परन्तु इस प्रकार के मामले में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है और संसद को निसंदेह यह अधिकार है कि वह किसी निर्णय विशेष के तथ्यों को नितभावी कर दे । यह कहा जा सकता है कि "उनमें उचित आधार पर परिवर्तन क्यों न किया जाए ? अतः इन सब बातों में न जाते

हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं हूं और मेरे विचार में यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध नहीं है। विश्वविद्यालय की जो परिभाषा दी गई है उसमें सावधानी बरती गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से इस पर आँच आयेगी। मैं कहता हूं कि भूतलक्षमी प्रभाव सम्बन्धी स्थिति के बारे में क्या होगा ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं उनके स्पष्टीकरण को यथास्थिति स्वीकार करता हूं। मेरे कहन का यह अभिप्राय है कि संसद को इस कानून को पारित करने का पूर्ण अधिकार है। अतः मेरा विचार है कि विश्वविद्यालय की परिभाषा में, अर्थात नई परिभाषा में, सावधानी बरती गई है।

इस विधेयक के संबन्ध में मेरे विद्वान मित्र ने कहा है एक वर्ष में, 1980 में, तीन विधेयक प्रस्तुत किए गए। उन्हें इस समस्या की जानकारी मुझ से अधिक है कि यह समस्या समय-समय पर कैसे उत्पन्न हुई और इसका पिछला इतिहास क्या है। निस्सदेह यह इतिहास में परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं है, परन्तु यह इतिहास को मान्यता देने का प्रयत्न है तथा उस इतिहास की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विश्वविद्यालय का इतिहास है, एक लम्बा और गौरव पूर्ण इतिहास हो सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ वहाँ कोई विवाकास्पद बातें हों, इस सम्बन्ध में मतभेद हों, परन्तु मूल तथ्य यही है कि यह एक नाजुक समय है।

स्वर्गीय सर सैयद अहमद खान ने यह महाविद्यालय आरम्भ करके न केवल मुस्लिम समुदाय की बल्कि समपूर्ण भारत की शानदार सेवा की है। बाद में यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, यह तथ्य है कि इसे आरम्भ किया गया था। हिन्दुओं ने भी इसमें वित्तीय तथा अन्य प्रकार से सहयोग दिया था जबकि यह मुख्यतः मुसलमानों द्वारा आरम्भ किया गया था। इसके पीछे यही विचारधारा थी कि मुसलमान प्रगति करें और शिक्षा प्राप्त करें आदि-आदि। मेरे विचार में यह हित में देश के एक शानदार योगदान है। मैं इस इस बात में विश्वास नहीं करता कि मुसलमानों की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों से देश की प्रगति नहीं होती है।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए) : मेरा विश्वास है कि देश के किसी भी वर्ग की प्रगति के लिए किए गए कार्य से देश की प्रगति होती बशर्ते इससे किसी को हानि नहोती हो। इस विश्वविद्यालय से देश के हितों को लाभ पहुंचा और यह एक अच्छी बात है। इसने बहुत सेवाकी है। इसने देश के महान सुपुत्र और सुपुत्रियों को जन्म दिया है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देशकी सेवा की है। अतः इस विधेयक के द्वारा इतिहास को मान्यता प्रदान करके, हम इस विधेयक को इस ढंग से लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उच्चतम न्यायालय के साथ टकराब न हो। यह एक अच्छी बात है कि सरकार ने इस पर एक वार, दो बार, तीन बार विचार किया है तथा इस पर उस समुदाय के प्रनितिधियों से तथा अध्यापकों, विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा अन्य

लोगों से चर्चा की है, जनता, प्रबुद्ध मुसलमानों तथा अन्य लोगों की राय ली है। मेरे विचार में सरकार ने सावधानी पूर्वक यह काम करके एक अच्छा काम किया है। मैं इस विधेयक को लाने के लिए सरकार और शिक्षा मत्री को बधाई देना चाहता हूं और मेरे विचार में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश के लाखों लोगों के दिलों की बात है और मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि हम इसमें विलम्ब करें मेरे विचार में इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए।

अब मेरे मित्र कहते हैं। यह अलोक तान्त्रिक है और इसके गम्भीर परिणाम होंगे। मैं इस विषय पर इस समय उनसे बात नही करना चाहता और वाद-विवाद में उग्रता नहीं लाना चाहता क्योकि मैं चाहता हूं कि सभा इस प्रकार के विधेयक कोपारित कर दे कुछ लोग कह सकते है कि इसक खास असर नहीं होगा कुछ कह सकते है कि इसका थोड़ा सा असर होगा परन्तु जिस मूल कारण से यह विधेयक लाया गया है मेरे विचार में वह यह है कि इस सभा मे इस विधेयक को लाने और इसे पारित करने के लिए पूर्ण सहमति थी। और इसलिये इसे पारित कर दिया जाना चाहिये।

मैंने जैसा कि कहा है मैं इस वाद विवाद में उग्रता नहीं लाना चाहता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को छोड़ कर मैं आपको यही दिल्ली के अनेक उदाहरण दे सकता हूं। और मैं आपके बंगाल के भी अनेक उदाहरण दे सकता हूं। जहां प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त व्यक्ति की उपेक्षा की गई है और द्वितीय श्रेणी वाले को प्राथमिकता दी गई है। क्यों ? यह माननीय असफलता है या गलती है अथवा हेर फेंर है मुझे दिल्ली के एक मामले की जानकारी है जिसमें हमारे अपने लोगों के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा हेराफेंरी की गई है। प्रथम श्रेणी प्राप्त व्यक्ति की अन्य लोगों के मुकाबले उपेक्षा की गई।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप उसका समर्थन करते हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं नहीं करता। यह अनिवार्य रूप से गलत है और बिल्कुल गलत है इसके द्वारा आप लांछन लगा रहे हैं। आखिर कौन लोग ऐसा करने जा रहे हैं ? यह माननीय असफलता है मैं इसका समर्थन नहीं करता मैं यह पसन्द नहीं करता कि योग्यता की उपेक्षा की जाए हमें अवश्य ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जनता पार्टी के शासन में क्या हुआ। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है। किसी एक दो मामले में ऐसा हो गया है। परन्तु ऐसा कोई कारण नहीं जिसकी वजह से इस विधेयक का समर्थन न किया जाये। आपके सन्देह का कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट को बहुत बड़ा अधिकार दिया जा रहा है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि कोर्ट को पूर्ण अधिकार दिया जा रहा है। इसका कारण यह है कि लोग ऐसा चाहते थे और हम कोर्ट को अधिकार देना चाहते थे और कोर्ट को जान बूझकर अधिकार दिए जा रहे हैं। बार-बार इसकी मांग की गयी थी। कोर्ट के गठन में भी परिवर्तन किया गया है और कोर्ट के अधिकारो में भी परिवर्तन किया जा रहा है। एक अति महत्वपूर्ण बात यह है। कि इसमें यह उल्लेख किया गया है। कि विश्व विद्यालय मुस्लिमों के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए काम करेगा। इसमें गलत क्या है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है एक वाक्य में उन्होंने कहा है इसमें मुस्लिम आएंगे। मेरे विचार

मुस्लिम आएंगे और मेरे विचार में उन्हें आना भी चाहिए। मेरे विचार में कोर्ट में वे तीन चौथाई से भी अधिक होंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं एक सैकेण्ड के लिए उनका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं ? इस मामले में उन्हें गलत फहमी हुई है। मैं अपने मित्र से, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। अनुरोध करता हू कि वह कोई बात मेरे सिर न मढें। मैंने मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर आपत्ति नहीं की थी परन्तु मैंने तो प्रतिनिधित्व के स्वरूप पर जैसे कि पुराने विद्यार्थी आदि आपत्ति की थी महोदय, मैंने कोर्ट में मुस्लिम बहुमत पर कभी आपत्ति नहीं की।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आपके स्पष्टीकरण को स्वीकार करता हूं। यह आपकी कठिनाई या भ्रान्ति हो सकती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु मैं चाहता हूं कि श्री भगत कोई बातें मेरे सिर न मढें। मैंने कोर्ट का विरोध कभी नहीं किया।

सभापति महोदय : मेरे विचार में अब वह ठीक कह रहे हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं सविनय निवेदन कर रहा था और अपने सुयोग्य मित्र के शब्दों का उल्लेख कर रहा था क्योंकि मैं उनका और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करता हूं। उनका विचार है। कि मैं उन्हें ठीक-ठीक उद्धृत नहीं कर रहा हूं। अतः मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा।

यह एक अच्छी बात है कि कोर्ट की सदस्य संख्या बढ़ा दी गयी है यह एक अच्छी बात है कि पुराने विद्यार्थियों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है मेरे विचार मे यह एक अच्छी बात है कि मुस्लिम संगठनों और अन्य लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह एक अच्छी बात है। कि सभी भूतपूर्व उपकुलपतियों को कोर्ट में रखा गया है। मेरे विचार में इससे यह निकाय न केवल शक्तिशाली हो जाएगा। एक बात जो हमें सराहनीय लगी वह यह है कि इस उपबन्ध द्वारा गठन को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया है। यह केवल उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है। मेरे विचार से विश्व-विद्यालय केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं है। यद्यपि मुसलमानों ने निश्चित रूप से इसमें भारी मात्रा में योगदान दिया है। मुसलमानों ने ऐसा किया है और हमें उस पर गर्व है। यह हमारे समस्त राष्ट्र का एक बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है और इसने हमारे देश का नाम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी फैसला है। इसलिए हमें उस पर गर्व है। इसमें ये सब उपबन्ध जोड़कर एक अच्छा काम किया गया है। इसमें लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाई जायेगी विश्वविद्यालय 'कोर्ट' अपनी सिफारिशें करेगी। कार्य परिषद कुछ प्रति वेदन प्रस्तुत करेगी, आदि-आदि। कुलाधिपति का चुनाव मतदान द्वारा हो सकता है। प्रति कुलाधिपति का चुनाव मतदान द्वारा होगा आदि आदि।

अनेक लोग जिन्हें प्रगतिवादी तत्व समझते हैं। उन्होंने उनका वर्णन किया है आप भी

ऐसा ही सोच सकते हैं, चाहे आप उसे अभिव्यक्त न करे। आप सोच सकते हैं। कि जिन लोगों का चिन्तन प्राच्य था वे प्रगतिवादी नहीं थे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि स्वरूप में बनावट और शक्तियां दोनों ही क्षेत्रों में सरकार ने अच्छा काम किया है। यह एक ऐसा कार्य है जो बहुत सावधानी और परामर्श के बाद किया गया है। यह एक बहुत ही महत्व पूर्ण मामला है । उन्होंने हमारे मन्त्री महोदय द्वारा किये गये चुनाव घोषणा पत्र के सन्दर्भ का उल्लेख किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी पार्टी है। जिसने इसे अपना चुनाव मामला न बनाया हो। इस देश में, प्रत्येक दलने,प्रत्येक नेता ने जो यहां बैठे है. किसी न किसी समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय की बात अवश्य की है। जब कुछ ऐसे संशोधन किए गए थे जो इस सबके विरुद्ध पड़ते थे जो कुछ अब यहां प्रस्तुत किया जा रहा है तो हमारी आलोचना की गई थी। अत: मैं यह अनुभव करता हूं कि यह राष्ट्र के लिए और मुसलमानों के जहन में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला है।

मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि इससे विश्व-विधालय का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप नष्ट हो जायेगा नहीं, कतई नहीं। हमारे यहाँ पहले से ही ऐसे संस्थान हैं जो इस देश में हिन्दुओं, मुसलमानों सिक्खों और ईसाईयों तथा अन्य द्वारा चलाए जा रहे है। इसमें नया कुछ भी नहीं हैं। पर कोई विश्व-विद्यालय के धर्न-निरपेक्ष स्वरूप को नष्ट नहीं कर रहा है। धर्म-निरपेक्ष स्वरूप वना रहेगा, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि यदि विश्व-विधालय में मुसलमानों का बहुमत है तो वह गैर धर्म-निरपेक्ष विश्व-विद्यालय बन जायेगा। वह धर्म-निरपेक्ष विश्व-विद्यालय तव भी बना रहता है। धर्म-निरपेक्ष की शक्ति और सार, अन्य बातों के साथ-साथ केवल संख्या पर ही निर्भर नहीं करते, अपितु सभी लोगों की सन्तुष्टि पर निर्भर करते हैं, जो कि बहुसंख्यक समुदाय की ही न होकर निश्चय ही भारत के सभी अल्पसंख्यकों की भी होनी चाहिए। यदि धर्मनिरपेक्षता से अल्प सख्यकों के मन में कुण्ठा उत्पन्न होती है तो इस देश में कोई धर्म-निरपेक्षता नहीं पनप सकेगी। यह इस देश की संरचना के उस आधार के लिए अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिए हम बचनबद्ध है। अत: मैं यह कहूंगा कि यह कहना गलत है कि यह विधेयक विश्व-विद्यालय की धर्म निरपेक्ष संरचना या स्वरूप पर चोट करता है।

मैं तो यह कहता हूं कि यह विधेयक बहुत अच्छा है और इसका पूरा-पूरा स्वागत किया जाना चाहिए इसके द्वारा कोई अधिक कार्य नहीं किया गया है या इसमें केवल थोड़ा सा ही कदम उठाया गया है। न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए और उस लोकमत का सम्मान करते हुए जो हमारे समक्ष है, मेरे विचार से इस विधेयक को लाकर सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। नेरे विचार से, यदि कुछ उन कट्टर सम्प्रदायिकतावादी लोगों को छोड़ दें जो इधर-उधर की गाते है तो इस विधेयक की विषय वस्तु का न केवल मुसलमान लोग ही समर्थन करेंगे अपितु हमारे सभी लोग करेंगे। उनका कहना था कि कुछ लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय की मांग कर रहे हैं आदि-आदि। क्या हमें इतिहास की उपेक्षा कर देनी चाहिए ? क्या हमें इस बात को भुला देना चाहिए कि गत 50 वर्षों में क्या-क्या घट चुका है ? नहीं। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो साम्प्रदायिक बातें आदि फैलाते हैं। धर्म-निरपेक्षता की हमारी शक्ति उनके

आगे झुकने में नहीं, अपितु वीरता से, साहसपूर्वक उसका मुकाबला करने में निहित है और धर्म-निरपेक्षता की संरचना के आधार को शक्तिशाली बनाने में निहित है ? इतिहास की कौन उपेक्षा कर सकता है ? कोई भी नहीं । कोई भी दल यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि इस इतिहास की उपेक्षा की जा सकती है ।

मेरे विचार से इस विधेयक को लाकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है । इस कदम के लिए मैं मन्त्री महोदय, सरकार प्रधान मन्त्री महोदया को बधाई देता हूं और मैं कहूंगा कि इस विधेयक के पारित किए जाने का समस्त देश स्वागत करेगा । धन्यवाद ।

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : सभापति महोदहय, मेरे विद्वान मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने आरम्भ में ही यह बात कही कि अल्पसंख्यक समुदाय का कुछ ध्यान रखा जाना चाहिए । यह मांग करके कि इस प्रकार का विधेयक समुदाय के लिए पारित किया जाए, मै नहीं समझता कि उनकी अधिकांश मांग पूरी कर दी गयी है ।

मैं आपको यह खोलकर बताऊंगा कि 1920 के अधिनियम की क्या स्थिति थी और उसमें क्या संशोधन किए गए है और एक फिर इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी 1950 तक तो 1920 का अधिनियम ठीक कार्य करता रहा । परन्तु भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात और जब हम समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन गए तथा हमने संसदीय लोकतन्त्र को अपना लिया तो यह अत्यन्त अनिवार्य हो गया कि अधिनियम के कुछ उपबन्धों को निकाल दिया जाय और संशोधित कर दिया जाय । 1951 के संशोधन में जो कुछ किया गया था वह इस प्रकार है । इसमें एक धारा 8 थी जिसमें कहा गया था कि 'कोर्ट' को अधिकार है कि वहां एक संविधि तैयार करे जिसमें विश्व-विद्यालय में अनिवार्य धार्मिक संस्थान का प्रावधान हो । बदली हुई परिस्थितियों में और संविधान के लागू हो जाने के कारण, यह अत्यावश्यक हो गया है कि विश्व-विद्यालय को एक धर्मनिर्पेक्ष विश्व-विद्यालय का स्वरूप प्रदान करने के लिए धारा 9 का संशोधन किया जाए और वह किया गया । इसी प्रकार धारा 8 का संशोधन किया गया । जो संशोधन किया गया मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं । धारा 8 में थोड़ा-सा संशोधन किया था, इसे हटाया नहीं गया था । धारा 8 का संशोधन निननांकित रूप में किया गया था :

> "विश्व-विद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी मूलवंश, पथ, जाति या वर्ग के हों, और उस दशा के सिवाय जिसमें विश्व-विद्यालय द्वारा स्वीकृत किसी विशिष्ट उपकृति में उस उपकृति का सृजन करने वाला किसी वसीयत या अन्य लिखित में ऐसा मानदण्ड उसकी शर्त के रूप में रखा हो, विश्व-विद्यालय किसी व्यक्ति को उसमें अध्यापक या छात्र के रूप में प्रवेश पान का या उसमें कोई पद धारण करने का या उसमें स्नातक उपाधि प्राप्त करन या उसके किसी विशेशाधिकार का उपभोग या उपयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदन्ड अंगीकार करना या किसी व्यक्ति पर अधिरोपित करना विश्वविद्यालय के लिए विधिपूर्ण न होगा"।

नई धारा 8 में एक और भी उपबन्ध है जिसमें कहा गया है :

"इस धारा की कोई बात अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से धार्मि
को देने से निर्धारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो अ

इस संस्थान को धर्मनिर्पेक्ष संस्थान का स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य
में किया गया था ।

मुसीबत तो तब खड़ी हुई जब 1965 में एक संशोधन किया गया
बहुत ही भारी परिवर्तन किया गया था, जिसमें मुख्य परिवर्तन यह था
23 संशोधित की गई थी । यह संशोधन कोर्ट की संरचना और शक्ति
नियम में एक प्रावधान था कि कोर्ट के सदस्य मुसलमान ही होंगे, किसी
कोर्ट का सदस्य बनने का अधिकार नहीं था । तत्पश्चात इसके द्वारा व
गयीं और वे कार्यकारी परिषद को सौंप दी गयीं । यही कारण था कि
न्यायालय में समादेश-याचिका पेश कर दी और उच्चतम न्यायलय ने व
थान की स्थापना या प्रशासन अल्प-संख्यक समुदाय द्वारा नहीं की गई थ
अनुच्छेद 30 के अधीन उन्हें संरक्षण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं
था कि विधान मन्डल द्वारा 1920 के अधिनियम के पारित किए जाने के
विश्वविद्यालय का जन्म हुआ और उनके मतानुसार इसे विधान मन्डल ने
इसकी स्थापना किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा नहीं की गई थी । तकनी
सकता है कि 1920 के अधिनियम के फलस्वरूप ही यह विश्वविद्यालय ब
यह है कि अधिकांशतः मुसलमानों ने ही इसके लिए धन दान में दिया ।
करने की एक शर्त यह भी थी कि उन्हें 30 लाख रुपया जमा कराना था
90 प्रतिशत अंश दान मुसलमानों ने ही किया था, क्योंकि वे इस संस्थान
थे । अतः वास्तविक रूप में वे ही लोग इसके प्रवर्तक थे और उन्होंने इस
की । यदि वे न चाहते और दान में रुपया न देते तो भारत सरकार 19
पास करने को कतई तैयार न होती । अतः वास्तविक रूप में यह कहना
विश्वविद्यालय एक संविधि । अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था,
कानूनी रूप में यह कहना सही है । जैसा कि मेरे मित्र श्री हरि वि
श्रीसोमनाथ चटर्जी बहुत ही परेशान बन गए हैं । वास्तव में यह
कौन लोग थे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को खड़ा किया तो अ
से गैर-मूसलमानों ने धन दान में दिया था क्योंकि उन दिनों हम
धर्म निरपेक्ष थे कुछ गैर-मुस्लिमों ने भी अंशदान और चन्द
कुछ गैर-मुस्लिम लोगों ने चन्दा दिया था इसलिए न्यायालय इस
केवल मुसलमानों ने ही इस संस्थान को खड़ा नहीं किया और उन्होंने
अधिनियम द्वारा खड़ा किया गया था । उन्होंने तो और आगे यह भी कह
ने इसका प्रशासन भी नहीं चलाया । उन्होंने इसका कारण यह बताय

परिषद में और विश्वविद्यालय के अन्य अभिकरणों में, उनमें से कुछ चुने गये थे और कुछ नामांकित किए गए थे और जिनका चुनाव हुआ था उन्हें गैर मुसलमानों ने भी अपना मत दिया था। अतः वे कैसे यह कह सकते हैं कि वे जो चुने गए थे और कोर्ट के सदस्य थे वे मुसलमानों के प्रति निधि हैं ···

सभापति महोदय : सिद्धान्त के अतिरिक्त वास्तविक स्थिति क्या रही थी ?

श्री गुलशेर अहमद : वास्तविक स्थिति यह थी कि विश्वविद्यालय के कोर्ट के, कार्यकारी परिषद के और अन्य अभिकरणों के सदस्यों में बहुमत मुसलमानों का था, वे लगभग 90 प्रतिशत। अतः यथार्थ यह कहा जा सकता है कि इसकी स्थापना और प्रशासन मुसलमानों के हाथ में था। परन्तु तकनीकी कारणों से उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि चूंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम द्वारा दी गई और इसका प्रशासन पूर्णतया अल्पसंख्यक अमुदाय के हाथ में नहीं था, जिसका अर्थ है स्वाभाविक रूप से संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। मेरा द्वितीय निवेदन यह है कि मेरे मित्र श्री चटर्जी ने कहा है कि इसे और अधिक धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक होना चाहिए। सभापति महोदय यह अधिक लोकतांत्रिक है। इससे पहले 1920 के अधिनियम के अधीन 400 लोग होते थे—जिसमें से अधिकांश चन्दा दाता थे। बड़ी संख्या में वे लोग जिन्होंने 30 लाख रुपया चन्दा दिया था और वे लोग जो अध्यापक संघ या इस संघ अथवा उस संघ द्वारा नहीं चुने गए थे सदस्य थे। इस विधेयक में यह किया गया है।

1951 और 1965 में जो संशोधन किए गए थे उन्हें बनाए रखा गया है और उन्हें इसमें से निकाला नहीं गया है। इसके धर्म निरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखा गया है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है और इसके साथ ही साथ इसे और अधिक लोकतान्त्रिक बनाया गया है। गैर-शिक्षक कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अध्यापनतर कर्मचारी एक चपरासी भी हो सकता है एक क्लर्क भी हो सकता है या अन्य कोई भी हो सकता है। देश की विभिन्न प्रकार की एसोसिएशनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है क्योंकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विरुद्ध एक गम्भीर शिकायत यह थी कि यह केवल उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वविद्यालय है परन्तु इस प्रावधान के द्वारा शैक्षिक समितियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, सांस्कृतिक समितियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और प्राच्यविद्या के विद्यालयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। नये अधिनियम में ये जो प्रतिनिधित्व दिये गये वे केवल अल्पसंख्यक समुदाय के वर्गों से सम्बन्धित विभिन्न हितों का व्यापक प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से ही किये गये है। अतः मैं अपने विद्वान मित्र जी चटर्जी से निवेदन करता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि यह धर्म निरपेक्ष या लोकतन्त्रात्मक नहीं है।

मैं महसूस करता हूं कि 'विश्वविद्यालय' की परिभाषा में केवल 'स्थापित' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। यदि प्रशासित या 'अनुरक्षित' शब्द भी जोड़ दिये जाते तो मुझे बहुत ही खुशी होती क्योंकि अनुच्छेद 30 में दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है स्थापत करने का अधिकार तथा प्रशासित करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पूर्ववर्ती शर्तें···

सभापति महोदय : क्षमा कीजिए। 'स्थापित तथा चलाया जाना' क्या यह पर्याप्त नहीं होगा ?

श्री गुलशेर अहमद : संविधान से प्रशासित करना शब्द है

सभापति महोदय : आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

श्री गुलशेर अहमद : मैं समझता हूं कि हमें इस शब्द के अनुसार ही चलना चाहिए अत: स्थापित करने का अधिकार प्रशासित करन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 30 में दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है अत. किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को मिटाने के लिए यदि ये शब्द तथा 'अनुरक्षण' क्योंकि यह अनुच्छेद 26 में प्रयोग किया गया है, का भी प्रयोग किया गया होता तो मेरे विद्वान मित्र श्री चटर्जी की सभी भ्रान्ति, आशंका तथा संदेह दूर हो जाते क्योंकि इन सभी पहलुओं पर तर्क वितर्क किये गये है अत. यह आवश्यक था कि इन शब्द के अतिरिक्त यहां पर कुछ और लिखा जाना चाहिए था जिससे उनकी आशंकायें दूर हो जाती। 'विश्वविद्यालय' का अर्थ यह होगा वह होगा जो कि मुस्लिम समुदायों द्वारा प्रशासित किया जायेगा तथा चलाया जायेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र की ये सभी आशंकायें दूर हो जाती।

जहां तक विधेयक के अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि जो भी अच्छे से अच्छा किया जा सकता था कर दिया गया है और इससे अच्छा कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वे अल्पसंख्यक समुदायों को सन्तुष्ट करना चाहते थे जिनकी ये दो मांगें थी। एक यह थी कि विश्वविद्यालय का वह स्वरूप मैं अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं करुगा क्योंकि यह मेरे मित्र को बुरा महसूस हो सकता है 1951 से पहले जो नहीं बनाये रखा जानी चाहिए। उसे बिना कुछ संशोधन किये बनाये नही रखा जा सकता अत: जो संशोधन किये गये है उनका स्वागत है।

सभापति महोदय : 'आधार भूत' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते।

श्री गुलशेर अहमद : जी, नहीं। फिर आधार भूत अधिकारों का प्रश्न उठ खड़ा होगा। महोदय, दूसरी बात जो वे चाहते थे वह यह था कि विश्वविद्यालय को स्वायत्तशासी बनाया जाये इस विधेयक में विश्वविद्यालय को जितना सम्भव हो सकता है स्वायत्तशासी बनाने का प्रयास किया गया है। 'विजिटर' की शक्ति प्रदान की गयी हैं। इसका तात्पर्य भारत के राष्ट्र-पति से है। मेरे माननीय मित्र ने यह समझा है कि कार्यकारी परिषद का कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा तथा वे जैसे चाहेंगे इस संस्था को चलायेगे।

महोदय मेरे मित्र की यह आशंका उचित नहीं है। यदि आप इस विधेयक को पढे तो आपको ज्ञात होगा कि विजिटर को वृहत शक्तियां प्रदान की गयी हैं उनको कुलपति को नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है स्वत: ही राष्ट्रपति या कोई भी जो कुलपति

होगा, किसी की नियुक्ति करने से पहले कई बार सोचेगा कि वह धर्म निरपेक्ष व्यक्ति होना चाहिए, एक साम्प्रदायिक भावनाओं वाला व्यक्ति नहीं कार्यकारी परिषद का नियन्त्रण होगा इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। अत मेरे विद्वान मित्र की जो भी आशंकायें हैं उन्हें हमे उनके मस्तिष्क से दूर कर देना चाहिए। मैं कहता हूं कि किसी को भी साम्प्रदायिक सुझाव नहीं रखना चाहिए। उसको कोटि का सदस्य नहीं बनाया जाना चहिए अन्यथा वह एक प्रगतिवादी ढंग से अपना कर्तव्य पूरा करने में सफल नही होगा। यह केवल अत्युक्ति करना है। में समझता हूं कि यह आशंका ठीक विश्लेषण तथा ठीक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। मैं समझता हूं कि जो विधेयक प्रस्तुत किया है गया वह सभी संसद सदस्यों की सराहना का पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्ता उन्होंने मुझसे विशेष रूप से निवेदन किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : हम सभी अच्छे हैं। ठीक हैं, उनको बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : मैं कहता हूं सभी अच्छे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या मैं शुरू करूं ?

सभापति महोदय : हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : महोदय इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर टिप्पणियां करने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य का सम्बन्ध है वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान करना है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 30 में सोचा गया है। हम इसको पूर्ण समर्थन देते हैं मुझे इस तर्क ने अधिक प्रभावित नहीं किया कि यह बात सत्ताधारी दल के चुनाव घोषणा पत्र मे थी। मैं इसका समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी पार्टी भी इसके लिए लम्बे समय तक आन्दोलन करती रही है। हम महसूस करते है कि बहुत से ऐतिहासिक कारणों, परम्परागत कारणों जिनका उल्लेख अन्य वक्ताओं द्वारा किया गया है की वजह से इस विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप पुनः प्रदान करना आवश्यक है।

मैं ऐसा इस बात के बावजूद भी कहता हूं कि इस देश में अधिकतर मुसलमान संख्या वे लोग है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तथा जो कि जीवनयापन, रोजगार तथा शिक्षा के भी अवसरों से वंचित है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : वंचित उनको कोई वंचित नहीं करता।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : वे अपनी गरीबी के कारण वचित हैं आपको इसका ज्ञान नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपका क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मुझे मालूम है (व्यवधान) महोदय, इस देश के बहुत से मुसलमानों के बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फाटक को भी देखने की उम्मीद नहीं कर सकते ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : प्रो० रंगा आपके पैदा होने से पहले से लोगों को जानते है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली ?

सभापति महोदय : वाद विवाद में मत उलझियें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समझता हूं कि प्रो० रंगा अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं । आप भी उनसे बाद में ही पैदा हुए हैं, पहले नहीं । अत: महोदय आप चाहे जो भी इस विश्वविद्यालय के लिए करें उससे देश में हमारे अधिकांश मुस्लिम बधुओं के बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा सकते । उसके बावजूद भी मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक के प्रावधानों का अधिनियमन किया जाना आवश्यक है । मुझे खुशी है कि इसमें विश्वविद्यालय की शक्तियों के सम्बन्ध में यह विशेष-रूप से कहा गया है कि इस विश्वविद्यालय को देश के मुसलमानों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का उत्थान करना चाहिए । यह एक अच्छी व्यवस्था है मैं इस विचार का भी समर्थन करता हूं कि 'कोर्ट' को एक सर्वोच्च कार्यकारी निकाय की स्थिति पुन: प्रदान की जानी चाहिए । अभी भी इस विधेयक के पारित होने से पहले कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कुछ शक्तियों को (यदि ये शक्तियां, साम्प्रदायिक शक्तियां या पुराणपंथी शक्तियां या रूढीवादी शक्तियां हैं) अलीगढ़ में अपना प्रभाव तथा दबाव अजमाने से रोक सके ।

मेरे विचार मे श्री चटर्जी के दिमाग में अभी हाल ही की घटना हैं जो कि एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी प्रो० इरफान हबीब जिनका मैं आदर करता हूं, के बारे में है, क्योंकि उनके विरुद्ध जो आन्दोलन आरम्भ किया गया था वह उनके द्वारा किसी नियम अथवा विश्वविद्यालय के अनुशासन का उल्लंघन करने के आधार पर नहीं किया गया था । उनके विरुद्ध जो आन्दोलन आरम्भ किया गया था वह निश्चित रूप से इस कारण किया गया था क्योंकि उन्होंने कभी भी यह तथ्य छिपाया नहीं था कि वह मार्क्सवादी है । इसीलिए इस प्रकार के नारे दीवारों पर लिखे गए थे जिनको प्रोत्साहन केवल सुधार-विरोधी और प्रतिक्रियावादी तत्वों से ही मिल सकता है । परन्तु क्या इसे केवल इस कारण से रोका जा सकता था कि उस समय तक विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप नहीं दिया गया था । ऐसा नहीं किया जा सकता । हो सकता है कि ऐसे कुछ तत्व वहां हों । परन्तु इसके अलावा भी कुछ तत्व हैं, धर्मनिरपेक्ष तत्व लोकतांत्रिक तत्व इत्यादि । किसी समय इन सब शक्तियों में टकराव भी हो सकता है । मेरे विचार में यह ठीक नहीं हुआ कि प्रो० इरफान हबीब को निलम्बित किया गया और एक जांच का आदेश दिया गया तथा उस जांच का कार्य उड़ीसा के न्यायाधीश श्री खलील को दिया गया जो स्वयं 'ओल्ड ब्वायज एसोसिएशन' की कार्य-

कारी समिति के भूतपूर्व सदस्य थे और एसोसिएशन श्री इरफान हबीब के विरुद्ध आन्दोलन की अगुआ थी। और इस ओल्ड ब्याइज एसोसिएशन के एक विशिष्ट सदस्य को जाँच-पड़ताल के लिए नियुक्त किया गया था। मेरे विचार में ऐसा करने से यह विश्वास नहीं होता कि जांच-पड़ताल निष्पक्ष होगी। (व्यवधान)। किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए थी जिसका इन सब बातों से कोई सम्बन्ध न रहा हो। खैर, मैंने सुना है कि उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को ले लिया गया है। क्या यह बात सत्य है ? क्या किसी दूसरे न्यायाधीश की नियुक्ति कर ली है ? मुझे इस बारे में ठीक से मालूम नहीं है। न्यायाधीश श्री खलील की नियुक्ति की गई थी (व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे विचार में उनका नाम श्री खलील अहमद है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री चटर्जी ने कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा कानूनी बातें उठाई हैं जिनके बारे में मैं कुछ भी कहने की क्षमता नहीं रखता। यदि कानून मन्त्री चाहें तो वह श्री चटर्जी से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। मुख्य बात जो यह कहना चाहते हैं, मेरी समझ में वह यह है कि यदि एक बार इस विश्वविद्यालय को अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान कर कर दिया जाता है तो, किसी भी बाह्य अभिकरण, चाहे वह संसद या सरकार या अन्य कोई अभिकरण हो, के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्भव न होगा। यदि यह बात कानूनी और संवैधानिक रूप से ठीक है तो कुछ लोगों के दिल में यह डर समा सकता है कि यदि किसी समय किंचित तत्व 'कोर्ट' पर प्रभावी हो जाते हैं तो वह संविधि को इस प्रकार से बदलवा सकते हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता के लिए हानिकारक हो और उस समय आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते आप कुछ नहीं कर सकते और यदि ऐसी कानूनी स्थिति है तो इसके बावजूद भी कि कोई कानून संसद में पास किया जा रहा है मैं नहीं जानता कि क्या अन्य शिक्षा संस्थाएं, जो इस देश में अल्पसख्यकों ने अपनी पसन्द से स्थापित की हैं—ऐसी बहुत सी हैं और वे जो कि संसदीय संविधि द्वारा स्थापित नहीं की गई हैं—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के समतुल्य हो जायेंगी और मैं समझता हूं कि सामान्य तौर पर यह बात ठीक नहीं होगी। मैं जानता हूं कि कुछ निजी संस्थाओं में दुराचार और कुप्रशासन है। अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता उनसे इस आशय के हस्ताक्षर करवाये जाते हैं कि उन्होंने कुछ राशि वेतन प्राप्त की है परन्तु उन्हें वास्तव में वह राशि दी नहीं जाती। ऐसी कई बातें होती हैं। परन्तु क्या ऐसा अल्पसंख्यकों की पसन्द की किसी संस्था, जिसे कि संसद द्वारा न स्थापित किया हो, में भी हो सकता है ? क्या इसका यह मतलब है कि यदि हम यह पायें कि इसमें कुछ गलत हो रहा है तो भी हम इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ? उदाहरण के लिए यदि कभी नई 'कोर्ट' ऐसी संविधि पास कर दे जिसमें यह व्यवस्था हो कि यद्यपि यह विश्वविद्यालय धर्म जाति और लिंग के भेद-भाव के बिना सबके लिए खुला है परन्तु उसमें प्रवेश के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के अनुपात या प्रतिशत की कोई सीमा निर्धारित होगी तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए कोई क्या कर सकता है ? मुझे नहीं मालूम। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे डर हो सकते हैं यद्यपि हमें यह कोशिश करनी चाहिये और हमारे मन

में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि विश्वविद्यालय की प्रशासकीय शक्तियों का कभी साम्प्रदायिक या धर्मनिरपेक्षक के विपरीत उद्देश्यों से दुरुपयोग किया जाये तो उस बारे में संसद अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा उपचारी-उपाय किए जा सकेंगे। मुझे इन सम्बन्ध में कानूनी स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं मालूम। मन्त्री महोदय कृपया इसे स्पष्ट रूप से बनाएं। मैं उस विचार का समर्थन नहीं करता, हालांकि मैं यह नहीं जानता कि किसी ने यहाँ पर विचार व्यक्त किये हैं और यह भी नहीं जानता कि आगे बोलने वाले वक्ताओं के क्या विचार होंगे, परन्तु मै इस विचार का समर्थन नहीं करता क्योंकि सस्था में मुसलमानों का बाहुल्य है इसलिए स्वयमेव ही इसमें साम्प्रदायिकता सुधार-विरोधी या प्रतिक्रियावादी रंग आ जाएगा। मेरा दल निश्चित रूप से इस विचार का समर्थन नहीं करता। और यदि ऐसा हो भी तो अन्य समुदायों में भी सुधार-विरोधी तत्व हो सकते हैं जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से अधि धर्मान्ध होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार धर्म-निरपेक्ष के विचार से बहुत सी बातें नहीं हो सकती।

परन्तु मैं यह महसूस करता हूं, मैं कोई कानूनी मुद्दा नहीं उठा रहा, स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं और एक राजनीतिक मुद्दा उठा रहा हूं कि आज के ससार में, आज की परिस्थितियों में भारतीय मुसलमानों पर कुछ साम्प्रदायिक, पृथकतावादी तथा रूढ़ीवादी शक्तियों द्वारा अनुचित प्रभाव डाला जा रहा है। ये शक्तियां कुछ स्वदेशी हैं और कुछ विदेशी भी हैं। इस अवस्था में, मैं यह समझता हूं कि हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम दूनियाँ को यह दिखा दें कि अपने देश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक धर्मावलम्बियों के लिए हम संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए एक कानून पास कर रहे हैं। यह बहुत आवश्यक है। न केवल इसलिए कि यह एक रक्षात्मक कदम होगा बल्कि इसलिए भी कि मुस्लिम समुदाय और गरीब मुसलमान भी जिन्होंने कभी विश्वविद्यालय को देखा तक नहीं इस कदम का स्वागत करेंगे।

वर्तमान स्थिति यह है कि इसकी सर्वोच्च कार्यपालिका का कार्य 'कोर्ट' नही कर रही हैं, इसके लिए कार्यकारी-परिषद् जिसमें मुख्यत: कि शिक्षा-विद हैं। जहां तक मैं जानता हूं विश्व-विद्यालय के शिक्षकों में—वरिष्ठ शिक्षकों, रीडरों और डीनों इत्यादि में—मुसलमानों का बहुत अधिक बाहुल्य नहीं है, वहाँ बड़ी संख्या में, मैं ठीक से नहीं जानता लगभग 40 प्रतिशत गैर-मुस्लिम हैं और ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि भविष्य में इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। कार्य-कारी परिषद् में गैर-मुसलमानों की संख्या बढ़ते चले जाने की काफी सम्भावना है। इसलिए यदि विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप बनाये रखना है तो मेरे विचार में सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था का दर्जा कार्यकारी परिषद् की बजाय 'कोर्ट' को दिया जाना ठीक रहेगा।

इस सब के बाद मेरा यह कहना है कि खंड 20 के प्रावधानों में, जो कि कोर्ट की संरचना के बारे में है, मेरे विचार में इतनी गुंजाइश और शिथिलता है कि इसे और लोक-तांत्रिक बनाया जा सकता है। इसे जितना सम्भव हो सके उतना अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाना आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, पिछले सप्ताह तक, जबकि कार्य मत्रालय समिति की बैठक हुई

थी, सरकार ने यह नहीं बताया कि उ का इस अधिवेशन में इस विधेयक को लाने का इरादा है। अब अधिवेशन में केवल दो दिन रह गए हैं और सरकार इस विधेयक को लाई है और अब इस बारे में शीघ्रता से माल लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि कुछ और समय दिया जाना चाहिए था ताकि हम कोर्ट की संरचना को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए किए जा सकने वाले परिवर्तनों के बारे में मन्त्री महोदय और अन्य लोगों से बातचीत कर सकते। अब यह सम्भव नहीं है। जैसा कि मेरे माननीय साथी ने किया है, मैंने भी कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है परन्तु इस समय किसी भी संशोधन पर विचार नहीं किया जा सकेगा। यदि उन्होंने विधेयक प्रचार-समिति को सौंप दिया होता तो इस पर अधिक विस्तार में विचार किया जा सकता था।

एक मुख्य सुझाव जो मैं देना चाहूंगा, वह यह है कि जहां भी कोर्ट के लिए लोगों की भिन्न-2 श्रेणियों द्वारा निर्वाचन का उपबन्ध किया गया है, वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत द्वारा करवाया जाना चाहिये। इसे और अधिक लोकत्रांत्रिक बनान का केवल यही एक तरीका है। दूसरे हमने यह सुझाव दिया है कि शिक्षकों और प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व कुछ और बढ़ाया जाना चाहिए। अध्यापनेतर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जाना चाहिये। उन्हें केवल पांच सीटें देने से क्या लाभ है यह 169 व्यक्तियों की बड़ी परिषद हैं। उनकी संख्या पाँच से बढ़ाकर दस कर दी जानी चाहिए। दान देने वालों के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि उनके प्रतिनिधित्व को कुछ कम किया जाना चाहिये किसी ने कहा कि दान देने वाले कम होते जा रहे हैं और अब उनका महत्व प्राप्त था। परन्तु अब उनका प्रतिनिधित्व कम किया जा सकता है और किया जाना चाहिये।

मैं पुराने विद्यार्थी के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि प्रतिनिधि वर्तमान 'ओल्ड ब्वायज ऐसोसिएशन' के केवल उन सदस्यों में से ही नहीं चुने जाने चाहिये जिनकी संख्या 1000 या इसके आस पास है। मैं पुराने विद्यार्थियों के एक निर्वाचक मंडल की स्थापना करने का सुझाव देता हूं। पुराने विद्यार्थियों का चाहे वह भारत में कहीं भी हो, पंजीकरण एक निर्वाचक मंडल के सदस्य के रुप में किया जाना चाहिये और वह निर्वाचक मंडल 'कोर्ट' के लिए पुराने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि चुने, बजाय इसके कि इसे उन कुछ लोगों तक ही सीमित रखा जाये जोकि एसोसिएशन के सदस्य हैं। हमें इसके क्षेत्र का विस्तार करना चाहिये। मेरा विचार यह है कि ऐसा बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है।

हम धर्म निरपेक्षता के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। परन्तु मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुस्लिम सस्कृति तथा विज्ञता के प्रतिनिधियों की परिभाषा संतोष जनक नहीं है। उदाहरण के लिए सांविधि 14 के उपखण्ड (छब्बीस) में कहा गया है।

> "भारत में प्राचीन विज्ञता के मुस्लिम महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह व्यक्ति कोर्ट द्वारा चुने जायेंगे।"

और इसके अतिरिक्त उपखण्ड (अट्ठाईस) और (उन्तीस) में कहा गया है।

"(अठाईस) उर्दू भाषा और साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों का निर्वाचन कोर्ट द्वारा किया जायेगा"

"(उन्तीस) उत्तर प्रदेश के बाहर की मुस्लिम शैक्षिक और सांस्कृतिक समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच व्यक्तियों का निर्वाचन कोर्ट द्वारा किया जाएगा।"

मुझे इन बातों पर विशेष आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं यह कहूंगा कि इन सब परिभाषाओं में जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी सस्था का कोई स्थान नही है। क्या आप इसे पुरानी और राष्ट्रीय परम्पराओ वाली धर्म निरपेक्ष सस्था नहीं मानते ? आपने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया को इसमें कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। कृपया इस बारे में ध्यान दें। परिभाषा इतनी विस्तृत होनी चाहिए । कि इस प्रकार की संस्थाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके ।

अब कुलपति के नामांकन के लिए नामों की तालिका विजिटर को भेजी जाती है काम दो चरणों में किया जा सकता है। सबसे पहले कार्यकारी परिषद पाँच नामों की सिफारिश करेगी, तब यह कोर्ट में जाएगी तब 'कोर्ट' यदि चाहे तो नामों की संख्या घटा कर तीन कर सकती है। तब वे तीन नाम 'विजिटर' को भेजे जाएंगे। यह एक प्रकार से चयन प्रक्रिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब आवश्यक क्यों है। मेरा विचार है इसमें कार्यकारी परिषद को केवल सिफारिश करने के लिए कहा जाता है। मेरा विचार है कि कुलपति के पद के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसी के नाम की सिफारिश करना अधिक अच्छा रहेगा मेरा यह सुझाव है कि कार्यकारी परिषद द्वारा सिफारिश किये जाने वाले पांच नामों की सूची कोर्ट द्वारा बिना कोई काट छांट किये विजिटर को भेजी जानी चाहिये। ऐसा होना चाहिये अन्यथा कुछ समस्यायें पैदा हो सकती हैं।

अन्त में मैं विश्वविद्यालय के माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा विश्वविद्यालय परिषद में ऐसे तीन स्कूल हैं। केवल यह बताने के लिए वर्तमान प्रशासन किस प्रकार नौकरशाही तरीके से और अनियमित रूप से कार्य करता है मैं यह कहूंगा कि 1973 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विश्वविद्यालय ने अधीन चल रहे माध्यमिक स्कूलो के 20 प्रतिशत शिक्षकों को सिलेक्शन ग्रेड देने का फैसला किया था । यह सुझाव विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। शिक्षकों की सूची बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की गई । दो वर्ष पहले इसे उपकुलपति की सहमति भी प्राप्त हो गयी थी। परन्तु आज तक एक भी शिक्षक को इस सिलेक्शन ग्रेड का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इससे लाभान्वित होने वालों में से कुछ लोग अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है। इससे प्रतीत होता है कि शिक्षकों के लाभ के लिए उठाये जाने वाले छोटे से कदम से जिसे कि आप आठ वर्ष पूर्व सहमति प्राप्त हो गई थी, प्रशासन के रवैये के कारण आज तक किसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सका। अतः भविष्य में आप जब भी प्रशासन को लोक तांत्रिक अथा धर्म निरपेक्ष

बनाना चाहें तो हमें यह देखना होगा कि उसमें सुधार की कुछ गुंजाइश है या नहीं। परन्तु मेरा विचार है कि आप कहेंगे कि अब कुछ भी करना सम्भव नही होगा, विधेयक को पारित होने दीजिए। और यदि एक बार विधेयक पारित हो जाता है तो श्री सोमनाथ चटर्जी के कथनानुसार आप प्रशासन की संविधि या अन्य किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि ये अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण मांगेंगे मैं उन्हें अल्पसंख्यक संस्था का स्वरूप देने का समर्थन करता हूं परन्तु विधि मन्त्री को चाहिए कि वह यह बताये कि क्या इस बारे में कानूनी अथवा संवैधानिक दृष्टि से श्री सोमनाथ चटर्जी की यह आशंका ठीक है अथवा नहीं, क्योंकि इस सम्बन्ध में यदि हमें यह मालूम हो कि कुछ ग़लत काम हो रहा है और यदि हम पायें कि हमारे पास वहां हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है तो वह सुखद स्थिति नहीं होगी। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो कि मैंने प्रशासन की संविधि और स्वरूप के बारे में कही है मैं संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन इस विश्वविद्यालय को अल्प संख्यक स्वरूप देने के इस विधेयक का सामान्यतः समर्थन करता हूं।

श्री राम जेठमलानी : (बम्बई उत्तर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, सत्तारुढ़ दल में कई जाने माने मुसलमान व्यक्ति है। यदि वह इस विधेयक से संतुष्ट हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसी प्रकार से इस ओर भी कुछ जाने माने मुसलमान व्यक्ति हैं। मुझे आशा है कि वे भी इस विधेयक से संतुष्ट हैं। यदि इस संबध में सदन के दोनो तरफ से मुस्लिम सदस्यों की एक राय है तो मेरा विचार है कि इस विधेयक के प्रावधान पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

परन्तु यह एक ऐसा विधेयक है जिसके बारे में यह सोचा जा सकता है कि यह एक संस्था को दोबारा अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान करने के लिए लाया गया हैं और इसलिये इस बारे में मुख्यत. अल्पसंख्यकों के हित, उनकी इच्छाओं और आकंक्षाओं को ध्यान में रखना ही संगत है न कि इस बात को कि अन्य लोग इस बारे में क्या सोचते है। अब मैं ऐसे विषय के बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं नहीं जानता कि मुसलमानों की एक राय है या नहीं। ऐसा मैं इस विधेयक की अन्यन्त्र असंतोषजनक बातों की ओर ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूं। मैं शासक दल और देश के मुस्लिम मतदाताओं के बीच कोई मतभेद नहीं पैदा करना चाहता परन्तु यह मेरा कर्त्तव्य है क्योंकि मैंने इस विषय में दिलचस्पी ली है और इस विषय मे मेरी दिलचस्पी का प्रमाण यह है कि जब जनता सरकार शासन में आई थी तो वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के एक विधेयक लाये थे। यह बात रिकार्ड में भी है कि जब वह विधेयक लाया गया था तो मैंने उठकर दृढ़ता से जनता सरकार की आलोचना की थी कि उसने मुस्लिम सरकार की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया है मैंने उस समय यह कहा था कि अल्पसंख्यक आयोग ने तीन इच्छायें प्रकट की थी और विधेयक मे केवल दो ही इच्छाओं को पूरा करने के लिये व्यवस्था की गई है और तीसरे को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। जनता सरकार नहीं रही उसके बाद एक और विधेयक पुरः स्थापित किया गया था और वह विधेयक इस रूप में पुरः स्थापित किया गया कि वह जनता

सरकार द्वारा पुर:स्थापित विधेयक की अपेक्षा भारत के मुसलमानों के प्रति अधिक बड़ा धोखा था। पुर:स्थापित किए जा रहे विधेयक से सन्तुष्ट न होते हुए मैंने सभा में गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक (1980 का संख्या 28) प्रस्तुत किया था और मुझे आश्चर्य हुआ कि इस सभा के एक भी सदस्य ने इस विधेयक का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विषय में सारी शरारत उच्चतम न्यायालय के 1967 के निर्णय से पैदा हुई है। मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। उच्चतम न्यायालय उस तर्क के सामने झुक गया जो इस देश में तत्कालीन सरकार की ओर से दिया गया था और वह सरकार निश्चय ही विपक्ष द्वारा गठित सरकार नहीं थी। वह उन लोगों की सरकार थी जिन्होंने अब यह विधेयक पुर:स्थापित किया है उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 30 की व्याख्या की थी और उनने निर्णय दिया कि भारत के किसी विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा बनाये गए विश्वविद्यालय को कभी भी अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित नहीं कहा जा सकता है। चाहे उनकी स्थापना का इतिहास कुछ भी हो चाहे वे कारण कुछ भी हों जिनकी वजह से यह संस्थान बना और उसके ऐतिहासिक विकास का उद्देश्य या दिशा चाहे कुछ भी रही हो उस निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए। इसके लिए आपको वे विधायी निर्णय एकत्रित करके प्रस्तुत करने होंगे जो तत्कालीन सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किये गये उन तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं जिनके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया था मुझे यह देख कर खेद हुआ कि ऐसा नहीं किया गया है। मैं अब भी भारत के उन मुसलमानों को जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को प्यार करते हैं, सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक विधायी निर्णयों की श्रंखला आमुख के रूप में विधेयक में नहीं दी जाती तब तक इस निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता है। मैं एक गैर-सरकारी संसद सदस्य के विधेयक से जो मैंने पुर: स्थापित किया था- पढ़ रहा हूं। उसके अनुसार :

"यत: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 के द्वारा सर सैयद अहमद खां की इस आशय की प्रेरणा के फलस्वरूप की गई थी कि मुस्लिम धर्म के निदेशों और परम्पराओं के साथ साथ साहित्य और विज्ञान में भी मुसलमानों को उदार शिक्षा प्रदान की जाए :

और यत: मुस्लिम विश्वविद्यालय संगम की स्थापना अलीगढ़ में अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनार्थ की गई थी ;

और यत: मुस्लिम समुदाय ने 30 लाख रुपये की रकम संगृहीत की थी जो विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए स्थायी विन्यास बन गई;

और यत: 1920 के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय सभा को ऐसे परिनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी जिनमें यह उपबन्ध हो कि मुस्लिम धर्म के निदेश मुसलमान विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हैं,

और यतः विश्वविद्यालय के पूर्ण इतिहास से केवल एक ही निष्कर्ष निकला है कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए की गई थी।"

इसका क्रियात्मक भाग यह था :

> "एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ज्ञात विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 के द्वारा की गई थी, मुसलमानों द्वारा, जो भारत में एक धार्मिक अल्प संख्यक समुदाय है, स्थापित एक शिक्षा संस्था है।"

इन विधायी निर्णयों को विधेयक में शामिल किए बिना, यह विधेयक संस्थान के अल्प संख्यक स्वरूप के प्रति धोखा होगा। मेरा निवेदन है कि भारत के मुसलमानों से यह कहना है कि "हम आपकी मांगों को पूरा कर रहे हैं" उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है वास्तव में आप उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जब तक आप इस पूरी बात को प्रस्तावना के रूप में सम्मिलित नहीं करते हैं तब तक आप इस विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप, मुस्लिम स्वरूप वापस करने में सफल नहीं होंगे। मैं आगे बताता हूं। मैंने जो विधेयक पुरःस्थापित किया था उसे मैंने "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (अल्पसंख्यक स्वरूप का प्रत्यावर्तन) विधेयक, 1980" नाम दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि इस लम्बे विधेयक में ऐसा क्यों है, आपने कहीं भी इस उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया है न तो प्रस्तावना में न इसके नाम में और न ही उद्देश्यों और कारणों के कथन में? उद्देश्यों और कारणों के कथन में कोई विशेष बात नहीं कही गई है जिस बात का प्रमुख रुप से उल्लेख किया जाना चाहिए था वह बात स्पष्ट रुप से मौजूद नहीं है। विधेयक का उद्देश्य उद्देश्यों और कारणों के कथन में पूरी तरह से नहीं दिया गया है मद (4) के पैरा 2 का आरम्भ "प्रत्यावर्तन' से होता है। मैंने जब इसे पढ़ा तो सोचा कि वे इस संस्था के अल्प संख्यक स्वरूप को अब प्रत्यावर्तित करने की सोच रहे हैं। परन्तु मैंने पाया कि यह "सभा को विश्व विद्यालय के उच्चतम शासी निकाय की हैसियत वापस देना और इसकी रचना में संशोधन करना है। इसलिए, यह विधेयक न तो इस संस्थान के अल्पसंख्यक स्वरूप को प्रत्यावर्तित करने का दावा करने वाला विधेयक है और न इसके उपबन्ध ही इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाये गये हैं। यह केवल इसे और बिगाड़ने के लिए है। मैं आगे बताता हूं इस तथ्य के बावजूद कि अनुच्छेद 30 के अनुसार कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान हो सकता है, यह निर्धारित कानून है कि देश के विधान मण्डल, इस मामले में केन्द्रीय विधान मंडल के पास शिक्षण स्तर, अध्यापकों की शैक्षाणिक योग्यताओं, रोजगार की स्थितियों, अनुशासन, अच्छे व्यवहार, सार्वजनिक व्यवस्था और शान्ति को विनियमित करने की शक्ति है। अल्पसंख्यक संस्थान में भी ये विषय केन्द्रीय विधान मण्डल द्वारा कानून बनाये जाने और विनियमित किये जाने के मामले हैं। मैं देखता हूं कि इस प्रकार की कोई बात इस विधेयक में बिलकुल नहीं है इस विधेयक में कोई मार्गदर्शी बातें नहीं दी गई हैं। यह विधेयक किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं करता है न ही इस विधेयक में कोई प्राधिकार दिया गया है या प्रशासन के इन पहलुओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है जो कानून द्वारा विनियमित किये जा सकें। मैं मानता हूं कि इस

संस्थान में, अन्य धर्म निरपेक्ष विषयों के अतिरिक्त प्रमुख अध्यापन निःसन्देह इस्लाम की उस भावना का प्रचार करना होगा जिसे वे सभी लोग ठीक तरह समझते हों जो कि इस्लाम के गौरवकाल में उसके रुप को समझते हों । मैंने हमेशा यह सोचा और यहां मैं अपने मित्रों के साथ इस विषय में सहमत हूं कि इस संस्थान में वे राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक सिद्धान्त पढ़ाये जाते हैं जो इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं । मेरे विचार से, इस विश्वविद्यालय के प्रशासकों के पास इस विश्वविद्यालय के प्रशासकों के पास इस विश्वविद्यालय से इस प्रकार की शिक्षा को समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए । और यदि वे लोग जो इस विश्वविद्यालय के प्रशासन के प्रभारी हैं या होंगे, इस्लाम के साथसाथ साम्यवाद को संगत नहीं मानते हैं, तो इसे वहां की शिक्षा से निकाल फेंकना उनका कर्तव्य होगा और इस विश्व विद्यालय में साम्यवाद का कोई सिद्धान्त पढ़ाया नहीं जाना चाहिए । जहां तक मैं समझता हूं, इस्लाम तीन बातों का समर्थक है । और इस विधेयक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि इस विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा इस्लाम के इन तीन प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप दी जाए । इस्लाम विशुद्ध लोकतंत्र का समर्थक है । यह लोकतंत्री समुदाय है । यह हो सकता है कि आज अधिकांश मुस्लिम देशों में लोकतंत्र नहीं है । परन्तु यह उन देशों में रहने वाले मुसलमानों का दुर्भाग्य है । परन्तु, महोदय, इस्लाम लोकतन्त्र की बात करता है। इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि विधेयक में स्पष्ट मार्गनिर्देशन किया जाना चाहिए कि जो लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे उन्हें लोकतन्त्र के मूल प्रारम्भिक पाठों की पढ़ाई करनी होगी । उन्हें एक भगवान की पूजा करना सिखाया जाएगा और केवल उसी भगवान की तथा पृथ्वी के सांसारिक भगवानों की नहीं, क्योंकि आज अनेक विश्वविद्यालयों में यह व्यक्ति पूजा बढ़ती जा रही है और सभी प्रकार के टीन के भगवान बनाए जा रहे हैं और वे टीन के भगवान इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से आदर सम्मान प्राप्त करने जा रहे हैं । यह इस्लाम की सारी शिक्षा के अनुरूप नहीं होगा । मेरा विचार है कि इस विधेयक कुछ मार्ग निर्देशन अवश्य दिया जाना चाहिए ।

प्रथा चाहे कुछ भी रही हो, ऐतिहासिक विकासक्रम में प्रत्येक धर्म में विकार पैदा होते रहे हैं। हिन्दूवाद में विकार रहे, ईमायत में विकार रहे हैं और ऐसा ही इस्लाम में भी रहा । इस्लाम सभी धर्मों का आदर करने का समर्थक रहा है । इसलिए, मुझे विश्वास है कि इस विश्व विद्यालय में, ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी पर इस संस्थान के संस्थापक सैयद अहमद खान को गर्व हो, जिन्होंने कहा था और घोषणा की थी कि इस संस्थान के छात्रों को पूरे देश में जाना चाहिए और भारतीयता और एक भारत का धर्मोपदेश भारत के कोने-कोने में फैलाना चाहिए । मैंने सोचा था कि इस विश्वविद्यालय के प्रशासन के बारे में इस प्रकार के उपबन्ध करने के बजाए, जो एक दूसरा धोखा है, यह विधेयक कुछ मार्गनिर्देशन देगा एक हाथ से जो उन्होंने देने का प्रयास किया है, दूसरे हाथ से वही छीन लिया है मूलतः ये बातें संविधियों द्वारा विनियमित होती हैं ।

सभापति महोदय : आपका कहने का मतलब यह है कि वे दोनों हाथों का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री राम जेठमलानी : दोनों का एक। से ले रहे हैं और दूसरे से दे रहे हैं। मैं यह दिखाना चाहता हूं कि प्रशासन संबंधी उपबन्ध पहली नजर में ही कितने बेतुके हैं। संविधान और कोर्ट के ढांचे सम्बन्धी धारा से मैंने यह पाया कि इस कोर्ट के 44 सदस्य होंगे जिन्हें स्वयं कोर्ट द्वारा चुना जायेगा। मैंने इतना बड़ा बेतुकापन पहले कभी नहीं देखा कि किसी निकाय को संरचना के लिए ऐसा उपबन्ध किया जाए, जिसके 44 सदस्यों का चुनाव स्वयं उसी के द्वारा किया जाता हो। इस मंडल को कैसे चुना जाएगा और 44 के चुनाव का आरम्भ करने वाला पहला कोर्ट कौन सा होगा मुझे नहीं पता। यह एक बेतुकापन है जिससे विधि मन्त्री को भिड़ना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि वह कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण देंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरा विचार है कि कोर्ट के गठन से संबंधित धारा को कार्यरूप में परिणत करना असंभव है और विधि मन्त्री चाहे कितनी भी प्रवीणता क्यों न प्रयोग करें, मुझे विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय पहले तो न्यायालयों में ही समाप्त हो जाएगा और मुकदमें बाजी कभी भी खत्म नहीं होगी क्या आप इसके प्रशासन के उस अधिकार में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं जो संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को दिया गया है, उदाहरण के लिए, आप कहते हैं कि विजिटर द्वारा 5 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाना चाहिए और आय अधिनियम द्वारा कहते हैं कि विजिटर द्वारा 5 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि भारत के राष्ट्रपति विजिटर हैं और राष्ट्रपति सांविधानिक प्रमुख हैं। मैं आपको केवल एक दृष्टांत दे रहा हूं। कोर्ट में काफी लोग मनोनीत व्यक्ति हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सत्तारूढ़ सरकार उन पांच व्यक्तियों को मनोनीति करेगी। इसी तरह, यदि आप गणना करें तो आप पाएंगे कि सरकार ने कोर्ट पर नियंत्रण रखने का अधिकार स्वय ले लिया है और यह अनुच्छेद 30 से बिलकुल असंगत है और यह अनुच्छेद 30 के साथ धोखा है क्योंकि आप उन्हें यह बताने का ढोंग कर रहे हैं कि आप उन्हें प्रशासन का अधिकार वापस दे रहे हैं, परन्तु आप इसे शब्दों द्वारा देने का ढोंग कर रहे हैं और कार्यरूप में उसे छीन रहे हैं।

मैंने भारत के मुसलमानों को चेतावनी दे दी है परन्तु, महोदय, इसका निर्णय अब उन्हें करना है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेझे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे पिछला संशोधन 1972 में हुआ था। उस वक्त इत्तिफाक से मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष था। जब इसी सदन में उस संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो मैं भी गैलरी में बैठ कर चर्चा सुन रहा था।

श्रीमन् उक्त विश्वविद्यालय को किस प्रकार से चलाया जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनि-

वर्सिटी का करेक्टर क्या रहे, इस बारे में अपनी मांगों को लेकर उस समय की स्टूडेंट्स यूनियन ने जो आन्दोलन चलाया था, उसमें मैं यूनियन का प्रेजीडेंट होने के नाते आगे था। आज मैं यह समझता हूं कि उन मांगों को इस विधेयक के द्वारा से पूरा कर दिया गया है। उन मांगों को पूरा किये जाने के लिए, मैं आपके माध्यम से, श्रीमन्, माननीय शिक्षा मन्त्री, माननीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को और उनकी सरकार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। यह न केवल अपनी तरफ से बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के समुदाय और उससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की ओर से देना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री ने अपने वक्तव्य में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जो कुछ बताया है, अगर आप नजर डालें उस नम्बर पर जितने नम्बर में अलीगढ़ में छात्र शिक्षा पाते हैं और पूरे हिन्दुस्तान में मुसलमानों की जो तादाद है, और उन दोनों का मुकाबला करें तो आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अकेली मुसलमानों की शिक्षा का कोई हक नहीं है। (व्यवधान)

मेरे ख्याल से अगर श्री रशीद मसूद साहब बेसब्री न करें तो अच्छा होगा। जब माननीय चौधरी चरण सिंह जी प्रधान मन्त्री थे, और उस वक्त जो विधेयक ले आये थे तो उस समय आप कोई बेसब्री नहीं दिखायी।

मेरा कहना यह है कि अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जितने छात्र शिक्षा पाते हैं। या जितनी वहां पर व्यवस्था है, मुसलमानों की शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। इसलिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आपने अल्पसंख्यक चरित्र दे दिया तो इससे हिन्दुस्तान के मुसलमानों की सारी शिक्षा की समस्याएं खत्म हो गई ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐतिहासिक और भावानात्मक कारण हैं, जिसकी वजह से यह मांग बार-बार रखी जाती रही है और आज माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में उन कारणों पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला है और मुझे विश्वास है कि आपने जिस नेकनीयती के साथ जिस भावना के साथ आज विधेयक प्रस्तुत किया है, निश्चित ही इसके नतीजे में एक बहुत अच्छा वातावरण बनेगा, अच्छा माहौल बनेगा। लेकिन जब मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने और अभी रशीद मसूद साहब की टिप्पणी सुन रहा हूं तो बड़ा ताज्जुब होता है। माननीय चटर्जी साहब, मैंने सोचा था कि वे कुछ और बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ और ही कहा। इसी प्रकार श्री जेठमलानी जी के बारे में मैंने सोचा था कि वे कुछ और बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ और ही बातें कहीं जेठमलानी जी मेरे नम्बर पर बोले, उन्होंने कहा कि मुझे हवाई जहाज पकड़ना है, मैंने कहा ठीक है पहले आप बोल लें। अच्छा रहता अगर वे यहां मौजूद रहते। इसलिए कि इस बिल में कोई कमी नहीं है। मैं ऐसा आरग्युमेंट सही नहीं मानता हूं कि कोई मुसलमानों के हित क्या हैं, यह फैसला करने का अधिकार केवल मुसलमान सदस्यों को है। हमने जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था अपनाई है उसमें मैं अपने क्षेत्र के हिन्दू मुसलमान दोनों के हितों के लिए जिम्मेदार हूं। इसी प्रकार सदन का कोई भी सदस्य, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसे पूरे देश में रहने वाले धर्मावलम्बियों के हितों का ख्याल करना पड़ेगा। यह मुमकिन है कि मैं ही मुसलमानों की

भलाई के लिए पीछे रह जाऊं या किसी और धर्म को मानने वाला अपने धर्मावलंबियों की भलाई के लिए पीछे रह जाए और दूसरे उनके हितों के लिए ज्यादा जोर से आवाज उठा सकें। मैं यह समझता हूं कि अलीगढ़ के पीछे पूरा का पूरा इतिहास, पूरी की पूरी तारीख इस बात की गवाह है। सर सैय्यद ने अपनी तकरीरों में जो कहा था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या मुस्लिम ओरिएंटल कालेज को कायम करने के लिए, उसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस मुल्क के हिन्दू और मुसलमानों दोनों को दुल्हन की दो खूबसूरत आंखों की तरह समझता हूं। इसी प्रकार बाद में मुस्लिम एजूकेशनल कान्फ्रेंस, जिसके जरिए फण्ड इकट्ठा किया गया, जिन्होंने फण्ड दिया, उनके नामों की फहरिस्त अगर देखें तो यह जानते हुए भी कि यह मुसलमानों के शैक्षणिक उत्थान के लिए संस्था कायम की जा रही है, सभी धर्म के लोगों ने, हिन्दुओं ने बड़ी तादाद में उस वक्त अपना सहयोग दिया।

श्री जेठमलानी जी कह रहे थे कि इस विधेयक का मतलब यह है कि सरकार इसमें दखलंदाजी करेगी और अगर सरकार दखलंदाजी करेगी तो यह संविधान की धारा 29-30 के विरुद्ध होगा। सरकार और यह पार्लियामेंट ही तो विधेयक पास करने जा रही है। उनकी नीयत क्या है, उनकी नीयत यह है कि इस इदारे में माइनारिटी करेक्टर, इसके ओरिजनल करेक्टर, बुनियादी किरदार जो किसी वजह से,कुछ टेक्नीकल कारणों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण धुन्ध में आ गए थे वह साफ हो जाए और इस यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसने जो राष्ट्र की सेवा की है, अपने रास्ते पर तेजी के साथ, तरक्की के साथ चलती रहे।

माननीय चटर्जी साहब ने मुकाबला करते समय एक बात कही, और शायद श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सही कहा कि पिछले दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाली कुछ घटनाएं उनके दिमाग में थी।

मैं नही जानता जैसे भगत जी ने कहा कि उन्होंने इफ एन्ड बट का प्रयोग बहुत किया है।

मैं नहीं जानता कि वह अपने प्रत्येक वाक्य की व्याख्या क्या देंगे ? लेकिन जो उन्होंने कहा और जो मैंने मतलब लगाया कि वह कोर्ट को सुप्रीम गवर्निंग बाडी डिक्लेयर किये जाने के खिलाफ हैं, एग्जीक्यूटिव कांउसिल के मुकाबले में। उनकी दलील थी कि कोर्ट जिसमें 170 मेम्बर होंगे वह सुप्रीम गवर्नर बाडी होगी एग्जीक्यूटिव बाडी के कम मेम्बर होंगे, शायद उनका विचार यह था कि कम मेम्बरों में आसानी से फैसला ले सकेंगे। पता नहीं चटर्जी साहब शायद इस बात के लिए ...

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं तो यह कहना चाहता था कि आप कोर्ट द्वारा कार्यकारी परिषद को बदलना चाहते हैं। आप कोर्ट के इस प्रकार के गठन की व्यवस्था कर रहे हैं जो लोक तान्त्रिक व्यवस्था के महत्व को कम कर देगी।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस विधेयक के द्वारा हम न्यायालय द्वारा कार्यकारी परिषद को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। किन्तु वास्तव में हम कोर्ट के मूल दर्जे को बहाल करने का प्रयास कर रहे है। जो इसे काफी वर्षों से 1965 तक प्राप्त थी। और अगर ऐसा ही है, अगर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग केवल उसी के द्वारा हो सकती है। जहां केवल 20 या 22 सदस्य हों तो क्या माननीय सोमनाथ चटर्जी इस बात से सहमत होंगे कि इस पार्लियामेंट के, जिसके 540 सदस्य हैं, इसकी जो सुप्रीम गवर्निंग पोजीशन है, उसे निकाल कर कैबिनेट या किसी और छोटी बाडी के हवाले कर दिया जाये ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह संख्या के बारे में कही है बल्कि इसके गठन के बारे में है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर 170 मेम्बर्स का कोर्ट केवल इस कारण से कि उनमें 170 मेम्बर हैं उसके हाथ में अख्त्यार दे देने से अगर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग खत्म हो गई तो आप कैसे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग यहां चला रहे हैं 540 सदस्यों के साथ ? लेकिन असल में बात यह है कि एतराज करना था और जिस तरह से कहा, बाकी बाडी में, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन जिस तरह से आखिर में उन्होंने वह पोस्टर निकाल कर पढ़ा और कहा कि इससे विश्व विद्यालय के धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और पहले से ही अलीगढ़ हिन्दू यूनिवर्सिटी की मांग आन लगी है, दोनो को एक साथ जोड़ना, यह पुराना तरीका है इस देश में रहने वाले विभिन्न समुदाय के बीच मे मतभेद पैदा कराने का। मैं समझता हूं कि इस तरीके को रोकने का हर संभव प्रयास हमें करना चाहिये। अगर अलीगढ़ में हिन्दू यूनिवर्सिटी बने तो किसे एतराज होगा, क्यों एतरात हो ? अगर अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिये इस देश में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों ने खुलकर मदद की है और अगर नेकनीयती के साथ अलीगढ़ में हिन्दू यूनिवर्सिटी बनाने का विचार है भी, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसमें पूरी मदद होगी।

श्री इन्द्रजीत यादव : नेकनियती नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर नेकनीयती नहीं है तो आप यकीन मानिये कि जिनकी नियत नेक नहीं है, वह इतने कम तादाद में हैं कि उनका जिक्र आने के बाद, इसका मतलब होता है कि उन्हें बल देना। वरना इस देश में बहुमत में है नेकनीयत वाले। कांग्रेस ने और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने मेनिफस्टो में कहा है फिर से सत्तारुढ़ होने पर कांग्रेस मुस्लिम विश्व विद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को आश्वस्त करेगी।

इस देश के बहुमत ने, जिसमें मुसलमानों का बहुमत नहीं है, गैर-मुसलमानों का बहुमत है, उन्होंने इसलिए कि यह सविधान के बुनियादी अधिकारों में, फंडमैंटल राइट्स में दिया हुआ है कि माइनोरिटीज को अधिकार होगा कि वह अपनी शिक्षण संस्थाएं अपनी इच्छा के अनुसार चला सकें, इस बात का साथ दिया।

चटर्जी साहब, इस देश का बहुमत, उसका बहुत विशाल हृदय है, उसे कोई एतराज नहीं

है, वह मिलकर साथ रहना जानता है और यही कारण है कि हम यह बात कह सकते हैं, हम फख्र कर सकते हैं, हमें इस बात पर गर्व है कि हिन्दुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक अपने अधिकारों के लिए, अगर लड़ाई भी लड़नी हो तो बराबरी के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। लड़ाई का मतलब अपनी मांगें मनवाना अपनी जायज मांगें मनवाने के लिए यह कह सकते हैं और किसी प्रकार का भेदभाव महसूस नहीं करते हैं और जहां जायज बात होती है, वहां चाहे थोड़ी देर हम लगायें किसी चीज के मानने में, लेकिन इस देश की मिट्टी में, धरती में सहिष्णुता है, बर्दाश्त करने की बात, साथ में मिल-जुलकर रहने की भावना है। यही कारण है कि यह सदन, यहां पर यह नहीं कहा जा सकता है जहां मुसलमान चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, जैसे जेठमलानी साहब कह रहे थे, अगर वह मिलकर भी सोचें तो भी अल्पमत में हैं। लेकिन अकेले मुसलमानों की ताकत से नहीं बल्कि पूरे देश की ताकत जिनके अन्दर निहित है, वह इस देश के प्रतिनिधि यहां इस सदन में बैठकर ऐसा विधेयक लाऐ हैं जिसके जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनारिटी कैरेक्टर एश्योर किया गया है. माइनारिटी कैरेक्टर उसे दिया गया है और मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के लागू होने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय जीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होगी। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रशीद मसूद।

मैं बोलने वाले माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह 10 मिनट से अधिक समय न लें।

श्री रशीद मसूद : यह किस प्रकार सम्भव है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप सभी बातों को 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं।

श्री रशीद मसूद (सहारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अजीज दोस्त जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अन्दर मुझसे जूनियर रहे है, खुदा मालूम क्यों, मेरी एक मामूली सी बात से बुरा मान गए। उनको यह एहसास क्यों होने लगा कि मैं इसको मुकम्मिल तौर पर रद्द कर दूंगा। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में रहने वाले हर शख्स को, जो उस कोंमिल रहा है, उसको यह एहसास होना चाहिए कि उसको मिल क्या रहा है ? मैं यह जरूर चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के 13 करोड़ मुसलमानों को यह झूठा एहसास न दिलायें कि उनकी यूनिवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर देकर उनको वापस किया जा रहा है। मैं यह जानता हूं कि आपने बहुत कुछ दिया है लेकिन 16 साल की कुर्बानियों के बाद यह दिया है जिसमें हजारों मुसलमानों ने अपनी जान दे दी, जिसके लिए मुश्लिम तौर से वे लड़ते रहे और जिसमें हमारी लड़ाई के एक सिपहसालार आरिफ मोहम्द खां भी थे। वह इस चीज के लिए नहीं लड़ रहे थे। वह यकीनी तौर पर आर्टिकिल 30 का नाम लेकर लड़ रहे थे। लेकिन आज वह बिल का नाम लेकर कह रहे हैं कि हम लड़ रहे थे रिर्फ इस चीज के लिए जो हमें इमें इस बिल में दिया है। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि आपने यकीनन कुछ दिया है लेकिन यह कहना कि आपने आर्टिकल 30 के मुताबिक

माइनारिटी कैरेक्टर दे दिया है यह बिलकुल गलत बात है। बल्कि यह जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डेसीशन है उससे एक इन्च भी इधर या उधर नहीं है। सिर्फ एक लब्ज का इस्तेमाल करके—"आफ देयर ओन च्वायस" जो आर्टिकल 30 में इत्तफाक से आया है...उस लब्ज का इस्तेमाल करके आप हिन्दुस्तान के 13 करोड़ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कह दें कि माइनारिटी कैरेक्टर रेस्टोर किया जा रहा है यूनिवर्सिटी को···(व्यवधान)···

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह बेवकूफ की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात करिए। जब बात कर रहे हैं तो अच्छी बात करिए। पार्लियामेंट में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।···(व्यवधान)···

श्री रशीद मसूद : मेरे ख्याल से हमारे बुजुर्ग दोस्त बेवकूफ को जानते नहीं कि बेवकूफ अनपार्लियामेंट्री नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि बेवकूफ के बदले में कौन सा लब्ज इस्तेमाल करें ? खैर, छोड़िए···(व्यवधान)···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** अनपार्लियामेंट्री होगा ?···(व्यवधान)···

श्री रशीद मसूद : मैं यह कह रहा था कि अगर मेरे दोस्त यह बात कहते कि हमने बहुत कुछ दिया है, हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जायेंगे तो मैं आरिफ मोहम्मद साहब को मुबारकबाद देता। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। इसीलिए मैंने वह जुमला कहा था जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया।

मैं इससे पहले दो-तीन बातें कहना चाहता हूं और खास तौर से इसीलिए यह कह कहना चाहता हूं कि गुप्ता जी ने इस बात को उठाया था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो मौजूद ऐक्ट के तहत चल रही है जब उसमें भी, सेकुलर ऐक्ट के तहत चलने के बाद भी वहां इरफान हबीब साहब के खिलाफ आवाज उठ सकती है तो फिर. माइनारिटी कैरेक्टर आप इसको दे देंगे तो भविष्य में नहीं उठेगी, इसकी गारन्टी नहीं है। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि यह फैशन हो गया है, मेरे भाई मुझे माफ करेंगे, जब उनके इन्टरेस्ट की बात आती है तो आटोनामी भी चाहिए उनको, सेकुलर हिन्दुस्तान भी चाहिए और उनके दूसरे इन्टरेस्ट की बात आती है तो आटोनामी भी नहीं चाहिए और सेकुलर हिन्दुस्तान भी नहीं चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इरफान हबीब साहब के खिलाफ हंगामा करने पर तो हमारे मोअज्जिज मेम्बर ने इतना एतराज किया लेकिन इरफान हबीब साहब सौ दफा से ज्यादा लाल झंडा उठाकर के यूनिवर्सिटी को गन्दा करा चुके हैं और हंगामा करा चुके हैं, उसके खिलाफ क्या आपने आवाज उठायी ?

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) ; आपकी जानकारी के लिए बता दूं 374 दफा ईस्ट्राइक कराया है और किया है।

श्री रशीद मसूद : मेरे दोस्त बता रहे हैं 374 दफा 200 और बढ़ गए। तो 374 दफा

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार वृतान्त से निकाल दिया गया।

जिस शख्स ने यूनीवर्सिटी बन्द कर दी है उस शख्स के खिलाफ अगर यूनिवर्सिटी बन्द करने के बारे में कोई बात कहने पर लड़के ऐजीटेशन करते हैं तो उन पर गोली चला दी जाती है तो यहां एतराज किया जाता है। मैं नहीं चाहता था यह बातें कहना, चाहता था बिल तक कनफाइन रहूं, लेकिन चूंकि यहां यह बात छेड़ दी गई इसलिए मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ा। मैं नहीं समझ सका, मैंने कांस्टीट्यूशन पढ़ा है और मांस्टीटू असम्बली की डिबेट भी देखी है, मेरी समझ में आज तक यह बात नहीं आयी है कि आर्टिकिल 30 के तहत आने के बाद बिलकुल ऐक्सोल्यूटली कोई पावर पार्लियामेंट की नहीं रहेगी कि उसमें इन्टरफीयर कर सके ? नहीं। जैसा माननीय जेड मलानी साहब ने कहा पार्लियामेंट जब कोई ऐक्ट बनायेगी उसमें पार्लिपामेंट को पावर्स दोबारा हैं, लेकिन अगर उसका बेसिक कैरेक्टर चेंज करने के लिए पावर इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगी। कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही है उनके तहत आप देख सकते हैं। लेकिन यह कहना कि बिलकुल आपको अख्तियार नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर मेरे ख्याल से आर्टिकिल 30 की कोई जरूरत ही नहीं है और पार्ट 3 की भी कोई जरूरत नहीं है। कांस्टीट्ऐंट असेम्बली की डिबेट में कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे कांस्टीट्यूशन बनाने वाले यह चाहते हों कि हिन्दुस्तान की माइनारिटीज को, चाहे वह लिंगुइस्टिक हों या रिलीजस हों, उनको अपनी पसन्द की यूनिवर्सिटी कायम करने की इजाजत नहीं है। अगर यह बात वहां आ जाती तो बात समझ में आती कि आर्टिकिल 30 सिर्फ इसलिए है कि केवल स्कूल और कालेज कायम करें, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। अब यूनिवर्सिटी अगर बनेगी तो हमेशा पार्लियामेंट के ऐक्ट से बनेगी। अगर आप इसका इन्टरप्रीटेशन यह देते हैं कि पार्लियामेंट के ऐक्ट से जो चीज बनी है वह पार्लियामेंट के ऐक्ट से ही बनी है तो फिर जिन हजारों लोगों ने कुरबानी देकर उस यूनिवर्सिटी को बनाया है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर आर्टिकिल 30 की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। या फिर क्लीयर कट बात होनी चाहिए कि हिन्दुस्तान के मुसलमान या और माइनारिटीज को यूनिवर्सिटीज कायम करने का कोई अख्तियार नहीं है। जो मेरे लायक दोस्त कांस्टीट्यूशन की बात कहते हैं वह आर्टिकिल 30 को देखें कि उसका परपज क्या है।

दूसरे अभी जैसे कि माइनारिटी कैरेक्टर का मसला आया, हालांकि इस बिल में उसका कोई जिक्र नहीं है, मेरी दर्खास्त है आपसे, कि इस झगड़े को खत्म कीजिए वर्ना हमें जंग फिर लड़नी पड़ेगी। आज आप जो दे रहे हैं उसे हम मन्जूर करेंगे और फिर माइनारिटी कैरेक्टर के लिए आर्टिकिल 30 के तहत लड़ाई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई न हो, और माइनारिटी कैरेक्टर देना चाहते हैं और आप ईमानदार हैं मुसलमानों के जज्बात के बारे में तो माननीय बनातवाला ने संशोधन दिया है, उसको आप स्वीकार कर लें। मैंने भी संशोधन दिया है उसको स्वीकार कर लें, और शायद काजी साहब ने भी दिया है, जो 5, 6 आदमियों के अपेंडमेंटस हैं जो आर्टिकिल 30 के मुताल्लिक चाहते हैं इसको आप रिकग्नीशन दें, उसको स्वीकार कर लें। अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो इस झगड़े को जितनी जल्दी हो सके खत्म कीजिए। मुझे यकीन है कि जिसको ईमानदारी कहते हैं उसकी कुछ कमी है उस पार्टी में। क्योंकि जैसा आरिफ साहब ने कहा था कि आपकी गवर्नमेंट भी कोई नहीं बोली, तो उनको याद नहीं है, वह शायद उस वक्त यहां नहीं थे, जब हमारी पार्टी ने बिल पेश किया था तो हमने पूरी तरह से

मुखालिफ़त की थी। माननीय बनातवाला साहब मौजूद हैं, और लोग मौजूद हैं, हम उस वक्त भी माइनारिटी कैरेक्टर के लिए चिल्ला रहे थे और चाहते थे कि माइनारिटी कैरेक्टर दिया जाय। आप दो ही चीज दे रहे हैं सिर्फ अल्फाज के थोड़े हेरफेर के साथ जो जनता सरकार ने दिया था। लेकिन में अभी श्री सुब्रह्मण्यम साहब से कह रहा था हम तो लड़ाई लड़ेंगे, हमारे चिल्लाने के बावजूद आप लोगों ने पास कर दिया होता तो आज यह आपके बनाए हुए बिल का क्रेडिट इस पार्टी को नहीं जाता। वरना आप बताइए क्या वजह थी दो दिन पहले बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें आपने जिक्र नहीं किया। हम तैयारी नहीं कर सके, में 17 दिन के बाद आया हूं···

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह नीयत का मामला है।

श्री रशीद मसूद : नीयत ही तो खराब है आपकी। इसलिए इस सिलसिले में मेरा कहना यह है कि आर्टिकिल 30 के तहत इसको पूरी तरह से माइनोरिटी करेक्टर दिया जाए।

मैं एक दो चीजें और कहने के बाद अपनी गात समाप्त करूंगा। सैक्शन 35 (4) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यूनिवर्सिटी का एन्यूअल एकाउन्ट हर साल सदन की मेज पर रखा जाएगा। मैं मोहतरमा से पूछना चाहता हूं कि अभी चन्द दिन पहले जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक मामला चल रहा था, तो उसके लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया। उसके लिए कहा जाता है कि यह ओटोनॉमस बॉडी है, हम उसमें दखलअन्दाजी नहीं कर सकते हैं, जबति वहां दुनिया का हर पासिबल मुमकिन करप्शन मौजूद है, लेकिन वह आटोनामस बाड़ी है इसलिए उसके अन्दर इन्क्वायरी नहीं कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एन्यूअल एकाउन्ट पार्लियामेंट की मेज पर रखा जाएगा, ताकि हर मेम्बर को अख्तियार हो कि वह कहीं भी उस पर ऐतराज कर सके और डिसकशन कर सके।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हर सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी का होता है। आप यादव जी से पूछ लीजिए जो कि आपके बगल में बैठे हुए हैं।

श्री रशीद मसूद : इसमें स्पैसिफिक प्रोवीजन नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप यादव जी से पूछिए, उन्होंने पार्टी को छोड़ किया है, लेकिन सही बात बतायेंगे।

श्री रशीद मसूद : दूसरे इसमें आपने दिया है कि औकाफ के चार मेम्बर्स इसके मैम्बर होंगे। मुस्लिम औकाफ सभी स्टेट्स में है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ पूरे हिन्दुस्तान के ही मुसलमानों के जजबात से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि यह इन्टरनेशनल टाइप की यूनिवर्सिटी है, जहां बहुत से मुसालिक से लोग आते हैं, इसलिए पूरे हिन्दुस्तान के तमाम औकाफ के नुमाइन्दे इसमें दे दें, तो ज्यादा बेहतर होगा तथा ज्यादा लोग शिरकत कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात सकात्त करता हूं।

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ...

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह और कर ही क्या सकते हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मेरे तर्कों को सुनते से पूर्व ही वह अपना विचार व्यक्त करते रहते हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। क्योंकि यह एक वायदा, आश्वासन एवं वचनबद्धता को पूरा करता है। वायदा यह किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को विफल कर दिया जाएगा, आश्वासन यह दिया गया था कि इसके कार्यकरण को और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाएगा और वचनबद्धता यह थी कि इस विश्वविद्यालय के मूल उद्देश्य को फिर से बहाल किया जाएगा। अब हमें बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से किया जा रहा है। काफी लोगों तथा संस्थाओं से विचार विमर्श किया था और समितियों तथा आयोग के कई प्रतिवेदनों पर विचार भी किया गया था, और इस संबन्ध में सम्भव अधिक से अधिक विचार किया गया था और मामलों पर बार-बार विचार विमर्श किया गया था। उद्देश्यों और कारणों में कथन में यह बताया गया है कि पहले विधेयक को क्यों वापिस लिया गया ; क्योंकि कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अब यह आलोचना का विषय बनाया गया है कि हमने एक वर्ष में इस संबन्ध में दो विधेयक पेश किए हैं। निश्चय ही हमने इन्हें पेश किया है क्योंकि हमें उपकुलपति तथा दूसरे लोगों से कुछ अभ्यावेदन मिले थे कि उसमें कुछ संशोधन किए जाने आवश्यक हैं इसलिए विधेयक को वापिस लेना ताकि उन संशोधनों को विधेयक में स्थान दिया जा सके।

जहां तक उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध है। मैं कानूनी बारीकियों में नहीं जाऊंगा।। किन्तु व्यापक रूप से स्थिति यह थी कि उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि किसी सस्था को एक विश्वविद्यालय का स्वरूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्रियां प्रदान करने की शक्ति उसे प्राप्त हो।

महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि एक प्रकार का विचित्र उपनिवेशवादी सिद्धान्त है' यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक परिणाम ही है। यदि वही तर्क प्रस्तुत किया जाता है तो उक्चतम न्यायालय यह करेगा कि नालन्दा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय ही नहीं था। अतः यह निर्णय 1951 में इंग्लैंड में शिक्षा मंत्रालय के विरुद्ध सेंट डेविड कालेज के मामले में दिए गए निर्णय पर आधारित था, मैं इसकी बारीकी में नहीं जाना चाहता। तो मामला भी पूर्ण रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबन्ध में लागू नहीं होता है। किन्तु न्यायाधीशों ने उस निर्णय को आधार मानना पसन्द किया। मेरा अनुरोध यह है कि उनका इस निष्कर्ष पर पहुंचना गलत था यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण बात है। यह विचित्र संयोग था कि इस शताब्दी में मानव मन के सबसे पहले मुक्तिदाता न्यायाधीशों में से ही आए हुए थे। पश्चिमी भारत में न्यायाधीश रानाडे और साथ सर सैयद अहमद खांन न्यायाधीश थे। इन व्यक्तियों ने ऐसे संस्थाओं को शुरू किया था किन्तु उनके बाद के न्यायाधीशों ने मूल उद्देश्य की अवहेलना कर दी और इस अधिनियम को रद्द कर दिया है। यह मूल उद्देश्य क्या था ? यदि आप मुझे अनुमति दें तो टी० ई० जी० ग्राहम द्वारा 1885 में प्रकाशित सर सैयद अहमद खांन की जीवनी से उद्धत करूं। वह मूल उद्देश्य

क्या था ? यह था जिसे लार्ड लायड को दिए गए अभिनन्दन में सर सैयद अहमद खान ने कहा था :

> "यह कालेज, जिसका महामहिम द्वारा बुनियाद पत्थर अभी-अभी रखा जाने वाला है, इस देश द्वारा देखी शिक्षा संस्थाओं से कई महत्वपूर्ण पहलुओं से की भिन्न है इससे पूर्व भी निजी व्यक्तियों द्वारा स्कूलों तथा कालेजों की स्थापना गई थी। ऐसी दूसरी संस्थायें भी हैं, जिनका निर्माण शासकों द्वारा किया जा रहा है और जिन्हें सरकार के राजस्व से सहायता मिलती रही है। किन्तु भारत के मुसलमानों के इतिहास में यह पहली बार है कि एक ऐसे कालेज की स्थापना की गई है,··· इसका श्रेय नरेश के भव्य संरक्षण को नहीं है, बल्कि समूचे समुदाय की मिश्रित आकांक्षाओं तथा संयुक्त प्रयासों को है। इसकी उत्पत्ति उन कारणों से हुई जिन्हें इस देश के इतिहास में पहले कभी भी नहीं देखा गया है। इसका आधार सहनशीलता तथा प्रगति के उन सिद्धान्तों पर है जिसके समान पूर्व के इतिहास में नहीं देखा गया है।"

उसी अभिनन्दन में उन्होंने कहा :

> "हमारे हिन्दू मित्र भी अधिक सीमा तक हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। अग्रगण्य नाम हैं ···"

इसके बाद उन्होंने दान देने वाले हिन्दुओं के नाम का उल्लेख किया गया है। अतः कहना गलत कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसी विशिष्ट धर्म की एक सामप्रदायिक सस्था है मैंने यही बात श्री डिविड लेलीवल्ड द्वारा लिखित "अलीगढ़ से फस्ट जेनरेशन" नामक पुस्तक में देखी है। वह बताते हैं कि 1885 तक उस कालेज में हिन्दुओं की संख्या मुसलमानों की संख्या से अधिक थी। इस संस्था की ऐसी परम्परा रही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार बहुत ही बारीकी वाला है। अतः कि इसके प्रभाव को समाप्त करना था और इस विधेयक का का यही उद्देश्य है।

मेरा निवेदन यह है कि प्रस्तावना में सुझाया गया संशोधन तथा विश्वविद्यालय की परिभाषा में प्रस्तावित संशोधन और शेष सभी उपबन्धों से वह उद्देश्य प्राप्त होगा, अर्थात मूल उद्देश्य को फिर से बहाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, महोदय हमें इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को भी देखना चाहिए। मैं इसके बारे में अधिक विस्तार से नही बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है। उदाहणार्थ मैं कुछ धाराओं का उल्लेख करूंगा। धारा 8 (1), मैं इस सारी धारा को नहीं पढ़ूंगा, इस विधेयक में एक विशेष भाग का लोप किया गया है क्योंकि इससे भेदभाव होता है क्योंकि यह केवल अलीगढ़ विश्वविद्यालय पर लागू होता है और यह दूसरे विश्वविद्यालयों पर लागूनही होता हैं। इसके बाद धारा 17 के अधीन कुलपतियों तथा प्रोचान्सलर्स को निर्वाचित किया जाएगा न कि नाम निर्देशित। यहां यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आप कोर्ट को इतनी अधिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। कोर्ट इस प्रकार की संस्था की विशेषता है और और इसे

अवश्य ही व्यापक आधार दिया जाना चाहिए। यदि शक्ति दी जानी है, तो आखिरकार अनिवार्य रूप से कोर्ट को दी जानी चाहिए न कि कार्य परिषद को।

इसके अतिरिक्त पहली बार कार्यकारी परिषद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो एक बहुत ही प्रगतिशील पग है, तक महिला कालेज की प्रधानाचार्य है। अब वह कार्यकारी परिषद की सदस्य बन जाएगी। महिलाओं के प्रति मुसलमानों के रवैये के बारे में कुछ लोगों की गलत धारणायें हैं। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैं उसी पुस्तक में सैयद अहमद के विचारों के बारे में देखता हूं जिन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि ज्यों ही मुसलमान छात्रों की प्रथम पीढ़ी शिक्षित होने के पश्चात कालेज से बाहर जाएगी, त्यों ही मुस्लिम महिलायें अधिक से अधिक सख्या में शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देंगी। इसके अतिरिक्त महोदय, मैंने इतिहास में देखा है कि 1884 में भी इस विषय पर एक छात्र परिषद वाद-विवाद हुआ था। वैसी परम्परा रही है। एक प्रस्ताव लाया गया था कि 'महिलाओं को उच्तर शिक्षा दी जानी चाहिए। वह परम्परा रही है। कई समस्याओं पर वाद-विवाद हुआ करते थे। और उस परम्परा के अनुरूप महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व दिया गया है।

इसके अतिरिक्त यह भी आलोचना की गई कि वार्षिक प्रतिवेदनों तथा वार्षिक लेखों को लोक सभा के समक्ष क्यों रखा जाये। मैंने यह सोचा कि उसका स्वागत होगा। क्योंकि इस सभा की समितियों अर्थात लोक लेखा समिति और आश्वासन समिति ने सभा पटल पर पत्रों को रखने के महत्व पर जोर दिया है और उन्होंने सिफारिश की है कि वार्षिक प्रतिवेदनों तथा वार्षिक लेखों को सभा पटल पर रखने के लिए उपबन्ध किया जाना चाहिए। इस विचार का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि यह इस सभा की सर्वोच्चता के बारे में फिर से बल देना है ताकि ऐसी संस्थाएं सभा के प्रति उत्तरदायी बन जायें।

महोदय, इसके अतिरिक्त मैंने छात्र परिषद के बारे में भी कुछ आलोचना होती देखी है। अब छात्र परिषद के प्रतिनिधित्व के पीछे कुछ इतिहास है। बस महत्वाकांक्षा क्या थी ? मैं उन सभी अंग्रेजों का नाम नहीं लूंगा जो थामस बेक और दूसरों की तरह अलीगढ़ से सम्बद्ध थे। मैं यह देखता हूं कि उनकी महत्वाकांक्षा भारत में एक केम्बरिज स्थापित करने की थी। एक बात जो मैं पहले नहीं जानता था मुझे यह जानकर आचर्य हुआ कि भारत में छात्र प्रीफेक्टस प्राणाली को लागू करने वाला प्रथम कालेज अलीगढ़ ही था। हमने छात्रों को प्रतिनिधित्व दिया। उनकी शिकायतों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही परम्परा रही है। इस पुस्तक में कई वाद विवादों का जिनमें विद्यार्थियों ने भाग लिया उल्लेख किया गया है और उससे ही इस महत्व का पता चलता है जो छात्र परिषद को प्राप्त है। अतः उस दृष्टि से भी उसका स्वागत है।

इसके अतिरिक्त इस समय सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू यह विधेयक ही नहीं है, प्रत्युक्त इस विधेयक को लाने का कार्य ही अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व की बात है। सामूहिक धर्म परिवर्तन के समाचारों धार्मिक उद्देश्यों के लिए धन के उपयोग के बारे में अफवाओं,

रूढ़िवाद और ऐसी कई बातों की पृष्ठभूमि में इस प्रकार का विधेयक लाकर और मुसलमानों में पूरा विश्वास करके प्रधान मन्त्री तथा सरकार ने बहुत ही भारी साहस दिखाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुसलमान इस भरोसे तथा विश्वास की सराहना करेंगे।

आखिर में मैं केवल यह अनुरोध करूंगा कि संस्थापकों, अर्थात सर सैयद अहमद खान और उनके सहयोगियों के मूल उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। इससे कार्यकरण में सुधार होगा। उनका मूल उद्देश्य क्या था इस बारे में एक उद्धरण देना बेहतर समझता हूं यह एक विदेशी राडोल्फ द्वारा लिखित 'एजूकेशन एण्ड पालिटिक्स इन इण्डिया' से लिया गया है। (व्यवधान) यही मूल उद्देश्य था (व्यवधान) श्री राम जेठमलानी ने इस बात पर बल दिया अलीगढ़ विश्वविद्यालय को कैसे विद्यार्थी तैयार करने चाहिए। किन्तु मुसलमानों के लिए उनकी चिन्ता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि उनके लिए इस वाद विवाद को सुनने की अपेक्षा विमान पकड़ना अधिक महत्वपूर्ण लगा। इसके अतिरिक्त मुझे मूल उद्देश्यों को बताने दीजिए। इस उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। मैं उद्धृत करूंगा जो कुछ थियोडोर बेक ने कहा है। वह कालेज के प्रधानाचार्य थे। सर सैयद अहमद खान इससे सहमत थे। उन्होंने यह कहा है।

> "छात्रों को चरित्र के बल का और जन-हित के तथा देश-भक्ति की भावना का विकास करने के लिए अधिक कार्य करना चाहिए। हमें अपना ध्यान ऐसे लोगों को तैयार करने की ओर देना चाहिए जो अच्छे कपड़े पहनने वाले और स्वच्छ दिखाई देने वाले और हृष्ट पुष्ट शरीर वाले तथा बाहुबलि कर्मठ ईमानदार सच्चे जनहित की भावना से ओत प्रोत शिष्ट और विनीत व्यवहार करने वाले हों।"

महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के लोकतान्त्रिक कार्यकरण से जिसे प्राप्त करना इस विधेयक का उद्देश्य है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस उद्देश्य को बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर लेगें। धन्यवाद।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं जनता पार्टी की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ। मैं उस तरफ विस्तार से बोलने की स्थिति में नहीं हूं जिस तरह श्री राम जेठमलानी ने किया था मुझे इस बारे में पूरी तरह से विश्वास नहीं है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह दल के मत को व्यक्त करता है। किन्तु हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केवल विश्वविद्यालय ही नहीं प्रत्युक्त एक आन्दोलन के रूप में आवश्यक समझते हैं जिसे उन उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था जिनके बारे में श्री गाडागिल ने ठीक ही कहा है। बेशक उन्हें विदेशीयों द्वारा लिखित पुस्तकों में से उद्धृत करना। भारतीयों द्वारा लिखी गयी ऐसी काफी पुस्तक है जिनमें यही बात कही गयी है। किन्तु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में बुनायदी बातें इसका अल्प संख्यक स्वरूप तथा स्वायत्ता है। उसमें ये दोनी बातें है। अतः 18 वर्षों से वह इन्हें खोते जा रहे हैं। 1965 में अल्पसंख्य स्वरूप खो दिया और बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने केन्द्रीय सरकार के निर्णय की पुष्टि कर दी। 1972 में स्वायतत्ता भी न रही

1978 में अल्पसख्यक आयोग का गठन किया गया जो जनता सरकार की धारणा के आधार पर बना था और जो पहले नहीं था और जनता सरकार ने ही इसका गठन किया था।

एक माननीय सदस्य : क्या यह वही आयोग है जिसे श्री मसानी हताश होकर छोड़ा था ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमने श्री मसानी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था क्योंकि वह अल्प सख्यक समुदाय से सम्बन्धित थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने इसे उस ढंग से नहीं देखा। किन्तु श्री मसानी के छोड़ने के पश्चात अल्प संख्यक आयोग ने एक सर्वसम्मत प्रतिवेदन दिया। उस आयोग ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्वायतता और उसके अल्पसंख्यक स्वरूप को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। अत: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसका विकास एंग्लो मोहमडन ओरियन्टल कालेज से हुआ निस्संदेह ही इसे मुसलमानों ने इस विशेष जिम्मेदारी के साथ और विशेष कर कि मुसलमानों की सांस्कृतिक तथा शैक्षिक उन्नति के लिए स्थापित किया था ताकि यह इस्लामी तथा प्राच्य अध्ययन के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करे। मेरे विचार में इस बारे में असहमति नहीं है। प्रश्न तो यह है कि इस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाय और यह विधान इसीलिए ही लाया गया है मैं इस विधेयक के साथ अधिक असहमत नहीं क्योंकि इसमें अधिकतर वही कुछ है जिसे जनता सरकार इस सभा के समक्ष लायी थी। श्री गाडगिल कहते हैं कि इस सभा के समक्ष कांग्रेस ई० की ओर से विधेयक को लाना एक महत्वपूर्ण घटना है। वस्तुत: इसका श्रेय जनता सरकार को है क्योंक वह जनता सरकार ही थी जो इसे पहले लायी थी। केवल बात यह है कि चार महीनों के भीतर सरकार का पतन हो गया था। मेरी केवल यह इच्छा कि इस सरकार का भी पतन चार महीनों के भीतर न हो जाये। अत:, हमें इसके ऐतिहासिक स्वरूप तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ मुसलमानों की भावात्मक सम्बद्धता को मान्यता देने होगी। मोटे तौर पर यह मुसलमानों द्वारा बनाई गयी ऐसी संस्था है जो मुसलमानों के लिए ही है इसे मान्यता देनी होगी और हम इस विधेयक पर इसी दृष्टिकोण से विचार करना है। इस विधेयक से मुसलमान संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि यह वास्तव में अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान नहीं करता है। अब इस बारे में कुछ आपत्तियां उठायी गई है। एक आपत्ति यह है कि कोर्ट का गठन जिस तरह से किया जायेगा वह स्वयं में ही कानून बन जायेगी। इसमें 169 सदस्य होंगे मैं यह नहीं जानता कि क्या सभी 169 सदस्य कोर्ट की बैठक में शामिल होंगे। श्री सोमनाथ चटर्जी वे आपत्ति उठायी है। उनकी आपत्ति यह है कि इस विधेयक ने कोर्ट और कार्यकारी परिषद बीच संबंध को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस सम्बन्ध में आपत्ति की है। मुझे यह बात अवश्य बता देनी चाहिए कि अब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र नियुक्तियों में और संकायों पर दो या तीन परिवारों का प्रभुत्व रहा है इन दो इन दो या तीन परिवारों का मार्कसवादी साम्यवादी दल के लिए एक

विशेष प्रेम है। ढांचे में परिवर्तनों के हो जाने के पश्चात इन दो या तीन परिवारों का प्रभाव कम हो जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वैसा केवल श्री स्वामी ही सोच सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सच बात है और मेरे विचार में आप इससे असहमत नहीं होंगे। हालांकि ये मार्कसवादी परिवार केवल नाम के ही हैं। इस विश्वविद्यालय में एक ही परिवार के 35 रिश्तेदार नियोजित हैं। वह व्यक्ति 35 कमरों के भवन में रहता है और उसके पास विदेशी टायरो कार है और आदि आदि। मैं इस बारे में विस्तार से वही करूंगा, किन्तु इस मामले में तथ्य यह है कि इस संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ होगा कि इस कुल की, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय पर नियंत्रण कर रहा था और अपने उद्देश्यों के लिए इसे अफगानिस्तान में बदलने का प्रयास कर रहा था, शक्ति कम हो जायेगी इस संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ यह होगा कि इन दो या तीन परिवारों के प्रभाव में कमी हो जायेगी। मैं पूरी तरह प्रस्तावित संरचनात्मक परिवर्तन की सराहना करता हूं और मेरे विचार में इसे करना आवश्यक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह इस संस्था के अल्प संख्यक स्वरूप के कारण ऐसा नहीं कह रहे हैं बल्कि इस लिए कह रहे हैं कि उससे हमें अपने प्राधिकार से वंचित कर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात सहाहनीय होगी यदि श्री स्वामी की पार्टी विश्वविद्यालय में प्रवेश करे और मार्क्सवादियों का स्थान ले ले।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : विधेयक के पास होने के बाद हम ऐसा करने जा रहे हैं। उन्हें इस बारे में क्यों चिंतित होना चाहिए ? उनकी पहली आपत्ति इस कारण है कि इससे साम्यवादी वहां सत्ता विहीन हो जायेंगे।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि यह केवल पहला कदम है। सरकार को अनुभव करना चाहिए कि हमें यह विधेयक वापिस करना होगा और इसे और संशोधित करना होगा। कुछ संवैधानिक प्रश्न भी हैं। विश्वविद्यालय न्यायालय में सरकार द्वारा मनोनीति व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रश्न को न्यायालय में अवश्य चुनौती दी जायेगी और इससे असुखद परिस्थियियां पैदा होंगी। मुझे आश्चर्य है कि इस विधेयक के लाने में जल्दबाजी से कम लिया गया। इसे बहुत सोच विचार और विशेषकर श्री बैरो जैसे लोगों, जो अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, से विचार विमर्श करने के बाद लाया जाना चाहिए था। ये शैक्षणिक संस्थाओं के विशेषज्ञ हैं। उनका परामर्श लिया जाना चाहिए था। श्री बनातवाला को सलाह भी ली जानी चाहिए थी और कुछ अन्य लोगों की सलाह भी ली जानी चाहिए थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : और श्री स्वामी की भी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां, इसलिए कि साम्यवादियों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है।

इस समय हम लाये गये ढ़ांचे सम्बन्धी परिवर्तनों पर आपत्ति नहीं करते। जहां तक अल्पसंख्यक स्वरुप का सम्बन्ध है, विधेयक अपूर्ण ही है। डा० आजमी, श्री रशीद मसूद तथा अशफाक हुसैन ने खंड 3 में संशोधन करने का सुझाव दिया है, जो इस प्रकार हैं :

पृष्ठ-2

पंक्ति 7 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"स्पष्टीकरण-किसी विधि न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय या बिक्री के होते हुए भी, विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ में भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित और प्रशासित उनकी अभिरुचि की शिक्षा संस्था के रुप में घोषित/मान्यता प्राप्त किया जाता है।"

यदि इस स्पष्टीकरण के विधेयक से जोड़ा जाये तो मैं इसका पूरे दिल तथा इच्छा से समर्थन करूंगा। अन्यथा मैं कहूंगा कि जानता शासन के समाप्त होने के बाद तीन सालों के अन्दर क्या इसी से आप श्रेय लेना चाहते हैं, क्या आप आगे नहीं बढ़ सकते थे ? इसका उत्तर यही होगा कि उनकी इच्छायें संदेहजनक हैं। अल्पसंख्यक स्वरूप और सस्था की स्वायतता के बुनियादी प्रश्न पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है, वावजूद इसके कि विधेयक में वही कुछ हैं जिसे हम अप्रेल 1979 में लाये थे और 1979 में पास किया था। मैं विधेयक की इस शर्त के साथ विधेयक का समर्थन करता हूं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं श्री शेजवलकर से एक अनुरोध करना चाहूंगा। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इसे दूसरी सभा को भेजा जाना है। अतः यदि ये सहमत हों, तो इनके संकल्प को 6 बजे लिया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस पर कल ही पूर्णतः विचार होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम श्री शेजवलकर के संकल्प को पांच बजे लेंगे, और फिर 6 बजे के बाद स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। इनके संकल्प के लिए एक छटा नियत किया गया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मुझे साढ़े सात बजे की गाड़ी पकड़नी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम संकल्प को 6 वजे पूरा करेंगे। मैं किसी भी माननीय सदस्य को अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक पर बोलने से वंचित नहीं करना चाहता क्योंकि यह एक महत्पूर्ण मामला है। मैं चाहता हूं कि सबको अवसर मिले। मेरा सुझाव है कि श्री शेजवलकर के संकल्प के 5 बजे लिया जाये, उसके बाद आप सबको बुलाया जायेगा।

क्या सभा इससे सहमत है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हम बैठेंगे और विधेयक पर चर्चा पूरी करेंगे, चाहे समय कितना भी लगे तथा हर माननीय सदस्य को बोलने का अवसर मिलेगा । अब श्री जैनल बशर ।

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) देश के मुस्लिम हमेशा इस दिनको याद रखेंगे जब यह सभा अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक को अन्तिम रूप से घटित करेगी । मै श्री इन्द्रजीत गुप्त के भाषण को सुन रहा था । वे कह रहे थे कि बहुत से गरीब मुसलमानों के लड़के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दरवाजों में प्रवेश न कर सकेंगे ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केबल एक शैक्षणिक संस्था ही नहीं, बल्कि एक आदंश है मुस्लिमों के बीच आधुनिक शिक्षा के प्रचार का एक आदर्श मेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि इस देश में अलीगढ़ आंदोलन न होता तो मेरे साथ तथा इस देश के मुस्लिम नागरिकों के साथ क्या होता । मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा ; मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था । लेकिन मैं अलीगढ़ आंदोलन का ऋणी हूं जिसके प्रभाव से मैं अंग्रेजी तथा आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सका हूं और इस संसद में आ सका हूं ।

यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इतिहास है । इस विश्वविद्यालय के 1965 में इसके पूल ऐतिहासिक स्वरूप इसके अल्पसंख्यक स्वरूप, इसको स्वायतता से वंचित किया गया है न कि 1972 में डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 1972 में कहा था । तब भी श्रीमती गांधी की यह सरकार सत्ता में थी । लेकिन मुझे खेद है कि उन दिनों उनके बिचारों को श्री चटर्जी जैसे लोगों का बहुत अधिक प्रभाव था । उनके विचारों को प्रभावित किया जाता था जिसके कोई न कोई परिणाम सामने आने ही थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैनल बशर आप अपना भाषण 6 बजे के बाद जारी रख सकते है । अब श्री मकवाना वक्तव्य देंगे ।

श्री रामविलास पासवान : मैं पद संख्या 17 तथा मन्त्री के वक्तव्य के बीच नियम 376 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । उपाध्यक्ष जी, मेरा पोइंट आफ आर्डर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है । सभा खाली है :

श्री रारविलास पासवान : नियम 376 के अन्तर्गत पद सख्या 19 तथा मन्त्री के वक्तव्य के बीच ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पोइंट आफ आर्डर यह है कि मंत्री जी अभी स्टेटमेंट देने जा रहे हैं । इसी सदन में कहा गया था कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट को रखा जाएगा । और अभी मन्त्री जी इस पर स्टेटमेंट देने जा रहे हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट

को ले डाउन करने जा रहे हैं कि नहीं ? या सिर्फ स्टेटमेंट देने जा रहे हैं कि फिर रखी जाएगी, फिर रखी जायगी । क्या बैकवर्ड क्लासेज कमीशन का यही फेट होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें वक्तव्य देने दें । आप वक्तव्य दे सकते हैं ।

दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : वक्तव्य श्री बी० पी० मण्डल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1 जनवरी, 1979 को नियुक्ति किया गया था। आयोग ने अपना प्रतिवेदन 31 दिसम्बर, 1980 को प्रस्तुत किया ।

संविधान के अनुच्छेर 340, जिसके अन्तर्गत आयोग नियुक्त किया गया था, मैं यह अपेक्षित है कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्रवाई के विवरण के ज्ञापन की एक प्रति रखवायेंगे ।

प्रतिवेदन पर गृह मंत्रालय अन्य मंत्रालयों तथा योजना आयोग के परामर्श से विचार करता रहा । सरकार का आगामी बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन रखने का विचार है ।

श्री इन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : वजट अधिवेशन के शुरू में ही ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार के वक्तव्य पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शेजवलकर, आपका प्रस्ताव ।

श्री इन्द्रजीत यादव : प्रधानमन्त्री ने एक प्रतिनिधि मन्डल को आश्वासन दिया है कि इस प्रतिवेदन के अगले वजट अधिवेशन के शुरू होते ही सभा में प्रस्तुत किया जाएगा ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : बजट अधिवेशन मे जितनी भी जल्दी हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा । यह और भी अच्छी बात है ।

श्री राम विलास पासवान : आप पिछड़े वर्गों के समर्थक हैं लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संतुष्ट हूं । जहां तक सम्भव हो, यह सुधार की ही बात है । श्री शेजवलकर :

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) नियम सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 64) की धारा 31 की उपधारा (3) के अनुसरण में, मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) नियम, 1981, जो दिनांक 8 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या सा० आ० 29 (ड.) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और 6 मई, 1981 को सभा-पटल पर रखे गए थे, से निम्नलिखित रूपभेद किए जायें :

(1) नियम 3 में, परन्तुक में,—

'वह, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायें, 30 दिन की और अवधि के भीतर लेकिन, इसके पश्चात नहीं, सूचना स्वीकार कर सकेगा ।' के स्थान पर 'वह विलम्ब के कारण निश्चित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य पर विचार करके और सूचना स्वीकार करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात केवल 15 दिन की अधिकतम अवधि तक और उससे अधिक नहीं, विलम्ब को माँफ कर सकेगा ।' प्रस्थापित किया जाए ।

(2) नियम 4 के पश्चात यह अन्त: स्थापित किया जाए—

'5. सूचना का प्रकाशन—दावों के लिए सूचना देने हेतु अधिनियम की धारा 18 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति के अगले दिन उन दलवेदारों की पूरी सूची, जिन्होंने समय सीमा के भीतर सूचना दे दी हो, कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी, जिसमें संक्षेप में दावों के विवरण अर्थात दावों को राशि और उनके प्रकार दिए जायेंगे और इसे भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाएना ।'

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

यद्यपि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि इस संशोधन का क्षेत्र बहुत ही सीमित है तथापि यदि मैं सभा को अधिनियम तथा नियमों के उस इतिहास तथा आधारों का जिनके आधार पर मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं, सभा में उल्लेख नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाऊंगा । यह मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक जो उस समय जारी किया गया था, एक अध्यादेश के स्थान पर जारी किया गया था तथा यह विधेयक लोक सभा द्वारा 1980 में पारित किया गया था अर्थात एक वर्ष पहले । उसके अन्तर्गत

इस उपक्रम का अर्जन करके इसका अन्तरण राज्य को कर दिया गया था। राज्य सरकार ने सारणी में दी गई श्रेणियों के भुगतान की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी।

प्रवर्ग 1

कर्मचारियों की बकाया राशि आदि।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों या राज्य विद्युत बोर्ड को देय राजस्व, कट, उपस्कर, रेट या अन्य बकाया रकमें।

प्रवर्ग 2

भूमि की कीमत मद्दे हरियाणा सरकार को देय रकमें।

प्रवर्ग 3

ब्याज सहित प्रतिभूत ऋण।

प्रवर्ग 4

(क) जन साधारण से या कम्पनी के सदस्यों से प्राप्त निक्षेप ;

(ख) व्यौहारी कार्य मद्दे निक्षेप, आदि

जिस राशि का हस्तांतरण किया जाना था वह अध्यादेश जारी होने के 30 दिन के अन्दर ही होना था। परन्तु यह इस विधेयक पर लोक सभा में चर्चा किए जाने से बहुत पहले कर दिया गया था। अतः यह राशि आयुक्त के पास है। यह थी। नवीनतम स्थिति क्या है, मुझे नहीं मालूम नियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार यह दावेदारों को दे दी जानी चाहिए थी मुझे सभा को मारुति कम्पनी के इतिहास में ले जाने के लिए माफ किया जाए। दुर्भाग्य से यह हमेशा विवाद का विषय रहा है मुझे इस बात का ज्ञान है कि इस संबन्ध में श्री गुप्ता की रिपोर्ट को मन्त्री मन्डल में अस्वीकृत कर दिया है। यद्यपि इस पर सभा में चर्चा नहीं की गई है फिर भी तथ्य वहां मौजूद हैं। मन्त्री मन्डल को इसके निर्णय पसन्द न आए हों या मन्त्री मन्डल उससे सहमत न हुआ हो ? परन्तु जहां तक साक्ष्य का सम्बन्ध है, यह रिकार्ड में है तथा इसका उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। मैं संक्षेप में यह उल्लेख करूंगा कि इस संबन्ध में कितनी अनियमितायें हुई हैं।

सबसे पहले, लाइसेंस देने के लिए पहले परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। लाइसेंस के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए था। परन्तु यहां यह बाधा नहीं थी इस मामले में योजना आयोग द्वारा एक व्यक्तिगत परियोजना का परीक्षण किया जाना एक विशेष मामला था। योजना आयोग तथा मन्त्री ने पहले कहा था कि केवल सरकारी क्षेत्र को

ही कार बनाने की अनुमति दी जाएगी तथा यह गैर सरकारी क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। सभा को यह आश्वासन 27 जुलाई 1967 को दो बार दिया गया था, यह आश्वासन तत्कालीन उद्योग मन्त्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद जो बाद में राष्ट्रपति बने, द्वारा दिया गया था। 1966 में राज्य सभा में यह आश्वासन श्री डी० संजीवय्या द्वारा दिया था। इसके बावजूद इन सब नियम विनियमों का उल्लघन करके श्री सजय गाँधी को कार परियोजना के लिए लाइसेंस दिया गया। आखिर इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु फिर भी यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति इस कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक थे उनके पास केवल लन्दन स्कूल का इन्जीनियरिंग का एक साधारण डिप्लोमा था। (व्यवधान) जब हम किसी गैर सरकारी क्षेत्र लिमिटेड पर विचार करते हैं, जिसको बैंकों ने भारी मात्रा में ऋण दे दिया था तथा सारे शेर भारी संख्या में जारी किए गए थे, तो आखिर यह देखा जाना चाहिए कि यह सब कैसे हुआ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : क्या वे अल्पसंख्यक पर बोल रहे हैं? यह अप्रासांगिक है क्या आप उन्हें रोकेंगे?

सभापति महोदय : आपको प्रस्ताव तक ही सीमित रहना चाहिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : मेरा कहना यह है कि मारुति हम सबके लिए एक बड़े वाद-विवाद का विषय रहा है क्योंकि इससे सार्वजनिक जीवन मे निष्ठा का ह्रास हुआ है तथा इसने सार्वजनिक प्रशासन को कलुषित किया है आज की सरकार की आँखें भी नहीं खुली हैं। क्या आप सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट होन देंगे? मेरी रुचि इसमें है। क्या हुआ आपने पैसा दिया है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : यह एक ऐसा अधिनियम है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया है।

सभापति महोदय : आपको अपनी बात केवल प्रस्ताव तक ही सीमित रखनी चाहिए और उस के पक्ष में आपको अपना तर्क प्रस्तुत करना चाहिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : इस मारुति में कार्य कलापों के प्रारम्भ से ही मान्यताओं को आघात पहुंचा है तथा प्रभावित हुई हैं। आज भी जिस ढग से इसके प्रबन्धन निदेशक की नियुक्ति की गई थी तथा जिस ढंग से एक व्यक्ति के परिवार सदस्यों का अग्रिम धन दिया गया था।

सभापति महोदय : मैंने आपसे केवल प्रस्ताव यह बोलने का निवेदन किया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : जो प्रश्न में मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि क्या हमें जनता के प्रतिनिधियों के राजनैतिक जीवन के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? तथा क्या उनके द्वारा कुछ भी करने दिया जा सकता है, ऋण लेकर कम्पनियों को प्रवाहित करके किसी को भी रोजगार देकर अधिकारियों पर दबाव डालकर, अपने उद्देश्यों के लिए धन लेकर क्या

वे कुछ भी कर सकते हैं ? और यह सब सहन किया जा सकता है ? आप कुछ दावों को स्वीकार करने जा रहे हैं ; आपका कोई बचाव का रास्ता दिया है। आपको कुछ समय सीमा रखनी चाहिए थी जिस तक दावों को स्वीकार किया जा सकता था । इस मामले का अन्त होगा या नहीं ? क्या यह सूची इसी तरह निलम्बित पड़ी रहेगी ? आज 120 दावेदार हैं कल 240 हो सकतु हैं । अत · दावेदारों की सूचि सूचना पट पर रखनी चाहिए थी तथा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जानी चाहिए थी । कुछ भी नहीं किया गया । मैं एसी सब बातों को समाप्त करना चाहता हूं । इसीलिए में यह संशोधन सुझा रहा हूं । यह प्रश्न दूसरे सदन में भी अगले दिन ही उठाया गया था । इस अधिनियम के पारित होने के बाद एक वर्ष बीत जाने पर भी क्या हुआ है ? क्या आपने कोई सूची बनाई है ? क्या आपने सामानों की सूची को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है ? हमारे सामने कोई सूची प्रस्तुत नहीं की गई है । उस समय क्या परिसंपत्तियां तथा देयताएं थीं तथा अब उनकी क्या स्थिति है ? आपको ये सब चीजें सभा के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए । अन्यथा सभा को यह कैसे पता चलेगा कि आयुक्त क्या कार्य कर रहा है तथा क्या वह बंचित ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं ? यह सब संगत है ।

मैं यह चर्चा नहीं कर रहा हूं कि क्या हुआ, कौन सा आवेदन प्रेषित किया गया, किस तारीख को ऋण स्वीकृत किया गया । अन्यथा स्वीकृत नहीं किया गया । मैं यह नहीं कर रहा हूं । परन्तु आखिरकार इसइति हास को ध्यान में रखा जाना है । हम इस बात की भी उपेक्षा नहीं करना चाहते कि इसकी भविष्य में क्या स्थिति होने जा रही है । उदाहरणार्थ, यह कहा जा रहा है कि सहयोग करने जा रहे हैं मुझे नहीं मालुम कि वे किस कम्पनी से सहयोग करने जा रहे हैं । पिछले एक वर्ष से हरबार समाचार पक्षों में भिन्न प्रकार की खबरें आ रही हैं । कभी वे कहते हैं कि हमको फर्म के साथ सहयोग करेंगे, कभी कहते हैं फ्रांस की फर्म से, कभी कहते हैं कि कोई सहयोग नहीं करने जा रहे हैं । ये अफवाहें उड़ रही हैं ।

अभी उसी दिन दूसरे सदन में एक संदेश व्यक्त किया गया कि क्या इसका कोई संबन्ध फ्रांस सरकार या फ्रांस के लोगों से है जो कि विमान प्रदान करने जा रहे है । माननीय मन्त्री ने यह कह कर इसका प्रतिवाद कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है । हर प्रकार से जब एक संदेह उठाया गया है तथा इसके बारे में पूछा गया है तो उसे जब तक सारे तथ्य सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किये जाते तब तक यह स्पष्ट नहीं हो सकता और यह सन्देह बना रहेगा ।

अब में कुछ पूछना चाहता हूं मैं एक जनता का प्रतिनिधि हूं तथा मैं महसूस करता हुं कि कि प्रत्येक जन प्रतिनिधि को अपनी परिसम्पतियों की खुल्लमखुल्ला घोषणा करनी चाहिए क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि प्रत्येक जन प्रतिनिधि जिसमें मन्त्री मुख्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए तथा उनके निकट परिवारों के लिए अपनी चल तथा अचल सम्पति तथा बैंक निक्षेपों को खुल्लम खुल्ला घोषणा करनी आवश्यक है ? क्या आप ऐसा करा चाहेंगे ? यदि आप यह करते हैं तो ऐसे देशों पर जो अब जन-प्रतिनिधियों पर लगायें

गये है स्वत: ही रोक लग जायेगी। अत: हम चाहत हैं कि आप सभा को आश्वासन दें कि इसको करेगें ।

अब एक वर्ष पूरा हो गया है अब सरकार को कम्पनी के देयादेयों से सम्बन्धी कि सभा पटल पर प्रस्तुत करना चाहिए तथा वस्तुओं की तालिका जिनमें कच्चा माल तथा नरी आदि सम्मिलित है, भी प्रस्तुत करना चाहिए । क्या कम्पनी ने कोई कार्य प्रारम्भ किया है या पिछले एक वर्ष से सब कुछ ऐसे के ऐसे ही जंग लगा पड़ा है ? यदि अब कुछ कर रहे हैं तो क्या बना रहे है ? मुझे ऐसी सूचना है कि पिछले एक वर्ष से अब इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है ।

एक माननीय सदस्य : वे एक सहयोगी को ढूंढ रहे हैं ।

श्री एन० के शेजवलकर : वह भी ठीक है । यह सहयोग प्रस्ताव किसी न किसी प्र से किसी अन्य व्यापार के साथ जोड़ा जा रहा है । वे कहते हैं कि एक मुश्त समझौता कि जा रहा हैं ?

एक माननीय सदस्य : बशर्ते कि वे कुड़े को स्वीकार करने के लिए तैयार हों ।

श्री एन० के० शेजवलकर : तत्कालीन निदेशकों के परिवारों के सदस्यों को इस ख से कितना धन प्रदान किया ? यदि हां तो कितने दावेदार हैं तथा उन्होंने कितनी राशि का द किया है ? क्या दावे किये जा रहे हैं यह सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए ता पीठ पीछे या अवैध रूप से कुछ न किया जा सके तथा झुठे दावे स्वीकार न किये जा सके । यह देखना चाहते हैं कि ऐसी सारी सूचनाएं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायें। नियमों प्रकाशन के पश्चात, समय पहले ही समाप्त हो चुका है तथा दावेदारों को अपनी दावे की रक भर कर दे देनी चाहिये थी । अत: सरकार को यह बताने की स्थिति में होना चाहिये कि दावेद कौन हैं और दावों का संक्षिप्त विवरण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये । क्या मन्त्र सब यह करेगे ? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जा चाहिये ।

सभापति महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि हो सकता है कि यह प्रस्ताव 6 बजे सांय तक न चल सके । आप कितना समय लेंगे ?

श्री चरणजीत चानना : पांच मिनट ।

सभापति महोदय : अत: इसके तुरन्त बाद हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर फि से चर्चा आरम्भ कर सकते हैं मुझे आशा है कि सदन इससे सहमत है ।

बहुत से माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री चरणजीत चानना : चूंकि माननीय सदस्य ने सभी असंगत बातों का उल्लेख किया है अतः मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। माननीय सदस्य अधिनियम की बात कतई कर ही नहीं रहे थे। वे तो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिसका इस अधिनियम से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि संकल्प में जिस अधिनियम का उल्लेख किया गया है उसे भारत की संसद ने ही बनाया था। अतः इसमें व्यक्ति विशेष के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे देश की संसद के नाम से जाने जाने वाले सामूहिक-मंच ने इस अधिनियम को बनाया था। वह सर्वोच्च है।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं मैं उनका एक-एक करके उत्तर दूंगा। जहां तक समय सीमा का सम्बन्ध है यदि आप धारा 18 को देखें तो पता चलेगा कि धारा समय सीमा से सम्बद्ध है। परन्तु सदन के सूचनार्थ, चाहे पुनरावृत्ति ही क्यों न हो, मैं कहूंगा कि ऐसे ही अधिनियम संसद ने न केवल मारुति लिमिटेड के मामले में पारित किये थे, अपितु ब्रिटेनिया इन्जिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, अर्थर बटलर कम्पनी लिमिटेड, बनर्स कम्पनी लिमिटेड, इण्डियन स्टैंडर्ड वैगनस लिमिटेड आदि के मामले में भी पारित किए थे। वास्तव में उन अधिनियमों में वे सभी उपबन्ध और नियम दिए गए हैं। इसी प्रकार के अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन भी वही समय सीमा रखी गई हैं। अतः परिवर्तन हेतु कोई भी संकल्प ···

श्री एन० के० शेजवलकर : मैंने समय सीमा में परिवर्तन की बात नहीं कही थी। मैंने यह नहीं कहा था कि इसे 30 से 20 तक या 30 से 40 तक होना चाहिये। यदि आप कृपया उन नियरों को देखें जो तैयार करके 8 अप्रैल, 1981 के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तो पृष्ट 500 पर यह आपको मिल जायेगा। अतः नियम के विरुद्ध कुछ भी प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है। बात ऐसी नहीं है। एक मात्र प्रस्ताव यह है कि समय समिति होनी चाहिये और आवेदक को असीमित समय नहीं लेना चाहिये और यह अधिक से अधिक 15 दिन का होना चाहिये। यह अधिनियम या नियमों के भी उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है।

श्री चरणजीत चानना : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इसी प्रकार के उपबन्धों की ओर जिसका कि उल्लेख किया गया है। खींचना चाहता हूं यह तो केवल दूसरे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए है। यह उल्लेख किया गया है किसी आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट है कि रेहनदार या किसी व्यक्ति को पर्याप्त कारण से रोका गया था ·····लिपिबद्ध किए जाए। उसमें 30 दिन की सीमा दी गई है।

श्री एन० के० शेजवलकर : इन नियमों में कोई सीमा नहीं दी गई है।

श्री चरणजीत चानना : यदि माननीय सदस्य अधिनियम की धारा 8 को पृष्ट 9 पर देखें तो वह उन्हें वहां मिल जायेगा। वास्तव में, वहां भी नियम बनाए गये हैं। असल में, अधिनियम की धारा 18 की भावना के अन्तर्गत ही नियम बनाये गये हैं। समय सीमा तो उसमें दी हुई है। माननीय सदस्य को केवल इसको मानना भर है अतः दिनों की संख्या 30 से घटाकर 15

कर देने का उनका सुझाव संगत नहीं हैं क्योंकि उसका अर्थ होगा स्वयं अधिनियम का संशोधन ।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात इसके प्रकाशन के बारे में कहीं है । कभी भी यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि हक दावेदारों के नामों को भी प्रकाशित करें । ऐसा कभी नहीं किया गया है ।

तत्पश्चात, माननीय सदस्य ने कम्पनी की आस्तियों के बारे में बात की थी कम्पनी की आस्तियों और देनदारियों सम्बन्धी विवरण पहले सभा पटल पर रखा जा चुका है ।

माननीय सदस्य ने सार्वजनिक क्षेत्र में बनने वाली कारो का भी उल्लेख किया है । मैं नहीं समझता कि मुझे उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि मारुति एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है और उसमें निर्मित कारें सार्वजनिक क्षेत्र की होगी ।

उन्होंने कम इन्दराजों की बात की । इस सम्बन्ध में एक विवरण पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है । ऐसी कार्यवाही किसी कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने से पहले की जाती है ।

माननीय सदस्य का सुझाव जन-प्रतिनिधि द्वारा सम्पत्ति की घोषणा करने से सम्बद्ध है । जहां तक आयकर का भुगतान का सम्बन्ध है, इस बारे में कानून पहले से ही है । मैं उनके सुझाव को वित्त मन्त्री महोदय के पास भेज दूंगा ।

माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि भुगतान-आयुक्त ने कितनी राशि का भुगतान किया है । क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान आयुक्त ने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है । जहां तक परिवार के सदस्यों का सम्बन्ध है, उस प्रश्न का उत्तर सदन में कई बार दिया जा चुका है । उन्होने किसी प्रकार का दावा नहीं किया है अतः भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

माननीय सदस्य ने दावों और दावेदारों के बारे में पूर्ण जानकारी चाही है वास्तव में भुगतान-आयुक्त व्यावहारिक रूप मे न्यायिक निकाय होता है वास्तव में वे सभी दावों को आमन्त्रित करेंगे । दावेदारों की सूची कभी भी न घोषित की जाती है और न प्रकाशित की जाती है ।

माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है । मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा सुझाए गए संकल्प की अनावश्यकता को देखते हुए, वे उसे वापिस ले लेंगे ।

श्री एन० के० शेजवलकर : सभापति महोदय, मैं सविनय निवेदन करता हूं कि मैं यह नहीं समझ पाया कि मन्त्री महोदय को मेरा संशोधन स्वीकार्य क्यों नहीं है । दावेदारों के नामों

की सूची के प्रकाशन के बहुत से उद्देश्य है यह केवल यह जानने के लिए ही नहीं है कि दावेदार कौन है। कुछ ऐसी चीजों के दावे प्रति दावे किये जाते है जो कि पहले ही कम्पनी के पास जमा कर दी जाती है। यह कोई नई प्रथा नहीं है और न ही यह कोई असामान्य बात है, राजपत्र में दावेदारों के नाम की सूची प्रकाशित करने में क्या हर्ज है ? यदि किसी व्यक्ति के दावे के प्रति आपत्ति है तो वह वहाँ निवेदन कर सकता है । इसका यही मुख्य उद्देश्य है।

जहाँ तक अन्य बात का सम्बन्ध है मैंने 30 के बजाय 15 दिनों का सुझाव किया है। निस्सन्देह 30 दिन का समय दिया गया है। मैंने 15 दिन के समय का प्रस्ताव रखा है। यह अधिनियम की भावना के विरुद्ध नहीं है। फिर भी, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं इस पर बल नहीं देता हूं परन्तु में द्वितीय संशोधन पर बल दे रहा हूं कि दावेदारों की सूची प्रकाशित की जानी चाहिये। जहाँ तक प्रथम संशोधन का सम्बन्ध है मैं उसे वापिस ले सकता हूं परन्तु अन्य पर मैं बल दे रहा हूं।

सभापति महोदय : क्या आप अपने प्रस्ताव पर बल दे रहे हैं ?

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं अपने प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा संकल्प करती है कि मारूति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 64) की धारा 31 की उपधारा (3) के अनुसरण में मारूति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) नियम, 1981, जो दिनांक 8 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या सा० आ० 295 (ड.) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, में और 6 मई. 1981 को सभा पटल पर रखे गये थे, में निम्नलिखित रूपभेद किए जायें :—

(1) नियम 3 में परन्तुक में, —

'वह उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायें, 30 दिन की और अवधि के भीतर लेकिन, उसके पश्चात नहीं, सूचना स्वीकार कर सकेगा।' के स्थान पर 'वह विलम्ब के कारण निश्चित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य पर विचार करके और सूचना स्वीकार करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात केवल 15 दिन की अधिकतम अवधि तक और उससे अधिक नही, विलम्ब को माफ कर सकेगा।' प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) नियम 4 के पश्चात यह अन्त: स्थापित कि देये

'5' **सूचना का प्रकाशन**—दावों के लिए सूचना देने हेतु अधिनियम की धारा 18

के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति के अगले दिन उन दावेदारों की पूरी सूची जिन्होंने समय सीमा के भीतर दे दी हो, कार्यालय के सूचना बोर्ड पर लगाई जाएगी, जिसमें संक्षेप में दावों के विवरण अर्थात दावों की राशि और उनके प्रकार दिए जायेंगे और इसे भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाएगा'

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (तीसरा संशोधन) विधेयक-जारी

सभापति महोदय : अब हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय (तीसरा संशोधन) विधेयक पर चर्चा जारी करते हैं। श्री जैनुल बशर अपना भाषण जारी करें।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : 1965 के संशोधन तथा 1972 के संशोधन के बाद देश भर में मुसलमानों में असन्तोष था तथा तभी से वे विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप की मांग कर रहे है। 1972 में एक देशव्यापी आन्दोलन चलाया गया था तथा उसके बाद प्रत्येक मुस्लिम जनसभा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के मुस्लिम स्वरूप के प्रत्यावर्तन की मांग उठायी जा रही थी। उस समय बहुत से विपक्ष के दलों ने इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने विश्व विद्यालय के मुस्लिम स्वरूप के प्रत्यावर्तन की मांग की। वे पूरे दिल से अल्पसंख्यकों की बात का समर्थन कर रहे थे। परन्तु यह हमारे देश के राजनैतिक इतिहास की एक विडम्बना रही है कि उन राजनैतिक दलों ने, जब ये सत्ता में आये तथा ढ़ाई वर्ष तक सत्ता में रहे, जो उन्होंने वायदा किया था अर्थात मुस्लिम विश्व विद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप का प्रत्यावर्तन नहीं किया श्रीमती गाँधी तथा उनकी सरकार जिन्होंने इस विश्व विद्यालय के अल्पसंख्यक तत्व को समाप्त किया था, ने यह महसूस किया कि उनकी माँग सच्ची है तथा मुस्लिमानों की भावनाओं को आघात पहुंचा है तथा मुस्लिम भावनाओं की यह मांग है कि इसके अल्पसंख्यक स्वरूप का प्रत्यावर्तन किया जाना चाहिए। मैं इस अवसर पर प्रधान मन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री को बधाई देता हूं। कि अब उन्होंने इस विधेयक के द्वारा हमारे 1980 के चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वायदों को पूरा कर दिया है, अन्ततः भारतीय मुसलमानों की आकांक्षायें पूरी हो गयी है। इस देश में विशेषरूप से मुस्लिम विश्व विद्यालय के परिसर में ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस विश्व विद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप का प्रत्यावर्तन नहीं चाहते। पहले भी सरकार इस विषय पर पुनर्विचार किया था तथा वे इस विश्व विद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप का प्रत्यावर्तन करने की इच्छुक थी परन्तु बीच में ही कुछ घटना घट गयी जो कि उन तत्वों द्वारा जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप का प्रत्यावर्तन नहीं चाहते थे रची गयी थी उन

दिनों 1973 या 1974 में पुनर्विचार जारी था तब अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के एक प्रो० श्री रईस अहमद ने एक वक्तव्य जारी किया तथा छात्रों को भड़काया गया तथा वह प्रस्ताव बीच में ही छोड़ दिया गया। इस बार भी जब पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय संशोधन विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया तो उन तत्वों ने इस कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया तथा प्रो० इरफान हबीब द्वारा एक प्रैस व्यक्तव्य जारी किया गया तथा छात्र अनावश्यक रूप से भड़क गये एवं स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो गयी। परन्तु इस बात का श्रेय सरकार को को जाता है कि वे इस बार इन तत्वों द्वारा बेवकूफ नहीं बने तथा उन्होंने उचित समय पर इस विश्व विद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के प्रत्यावर्तन के लिए विधेयक प्रस्तुत कर दिया जैसा कि श्री गाडगिल ने ठीक ही कहा है कि यह इस देश में मुस्लिम इतिहास की महत्वपूर्ण अवधि है। वे पिछले दस वर्षों से इस विश्व विद्यालय के मुस्लिम स्वरूप के प्रत्यावर्तन के लिए संघर्ष कर रहे थे। और अब यह हो गया है। इसका श्रेय श्रीमती गांधी तथा उनकी सरकार को जाता है कि उन्होंने उनको जो वस्तु उनसे 10 वर्ष पहले छीन ली गयी थी पुनः दे दी। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि यह संशोधन मुसलमान जो चाहते थे उससे भी अधिक है। जो कुछ उनकी मांग थी यह उससे भी अधिक है इसके द्वारा कोर्ट को स्वायत्तता प्रदान की गयी है तथा अदालत को एक विस्तृत रूप में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

अभी तक अलीगढ़ विश्व विद्यालय के कार्य कलाप अलीगढ़ अध्यापन समुदाय या छात्र समुदाय या भूतपूर्व छात्रों आप इसको जो भी कहें, तक ही सीमित था। उनके निहित स्वार्थ थे। तथा उन्होंने विनियमों को अपने स्वार्थों के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया। परन्तु अब यह नहीं होने दिया जायेगा इस विधेयक में अलीगढ़ से बाहर तथा उत्तर प्रदेश राज्य से भी बाहर से बहुत अधिक मात्रा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। अब देश भर के मुसलमानों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के कार्य कालपों में सम्मिलित किया गया है तथा हम आशा करते हैं कि इससे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश भर के मुसलमानों की महत्वाकांक्षायें पूरी होंगी। तथा इसमें सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ओरियेन्टल कालिज, मुस्लिम विद्वान मुस्लिम धर्म पंडित तथा देश के प्रत्येक कोने से मुस्लिम प्रतिनिधि कोर्ट में बैठेंगे जो कि विश्व विद्यालय का सर्वोच्च शासी निकाय होगा। मैं समझता हूं कि यह विश्व विद्यालय के स्वायत्त स्वरूप के प्रत्यावर्तन के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है। उससे कहीं अधिक है।

अलीगढ़ विश्व विद्यालय का इतिहास इसकी स्थापना काल से धर्म निरपेक्ष रहा है गैर मुसलमानों ने कालिजों तथा विश्व विद्यालय की स्थापना के लिए धन को दान किया तथा इस विद्यालय से प्रथम स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले गैर मुसलमान थे। विश्व विद्यालय को गैर मुस्लिम छात्रों के तथा गैर मुस्लिम अध्यापकों के होने पर गर्व है। आज इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा संकायों में मुस्लिम छात्रों की अपेक्षा गैर मुस्लिम छात्रों कोसंख्या अधिक है इन्जीनियरिंग तथा चिकित्सा क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक छात्र गैर मुस्लिम हैं। अध्यापक समुदाय में भी 50 प्रतिशत के लगभग अध्यापक गैर मुस्लिम है। जहां तक धर्म निरपेक्षता का सम्बन्ध है मुस्लिम विश्व विद्यालय का

धर्म निरपेक्षता का बहुत ही अच्छा रिकोर्ड रहा है। अलीगढ़ विश्व विद्यालय हमेशा ही एक बहुत ही अनुशासित विश्व विद्यालय रहा है। यदि आप इसकी तुलना देश के अन्य विश्व विद्यालयों से करें तो पता चलेगा कि इसमें बहुत कम गड़बड़ी हुई है। परन्तु दुर्भाग्य से फिलहाल विश्व विद्यालय उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा है तथा वहां पर स्थिति की जांच की जानी है मैं सोचता हूं। कि माननीय शिक्षा मन्त्री कृपया इस बात पर ध्यान दें तथा विश्व विद्यालय में एक अच्छे तथा स्वास्थवर्द्धक वातावरण के प्रत्यावर्तन के लिए अपनी सुशक्तियों का प्रयोग करें।

विश्व विद्यालय की कुछ समस्यायें हैं। विश्व विद्यालय के परिसर में 17000 से अधिक छात्र हैं। यह एक आवासी विश्व विद्यालय है। परन्तु आवास बहुत अधिक कम है। डेढ़ वर्ष पूर्व जब मैं विश्व विद्यालय में गया था तो मैंने देखा कि छात्रावास के एक कमरे में आठ छात्र रह रहे थे जबकि जगह केवल दो या तीन छात्रों के लिए ही था एक सामान्य हाल में 50 से 60 छात्र तक रह रहे थे। जहां तक छात्रावासों का सम्बन्ध है स्थिति बड़ी खराब है यह आवासी विश्व विद्यालय है तथा सरकार को छात्रावासों तथा नये संकायों के निर्माण के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि छात्र एक अच्छे वातावरण में बिना किसी कठिनाई या बाधा के रह सके।

एक मांग है। विश्व विद्यालय ने एक पेट्रो कैमिकल संस्थान के लिए योजना प्रस्तुत की है तथा यह प्रस्ताव भारत सरकार तथा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के पास पहुंच गया है। इसकी स्वीकृति निलम्बित है यदि वहां पर एक पेट्रो कैमिकल संस्थान की स्थापना हो जाये, तो विश्व विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी।

हमारे सभी मित्रों की धारणा यह है कि हम अपनी एजेन्सियां ढूढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर तेल की खोज ले लीजिए तेल तकनीकी को हमारी शिक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। इससे देश को बड़ी सहायता मिलेगी महोदय मुझे इस बात पर गर्व है कि आज मैं इस वाद विवाद में भाग ले रहा हूं तथा इस विधेयक से विश्व विद्यालय को अल्प संख्यक स्वरूप दिया जा रहा है मैं चाहता हूं कि इस स्वरूप के प्रत्यावर्तन के बाद यह संस्था अधिक सुचारु रूप से कार्य करेगा तथा इससे इस संस्था के संस्थापक सर सैय्यद अहमद खान की आकांक्षायें तथा महत्वाकांक्षायें पूरी होगी।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, जो विधेयक आज सभा में प्रस्तुत किया गया है। वह देश के अल्प संख्यक समुदाय का विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की बहुत ही लम्बे समय से की गयी मांग है। इस बात को मान्यता ही जानी चाहिए कि हमारे देश का पूरा मुस्लिम समुदाय यह चाहता है कि इस विश्व विद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 के अर्थों में अल्प संख्यक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए।

यद्यपि यह एक अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छा है परन्तु इस अवसर पर मैं इस को रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि हमारे देश के दूसरे लोग पूरे भारत का वास्तविक विकास चाहते हैं। यह अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छा तथा लालसा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न केवल

अल्पसख्यक समुदाय की पुरस्कृत सम्पत्ति है बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए गर्व का विषय है: अतः यह उचित है कि देश के अल्पसख्यक समुदाय की इच्छा की पूर्ति के लिए मांग उठायी गयी है। परन्तु इसके साथ ही मैं सस्था को लोकतांत्रिक बनाने के विषय में भी उल्लेख करना चाहता हूं।

क्योंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है अत मैं विधेयक के प्रावधानों के विस्तार में नहीं जाना चाहता परन्तु मैं सन्तुष्ट हूं कि यदि राजनैतिक दृढ़ इच्छा हो तथा लोकतान्त्रिकरण का व्यापक महल हो तो सस्था को लोकतान्त्रिक रूप देने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साथ ही साथ मैं यह भी महसूस करता हूं कि सभा को या सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मौजूदा हालातों के बारे में नहीं भूलना चाहिए चाहिए तथा इस बात को भी देखा जाना चाहिए कि इस विधेयक से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में व्याप्त मौजूदा व्याधि को किस सीमा तक समाप्त किया जा सकता है महोदय मेरे पास इसको स्पष्ट करने या इसके विस्तार में जाने के लिए अधिक समय नहीं है कि वे क्या व्याधियां हैं जो फिलहाल विश्वविद्यालय के कार्य में बाधा डाल रही है मैं केवल कुछ पहलुओं का, व्याधियों के कुछ पहलुओं का ही उल्लेख करना चाहूंगा। एक व्याधि यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में ही कुछ तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक शक्तियों को जान बूझकर उकसाया जा रहा है। यह व्याधियों में से एक है।

दूसरा रोग, शैक्षणिक नियुक्यिो में नियमों का उल्लघन है। नियुक्तियों के मामले में शैक्षणिक नियमों के घोर उल्लंघन के उदाहरण सामने आये हैं। महोदय, मुझे पता चला कि अनुसंधान डिग्रियां भी अन्य व्यक्तियों को दी गयी है अनुसंधान कार्य कोई करता है तथा डाक्टरेट डिग्री किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है। यह एक बहुत ही असाधारण रोग है एक इतने ऊंचे स्तर का विश्वविधालय ग्रस्त है। यह भी देखा गया है कि प्रशासन में कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो कि प्रशासन को अपने विवर्धन का साधन बनाना चाहते हैं। कुछ और भी बातें हैं परन्तु मैं उनका उल्लेख नहीं करने जा रहा हूं। परन्तु इन सब बातों का मुझे दुख है, इनका आपको भी दुख है, इनका उन सभी को दुख है जो शिक्षा में रुचि रखते हैं तथा जो यह देखना चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि देश के अल्पसख्यक समुदाय की गर्वपूर्ण सम्पत्ति रहेगी, को भारत के इतिहास तथा संस्कृति में एक गर्व का स्थान बनाये रखे। ये निराशाजनक तथा नकारात्मक बातें समाप्त की जानी चाहिए हमें इन बीमारियों को हटाना चाहिए जिनसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ग्रस्त है। इस संशोधक विधेयक को इस कटौती पर देखा जाना चाहिए। यदि अधिक लोकतान्त्रिकरण होता, यदि छात्र समुदाय अधिक व्यापक रूप से भाग लेगा, यदि छात्र समुदाय तथा गैर अध्यापन कर्मचारियों को विस्तृत रूप में सम्मिलित करने का अच्छा क्षेत्र होता तो मैं सोचता हूं कि इनमें से अधिकतर रोग आसानी से दूर किये जा सकते थे। अतः महोदय मैं सरकार से निवेदन करता हूं (चाहे अब देर से ही) कि आगे लोकतान्त्रिकरण की सम्भावनाओं को खोज तथा विचार किया जाये। जहां तक लोकतान्त्रिकरण के सुझावों का सम्बन्ध है मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कुछ सुझाव दिये हैं यदि संयुक्त समिति में चर्चा के लिए

अधिक समय व गुंजाइश होती तो हम अधिक सकारात्मक तथा निर्माणात्मक इन प्रावधानों के सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत कर पाते । अल्पसंख्यक दर्जे की मान्यता देना धर्मनिरपेक्षता के विरोत नहीं है । कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो यह महसूस करते हैं कि यदि यह एक अल्पसंख्यक संस्था है तो इनको हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता की मुख्य धारा रहनी चाहिए । यह ऐसा नहीं है मैं सोचता हूं कि ये विचार बिलकुल भी तर्कसंगत नहीं हैं और बिलकुल भी उचित नहीं हैं परन्तु मैं दुख के साथ कहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही कुछ ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियां कार्य कर रही हैं । परन्तु मुझे यह जानकर खुशी होती है कि आज भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय को अध्यापन समुदाय में कुछ गैर मुसलमान हैं ।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : वे लगभग 50% है ।

श्री चित्त बसु : वह बहुत अच्छी बात है और मैं उसकी सराहना करता हूं । हमें बहुत दुख होता है कि ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो गड़बड़ कर रही हैं । मैं विद्यार्थी इस्लामिक आन्दोलन के अध्यक्ष के वक्तव्य से पढ़ता हूं । कट्टरवादिता, इस्लामिक कट्टरवादिता के पुर्नजागरण को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर से ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

श्री जैनल बशर : इसी तरह कलकत्ता में भी हो सकता है ।

श्री चित्त बसु : मैं यह नहीं कहता कि यह केवल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही होगा । यह दूसरे स्थानों पर भी हो सकता है (व्यवधान) परन्तु मेरा तात्पर्य यह है कि अल्प-संख्यक स्वरूप दिया जाना चाहिए । साथ ही साथ इस अल्पसंख्यक स्वरूप का इस्लामिक कट्टर-वादिता से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह एक बहुत ही भयानक बात हो जाएगी । मैं यह नहीं कहता कि यह केवल मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही हो रहा है (व्यवधान) अब मैं छात्र इस्लामिक आन्दोलन के अध्यक्ष के वक्तव्य को उद्धृत करता हूं :

"हम चाहते हैं कि प्रत्येक अध्यापक को इस्लामिक आस्था तथा बन्धुत्व भावना (मिलाट) के प्रति वफादार होना चाहिए । उसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो इस्लामिक संस्कृति, समु-दाय तथा विश्वविद्यालय के हितों को हानि पहुंचाने वाला हो । इरफान हबीब का वर्तमान वक्तव्य ही नहीं बल्कि पहला रुख भी निश्चित रूप से इस्लाम और मिलाट के विपरीत था । विश्व-विद्यालय के अलावा भी उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के शत्रुओं से दोस्ती की । अतः इस मामले में, हमें कानून में बचाव के सस्ते का लाभ उठाकर उन्हें विश्वविद्यालय से बाहर निका-लना पड़ा ।"

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस प्रकार की साम्प्रदायिक शक्तियां काम कर रही हैं तथा करती रही है । महोदय, यह बहुत ही भयानक बात है । जहां तक इरफान हबीब का सम्बन्ध है, वह एक अध्यापक हैं तथा अध्यापकगण से सम्बन्धित हैं । उनको शैक्षणिक जीवन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने का उनको अधिकार है परन्तु विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी शक्तियां कार्य कर रही हैं जो कहती हैं कि जो व्यक्ति इस्लामिक कट्टपन में विश्वास रखते हैं केवल वे

ही अध्याय समुदाय के सदस्य रह सकते हैं क्या यह एक स्वागत योग्य प्रवृत्ति है या क्या यह एक भयानक प्रवृत्ति नहीं है ? अत: मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम सब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाये रखने तथा वहां पर कटटरपन की प्रवृत्ति को मजबूत करने की बात से सहमत होते हैं मैं आशा करता हूं तथा विश्वास करता हूं कि इस भावना को अधिक महत्व दिया जाएगा न कि तथाकथित कट्टरपन को। केरल तभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश में अपना गर्व का स्थान बनाये रख सकता है तथा एक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त कर सकता है ।

श्री जमीलुर्रहमान : मोहतरिम चेअरमेन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आखिरी वक्त पर बोलने का मौका दिया है। बहरहाल, मैं शुक्रगुजार हूं अपने लीडर का जो कि पूरे मुल्क और पूरी कौम के लिए सोचती हैं। मैं एजूकेशन मिनिस्टर को भी मुबारकबाद देता हूं कि वे बहुत अहम मौके पर इस बिल को लायी हैं। वे इसको लायी ही नहीं हैं। बल्कि बहुत सी खूबियां भी इसमें लायी हैं।

वे इस बात को जानती हैं कि अकलियतों को सोसायटी से नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। अगर नजरअन्दाज किया गया तो वह मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होता है यह बात पर कोई और मुल्क जानता है और तवारीख भी इसकी गवाह है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल यह मुसलमानों के दिल की आवाज है और इसको बहुत सी जायज और मुनासिब वक्त पर लाया गया है। इसके पीछे एक मकसद है. एक तवारीख है।

मोहतरिम चेअरमेन साहब, आपको मालूम है कि 1957 के बाद जो मुसलमानों पर आफत आयी, वह कम नहीं थी। और जितने पहाड़ ढाने थे। ढाए और उस वक्त उस पुराशोव दौर में सर सैय्यद मरहूम, जिन्हें खुदा जन्नत नसीब करे, उन्होंने उस वक्त सोचा और ठान लिया कि सब मुसलमानों को एक माडर्न तालीम देनी है, कौमी धारे में ले चलने के लिए हर मुसलमान को माडर्न तालीम हासिल करनी होगी। अगर ऐसा नही किया गया तो मुसलमान जिन्दा नहीं रहेगा और स्पेन की तरह तबाह और खत्म हो जाएगा। इसलिए सन 1870 में सबसे पहले मुसलमानों की पसमांदगी और कमजोरी को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। नई तालीम को रूसनाश कराने लिए सन् 1872 में "मोहमडन एंगली ओरिएंटल कालेज फण्ड कमेटी" बनी। इस कमेटी का काम फण्ड इकट्ठा करना था और मुसलमानों के उसूल, जजबात और रूह की तरजुमानी करते हुए उस कमेटी ने सन् 1873 में एक स्कूल खोला। 1876 में यह हाई स्कूल बना और सन् 1877 में वायसराय ने "मोंहमडन एंग्लो ओरिएंटल कालेज अलीगढ़" की संघ बुनियाद रखी। इससे मुसलमानों का तालीमी निजाम ठीक होता रहा सर सैय्यद मरहूम 1898 में इन्तकाल कर गए। इसके बाद सब लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद के बारे में सोचा। इसके लिए उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बंदिश रखी कि जब तक 30 लाख रुपया मुसलमान जमा नहीं करेंगे तब तक यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं होगी उस वक्त रुपया जमा किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सन् 1911 में फण्ड इकट्ठा करके

मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसएशन कायम की गई, जिनका एक ही मकसद था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने। इस तरह से इस एम० ए० ओ० कालेज को यूनिवर्सिटी बनाने का सवाल पूरा हुआ और मुसलमानों की मेहनत का नतीजा "अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट-1920" लाया गया असल बुनियाद वहीं थी इसलिए यदि मैं कहूं कि अभी अक्लियती किरदार को बहाल किया जा रहा है तो नामोनिशान नहीं होगा।

झगड़े की बात कब पैदा हुई ? आप देखेंगे, सबसे पहले इस एक्ट में 1945 में अमेंडमेंट आया उसके बाद 1951 में अमेंडमेंट आया, जो आना ही था, क्योंकि आजाद हिन्दुस्तान का संविधान का लागू हुआ। इसमें इस बात का भी ख्याल रखा गया कि सभी लोगों को रिप्रजेंटेशन मिलना चाहिए। 1951 में कुछ हल्के फुल्के अमेंडमेंट आए। बाद में फिर 1965 में यूनिवर्सिटी एक्ट को तारमीम किया गया उसके बाद उससे मुसलमानों का मामला हल नहीं हुआ, बल्कि इसमें गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से चीख-पुकार मची। जो मुसलमानों के दिलों की सरजुमानी कर रहा था वह खत्म हो गया और एजीटेशन शुरू हुआ। सन् 1972 में आप भी मेंबर थे और मैं भी था। जो एक्ट पास किया गया, उसमें एक बड़ी गैर जज्बाती बात थी जो मुसलमाडों के जज्बात की तरजुमानी नहीं कर रही थी। बड़ी कमी आ गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों में एजीटेशन खड़ा हुआ और इसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ।

यह सही है कि पिछले साल से लेकर अब तक 3 बिल आए। आप देखें बिल नंबर 77, 1980 आया था। यह निहायत छोटा और नाकाफी था। उसमें इस बात की गुंजाइश रह गई थी कि यूनिवर्सिटी का डेफीनेशन बदल दी जाए। जिससे यह जाहिर है कि इसमें अक्लियती किरदार बहाल किए हैं जो मुसलमानों के जज्बात की तरजुमानी कर रहे थे।

> "विश्व विद्यालय से वह शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिसका आरम्भ भारत के मुसलमानों द्वारा उनकी अभिरुचि के अनुसार स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरियंट कालेज, अलीगढ़ के रूप में हुआ था तथा तत्पश्चात जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के रूप में निगमित किया गया।".

तो बुनियाद वही थी जो मैंने अर्ज किया। जब इससे एस्प्रेसन पूरा नहीं हो रहा था तब बिल नम्बर 77 के तहत यूनिवर्सिटी की डेफीनेशन बदल गई। जब वह भी ना काफी समझी गई और हमारी पार्टी ने उसको नाकाफी समझा तो बिल नम्बर16 1, 1980 लाया गया। गरचे यह बहुत हद तक बिल सही था, और हमारी पार्टी की नियत भी साफ थी इस मामले में और है भी लेकिन उसमें कुछ कमी थी, इसलिये यह कप्रीहैंसिव बिल थर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया है जो कि जेरे गौर है। इसको अभी हमें देखना है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह बिल जो लाया गया है, सारे लोगों के ख्यालात और जजबात की तर्जुमानी करता है, चाहे वेग कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे खुसरो कमेटी की रिपोर्ट हो और चाहे माइनोरिटी

कमीशन की रिपोर्ट हो । सारे जो मुस्लिम इदारे हैं उन सारे लोगों के जजबात के जो रिप्रेजेन्टेशन दिये गये हैं, उनकी तर्जुमानी करता है ।

सारी बातों मद्देनजर रखते हुए इस बिल में सबका इन-कार्पोरेशन हुआ है, जो जाहिर करता है कि जो हमारी पार्टी का मेनिफैस्टो था, जिसक लिये हम कमिटेड थे, वचनवद्ध थे, उस बात को पूरा करने का वक्त आया है जो इस बिल की शक्ल में है ।

सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक दो बात मैं कहना चाहता हूं । अब श्री गुलशेर अहमद साहब की तरह मैं उतना बड़ा वार एट-ला तो हूं नहीं, लेकिन एक छोटा सा एडवोकेट हूं । एक बात मैं जरूर कहूंगा, उसमें आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के कैसे-कैसे जज थे, उसमें तीन जजेज के मुताल्लिक तो मुझे मालूम है, जो सियासी जहनियत रखते थे ।

श्री गुलशेर अहमद : आप न्यायाधीशों के विषय में कुछ नहीं कह सकते ।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं न्यायाधीशों की अलोचना नहीं कर रहा हूं मैं यह कह रहा था । कि सियासी जहनियत के मातहत थे और बाद में लोक सभा इस बात की गवाम है, उसमें से एक साहब स्पीकर भी हुए इसलिए उनका जहन क्या हो, सकता है, उसके बारे में मैं रोशनी नहीं डालूंगा । बहरहाल इस बिल में जो बातें लायी गई हैं, उनमें से खास बातें यह हैं ।

इसमें माइनोरिटी करेक्टर का अकलियती तवारीखी किरदार वहाल किया गया है ।

दूसरी चीज मुसलमानों की तालीम और कल्चर की जमानत यह बिल देता है यहां पर मैं उद्धृता हूं ।

> "भारत के मुसलमानों की विशेष रूप से शिक्षा और सांस्कृतिक विकास सम्बन्धी अभिवृद्धि करने के लिए ।"

यह बिल जमानत देता है इस बात की, और मुस्लिमों के जजबात की तर्जुमानी करता है ।

तीसरी चीज है आर्गनाजेशनल स्ट्रक्चर । इसमें भी जो तबदीलियां लायी गई हैं वह निहायत ही मुनासिब हैं । ओनरेरी ट्रेजरार को फिर से बहाल किया गया तो यह समझा गया कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में जब भारत सरकार और पब्लिक एक्स चैंकर का इतना रुपया खर्च होता है तो उसकी एकाउन्टेब्लिटी होनी चाहिये और इसको इस बिल के जरिये वहाल किया गया है ।

जहां तक चांसलर और वाइस चांसलर को भी वोट के द्वारा चुना जायेगा, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक क्या बात हो सकती है और वाइस चांसलर को वहाल करने के तरीके भी बदल दिये गये हैं ।

कोर्ट, जिसके बारे में डिस्प्यूटेड मामला था, जिसके अख्तयारात ले लिये गये थे, उन सा बातों को अजसरे-नौ इस बिल के जरिये बहाल करके सुप्रीम बना दिया गया है। इससे बढ़क डेमोक्रेटिक सैट-अप क्या हो सकता है। 131 मेम्बर पहले थे, अब 181 मेम्बर लिए गये है औरतों का रिप्रेजेन्टेशन नहीं था, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक संगठ क्या हो सकता है? इतना नहीं, कोर्ट के अन्दर जो नान-टीचिंग स्टाफ है, उसका खासी नुमाइन्दगी होनी चाहिए। इस बेहतर क्या हो सकता है कि उसमें क्लर्क, पियोन, स्वीपर और क्लास-4 के एम्पलाई हो सक हैं। जानकारी के लिए मैंने कहा भी, बीच में मैंने इन्टरवीन भी किया था और मैं ने बता था कि स्टूडेंट्स की तादाद वह चाहे इन्जीनियरिंग फैकल्टी में हो चाहे मेडिकल फैकल्टी में या और जो फैकल्टीज हैं उनमें हो, सबमें नाम मुस्लिमों की तायदाद मोर देन 40 या परसेंट है और प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की भी यही पोजीशन है। अगर यह बात मैं कहूं आप कि दूसरी यूनिवर्सिटीज की भी फिगर्स दीजिए तो आप खामोश हो जाएंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी की फिगर्स दे सकेंगे। जितनी फराखदिली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रही है, उसके मुकाबि में आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की फिगर्स नहीं दे पाएंगे।

भाई बनातवाला जी का अमेंडमेंट मैंने पढ़ा है और अपने दीगर भाइयों का भी पढ़ा है उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश मेरी है कि आईन के तहत इस यूनिवर्सिटी का सारा खर्च गवर्नमें आफ इण्डिया बर्दाश्त करती है, पार्लियामेंट उसको पास करती है और यू० जी० सी० से भी इ का ताल्लुक है। यह कोई प्राइवेट एजूकेशन संस्था तो है नहीं कि आजमगढ़ का कोई मदरसा या देवबन्द का मदरसा है या लखनऊ का नदवा है, ऐसा तो कोई है नहीं कि गवर्नमेंट से को सरोकार नहीं है और गवर्नमेंट कोई पैसा खर्च नहीं कर रही है इसलिए गवर्नमेंट इसके इन्तजा में भी दखल नहीं देगी। यह सवाल ही यहां पैदा नहीं होता है इसलिए कि जो अभी तक यूनि वर्सिटी की डेफिनीशन के तहत हम लोग चल रहे हैं वह उसको कवर करता है। दूसरे अग उनके अमेंडमेंट को मान लिया जाय तो क्या नतीजा होगा? फ्लड गेट्स आफ लिटिगेशन खु जाएंगे। हमारे भाई ठण्डे दिल से गौर करें। उनके जजबात और मेरे जजबात भी हैं। मैं क कम ताल्लुक अपने दीनी भाइयों से नहीं रखता हूं। इसलिए गुजारिश यह है कि उसको गौर देखें।

अभी जैसा कि भाई जैनुल बशर ने कहा, यूनिवर्सिटी के हालात अच्छे नहीं हैं। इस बि के बाद अच्छे होने की उम्मीद है। लेकिन यह बात जरूर है, आपने भी अखबारों के जरि देखा होगा कि वाइस-चांसलर का रवैया निहायत खराब है। यूनिवर्सिटी में गोली चलवाना—उस को रोकने का काम हो, एक बात जरूर है कि अब ऐसे लोगों को इस बात की इजाजत हरगि नहीं होगी कि एक फेमिली के 35-35 और 40-40 लेक्चरर बहाल हो गए। गरचे कि जमींदार तो हम लोगों ने एबालिश कर दी पर अलीगढ़ में वह जमींदारी बरकरार रहे, इस बात क इजाजत इस बिल के जरिए हरगिज नहीं दी जायगी, यह बात बिलकुल साफ है।

इसमें एम पीज की नुमाइन्दगी बहुत कम है, सिर्फ दस ही हैं, लोक सभा के सिर्फ 6 औ राज्य सभा के 41 इसमें कम से कम 20 होने चाहिए। हम लोगों का रेप्रेजेन्टेशन लोक स

और राज्य सभा को मिला करके 20 होना चाहिए। अभी सिर्फ 6 है लोक सभा का।
...(व्यवधान)

इसके बाद इस बात की इजाजत अब नहीं दी जायेगी कि यूनिवर्सिटी में पब्लिक एक्सचेकर के पैसे पर आप बहाल हों, आप लेक्चरर हों और आप पढ़ाने के बजाय, अच्छी तालीम बच्चों को देने के बजाय, किसी पार्टी का झंडा लेकर खड़ा करें और 374 स्ट्राइक्स कराएं। और वह हजरत सिर्फ यूनिवर्सिटी कैम्पस में ही नहीं यूनिवर्सिटी के बाहर मिलों में भी जाकर स्ट्राइक कराते हैं। तो दोनों बातें साथ साथ नहीं चलेंगी।

एक माननीय सदस्य : वह हजरत कौन हैं ?

श्री जमीलुर्रहमान : वह हैं प्रोफेसर हरफान हबीब।

मैं मोहतरमा एजूकेशन मिनिस्टर से इस्तदुआ करूंगा कि यूनिवर्सिटी एक पायस मुकाम है, बच्चों के पढ़ने की जगह है, कौम के बनने का सवाल है, अगर पार्टीबाजी करनी है तो हिन्दुस्तान में यह 542 जगहें पार्लियामेंट की हैं, 5 हजार से ऊपर सीटें असेम्बलियों की हैं, किसी को चुन लीजिए और अपनी किस्मत आजमा लीजिए। लेकिन यह नहीं होगा कि पैसा पब्लिक एक्सचेकर का, सरकार का और पूरे मुल्क का खर्च हो और आपको एक पार्टी का झंडा बुलन्द करने की इजाजत कभी कानून नहीं देगा। मैं इस्तदुआ करता हूं मोहतरमा वजीर साहबा से कि इस बात के ऊपर कड़ी निगाह रखें।

अभी हमारे पीछे बोलने वाले लोगों को बड़ा इस बात का शक था कि इसमें डेमोक्रेटाइजेशन या सेकुलरिज्म की कमी हो जायगी, तो उनकी, किसका था ? अगर वह काम्पीटेंट वाइस-चांसलर होते तो उसको रोक सकते थे, बात कर सकते थे, निगोशिएशस कर सकते थे, बात को मिटा सकते थे। लेकिन उनका चूंकि एक ऐटीच्यूड है उसके मातहत उन्होंने गोली भी चलवाई, यूनिवर्सिटी बन्द भी करवायी, बच्चों का भी नुकसान हुआ। इससे जाहिर होता है कि वह निहायत इनकाम्पीटेंट हैं। बहरहाल आज का दिन मेरे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती का है। हमारे भाई जो उधर बैठे हैं उन्होंने 1977 में मेरे खिलाफ यह प्रोपेगैण्डा शुरू किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1972 का जो एक्ट बना था—उस वक्त में मेम्बर था—उसमें मैं पहला मेम्बर था जिन्होंने नूरुल हसन साहब से मिलकर उसके माइनारिटी करैक्टर को हटवाया था। बहरहाल मैं कितने लोगों को इसका जवाब दूं। आज तो मैं इस सदन में हूं और मेरा भी नाम रिकार्ड पर है कि जितनी तेजी से मैंने 1972 में कहा था कि माइनारिटी करैक्टर बहाल होना चाहिए उसी मुस्तैदी के साथ, आज जो बिल हमारी एजूकेशन मिनिस्टर साहिबा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के मातहत वहां पर रखा है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह काबिले तारीफ है, काबिले मुबारकबाद है और इससे मुसलमानों के जजबात की तर्जुमानी होती है। इसके जरिए उनका तालीमी करैक्टर आगे बढ़ेगा और यह अर्गेनाइजेशन इन्डेपेन्डेन्ट होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ में आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल यहां पर पेश है, वह किस तरह से आपके सामने आया है, उसकी तारीख बहुत लोगों ने यहां पर दोहरा दी है मैं उसमें और नहीं जाता। मैं अपनी बात इसी बात से शुरू करूंगा कि जब कभी कोई चीज सीधे न लाकर, उसको चक्कर देकर सामने लाया जाता है तो शुबहा पैदा होता है। शुबहे की गुंजायश उस वक्त हुई जब आपने सीधे-सीधे आर्टिकिल (30) जो कांस्टीट्यूशन में मौजूद है, उसको नजन्दाज करके दूसरे तरीके से आप यह कहना चाहते हैं कि हम उसको मानने को तैयार है। आपने जो स्टेटमेंन्ट दिए हैं उसमें और आपके इस बिल में फर्क है—यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आर्टिकिल (30) में बहुत साफ कहा गया है, आर्टिमिल 30 (1) इस तरह से है :

> "धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशसा का अधिकार होगा।"

मैं नहीं समझता कौन सी बात ऐसा मजबूर करती थी कि आप सीधे-सीधे आर्टिकिल (30) का हवाला इस बिल के जरिए नहीं दे सके।

शायद कुछ साथियों ने इसके माइनारिटी करैक्टर के बारे में भी सवाल उठाया है और यह कहा है कि माइनारिटी करैक्टर दे देने से शायद कुछ दूसरी बात हो जायेगी, हम कुछ सेक्युलेरिज्म के खिलाफ चले जायेंगे, लेकिन अभी पहले हमारे साथी श्री चित्त बसु साफ-साफ कह दिया कि इसमें माइनारिटी करैक्टर देने से या आर्टिकिल (30) को फालो करने से कभी भी हम सेक्युलेरिज्म के खिलाफ नहीं जायेंगे। इसलिए जो आपने आर्टिकिल (30) के हवाले से इस बिल को घुमा-फिराकर पेश किया है, आर्टिकिल (30) का हवाला नहीं दिया है इससे शुबहा पैदा हो गया है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अभी तक जो इमदाद दी जाती रही है वह भी शुबहे की बात पैदा करती है। मेरा एक अनस्टार्ड क्वैश्चन नं० 4335 था और उसके साथ साथ 1929 भी था जिसमें सवाल किया गया था कि वहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं जिसका जवाब दिया गया कि 12,760 हैं। लेकिन अभी एजूकेशन मिनिस्टर साहिबा ने अपनी तकरीर में कहा है कि 17000 स्टूडेंट्स हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो जवाब में बतलाया गया था वह सही है या फिर आपका बयान सही है क्योंकि 12,760 और 17,000 में बहुत फर्क है और इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। इसी के साथ साथ यह सवाल भी उठा है—एक दूसरे सवाल में—कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कितनी मदद देते हैं। मैं 198018। की बात करूं तो नान-प्लान में यह मदद 830.88 लाख है। जबकि बनारस यूनिवर्सिटी में 15.466 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां ग्रान्ट दी गई है 1094 लाख की। इसके अलावा इन्जीनियरिंग और टेक्नालाजी में प्लान डवेलपमेंट में जो ग्रान्ट आपकी तरह से दी जाती है, वर्ष 1980-81 में 24.24 लाख है, जबकि बनारस यूनिवर्सिटी को 123.78 लाख है। मैं यह नहीं चाहता हूं कि आप बनारस यूनिवर्सिटी को ग्रान्ट कम दें, लेकिन आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नजरअन्दाज करते हैं। इससे शुबहा यहीं से पैदा

होती है कि आपकी नीयत साफ नहीं है और आप गलत आंकड़े देकर एवान को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : वह कहते हैं कि आप ईमानदार नहीं है यह बात गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यान रखिए। वह आपका ध्यान बांट रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप आंकड़े भूल जायें। आप आंकड़े मत भूलो।

श्री अशफाक हुसैन : कहा यह जाता है कि आर्किल (30) के तहत यदि यूनिवर्सिटी को दे दिया जाएगा तो शायद सरकार उसमें मदद पूरी न कर सके, लेकिन गवर्नमेंट पूरी मदद अब भी नहीं कर रही है। आपने उसकी क्वैश्चन के भाग-सी में कहा है—

> "पिछले तीन वर्षों में, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों की सूचना संलगन विवरण में दी गयी है।"

मैं बहुत तफसील मे न जाते हुए, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की मांग हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं—

विश्वविद्यालय ने 3,122 छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। यूनिवर्सिटी में 3,122 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की मांग है। यूनिवर्सिटी में एक माहौल पैदा हुआ है, उनमें सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन एक खास वजह है कि एक-एक कमरे में चार-चार पांच-पांच सात-सात या आठ-आठ लड़के रह रहे हैं, जो कि एक देखने वाली बात है। यूनिवर्सिटी 3,122 लड़कों के लिए हॉस्टल की जगह प्रोवाइड करने की मांग करती करती है, जिसकी एटीमेटेड कॉस्ट 466 लाख रू० है। इस प्रकार छठे प्लान में आप की से मंजूरी दी जाती है 500 जगहों के लिए और ऊपर से 60 एक्सटेंशन। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद कुछ लोग यह कहते होंगे कि माइनोरिटी करेक्टर यूनिवर्सिटी का वहाल करने से शायद कुछ दिक्कत पैदा हो जाए। दिक्कत अब भी है। आपने माइनोरिटी करैक्टर बहाल भी कर दिया, तब भी दिक्कत अपनी जगह पर कायम रहेगी, सवाल आपके नजरिए का है, आप की नीयत का है कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं या नहीं। जिसका हक कान्स्टीचूशन में साफ तरीके से आर्टिकल-30 (2) में कर दिया है—

शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा। कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है बहुत साफ है, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो बहाल करने में आपको क्या दिक्कत है' यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

जहां तक और कालेजेज का सवाल है, मैंने भी अमेंडमेंटस पेश की हैं। मैं सैक्यूलरिज्म में यकीन रखता हूं, डैमोक्रेसी में यकीन रखता हूं। यह हकीकत है कि मुसलमान लड़के

मैडिकल कालेजेज में हिन्दुस्तान भर में बहुत कम तादाद में आते हैं। उनको दूसरे कालिजिज में दाखले के लिये बहुत दिक्कत होती है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी मुसलमानों लड़कों को पूरी तरह से दाखला नहीं दिया जाता है।

मैं मुसलमानों की ही बात नहीं कर रहा हूं बंगलोर में एक मैडिकल कालिज हैं सेंट जान मैडिकल कालिज, जिसको कैथोलिक्स चलाते है, उस पर पाबन्दी लगा दी गई है, उसको डी-एफिलिएट कर दिया गया है। मेरे ख्याल में यह माइनारिटी इन्स्टीचूशन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, कांस्टीचूशन की खिलाफ वर्जी हो रही है। मै चाहता हूं कि मिनिस्टर साहिबा इस तरफ भी ध्यान दें। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो माइनोरिटी करैक्टर है, वह उसको आप नहीं दे रहे हैं आज भी वहां पर मुसलमान लड़कों को पूरी तरह से दाखला नही मिल रहा है।

हमारे बहुत से साथियों ने और खास तौर से मेरे सामने के एक आनरेबिल मेंबर साहब ने वहां के वाइस-चान्सलर साहब के मुताल्लिक कुछ तनकीद की है। मै उसका जवाब देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं और न यह समझता हूं कि वाइस चांस्लर सहाब उस तनकीद के बाहर हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि व इस-चांस्लर ने इस नाजुक मौके पर जिस तरह से यूनिवर्सिटी में एक्सजामिनेशन्ज कराये हैं, उसके लिये वह क बिले-मुबारकबाद है। मैं उनके तमाम एक्सशन्ज की तारीफ नहीं करता, लेकिन जो एक्शन उन्होंने एक्जामिनेशन्ज के सिलसिले में लिया, जब कि वहाँ पर यह हौव्या खड़ा किया जा रहा था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ऐसी यूनीवर्सिटी है जहां 1980 से अब तक एक्जामिनेशन्ज नहीं हो पाये हैं, वह काबिले तारीफ है। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा और सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मामले में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ही वाहिद यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके साथ-साथ बनारस यूनिवर्सिटी में भी इम्तिहान नहीं हो पाये हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी इम्तिहान नहीं हो पाये हैं। इसके लिये आज का माहौल जिम्मेदार है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं इसके लिये ज्यादा दोष नहीं देता, लेकिन मैं दोष से बिल्कुल बरी भी नहीं करता। वहां पर जिन हालात म गोली चलाने का काम हुआ, ऐसी बातें वहाँ नहीं होनी चाहिये थी। लेकिन ऐसे हालात वहां पर पैदा किये गये और इसके लिये बहुत हद सरकार की शिक्षा नीति जिम्मेदार है।

अब सुन रहे हैं कि आप आई० जी० और डी० आई० जी० को यूनिवर्सिटी का वाइस चांस्लर बनने जा रहे हैं, अगर आई० जी० किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चाँस्लर बनेंगे तो जाहिर है कि वहां पर दूसरे किस्म का माहौल पैदा होगा, पुलिस के डण्डे का माहौल पैदा होगा, जो मैं समझता हूं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा-अगर आप बुजर्ग साथी जनाब गुलशेर अहमद की बात को मान लें, तो जो इस बिल पर मेरी अमेंडमेंट है उसको प्रेस नहीं करूंगा और होलहार्टेडली इस

बिल को सपोर्ट करूंगा। अगर नहीं मानते हैं तो मौका आने पर मैं अपनी अमेण्डमेंट को जरूर प्रेस करूंगा।

श्रीमती मोहसीना किदवई (मेरठ) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मशकूर हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। लेकिन आपने ज्यादा में एजूकेशन मिनिस्टर बहन शीला जी की मशकूर हूं जिनकी वजह से मुस्लिम यूनीवर्सिटी बिल यहां पर डिस्कस हो रहा है। उन्होंने पहली मर्तबा एक्जीक्यूटिव कौन्सिल में औरतों की नुमाइन्दगी को कुबूल किया है और शायद इसीलिए, डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, वरना शायद बोलने का मेरा नम्बर ही नहीं आता।

मैं अलीगढ़ यूनीवर्सिटी बिल का दिली-एहतराम के साथ, मसर्रत के साथ खैरमकदम करने के लिए खड़ी हुई हूं और एजूकेशन मिनिस्टर साहिबा को दिली-मुबारकबाद देती हूं कि उन्होंने इस मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत को नये साल का तोहफा दिया है। इस मुल्क की अकलियत को इस बिल से जो खुशी होगी, उसका अन्दाजा उनको जरूर होगा। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस बिल को तैयार करा कर और यहां पेश कर के हमारी प्राइम मिनिस्टर के किये हुए वायदे को पूरा किया है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि मुखतलिफ पार्टीज के जो नुमाइन्दे यहां पर बोले हैं, उन्होंने, सबने, हाफ-हार्टेडली इस बिल को सपोर्ट ही किया है। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जिनके कि इस बिल पर अमेंडमेंट्स हैं कि अब आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं तो फिर क्यों नहीं इसको सर्वसम्पत्ति से पास करें ताकि हम इस मामले में आगे बढ़ सकें। किसी अमेंडमेंट का मानना या न मानना सरकार का काम है। इस बारे में शीला जी सोचेंगी। लेकिन मैं समझती हूं कि इस बिल में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं यह भी कहती कि आगे चलकर इसमें कोई खामी महसूस न हो। अगर आगे चलकर कोई कमी नजर आयी तो हम सब मिलकर सरकार से इजहार करेंगे कि उस कमी को दूर किया जाए।

सोमनाथ चटर्जी साहब ने हमारी इलेक्शन मेनिफेस्टो की बात की और कहा महज उसको पूरा करने के लिए यह लाया गया है मुझे अच्छी तरह याद है कि 1965 के बाद जो हंगामा मचा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के माइनोरिटी करेक्टर को किस तरह से खत्म कर दिया गया। अब आप यह कहते हैं कि यह पार्टी का मसला है, मेनिफेस्टो का मसला है। क्या कोई भी जो पार्टी है वह अपने मेनिफेस्टो में दिये गए वायदों के मुताबिक नहीं चलती है ? मुझे आज इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी के मेनिफेस्टो में जो वायदे किये गये थे उनमें एक अहम वायदा यह भी था। यह अकलियतों की एक बहुत बड़ी मांग थी जिसको कि आज सरकार पूरा करने जा रही है।

सवाल किसी यूनीवर्सिटी का, या किसी तालीमी इदारे का ही नहीं है। यह यूनीवर्सिटी यहां के अकलियतों की बहुत बड़ी नुमाइन्दी करती है। जैसा कि यहां जिक्र किया गया कि 1957 के रिवोल्ट के बाद जब मुसलमानों की अंग्रेजों ने बहुत नाजुक हालत बना दी, और जानबूझ कर उन्हें सक्रेस और डिमोरेलाइज किया गया तो उस समय सर सैय्यद अहमद साहब ने इस कौम

को बेहतरी के लिए कदम उठाया और एक अच्छी तालीम से उसे वास्ता करने की कोशिश की ताकि इस कौम के लोग भी एक अच्छी तालीम एक मुफीद तालीम हासिल करके मेनस्ट्रीम में शामिल हो सकें। उस वक्त तक मुल्क में अकलियतों की तालीम और तरक्की के लिए कोई तालीमी इदारा नहीं था। उन्होंने एम० ए० ओ० कालिज कायम किया जो कि बाद में मुस्लिम यूनीवर्सिटी एक इन्टरनेशनल फेम का तालीमी इदारा बन गया है और दुनिया से दूर-दूर तक के लोग इसमें तालीम हासिल करने के लिए आते हैं।

अभी यहां पर बहुत-सी चीजें कही गयी हैं जो इसको माइनोरिटी करेक्टर देने के बारे में कही गयी। मैं उनकी तफसिलात में नहीं जाना चाहती। लेकिन मुझे अपने दिला-दिमाग में कोई शकोशुबहा नही है और दूसरे लोग भी अपने दिलो-दिमाग से हर तरह के शकोशुबहा को निकाल दें कि इसको माइनोरिटी करेक्टर दे देने से सैक्युलरिज्म पर कोई आंच आने वाली है। यह वह तालीमी इदारा है जहां से हमारे बड़े-बड़े मुल्क परस्त और कौम परस्त लोग निकले हैं। यहां से डा० जाकिर हुसैन, श्री फखरूद्दीन अली अहमद, श्री रफी अहमद किदवई जैसे लोग पढ़कर निकले हैं। ये लोग इस मुल्क की बड़ी-बड़ी शख्सियत थे जो कि वहाँ से पैदा होकर आयी थीं। इन लोगों ने इस मुल्क की हर तरह की तरक्की में हिस्सा लिया और आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इसको माइनोरिटी करेक्टर दे देने से कोई सेक्युलरिज्यम को आंच आने वाली नहीं है। ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है क्योंकि में यूनीवर्सिटी की एक स्ट्युडेंट रह चुकी हूं।

इस बिल में जो बातें कही गई हैं मैं उनका खैरमकदम करती हूं में एक बात के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूं कि हमारी एजूकेशन मिनिस्टर ने पहली मर्तबा एक्जीक्युटिव काउंसिल में औरतों को नुमाइन्दगी दी। जिस तरह से ओल्ड बोएज को साथ लेकर चलने की बात कही गयी है, उसी तरह से ओल्ड वीमेंस को भी साथ रखें जिससे कि हमारी बहिनों का रिप्रेजेन्टेशन हो सके। आपने जो ओल्ड स्ट्युडेंट्स एसोसियेशन को इसमें रखा है वह एक अच्छा प्रोविजन है। जिस तरह से आप ओल्ड बोएज की एसोसिएशन बना रहे हैं, उसके साथ आप ओल्ड वीमेंस का भी प्रोवीजन करें। जैसा कि डा० स्वामी ने कहा कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि एक बड़े पैमाने पर ओल्ड लोग उसमें आ सकें।

एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसमें स्ट्युडेंट्स के रहने की जगह बहुत कम है। वहाँ पर होस्टल की कमी है। उसकी तरफ भी सरकार को तवज्जोह देनी चाहिए।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी को अब अच्छी तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है और उसी मकसद से चलाने की कोशिश की जा रही है जो कि सर सैय्यद अहमद के मकसद थे। उन्हीं मकसदों और आदर्श को लेकर अब यह यूनिवर्सिटी चलेगी और वहाँ एक अच्छा इंतजाम हो सकेगा। आने वाले नये साल में, नये वर्ष का अकिलयतों को हिन्दुस्तान की सरकार का एक तोहफा होगा और वहां के स्ट्युडट्स, स्टाफ, इसके काम मे दिलचस्पी रखने

वाले लोग इसको आगे बढ़ाने में कोशिश करेंगे । उनकी कोशिश से यह यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से चल सकेगी, ऐसी में पूरी उम्मीद करती हूं ।

इन शब्दों में इस बिल का खैरमकदम करती हैं और सरकार को और अपनी पार्टी को मुबारकबाद देती हूं कि उसने अपना वायदा पूरा किया है ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको मुझे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक 1980 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं ।

मातनीय मन्त्री ने इस विधेयक को बहुत महत्वपूर्ण बताया है यह वास्तव में आंशिक रूप से ठीक है क्योंकि मैं समझता हूं कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय की वे आकांक्षायें जिनके लिए वे एक दशक से अधिक समय से संघर्ष कर रहे हैं । तथा जिसके लिए वे अपनी जान की बलि दे रहे हैं, को पूरा नहीं किया जा सकता । अतः मैं वास्तव में एक असमंजस में पड़ गया हूं कि इस विधेयक का समर्थन किया जाए या इसका विरोध किया जाए ।

निस्संदेह इस विधेयक में कुछ अच्छी विशेषतायें भी हैं । यह विधेयक, इसी सरकार द्वारा 1972 के इसी सभा में प्रस्तुत किए गए काले विधेयक से बहुत अधिक अच्छा है । वर्तमान विधेयक द्वारा काफी हद तक इस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का प्रत्यावर्तन किया जाना है । अतः मैं इसका स्वागत करता हूं तथा इस सुधार के लिए सरकार को बधाई देता हूं ।

मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि इस सबके बावजूद भी, इस पूरे विधेयक में विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप का प्रत्यावर्तन जिस प्रकार से मुसलमानों द्वारा मांग की गई थी नहीं किया गया । मैं चाहता था कि जब मुस्लिम समुदाय इस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने की दस वर्ष से भी अधिक समय से प्रतिक्षा कर रहा था तो विश्वविद्यालय को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अल्पसंख्यक स्वरूप दिया जाना चाहिए था । परन्तु एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस विधेयक में अल्पसंख्यक स्वरूप को बहुत अधिक स्पष्ट शब्दों में नहीं दिया गया । अतः यह पूर्ण रूप से सन्तोषजनक नहीं है । इस विधेयक से सम्बन्धित प्रश्न के दो पहलू हैं । एक विश्वविद्यालय का स्वायत्त स्वरूप तथा दूसरा इसका अल्पसंख्यक स्वरूप । निस्संदेह विधेयक द्वारा विश्वविद्यालय के स्वायत्त स्वरूप देने का काफी हद तक प्रयत्न किया गया है । कोर्ट को शासी निकाय के रूप में सर्वोच्च शक्तियां प्रदान की गई हैं । परन्तु जहां तक अल्पसंख्यक स्वरूप का संबन्ध है यह मूल स्वरूप है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं । मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि इस विधेयक में सरकार ने इस संशोधन को प्रस्तुत करके ऐतिहासिक तथ्य को उचित रूप में माना हैं । इन्होंने खंड दो में कहा है कि वे 1920 के अधिनियम से 'स्थापित और' का लोप कर रहे हैं । खंड 2 में कहा गया है :

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधि-

नियम कहा गया है, वृहत्त नाम और उद्देशिका में 'स्थापित और' शब्दों का लोप किया जाएगा"

इसके बाद खन्ड 2 में निम्नलिखित शब्द भी जोड़े हैं। खन्ड 3 (6) में विश्वविद्यालय की परिभाषा इस प्रकार की है :

(ढ़) "विश्वविद्यालय से वह शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिसका आरम्भ भारत के मुसलमानों द्वारा इनकी अभीरुचि के अनुसार स्थापित मोहम्मडन एंग्लो-ओरियेंटल कालेज, अलीगढ़ के रूप में हुआ था तथा तत्पश्चात जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के रुप में बदल दिया गया"

वास्तव में यह ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार करना है। लेकिन ये यहां रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। उन्हें कुछ आगे बढ़ना है ताकि इस खड में यह जोड़ कर अल्पसंख्यक स्वरुप बहाल किया जाये, कि विश्वविद्यालय का प्रशासन मुस्लिमों द्वारा चलाया जायेगा। जब उन्होंने इस अधिकार को मान लिया है कि मुस्लिमों ने विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया हैं तो उन्हें यह भी स्वीकार करना चाहिये कि विश्वविद्यालय का प्रशासन चलाने का अधिकार मुस्लिमों के प्राप्त होना चाहिये।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : आपका तात्पर्य केवल उन्हीं से हैं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : मैं उस पर आ रहा हूं।

विधेयक के खड 12 द्वारा विश्वविद्यालय का अल्पसख्यक स्वरूप बहाल हो गया है, जिसमें कहा गया है:—

"सभा, विश्वविद्यालय की उच्चतम शासकीय निकाय होगी और विश्वविद्यालय उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम परिनियमों अध्यादेशों और विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो और इसे कार्य परिषद और विद्या परिषद के कामों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। इस दृश्य के सिवाय जिसमें की ऐसी परिषद् अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य किये हैं।"

लेकिन यहां भी एक त्रुटि है अर्थात एक हाथ से जो कुछ ये देते हैं उसे दूसरे हाथ से लेना चाहते हैं। विजिटर को बहुत अधिकार दिये गये हैं। उद्देश्यों और कारण के कथन में कहा गया है :—

"सभा को विश्वविद्यालय के उच्चतम शासी निकाय की हैसियत वापस देना और उसकी रचना में फेर बदल करना।"

लेकिन जब ये कहते हैं कि वे सभा की सर्वोच्चता को वापस देना चाहते है तो वे खंड (16) में भी कहते हैं:—

> "कोई तथ्य परिनियम या किसी परिनियम का संशोधन या परिवर्धन या निरसन तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कह परिदर्शक द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो जो यह तो इसके लिये मजूरी दे सकेगा या इसे अनुज्ञात कर सकेगा या अतिरिक्त विचार के लिये लौटा सकेगा।"

अतः यह प्राधिकारी भी किसी शासी तक आमंत्रित है। मैं यहां यही कहना चाहता हूं। अतः मैं चाहूंगा कि परिदर्शक की शक्तियाँ कम की जाये। इस घोषणा के बावजूद भी किसी विश्व-विद्यालय की स्थापना मुस्लिमों ने की है, इसे संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत सुरक्षा नहीं मिल रही है। मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूं। मैं संविधान के मूलभूत अधिकारों के भाग से उद्धृण दूंगा, अनुच्छेद 30 (1) में कहा गया है:—

> 'धर्म तथा भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।"

यह संविधान का प्रावधान है, मैं उस अधिकार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर 1965 तक मानता हूं। विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप था। वास्तव में 1920 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि केवल मुस्लिम ही सभा के सदस्य हो सकते हैं। 1951 में एक संशोधन लाया गया जिसके द्वारा गैर-मुस्लिम की सभा का सदस्य बनने का हकदार हुआ हम इससे सहमत हुये कुछ उपद्रवों का लाभ उठाते हुये केन्द्रीय सरकार ने 1965 के संशोधन के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के समुचे प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। इसके स्वायतशासी तथा अल्पसंख्यक दोनों स्वरुप समाप्त हो गये विश्वविद्यालय सरकार का एक विभाग बन गया। बाद में 1968 में श्री अजीज पाश्र के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सहारा लेते हुये 1972 का संशोधन विधेयक लाया गया जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गला घोंटा और इसकी हत्या की। मैंने, 1972 में दूसरी सभा में जब यह 'काला विधेयक' पेश किया, गया कहा था:—

> "आज दिन दहाड़े इस सभा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की हत्या कर दी गयी है।"

मैं उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का विरोध नहीं कर रहा हूं जिसमें उच्चतम न्यायालय ने एक संकुचित दृष्टिकोण अपनाया था। श्री अजीज पाश्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे एक विख्यात विधि विद्वान ने जो कहा था मैं इसे उद्धृत करूंगा। विधि-विद्वान श्री सारेवाई जो महाराष्ट्र के महान्यायवादी थे, ने अलीगढ़ मुस्लिल विश्वविद्यालय सम्बन्धी श्री अजीज पाश्य के मामले में कहा था:—

"यह पहला मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय उस भावना से दूर हट गया है जिसके अन्तर्गत इसने अल्पसंख्यक के सांस्कृतिक तथा शैक्षाणिक अधिकारों के बारे में निर्णय दिये थे, वर्तमान मामले में, उच्चतम न्यायालय न एक संकुचित तकनीकी आधार पर, जो त्रुटिपूर्ण है निर्णय दिया है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय जिसने प्रयत्न करके एक मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया तथा इसके लिये धन-दान दिया, ने विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की और केवल मुस्लिमों को विश्वविद्यालय के सर्वोच्च प्रशासन को सौंपने सम्बन्धी 1920 का अधिनियम मुस्लिमों के हाथ में प्रशासन नहीं सौंपता।"

यह मत श्री सारेबाई का है इससे स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने कितनी गलती की है।

संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बावजूद भी कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी गई। वे कहते हैं कि अनुदान उस समय तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक अल्पसंख्यक संस्था न घोषित करें और इसका प्रशासन मुस्लिम न चलायें इसके बारे में, मैं संविधान को और उदधृत करता हूं। धारा 30 (2) में कहा गया है :

"शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर निवेदन करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।"

सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। इस मामले में भेदभाव हुआ है। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। अल्पसंख्यक समुदायों को यह संरक्षण दिया गया है। संविधान द्वारा डिग्रियां देने के अधिकार, का संरक्षण दिया गया है। संविधान अल्पसंख्यक संस्थाओं को अनुदान प्राप्त करने का सुरक्षण प्रदान करता है। यदि अल्पसंख्यक वर्ग के नाते अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत डिग्री देने तथा अनुदान प्राप्त करने सम्बन्धी यह सुरक्षण न हो और यदि यह गारन्टी न हो, तो उपलब्धियां बहुत कम होंगी। उच्चतम न्यायालय की गलती को ठीक किया जाना चाहिए और इसके लिए संसद सर्वोच्च है। इस गलती को ठीक किया जाना चाहिए और उच्चतम न्यायालय के जिस संकुचित दृष्टिकोण से देश के अल्पसंख्यक मुस्लिमों की भावनाओं तथा आकांक्षाओं को चोट पहुंची है, उसे भी ठीक किया जाना चाहिए।

यहां हमारे साथियों ने यह कहा है कि संसद सर्वोच्च है और विश्वविद्यालय में हाल में हुई घटनाओं का ब्यौरा यहां दिया जाना है। तब यह सर्वोच्च सदन उच्चतम न्यायालय द्वारा मुस्लिम समुदाय के प्रति किए नुकसान को पूरा क्यों नहीं करता। मुझे खुशी है कि मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं। यह उनकी उदारता है कि उन्होंने कहा है कि सरकार अपने वायदों को पूरा करना चाहती है। परन्तु वह वायदे क्या हैं? हमें यह देखना है।

दलों के नेताओं द्वारा वायदे किए गए थे। सत्ताधारी लोगों—प्रधान मन्त्री और अन्य

मन्त्रियों-द्वारा वायदे किए गए थे। चुनाव-घोषणापत्र में भी वायदे किए गए थे। उनमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप बनाये रखा जाएगा। यह वायदा किया गया था। किसी भी दल ने यह नहीं कहा कि वह इस विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाये रखने के विरुद्ध है। मैं आपको एक ऐतिहासिक तथ्य बताता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मुसलमानों द्वारा की गई थी। तो स्वाभाविक है कि इसका प्रशासन भी मुसलमानों द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए आपको इस विश्वविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अधीन लाना चाहिए। अन्यथा इसके अल्पसंख्यक स्वरूप को कायम नहीं रखा जा सकेगा।

सरकार हमें यह समझाना चाहती है कि उनके इरादे अच्छे हैं। मैं सरकार के इरादों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सरकार हमें यह समझाना चाहती है कि वह अल्पसंख्यक स्वरूप का सम्मान करती है और हमें इसका अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान करना चाहती है। क्या मन्त्री महोदय सदन में यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि इस विधेयक के प्रावधानों द्वारा अल्पसंख्यक स्वरूप बनाये रखा जायेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। क्या इस विधेयक के प्रावधानों के द्वारा अनुच्छेद 30 (1) का इस विश्वविद्यालय को संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा ? क्या वह यह आश्वासन दे सकते हैं कि विश्वविद्यालय को अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण प्राप्त होगा और इसका अल्पसंख्यक स्वरूप बना रहेगा ? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अपना एक विशेष स्वरूप है। यह अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है। हमारे पूरे देश में लगभग 103 विश्वविद्यालय हैं लेकिन केवल एक विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर ही मुसलमान अपना दावा करते हैं। मेरे आदरणीय मित्र श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अभी-अभी यह कहा है कि यह विश्वविद्यालय का प्रश्न नहीं है बल्कि यह एक आन्दोलन है। मन्त्री महोदय ने सर सैयद अहमद खाँन के महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जिन्होंने कि मुसलमानों के शिक्षा क्षेत्र में उत्थान के लिए बहुत कार्य किया है। वह ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में किस प्रकार सोच सकते थे जिसका नियंत्रण और प्रशासन मुसलमानों के हाथ में हो। अतः इसका स्वरूप एक विशेष प्रकार का है। इसका अपना एक इतिहास है, इसके अपने उद्देश्य हैं और अपनी परम्परायें हैं। इस विश्वविद्यालय को यदि अल्पसंख्यक स्वरूप दे दिया जाता है तो क्या यह किसी प्रकार इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरुप को प्रभावित करेगा ? यदि इसे अल्पसंख्यक स्वरुप दे दिया जाता है तो वास्तव में धर्मनिरपेक्षता को बल मिलेगा। अन्यथा आप इसे नहीं करेंगे। इसीलिए ही मुसलमानों ने इसके लिए लड़ाई की है और कुर्बानी दी है। यदि इस विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप देने का आश्वासन नहीं दिया जाता तो इससे मुसलमानों में असंतोष उत्पन्न होगा और उनका देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहेगा।

इसलिए जब तक ऐसा नहीं हो जाता आप हम लोगों में देश की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते।

सरकार को स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मुसलमानों ने की है और इसके प्रशासन का अधिकार भी उनको ही है। मेरा विचार है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार ने पहले से ही कुछ धारणायें बना रखी हैं। मेरी इच्छा है कि माननीय मन्त्री इस विश्वविद्यालय के प्रति मुसलमानों की आकांक्षाओं और भावनाओं को समझें। सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उनका इरादा वास्तव में इस विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाये रखना और मेरे साथी श्री बनातवाला द्वारा दिए गए संशोधन संख्या 5 और 30 को स्वीकार कर इस पर समुचित कार्यवाही करने का है। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो ठीक है अन्यथा संघर्ष जारी रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, तीन वक्ता हैं।

श्री गुलशेर अहमद : मैं पहले बोल चुका हूं। लेकिन मेरे मित्र को संतुष्ट करने के लिए अल्पसंख्यक स्वरूप को स्पष्ट करना पर्याप्त होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि यह सिद्ध हो जाये कि इन संस्थाओं तथा कालिजों की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के लिए की गई है तो उन्हें इनका प्रशासन करने का अधिकार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री यादव, श्री अब्बासी तथा श्री पराशर बोलना चाहते हैं।

श्री काजी सलीम (औरंगाबाद) : मैंने भी अपना नाम दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बुलाया था। आप यहां नहीं थे। मैं आपको फिर बुलाऊंगा। माननीय सदस्य 7 बजे तक अपने भाषण पूरा करेंगे और मन्त्री 7 बजकर 5 मिनट पर अपना उत्तर देंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे खुशी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल को हमारी सरकार ने और हमारी एजूकेशन मिनिस्टर ने तरजीह दी है, दूसरे बिलों के ऊपर, इसलिए कि यह एक ऐसा सवाल है जो पिछले 14-15 सालों से इस मुल्क में करोड़ों मुसलमानों के दिलो दिमांग को झकझोर रहा है। मुझे याद नहीं है कि किसी बिल के ऊपर इस सदन में या इस मुल्क में इतना ज्यादा गौर हुआ हो, जितना कि इसपर हुआ है क्योंकि यह बिल ऐसा बिल है जिससे लोगों के जजबात और दिलो दिमाग पर काफी बड़ा झटका लगा है। और उसकी वजह यह है—जैसा कि कई मेम्बरान ने यहां पर कहा है—कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अपनी एक जगह इस मुल्क में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक कौमी इरादा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ इस मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के जजबात भी जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट किया तो ऐसा लगा कि इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पूरा करैक्टर था, जिसको लेकर इस यूनिवर्सिटी की बुनीयाद डाली गई थी और जिस करैक्टर के साथ इस मुल्क की अकलियत की—चाहे वे नौजवान हों, बूढ़े हों, मर्द या औरतें हों और वे इस देश के किसी भी कोने में रहते हों—एशोसिएशन थी, ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट

ने उसको खत्म करने की कोई कोशिश की है इसलिए दिमाग में गए झटका लगा और परेशानी हुई। मुझे खुशी है कि पिछले चार पांच सालों में सरकारों ने—जनता पार्टी की सरकार ने भी और कांग्रेस की सरकार ने भी—जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता था उतना लोगों से कन्सल्टेशन करने की कोशिश की। विद्यार्थियों से, टीचर्स के मुख्तालिफ आर्गेनाइजेशन से पार्लियामेंट के मेम्बरों से या फिर जिस किसी ने भी इस मुल्क में इस मसले पर अपनी राय देनी चाही हो उनकी राय जानने की कोशिश की गई। मिनिस्टर्स, आफीसर्स, मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट, सभी से जितना भी कन्सल्टेशन हो सकता था वह सब करने की कोशिश की गई और मुझे खुशी है कि यह बिल इस देश के लोगों की, कौमी तर्जुमानी करता है और लोगों के जजबात और ख्वाहिशात की तर्जुमानी करता है। मुझे बहुत खुशी होती अगर इनमें माइपारिटी करैक्टर की बात साफ-साफ कह दी गई होती।

इस बिल के जो प्राविजन्स हैं उनको आप देखें। इसमें 30 परसेन्ट मेम्बर्स मुस्लिम कम्युनिटी के होगे। पहले वाले बिल में यह कहीं नहीं था कि मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम एजूकेशन या मुस्लिम लरनिंग के नुमाइन्दे होगे। पहले वक्फ की नुमाइन्दी कभी नहीं होती थी लेकिन अब हमें वक्फ की नुमायन्दी होगी। इसी तरह से इसमें आल इन्डिया मुस्लिम कांफ्रेन्स की नुमायन्दी भी होगी। इसी तरह से उर्दू लैंग्वेज के जो माने-जाने राइटर्स, प्वैट्स होंगे उनकी भी नुमाइन्दी होगी। इस तरह से बाई एण्ड लार्ज, जिस बात को लोग चाहते थे कि एक ऐसा माइनारिटीज का कौमी इरादा हो, तो उनके ख्वाहिशात और जजबात की तर्जुमानी करने वाला हो, जिसके जरिये से उनको यकीन हो सके कि उनकी कल्चर, उनकी लरनिंग, उनके महजब और उनकी जिन्दगी के तरीदेकार की न सिर्फ हिफाजत ही होगी बल्कि उसका पूरा-पूरा डेवलपमेंट भी हो सकेगा — मैं समझता हू यह बिल उसको पूरा करता है। लेकिन मुझे खुशी होती अगर यह शक भी निकल जाता और माइनारिटी करैक्टर की बात साफ कर दी होती। इस यूनीवर्सिटी की जो डेफीनेशन है उसपर, मैं जानता हूं कई महीनोंचर्चा होती रही और बहुत सोचने समझनेके बाद यह डेफीनेशन निकाली गई है। आप जानते हैं यह एक ऐसा मुल्क है जहां छोटी छोटी बातों पर एतराज किए जाते है और तरह-तरह की बातें उठाई जाती है। इसलिए ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों के जजबात को मीट किया जा सके। उनकी ख्वाहिशात पूरी हो सकें, मैं समझता हूं कि बहुत समझदारी के साथ यह डैफिनेशन दी गई है, जो उनकी बातों को मीट कर सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह बात कहना चाहता हूं, यह हमारे लिए खुशी की बात है कि इस मुल्क में जब भी अकलियत के सवाल आते हैं, तो काफी बड़े पैमाने पर ऐसी ताकतें हैं, अकसरियत के अन्दर, अकलियत के अन्दर और जिन्दगी के हर सैक्शन में, जो इस बात के लिए खड़ी होती हैं कि इस अकलियत के हुकूक, उनका महजब, उनकी जबान, उनकी जिन्दगी के तौर तरीके, उनकी जजबात की हिफाजत होनी चाहिए। नुमायन्दी होनी चाहिए मैं यह समझता हूं कि एक यह अदालतने एक कानून की टैक्नेलिटी से जो हंगामा खड़ा कर दिया था, बिला वजह, उसको आज सदन दुरुस्त कर रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि इस बिल में इस बात का ख्याल रखा गया

है कि इस मुल्क के अकलियत को, हमारे मुसलमान भाइयों के जजबात को जो चोटल गी थी, चूंकि हम आवाम के जजबात की और ख्वाहिशात की नुमायन्दी करते हैं, इसलिए आज हम उस गलती को दुरुस्त कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आज यह बिल पास होगा और पूरे मुल्क का इसको समर्थन मिलेगा।

मुझे खुशी होती, इसमें अच्छी बात है, कोशिश की गई है कि हर तबके प्रोफेसर्स, लैक्चरार्स और नान टीचिंग स्टाफ के मुख्तलिफ हिस्सों नुमाइन्दगी हो। यह भी कोशिश की गई है कि इसका आल इण्डिया किरदार भी बना रहे। इसलिए महज यू० पी० के लोग यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों की नुमाइन्दगी हो सके, इसकी भी कुछ गारन्टी है। मुझे खुशी होती यदि वहां स्टूडेंट्स का एक नुमाइन्दा एक्जीक्यूटिव काउन्सिल में भी होता आपने कोर्ट में रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां भी हो जाता है, तो मुझे खुशी होती। माननीय सदस्या, श्रीमती मोहसिना ने कहा औरतों की नुमान्दगी के लिए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह खुशी की बात है कि हमारी एजूकेशन मिनिस्टर एक औरत है, आज एजूकेशन सैक्रेटरी भी एक औरत है, यू० जी० सी० की चेयरमैन भी एक औरत है मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब यह पार्लियामेंट दस नुमाइन्दे भेजेगी तो उसमें यह मेहरबानी करेगी कि एक-दो औरतों को भी उसमें भेज दिया जाए। इस प्रकार आपकी नुमान्दगी वहां भी पूरी हो सकेगी। मैं समझता हूं कि उसका ख्याल रूलिंग पार्टी और अपाजेजीशन पार्टी के लोग रखेंगे।

एक चीज मेरी समझ में नहीं आती है कि पिछली बार नॉन टीचिंग स्टाफ के दस नुमान्दे होते थे, उसको घटा कर आपने पांच कर दिया यह मैं एजूकेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं। आपने सब तरफ बढ़ाया है .....

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे कांम्यूनिस्ट थे।

श्री इन्द्रजीत यादव : उसमें कम्यूनिस्ट या गैर काम्यूनिस्ट का सवाल नहीं है। अगर कांम्यूनिस्ट अपना असर बढ़ाता है, वही कांम्यूनिस्ट है, तो उसकी नुमान्दगी होनी चाहिए। इस मुल्क में हमने जमहूरियत को तसलीम किया है। काम्यूनिस्ट का असर होगा, तो काम्यूनिस्ट आयेगा, कांग्रेस का असर हुआ तो कांग्रेस आएगी, बी० जे० पी० का असर होंगा तो बी० जे० पी० आयेगी और जनता पार्टी का असर होगा तो जनता पार्टी आयेगी। अगर हमने इस नजरिए से काम शुरू किया, विच इण्टिग शुरू किया, तो हम यूनिवर्सिटी को तबाह करेंगे।

मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह अच्छी बात है। कि आपने कोर्ट को पावर दी है। मगर मुझे लगता है कि कोर्ट इतनी बड़ी बाडी को कैसे मैनेज करगा, मुझे इस बारे में थोड़ा सा शक है। हालांकि डेमोक्रेटिक करेक्टर काफी बना दिया है, पहले विजिटर चांसलर एप्वाइन्ट करता था, लेकिन अब सब कोर्ट के जरिए से होंगे। जिस बाडी में मुसलमान भाइयों की अकसरियत होगी, उन्हीं का चुना हुआ चान्सलर, प्रो-वाइस चान्सलर होगा

यह खैरअकदम अच्छा है कि इस काम को किया गया हैं। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि यह हमारे लिए फर्ख की बात हैंकि यह हमारा कौमी इदारा है। इस मुल्क में ऐसी ताकतें भी हैं जो इस यूनीवर्सिटी तरफ की बराबर उंगली उठाती रहेंगी, जिससे हमारी माइनारिटीज को तकलीफ होगी। अगर वही बात बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी में हो जाव, दिल्ली यूनीवर्सिटी में हो जाए वहां पर हड़ताल हो या टीचर्स का झगड़ा हो, तो कोई नहीं कहेगा कि उस यूनीवर्सिटी को खत्म करो, लेकिन अलीगढ़ युनीवर्सिटी में कोई आवाज उठे, तो कहते हैं कि पाकिस्तान से आवाज आ गई होगी, इन्फिलट्रेटर आ गये होंगे, इस किस्म की बातों से हमारी माइनारिटीज के जज़बात को चोट लगती है। इसलिये कम से कम हमें इस पार्लियामेंट में यह आवाज उठानी चाहिये कि इस मुल्क में अगर दूसरी जगह तुलवा आन्दोलन कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के लड़कों को भी वह हक हासिल है जो दूसरी जगह के लड़कों को हासिल है।

अभी आरिफ साहब बोल रहे थे। मुझे खुशी है कि वह वहां के स्टूडेन्ट् लीडर रहे हैं। एक जमाने में उस बिल में जो कमियां थी जो खामियां थी, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और आज इस हाउस में उन्होंने इस बिल का खैरमकदम किया है। जिस सवाल को लेकर पहले उनके दिलो दिमाग को चोट पहुंची थी, आज उन्होंने इस बिल का खैरमकदम किया है,। उनके जजवात पूरे हुए हैं, मुझे खुशी है, लेकिन आपने यह कहा कि वहां अगर हिन्दू यूनीवर्सिटी बन जाय तो हमें कोई एतराज नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं बहुत ज्यादा सैकुलर बनने की कोशिश मत कीजिये। अलीगढ में जिन लोगों ने हिन्दू यूनीवर्सिटी की आवाज उठाई है वे फिरकापरस्त लोग हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो बुनियादी स्वरूप था, वह उनको बरदाश्त नहीं हो सका है। मुसलमानों का इतना बडा इदारा कायम रहे। यह उनको सहन नहीं हुआ है, इसीलिये उन्होंने हिन्दू यूनिवर्सिटी की आवाज उठाई है और हम इस तरह की चीजों को एन्करेज नहीं कर सकते। मुझे खुशी है कि इस सदन में आज सभी लोगों ने मिल कर इसका समर्थन किया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले 13-14 सालों से इस मुल्क की अकलीयतों के दिलो-दिमाग पर जो शक था माहौल बना हुआ है आज उसको सरकार ने कम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कल या परसों तक राज्य सभा में इसको पास कराकर सरकार जल्द से जल्द एक्ट बनायेगी। वहां पर अब ऐसा माहौल बनाने की कोशिश होनी चाहिए कि लड़कों की जो शिकायतें हैं, उनके होस्टल की प्राबलम है वजीफे की प्राबलम है उनके यूनिवर्सिटी में सेन्स आफ पार्टिसिपेशन की प्राबलम है इन तमाम चीजों पर जरूर गौर करना चाहिए।

अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर का इन्तखाब करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह ऐसा आदमी हो जिसकी एकेडेमिक वर्ल्ड में अपनी एक हैसियत हो, जिसके लिये लोगों के दिलो दिमाग में इज्जत हो। ऐसे आदमी के साथ लड़कों के ताल्लुकात ज्यादा अच्छे होंगे, उनके दिल में उसके ए खास इज्जत होगी। मैं यकीन करता हूं कि इस बिल के एक्ट बनने के बाद हमारे मुल्क की अकलीयतों के जजबात और ख्वाहिशात पूरी हो सकेगी।

एजूकेशन मिनिस्टर साहिबा मेहरबानी करके दो शब्द आप इस बारे में जरूर दीजिये हमारे सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने कहा था कि यह तो जनता पार्टी का बिल था लेकिन जमाने में उस बिल को पेश करते हुए उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर चन्द्रा साहब ने कहा हम इस बिल में मुस्लिम करेक्टर की बात तो तसलीम नहीं करते, इसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं लेकिन आपने उनके माइनारिटी करैक्टर को तसलीम किया है। आप मेहरबानी करके उनको बात का भरोसा दिला दीजिये कि इसके माइनारिटी करैक्टर की जो आवाज उठी थी, जो थी, उसको हमने तसलीम किया है और अगर किसी वक्त इस किस्म के शको-शुब्हा को करने की जरूरत पड़ेगी तो दूर करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : शिक्षा मन्त्री जनता शासनकाल के दौरान सच बोलते लेकिन ये सच नहीं बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हाँ, आप ही सत्यमूर्ति हैं।

एक माननीय सदस्य : वह मानसरोवर से आये हैं।

श्री काजी जलील अब्बासी (डुमरियागंज) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप बहुत ममनून हूं चाहे आखिर में सही, लेकिन आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दि इस बिल पर अभी यादव जी ने जो तकरीर की है, सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद करता हूं कि उन्होंने अपोजीशन में बैठकर भी इस बिल का खैरमकदम किया है। मैं अपनी वर्ज तालीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बिल को इसी सेशन में पेश कर दि इसकी बड़ी मांग थी और उम्मीद नहीं थी कि इसी सेशग में आयेगा, लेकिन अचानक इस बि को ले आना इनका बहुत बड़ा कारनामा है। और मैं समझता हूं कि यह बिल पूरे हिन्दुस्त के मुसलमानों को मुतमईन कर देगा। अगर सौ फीसदी को नहीं करेगा। तो कम से 95 फीसदी मुसलमानों को जरूर मुतमईन करेगा चार पांच परसेंट मुसलमान तो हम अन्दर हमेशा रहेंगे तो खामियां तलाश करेंगे, हमारी मुखालफत करेंगे अगर वे ऐसा नहीं क तो उनका काम नहीं चलेगा। मैं उन चार पांच परसेंट को छोड़ देता हूं।

अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में जिस वक्त 1951 में तरमीम हुई उस वक्त इस यूनि वर्सिटी के वाइस चांसलर डा० जाकिर हुसैन थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद सेन्टर तालीम के वजीर थे। उस वक्त किसी में जुर्रत और हिम्मत नहीं थी जो उनके खिलाफ ए लफ्ज बोल सके क्योंकि उस समय के माहौल का ताकाजा ही ऐसा था।

आज जो यह तरमीम की जा रही है वह इस बात से की जा रही है कि मुसलमानों का कोई और ऐसा तालीमी इदारा नहीं है जिसके इनतिजामिया पर मुसलमानों का हक हो। जहां तक गैर मुसलमानों का सवाल है सर सैय्यद सहाब का यह ख्वाब रहा है कि जहां पर गैर मुसल मान लोग भी पढ़ें। 19 0 के एक्ट में यह है कि प्रोवाइस चांसलर के ओहदे पर एक गै मुस्लिम भी बैठ सकता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक क्रिश्चिन प्रोवाइस चांसलर मि० रेम

वोडम हो चुके हैं। वहां ऐसी कोई बात नहीं रही है कि गैर मुस्लिम उसमें न पढ़ सकेंगे या न पढ़ा सकेंगे। वहां पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों ही गैर मुस्लिम भी रहे हैं और हैं। आप यूनिवर्सिटी की तारीख को उठा कर देख लीजिए कि वहाँ पर सुपरवाइजरी स्टाफ में भी गैर मुस्लिम रहे हैं।

मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं। यह तवारीख की बात है कि जगे आजादी में काम करने की वजह से मुझे उस यूनिवर्सिटी से 17 फरवरी, 1937 में निकाल दिया गया था। यह चीज इस बात की गवाह है कि वहां के लड़के अंग्रेज परस्त नहीं थे, वे मुल्क परस्त थे। वहां के इनतेजामिये में जो मुन्तजिम थे वे लोग ही अंग्रेज परस्त थे। वहां के लड़के बेदाग थे। तभी तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मोहम्मद अली, शौकत अली, हसरत मोहानी और डा० जाकिर हुसैन जैसे शख्सियत निकली हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इन शख्सियत को पैदा किया। वहां से हजारों लड़कों को आजादी की जंग में हिस्सा लेने क लिए निकाला गया। इसलिए मैं कहूंगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सैक्युलर न कभी बिगड़ा है और न कभी बिगड़ेगा।

कुछ साहेबान ने यहां बोलते हुए कहा कि अगर वहां माइनोरिटी करेक्टर बहाल कर दिया जागगा तो वहां लोगों को मुल्लाओं की किताबें पढ़ायी जाएंगी और वहां का सारा डवलपमेंट बन्द हो जाएगा। यह गलत है। यह जो बिल में किया जा रहा है यह मुसलमानों का अपना हक था जिसको कि आपने रेस्टोर किया है, यह रेस्टोर करके आपने कोई नयी बात नहीं की है। बल्कि वही हमारा हक हमको दिया है।

1965 में वहां जो हंगामा मचा और जिसका बड़ी चर्चा हुई। लेकिन उस वक्त के वाइस चांसलर के खिलाफ कोई कुछ नहीं कहता। जबकि इस वक्त के वाइस चांसलर के खिलाफ हमारे लायक दोस्त जमीलुर्रहमान साहब बहुत कुछ कह चुके हैं।

श्री जमीलुर्रहमान : मैंने क्या कहा है, उसको आप याद कीजिए। वाट डिड आई से अबाऊट दी वाइस चांसलर ?

श्री काजी जलील अब्बासी : आपने गोली के वाकये का जिक्र किया। उस पर जुडीशियल इंकवायरी हो रही है। उस पर कोई राय देना नामुनासिब नहीं है।

श्री जमीलुर्रहमान : मैंने तो यूनिवर्सिटी के माइनारीटी करेक्टर के बहाल करने के बारे में कहा है।

श्री काजी जलील अब्बासी : हाउस में वाइस चांसलर के खिलाफ बोलने का कोई यह मौका नहीं था। यह अजीब बात है कि जो आपने कहा वह जायज कहा, जो हम कह रहे वह नाजायज कह रहे हैं। इस वक्त वहां वाइस चांसलर का कंट्रोल अच्छा है। आप आज अलीगढ़ में जाकर देख लीजिए, वहां पर हालात बिल्कुल ठीक हैं। आज श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में वहां पर सुधार हुए हैं और जिस तरह से वहां पर काम चल रहा। चाहे इलाहाबाद

यूनिवर्सिटी हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो। समय पर परीक्षाएं हो रही हैं और समय पर रिजल्ट निकल रहा है किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं चल रही है। कोई शिकायत नहीं है।

मैं अर्ज करूंगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी···(व्यवधान)

मैं किसी से दबने वाला नहीं हूं और यह अफसोस की बात है कि यह मसला यहां छेड़ा गया। हमारी सरकार ने ···। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। उत्तर सरकार ने देना है। बहुत बुरी बात है, इन्हें अपना विचार प्रस्तुत करने दीजिए। जब अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे तो उन्होंने कभी भी आपका विरोध नहीं किया कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री काजी जलील अब्बासी : अगर आपने बात उठाई है तो जवाब भी सुनना चाहिए। अलीगढ़ के मामले में जो कार्यवाही की गई है वह काबिले तारीफ है और आज जो हालात कंट्रोल हुए हैं, उसके लिए हमारी प्रधान मन्त्री मुबारकबाद की पात्र हैं। अलीगढ़ के हालात···। (व्यवधान)

अलीगढ़ में जो हालात कंट्रोल हुए हैं, उसके लिए मैं प्रधान मन्त्री जी को मुबारकबाद पेश करता हूं। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी की वजह से ही हुआ। (व्यवधान)

जो काम अच्छा करेगा, उसकी तारीफ की जाएगी। इसी हाउस में मैंने मुरादाबाद के मौके पर अलीगढ़ के डी० एम० की तारीफ की थी। इसे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, भारत के मुसलमानों ने इसे स्थापित नहीं किया।

मान्यवर जहां तक इस बात का सवाल है, मैं समझता हूं कि गुलशेर अहमद साहब ने जो मसला उठाया था, मेरे जहन में भी वही बात उठ रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 'इस्टेब-लिशड बाई मुस्लिम आफ इण्डिया' से भी काम चल जाएगा, वह बात भी सही लगती है। कोर्ट ने भुकदमे के वक्त यही तो कहा था कि—

> "यह अल्पसंख्यक संस्था नहीं है क्योंकि इसे भारत के मुसलमानों ने स्थापित नहीं किया। विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है।"

इससे उसकी काट हो जाती है।

मैं अर्ज कर रहा था कि इस सम्बन्ध में रशीद मसूद जी की राय भी यही है। (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : जो भी मैंने हाउस में कहा···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं।

श्री रशीद मसूद : वह गलती पर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा ।

श्री रशीद मसूद : मैंने वह ब्यान नहीं दिया, जो वह कह रहे हैं ।

श्री काजी जलील अब्बासी : मेरा कहने का मतलब यह है कि इस लड़ाई को हमने 18 साल से लड़ा है, खाली तकरीरें नहीं की हैं, बल्कि लड़ाई लड़ी है । जब में असेंबली का मेम्बर था, उत्तर-प्रदेश में मिनिस्टर था तब भी लड़ा हूं । कई बार श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के पास डेपूटेशन लेकर आया हूं । कई बार मरहूम फखरूद्दीद साहब के पास डेपूटेशन लेकर आया था । जो कमेटी बनी और जो भी काम हुआ, सब में साथ रहा और आज भी जो एक्शन कमेटी है, उसका मेम्बर हूं । हम इसमें पढ़े हैं, इसमें कोई सियासी बात नहीं है, अलीगढ़ में हम पढ़े हैं और इससे हमको मोहब्बत है । मैं आल इण्डिया ओल्ड बायज कनवेंशन कोंसिल का मेम्बर हूं । उसका मैं कई साल तक सैक्रेटरी रहा हूं । कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सब तरह के लोगों के साथ मैंने इसके लिए पूरा-पूरा तावुन किया है । मैं फरीदी साहब के साथ भी चला हूं । हर रास्ते पर मैं चला हूं कि अलीगढ़ को उसका हक दिलाना है, 18 साल की मेहनत आज कामयाब है यह जो बिल आज यहां पर आया है और जिसको हम पास करने जा रहे हैं इसके जरिये से जो वादा हमने किया था, वह पूरा होगा । हमने अपने मेनीफेस्टो में जो वादा किया था वह पूरा होगा और उसको माइनोरिटी करेक्टर मिल जाएगा । अगर कांग्रेस की सरकार रहेगी तो उसका माइनोरिटी कारेक्टर भी बना रहेगा लेकिन अगर जनता सरकार आ गई तो फिर उसका यह माइनोरिटी कारेक्टर खत्म हो सकता है । इसका हमारे रहते कोई दुरुपयोग नहीं करा पाएगा और न हम होने देंगे । हर तरह से लोग वहाँ महफूज रहेंगे । ओल्ड बायज की नुमाइन्वी जो बढ़ाई गई है उस पर यहां एतराज किया गया है । यह कहा गया है कि ओल्ड बायज कोई है ही नहीं । मैं कहना चाहता हूं कि ओल्ड बायज अलीगढ़ की बहुत बड़ी और मजबूत जमायत है । यह पूरे हिन्दुस्तान में फैली हुई है, उसकी—शाखाएं फैली हुई हैं । सारे हिन्दुस्तान में लोग इसके मेम्बर हैं, बाकायदा फीस देते हैं, लाइफ मेम्बर भी हैं । उनको नुमाइन्दगी बढ़ाकर आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है ।

बहुत सी बातें यहां कही गई हैं । कुछ ऐसी भी हैं जिन से मेरा इख्तलाफ है । इस बिल से भी कुछ मेरा इख्तलाफ हो सकता है । लेकिन उसके बावजूद मुझे इससे इत्तिफाक करना पड़ता है और मैं चाहता हूं कि एक राय से इसको पास किया जाए । बहुत से मैम्बरों ने कहा है कि नान टीचिंग स्टाफ की जो नुमाइंदगी बढ़ाई गई है वह ठीक किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि इससे नुकसान होगा । आगे चलकर बड़े झगड़े बढ़ेंगे ।

अलीगढ़ में अब बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है । वहां अमन अमान है । इम्तहानात हो रहे हैं । इस बिल को हम ऐसे मौके पर पास करने जा रहे हैं जब यह लोगों को ताकत देगा, हिम्मत देगा । मैं मिनिस्टर साहब को इसको पेश करने के लिए मुबारिकबाद पेश करता हूं और चाहता हूं कि इसको एक राय से पास किया जाए ।

श्री काजी सलीम (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से अलीगढ़ के इस बिल पर हो रही बहस को सुन रहा हूं । सिवाय चन्द्रजीत यादव जी के अपोजीशन की तरफ से जो भी तकरीरें हुई हैं उनमें उनकी यह कहने की हिम्मत तो नहीं थी कि वे इस बिल के खिलाफ हैं लेकिन उन सबमें किसी न किसी तरह से कोई न कोई पहलू निकाल कर थोड़ा सा पोलिटिकल क्रडिट हासिल करने की कोशिश की गई है । अजीबोगरीब रुझान देखने में आते हैं। मैं समझता हूं कि जितने हमारे तालीमी इदारे हैं चाहे देवबन्द का हो या अलीगढ़ का हो, उनमें सियासी राजकरण की वजह से ही गड़बड़ी होती है । अपने साथियों से जो सियासत में काम करते हैं मैं दरख्वास्त करता हूं कि अलीगढ़ हो या देवबन्द अगर वे उन पर से अपना हाथ हटा ले तो फिर देखें कि किस तरह से सकून से वहाँ तालीमी काम चलता है । आज भी आप देखें कि अलीगढ़ में शान्ति से तालीम हो रही है और देवबन्द में भी इसी तरह से हो सकता है। दक्षिणी जबान में जब सियासी दखल अन्दाजी की जाती है तो इसको राजकरण का भानुवल कहा जाता है । अपनी सियासत को चलाने के लिए दखल देकर सरमाया इक्ट्ठा किया जाता है । संकड़ों साल से जो इदारे चल रहे हैं उनके अन्दर घुसकर अपना पोलिटिकल असर डालने की जब कोशिश की जाती है तभी झगड़े शुरू होते हैं, खराबी की यही जड़ है । यही खरावी अलीगढ़ में भी पैदा हुई । अली थावर जंग के वक्त भी यही गड़बड़ी हुई है । गजेन्द्रगडक कमीशन की रिपोर्ट आई । उन्होंने कहा कि सब यूनिवर्सिटियों में एक यूनिफार्म कोर्स हो सब यूनिवर्सिटीज के लिए यूनिफार्म पालिसी बननी चाहिये । उसको लेकर पार्लिमेंट ने 1961 में जब बिल पास किया तो जाहिर है उससे सब जगह बेचैनी फैलती । वह इस वास्ते फैली कि बुनियादी तौर पर वह बात गलत थी । हर यूनिवर्सिटी का अपना कैरेक्टर होता है, हिस्ट्री होती है, अपना इतिहास अलग होता है । और जो अब यहाँ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो सेक्यूलरिज्म की बुनियाद थी, उनमें फर्क पड़ा और उसके बाद खराबी पैदा हुई । और वहां से फिर उसके बाद दूसरी दफा 1965 में गड़बड़ हुई और उसके बाद जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राज में यह कोशिश की गई हर दफा कि अलीगढ़ का माइनारिटी किरदार, जो जज्बा मुसलमानों का उससे ताल्लुक रखने वाला है उसको मुताईन करने के लिए इसको पहले किया जाय । और जब जब यह बात आयी है अपोजीशन के लोगो ने गड़बड़ पैदा की है। हमारे वाइस-चांसलर पर इस तरह के इल्जाम लगाना ठीक नहीं है । आज बिल पर बहस करते हुए वाइस-चांसलर के खिलाफ आप क्यों बोलते हैं? इसको क्या हक है । आज इस बिल को जल्दी में पेश करके पास करवा रहे हैं यह हमारी सरकार का एहसान है । हमारी पार्टी ने अपने इलेक्शन मेनीफेस्टो में, हमारी नेता श्रीमती इंन्दिरा गाँधो ने वायदा किया था कि हम मुसलमानों को उनका माइनारिटी कैरेक्टर देंगे । आज किस्मत से श्रीमती शीला कौल जैसी मिनिस्टर हमको मिली है और वह इस बिल को यहां लायी हैं, मैं उसकी ताईद करता हूं ।

आप देखें किस तरह से पोलिटिक्स की वजह से अपना क्रेडिट हासिल करने की कोशिश करते हैं । माननीय सुलेमान सेट ने कहा कि इसमें माइनारिटी कैरेक्टर अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुआ । और उन्होंने कांस्टीट्यूशन का हवाला दिया कि आर्टिकिल 30 (1) को ऐज इट इज इसमें लाना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कांस्टीट्यूशन हमारे कानून बनाने के लिए, उसके पीछे एक

रोशनी है। हमारे सामने वह कानून तो है ही, उसके हम पाबन्द हैं और जितने भी कानून बनते हैं सब उसी के मुताबिक बनते हैं। अगर माइनारिटी कैरेक्टर अल्फाज इस्तेमाल नहीं भी करते तब भी, 4, 5 पौइंट कई दफा हमारे दोस्तों ने डिस्कस किये हैं, अगर ठीक से वह दोस्त देख लें तो फिर माइनारिटी कैरेक्टर अल्फाज को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्फाजों की गुलामी करते करते हम बहुत मुसीबत में आये हैं। अल्फाजों की गुलामी की वजह से सेक्यूलरिज्म का भी सत्यानाश मार चुके हैं। आज मुस्लिम लीग के मेम्बर भी सेक्यूलरिज्म की तारीफ करते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान बना। जब प्रोग्रेसिव की बात करते थे तो उसका सत्यानाश माननीय चटर्जी साहब ने उसी वक्त कर दिया जब माइनारिटी के खिलाफ उन्होंने शुबहा पैदा किया एक तरफ यह कहते हैं अगर इसको हम यह कैरेक्टर और रियायतें देते हैं तो इसमें कम्युनल फोर्सेज काम करेंगे और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग वाले कहते हैं इसमें माइनारिटी कैरेक्टर पैदा नहीं होता है। आप बतायें 2 माँगे थीं मैं समझता हूं 1965 से लेकर आज तब, सबसे पावरफुल कमेटी थी जिसमें शफीकुर रेहमान थे ऐक्शन कमेटी में, जफर अहमद थे, इश्तियाक कुरेशी थे और कुछ और हजरात थे, जो हम अखबारों में पढ़ा करते थे, उन्होने चन्द माँगे रखीं जिनमें एक तो यह कि यह मुसलमानों की ऐस्टेबलिश की हुई यूनीवर्सिटी है और दूसरे यह कि उनको अपने तौर पर वहाँ पर तरीके तालीम करने का अख्तियार है। यह दो बातें, जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार आयी तो दो महीने के बाद ही यह दोनों बातें बिल में पेश की गई थीं। लेकिन उसके बाद और माँग आयी। उसके बाद कहा गया कि कुछ शरायत रखी जायें जिसमें माइनारिटी कैरेक्टर बाजे तौर पर आये। चुनाचे यह जो डेफीनीशन है यूनिवर्सिटी की, जो कई दफा आपके सामने सुनायी गई है मैं यह बोलता हूं कि—

इसे भारत के मुसलमानों ने स्थापित किया था। यह एम० ई० ओ० कालेज के नाम से शुरू हुआ था, बाद में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना।

अब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज पहले इस्तेमाल हुआ, जब इंस्टीटूयशन बना और उसी को यह कहा गया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसमें इन्कारपोरेट हुई। इस तरह से बेसिकली यह मुस्लिमों का कायम किया हुआ इदारा था। यह तो हिस्टोरीकल फैक्ट है।

यादव साहब ने कहा कि इसमें बहुत बातें खुले तौर पर कह दी जायें कि मुसलमानों ने इसमें पैसा भी जमा किया था। बहरहाल जो हिस्ट्री में है, 30 लाख रुपये जो जमा किये थे, आज 30 करोड़ के बराबर हैं, शेर-सैयद ने इस तरह से जमा किये थे, यह बात ऐसी है कि हम किसी वक्त भी कानूनी तौर पर इस बात को साबित कर सकते हैं।

दूसरी जो मांग थी, जब अलीयावर जंग का वहाँ झगड़ा हुआ, उसकी वजह सिर्फ यह थी कि वहाँ पर 50-50 परसैंट इन्टरनल और एक्सटरनल स्टूडेंटस के लिए सीटें रिजर्व रखी गई थीं और मैं समझता हूं कि बदरुद्दीन तैयब जी इसीलिए पापूलर रहे कि उन्होने कोशिश की कि इसको 75 और 25 परसैंट करें। अलीयावर जंग ने कहा कि यह नाइन्साफी है, गलत है और बदवक्ती से वहाँ पर एक ऐसा वाकया हुआ जो अलीगढ़ के दामन पर हमेशा धब्बा रहेगा।

इसका मुझे अफसोस है अफसोस इसलिए कि मैं भी उस कालेज का तालिबे-इल्म हूं और वहां का ओल्ड बोय हूं।

यह वाक्यात होते रहे, लेकिन उसके साथ-साथ जो कानून बनाने वाले लोग थे, उनकी यह ख्वाहिश भी थी कि किसी तरह से मुसलमानों को इन्साफ दिलाया जाये। इन्साफ का मतलब यह कि हम सिर्फ इन्साफ ही नहीं देते बल्कि यह भी बतलाते हैं कि इन्साफ दिया जा रहा है। उनको यह यकीन दिलाने हैं, उनको यह भी मालूम हो कि मुसलमानों का और अलीगढ़ का ताल्लुक आज का नहीं है, यह उस वक्त का ताल्लुक है जब यहां पर 18'7 में मुसलमानों की हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई और मुसलमान मायूसी का शिकार होकर दर व-दर भटकने लगे। छोटे-छोटे दरबारों में, रामपुर, अवध, लखनऊ और हैदराबाद के दरबारों में उन्होंने सहारा मांगने की कोशिश की तो सर सैयद ने यह देख लिया कि यह सहारे असल में पनाहगाह हैं, चन्द नवाबों के सहारे कुछ दिन मय्यसर आयेंगे, यह ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। लेकिन जो पब्लिक है, अवाम हैं: वह इस तरीके से भूखे मरेंगे और बटेरबाजी से अफीम तक पहुंच जायेंगे मुसलमान। इतना इन्फीरियौरिटी कम्पलेक्स था, जब सर सैयद ने यह तहरीक शुरू की तो मुसमलानों से साइन्टिफिक थिंकिंग अदा करनी चाही और उनमें पढ़ाई का जजवा पैदा करना चाहा। उन्होंने बताना चाहा कि जिस धरती से फूटे हैं' उसके विकास में वह हिन्दुओं के बराबर के शरीक हैं और जैसा अभी गाडगिल सहाब ने पढ़कर सुनाया कोटेशन, सर सैयद की तकरीरों से भी साबित होता है कि सैकुलर थे और इस मुल्क की जिस भूमि पर पैदा हुए उसके तामीर में एक तरीके से मुसलमानों का हिस्सा रहना चाहिये, यह कहकर यह बात शुरू की थी उन्होंने।

जाहिर है कि यह बात खाली टीचिंग इंस्टीट्यूट से या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से इसका कोई मुकाबला नहीं है, यहां जो पढ़कर निकलता है वह उसको मादरे-जामिया समझता है और मैं समझता हूं कि पिछले 700,800 सालों में हिन्दू मैथोलाजी से और यहां के हिन्दुओं से मुसलमानों ने कुछ सीखा है और उनको कुछ सिखाया है और उसमें मां का तसव्वुर भी है। मां का तसव्वुर मादरे-वतन के साथ मुसलमानों ने कबूल किया और फिर दूसरे दफे मादरे जामिया अलीगढ़ के साथ कबूल किया। इसलिये अगर वहां उनके अलीगढ़ पर जरासा भी हरफ आता है तो सबके दिल फट जाते हैं, सबको ऐसा लगता है कि पूरे हिन्दुस्तान में अकलियत गैर-महफूज हो गई है। यह सारी बातें होती हैं।

आपको छोटी सी मिसाल देकर फर्क बतलाऊं दूसरी यूनिवर्सिटी में 35 साल तक उर्दू का तजुर्बा हुआ, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। पहली दफे एक हिन्दुस्तानी जबान जरिये-तालीम बनी और उस मीडियम से वहां पर तालीम दी गई बड़ी कामयाबी के साथ सिवाय मैडिकल साइन्सेज के बाकी तमाम वजैक्टस पर उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ करोड़ों रुपया खर्च करके किताबों का तर्जुमा करवाया लेकिन जब सडन उसका करैक्टर खत्म हुआ, आपको ताज्जुब होगा कि हिन्दुस्तान में जो रिएक्शन मुसलमानों को लाना चाहिये था, उर्दू बोलने वालों को लाना चहिये था, इसलिये कि मुस्लिम अकेले ही उर्दू बोलने वाले नहीं हैं, तकरीबन

50 परसैंट पूरे पंजाब और यू० पी० व बिहार में उर्दू बोलने वाले हैं, उन पर कोई रिएक्शन नहीं आया ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : हैदराबाद भी ।

श्री काजी सलीम : हैदराबाद भी । वहां भी कोई रिएक्शन नहीं आया । लेकिन अलीगढ़ में एक फैसला होता है, अलीगढ़ का वहां पर जो कोर्ट था सल्ब कर लिया जाता है तो पूरे हंगामा और तूफान हिन्दुस्तान में फैल जाता है । यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी नेता कौम की नब्जों पर है । नेता यह जानती है कि नेहरू जी ने जिस साइन्टिफिक बुनियादी पर सकुलरिज्म की बुनियाद रखी है उसका मतलब यह कि माइनारिटीज को मुतमईन में रखें । माइनारिटीज के जजबात और ख्वाहिशात को पूरा करें । किसी ने एतराज किया कि तुम्हीं थे जिसने 72 में बिल बदला था । ठीक है, उस वक्त की बात, उस वक्त के हालात कुछ थे, लेकिन अगर हम आज एक लचक पैदा करके कौम की अपेक्षाओं को, उन आरजुओं को, उन तमन्नाओं को फिर दोबारा खड़ा करते है और मुसलमानों के एक बड़े इदारे को माइनारिटी कैरेक्टर देते हैं तो इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए । हम रिजिड लब्ज परस्त नहीं हैं, अल्फाज की परस्तिश करने वाले नहीं है, हम जो लोगों को ख्वाहिशात होंगी, उनके लिहाज से उनकी भलाई के लिए उनकी मर्जी से यह हुकूमत चलाएंगे ।

मैं समझता हूं कि मुझे वक्त कम मिला । लेकिन मैं आखिर में आपका गवर्नमेंट का और खास तौर से शीला जी का बहुत शुक्रिया अदा करता , वाइस-चांसलर का भी और अपने उन तालिबइल्मों का भी, उन छोटे भाइयों का जिन्होंने कि ऐसा माहौल पैदा किया कि आज हम उनके लिए जो ख्वाब देख रहे थे उस ख्वाब की ताबीर आज इस हाउस में शाम तक कर देंगे । इन्शा अल्लाह ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय मैं कुछ आधारों पर इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को न केवल एक महान शिक्षा संस्था मानता हूं बल्कि इसे भारत में शिक्षा के पुनरुत्थान का प्रतीक मानता हूं । मई 1873 में सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल के रूप में इसका बीज बोया था । अन्ततोगत्वा 1899 में उनकी मृत्यु होने के पश्चात 1922 में यह स्कूल विश्विविद्यालय बन गया और तब से इसकी सुगन्ध चारों तरफ फैलती रही है । इस संशोधन विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने प्रबन्ध प्राणाली को विस्तृत बना दिया है । इसके द्वारा कोर्ट की सर्वोच्चता बहाल कर दी गई है । 133 सदस्यों की अपेक्षा अब कोर्ट में 169 सदस्य होगें ।

भारत में शिक्षा को अलग से नहीं देखा जा सकता और स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रयासों में मुस्लिम संस्कृति और परम्परा ने अपना योगदान दिया है । अतएव यह उत्साहजनक बात है कि इस गरिमामय संस्था में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भिन्न-भिन्न विचारों के मुसलमानों के 32 प्रतिनिधि होगें । यह उन विश्वद्यिालय में से एक है जिनमें कि कोर्ट की कार्यकारी परिषद की

अपेक्षा जिसे की अन्य विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है अधिक शक्तियां दी गई हैं । इसी प्रकार से पुराने विद्यार्थियों की संख्या को 5 से बढ़ाकर 25 करने का भी प्रावधान है । यह भी एक उत्साहजनक कदम है । एक शिक्षक होने के नाते में एक कमी की ओर इशारा करूंगा कि कोर्ट में शिक्षकों की संख्या अब कम कर दी गई है । इससे पूर्व विभागों और महाविद्यालयों प्रतिनिधियों की संख्या 19 और प्रोफेसरों के 5-6 रीडरों के 5 और 8 लेक्चरारों के 5 प्रतिनिधि होते थे । इस प्रकार कुल संख्या 34 थी । परन्तु अब यह संख्या कम कर दी गई है । अब शिक्षकों की संख्या इस प्रकार है प्रोफेसर 2 रीडर 3 और लेक्चरार 5 विभगाध्यक्षों की संख्या में एक की वृद्धि की गई है । इस प्रकार नई कोर्ट में 4 शिक्षक कम होंगे । मेरे विचार में यह शिक्षक समुदाय के साथ अन्याय है । विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में इस शिक्षक समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिये । यह कमी बहुत ही खटकती है । अन्य बातों में स्वायतता तथा ऐसी कई अन्य बातों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । यदि विश्वविद्यालय के लेखा-परीक्षित और वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाते है तो इसमें कोई हानि नहीं है । उनका पेश किया जाना एक सामान्य बात होगी क्योंकि यह राशि भारत की संचित निधि में से व्यय की जाती है ।

विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप बहाल किया जा रहा है जो कि एक विवादस्पद मामला है । इस प्रश्न का केवल एक ही पक्ष नहीं है । इसमें कई ऐसी बातें हैं जो अधिक महत्वपूर्ण है । जैसा कि आप देखेंगे, इस समय भी तैंतीस प्रतिशत विद्यार्थी और लगभग इतने ही प्रतिशत कर्मचारी गैर-मुस्लिम हैं । यदि इस बात को ध्यान में रखें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वरूप वास्तव में धर्म निरपेक्ष है, यद्यपि इसका प्रबन्ध कार्य मुसलमानों द्वारा किया जाता है और यह देश में मुसलमानों की शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है । मुझे प्रसन्नता है कि यह मामला सुलझ गया है और इस बारे में जो विवाद था वह समाप्त हो गया है । मैं जानता हूं कि विपक्ष के कुछ सदस्य इससे सहमत नहीं होंगे । चुनाव के समय हमारे घोषणा पक्ष में हमारे दल और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा वायदा किया गया था कि अलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप बहाल किया जायेगा । 23 जनवरी 1980 को राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक मे दिए गये अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया गया था । यह दोनों वायदे पूरे किए गये हैं और मुझे प्रसन्ता है कि यह विधेयक पारित हो गया है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के बारे में किसी प्रकार के संदेह की कोई गुन्जाइश नहीं है ।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब चांसलर परो चांसलर तथा वाईस चांसलर के निर्वाचन में जो कि विश्वविद्यालय के लोकतन्त्रता के प्रमुख लक्षण है कोर्ट को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होगा । विपक्ष के सदस्यों ने यह कहा है कि विजिटर सर्वोच्च रहेगा । मैं नहीं जानता कि इस बात का क्या अर्थ है यदि विजिटर किन्हीं व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करता है यदि और इसे कोर्ट के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो विजिटर कोर्ट को पुनः सिफारिश के लिए कहेगा । विजिटर तो केवल कोर्ट का फैसला ही वापिस कोर्ट को भेजेगा ताकि

अन्तोगत्वा कोर्ट अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए नामों की सूची पर अपनी मोहर लगा दे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कोर्ट ही सर्वोच्च है विजिटर नहीं। विजिटर तो केवल नामों की सूची की सिफारिश करता है। परन्तु इस पर अन्तिम निर्णय कोर्ट का ही होता है। यदि कोर्ट नामों की सूची को स्वीकार नहीं करती तो विजिटर नामों की नई सूची की सिफारिश करता है और कोर्ट उस पर अपनी स्वीकृति देती है।

इसी प्रकार पहले राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। विश्व विद्यालय के रैक्टर का प्रतिनिधि भी जो कि उस राज्य का राज्यपाल होता है अब इस निकाय में होगा। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 21 से बढ़ाकर 27 की जा रही है। यह भी अच्छा लक्षण है इसका विस्तार किया जा रहा है।

महोदय, मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं कहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय न केवल भारतीय लोगों के लिए बल्कि विश्व के लोगों के लिए भी आशा का प्रतीक है क्योंकि यह एक ऐसा फूल है जिसका आरोपण एक महान राष्ट्रीय नेता द्वारा किया गया था और आशा की जाती है कि यह अपनी सुगन्ध न केवल भारतीय मुसलमानों बल्कि भारत के सभी लोगों में फैलायेगा यहां पर एक विशेष पृष्ठ भूमि में शिक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात भारत में शिक्षा के पुनरुत्थान में मुस्लिम संस्कृति और परम्परा के महत्वपूर्ण योगदान को भी ध्यान में रखा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा प्रयोग है जो कि न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में नई रोशनी और आशा का संचार करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती शीला कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम बिश्व विद्यालय (तृतीय संशोधन) जिस पर कि अभी चर्चा की जा रही है, पर सदस्यों की टिप्पणी और आलोचना को ध्यान पूर्वक सुना है। आज हमने पूरी दोपहर इस विधेयक पर चर्चा करते हुए बिता दी मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है।

हमारा महान भारतीय समाज बहुत सी संस्कृतियों, भाषाओं तथा धार्मिक समुदायों का हृदयग्राही संगम है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इन लोगों की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करे और शंकाऐं यदि कोई हों चाहे वह निर्मूल ही हों तो उनका समाधान करे यह लोकतंत्र ही, जिसे कि हमने स्वेच्छा से सरकार की प्रणाली के तौर पर चुना है, इस महान देश के समस्त लोगों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति का सबसे सुरक्षित और निश्चित साधन है और इन सब लोगों को एक गतिशील राष्ट्र के रूप में गठित कर सकता है। यदि हमारे इतिहास में किसी भी समय किसी अल्पसंख्यक समुदाय की इस बात का डर ही कि उनकी सांस्कृतिक परम्परा के नष्ट होने का भय है तो मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार के भय हमारी राष्ट्रीयता की धारणा में बसे लोकतंत्र के आधार और धर्म निरपेक्षता की आत्मा को धीरे-धीरे समाप्त कर देगे। यहां ऐसी कई विघटन

कारी शक्तियां हैं जो हमारे इस महान देश को विघटित करने के लिए लगातार कार्य करती रहती हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि इस उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास की भावना पैदा करें। अतएव भारत के प्रत्येक नागरिक का और विशेष रूप से भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह देखें कि अन्य भाषा बोलने वाले या किसी अन्य धर्म के अनुयायी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाए हैं ताकि मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त किया जा सके कि उनकी संस्कृति एवम् संस्थाओं की सरकार द्वारा सुरक्षा की जायेगी।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय अधिनियम में किए गए अनेक संशोधनों के पीछे अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा का आश्वासन देने की भावना रही है। ये संशोधन सद्भावना से किए गए थे। ये किसी एक व्यक्ति की कल्पना और व्यक्तिगत सनक के कारण नहीं बल्कि विभिन्न समितियों और निकायों की सिफारिशों पर किये गये थे। ताकि केन्द्रीय विश्व विद्यालयों में समरूपता लाई जा सके। हमारे देश में मुसलमान यह महसूस करने लगे थे कि इन संशोधनों से इस संस्था का अल्पसख्यक स्वरूप कमजोर पड़ गया है। इसलिए हमारे दल ने सत्ता में आने से पहले यह वादा किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय अल्पसंख्यक स्वरूप को दोबारा बहाल किया जायेगा। वर्तमान विधेयक, जिस पर कि हमने आज दोपहर चर्चा की है इस वायदे को पूरा करने के लिए लाया गया है और इस महान संस्था के हित के लिए मतैक्य के आधार पर तैयार किया गया है।

उनके माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ सदस्यों द्वारा यह भय भी व्यक्त किया गया था कि विश्व विद्यालय अपना धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक स्वरूप खो देगा। मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि विश्व विद्यालय किसी भी जाति, धर्म विचारधारा अथवा वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से खुला रहेगा क्या विश्व विद्यालय का धर्म निरपेक्ष स्वरूप सुनिश्चित करने का इससे बेहतर तरीका हो सकता है?

एक बात यह भी कही गई थी कि विश्व विद्यालय अलोकतांत्रिक बन जायेगा। मैं यह जानना चाहूंगी कि उनकी लोकतंत्र की धारणा क्या है, क्योंकि विश्व विद्यालय की प्रबंध प्रणाली में अधिकतर निर्वाचित प्रतिनिधि है और वह इस अधिनियम की सीमाओं के भीतर रह कर कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त कोर्ट का प्रावधान है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का कथन है कि कोर्ट बड़ा होना चाहिये जबकि कुछ अन्य लोगों का विचार है कि इसे इतना बड़ा नहीं होना चाहिये इसमें सदस्यों की संख्या कम होनी चाहिये। परन्तु चाहे कुछ भी हो, यह विश्व विद्यालय का सर्वोच्च निकाय है।

हमारे रशीद भाई ने कहा था कि सारे हिन्दुस्तान के औकाफ से एक-एक मेंबर ले लीजिये ऐसा करने से मेम्बरों की तादाद बहुत ज्यादा हो जायगी।

श्री रशीद मसूद : एक-एक मेम्बर सब जगहों से ले लीजिये ।

श्रीमती शीला कौल : हिन्दुस्तान में कितने औकाफ हैं, जरा इसका अन्दाजा लगा लीजिये ।

किसी ने यह भी कहा कि यह वाडी बहुत ज्यादा बड़ी हो जायगी, किसी ने कहा कि छोटी होगी, मैं समझती हूं कि आगे चल कर यह तजुर्बे से मालूम पड़ेगी कि कौन सी बेहतर रहेगी ।

हमारे इन्द्रजीत गुप्ता साहब यहां मौजूद नही है । मुझे बड़ा अफसोस है कि सब लोग चले गये । इतनी मेहनत से हमने काम किया है ।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : सब लोग नहीं गये हैं ।

श्रीमती शीला कौल : मैं आपकी बहुत आभारी हूं मैं जानती थी कि आप बैठे रहेंगे । पन्तु आप जानते हैं कि कुछ माननीय सदस्य उठकर चले गये हैं । अब देखिए, श्री इन्द्रजीत गुप्त भी जो यहाँ बोले थे, जा चुके हैं···जिन्होंने प्रश्न पूछा था, उनको यहां होना चाहिए था ।

बुरा मत मानिए मैं जानकारी दूंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ऐसा नियम होना चाहिए कि सरकार केवल उन्हीं सदस्यों को उत्तर देगी जो यहां पर उपस्थित होंगे ।

श्रीमती शीला कौल : मेरे विचार से तो यह नियमों में नहीं दिया हुआ है । यही तो मुशीबत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने भी कहा था । इसके लिए नियम होना चाहिए ।

श्रीमती शीला कौल : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि इसमें जामिया मिलियां जैसे संस्थानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सका एक संस्थान के नाते इसे प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है क्योंकि उनके लिए प्रावधान है । और फिर मुसलमान शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सोसाइटी होने के नाते भी जमिया मिलियां आ सकता है । उन्होंने यह बात भी कही थी कि मुसलमानों को विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित किया जा रहा है । मेरे विचार से यह कहना सरासर गलत है क्योंकि जब कहीं वे इसकी मांग करते हैं या प्राप्त करने का प्रयास करते है उन्हें अवसर दिया जाता है ।

रशीद भाई, आपने एक कड़ी इन्टरेस्टिंग बात कह दी, आपने फरमाया कि जो एनुअल एकाउन्ट्स और आडिट रिपोर्ट है वह यहाँ नहीं रखी जानी चाहिये । लेकिन मैं उनको यह जानकारी देना चाहती हूं कि जितनी भी सेन्ट्रल यूनीवर्सिटीज हैं उनके एकाउन्ट्स और रिपोर्ट्स

सब यहां रखे जाते हैं। यह कानून है कि जितनी यूनीवर्सिटीज हमारे नीचे आती हैं उनके एकाउन्ट्स और रिपोर्ट्स कहां पेश की जायें और आज ही हमने सेन्ट्रल यूनीवर्सिटीज की जितनी रिपोर्ट्स आई थी, इन्क्लूडिंग अलीगढ़ यूनीवर्सिटी, पेश की है। बराये-मेहरबानी इसको पढ़ लीजियेगा।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : बहुत देर के बाद रखते हैं।

श्रीमती शीला कौल : जैसे ही आती हैं हम वैसे ही रख देते हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : जरा जल्दी कर दीजिए।

श्रीमती शीला कौल : आप तो जानते हैं पहले एकाउन्ट्स तैयार होते हैं, आडिट होते हैं उसके बाद उनका ट्रांस्लेशन होता है, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जिनमें टाइम लग जाता है और देर हो जाती है, जिसके लिए आपसे माफी मांग लेते हैं।

श्री अशफाक हुसैन साहब ने फरमाया था कि उन्होंने पार्लियामेंट में जो क्वेशचन दिया था और उसका जो जवाब मेरे साथी ने दिया था, उसमें जो फिगर स्टूडेन्ट्स की दी गई थी और आज मैंने जो फिगर दी है उसमें फर्क है, मैंने 17 हजार की तादाद बताई थी। मैं उनसे अर्ज करना चाहती हूं कि उन्होंने अपने सवाल में यूनीवर्सिटी लेवल तक पूछा था और इस वक्त जो जिक्र किया गया है उसमें छोटे बच्चों को भी शामिल किया गया है, मेरा मतलब है स्कूलों के बच्चों की तादाद भी शामिल है।

श्री अशफाक हुसैन : मेरा सवाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी तक महदूद था।

श्रीमती शीला कौल : इसमें स्कूल और पोलिटेकनिक्स भी शामिल हैं। आपने बजट का जिक्र भी किया था। आपने कहा था कि प्लान में 150 लाख रुपये और नान-प्लान्ड में 830 लाख रुपए जो तकरीबन 10 करोड़ हो जाते हैं, यहां से दिए जाते हैं। आपने जो कहा है वह ठीक है, लेकिन हर साल इतना ही नहीं दिया जाता, इसमें इजाफा होता रहता है...

श्री अशफाक हुसैन : जरूरत के मुताबिक नहीं दिया जा रहा है।

श्रीमती शीला कौल : जितने हमारे पास फण्डस हैं, मटके में जितने चावल होंगे उतने ही बन सकते हैं, बाहर से तो कहीं से ला नहीं सकते।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : इन्टरनेशनल मानिटरी फण्ड से ले आइये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : बहिन जी, जब इनके चीफ मिनिस्टर थे तो इन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाया था। इससे इनका मतलब है कि ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करवा सकें, लेकिन ऐसा मौका नहीं आयेगा।

श्रीमती शीला कौल : और हरेक का नाम लेने में ज्यादा टाइम लगेगा। मैं चाहती हूं कि इसे जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाए। माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को जो समर्थन दिया है उसके लिए मैं उनकी आभारी हूं।

जैसा कि मैं पहले भी कह चूकी हूं—मै इस पर एक बार फिर बल देना चाहती हूं—यह विधेयक काफी चर्चा और विभिन्न मत मतान्तरों वाले लोगों से बड़ी संख्या में सलाह-मशविरा करने के बाद ही लाया गया है। मेरे कुछ मित्रों ने यह बात कही है कि विधेयक में ऐसे उपबन्ध भी हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है। मैं उनकी बात से असहमत नही हूं। हर चीज में तरक्की हो सकती है। यह कोई अन्तिम शब्द नहीं है। ऐसी कमिया हो सकती हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है। परन्तु विधेयक की अपूर्णता पर कोई निर्णय देने से पूर्व हमें सबसे पहले यह देखना चाहिये कि यह कैसा कार्य करता है। हमने भलाई के लिए ही इस विधान को अपनाया है। यह राज्य का विश्वासघात ही होगा यदि समस्त मुस्लिम समाज को अधर में ही लटका दिया जाए।

महोदय, अब मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किता जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डबार विचार आरंभ करेगी।

खण्ड-2

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 2 को लेता हूं। इसमें कोई संशोधन नहीं है। मैं इसे सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 3

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें दो संशोधन हैं श्री बनातवाला क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री जी एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 7—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"और जिसे भारत के मुसलमानों द्वारा प्रशासित किया जायेगा" (5)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"स्पष्टीकरण—किसी विधि न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय या डिक्री के होते हुए भी विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ में भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित और प्रशासित उनकी अभिरुचि की शिक्षा संस्था के रूप में घोषित/मान्यता प्राप्त किया जाता है।" (30)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन पर बोल सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, कितनी अच्छी बात है कि मन्त्री महोदय ने सभा को बताया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप पुनः बहाल करना, सत्ताधारी दल द्वारा दिया गया एक वचन था और यह विधेयक उसी वचन को पूरा करने के लिए लाया गया है। जहां तक मेरी बात है मैं सरकार की भावनाओं का आदर करता हूं, परन्तु मैं चाहता हूं कि विधेयक में रखे गये उपबन्ध वास्तव में ही इस वायदे को पूरा करने की दिशा में एक कदम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम अब समझ रहे हैं, सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के अल्पसंख्यक-स्वरूप को पुनः लाना चाहती है। तो फिर स्वयं विधेयक में यह बात कहने से वह क्यों हिचकती है इस पर चुप्पी क्यों साधी जानी चाहिए ? कुछ मुख्य बातें ऐसी हैं जिन्हें समझ लेने की आवश्यकता है ? जो शब्दों को समझने में अक्षम हैं वे इसके पीछे विचारधारा और तथ्यों को समझने में पूर्णतया असमर्थ हैं। कुछ तमाशा खड़े करने वाले ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस देश को दुःख और वेदना के गर्त में धकेला है। मैं सरकार को केवल यह बता देना चाहता हूं कि वह अपने आप को धोखा न दें। मुख्य मामला तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उसका अल्प संख्यक स्वरूप फिर से इस ढंग से लाना है कि विश्व विद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का संरक्षण प्राप्त हो सके जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में परिकल्पना की गई है विश्वविद्यालय को उसी प्रकार से शैक्षिक संस्थान की मान्यता प्रदान करनी है। अनुच्छेद 30 में निम्नलिखित बात कही गई है :

"30 (1) : धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।"

अजीज बाशा के मामले में जो निर्णय दिया गया था वह हमारे संविधान के उपबन्धों और अल्प संख्यकों दोनों ही के प्रति और हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष संकल्पना के प्रति एक स्थायी अन्याय है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गलती से एक टिप्पणी की है कि न तो विश्वविद्यालय को मुसलमानों ने स्थापित किया है और न ही 'विश्वविद्यालय का प्रशासन कभी पूर्णतया मुसलमानों के हाथों में रहा है।" अतः प्रश्न के दो पहलू हैं : एक पहलू तो विश्वविद्यालय की स्थापना का पहलू है। इस विधेयक में स्पष्टरूप से कहा गया है कि इसकी स्थापना मुसलमानों ने की है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार इस ऐतिहासिक तथ्य को मानकर चली है परन्तु फिर अन्य पहलू भी तो शेष हैं। और वह पहलू है कि चूंकि जानबूझकर कभी भी विश्वविद्यालय का प्रशासन पूर्णतया मुसलमानों के हाथों में नहीं रहा तो, यह एक ऐसा शैक्षिक संस्थान नहीं है जिसकी परिकल्पना संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत की गई है। अतः स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये। वर्तमान विधेयक में सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयक में "विश्वविद्यालय पद की जो परिभाषा की गई है वह संविधान के अनुच्छेद 30 (1) की भावना के अनुरूप नहीं है और अजीज बाशा के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को भी पूर्णतया निरस्त नहीं करती है। अतः इसी बात को लेकर हम स्पष्टतया सभा में यह स्पष्टीकरण मांगने आए हैं कि अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक वर्ग का संस्थान है।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके कुछ और भी संशोधन हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं उन पर अधिक समय नहीं लगाऊंगा। यही मर्म की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ और समय लेकर अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री जी० एम० बनातवाला : 'विश्वविद्यालय' शब्द की जो परिभाषा अब विधेयक में दी गई है वह सुधरी हुई तो है परन्तु जैसा कि मैंने कहा है यह 'अनुपयुक्त' और 'अस्पष्ट' है। हमारी मांग केवल यही नहीं रही है कि इसे मुसलमानों द्वारा स्थापित संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, बल्कि जैसा मैंने कहा है कि यह तो संविधान के अनुच्छेद 30 (1) की अपेक्षाओं की आंशिक पूर्ति है।

मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, उनका उद्देश्य मैं सरकार को स्पष्ट कर देता हूं। मेरा एक संशोधन विश्वविद्यालय शब्द की परिभाषा को लेकर है। मेरा कहना है कि 'विश्वविद्यालय' शब्द के पीछे यह और जोड़ा जाए 'प्रशासन भारत के मुसलमानों के हाथ में हो।' यह संशोधन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्य-समिति ने विचार विमर्श के बाद रखा है। इस कार्य-समिति में सभी मतों के लोग है, उसमें केवल वैसे लोग ही नहीं हैं जिनकी एक आंख चुनावों पर लगी रहती है। उन्हें मत प्राप्त वाले किसी एक व्यक्ति पर निर्भर करना पड़ता है। मैं उनके बारे में अधिक नहीं कहूंगा। परन्तु जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, मुसलमानों के मामले में विभिन्न

विचारधाराओं वाले लोगों को मिलाकर गठित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कार्यवाही समिति की बात-चीत से ही यह बात सामने आई है । एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि-निकाय है जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के ऐसे लोग सम्मिलित है जो प्रत्यक्षत: चुनाव-प्रक्रिया से दूर रहते हैं । अत: यह कहने का प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा संशोधन एक आंख चुनाव पर रखकर लाया गया है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अब चुनाव कहां हो रहे हैं ?

श्री जी०एम० बनातवाला : अत: में स्पष्टतया कहता हूं कि यह संशोधन जोकि कुछ जिम्मेवारी की भावना से प्रस्तुत किया गया है, वह तो स्वयं सरकार के अपने वायदे को पूरा करने में सहायक हैं । उन्हें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिये । हमें स्थिति को समझना चाहिये ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अल्पसख्यक आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था । मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह परिभाषा अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सुझाई गई परिभाषा के अनुरूप है ।

सभा पटल पर रखा गया प्रतिवेदन इसी के समान नहीं है परन्तु इससे मिलता-जुलता अवश्य है । तथापि, अल्पसंख्यक आयोग ने इस मामले पर और आगे विचार किया तथा अन्य अनेक सामने आए प्रश्नों पर भी विचार किया । और इसके बाद अल्पसख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अन्सारी ने विधि मन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री को भेजे गये अपने प्रतिवेदन अथवा पत्र में यह सुझाव दिया कि यह सुनिश्चित करन के लिए कि विश्वविद्यालय शब्द की परिभाषा इस प्रकार से की जाए कि इसे चुनौती न दी जाए । और इसका अल्पसंख्यक स्वरुप फिर से स्थापित कर दिया जाए । तथा परिभाषा में ही एक विशिष्ट स्पष्टीकरण जोड दिया जाए । विधि मन्त्री और शिक्षा मन्त्री को भेजे गये अ ने पत्र या प्रतिवेदन में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया था कि परिभाषा में ये शब्द अनिवार्य रूप में आने चाहियें, जिन्हें मेरे सशोधन में इस प्रकार रखा गया है :—

> "स्पष्टीकरण-किसी विधि न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय या डिक्री के होते हुए भी, विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ में भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित और प्रकाशित उनकी अभिरुचि की शिक्षा संस्था के रूप में घोषित मान्यता-प्राप्त किया जाता है ।"

अत: ये प्रमुख व्यक्ति आये हैं और इस समुदाय के द्योतक मत भी सरकार के समक्ष आये है और यह कहना है कि इस विधेयक में शामिल किये गये वर्तमान खण्ड मुसलमानों की आकांक्षाओं को पूरा करता है पूर्ण रूप से गलत है । मुझे यह कहने की अनुमति दी दीजिये कि जो राय दी गई है वह सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ भी वह लाना चाहती है, उसे स्पष्ट रूप से विधेयक मे ही लाया जाना चाहिए । यदि वह कहती है कि "विश्वविद्यालय" शब्द की परिभाषा जैसा कि उसके द्वारा दी गई है...

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महोदय क्या हमें 10 बजे रात तक बैठना चाहिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि अब तक मन्त्री महोदय समझ गये हैं कि सरकार जो कह रही है । वह अस्पष्ट हैं । यदि इस विधेयक में यह स्पष्ट रूप से बताया गया हो तब ही वास्तव में उनकी भावनाओं को जैसा कि दावा करती है वास्तविक रूप मिलेगा । अन्यथा, मैं यह अवश्य कहूंगा कि मुसलमानों की आकांक्षायें पूर्णतयः उपेक्षित रहेंगी जिसका परिणाम निराशा ही होगा ।

महोदय, कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने यह कह कर अल्पसंख्यक संस्था की धारणा की भी निन्दा की है कि अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियां उभरती हैं । हमने अभी अभी श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषण को सुना है । वे यह कह सकते हैं कि अलोकतांत्रिक स्वरूप आ जाता है और आदि आदि । किन्तु वे लोग जो संविधान के अनुच्छेद 30 में दिये गये आदर्शों तथा धारणा का समर्थन नहीं करते हैं, उनके बारे में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है वे उस तरह की बात करेंगे महोदय मैं "अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय" संस्था एक अल्पसंख्यक संस्था है । यह एक ऐतिहासिक तथ्य है । हमें स्पष्ट रूप से मान्यता दी जानी चाहिए हम इसलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं क्योंकि कुछ परेशानियां और कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी और हम विश्व विद्यालय के न्याय करने में समर्थ नहीं होंगे । यदि आप अस्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि इसका अल्पसंख्यक स्वरूप है, तो वे कहते हैं तो कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी और यदि स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया तो मुकदमेबाजी होगी ।

संविधान के अनुच्छेद 30 (2) में बताया गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में किसी विद्यालय के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वह किसी विशेष अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है ।

इन शब्दों के साथ मैं सभा को अपने दोनों संशोधनों को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं मैं एक बार फिर सरकार से अपने वचन के प्रति पर्याप्त रूप से ध्यान देने के लिए तथा इस विधेयक में इसे स्पष्ट रूप से शामिल करने का अनुरोध करता हूं ।

श्रीमती शीला कौल : चूंकि इस विश्व विद्यालय का प्रशासन, इस अधिनियम के उपबन्धों, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार चलाया जायेगा इसलिए श्री बनातवाला द्वारा पेश किये गए संशोधनों के लिए सहमत होना सम्भव नहीं है और इसलिए इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि संशोधन संख्या 34 तथा 35 जिनके बारे में कुछ सदस्यों द्वारा नोटिस दिया है, श्री बनातवाला द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 5 और 10 के समान हैं, इसलिए इन्हें पेश नहीं किया जा सकता । दीर्घायें खाली कर दी गई हैं प्रश्न यह है

पृष्ठ 2. पंक्ति 7, —

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए ...

"और जिसे भारत के मुसलमानों द्वारा प्रशासित किया जाएगा" (5)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत विभाजन संख्या-4

20.13 बजे

पक्ष में

बनातवाला, श्री जी० एम०
खां, श्री गयूर अली
रशीद मसूद, श्री
* सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम

विपक्ष में

अब्बाशो, श्री काजी जलील
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
बाजपेयी, डा०, राजेन्द्र कुमारी
भक्त, श्री मनोरंजन
बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री
दलबीर सिंह, श्री
देसाई, श्री बी० वी०
फर्नाण्डीस, श्री ओस्कर
गोमांगो, श्री गिरिधर
गुलशेर अहमद, श्री
जफर शरीफ, श्री सी० के०
जैन, श्री निहाल सिंह
जमीलुर्रहमान, श्री
कौल, श्रीमती शीला
पराशर प्रो० नारायण चन्द
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रधानी श्री के०
कादरी, श्री एस० टी०
रणवीर सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी० राधा० बाई आनन्द
राव, श्री जलगांव कोन्डाला
राव, श्री एम० नागेश्वर
रेड्डी श्री एम० राम गोपाल
शमन्ना, श्री टी० आर
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा श्री काली चरण
सिदनाल, श्री एस० बी०

* गलती से किसी अन्य सीट से मतदान किया और तदनुसार बाद में अध्यक्ष महोदय को सूचित किया।

खां, श्री आरिफ मोहम्मद
किदवई, श्रीमती मोहसिना
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री उमाकान्त
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल श्री पो०
पाण्डे, श्री कृष्ण चन्द्र
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोरन, श्री हरिहर
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
वैराले, श्रीमधुसुदन
वेंकटसुब्बैया, श्री पी०
व्यास, श्री गिरधारी लाल
जैनुल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है।

पक्ष में : 5

विपक्ष में : 44

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : गण पूर्ति है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 49 सदस्यों से पर्याप्त गणपूर्ति कैसे हो सकती है।

श्री जी० एम० बनातवाला : कुछ लोग जो सभा में उपस्थिति हैं, उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्यों को देखकर गिनती की है। 50 से अधिक सदस्य उपस्थित हैं। पर्याप्त गणपूर्ति है।

पक्ष में : श्री अशफाक हुसैन

विपक्ष में : श्री गुलाम रसूल कोचक

अब श्री बनातवाला का दूसरा संशोधन भी है। श्री बनातवाला क्या आप इसके लिए जोर दे रहे हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : जी हां।

---

* *निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—*

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली हो गई हैं। प्रश्न यह है।

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 7 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए।

"स्पष्टीकरण—किसी विधि न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय या डिक्री के होते हुए भी, विश्व विद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ में भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित और प्रशासित उनकी अभिरुचि की शिक्षा संस्था के रूप में घोषित मान्यता प्राप्त किया जाता है।" (30)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या-5

20.16 बजे

पक्ष में

अशफाक हुसैन, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

खां, श्री गयूर अली

रशीद मसूद, श्री

* सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम

विपक्ष में

अब्बाशी, श्री काजी जलील

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

बाजपेयी, डा०, राजेन्द्र कुमारी

भक्त, श्री मनोरंजन

बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

पराशर प्रो० नारायण चन्द

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पुजारी, श्री जनार्दन

प्रधानी श्री के०

कादरी, श्री एस० टी०

रणवीर सिंह, श्री

* गलती से किसी अन्य सीट से मतदान किया और तदनुसार बाद में अध्यक्ष महोदय को सूचित किया।

देसाई, श्री बी० वी०
फर्नाण्डीस, श्री ओस्कर
गोमांगो, श्री गिरिधर
गुलशेर अहमद, श्री
जफर शरीफ, श्री सी० के०
जैन, श्री निहाल सिंह
जमीलुर्रहमान, श्री
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
किदवई, श्रीमती मोहसिना
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री उमाकान्त
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल श्री पी०
पाण्डे, श्री कृष्ण चन्द्र
राव, श्रीमती बी० राधा० बाई आनन्द
राव, श्री जलगांव कोन्डाला
राव, श्री एम० नागेश्वर
रेड्डी श्री एम० राम गोपाल
शमन्ना, श्री टी० आर
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा श्री काली चरण
सिदनाल, श्री एस० बी०
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोरन, श्री हरिहर
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
वैराले, श्रीमधुसुदन
वेंकटसुब्बैया, श्री पी०
व्यास, श्री गिरधारी लाल
जैनुल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही पर्याप्त गणपूर्ति है। शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 6

विपक्ष में :43

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड-4

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 4 का कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 4 में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री मधुसूदन वैटाले,

श्री के० प्रधानी

खण्ड 5

श्री जी० एम० बनातवाला :

पृष्ट 2, पंक्ति 23—

"विश्वविद्यालय" से पूर्व निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाये "अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्याधीन" (6)

यह इतना स्पष्ट और सीधा साधा है और मुझे आशा है कि इसे स्वीकार कर लिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० ए० यू० आजमी तथा श्री रशीद मसूद को पेश नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे संशोधन संख्या 36 की तरह के ही है । अतः मैं सभा के ममक्ष श्री बनातवाला द्वारा पूरा किये गये संशोधन संख्या 6 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 6 से 8 में कोई संशोधन नहीं हैं प्रश्न यह है :—

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी विपक्ष में मतदान किया :

"कि खण्ड 6 से 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 8 क (नया)

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 3—

पंक्ति 4 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये—

"8 क मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के प्रथम परन्तुक में "कुलाध्यक्ष" शब्द के स्थान पर 'कुलाधिपति" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा—

(7)

इसका उद्देश्य यह है कि विजिटर के हाथ में बहुत अधिक शक्ति केन्द्रित न हो जाये। विश्वविद्यालत के लोकतान्त्रिक स्वरूप के अनुसार विश्वविद्यालय के पास आवश्यक शक्ति होनी चाहिए। अतः विजिटर के हाथ में यह शक्ति होने की बजाये इस धारा में उल्लिखित ऐसी शक्तियां कुलपति के पास होनी चाहिए।

श्रीमती शीला कौल : हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री बनातवाला द्वारा एक नये खण्ड को जोड़ने के लिए संशोधित संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 9 से 11 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 से 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 9 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए

खण्ड 12

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3—

पंक्ति 25 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये।

"परन्तु मुस्लिम समुदाय का प्रणाली नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सभा इस

प्रकार गठित की जायेगी । जिससे उसके सदस्यों में 'मुसलमानों का न्यूनतम तीन चौथाई बहुमत अवश्य हो।' (8)

श्री अशफाक हुसैन (महाराजागंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,

पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"परन्तु मुस्लिम समुदाय का प्रभावी नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिए सभा इस प्रकार गठित की जायेगी जिससे उसके सदस्यों में मुसलमानों का न्यूनतम तीन चौथाई बहुमत अवश्य हो।" (37)

श्री जी० एम० बनातवाला : अलीगढ़ विश्व विद्यालय के सम्बन्ध में अल्प संख्यक स्वरुप का सार विश्वविद्यालय का प्रशासन करने के लिए अल्पसख्यक को प्रभावी शक्ति में हैं। इसमें दो तथ्यों का पूर्वानुमान लगाया गया है।

(1) विश्वविद्यालय के कोर्ट को यह कानूनी गारन्टी है कि या तो यह एक मुसलमान सदस्यों अथवा मुसलमानों के बहुमत सदस्यों से बनाई जाएगी । (2) कि इस प्रकार गठित कोर्ट के पास विश्व विद्यालय का शासन चलाने के लिए सर्वोच्च शक्ति है । 1920 के मूल अधिनियमम में स्पष्ठ रुप से यह लिखा गया है ।

"बशर्ते कि किसी मुसलमान के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होगा ।"

अतः, मैंने अपने संशोधन में यह कहा है कि मुसलमानों को कम से कम तीन चौथाई बहुमत अवश्य होना चाहिए ताकि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में दिए गये विचार के अनुसार इस विश्वविद्यालय का प्रबन्ध तथा प्रशासन एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था के रूप में मुसलमानों के हाथ मे रहे । मुझे आशा है कि इसे स्वीकार किया जायेगा ।

श्रीमती शीला कौल : व्यवहार में इस कोर्ट की रचना में निश्चय ही प्रमुख रुप से मुसलमान सदस्य होंगे । अतः, मैं इस संशोधन की स्वीकार नहीं कर रही हूं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : उस व्यवहार में लायी जा रही बात को कानून के ठोस उपबन्ध में परिणत कर दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री बनातवाला द्वारा पेश किए गये संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री अशफाक हुसैन द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 37 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 37 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 13 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड 16

श्रीमती शीला कौल : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 17,—

"(तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1980" के स्थान पर

"(संशोधन) अधिनियम, 1981" प्रतिस्थापित किया जाये । (3)

पृष्ठ 4, पंक्ति 20-21,—

"(तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1980" के स्थान पर

"(संशोधन) अधिनियम, 1981" प्रतिस्थापित किया जायें । (4)

ये केवल वर्ष 1980 को बदलकर 1981 कर देने वाले सीधे साधे संशोधन हैं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 39 से 41,—

"या तो प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या प्रारूप को सभा के समक्ष ऐसे रूप में जिसका कार्य परिषद, अनुमोदन करे प्रस्तुत कर सकेगी" के स्थान पर "अपनी टिप्पणियों सहित प्रारूप सभा को प्रस्तुत करेगी ।" (9)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 3 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(6) कोई नया परिनियम या किसी परिनियम का संशोधन या अभिवर्द्धन या निरसन तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक वह कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता,

जो उसे मंजूर कर सकेगा या उसे और विचारार्थ केवल एक वार लौटा सकेगा।" (31)

यह खण्ड जिस रूप में है वह विजिटर को न्यायालय द्वारा संशोधित विधि को स्वीकार ने अथवा उन्हें अस्वीकार करने की बहुत ही मनमानी शक्तियां प्रदान करता है। ऐसी मनमानी न्तयाँ विजिटर को नहीं दी जा सकती। न्यायालय को वास्तविक रूप से सर्वोच्च शासी संस्था रहना चाहिए। 1920 के मूल अधिनियम का भी यही उद्देश्य था। इस उद्देश्य से कि यालय सर्वोच्च शासी संस्था बनी रहे और कि विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप और ायतत्ता दोनों भी बनी रहें, मैं इस सभा से अपने सशोधन को स्वीकार करने का अनुरोध ता हूं।

श्रीमती शीला कौल : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले सरकारी संशोधन संख्या 3 और 4 सभा में मतदान के ए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4, पंक्ति 17,—

"(तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1980" के स्थान पर

(संशोधन) अधिनियम, 1981" प्रतिस्थापित किया जाये। (3)

पृष्ठ 4, पंक्ति 20-21,—

"(तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1980" के स्थान पर

"(संशोधन) अधिनियम, 1981" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

प्रस्ताव स्वीकृत किया

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनातवाला द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 9 और सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 9 और 31 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 16, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 16 क (नया) संशोधन किया गया

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखिति अतःस्थापित किया जाए :

धारा 29 का संशोधन — "16क मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) को हटा दिया जाए।" (47)

(श्रीमती शीला कौल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 16 क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नया खण्ड 16 क विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : इसके परिणाम स्वरुप अन्य खन्डों का संख्याकन फिर से किया जाएगा।

खण्ड-17

संशोधन किया गया

पृष्ठ 5, पंक्ति 7—

"17" के स्थान पर "18" प्रतिस्थापित किया जाय। (48)

(श्रीमती शीला कौल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 17 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड- 8

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5—

खंड 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायें—

'18 मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात—

"(2) सभा उस पर संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद्, को भेजेगी जिस पर वह ऐसी कार्यवाही करगी जो वह उचित समझे।" (10)

संशोधित किया गया

पृष्ठ 5, पंक्ति 10—

"18" के स्थान पर "19" प्रतिस्थापित किया जाय। (49)

(श्रीमती शीला कौल)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पेश किए संशोधन संख्या 10 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 18 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड-19

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 25 से 33 का लोप कर दिया जाए। (11)

संशोधन किया गया

50 पृष्ठ 5, पंक्ति 15—

"19" के स्थान पर "20" प्रतिस्थापित किया जाय : (50)

(श्रीमती शीला कौल)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 11 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 11 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़, दिया गया।

खण्ड 20

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 19 से 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये —

" (1) कुलपति की नियुक्ति सभा द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों के पेनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।"

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 3 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

'(5क) परिनियम 13 के खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात :—

" (2) पुस्तकालयाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उस कार्य परिषद द्वारा सौंपे जाये। वह पुस्तकालय विज्ञान विभाग अध्ययन बोर्ड का सदस्य होगा "। (13)

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 14 का लोप कर दिया जाये। (14)

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 15 का लोप कर दिया जाये। (15)

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 17 का लोप कर दिया जाये। (16)

पृष्ठ 7, पंक्ति 18,—

"पाँच" के स्थान पर

"तीन" प्रतिस्थापित किया जाए। (17)

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाए।

"(8) तेरह अध्ययन विभागों के अध्यक्ष, प्रत्येक संकाय में ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से जैसा कि नीचे दिया गया है :—

पृष्ठ 7, पंक्ति 34,—

"पांच के स्थान पर 'दस' प्रतिस्थापित किया जाये । (40)

पृष्ठ 7, पंक्ति 35,—

"अपने में" के पश्चात

"अनुपाती प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के आपर पर" अन्तःस्थापित किया जाये (41)

पृष्ठ 7, पंक्ति 37-38—

"पूर्व छात्र संगम द्वारा" के स्थान पर

"विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत पूर्व छात्रों के निर्याचकगण द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर" प्रतिस्थापित किया जाये । (42)

पृष्ठ 8, पंक्ति 2,—

"दस के स्थान पर "पाँच" प्रतिस्थापित किया जाये (43)

पृष्ठ 7, पंक्ति 5—

"से ही" के पश्चात

"अनुपाती प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर" अन्तः स्थापित किया जाये । (44)

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 7 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये ।

"विद्यावृत्तियों और विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

(12) विद्यावृत्तियों और विशेष हितों के दस सदस्य जिनके अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य. व्यवसाय संघ बैंककारी और कृषि प्रतिनिधि भी है, जो सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे । (45)

पृष्ठ 8, पंक्ति 23,—

"महाविद्यालयों" के पश्चात ',जिन के अन्तर्गत जामिया मिलिया इस्लामिया भी हैं, " अन्तस्थापित किया जाये । (46)

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 5, पंक्ति 34,—

"20" के स्थान पर "21" प्रतिस्थापित किया जाय। (51)

श्रीमती शीला कौल

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री बनातवाला द्वारा पेश किये गए संशोधन संख्या 12 से 29,32.33 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 12 से 29, 32 33 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री पी० के० कोडियम द्वारा रखे गये संशोधन संख्या 38 से 46 सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन संख्या 38 से 46 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 20 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 21

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 11, पंक्ति 9,—

"21 के स्थान पर "22" प्रतिस्थापित किया जाय।" (52)

श्रीमती शीला कौल।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 21 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22

संशोधन किया गया :—

पृष्ठ 11, पंक्ति 14,

वाणिज्य संकाय—1

कला संकाय—7

सामाजिक विज्ञान संकाय—2

इन्जीनियरी संकाय—2

आयुविज्ञान संकाय—2

विधि संकाय—1

धर्म विज्ञान संकाय—1

पृष्ठ 8, पंक्ति 9,— (18)

"व्यक्ति" के स्थान पर "मुसलमान" प्रतिस्थापित किया जाए। (19)

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 15 से 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापति किया जाए—

"(24) संसद के पाँच सदस्य, लोक तीन सभा द्वारा अपने सदस्यों में से और दो राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।" (20)

पृष्ठ 9, पंक्ति 1,—

"ग्यारह" के स्थान पर "छह" प्रति स्थापित किया जाए। (21)

पृष्ठ 9, पंक्ति 5,—

"पाँच" के स्थान पर "तीन" प्रति स्थापित किया जाए। (22)

पृष्ठ 9, पंक्ति 38,—

"पाँच" के स्थान पर "तीन" प्रतिस्थापित किया जाए (23)

पृष्ठ 10, पंक्ति 1 और 2,—

"महाविद्यालयों के दो प्रधानाचार्य, जो महिला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से भिन्न है" के स्थान पर "महाविद्यालयों का एक प्रधानाचार्य, जो महिला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से भिन्न है" प्रतिस्थापित किया जाए। (24)

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 5 का लोप कर दिया जाए। (25)

पृष्ठ 10, पंक्ति 6,—

"छह" के स्थान पर "आठ" प्रतिस्थापित किया जाए। (26)

पृष्ठ 10, पंक्ति 9,—

"के दो प्रतिनिधि" के स्थान पर "का एक प्रतिनिधि" प्रतिस्थापित किया जाये। (27)

पृष्ठ 10, पंक्ति 13,—

"तीन" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाये। (28)

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 16 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(14) एक व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।" (29)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 23 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए—

'(1) खण्ड (4) में :—

(क) "पाँच" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "तीन" शब्द रखा जायेगा।

(ख) दूसरे परन्तुक का लोप किया जायेगा। (32)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 23 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

'(3क) परिनियम 4 में, खण्ड (1) के पहले परन्तुक में "कुलाध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "कुलाधिपति" शब्द रखा जायेगा।" (33)

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 7, पंक्ति 28—

"पाँच के स्थान पर 'दस' प्रतिस्थापित किया जाए। (38)

पृष्ठ 7, पंक्ति 28—

"अपने में से" के पश्चात

"अनुपाती प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर" अन्तःस्थापित किया जाये। (39)

"22" के स्थान पर "23" प्रतिस्थापित किया जाय। (53)

श्रीमती शीला कौल

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 22, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड, 22 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"इकतीसवे" के स्थान पर "बत्तीसवे" प्रतिस्थापित किया जाये। (1)

श्रीमती शीला कौल

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्रीमती शीला कौल : मैं प्रस्ताव करती हूं।

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।"

— ———

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि अध्यक्ष को पुलिस्स उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली के दिनांक 22 दिसम्बर, 1981 के निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुए हैं :—

(एक)"मुझे आपकी सादर सूचित करना है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने, श्री त्रेपन सिंह नेगी, लोक सभा सदस्य को, जिन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू निषेधाज्ञा का अपने दल के अन्य 21 कार्यकर्ताओं के साथ राजपथ, रफी मार्ग चौराहे पर लगभग 2,15 म० प० स्वेच्छापूर्वक उल्लंघन किया, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत पुलिस थाना, संसद् मार्ग नई दिल्ली के मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 655 दिनांक 22-12-81 के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये जाने का आदेश देना अपना कर्तव्य समझा। उन्हें क्षेत्रीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है।

(दो) 'कृपया इस कार्यालय का दिनांक 22-12-81 का पत्र देखें, जिसके द्वारा आपको सूचित किया गया था कि श्री त्रेपन सिंह नेगी लोक सभा सदस्य को पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 655 दिनांक 22-12-81 के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

उक्त संसद् सदस्य को उनके दल के अन्य कार्यकर्ता के साथ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, के न्यायालय में 15.45 बजे पेश किया गया। न्यायालय ने उनका तथा लोक सभा के सदस्य की भर्त्सना की और उन्हें रिहा कर दिया।"

---

8 37 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 23 दिसम्बर, 1981/2 पौष, 1903 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित

प्रबन्धक— आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।